

श्री ३६

# मनुस्मृति

भारतदेश-भाषानुवाद-सहिता

तथा च

आवश्यकं तत्रतत्रांगयुक्तविशिष्टव्याख्यानैः

परिवृंहिता

सा चेयम्

न्याय वैशेषिक, साम्प्र, योग, वेदान्त, गीताव्याख्याकारेण  
सामवेद भाष्यकारेण, वेदप्रकाश, सम्पादकेन

श्री पं तुलसीराम स्वामिना

सम्पादिता



१४वीं बार १९००

मूल्य ३१)

पुस्तक मिलने का पता:-

पं छुद्धनलाल स्वामी

अध्यक्ष स्वामी प्रेस मेरठ शहर




\* ओ३म् \*

# मनुस्मृति भाषानुवाद का

## विषय सूचीपत्र

मनोभार्यानुवादस्य तुलसीरामशर्मणा (स्वामिना) ।

अनुक्रमणिका सूची विषयानामुदीर्यते ॥ १ ॥



### प्रथमाध्याय में

विषय	श्लोक
मनु जी मे ऋषियों का धर्मज्ञानार्थ पक्ष	१-३
मनु जी का उत्तर देने का आरम्भ	४
जगत् की उत्पत्ति से पूर्वाऽत्रस्था	५
परमेश्वर का जगत् का उत्पन्न करना	६-६
नारायण शब्द का निर्वचन	१०
ब्रह्मा शब्द का वाच्याऽर्थ	११
द्युलोक, भूलोक, अन्तरिक्ष, दिशा, जलस्थान को उत्पत्ति	१२ १३
मन और अहकार, महत्तत्त्व, ३ गुण, १ इन्द्रियों की उत्पत्ति	१४-१५
अन्य दैवी सृष्टि	१६-२१
वेदेत्पत्ति	२३
काल कालविभाग नदी समुद्रादि की उत्पत्ति	२४
तप, वाणी, रति आदि की उत्पत्ति	२५-३०
ब्राह्मण आदि चार वर्णों की उत्पत्ति	३१

स्त्री पुरुषों और विराट् की उत्पत्ति	३२
“मनु और मरीचि आदि १० प्रजापतियों और अन्य ७ मनुओं तथा यक्ष राक्ष आदि का उत्पत्ति प्रक्षिप्त श्लोकों में” प्रक्षिप्त	३३-४१
सद्य के धर्म वर्णनार्थ मनु की प्रतिज्ञा	४२
१ श्लोक जो ३ पुराने पुस्तकों में मिला है	०
जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्जों की उत्पत्ति	४३-५०
“मनु ने अपनी उत्पत्ति के साथ जन्तुत्पत्ति का उपसंहार किया है प्र०	५१
उत्पत्ति और प्रलय की अनन्तशक्ति का वर्णन	५२-५७
“मनु का कथन है कि परमेश्वर ने मुझे यह शास्त्र पढाया, मैंने मरीच्यादि को इन में भृगु तुम्हें सुनावेगा” प्रक्षिप्त	५८-६६
“भृगु ने ७ मनुओं का वर्णन और नाम बताये” प्रक्षिप्त	६७-६३
निमेष, काष्ठा कला मुहूर्त्ता, मानुष, दैव, पित्र्य, दिन रात्रि आदि काल के परिमाण	६४-७३
मन, आकाश, वायु आदि तत्व और इनके गुणों का वर्णन	७४-७८
मन्वन्तर का परिमाण	७९-८०
“युगों का प्रभाव” प्रक्षिप्त	८१-८६
ब्राह्मणादि वर्णों के कर्म	८७-९१
ब्राह्मण की पशसा	९२-९५
प्राणियों में कौन किस से श्रेष्ठ है	९६-९७
पुनः सद्य में ब्राह्मण की श्रेष्ठता	९८-१०१

“भृगु का कथन कि यह शास्त्र मनु ने बनाया और इस के पढ़ने का अधिकार और फल” प्रक्षिप्त	१०२-१०७
आचार की प्रशंसा	१०८-११०
“मनुस्मृति का संक्षिप्त सूचीपत्र” प्रक्षिप्त	१११-११६

### द्वितीयाध्याय में—

धर्मोपदेश की प्रतिज्ञा	१
सकामता, निष्कामता का विवेक	२-१
वेद-स्मृति, शील, आत्मनुष्ठ का धर्म में प्रमाण	६
“भृगु वचन से वेद प्रशंसा” प्रक्षिप्त	७
धर्म, स्मृति में कहे धर्म को प्रशंसा, न माननेकी निन्दा	८-१३
धर्मिष्ठ धर्म में देशों की प्रमाणता	१४-१९
यहाँ दो श्लोक विशेष पुस्तकों में मिले हैं	०
इस शास्त्र में गर्मावानादि वैशाक्त कर्म धर्म का हा वर्ग है	१६
आर्यावर्त की उत्तर दक्षिण सीमा	१७
सदाचार का लक्षण	१८
एक अधिक श्लोक मैत्रातिथि के भाष्य से मिला	०
ब्रह्मर्षि देश की सीमा	१६
इस देश के ग्राहाणों से सब देश के लोग पढ़ें	२०
मध्य देश की सीमा	२१
आर्यावर्त की पूर्व-पश्चिम सीमा	२२
यज्ञ योग्य देश का लक्षण	२३
ऊपर के पवित्र देशों में द्विजों को वास करना चाहिये	२४
वर्णधर्म वर्णन की प्रतिज्ञा	२५
संस्कारों की प्रशंसा और आवश्यकता तथा फल	२६-२८

जातकर्म, नामकरण संस्कार	२६-३३
निष्क्रमण, अन्नप्राशन चूडाकर्म संस्कार	३४-३५
उपनयन का काल और कालान्तिक्रम का दाय	३६-४०
चर्म मेखला, उपर्यात और दण्डों के वर्णन	४१-४८
नक्षत्र का प्रकार, भोजन	४९-५१
"कर्म और मुख करके भोजनका क्या फल है" प्रश्नित	५२
एक श्लोक यहां तीन पुस्तकों में अधिक है	०
भोजन का प्रकार आचमनादि करना	५३-५८
श्राद्धादि तीर्थों का सजा परिभाषा	५९
आचमन, मुख प्रक्षालनादि का वर्णन	६०-६२
सपत्नी, निर्वाता आदि सजा	६३
मेखलादि दूधने पर नवान का धारण	६४
केशान्त संस्कार का समय	६५
"स्त्रियों के इन संस्कारों में मन्त्र न पढ़ें" प्रश्नित	६६
"केवल विवाह ही स्त्रिया का वेद मन्त्रों से हो" प्रश्नित	६७
उपनयन का उपसंहार	६८
शिष्य को गुरु किस प्रकार पढाया करे और शिष्य	
पढने समय कैसा व्यवहार करे	६९-७१
श्रौंकार और गायत्री के ३ पाठों के व्याहृति पूर्वक	
जप का फल, त्याग की निन्दादि	७६-८४
विधियज्ञादि से जप यज्ञ की श्रेष्ठता	८५-८७
इन्द्रियों के नियंत्रण की कर्त्तव्यता, इन्द्रियों की गणना	८८-९३
भोग से काम शान्त नहीं होते प्रत्युत बढ़ते हैं इत्यादि	
से जिन्हीं द्रव्य होने की आवश्यकता	९४-१००
प्रातः साय संध्य की कर्त्तव्यता, त्याग का दाय	१०१-१०४

वेदोपकरणादि में अनध्याय नहीं	१०५-१०६
स्वाध्याय का फल समानर्त्तन तक अन्याज्य कर्म	१०७-१०८
आचार्यपुत्रादि १० धर्मानुसार पढ़ाने चाहिये	१०९
पठन पाठन वा उपदेश में नियम	११०-११६
लौकिक वा वैदिक विद्या दाता को प्रथम प्रणाम करे	११७
वेदपाठी अकर्मण्य से अल्पज्ञ कर्मनिष्ठ की प्रशंसा	११८
बड़े की शय्यासनादि पर न बैठे इत्यादि	११९
बड़े को प्रत्युत्थान की आवश्यकता	१२०
अभिवादन का फल, प्रकार न जानने की निन्दा, प्रत्यभिवादन का विधान	१२१-१२६
ब्राह्मणादि से कुशलादि भिन्न २ शब्दों से प्रश्नभेद	१२७
दाक्षित का नाम लेकर सम्भाषण न करे	१२८
परपत्नी, मामा, चाचा आदि सम्बन्धियों से अभिवादानादि में विशेष	१२९-१३३
पुरवासी आदि से कैसे व्यवहार माने	१३४
ब्राह्मण की आयु थोड़ी होने पर भी उच्चता	१३५
धन, बन्धु, आयु, कर्म, विद्या के कारण मान्य भेद	१३६-१३७
कौन किस को मार्ग छोड़े	१३८-१३९
आचार्य, उपाध्याय, गुरु, ऋत्विज् के लक्षण	१४०-१४३
गुरु से द्रोह न करे	१४४
आचार्य, पिता, माता आदि में उच्चता	१४५-१५०
“आङ्गिरस कवि ने पितरों को अज्ञानी होने से पढ़ाया और पुत्र कहा” प्र०	१५१-१५२
ज्ञान से वृद्धता होती है न कि आयु आदि से	१५३-१५४
ब्राह्मणादि भिन्न २ वर्णों में भिन्न २ कारण से बड़प्पन है	१५५

बाल पकने से वृद्ध नहीं होना किन्तु विद्या से	१५६
बिना पडे ब्राह्मणकुलोत्पन्न की निन्दा	१५७-१५८
मधुगवाणी से ही उपदेशादि करे कट्टु से नहीं	१५९-१६१
ब्राह्मण मान की इच्छा न करे इत्यादि	१६२-१६३
द्विजों का वेदाध्ययन स्वाध्यायादि की आवश्यकता	१६५-१६८
द्विजों के तीन जन्म वैदिक हैं	१६९
दूसरे जन्म में माना गायत्री, पिता आचार्य है	१७०
आचार्य को पिता क्यो कहने हैं कि वह वेद देना है	१७१
उपनयन से पूर्व वेदाध्ययन का अनधिकार	१७२-१७३
व्रत समय भी अपने २ विहित दण्डमेखलादि धारण	१७३
ब्रह्मचारी को गुरुकुलवास के म्नेवनीय नियम	१७५-१८२
मिश्रा और होम की आवश्यकता	१८३-१८८
मिक्षात्र की प्रशंसा में दो अधिक श्लोक ८ पुस्तकों से मिले	०
देवपितृयादि कार्य में व्रत के तुल्य भोजन करे	१९९
यह ( १८८ का ) नियम ब्राह्मण को ही है	१९०
गुरु के बिना कहे भी विद्योगार्जन में व्रत करे	१९१
गुरु से पढ़ने समय तथा अन्य समय कैम बैठना उठना आदि करे	१९२-२००
१ पुस्तक में यहा अधिक श्लोक मिला है	०
गुरुनिन्दकादि की निन्दा	२०१
गुरु को दूर से प्रणाम न करे, न स्त्री के समीप में, किम ओर बैठे आदि नियम	२०२-२०४
गुरु के गुरु से कैसे वरते इत्यादि	२०५-२०८
गुरु पुत्र के चरण दाबना आदि न करे	२०९



गुरु परदासोंके साथ किस प्रकार व्यवहार सेनाकरे	२१०-२१७
गुरु की श्रुति या नै विद्या की प्राप्ति	२१८
जटा रखने या शय्य सुगन्धाले, प्राप्तमें मूर्धास्न नहाने	
दे. मूर्धास्न नक. स्नाता न रहे; मोचने प्रायश्चित्त	२१९-२२१
आचार्यगार्ह का नियम रखने, भयसे उत्तम ज्ञान लाने	२२२-२२३
श्रियोग किन्तु का पढ़ते हैं	२२४
माना पिता आचार्यगार्ह का अपमान न करे. इन की	
प्रतिष्ठा	२२५-२३७
विद्या, धर्म, स्त्री, नीच से भी प्रदण करले	२३८-२४०
आपत्काल में अप्राप्तग से वा पढ़े इत्यादि	२४१-२४४
फाई बन्तु गुरु से पूर्व न भोजे परन्तु गुरु की आज्ञा	
से ज्ञान पूर्व भी करले	२४५-२४६
आचार्य के मरने पर गुरु पुत्रादि का मान करे	
इत्यादि	२४७-२४९

### तृतीयाध्याय में-

३६ वर्ष आदि का अग्रजन्म रख कर बंद पढ़ कर जो	
गृहस्थ बने, उन समावर्तिन को गोदान	१-४
सपितृणादि मित्रये विवाह के अयोग्य हैं	५-११
" प्रक्षिप्त श्रोत्रों में अम्बुवर्ण विवाह के नियम"	१२-१३
शूद्रा आदि होन स्त्रो से विवाह न करे	१४-१५
शूद्रा विवाह से पतित होने में अनेक मत	१६
शूद्रा से विवाह की निन्दा	१७-१९
आठ प्रकार के विवाह और उनके नाम	२०-२१
" विवाहों में से किस वर्ण को कौन विवाह धर्म्य है"	२२-२६

आठो विवाहों के भिन्न भिन्न लक्षण	२७-३४
ब्राह्मणों को कन्यादा । सङ्कल्प की प्रशंसा	३५
' इन विवाहों के गुण दोषों के वर्णन में भृगु की प्रतिज्ञा " प्रक्षिप्त	३६
ब्राह्मणों ४ विवाहों के पुत्रों की न्यूनाधिक प्रशंसा	३७-४२
" असवर्णा विवाह के विधान " प्रक्षिप्त	४३-४४
स्त्रियों के ऋतुकाल का सविस्तर वर्णन	४५-५०
कन्या के मूल्य लेने को निन्दा और निषेध	५१-५४
स्त्रियों को पूजा की प्रशंसा और निरादर को निन्दा	५५-६२
कुलीनता की हानि और उन्नति के कारण	६३-६६
पञ्चमहायज्ञों का वर्णन	६७-७५
अग्नि में दो हुई आहुति से जगदुपकार में युक्ति प्रमाण	७६
गृहाश्रमी की धृष्टता	७७-८०
स्वाध्यायादि से ऋष्यादि की पूजा	८१-८३
वैश्वदेव्यज्ञ की १० आहुति और १६ बलि	८४-९१
कुत्तो आदि के ६ भोग, वैश्वदेव्य की प्रशंसा	९२-९३
अतिथियज्ञ की विधि, फल, अतिथि लक्षणादि	९४-११३
सद्योविवाहिता आदि स्त्रियों को अतिथि से पूर्व ही भोजन दे देना	११४
इन सब को भोजन करा कर ही स्वयं भोजन करे	११५-११७
इस के बिना स्वयं भोजन करना पाप भोजन है	११८
राजादि घर भावें तो मधुपर्क सत्कार	११९-१२०
सायङ्काल के भोजन में वैश्वदेवकर्म	१२१
' सृत्तुश्राद्ध का प्रक्षिप्त वर्णन "	१२२

' धातु में कैसे ब्राह्मण जिमाने, कैसे नहीं'	११३-१४६
" नाने सम्बन्ध वालोंका धातुमें जिमा सकने हैं"	१४७-१४८
" धातु में निन्दित अमोक्षनीय लोग"	१४९-१६६
अयोग्य के जिमाने का दुष्टफल	१७०
परिवेसा तथा परिवर्ति के लक्षण और उन के जिमाने का दोष	१७१-१७२
विधियुपनि, पुण्ड, गोलक के लक्षण	१७३-१७४
"किस प्रकार के अपाक्येय का जिमाने में क्या दोष है"	१७५-१८१
* पंक्तिचान ब्राह्मणों के वर्णन*	१८२-१८६
"धातु में निमन्त्रण और निमन्त्रण के नियम"	१८७-२६५
"किन २ साँसादि से कितने २ दिन में पितृवृत्ति होता है"	२६६-२७२
"अयोग्यों धातुदि विशेष धातुओं का वर्णन"	२७३-२८३
वसु, रुद्र, आदित्य, संक्षवा, पिनर	२८४
यज्योप भोजन की विधि और प्रशसा	२८५
द्विजों में मुख्य ब्राह्मण की वृत्ति का प्रतिपादन	२८६

### चतुर्थाध्याय में-

आयु का दूसरा भाग गृहाश्रम में लगावे	१
जिन में किसी को कष्ट न हो या अल्प कष्ट हो उन सन, अमृत वादि वृत्तियों से जीवे	२-८
वृत्ति ( जीवन ) में एक श्लोक एक पुस्तक से मिले	०

कोई ब्राह्मण ६ कोई ३ कोई एकही कर्म करके जीविका करते हैं, अन्तिम को पर्वान्तरादि इष्टि कर लेना ही पर्याप्त है	६-१०
ब्राह्मण लोकवृत्त न करे सतोष से रहे	११-१२
जीविका में ब्राह्मणको स्वाध्यायादि के विघ्न बचाने चाहिये और नित्य शास्त्राभ्यास रखना	१३-२०
एक पुस्तक में शास्त्राभ्यासार्थ १ श्लोक पाया गया है	०
पञ्चयज्ञ न त्यागे और ज्ञानी के ज्ञान में हो ५ यज्ञ	२१-२४
अग्निहोत्र दर्श पौर्णमास का समय और कर्त्तव्यता	२५
"नवसस्येष्टि और पशुयज्ञ" प्रक्षिप्त	२६-२८
अपूजित अतिथि न रहने पावे, अतिथि कैसे न माने कैसे माने	२९-३१
बलिवैश्वदेव भी यथाशक्ति अवश्य करना	३२
स्नातक चिप्रा के दान लेने आदि में नियम और दण्डादि धारण रहन सहन के प्रकार	३३-३६
रजस्वला से गमन न करना तथा स्त्रीके साथ अन्य व्यवहारों का नियम	४०-४४
चार पुस्तकों में १ अधिक श्लोक मिला है	०
एक वस्त्र पहने भोजन न करे, न नग्न होकर करे, कई स्थानोंमें मलमूत्र त्याग का निषेध और विधि	४५-५२
अग्नि को मुख से न फूँके इत्यादि काम	५३-५४
सन्ध्याकाल के निषिद्धकर्म पुष्पमाला न उतारना	५५
जल में मल, मूत्र, थूक आदि न करे	५६
मकेले शयनादि का निषेध, दहने हाथ के काम	५७-५८

३ पुस्तकों में १ श्लोक मिला है कि अकेला इतने काम न करे	०
बछड़े को दूध पिलाती गौ को न रोके इत्यादि छोटे छोटे नियम	५६
अधार्मिक ग्रामादि में वास न करे	६०-६१
भोजन, पान, नान्ना, गाना, पाँव धोना, जूता उपवीत, पुष्पमालादि के नियम	६२-६६
निषिद्ध और विहित सवारी	६७-६८
धूप, धुवा. आसन के नियम, तृण तोड़ना आदि वृथा चेष्टा का निषेध	६९-७१
उदरदना से घान न करना, बैल की पीठ पर न चढ़ना, बिना द्वार न घुसना, रात्रिमें वृक्षछाया का त्याग, फाँसे न खेलना, शय्या, आसन वा हाथ पर भोजन न करना, सूर्यास्त समय तिलयुक्त भोजन न करना, नङ्गा न सोना, भूँटे बाहर न जाना, गीलेपाँव छाना, पर सोना नहीं	७२-७६
घिना देखे दुर्ग में न जाना मल मूत्र न देखना, नदी को बाहु से न तिरना, बालाआदि पर न बैठना चाण्डालादि में न बसना	७७-७९
"शूद्र को सुमनि न दे। इत्यादि" प्रक्षिप्त	८०-८१
दीनों हाथों से शिर न खुजावे, शिर में चोट न मारे राजा का प्रतिग्रह लेने वाला तामिस्रादि २१ नरकों में जाना है	८२-८३
भ्राह्ममुहूर्त्त में सोकर जागना आदि	८४-८९
भावणी वा भाद्री पौर्णमासी में वेदाध्ययनारम्भ	९२-९४

- पौषी वा माघी में त्याग, उपरान्त शुक्ल पक्ष  
में वेद, ऋग पक्ष में अन्य ग्रन्थ पढ़ना, वेद  
पाठ में निन्दित स्थान ६१-१००
- अनध्यायो का वर्णन १०१-१२७
- अमावास्या, अष्टमी, पूर्णिमा, चतुर्दशीमें मैथुनत्याग,  
भोजनोत्तरादि काल में स्नान त्याग, गुरु आदि  
की छाया न लांघना, चतुष्पथ सेवन का निषेध,  
उपटनादि पर न बैठना १२८-१३२
- घैरी आदि के पास न जाना, परस्त्रीगमनत्याग,  
श्रमिथादि का तथा अपना अपमान न करना,  
सत्य प्रिय बोलना, बहुत अन्धेरे में न चलना,  
हीनाङ्ग आदि को न चिढ़ाना, भूटे हाथो  
ब्राह्मणादि को न छूना इत्यादि १३३-१४४
- मङ्गलाचारादियुक्त रहना, जप, हवन नित्य करना,  
वेदाभ्यास परम तप है, वेदाभ्यासादि ४ उपायो  
से पूर्व जाति ज्ञान, सावित्र होम, शान्ति होम,  
अष्टका अन्वष्टका श्राद्ध की कर्त्तव्यता १४५-१५०
- रहनेके स्थानादिसे दूर मूत्रादिकरना स्नानादि कई  
कार्य दोपहर से पहले ही करना, पर्वों पर धार्मिक  
आदि के दर्शनार्थ जाना, वृद्धों को अभिवादन,  
जाने के पीछे जाना सदाचार वा सेवन और  
फल, दुराचारी की निन्दा १५१-१५८
- परवश कामो को स्ववश करना, आचार्यादि को  
दुःख न देना. नास्तिकत्वादि न करना, दूसरों  
को न मारे, शिष्य पुत्र की ताड़ना का नियम ।

घान्नाग को घमकी न देना आदि । अधार्मिकादि सुख नहीं पाने, अकर्म कर्मों न करे, अधर्म शीघ्र नहीं तो देर-में अवश्य नाश करेगा, इत्यादि ११६-११६	
ऋषि पाँच नैत्रादि से अपलता न करे, चाप दातों के सन्मार्ग पर चले, ऋत्विजादिसे विवाद न करे ११७-११७	
आचार्य आदि ब्रह्मलोकादि के स्वामी हैं	११९-१२१
प्रतिग्रह लेने से बचे, प्रतिग्रह के नियम	१२६-१६१
वैडालवृत्तिकादि को दान न देना इत्यादि	१६२-२००
पराये जलाशय में न नहाना, बिना दिये यानादि वर्तने वाला स्वामी के चतुर्थांश पाप का भागी है, नद्यादि में स्नान करना, यमों का अवश्य सेवन करना, यम, नियमों की गणना	२०१-२०३
अश्रात्रियादि के रक्षित यज्ञ में भोजन न करना, मदमत्तादि का भोजन, गौ आदिका सूँघा भोजन आदि चौरादिका भोजन, सुनकाश्र, असंस्कृतादि अन्न और पिशुनादि का अन्न त्याज्य है	२०५-२१७
त्याज्यान्न भक्षणके भिन्न २ दुष्फल, निन्दा, ब्राह्मणान्न को प्रशंसा, धद्रा से दिये की प्रशंसा	२१८-२२६
दानप्रशंसा, भिन्न २ दानों के भिन्न २ फल, ब्रह्मदान की श्रेष्ठता, तप से गर्व न करना इत्यादि	२२७-२३७
धर्मकी प्रशंसा, मृत्यु होनेपर भी धर्मका साथ जाना	२३८-२४३
उच्चों से सम्बन्धादि करना	२४४-२४५
मृदु जिनेन्द्रिय की प्रशंसा	२४६
“एधेदकादि भिक्षाको निषेध न करे” इत्यादि प्र०	२४७-२५३
भीतर बाहर एक सा वर्तव्य रहना, अन्यथा नहीं	२५४-२५६

वानप्रस्थधर्म वर्णन की प्रतिष्ठा गृहस्थधर्म वर्णन का  
उपसंहार

२५७-२६०

## पञ्चमाऽध्याय में-

" ऋषियों का भृगु से संवाद" प्रश्नित	१-३
खालस्यादि द्रोणों में मृत्यु की समीपता	४
सशुनादि अभक्ष्य द्रव्यगणना	५-१०
"अभक्ष्य मांसाका गणना और मांसभक्षण में दोष न मानने के हेतु" प्रश्नित	११-२३
अभक्ष्य द्रव्यों में अपवाद रूप भक्ष्य द्रव्यादि	२४-२५
"मांस भक्षण के विधि और निषेध, यज्ञार्थ मांस भक्षण की निदापता, इस में हेतु" इत्यादि प्र०	२६-४२
[महाभारत के प्रमाण से मनुका मांस विकृद्ध सम्मति]	१
वेदविहित हिंसा अहिंसा, मांस भक्षण क दाप, न भक्षण की प्रशंसा	४३-५५
"मद्य मांस मथुन में दोष नहीं" प्रश्नित	५६
प्रेतशुद्धि मृतक का अशांच	५७-७४
परदेश में मृतक की सूचना पर अशांचादि	७५-८४
शयस्पर्शादि की अशुद्धियें	८५-८८
सहूर जातादि का सूतकादि नहीं, न उदकक्रिया	८९-९०
आचार्यादि मृतक को उठाने से घृती का व्रत भङ्ग नहीं होता	९१
शुद्धादि मृतकों को दक्षिणादि नियत दिशाओं से निकालना	९२



राजा आदि जिन को वा जिन का अशोच नहीं देना	६३-६८
ब्राह्मणादि की शुद्धि के जलस्पर्शादि भिन्न २ साधन	६९
अमपिण्ड प्रेत शुद्धि की व्यवस्था	१००-१०३
ब्राह्मण मृतक को शूद्र से न उठवावे	१०४
अग्नि, तप, अग्नि आदि १० शुद्धिकारक पदार्थ	१०५
अर्धशुद्धि ( ईमान्दारी ) बड़ी भारी शुद्धि है	१०६
विद्वान् आदि श्रमादि से शुद्ध होने हैं	१०७
भिन्न २ पात्रादि भिन्न २ मृत्तिकादि से शुद्ध होने हैं	१०८-१३६
अट्टपादिकां शुद्धमानना, अथिक जलका शुद्धमानना	१२७-१२८
कारीगर आदि के हाथ आदि शुद्ध मानने	१२९
'स्त्रीमुख और शिकार का मांसादि शुद्ध मानना" प्रक्षिप्त	१३०-१३१
नामि से ऊपर की इन्द्रियों की शुद्धता (मेध्यता)	१३२
मक्खी आदि का अशुद्ध न मानना	१३३
मल मूत्रादि न्यागार्थ क्लिन्ना जल मिट्टी लेना	१३४
देह के १२ मलों की संख्या	१३५
शुद्धा आदि में क्लिन्ना वार मिट्टी लगाना	१३६
गृहस्थादि आश्रम भेद से शुद्धि भेद	१३७
मल मूत्रत्यागोत्तर आन्त्रमनादि	१३८-१३९
शुद्ध सेवकों के मासिक चपनादि	१४०
स्त्रोधर्म, स्त्रियोंका परतन्त्रना, अर्त्ता आदिसे वियुक्त न रहना, उच्छिष्ट को छूने आदि का अशुद्धि पर कर्तव्य	१४३-१४६
प्रसन्न रहना, स्त्री पुरुषका सम्बन्ध, पतिकी प्रशंसा, पतिशुभ्रूपा और परपुरुष का त्याग	१४७-१५८

सन्तानार्थ भी व्यभिचार न करना, अपुत्र की भी

सद्गति, विचार निन्दा, पतिव्रत प्रशंसा	१५६-१६६
भार्या पूर्व मर जावे तो अग्निहोत्री का कर्तव्य	१६७-१६८
गृहस्थधर्म का उपसहार	१६६

### षष्ठाऽध्याय में-

वानप्रस्थ होने की आज्ञा और नियम	१-२
वनी को ग्राम्याहारत्याग, अग्निहोत्र का साथ, 'वन में वास, शाक, मूल, फलों से निर्वाह, पञ्चयज्ञ अनुष्ठान, जितेन्द्रियादि रहने का विधान	३-१३
मद्य मांस भूमि-कवकादि न खाना	१४-१६
क्या क्या खावे, कब २ खावे, सग्रह किनना रखे, भूमि में सोवे इत्यादि नियम	१७-२२
ग्रीष्म में पञ्चनग, जाड़े में जल में खड़ा होना आदि सहनशीलता	२३-२४
आत्मा में वैतानिक अग्नि का समारोपण, सुन्वार्थ यज्ञ न करना, खान पान की साधारणता, वा मरणपर्यन्त जल वायु आदि से ही निर्वाह	२५-३१
वानप्रस्थ धर्म से मुक्ति	३२
सन्यासाश्रम की आज्ञा व समय, तीन ऋणों का चुकाने की आवश्यकता, बिना चुकाये सन्यास लेने से अधोगति	३३-३८
सब प्राणियों को अमयदान, निष्कामता एकाकी रहना, अग्नि का त्याग, वृक्षमूलादि में रहना आदि, जीवन मरण की उपेक्षा, छान कर जल	

पीना आदि, निन्दा का सहना और क्रोध, बैर असत्यादि का त्याग	३६-४८
ध्यान में रहना, गणितादि विद्या से जीविका न करना, अन्यों से बसी जगह में न रहना, डाढ़ी मूँछ मुँडायें रहना	४६-५२
“धातु के पात्र न हों इत्यादि” प्रक्षिप्त	५३-५४
एक काल भोजन गृहस्थों की आवश्यकता पूरी होने पर भिक्षा लाना, साश भोजन भोजन न मिले तो भी शोक न करना अल्पभोजी होना, इन्द्रियदमनादि	५५-६०
मनुष्यों की कर्म गतियों पर दृष्टि डालना, मृत्यु, शोक, भय, उत्पत्ति, परमात्मा की सूक्ष्मता का चिन्तन करना	६१-६५
निन्दा करने पर भी धर्म करना, लिङ्ग धर्म का कारण नहीं	६६
नाममात्र से शुद्धि नहीं होती	६७
पृथ्वी को देख कर चलना, अज्ञात जन्तु के मर जानेकाप्रायश्चित्त, प्रणायामका फल अन्तरात्म गति का चिन्तन, देह की घृणितता का चिन्तन, इस के त्याग की प्रशंसा	६८-७८
प्रियाऽप्रिय में एक भाव, द्वन्द्वत्याग, वेदान्तादि पाठ संन्यास की प्रशंसा, मुक्ति की प्राप्ति धर्मपूर्वक सभी आश्रमों से मुक्ति प्राप्ति, गृहस्थ की बढाई, दश लक्षण वाला धर्म सेवनीय है	७६-८४
गृहस्थ में ही संन्यासफल प्राप्ति, संन्यासी को वेद न	

त्यागना, संन्यास से मुक्ति, संन्यास धर्म का  
उपासहार राजधर्मवर्णन की प्रतिष्ठा ६५-६९

### सप्तमाऽध्याय में-

राजधर्मवर्णन की प्रतिष्ठा, राजा के विना हानि, राजोत्पत्ति का प्रयोजन, राजा का दैव बल सूर्यादि के समान तेज, राजा का प्रभाव, राजनियम का मान्य दण्ड की उत्पत्ति	१-१४
दण्ड की बड़ाई न्यायपूर्वक दण्ड चलाना, दण्ड न हो तो हानि, अनुचित दण्ड से राजा प्रजाकानाश मूढत्वादिदोषयुक्त राजा दण्ड को न्यायपूर्वक नहीं दे सकता किन्तु पवित्र सत्यवादी गुणवान ही दे सकता है, स्वराज्य परराज्यादि में, वर्त्ताव का भेद, इसप्रकार के राजाके लाभ, विपरीतकी हानियों उत्तम राजा के कर्त्तव्य वर्णनकी पुनः प्रतिष्ठा. राजा को ब्राह्मणादि वृद्धोंका मानना, उनसे विनयसीखना, अविनय से हानि और विनय के लाभ	१५-२६
“प्र० श्लोकों में विनयाविनय के ऐतिहासिक प्रमाण”	३०-४०
राजा को त्रयीविद्यादि सीखना, जिनेन्द्रिय हे ना. काम के १० और क्रोधके ८ व्यसनोंसे वचनना, लाभ १८ हों का मूल है किन लक्षणों के ७ वा ८ मन्त्री रखने उनसे मन्त्र ( सलाह ) करना	४१-४२
मन्त्रियों से मन्त्र करने की रीति, उनका विश्वास करना अन्य अधिक अपेक्षित मन्त्री बढ़ाना, दूत का वर्णन, लक्षण बड़ाई, दूतसे स्वयं सावधानरहना	४३-५६
	५७-६५

राजा कैसे देश में बसे कः प्रकार के दुर्ग ( खिले )  
 सब दुर्गों में पहाड़ी दुर्ग की उत्तमता छहों दुर्गों में  
 से किन २ के महारेसे सृगादि कौन २ बचते हैं, दुर्ग  
 के लाभ, दुर्ग को सामग्री, उसमें राजगृह और उस  
 में पत्नी सहित रहना

६६-७७

राजा को पुरोहित रखना, ब्राह्मण सन्कार में व्यय  
 किये धनादि की सफलता. सग्राम में कोई ललकारे  
 तो गोछे न हटना, युद्ध में न हटने वालों की सहायि,  
 कूटहथियार आदिसं न लडना, नपुंसकादि किन २  
 पर शस्त्र न चलाना, रथादि वस्तु जो २ योद्धा जानें  
 उस २ का देना, वे योद्धा लूट में से राजाको भेंटें

८७-९८

अलङ्घ्य लामादि ४ चेष्टा, नित्य दरुड को उद्यत  
 रखना आदि, छल न करना और शत्रु के छल को  
 समझना, अपने छिद्र छिपाना, शत्रु के छिद्र जानना  
 बक, सिंह आदि के सौ वृत्ति रखना, शत्रुवशीकरण,  
 सामादि ४ उपाय, प्रजाको मतानेसे राजा का नाश

९९-११२

राज्यरक्षार्थ देशविभाग करके काम बांटना, नीचेके  
 शासक ऊपर वालोंका सूचना दे राजाके देय पदार्थ  
 ग्राम का शासक प्राप्त करे, छोटे बड़े शासकों की  
 किननी २ जात्रिका है, उन पर राजमन्त्री दृष्टि रखने,  
 बड़े २ नगरों में प्रधान शासक रखना. विगवत न  
 चलने देना, छोटे नौकर चाकर मंत्री आदि को प्रति  
 दिन ही मजदूरी देना और दैनिक विभाग

११३-१२६

व्यापारियों से कर लेने का विचार, किस वस्तु पर  
 फिनना कर लगाना, शिल्पी लोगों से क्या कर लेवे

अधिक कर से न द्वात्रे नम्र, क्रूर दोनों भाव रखे १२७-१४०  
 अपने को रोगादि हो तो मन्त्री से काम ले, प्रजा  
 रक्षान करने की निन्दा, ब्राह्ममुहूर्तमें उठना, सध्या  
 अग्निहोत्र, ब्राह्मण सुश्रूपा करना, राजसभामें जाकर  
 प्रजा के व्यवहार ( मुक्तदमे ) देखना, प्रजा का  
 विसर्जन करके एकान्त देश में मन्त्र करना, गू गे  
 वहरे आदि को मन्त्र समय दूर भगाना, परन्तु  
 आदरपूर्वक मन्त्रियों की परस्पर विरुद्ध सम्मतियों  
 से सार निकालना, कन्या और कुमारी पर राजा का  
 कर्त्तव्य, दूत भेजना, कार्य शेष को जानना १४१-१५३

आठान विसर्गादि ८ कर्म, ५ वर्ग आदि का विचार,  
 शत्रु मित्र उदासीन की चेष्टाओं पर ध्यान, अमात्य  
 आदि ७२ प्रकृतियों का वर्णन; सामादि उपायों का  
 प्रयोग, सन्धि विग्रहादि ६ गुण, सन्धि विग्रहादि के  
 अवसर और भेद १५४-१६२

कव सन्धि, कव विग्रहादि, कै २ प्रकार के करने,  
 यदि मित्रोंमें भी भीतरी दुर्भाव देखे तो लड़े १६३-१७६

मित्रादि अधिक न बढ़ावे, वर्त्तमान आर भविष्यत्  
 का विचार रखे, चढाई कैसे समय में, किस प्रकार  
 करे, चढाई के समय अन्य मित्रउदासीनादि कैसे  
 कैसा व्यवहार रखे, दण्ड शकटादि व्यूह रचना  
 और आप पक्ष व्यूह में रहे १७५-१८८

सेनापति सेनाध्यक्ष के संग्राम में कार्यभाग, कैसे २  
 स्थान में किन २ साधनों से लड़े, कुरुक्षेत्रादि वीर  
 भूमि के वीरों को आगे रखे, उन्हें प्रसन्न रखे

लड़ने हथों पर भी दृष्टि रखे. शत्रु के भोजनादि को विगाड़े, शत्रु के मन्त्री आदिकों को फोड़े, यथाशक्ति युद्ध को बचावे, जीत कर ब्राह्मणों का सत्कार करे, अभय को डौंड़ी पिटवावे, जीते हुये राजा को गद्दी से उतार कर उसी वंश के योग्य पुरुष को बैठावे १८६-२०२

शत्रु के प्राचीन रिवाजों को प्रमाण माने, रत्नों से शत्रु का सत्कार करे, देने से सब प्रसन्न और लेने से अप्रसन्न होते हैं, दैव की चिन्ता न करे, मानुष यत्न करे वा शत्रुसे मिलकर लौट आवे, किस प्रकार के मनुष्यको मित्र वा पाणिणग्राहादि बनावे, शत्रुमित्र उदासीन के लक्षण, अपनी रक्षा के लिये उत्तम से उत्तम भूमि को भी त्याग दे २०३-२१२

धन, स्त्री, आत्मामें उत्तरोत्तररक्षा, बहुत आपत्तियों में सामादि सब उपाय एक साथ करना, राजा का व्यायाम, स्नान, अन्तःपुर में विश्वासपात्रादि के हाथ का भोजन, भोजन में विष की परीक्षा, भोजन शयनादि में यत्न रखना, स्त्री क्रीडा, फिर वाहनायुधादिकी संभाल, साय सन्ध्या करके बाहर के गुप्त विचार और सूत्रनाओं का सुनना, फिर भोजनार्थ अन्त पुर में जाना २१३-२२६

### अष्टमाऽध्याय में-

व्यवहार (मुकदमे) देवने में मन्त्रियों की सहायता लेनी, शास्त्रीय और लौकिक हेतुओंसे निश्चय करना और ऋण न देना आदि १८ विवाद के स्थान

सनातनधर्मानुसार निर्णय करना, राजा स्वयं न करे तो विद्वान् ब्राह्मण से निर्णय करावे, उस अधिकारी और अन्य ३ सभ्यों की सावधानी और सावधानी न करें तो उन को दोष	८-१२
या तो सभा में न जावे, जावे तो धर्मानुसार कहे, धिपरीत कहने वा चुप रहने का दोष, धर्म का महत्व, अधर्म करने से राजा, मन्त्री, साक्षी आदि को दोष के भाग, शूद्र को न्यायासन न देना	१३-२०
राज्य में शूद्रवृद्धि न होने देना, न्यायामन पर बैठने का प्रहार, कर्मपूर्वक कार्य ( मुकद्दमे ) देना	२१-२४
चेष्टा आकारादि से हृद्गत भाव पहचानना, बालर्षी वा स्त्रियों आदिके स्वत्वकी राजा समावर्तनादि तक रक्षा करे, जावता स्त्रियों का भाग छीनने वाले कुटुम्बियों को चोर दण्ड नष्ट स्वामिक द्रव्य की रक्षा, उसके लौटने में छान चीन, उसमें से राज भाग लेना और उस की रक्षा करना इत्यादि	२५-३६
ब्राह्मण को धरा दवा धन मिल जावे तो स्वयं रक्षे, राजा को मिठे तो आधा दान करे, चोरीका माल राजा स्वयं न ले, जातिधर्मादि के अनुवार विचार करना, राजा वा राजपुरुष स्वयं मुकद्दमे न उत्पन्न करें, अनुमान से न्याय में काम लेना, सत्य साक्षी, देशकालादि का विचार, देशधर्मादि के अविरोध से निर्णय करना	३७-४६
उत्तमर्ण का धन अधमर्ण से दिलाना, नष्टने वाले का दण्ड, अधमर्ण नष्टे तो उत्तमर्ण को प्रमाण देने	



- चाहिये, राजपुरुष अधमर्ण से प्रश्न ( जिरह ) करे,  
मिद्ध न कर पावे नो धन न पावे, नालिश कर के  
फिर पैरनी न करे नो दण्ड १॥ मास तक उपस्थित  
न हो तो दारजावे, नटने वालेको नटने के अनुसार  
दण्ड इत्यादि ४७-६०
- कैसे लोग साक्षी करने, कैसे न करने. कौन साक्ष्य  
योग्य है, कौन नहीं, बाल, वृद्ध, रोगी आदि को  
साक्ष्य में स्थिरमति न मानना, साहसादि में उक्त  
लक्षण के ही साक्षियों की आवश्यकता नहीं,  
साक्षियों के परस्पर विरोध में राजा का कर्त्तव्य ६१-७३
- साक्षीको धर्म विरुद्ध असत्य से बचना, राज सभा  
में भाये साक्षियों से साक्ष्य लेने का प्रकार, सत्य  
साक्ष्य की स्तुति, असत्य की निन्दा ७५-८४
- साक्षी असत्य कहने हुवे यह न समझे कि हमें कोई  
देखना नहीं; ब्राह्मणादि वर्णोंमें भिन्न २ प्रकार साक्ष्य  
पूछे, असत्य से बचनेके लिये साक्षीको कई प्रकार  
के शपथ कराना, सत्यवादी की प्रशंसा ८५-९६
- जिस २ साक्ष्य में झूठ बोलने से कितने २ बान्धवों  
के मारनेका पाप है, भिन्न २ पदार्थोंके असत्यसाक्ष्य  
में भिन्न २ पाप गोरक्षकादि विप्रोंसे शूद्र के समान  
साक्ष्य पूछे, दो ग्लोक अधिक भी ९७-१०२
- "शूद्रादिके बचानेको असत्य साक्ष्य निर्दोष है प्र० १०३-१०४
- "कस्तु वे असत्यवादी एक प्रकार का प्रायश्चित्त  
हेम करें" प्रक्षिप्त १०५-१०६
- साक्ष्य न दे सकने की अवधि ( मियाद ), साक्षी

न हों तो शपथ से निश्चय करना	१०७-१०६
“शपथ ( कसम ) करने में इतिहास प्रमाण” प्रक्षिप्त	११०
भ्रंठी शपथ न करना, करने से नाश	१११
“स्त्री आदि के निमित्त झूठ शपथ भी करे” प्रक्षिप्त	११२
ब्राह्मणादि वर्णों का भिक्ष २ शपथ करावे	११३
‘सत्यपरीक्षार्थ अग्निदाहादिन लगैना सत्य जाने’ प्र०	११४-११६
असत्य साक्ष्य के निर्णय अनिर्णय हैं जिस साक्ष्य में जो २ जिस २ कामादि कारण से असत्य वाले उस २ का भिक्ष २ दण्ड	११७-१२२
दण्ड के हस्तच्छेदादि १० स्थान, ब्राह्मण का न्यून दण्ड, अधर्म दण्डादिको निन्दा वाग्दण्डादि ४ दण्ड १२३-१३०	
त्रनरेणुसे लेकर उत्तम साहसपर्यन्त विविध सिक्के सहा, नाप या तोल, व्याज लेने का प्रकार, धरोहर ( अमानत ), गिरवी, आड आदि का निर्णय	१३१-१४८
आधि, सीमा आदि भोगनेसे नहीं छुटना, अर्घ्यवृद्धि का भोग, वृद्धि ( व्याज ) के प्रकार और परिमाण, ऋण का कागज आदि चठनवाना, प्रतिभू ( जामिन ) आदि होना, पिता का पुत्र पर आवश्यक नहीं, देने का जमानत दायारों से भी डिलाना जमानत के अन्य विचार	१४६-१६२
मत्त उन्मत्तादि के मुकद्दमे नहीं चलते, कानून विरुद्ध शर्त सत्य न होगी, छलकृत गिरवी आदि लौटाने योग्य हैं, कुटुम्बार्थ ऋण लेनेवाला मरजावे तो अलगहुए दायारोंको भी देना चाहिये, कुटुम्बार्थ पुत्रादिकृत लेनदेन का भार कुटुम्बी पर है, यलात्	

कराये दान भोग आदि अकृत हैं, नीन परार्थ दलेग  
 पाते, चार समृद्ध होतें, राजा अग्राह न ले, प्राय  
 न छोड़े, राजाकी यमपूर्ति, अधर्मों राजा का नाश १६३-१७४  
 राजा का संयम, श्रुणी का श्रुण दिलाना, धरोहर  
 जैसे पुरुष के यहाँ रानी, धरोहर के मुकदमे १७५-१९६  
 नो वस्तु वा न्यायो नहीं वह उसे बेच डाले नो  
 उसके न्याय भोग फ़ट्टा आदि विवाद निर्णय छल-  
 धिक्कय. छलकृत कन्यादान, ऋत्विजों की दक्षिणा  
 का विवाद निर्णय दान का लूटाना दान देना १९७-२१३  
 चेतन न देने का विवाद प्रतिज्ञाभङ्ग विवादानिर्णय,  
 बेचने शरीरने में नापमन्द रहनेके निर्णय, गोस्वामी  
 गोपाल आदि के विवाद, दान का छुटी भूमि खेत  
 की याड़ उम पर चरने से पशुपालादि का विवाद २१४-२४४  
 सीमा विवाद निर्णय, सीमानिन्द स'क्षा, सीमा  
 कमोशनइत्यादि विवाद निर्णय दण्ड आदि २४५-२६४  
 वाक्याहय्य ( गाली ) आदि का विवाद निर्णय २६५-२७७  
 शगडपाकय्य-अङ्गच्छेदनादि दण्ड विवरण ( फौज-  
 दारो ) के विवाद, रथों की हानि आदि, रथ से  
 किसी की हानि इत्यादि २७८-३००  
 चोरी के विवाद का निर्णय, राजा का अघश्य रक्षा  
 करना, अरुभक्त राजा का दाय भिन्न २ चौरियों के  
 भिन्न २ दण्ड ३०१-३४४  
 सादसिक यत्नाद आदि पर राजदण्ड व्य धाततायि-  
 चय, परस्त्री गमनादि में राजदण्ड, कन्या दूषण का  
 निग्रह भिन्न २ वर्णों के व्यभिचार में दण्ड भेद ३४५-३७८

“ब्राह्मण अवध्य हैं” प्रक्षिप्त	३७६-३८१
परस्त्रीगमन में ब्राह्मणादि के दण्ड भेद, ऋत्विज का	
का त्याग, पिता, माता आदिके त्यागपर राजदण्ड	३८२-३८६
वानप्रस्थों के विवाद में दण्ड न देकर समझाना	
सत्कारार्ह के सत्कार न करने पर राजा की ओर से	
शिक्षा, सूत और जुलाहे के निर्णय, राजा के विक्रीय	
वृथ्यो का विचार, क्रयविक्रय में राजनियम भाव	
नियत करना नाप तोल यात्र आदि की परीक्षा	३९०-४०३
पुल वा नौका के महसूल इत्यादि	४०४-४०६
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों की वृत्ति में राजा का	
हस्तक्षेप शूद्रों ( दासों ) के ७ भेद इत्यादि	४१०-४१८
राजा का कांषादि निरीक्षण में सावधानी, धर्मों	
राजा की मुक्ति	४१६-४२०

### नवमाऽध्याय में-

स्त्री पुरुषके धर्म, स्त्री की परतन्त्रता, स्त्री की रक्षा,	
जाया शब्द का निर्वचन स्त्रीरक्षा के काम वा उपाय	
स्त्री के ६ दूषण	१-१३
“रित्रियो की वृथा निन्दा” स्त्रीपुंधर्म का उपलहार	१४-२५
सनातनधर्म सन्तन में स्त्री की बडाई, क्षेत्र में बीज	
का वर्णन	२६-४१
“परस्त्री में बीज न बोनै के लिये इतिहास” प्रक्षिप्त	४२-४३
स्त्री पुरुष की एकाङ्गता, कन्यादानादि ३ कार्यका १	
ही बार न होना क्षेत्र बीज आदि विवाद	४४-४५
स्त्रियोंका आपद्धर्म नियोगका 'नणथ' 'वेन कथा' प्र०	५६-६८

देवर से नियोग उसकी विधि, कन्या का पुनः दान न करना स्त्री को वृत्ति करके परदेश जाना, परदेश गत की प्रतीक्षा का अग्रधि, स्त्री का अग्रधि,	६६-७७
स्त्री पत्नित्याग उसके समय की मर्यादा	७८-८४
"असवर्णविवाह में स्त्री सत्कार भेदादि" प्रक्षिप्त	८१-८७
कन्यादान का समय, घर परीक्षा स्वयंवर	८८-९२
"व्रतनुमति कन्या के हरण का वर्णन" प्रक्षिप्त	९३-९४
स्त्री पुरुष की धर्मानुसार लक्षस्थान	९५-९६
"कन्या विक्रय का विधान" प्रक्षिप्त	९७
कन्याविक्रय का निषेध, स्त्री पुरुषों का परस्पर व्यभिचार त्याग	९८-१०२
दाय भाग-माता पिता के पश्चान् पुत्र स्वामी हैं, पिता के धन में ज्येष्ठ पुत्र की श्रेष्ठता, ज्येष्ठ का कनिष्ठों के प्रति धर्म, ज्येष्ठ की अधिक दाय, ज्येष्ठ कनिष्ठों के अशमेद जेष्ठ की संयत्नीयता	१०३-१२१
"दो मित्रयो में उत्तर पुत्रों के जेष्ठ भागादि का निर्णय" प्रक्षिप्त	१२०-१२५
जोड़ियोंमें कौन ज्येष्ठ है, अपुत्रको पुत्रिकाविधान	१२६-१२७
दक्ष गजापति की पुत्रियोंका पुत्रिकात्व और विभाग, प्रक्षिप्त	१२८-१२९
पुत्र पुत्री की वराशर्मा माना का धन पुत्री ले, धेवते का भाग, पुत्रिका के पुत्र और निज पुत्र में समता, पुत्रिका का पुत्र न हो तो जामात धन पावे, पुत्र की बढाई, दौहित्र पुत्रादि कैसे पिएड दान करें, दत्तपुत्र का भाग	१३०-१४२

नियुक्तापुत्र के भाग, भ्रातृस्त्री का धनादि सन्तान होने पर उसे ही दे देना आदि १४३-१४७

"अनवर्ण, विवाहजनित सन्तानोंके भागादि" प्रक्षिप्त १४८-१५८

१२ प्रकार के पुत्र उनके भाग, औरस पुत्र की वडाई, कुपुत्रनिन्दा औरसादि १२ पुत्रों के लक्षणादि १५६-१८१

भाइयों में १ की सन्तान से सब का सपुत्रत्व, कई स्त्रियों में एक के पुत्र हो तो सब का सपुत्रत्व पुत्रों में नीचोच्चत्व से भागभेद, अपुत्र के मरने पर दाय भागी, किस अपुत्र का दाय राजा ले पुत्रों के भाग विवाद में निर्णय, स्त्री मरण पर भर्ता का धन हो १८२-१९६

स्त्री धन के निर्णय, स्त्रियों के आभूषणको न बाँटना। दाय भाग के अनधिकारी माता पिता और भाइयों के भाग वस्त्रादि कई वस्तु बाटने योग्य नहीं १९७-२००

धून ओर समाह्वय का भेद घूनादि क्रीडकों, रिश्वत खोगों छल से शासन करने वालों प्रजादूषकादिकों को दण्ड, अपील नामन्जूर करना, मन्जूर करना, अन्यायपूर्वक निर्णयकारी अमात्यादि को दण्ड और मुकदमा फिर से करना, ब्रह्महत्यारे आदि ४ महा पातकियों को दण्ड, उस दण्ड धन को राजा क्या करे, ब्राह्मणों के बधक का निग्रह अवध्य वधादि से राजा को बचाना २२१-२५०

राजा को न्यायपूर्वक प्रजारक्षा करते हुये राजवृद्ध आदि उपाय प्रकाश और अप्रकाश दो प्रकार के तस्कर उन का पतालग कर शासन समा, प्याऊ, चौराहे आदि पर चौकी बैठाना, घहा के तस्करों को

निग्रह दमन और दण्ड	२५१-२६६
मालमदिन ही चौरको दण्डदेना, चोरोंके सहायकों का निग्रह, स्वधर्म त्यागियों को दण्ड, यथाशक्ति राजा की सहायता न करने वालों को भ्रामघानादि में दण्ड, राजकोष के चोरों, संध लगाने वालों, अग्नि लगाने वालों, जलभेदकों इत्यादि को दण्ड	२७०-२८०
तडागादि के जल चौर, राजमार्ग में मैला गेरने वाले, चिकित्सक, मूल आदि तोड़ने वाले, बराबरके मूल्य से घटिय वस्तु देने वाले इत्यादि के भिन्न २ दण्ड	२८१-२८७
जेलघर मार्ग पर घनाये, चहार दिवारी तोड़ने वाले, मारणादि प्रयोग करने वाले, अर्थाजचिक्यी आदि चौर, सुनार, ग्वेतां का सामान चुगने वाले, शस्त्र वा भीषण के चौर इत्यादि को दण्ड	२८८-२९३
स्वामी अमात्यादि ७ प्रकृति चार ( गुमदून ) आदि रचना, सदा आरम्भ रखने वाले को लक्ष्मीलाभ राजा ही युग है, इन्द्र मूर्यादि के नेजेवृत्तपर राजा चले, ब्राह्मणों के कोष से वचे	२९४-३१३
"६ श्लोकों में ब्राह्मणों की असम्भव प्रशंसा" प्रश्नित	३१४-३१६
राजा का शासन ब्राह्मण ही कर सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रियों को मिलकर काम करना, राजाका दानप्रस्थ, राजधर्म का व्यौरवार वर्णन, शूद्र धर्म का वर्णन	३२०-३३६

### दशमाऽध्याय में-

ब्राह्मण अन्य सब वर्णों को स्ववर्ण धर्मशिक्षादि दें, अन्य क्रंचल शिक्षा ग्रहण करें, ब्राह्मण प्रभुता, चार

वय स्वर्ण में उत्पन्न सन्तान का जातिवर्ण हीन वर्णोत्पन्न सन्तानों का वर्ण, उनके अम्बुष्ठादि भेद वर्णसङ्करों का उपसंहार	१-२४
अनुलोमप्रतिलोमज सङ्कीर्ण योनि, सूतवैदेह चण्डाल आदि भेद	२५-४१
तप और बीजादि के प्रभाव से उच्चनीचता क्षत्रियों की अधम जानियें पौण्ड्रक क्षत्र्यजाति, दस्यु इन सब की जीविकाओं के भेद	४२-१६
वर्णसङ्करादि की पहचान अधिक वर्णसङ्कर वाले राज्य का नाश, ब्राह्मण के प्राण रक्षणादि कर्मों के प्रभाव से पतितों की उच्चता, अहिंसादि चातुर्वर्ण्य धर्म, शूद्रादिका ब्राह्मणत्वादि वा ब्राह्मणादि का शूद्र त्वादि को प्राप्त होना, आर्य से अनार्या वा अनार्य से आर्या में उत्पन्न सन्तान का अधिकार बीज और योनि का बलाऽबल	५७-७२
अनार्य आर्यकर्मी वा आर्य अनार्यकर्मी में विच्छेद ब्राह्मणादि के षट् कर्मादि वर्णधर्म और आपद्धर्म	७३-८४
"बहुत से व्यापारों को वृथा वर्जित करना" प्र० नाच्चे को ऊँच जीविका न करना, शूद्र के आपद्धर्म, ब्राह्मण की आपत्ति में वृत्ति, प्रतिग्रहकी निन्दा, जय होम, शिल्पीछादि वृत्ति, राजा से ब्राह्मण जीविका कत्र २ मांग सकता है, दाय आदि ७ धर्म्य धनागम विद्या शिल्पादि १० जीविकार्ये, ब्राह्मण क्षत्रिय को व्याज न खाना, आपत्ति में क्षत्रिय को व्याज खाने का नियम, क्षत्रिय को वैश्य आदि से बलि ग्रहण	८५-९४ १०६-१२०



शूद्र की उच्च सेवा में प्रशंसा, धर्मात्मा शूद्रों की प्रशंसा, उच्चता. शूद्र को धन सञ्चय का निषेध, वर्ण धर्म का उपसंहार, प्रायश्चित्त की प्रतिज्ञा (२१-२३)

### एकादशाऽध्याय में-

- नव ६ प्रकार के स्नातक धर्मभिक्षुक हैं राजा को इन का मत्कार करना, मत्कार की प्रशंसा, सामयागका अधिकारी कौन है, कुटुम्बादि का पोषण न करके यथादि पुण्य की निन्दा, यज्ञ रुका हो तो यज्ञमान ब्राह्मण को वैश्य से राजा धन दिलावे, शूद्र से या अन्यो से भी सहायता करना १-१६
- देवधन और अत्रुधन ब्राह्मण को राजा क्षुण्पीड़ा से बचावे यज्ञार्थ शूद्र से धन मांगने का दुष्फल, देव धनादि की निन्दा अनापद में आपत्काल की निन्दा ब्राह्मण को कोई मत्तावे तो यथाशक्ति ब्रह्मचरु से ही रोक राजा से निवेदन न करे, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र किन उपायों से आपत् निवारण करें २०-३०
- ब्राह्मणकी श्रेष्ठताके कारण कन्यादि होता नहीं हो सकने दक्षिणा न देने पर अनाहिनाग्निपना, दक्षिणा का संकोच हो तो अन्य पुण्य करे, यज्ञ का नाम न ले, अग्नि के अपवेध, विहितकर्म का त्याग निषिद्ध का अनुष्ठान करनेसे प्रायश्चित्त, बिना जाने वा जाने कर्म के भी प्रायश्चित्त ३१-३४
- प्रायश्चित्त पर विचार, प्रायश्चित्त न होने तक अलगरहना, पूर्वजन्म वा इस जन्मके प्रायश्चित्तियों ३५-४६

के कुलक्ष होने आदि, लक्षण ब्रह्महत्यादि धमहापातक	
और अन्य कर्म जो महापातक के समान है	४७-१८
गोवधादि उपपानकों को गणना	५६-६६
जाति भ्रंशकर ३ कर्म सङ्करी करण, अपात्री करण, मलिनीकरण कर्म	६७-७०
ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्तों के भेद	७१-८६
भ्रूणहत्या यजमानवध इत्यादि में यही ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त, जान कर ब्रह्महत्या करनेका उपाय नहीं मद्यपान का प्रायश्चित्त, मद्य की निन्दा, मद्य के भेद मद्य माँसादि यक्षरक्षपिशाचाश्न है, मद्यपानकी हानियें	८७-९८
सुवर्ण की चोरी उसके दण्ड प्रायश्चित्तादि	९९-१०२
गुरुपत्नीगामी के प्रायश्चित्त तप आदि	१०३-१०६
उपपानक्रियों के प्रायश्चित्त, गोवध प्रायश्चित्त	१०७-११६
अन्यों को भी गोवध का प्रायश्चित्त, ब्रह्मचर्य नष्ट करने वाले और जाति भ्रंशकर कर्म का प्रायश्चित्त	११७-१२३
सङ्करीकरण और अपात्रीकरण तथा मलिनी करण के प्रायश्चित्त, अन्य वर्णों के वध में ब्रह्महत्या की अपेक्षा अश न्यून प्रायश्चित्त इत्यादि	१२५-१३०
माजांरादि के वधों में प्रायश्चित्त भेद	१३१-१४४
अभक्ष्य भक्षण के प्रायश्चित्त, वारुणी मदिरापान प्रायश्चित्त	१४५-१५०
पुनः संस्कार में क्या २ काम प्रथम संस्कार से न्यून हैं	१५१
अभोज्यों के अन्न, उच्छिष्ट माँस वा अन्य अभक्ष्य	

अत्यन्त खड़े, सड़े द्रव्य, जन्तुओं के मूत्र पुरीष, कचक, शुष्कमांस इत्यादि भक्षण पर प्रायश्चित्त	१५२-१५५
'कव्यादि के भक्षण पर प्रायश्चित्त' प्रक्षिप्त	१५६-१५८
विडालादि के उच्छिष्टादि खानेपर प्रायश्चित्त	१५९-१६०
धान्यादि चुगाने, मनुष्यों के हरण, भक्ष्य, तृण, काष्ठ, मणिकमुक्तादि धातु, कर्पास इत्यादि चुराने के प्रायश्चित्त व्रत	१६१-१६८
अगभ्यागमन के प्रायश्चित्त व्रतादि	१६९-१७८
पतितों से मेल संवासादि के प्रायश्चित्त	१७९-१८१
"पतित का ऊर्ध्वदंढकृत्यादि निर्णय" प्रक्षिप्त	१८२-१८८
प्रायश्चित्तीय होकर प्रायश्चित्त न करने वालों का सङ्गत्याग, बाल इत्यादि कारकों से प्रायश्चित्त करने पर भी सङ्गत्याग, सावित्री-पतितों, अन्य कुकर्मी द्विजों, निन्दिताजीवी ब्राह्मणों, असत्प्रति- ग्राहियों, ब्राह्मणों का यज्ञ कराने वालों, शरणागत के त्यागियों इत्यादिकों के प्रायश्चित्त व्रतादि	१८९-१९८
कुत्ते आदि के काटखाने, अपांक्तयमोजन, खरयानादि निन्दिता यान पर सवारी करने, वेदादिनके त्याग, स्नानक के व्रत भंग, ब्राह्मण को धमकाने आदि के प्रायश्चित्त	१९९-२०५
'ब्राह्मण को धमकाने आदि का दुष्फल प्रक्षिप्त	२०६-२०७
ब्राह्मण के रक्तनिपाननान्तकर्म, अनुक्त प्रायश्चित्तों का देश कालादि विचारपूर्वक प्रायश्चित्त कल्पना	२०८-२०९
प्रायश्चित्तार्थ व्रतों में न्या २ उपाय करने होते हैं	२१०
प्राजापात्य, कृच्छ्रसान्त्वन, अतिकृच्छ्र, तप्तकृच्छ्र,	

पराककच्छ, चान्द्रायण,	२११-२१६
व्रतियों को किन२ नियमों से रहना चाहिये तप	
की बड़ाई	२२०-२४४
वेदाभ्यास, जप, ज्ञानकी बड़ाई, 'रहस्यत्रायश्चित्त' २४'१-२१२	
नरत्समदीयादि सूक्तजपोंके विधान फलप्रयोगादि २१३-२५६	

### द्वादशाऽध्याय में-

'भृगुसम्वाद' प्रक्षिप्त	१-२
कर्मका प्रवर्त्ताक मन है, मन वचन देहके कार्य, तीनों	
का भोग, साधन, फल, योनि, सयमी को सिद्धि,	
क्षेत्रज्ञ और भूतात्मा, जीव, शरीरगतपत्ति के वर्णन	३-१६
यमयातनाभोग, फिर मात्राओंमें लय. उन्नति, स्वर्गप्राप्ति,	
नरकप्राप्ति, धर्म में ही मन लगाना, सत्वादि ३ गुण,	
सब भूतों का गुणों से व्याप्त होना	१७-२६
३ गुणों को पहचान, तीनों गुणों की तीन तीन-: गति२७-५२	
किस किस कर्म से क्या २ योनि मिलती है, उनके	
अनेक दुःख	५३-८२
वेदाभ्यासादि नैश्रेयस कर्मोंका वर्णन, प्रवृत्ति निवृत्ति	
मार्ग वेद चक्षु है, वेद विरुद्ध स्मृति अमान्य तथा	
नश्वर हैं	८३-६६
सब कुछ चातुर्वर्ण्यादि वेद से प्रसिद्ध हुआ है, वेद	
सर्वाधार है सब अधिकार वेदज्ञ को योग्य हैं, वेदज्ञ	
दुष्ट कर्म से वन्त्रता है, वेदज्ञ की मुक्ति, ज्ञान का	
अपेक्षा उच्च नोचता का तारतम्य	६७-१०३
तप और विद्या का फल, प्रत्यक्ष अनुमान और शास्त्र	
को जानना उचित है, जिन धर्मोंका शास्त्रों में वर्णन	

न हो वहां शिष्ट ब्राह्मण वचन प्रमाण, शिष्ट ब्राह्मण का लक्षण	१०४-१०६
१० या ३ विद्वानों की सभा वा १ भी विद्वान् का धर्म में प्रामाण्य, अज्ञानी बहुतों का भी अप्रामाण्य, मूर्खनिर्धारित धर्माभास का दुष्ट फल, धर्मानुयाया को मुक्ति, आत्मज्ञान	११०-१२५
“फलश्रुति”	१२६

### भूमिका (निवेदन) में-

विषय	पृष्ठ
विषयसूची	१-३५
पुस्तक के भाषानुवाद का कारण	३६
जिन ३० पुस्तकों से पाठ की सहायता ली है उनके नामों तथा स्वामियों के नाम	३७
किन्तु २ अध्याय में कितने २ श्लोक प्रक्षिप्त हैं	३७
मनु के आरम्भ में एक नवीन श्लोक १६ पुस्तकों में मिला है	३८
अध्याय १ से २ तक में जो २ श्लोक किन्हीं २ पुस्तकों में हैं	३८-४२

यह पुस्तक मनुस्मृति भाषानुवाद ज्वार श्री पं० तुलसीराम जी के समय में छपा। ८ से अब १४ वीं बार तक मेरे प्रबन्ध से छपा है। मूलचूक हो सो पाठक मुझे सूचित करे जिस से आगे को सुधार दी जासके। छट्टनलाल स्वामी, मेरठ

## निवेदन

मनुके भाषानुवादकी धर्म जिज्ञासुओंको जितनी अधिक आवश्यकता है उसे जिज्ञासुही जानने हैं और सम्प्रति मनु पर अनंरु संस्कृत टीका और भाषाटीकाओंके होतं हुवे भी एक ऐसे अनुवाद की आवश्यकताथी जो सुगम हो, अल्पमूल्यका हो, संक्षिप्त और मूलका आशय भले प्रकार स्पष्ट करनेवाला हो जिसके अर्थों में खोजतानी और पक्षपात नहो। इसपर भी यह जाना जासके कि कितने और कौन २ से श्लोक लोगोने पश्चान् मिला दिये हैं। यह एक ऐसा कठिन काम है जैसे दूधमें मिले पानीका पृथक् करना। इसीलिये हमने ऊपर लिखे गुणोंसे युक्त यह टीका छपायी है और जो श्लोक हमारी समझमें पीछेसे औरों ने मिला दिये हैं उनको ठीक उसी स्थान पर कुछ छोटे अक्षरो में उपस्थित रक्खा है और “ चिन्ह उनके ऊपर करा दिया है तथा संक्षेपमें उनके प्रक्षिप्त माननेके हेतु दिखलाते हुवे उसके अर्थमें कुछ हस्तक्षेप न करके अपनी सम्मति ( ) चिन्हके भीतर लिखदी है। जिसमें जिन मञ्जनों को उन २ श्लोकोंके प्रक्षिप्त माननेके हेतु पर्याप्त (काफी) प्रतीत हों वे श्रद्धा करें और जिनकी दृष्टिमें अप्राह्य हों, वे न मानें क्योंकि हम निर्भ्रान्त वा सर्वज्ञ नहीं हैं और न मनुष्य सर्वज्ञ हो सकता है। इसीमें अपनी सम्मति को सर्वोपरि मानकर पुस्तकमें से वे श्लोक निकाल नहीं दिये है। जहां तक बना छानवीन बहुत की है। कितने ही ऐसे श्लोकोंका भी पता लगता है जो अब मूलमें से निकल गये प्राचीन कालमें थे वा अभी सब पुस्तकोंमें नहीं मिल पाये। हमने उनकोभी [ ] कोष्ठक में रक्खा है। जिन श्लोकोंको स्वामी जी ने अपने ग्रन्थों में माना है उनमें से हमने किसी को प्रक्षिप्त नहीं माना। मुम्बई के एक पुस्तक से जिसमें मेधातिथि,

सर्वज्ञ नारायण, कुल्लूक राघवानन्द, नन्दन और रामचन्द्र इन परिश्रमी और प्रसिद्ध ६ टीकाकारोंकी टीकाओंके अतिरिक्त १-वङ्गाल ऐसियाटिक सोसाइटी। २ उज्जैनके सारठी बाबा रामभाऊ। ३-उज्जैनके आठवले नाना साहब। ४-७ मुन्शी हनुमान् प्रसाद प्रयाग। ८ खण्डवाके रावबहादुर खेरे बल्लालात्मज वासुदेव शर्मा। ९-१० मिरजके महाबल वामन भट्ट ११-शैतेश्वरके रामचन्द्र। १२ १४-पूनाके ज्योतिषी बलवन्तराव। १५ अहमदाबाद के सेठ बेचर दास। १६ शम्भु महादेव क्षेत्रके जावड बलवन्तराव। १७ बङ्गाल ऐसि० के मूल पुस्तक। १८-आर्सेलिमये के गोविन्द। १९-लण्डन का मूल पुस्तक। २० कलिकाता राजधानी का छपा। २१ मिरज के वामन भट्ट का राघवानन्दी टीका का। २२ बडौदेके वासुदेव। २३-जयपुर के लक्ष्मीनाथ शास्त्री (राघ०)। २४-मद्रास के दीवान बहादुर रघुनाथराव। २५-पूनेके गणेश ज्योतिर्विद्। २६-पूनाके गोखले भट्ट नारायण। २७ जयपुर के लक्ष्मीनाथ शास्त्रीका मूल मात्र। २८-सर्वज्ञना० टी०। २९-३० आर्सेलिमयेके गोविन्द राघवा० टीका। इन ३० प्राचीन पुस्तकोंका संग्रह किया है। पाठान्तर पाठाधिक्य श्लोकाधिक्य आदिको देखभाल कर यथासम्भव अपनी सम्मति लिखनेने सावधानी की है। और अब तक जो कुछ विचार किया उससे ' ' चिन्हयुक्त प्रति अध्याय क्रम से ३४। ४। १६७। २०। ४१। ००। ३। १९। ४९। १९। २२। ४ सब ३८२ श्लोक प्रक्षिप्त जान पड़े हैं। परन्तु अभी कई विचारणीय भी हैं। आशा है कि सबजन इस श्रमसे प्रसन्न होंगे ॥

मनुस्मृति के प्रथमाध्याय के आरम्भ में ही सबसे प्रथम ३० प्रकारके प्राचीन लिखे पुस्तकों में १९ प्रकारके पुस्तकोंमें एक श्लोक अधिक पाया जाता है और श्लोक संख्या उसपर नहीं है। इससे भी पाया जाता है कि वर्त्तमानमें जो मनुस्मृतिका पुस्तक मिलता है, यह मनुप्रोक्त नहीं किन्तु अन्य का बनाया है। इसीमें यथार्थ

मनुके आशय भी हैं। वह श्लोक यह है. -

स्वयंभुवे नमस्कृत्य ब्रह्मणेऽमिततेजसे ।

मनुप्रणीतान्विधिधान्वधर्मान्वच्यामि शाश्वतान् ॥१॥

अर्थान्-में (सम्पादक) अनन्त तेजस्वी स्वयम्भू ब्रह्माको नमस्कार करके मनुप्रोक्त सनातन विविध धर्मों का वर्णन करेगा ॥ अध्याय १, श्लोक २ में "अन्तरप्रभवाणाम्" के स्थान में ३ पुस्तकों में "सङ्करप्रभवाणाम्" पाठ देखा जाता है ॥

अध्याय १ श्लोक ७ में सर्वज्ञनारायण टीकाकार "अतिन्दि-योऽप्राह्य" मानते हैं और इसी श्लोक में ८ पुस्तकों में 'सम्ब-मएष पाठ देखा जाता है ॥ १।८ में कई पुस्तकोंका पाठ अभि-ध्याय=अभिध्यायन् । धीजम्=वीजम् । असजत=अक्षिपन् है ॥ १। ९ में दो पुस्तकों में 'अयनं तम्य ता पूर्व' पाठ है १। १० के आगे -

नारायणपरोव्यक्तादण्डनव्यक्तमभवम् ।

अण्डस्यान्तस्त्वमे लोकाः सप्तद्वीपाऽत्र मेदिनी ॥

यह श्लोक दो पुस्तकों के मूल में और एक की टीका में देखा जाता है और एक पुस्तक में उक्त श्लोक के स्थान में निम्नलिखित श्लोक पाया जाता है.

सहस्रशीर्षोपुरुषो रज्ज्वनाद्गुह्येन्द्रेन्द्रियः ।

ब्रह्मा नारायणाख्यस्तु सुप्वाप सलिले तदा ॥

एक पुस्तक में १। ११ में 'नित्यम्=लोकं' देखा जाता है ॥१। १३ में-ताभ्यां स शकलाभ्याम्=ताभ्यां च शकलाभ्यां=ताभ्यां मुण्ड-कपालाभ्या भी देखे जाते हैं ॥ तथा-स्थान च शाश्वतं=स्थानम-कल्पयत् भी है ॥ तथा इसके आगे निम्नस्थ डेढ़ श्लोक ३ पुस्तकों में अधिक है -



वैकारिकं तेजसं च तथा भूतादिमेव च ।

एकमेव त्रिधाभूतं महानित्येव संस्थितम् ॥

इन्द्रियाणां समस्तानां प्रभवं प्रलयं तथा ।

१। १५ से आगे. —

अविशेषान्विज्ञेयांश्च त्रिपयांश्च पृथग्विधान् ।

यह अर्ध श्लोक दो पुस्तकों में अधिक मिलता है ॥ १। १६

में १ पुस्तक में पणामप्यमि = पणमयानपि । मात्रासु = मात्रास्तु  
देखा जाता है ॥ १। १७ में १ पुस्तक में तस्येमानि = तानीमानि  
है ॥ १। २५ के १ पुस्तक में वाचं = वलं है ॥ १। २७ के १  
पुस्तक में सार्धं = विश्रं है ॥ १। ४६ के ७ पुस्तकों में स्थावरा =  
तरव. है ॥ १। ४९ के १ पुस्तक में-अन्त. संज्ञा = अत मद्वा  
और ४ पुस्तकों के अन्तसंज्ञा: और दो पुस्तकों में सुखदु खमम०  
= फलपुष्पसम०, पाठ है । उन पाठों से वृत्त सुखदु खयुक्त नहीं  
सिद्ध होते ॥ १। ६३ से आगे १ पुस्तक में और दूसरी में ७० वे  
श्लोक में यह अर्ध श्लोक अधिक है: —

कालप्रमाणं वक्ष्यामि यथावत्तं निबोधन ॥

१। ७८ से आगे ३ पुस्तकों में आगे कहा श्लोक अधिक है: -

परस्परानुप्रवेशाद्धारयन्ति परस्परम् ।

गुणं पूर्वस्य पूर्वस्य धारयन्त्युत्तरोत्तरम् ॥

१। ८५ में-युगद्वासानुरूपत. तत्तद्धर्मानुरूपत. पाठ है और  
इस से आगे १ पुस्तक में निम्नस्थ श्लोक अधिक है जिस की  
व्याख्या केवल रामचन्द्र टीकाकार ने जो सब से नवीन है की  
है जिस से प्रतीत होता है कि अति नवीन समय तक युग २ के  
पृथक् २ धर्मों की शिक्षा की मिलावट होती रही है —

ब्राह्मं क्रतयुगं प्रोक्तं त्रेता तु क्षत्रियं युगम् ।

वैश्वेद्व्यापरमित्याहुः शूद्रः कलियुगः स्मृतः ॥

१।९७ से आगे दो पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है कि—

तेषां न पूजनीयोऽन्यस्त्रिषु लोकेषु विद्यते ।

तपोविद्याविशेषेण पूजयन्ति परस्परम् ॥

तथा अन्य दो पुस्तकों में आधा श्लोक और अधिक है कि—

ब्रह्मविद्यद्वयः परं भूतं न किञ्चिदिह विद्यते ॥

१।१०५ से आगे दो पुस्तकों और रामचन्द्र कृत टीका में यह श्लोक अधिक है—

यथा त्रिवेदाध्ययनं धर्मशास्त्रमिदं तथा ।

अध्येतव्यं ब्राह्मणेन नियतं स्वर्गमिच्छता ॥

२।१५ से आगे भी ३ पुस्तकों में ये दो श्लोक अधिक हैं—

असद्वृत्तस्तु कामेषु कामोपहतचेतनः । नरकं समवाप्नोति

तत्फलं न समश्नुते ॥१॥ तस्माच्छ्च तस्मिन्प्रोक्तं यथाविध्यु-

पपदितम् । काम्यं कर्मैह भवति श्रेयसे न विपर्ययः ॥२॥

२।१५ से आगे भी ३ पुस्तकों में दो श्लोक अधिक हैं जो

हमने उसी स्थान पर छापे हैं ॥ २।३१ के उत्तरार्धका ३ पुस्तकों में—

शूद्रस्य प्रेष्यसंगृतम्

पाठ भेद है ॥ २।३२ में भी एक पुस्तक में—

राज्ञोरक्षासमन्वितम् = राज्ञोवमसमन्वितम् ।

पाठ भेद है ॥ २।५१ के ९ यावदन्नं = यावदर्थ पाठों में

मेघातिथि के भाष्यानुसार भेद है ॥ २।६७ वें प्रक्षिप्त श्लोक के

पाठ में भी बड़ा अन्तर है कि एक पुस्तक में—

संस्कारां वैदिकः स्मृतः = औपनायनिकः स्मृतः ।

पाठभेद है । दूसरे एक पुस्तक में—

गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया - गृहार्थोऽग्निपरिग्रहः ।

पाठ है और अन्य दो पुस्तकों में इसी की जगह—

गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया

पाठान्तर है । तो क्या ठिकाना है कि यह श्लोक मनुप्रोक्त है ॥

इसी ६७ वे से आगे एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक है—

अग्निहोत्रस्य शुश्रूषा सायमुद्ग्राममेव च ।

कार्यं पत्न्या प्रतिदिनमिति कर्म च वैदिकम् ॥

ऐसे ही एक पुस्तक में यह श्लोक ११७ से आगे मिलाया गया है कि—

जन्मप्रभृति यत्किञ्चिच्चेतसा धर्ममाचरेत् ॥

तत्सर्वं विफलं ज्ञेयमेकहस्ताभिवादानात् ॥

एक हाथ से सलाम करने की निन्दा यवनकालीन जान पड़ती है ॥

नन्दन भाष्यकार के मत में 'भो शब्दं किति०" यह १२४ वा श्लोक १२३ वें 'नामधेयस्य०" के स्थान में पाया जाता है ॥

इस से आगे १२ वें अध्याय तक पाठभेद, पाठाधिक्य वा जो २ अधिक श्लोक किन्हीं पुस्तकों में पाये गये वे अनुमान ११९ के हैं । और उसी स्थान पर [ ] चिन्ह के भीतर हम छापते गये हैं ॥

एकादशाध्याय में प्रायश्चित्तार्थं जिन वेद मन्त्रों के प्रतीक श्लोकों में आये हैं वे २ मन्त्र वेदों के मण्डल सूक्त अध्याय आदि पते खोज कर दिये हैं ॥

इस पुस्तक का विषयसूची पृथक् भी अब इस लिये छपा दिया है कि यद्यपि अध्याय १ श्लोक १११ से ११८ तक १२

अध्यायों का भिन्न २ विषयसूची किसी ने श्लोक बना कर मिलाया है उसकी भाषा टीका भी हमने की है। परन्तु वहाँ जन को विस्तार से कोई विषय जानना हो नहीं जान सकते। बहुत शीघ्र मैंने यह बनाया और छपाया था इस से बहुत सुधारने पर भी जहाँ जो कुछ अशुद्धि रह गई हो और पाठक गण को दृष्टि पड़े तो सरलता से मुझे लिखें, अगली बार छपेगा उस में भी और ठीक कर दिया जायगा ॥

इस के अतिरिक्त हेमाद्रि आदि लोगों ने ऐसे कई वचन कहे हैं जो उन्होंने मनु वचन कह कर लिखे हैं, परन्तु वे वचन अब मनु में नहीं मिलते। ऐसे वचनों का संग्रह ४६६ श्लोकों के अनुमान ज्ञात हो चुका है। जैसा कि धर्माधिधार में १, स्मृति चन्द्रिका में ३२, दानहेमाद्रिमं ११, व्रतहेमाद्रि में १, श्राद्धहेमाद्रि में ३१, स्मृतिरत्नाकर में ५३, शूद्रकमलाकर में १४, पराशरमाधव में ४७, निर्णयसिन्धु में १५, मितान्तरा में १३, संस्कारकौस्तुभ में ६, विवादभङ्गार्णव में १७, नारायणभट्टकृत प्रयोगरत्न संस्कारमयूखमें २, व्यवहारतत्त्वमें १, दायक्रमसंग्रह में २, श्रीमद्भागवत ३।१।३६ की टीकामें १, शङ्करदिग्विजय १, प्रकरण में २, संस्कारमयूखमें ४, आचारमयूखमें ८, श्रद्धामयूखमें २, व्यवहारमयूख में २, प्रायश्चित्त मयूख में १०, और बृद्ध मनुके नाम से १७४, बृहन्मनु के नाम से १७ इस प्रकार श्लोक ४६६ हूवे। तथा मेधातिथि के समस्त पाठ भेद ५०० के लगभग हैं। कुल्लूक के पाठभेद भी ६५० के ऊपर हैं। राघवानन्द ने भी ३०० से ऊपर पाठभेद माने हैं। नन्दन ने १०० के लगभग पाठभेद माने हैं। इत्यादि अनेक हेतु इस पुस्तक के (जो वर्तमान समय में मिलता है) ठीक २ मनुकृत होने में पूर्ण सन्देहजनक है ॥

अ' म्  
श्री परमात्मने नमः

## अथ मनुस्मृति-भाषानुवादः

प्रणम्य जगदाधार वाक्पतिं परमेश्वरम् ।  
क्रियते मानवी टीका तुलसीरामशर्मणा (स्वामिना)॥



मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः ।  
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमब्रुवन् ॥१॥

अर्थ-महर्षि लोग एकान्त में विराजमान मनुजी के निकट  
जाकर (उनका) यथोचित पूजन कर यह वचन बोले कि-॥ १ ॥

भगवन्सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वशः ।  
अन्तरप्रभवाणां च धर्मानो वक्तुमर्हसि ॥ २ ॥

त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः ।  
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित्प्रभो ॥ ३ ॥

अर्थ-महाराज ! संपूर्ण वर्णों और वर्णसङ्घों के धर्मों का  
यथावत् क्रम से हम लोगोको उपदेश करनेमें आप समर्थ हैं ॥२॥  
क्योंकि संपूर्ण वेद (ऋग्यजु साम अथर्व) के कार्यों ज्योतिष्टोमादि  
यज्ञ और नित्यकर्म सन्ध्यावन्दनादि के यथार्थ तात्पर्य के जानने  
वाले आप एकही हैं जो वेदका अचिन्त्य, अप्रमेय, अनादि=पर-  
मात्मा का विधान (कानून) है ॥३॥

स तैः पृष्टस्तथा मय्यगमितौजा महात्मभिः ।  
प्रत्युवाचाचर्य तान् सर्वान्महर्षिञ्श्रुयतामिति ॥४॥

आसीद्विद्वं तमोभूतमप्रजातमलज्जगम् ।  
अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रमुष्णमिव सर्वतः ॥ ५ ॥

अर्थ-जब इन महात्माओं ने मना-मा मनु से उस प्रकार प्रश्न किया तब मनुजी ने इन सब महर्षियोंका स्फुरार करके कहा कि श्रवण कीजिये ॥४॥ यह विस्व ( मनाप्रनयकात्म ) अन्वकारयुक्त और लक्षणों से रहित, संकत के अयोग्य तथा तर्क द्वारा और स्वरूपसे जाननेके अयोग्य सब ओर से निष्कारी सी दृशमेथा ॥५॥

(यहां यह प्रश्न होता है कि ऋषियों ने तो धर्म पृथ्वाया मनुजी सृष्टिकी उत्पत्ति का वर्णन क्यों करने लगे ? मनुके सब टीकाकारों (१ मेधातिथि २ सर्वज्ञनारायण ३ कुन्तक ४ रामचन्द्र ५ नन्दन) ने एक छठे रामचन्द्र टीकाकारका द्वाब्बर यह प्रश्न उठाया है और थोड़ेसे भावमें भेद करने हुवे प्रायः सबका तात्पर्य उत्तरमें यह है कि ऋषिका वर्णन करते हुवे चारों वर्णोंके धर्म क्रमशः वर्णन करनेके लिये प्रथम सृष्टिकी उत्पत्तिमें आरम्भ करना साङ्गोपाङ्गधर्म का वर्णन कहा जा सकता है । इसलिये और ब्रह्मजानकी सब धर्मों में उत्तमता होनेसे मनुजी ने परमात्मा से जगत् की उत्पत्ति दिखाते हुवे धर्मोपदेशका आरम्भ किया परन्तु दूसरे श्लोक के आगे अन्य दो श्लोक भी चार प्राचीन लिखित पुस्तकोंमें देखे जाते हैं और नन्दन तथा रामचन्द्रने इन पर टीकाभी की है । वे ये हैं.—

[जरायुजाएडजानां च तथा मंस्वेदजोद्धिदाम् ।  
भूतग्रामस्य सर्वस्य प्रभवं प्रलयं तथा ॥१॥

आचारांश्चैत्र सर्वेषां कार्याकार्यविनिर्णयम् ।

यथाकालं (ऋकामं) यथायोगं वक्तुमहस्यशेषतः ॥२॥]

अर्थात् जरायुज, अण्डज, स्वेदज तथा उद्भिज और सब प्राणिमात्रकी उत्पत्ति और प्रलय ॥१॥ और सबके आचार और कार्य, ऋकार्य का निर्णय काल (वा इच्छा) और योगके अनुसार समस्त कहिये ॥२॥ तीन पुस्तकोंमें कालन पाठ देखा जाता है। यदि ये श्लोक प्राचीन माने जाय तो यह संग्रह सर्वथा नही रहता कि मुनियोंने धर्म पूछा था, मनुजी सृष्टिका वर्णन क्यों करने लगे हमारे विचार में तो जैसे बहुत श्लोक मनु में नये मिल गये वैसे ही ऐसे श्लोक मनुमें जातेरहे और किन्हीर पुस्तकोंमें रहगये ॥५॥

ततः स्वयंभूर्भगवान् अव्यक्तो व्यवञ्जयन्निदम् ।

महाभूतादि वृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमेानुदः ॥६॥

योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः ।

सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्भवमौ ॥७॥

अर्थ-इस ( दशा ) के अनन्तर उत्पत्तिरहित, सर्वशक्तिमान् इन्द्रियोसे अतीत (प्रलयकाल के अन्तमें) प्रकृति की प्रेरणा करने वाले महत्त्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि कारणोंमें युक्त है वल जिसका, उस परमात्मा ने इनको प्रकाशित करके अपने को प्रकट किया । (परमेश्वर का प्रकट होना यही है कि जगत् की रचना और जगत् के लोगो को अपना ज्ञान कराना) ॥६॥ जो कि इन्द्रियो से नहीं (किन्तु आत्मा से) जाना जाता और परम सूक्ष्म अव्यक्त सनातन संपूर्ण विश्वमें व्याप्त तथा अचिन्त्य है वही अपने आप प्रकट हुआ ॥ ७ ॥

सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्ससृक्षुविविधाः प्रजाः ।  
 अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत् ॥८॥  
 तदण्डमभवद्भ्रमं सद्गन्तांशुसमप्रभम् ।  
 तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकापितामहः ॥९॥

अर्थ-उस (स्वस्वामिभावसम्बन्ध से=मालिक और मिलिक के लिहाज से) अपने शरीर से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न की इच्छा करने वाले ने ध्यान करके प्रथम अमृत्यही उत्पन्न कि उसमे बीजको आरोपित किया। (यहां शरीर शब्द से उपाद कारण का ग्रहण है\* । परमेश्वर उसका अधिष्ठाता=स्वा [मालिक] है- इसलिये उसे "परमेश्वर का" कहा गया है) ॥

अप शब्द का अर्थ अप्तरम् है, जल नहीं। वास्तव पञ्चभूतों मे से एक भूत जल का अर्थ लेना यहां सङ्गत भी न किन्तु प्रकृति का जब परमान्मा कार्योन्मुख करके सृष्टि को उत्प करना आरम्भ करता है तब जो तत्व प्रकृति का सबसे पहला क वा सबसे पहला परिणाम होता है, उसको 'अमृत्य' कहा समझ चाहिये, क्योंकि इसके आगे ? । ११ मे-

"यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं मदसदात्मकम् ।"

इस श्लोक मे अव्यक्त (प्रकृति) का वर्णन प्रकरण मे है। उ के १।८ मे शरीर कहा है। शरीर से अप् को उत्पन्न करना क गया है। अप वही वस्तु जान पडती है जिसको सांख्य मत मे-

प्रकृतेर्महान्

\* प्रधानमेव तस्येवं शरीरम् = प्रकृतिही उस पुरुषका शरीर है मेधातिथि टीकाकार ।



कह कर मह तत्र संज्ञा दी है। यदि हम अप् का अर्थ जल मानले तो यह किसी शास्त्र वा दर्शनसे अनुमोदित नहीं होसकता। ऐतरेय आरण्यक पृ० ११२ में सायणाचार्य कहते हैं कि-

“अप्शब्देन पञ्चभूतान्युपलक्ष्यन्ते,” (तथा)-

“अप्शब्देन सर्वेषां देहबीजभूतानां सूक्ष्मभूतानां ग्रहणम्” ।

यह सायणीय वा माधवीय शङ्करत्रिविजय के सर्ग ७ श्लोक ७ की टीका टिप्पणी में कह गया है। इन दोनों वाक्यों का अर्थ यही है कि अप् शब्द से देह के बीजभूत सब सूक्ष्म भूत समझने चाहिये ॥ ऋग्वेद १०। १२१। ७ में जो मन्त्र है कि-

अपो ह यद् वृहतीर्निश्चमायन् गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निम् ।  
ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

इसमें अप् शब्द के विशेषण-गर्भं दधानाः, अग्निं जनयन्तीः, दक्षं दधानाः, यत्र जनयन्ती आये हैं सो केवल जल-साधारण गर्भ का धारण, अग्नि का उत्पादन बलका धारण यज्ञका उत्पादन नहीं सम्भव होता किन्तु प्रकृतिकी पहली विकृतिमें ही घट सकता है और यही कारण संस्कृतमें अप् शब्दके स्त्रीलिङ्ग होनेका भी जान पड़ता है। पीछे ‘अप्’ के जलतुल्य द्रव (रकीक) पदार्थ होने से उसका नाम जल पड़ गया और लिङ्ग वही स्त्रीलिङ्ग प्रयुक्त होता रहा जान पड़ता है। यही मन्त्र यजुर्वेद २७। २५ में भी आया है जिसका भाष्य करते हुवे महीधर ने शतपथ ११। १। ६। १ का प्रमाण दिया है कि-

आपो ह वा इदमग्रं मलिलमेवास ।



इसीमे भी जगत् की प्रथम कार्याऽवस्था वाले तत्व को ही 'अप्' तत्व कहा जान पड़ता है ॥

इसी यजु २७। २५ में-स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी महाराज ने भी (आप) = "व्यापिकास्तन्मात्रः" व्यापक=जलोकी सूक्ष्ममात्रा कहा है और यजुर्वेद ३२। ७ में पुन इस मन्त्र का प्रतीक आने पर भी उक्त स्वामी जी ने (आप) व्याप्ता (आप) आकाशाः अर्थ किया है जिससे मेरे लिखे सन्ध्या पुस्तकमें अर्णवः समुद्रः के अर्थ जल भरा समुद्र=आकाश अर्थ की पुष्टि होती है। इसी को आकाशतत्व भी कह सकते हैं ॥

वाम्त्व में जगन की उत्पत्तिके प्रकरणमें आपः शब्द योगरूढ़ है, जो वेदों और अन्य सब शास्त्रोंमें जहां सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है वाहुल्य से प्रयोग में आया है। इसी से पौराणिक समुद्र से क्रम न नात में ब्रह्मा की उत्पत्ति वाली कथा घड़ी गई जान पड़ती है। और इसी से ईसाइयों के उत्पत्ति प्रकरण के वाक्य कि ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था इत्यादि घड़े गये अनुमान होते हैं ॥ ८ ॥ वह (बीज) चमकीला सूर्य के समान अण्डाकार बना था। उसमें परमात्मा (ब्रह्मा) सब लोक का पितामह आप प्रगट हुआ (अर्थात् प्रथम उपादान कारण का एक चमकीला गोला सा बनाया) ॥९॥

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ।

ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ १० ॥

यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् ।

तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मोति कीर्त्यते ॥ ११ ॥

अर्थ-अप् को नारा कहते हैं क्योंकि नर=परमात्मासे अप उत्पन्न



हुवा है। वह नारा प्रथम स्थान है जिसका धस्तुः इस कारण परमात्मा को नारायण कहते हैं ॥ १० ॥ जो सम्पूर्ण जगत् का उपादान और नेत्रादि से देखने में नहीं आता तथा नित्य और सन् प्रसन्न धस्तुओं का मूलभूत प्रधान ( प्रकृति ) है उस महित परमात्मा लोक में 'ब्रह्मा' कहाता है ॥ ११ ॥

तस्मिन्नण्डे म भगवानुपित्वा परित्स्तरम् ।

स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमङ्गोद्द्विधा ॥ १२ ॥

ताभ्यां म शकलाभ्यां च दिवं भूमिं चनिर्ममे ।

मध्ये व्योमदिशश्चाप्टावपां स्थानं चशाश्वतम् ॥ १३ ॥

अर्थ-उस अण्डे में परिवन्मग्मंज्ञक काल पर्यन्त स्थित होकर, उस परमात्मा ने आपही अपने ध्यान से उस अण्डे के दो (कल्पित) टुकड़े किये ॥

(कल्प के समय का १०० वां भाग परिवत्सर जानो। जिस प्रकार १०० वर्ष का सामान्य आयु वाला मनुष्य एक वर्ष के लगभग गर्भ में तैयार होता है, इसी प्रकार यह जगत् भी अपने १०० वे काल भाग तक गर्भ के सी अवस्था में रहा ) ॥ १२ ॥ उसने उन दो टुकड़ों से अलोक और पृथ्वी, बीच में आकाश और आठ दिशा तथा जल का सनातन स्थान बनाया है ॥ १३ ॥

उद्ववर्हात्मनश्चैव मनः सदसदात्मकम् ।

मनसश्चाप्यहंकारमभिमन्तारमीश्वरम् ॥ १४ ॥

मद्वान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च ।

न न गणां प्रदीतसि शनैः पञ्चेन्द्रियाणि च ॥ १५ ॥

अर्थ-और अपने स्वभूत ( मिलकियत ) प्रकृति से उस



(जगत्कर्त्ता ने सङ्कल्पविकल्पात्मक मन और मन से अभिमानी सामर्थ्य वाले अहंतत्व को उत्पन्न किया ॥ १४ ॥ महान् आत्मा= महत्त्व और रजः सत्व तम. और विषयों की ग्रहण करने वाली पांच इन्द्रियां शनैः ( उत्पन्न की ) ॥ १५ ॥

तेषां त्रययवान् सूक्ष्मान्पराणामप्यमितौजसाम् ।

सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वाभूतानि निर्ममे ॥ १६ ॥

यन्मूर्त्यवयवाः सूक्ष्मास्तस्येमान्याश्रयन्ति पद् ।

तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य मूर्तिं मनीषिणः ॥ १७ ॥

बड़े बल वाले पूर्वोक्त छ ६ ( ५ इन्द्रियां और १ अहंकार ) के सूक्ष्म अवयवों को अपनी २ मात्राओं ( शब्द, स्पर्श रूप, रस और गन्ध ) में योजना करके सब प्राणियों को बनाया ॥ १६ ॥ क्योंकि शरीर के सूक्ष्म छ' अवयव ( अर्थात् अहंकार और पांच इन्द्रियों से पांच महाभूत = ६ ) सब कार्यों के हेतुरूप होकर उस परमात्मा के आश्रय में रहते हैं इस कारण उस ज्ञानस्वरूप परमात्मा के रचित ( मूर्ति ) जगत् को उसका शरीर कहते हैं । ( यद्यपि परमात्मा निराकार शरीर रहित है—यह वेदों का सिद्धान्त है और पूर्व छठे श्लोक में यहां मनुजी ने भी उसे अव्यक्त) निराकार इन्द्रिया-तीत कहा है । परन्तु कल्पना की रीति से जैसे शरीर में जीवात्मा रहता है वैसे शरीर में परमात्मा रहता है । इस एकदेशीय दृष्टान्त से इस सारे जगत् को परमात्मा का शरीर कल्पित कर लिया जाता है । वेदों में इस प्रकार के अलङ्कार की शैली बहुत आई है ) ॥ १७ ॥

तदाविशान्ति भूतानि महान्ति सह कर्मभिः ।

मनश्चावयवैः सूक्ष्मैः सर्वाभूतकृदव्ययम् ॥ १८ ॥



तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसाम् ।

सूक्ष्माभ्योऽमूर्तिमात्राभ्यः संभवत्यव्ययादव्ययम् ॥१६॥

अर्थ - ५ महाभूत और मन जो सब का कर्ता और (अन्यों की अपेक्षा) अविनाशी हैं ये ६ सब पूर्वोक्त जगद्रूपी शरीर में अपने २ कामों और सूक्ष्म अवयवों सहित प्रविष्ट होते हैं ॥ १८ ॥ पूर्वोक्त सात पुरुष (जगद्रूप पुर में रहने वाले १ अहङ्कार २ महत्त्व और आकाशादि ५ पांच इम प्रकार ७ सात) जो कि बड़े सामर्थ्य वाले हैं इनकी सूक्ष्म मूर्ति मात्राओ (पंचतन्मात्राओ) से अविनाशी परमात्मा नाशवान् जगन् को उत्पन्न किया करता है ॥१९॥

आद्याद्यस्य गुणं त्वेषामवाप्नोति परः परः ।

यो यो यावत्तिथश्चैषां स स तावद्गुणः स्मृतः ॥२०॥

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् ।

वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्चानर्ममे ॥२१॥

इन (पञ्चमहाभूतों) में से पूर्व २ के गुण को परला २ प्राप्त होता है (आकाश का गुण शब्द परले वायु में व्याप्त हुआ। ऐसे ही वायु का स्पर्श अग्नि में अग्नि का रूप जल में, जल का रस पृथ्वी में ॥इसी से पृथ्वी के शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध ५ गुण है) इन में जो २ जितना सख्या वाला है वह २ उतने २ गुण वाला कहलाता है ॥२०॥ उस (परमात्मा) ने सृष्टि के आरम्भ में उन सब के पृथक् २ नाम और कर्म और व्यवस्था वेद शब्दों से रची ॥२१॥

कर्मात्मनां च देवानां सोऽसृजत्प्राणिनां प्रभुः ।

साध्यानां च गणां सूक्ष्मं यज्ञं चैव मनातनम् ॥२२॥

अग्निवायुगविभ्यस्तु त्रयं त्रयं सनातनम् ।

दुदाह यज्ञं मिद्धवर्थमग्न्यजुःसामतत्तणम् ॥२३॥

उस प्राणियों के प्रभु ने कर्म है स्वभाव जिन का ऐसे देवों (अग्नि वायु आदित्यादि) भाव्यों के मूह्म समुदाय और सनातन ( ज्योतिष्टोमादि ) यज्ञ का उत्पन्न किया ॥२३॥ ( उसने ) यज्ञ के अर्थ सनातन वेद, जिन के ३ भेद = ऋग्यजु नाम हैं इन को अग्नि वायु सूर्य से ( अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य से सामवेद ) प्रकट किया ॥२३॥

कालं कालविभक्ताश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा ।

सरितः सागरान् शैलान् समानि विपमाणि च ॥ २४ ॥

समय, ( वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, प्रहर घटिका, पल कला-काष्ठादि ) काल-विभाग तथा नक्षत्र, ग्रह नदी समुद्र, पर्वत और ऊंची नीची ( भूमि ) उत्पन्न किये ॥२४॥

तपो वाचं रति चैव कामं च क्रोधमेव च ।

सृष्टिं सृज्ज चैवेमां स्रष्टुमिच्छन्निमाः प्रजाः ॥ २५ ॥

कर्मणां च विवेकार्थं धर्माधर्मां व्यवेचयत् ।

द्वन्द्वै रथोजयच्चेमाः सुबहुःशान्तिभिः प्रजाः ॥ २६ ॥

प्रजा के उत्पन्न करने की इच्छा करते हुवे ने तप, वाणी रति (जिस से चित्त को प्रसन्नता होता है ) काम तथा क्रोधको उत्पन्न किया ॥२५॥ कर्मों के विवेक के लिये धर्म अधर्म को जताया ( और धर्माधर्मानुसार ) सुख दुःखानि द्वन्द्वों से प्रजा का योजन किया ॥२६॥



अथैवो मात्राविनाशिन्यो दशाद्धानां तु याः स्मृताः ।  
 तासः सार्द्धमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वाशः ॥२७॥  
 यं तु कर्मणि यस्मिन् न्ययुक्तं प्रथमं प्रभुः ।  
 स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः ॥२८॥

नृक्ष जो दश की आधी ( पांच ) विनाशिनो तन्मात्रा (शब्द  
 स्पर्श रूप रस गन्ध) कर्ता है उन के साथ वह नम्युक्त सृष्टि के  
 कर्मशः उत्पन्न है ॥२७॥ उन प्रभु ने नृष्टि के आदि में जिस  
 स्वाभाविक कर्म में जिस की योजना की उमने पुन २ जब २  
 उत्पन्न हुआ स्वयं यही स्वाभाविक कर्म अपने आप क्रिया ॥२८॥

हिंसार्हिंसं मृदुक्रुं धर्माधर्मावृत्तान्तं ।

यद्यस्य सादृशान्तरं तत्तस्य स्वयमाविशेत् ॥ २९ ॥

यथर्तुलिङ्गान्यतवः स्वयमेवर्तपर्यये ।

स्वानि स्यान्वभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः ॥ ३० ॥

हिंस,-अहिंस कर्म, मृदु ( दयाप्रधान ) क्रूर, धर्म धृत्यादि,  
 प्रथमं अन्य अमन्य जिस का जो कुछ ( एवं कल्प की ) स्वयं  
 प्रविष्ट था. वह वह उनर के सृष्टि के नमय उमने धारण करगया  
 ॥२९॥ जैसे दमन्त आदि अनुर्वे अपने २ नमय में निज २ श्चतु  
 चिन्ता का प्राप्त होते हैं. उन्ही प्रकार मनुष्यादि भी अपने २ कर्मों  
 का पूर्वकल्प के त्रचे कर्मानुसार प्राप्त हो जाने हैं ॥३०॥

लोकानान्तु विवृद्धयथं सुखवाहूरुपादतः ।

ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निवर्तयन् ॥ ३१ ॥

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुण्योऽभवन् ।

अर्धेन नागी तस्यां स विराजसमृजत्प्रभुः ॥ ३२ ॥

लोकों की वृद्धि के लिये मुख ब्राह्मण बाहू क्षत्रिय, उरु वैश्य, पाद शूद्र ( इस क्रम से सृष्टि कर्ता ने ) उत्पन्न किये ॥३१॥  
उस प्रभु ने अपने जगत् रूपी शरीर के दो भाग किये, अर्द्ध भाग से पुरुष और अर्द्ध भाग से स्त्री हुई, उस स्त्री में विराट् ( सारे जगत् को एक पुरुष रूप में ) उत्पन्न किया ॥३२॥

( यहां सब जगत् को एक पुरुष माना है । जिस में अर्द्धभाग स्त्रीपने का और अर्द्ध पुरुषपने का है । मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और पृथिव्यादि लोक इत्यादि सब में स्त्री भाव और पुरुष भाव है )

“ तपस्तप्त्वासृजद्यं तु स स्वयं पुरुषो विराट् ।  
तं मां वित्तास्य सर्वास्य स्रष्टारं द्विजसत्तमाः ॥ ३३ ॥

अहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम् ।  
पतीन्प्रजानामसृजं महर्षीनादितो दश ॥ ३४ ॥,  
हे द्विजश्रेष्ठो ! उसी विराट् पुरुष ने तप करके जिस को उत्पन्न किया वह सब का उत्पन्न करने वाला मुझे जानो ॥ ३३ ॥  
मैंने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से उग्र तप करके प्रजा के पति दश १० महर्षियों को प्रथम उत्पन्न किया ॥ ३४ ॥

“ मरीचिमत्र्यङ्गरिसो पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम् ।  
प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगु नारदमेव च ॥ ३५ ॥

एते मनुस्तु सप्तान्यानऽसृजन्भूरितेजसः ।  
देवान्देवनिकायांश्च ब्रह्मर्षींश्चामतौजसः ॥ ३६ ॥

“( उन दश महर्षियों के नाम ) मरीचि १ अत्रि २ अङ्गिरस ३





पुलस्त्य ४ पुलह ५ केतु ६ प्रचेतस ७ वसिष्ठ ८ भृगु ९ और नारद १० को ॥३५॥ इन बड़े प्रकाश वाले दश प्रजापतियों ने अन्य बड़े कान्ति वाले सातमनु तथा देवताओं और उनके स्थानों और ब्रह्मर्षियों को उत्पन्न किया ॥३६॥

“यक्षरक्षः पिशाचांश्च गन्धर्वाप्सरसोऽसुरान् ।

नागान्सर्पान्सुपर्णांश्चपितृणां च पृथग्गणान् ॥३७॥

विद्युतोऽशनिमेवाश्च रोहितेन्द्रधनुषि च ।

उल्कानिर्वातकेतूँश्च ज्योतीँषुच्चावचानि च ॥३८॥”

। और यक्षरक्षः पिशाच गन्धर्व, अप्सरा, असुर, नाग, सर्प सुपर्ण और पितरों के गण (सन्तु) को ॥३७॥ और विद्युत ( जो विजली बादलोंमें चमकती है ) अशनि ( जो विजली लाहा आदि पर गिरती है ) मेघ=बादल रोहित, ( जो नाना वर्ण दण्डाकार आकाश में दिखाई देते हैं ) ( वर्षा ऋतु में ) इन्द्रधनुष ( प्रसिद्ध ) उल्का ( जो रेखाकार आकाश से गिरती है ) निवात = अन्तरिक्ष या पृथिवी से उत्पातशब्द केतु ( पूँछल वाले तारे ) और नाना प्रकारके तारे ॥३८॥

“किन्नरान्मानरान्मत्स्यान्त्रिविधांश्च विहंगमान् ।

पशून्मृगान् मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतोदतः ॥३९॥

कृमिकीटपतङ्गांश्च यूका मच्छिफमत्कुणम् ।

सर्वं च दंशमशक स्यावरं च पृथग्विधम् ॥४०॥”

किन्नर वानर मत्स्य नानाप्रकार के पक्षी पशु, मृग मनुष्य व्याल और जिन के ऊपर नीचे दांत होते हैं ॥३९॥ कृमि, कीट, पतङ्ग जुका, खटमल और सम्पूर्ण ( क्षुद्र जीव ) मच्छर इत्यादि काटने वाले और स्थावर नाना प्रकार के ( वृक्ष लता वही इत्यादि ) ॥४०॥

“एवमेतैरिदं सर्वं मन्त्रियोगान्महात्मभिः ।

यथाकर्म तपोयोगात्सष्टं स्थावरजङ्गमम् ॥४१॥”

‘पूर्वोक्त (मरीचि आदि) महात्माओं ने मेरी आज्ञा तथा अपने तपके प्रभावसे यह सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम कर्मानुसार रचा ॥४१॥’

( ३३ से ४१ तक ९ श्लोक हमारी सम्मति में अवश्य पीछे से मिलाये गये हैं । परमात्मा ने लोक, मनुष्य ब्राह्मणादि वर्ण वेद तथा अन्य सब जगत् बनाया यहा ४ जगत्कर्ता पाये जाते हैं १ परमात्मा २ विराट्, ३ मनु ४ मरीच्यादि । इनमें ३६ वे श्लोक में मरीच्यादि ऋषियोसे अन्य ७ मनुश्रोका उत्पन्न होना कहा है । सब लोग ब्रह्मा का पुत्र मनु को मानते हैं यहां विराट् का पुत्र मनु कहा है । ३३ वें श्लोकमें मनु अपनेको सब जगत् का बनानेवाला बताते हैं जो इसी मनु के पूर्व श्लोको, वेदो और पुराणो तक के विरुद्ध है । तथा १ श्लोक ४० वें के आगे और भी किहीं पुस्तको में पाया जाता है, सबों में नहीं । इस से जाना जाता है कि वह तो बहुत ही थोड़े समय से मिलाया गया है वह यह है-

“यथावर्षं यथाकालं यथाप्रज्ञं यथाश्रुतम् ।

यथायुगं यथादेशं यथावृत्तिं (यथोत्पत्तिं) यथाक्रमम् ॥”

‘इस श्लोक का ( यथोत्पत्तिः ) पाठ उज्जैन नगरी के ( आठ-वले ) नाना साहित्यके रामकृत टीकायुक्त पुस्तक में पाया जाता है । यह श्लोक सिताराके समीपवर्ती योनेश्वर स्थानके द्रविड़ शङ्करात्मज रामचन्द्र के मूलमात्र पुस्तक में भी पाया जाता है । तथा उज्जैन के ( सोरठी बाबा ) रामभाऊ शर्मा के मूल पुस्तक में भी पाया जाता है शेष २७ प्रकारके पुराने लिखे पुस्तको में यह श्लोक नहीं है । हमको आश्चर्य यह है कि मेधातिथि आदि ६ टीकाकारों ने न जाने क्यों इस विरोध पर दृष्टि भी नहीं की ) ॥४१॥



येषां तु यादृशं कर्म भूतानामिह कीर्तितम् ।

तत्तथा वोऽभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि ॥ ४२ ॥

इस संसार में जिन प्राणियों का जो कर्म कहा है उसी प्रकार हम कहेंगे तथा उनके जन्म में क्रम भी ( कहेंगे ) ॥४२॥

पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतोदतः ।

रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः ॥४३॥

अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्रामत्स्याश्चकच्छपाः ।

यानि चैवं प्रकाश्याणि स्थलजान्यादकानि च ॥४४॥

[जरायु ( गर्भ की मित्ती ) से जो उत्पन्न हो उसे जरायुज कहते हैं ] गाय आदि पशु हरिणादि मृग, सिंह और जिनके ऊपर नीचे दात होते हैं वे और राक्षस ( स्वार्थी ) पिशाच ( कच्चे मांस खाने वाले ) मनुष्य ये सब जरायुज हैं ॥ ४३ ॥ और पक्षी ( परन्द ) सर्प नाक, कछुवे इत्यादि इसी प्रकार के भूमि पर तथा पानी में उत्पन्न होने वाले भी सब अण्डज कहलाते हैं ॥ ४४ ॥

स्वेदजं दंशमशकं वृकामक्षिकमत्कुणम् ।

उष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत्किंचिदीदृशम् ॥४५॥

उद्भिज्जाः स्यावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः ।

ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ ४६ ॥

मच्छर और काटने वाले चुट्ट जीव, जुआं, मक्षिका खटमल इत्यादि और जो गरमों से उत्पन्न होते हैं और जो इर्हों के सदृश ( चींटियां इत्यादि ) स्वेदज अर्थान् पसीने से उत्पन्न होने वाले हैं ॥ ४५ ॥ जो भूमि को फाड़ कर ऊपर निकले, उन को उद्भिज्ज

कहते हैं। वे ये हैं:-स्थायर अर्थान् वृक्षादि इनमे दो प्रकार हैं एक बीज से उत्पन्न होने वाले, दूसरे शाखा से (वान यव इत्यादि) जिन का फल पारु मे आन्त हो जाता है और पुष्प फल जिन मे अधिक होते हैं उन को ओपधि (उद्विज्ज) कहते हैं ॥ ४६ ॥

अपुष्पाः फलवन्ते। ये ते वनस्पतयः स्मृताः ।

पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तूभयतः स्मृताः ॥४७॥

गुच्छगुल्मं तु विविधं तथैव तृणजातयः ।

बीजकारणहरहायेव प्रताना वल्लय एव च ॥ ४८ ॥

जिन मे पुष्प नहीं किन्तु फल ही होता है उन को वनस्पति कहते हैं और जो पुष्प फल से युक्त हों उनको वृक्ष कहते हैं ॥४७॥ जिस में जडसे ही लता का मूज हो और शाखा इत्यादि न हो उस को गुच्छ कहने हैं (जैसे मल्लिका) गुल्म (जैसे इक्षु प्रभृति) तृणजाति, नाना प्रकार के बीज राग्या से उत्पन्न होने वाले और प्रतान (जिन मे सूत सा निकले जैसे कड़ू खीरा इत्यादि) और बल्ली (जैसे गुडूच्यादि) उद्विज्ज हैं ॥ ४८ ॥

तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्महेतुना ।

अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःख समन्विताः ॥ ४९ ॥

एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्मघ्नः समुदाहृतः ।

घोरेऽस्मिन्भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥ ५० ॥

ये (वृक्ष) अधिक तमोगुण धार (दुःख देने वाले अधर्म) कर्मों से व्याप्त हैं। इनके भीतर छुपा ज्ञान रहता है। सुख दुःख से युक्त रहते हैं ॥ ४९ ॥ इस नाशवान् प्राणियो को भयङ्कर और

\* जिस प्रकार जलादि के न मिलने से मनुष्यादि मर जाते हैं वैसे वृक्षादि भी ।

सदा चल संसार मे ब्रह्मा से स्थावरपर्यन्त ये गतिये कहीं ॥ ५० ॥

एवं सर्वं स सृष्ट्वेद मां चाचिन्त्याराक्रमः ।

आत्मन्यन्तर्दधे भूयः कालं कालेन पीडयन् ॥ ५१ ॥

यदा स देवो जागर्ति तदेदं चेष्टने जगन् ।

यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्वं नि ीलति ॥ ५२ ॥

उस अचिन्त्यपराक्रम ईश्वर ने सम्पूर्ण ( स्थावरजङ्गमरूप ) सृष्टि और मुक्ति मनु को ऐसे उत्पन्न करके सृष्टिकाल को प्रलयकाल से नाश करते हुवे अपने मे हृपा लिया है ( अर्थान् प्राणियों के कर्मवश से पुनः पुनः सृष्टि प्रलय करता है ) ॥ ५१ ॥ जब प्रजापति जागता=(सृष्टि करने की इच्छा करता ) है उस समय यह सम्पूर्ण जगत् चेष्टायुक्त हो जाता है और जब निवृत्ति की इच्छा होती है तब सम्पूर्ण लय को प्राप्त होता है। (यही उस का सोना जागना है ) ॥ ५२ ॥

तस्मिन् स्वपिति तु स्वस्थे कर्मात्मानः शरीरिणः ।

स्वकर्मभ्रगे निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिमृच्छति ॥ ५३ ॥

युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन् महात्मनि ।

तदार्यं सर्वभृतात्मा सुखं स्वपिति निवृत्तः ॥ ५४ ॥

जब वह व्यापारो से रहित हो शयन करता है उस समय कर्मात्मा ( जो कि शरीर के साथ तक कर्मबन्धनसे नहीं छूटते है ) प्राणी अपने २ कर्म से निवृत्त हो जाते हैं और मनस्तत्त्वभी क्षीण हो जाता है ॥ ५३ ॥ एक ही समय जब वे सम्पूर्ण ईश्वर मे प्रलय को प्राप्त होते हैं उस समय ( दुरदुःखादि से रहित जीवो को सुषुप्त अ सुख प्राप्त हो उस स्थिति ) यह परमात्मा निवृत्त और सोता कहा जाता है ॥

( कभी भी अनुभव न किया हुआ प्रलय का वर्णन लोगों की ममत्क से कुछ न कुछ आजावे, इस लिये प्रलय का परमात्मा की गति करके वर्णन किया गया है । वस्तुतः परमात्मा चेतनस्वरूप सदा जागने वाला ही है । जिस प्रकार सूर्य वनस्पतियों को उगाने और सूखने का हेतु है परन्तु किमी वृक्षादि को उगाने वा सुखाने के समय सूर्यका स्वरूप नहीं बदलता किन्तु एकमा ही रहता हुआ सूर्य उगाता और सुखाता भी है । किन्तु वे वृक्षादि अपने स्वभाव, भेद और अवस्थाभेद से सूर्य का प्रभाव अपने ऊपर अनेक प्रकार का डालने हैं । यद्यपि सूर्य का प्रभाव है एक ही प्रकार का । ऐसे ही परमात्मा के सब गुण सदा एकमे ही रहते हैं, परन्तु प्रकृति कभी विकृत होती है कभी प्रकृत और इसीसे जब विकृत होती है तब परमात्माकी व्यापकता का फल उत्पन्न और जब प्रकृत होती है तब उसकी व्यापकता का फल प्रलय हो जाता है ) ॥५४॥

तमोऽथं तु ममाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः ।

न च स्वंकुरुते कर्म नदीत्क्रामति मूर्त्तिनः ॥५५॥

यदाणुमात्रिको भूत्वा बीजं स्थारनु चरिणु च ।

समाविशति संस्पृष्टस्तदा मूर्त्तिं विमुञ्चति ॥५६॥

जब यह जीव इन्द्रियों सहित बहुत आलपर्यन्त तम (सुषुप्ति) को आश्रय करके रहता है और अपना कर्म (श्वान्मप्रश्वामादि) नहीं करता तब शरीर से पृथक् हुवा रहता है ॥५५॥ जब अणुमात्रिक होकर (अर्थात् अणु है मात्रायें जिसकी उस अणुमात्र को पुर्यष्टक कहते हैं अर्थात् शरीर प्राप्त होने की आठ सामग्री जीव १ इन्द्रिय २ मन ३ बुद्धि ४ बामना ५ कर्म ६ आयु ७ अविद्या ८ ये आठ मिलकर अणुमात्र कहलाते हैं तौ प्रथम अणुमात्रिक होकर)

अचर (वृक्षादि) वा चर (मनुष्यादि) के हेतु भूत बीजों में प्रविष्ट होता है । तब उनमें मिलकर शरीर का धारण करता है ॥५६॥

एवं स जाग्रत्स्वप्नाभ्यामिदं सर्वं चगचरम् ।

सञ्जीवयति चातस्रं प्रमापयति चाव्ययः ॥५७॥

ऐसे वह अविनाशी परमात्मा शयन और जाग्रत से इस संपूर्ण चराचर को निरन्तर उत्पन्न और नष्ट करता है ॥५७॥

“इदं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः ।

विधिवद् ग्राहयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन् ॥५८॥”

“मनुजी कहते हैं कि इस (ब्रह्मा) ने सृष्टिके प्रथम इस धर्म-शास्त्र का निर्माण करके विधिवत् मुझको उपदेश किया, अनन्तर मैंने मरीच्यादि मुनियोंको पढ़ाया ॥५८॥”

“एतद्वोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः ।

एतद्वि मत्तोऽधिजगे सर्वमिपोऽखिलं मुनिः ॥५९॥

ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिर्मनुना भृगुः ।

तानब्रवीद्विन्सर्वान्प्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥६०॥”

‘यह सम्पूर्ण शास्त्र भृगु आप लोगों को सुनावेगा जो मुझसे सम्पूर्ण पढ़ा है ॥ ५९ ॥’ अनन्तर महर्षि भृगु ने मनु की आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्त होकर उन सब ऋषियों के प्रति कहा कि सुनिये ॥ ६० ॥”

“स्वायंभुवस्यास्य मनोः षड्वंश्यां मनवोऽपरे ।

सृष्टवन्तः प्रजाः स्वाः स्वा महात्मानोमहौजसः ॥६१॥

स्वारेऽत्रिपरचौत्तमश्च ताममो रैवतस्तथा ।



चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत एव च ॥६२॥”

इस स्वायम्भुव मनुके वंशमे उत्पन्न हुए छ मनु और हैं। उन वड़े पराक्रम वाले महात्माओंने अपनी२ सृष्टि उत्पन्न की थी ॥६१॥ (उनके नाम) स्वरोचिष १ अन्तम २ तामस ३ रैवत ४ चाक्षुष ५ और वैवस्वत ६। ये छ वड़े कान्ति वाले हैं ॥ ६२ ॥”

“स्वायंभुवाद्याः सप्तैते मनवो भूरितेजसः ।

स्वे स्वेऽन्तरे सर्वाभिदमुत्पाद्यापुश्चराचरम् ॥६३॥”

स्वायम्भुव आदि सात मनु वड़े तेजस्वी हुये जिन्होंने अपने अपने अधिकार मे सम्पूर्ण चर अचर सृष्टि को उत्पन्न करके पालन किया। (५८ से ६३ तक ६ श्लोक अमङ्गत जान पढ़ते हैं। ५८ वें मे मनु का यह कहना असङ्गत है कि मैंने यह शास्त्र परमात्मा से दृष्टि किया। यदि वेदा का तात्पर्य लेकर बनाये हुवे के भी ईश्वरीय वहे तो न्यायशान्त्रादि म्व ग्रन्थ परमेश्वर से ही ऋषियों ने पढ़े मानन पढ़ेंगे और मनु का ऋषियों से यहा तक अविच्छिन्न सम्वाद चला आता है। इसलिये यह वाक्य भृगु की और से नहीं माना जा सकता। और ५८ वें मे यह कह कर कि मैंने परमात्मा से पढ़ा और फिर नराचि-दि के पढाया ५९ वें मे आगे यह कथन है कि सा मरा पढाया हुआ शान्त्र भृगु तुम को सुनावेगा। इससे भी मनु का ही ऋषियों से सम्वाद चलता रहना पाया जाता है। किन्तु ये श्लोक बनान वाले ने इस ग्रन्थ की अर्परुपेयता सिद्ध करने और यह सिद्ध करने को कि मैंने साक्षान् मनु से पढा बनाये है। आगे । ६१ । ६२ । ६३ श्लोकों मे यह बखान है कि स्वायंभुव के वंश मे छ, और मनु हुवे थे जिन्होंने अपने अपने समय में चराचर जगत् बनाये और पाले। इस से यह भलकता है कि श्लोककर्ता से



पूर्व छः मन्वन्तर वीत चुके थे। तो छ मन्वन्तर वीतने पर इस भृगु को उपदेश करने म्वायम्भुव मनु कहां से आया ? इन श्लोकों का यह कहना असत्य है कि मनु वंश में कोई देहधारी मनु नामक मनुष्य हुवे और उन्होने अपनी २ प्रजा बनाई। ७१ चतुर्युगियों का १ मन्वन्तर आगे श्लोक ७९ में कहेंगे। फिर कोई राजा इतने दिनों तक कैसे वर्तमान रह सकता है। पुराणों में सत्ययुग में एकलक्ष त्रेता में १० सहस्र द्वापर में एक सहस्र और कलि में १०० वर्ष की आयु लिखी है। यह भृगु तो उस से भी आगे बढ़ गया। मन्वन्तर किसी पुरुष का नाम भी नहीं है किन्तु जैसे सत्ययुग आदि चार युग काल की संज्ञा हैं वैसे मन्वन्तर भी, आगे ७९ वें श्लोक में कहे प्रमाण, ७१ चतुर्युगियों के बराबर काल की संज्ञा हैं। काल के नाम पर राजा का नाम सम्भव माने तो भी एक मनु के वंश में दूसरा मनु कैसे रहे। और इतने दीर्घ काल तक एक २ पुरुष की आयु कैसे रहे। क्यों कि ६३ वे श्लोक में (स्वे स्वेन्तरे) कहा है कि अपने २ काल के अन्तर (मन्वन्तर) में उस २ मनु ने अपनी २ प्रजा रची और पाली। और मन्वन्तर का वर्णन काल के विभागों (निमेष से लेकर) को बतलाते हुए ७९ वें श्लोक में आयेगा। फिर निमेष काष्ठा, कला, मुहूर्त, दिन, रात वर्ष, युग इत्यादि के पश्चान् वर्णन करने योग्य मन्वन्तर का यहां प्रथम ही वर्णन करना असङ्गत और पुनरुक्त भी है। श्लोक ५९ में (अशेषतः) (सर्वम्) (अखिलम्) यह तीन पद एक ही अर्थ में पुराणों की शैली के से व्यर्थ भी हैं) ॥

निमेषा दश चाष्टौ च काष्ठा त्रिंशत् ताः कला ।

त्रिंशत्कला मुहूर्तः स्यादहोरात्रं तु तावतः ॥६४॥

(सृष्टि का समय जानने के लिये समय की संज्ञा निरूपण

करते है ) प्रांख पल ४ गिरने के समय का नाम निमेष है । १८  
निमेष की १ काष्ठा होती है तीन काष्ठा की १ कला, तीस कला  
का १ मुहूर्त, बीस मुहूर्त का १ दिन रात होता है ॥६४॥

अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदैविके ।

रात्रिः स्वप्नाय भूतानां वेष्टायै कर्मणामहः ॥६५॥

पित्र्ये रात्र्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः ।

कर्मवेष्टास्वहः कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शर्गरी ॥६६॥

सूर्य, मनुष्य, देव सम्बन्धी रात दिन का विभाग करता है ।  
उसमे मनुष्यादिके शयनको रात्रि और कर्म करनेको दिन है ॥६५॥  
मनुष्य के एक मास का १ रात दिन पितरो का होता है, उस में  
कृष्णपक्ष दिन कर्म करने के लिये और शुक्लपक्ष रात्रि शयन करने  
के लिये है ॥६६॥

दैवे रात्र्यहनी वर्षं प्रविभागस्तयोः पुनः ।

अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्यादक्षिणायनम् ॥६७॥

ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः ।

एकैकशो युगानां तु क्रमशस्त्रिबोधन ॥६८॥

मनुष्यो के एक वर्ष में देवतो का रात्रि त्रिवस होता है । फिर  
उन का विभाग यह है कि उस में उत्तरायण दिन है और दक्षि-  
णायन रात्रि है । ( पितरों की दिन रात्रि का तात्पर्य चन्द्रलोक  
वालों की दिनरात्रि है । उपनिषदों में पितृगति को चन्द्रलोक  
की गति और दैवगति को सूर्यलोक की गति करके कहा है । सूर्य  
की परिक्रमा पृथ्वी एक वर्ष में करती है । इस विचारसे सूर्यापेक्षा  
उत्तरायण प्रकारा की वृद्धि से दैव दिन और दक्षिणायन प्रकाश

ॐ नमः ॥

की घटती से देवी रात्रि माना गया है। चन्द्रलोक पृथ्वी की परिक्रमा एक मास में करता है इस से चन्द्र = पितृलोक की १५ दिन की १ रात्रि और १५ दिन का एक दिन कहा है ) ॥६७॥ अथ ब्राह्मरात्रि दिवस और ( कृत त्रेता, द्वापर, कलि ) प्रत्येक युगों का भी परिमाण कम से सुनो ॥६८॥

चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगम् ।

तस्य तावच्छती सन्ध्या संध्यांशश्च तथाविधः ॥६९॥

इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु ।

एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च ॥७०॥

( मनुष्यों के ३६० वर्ष का १ देव वर्ष, ऐसे ) चार हजार वर्ष को कृत युग कहते हैं और उस की सन्ध्या (युग का पूर्वकाल) चार सौ वर्ष का होता है और सन्ध्यांश (युग का परकाल) भी चार सौ वर्ष का होता है। ( सन्ध्या और सन्ध्यांश मिल कर कृतयुग ४००० देव वर्ष का होता है ॥६९॥ अन्य तीन ( त्रेता, द्वापर, कलि ) की सन्ध्या और सन्ध्यांश के माय जो संख्या होती है, वह क्रम से सहस्र में की और शत में की एक २ संख्या घटाने से तीनों संख्या पूरी होती हैं ( जैसे, कृतयुग ४८०० = १७२०००, त्रेता ३६०० = १२९६०००, द्वापर २४०० = ९६४०००, कलि १२०० = ४३२०००, चारों १२००० = ४२४२०००० वर्ष १ चतुर्युगी ) ॥७०॥

यदंतत्परिसंख्यातमादावेत्र चतुर्युगम् ।

एतद् द्वादशसाहस्रं देवानां युगमुच्यते ॥७१॥

दैविकानां युगानां तु सहस्रं परिसंख्यया ।

ब्राह्ममेकमहर्षेयं तावतीं रात्रिरेव च ॥७२॥

यह जो प्रथम गिनाये इन्हीं चार युगोंको चारह हजार १२००० गुणा करके १ देव युग कहाता है ॥७१॥ देव सहस्र युगो का ब्रह्मा का एक दिन और सहस्र युगो की रात्रि ( अर्थात् देव दो सहस्र होने से ) ब्रह्मा का रात्रि दिन होता है । देव १००० वर्ष का एक युग इसे १००० गुणा करने से १२०००००० देव वर्ष का १ ब्राह्म दिन हुवा । इसे ३६० गुणा करने से ४३२००००००० चार अर्ब वत्तीस करोड़ मानुष वर्षों का ब्राह्म दिन और इतनी ही रात्रि हुई ॥७२॥

तद्वै युगसहस्रान्तं ब्राह्मं पुण्यमहर्विदुः ।

रात्रिं च तान्वतीमेव तेऽहोरात्रविदाजनाः ॥७३॥

तस्यसोऽहर्निशस्यान्ते प्रसुप्तःप्रतिबुध्यते ।

प्रतिबुद्धश्च मृजति मनः सदसदात्मकम् ॥७४॥

सहस्र युग से अन्त अर्थात् समाप्ति है जिसकी उसे ब्रह्मा का पुण्य दिवस और उतनी ही रात्रिको वे अहोरात्रज जानते हैं ॥७३॥ पूर्वोक्त अहोरात्र के अन्त में वह ( ब्रह्मा ) सोतेसे जाग्रत होता है और जागकर सङ्कल्प विकल्पात्मक मन को उत्पन्नकरता है ॥७४॥

मनः सृष्टिं विकुरुते चोद्यमानं सिसृक्षया ।

आकाशं जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुणंविदुः ॥७५॥

आकाशात् विकुर्वाणात्सर्वगन्धवहः शुचिः ।

बलवान् जायते वायुः स वै स्पर्शगुणोमतः ॥७६॥

( परमात्मा की ) रचने की इच्छा से प्रेरित किया हुआ मन सृष्टि को विकृत करता है । मनस्तत्त्वसे आकाश उत्पन्न होता है उस के गुण को शब्द कहते हैं ॥७५॥ आकाश के विकार से सब गन्ध



को लें चलने वाला पवित्र बलवान वायु उत्पन्न होता है वह स्पर्श गुण वाला माना है ॥७६॥

वायोरपि विकुर्वाणाद्विरोचिष्णु तमोनुदम् ।

ज्योतिरुत्पद्यते मास्वत्तद्रूपगुणमुच्यते ॥७७॥

ज्योतिषश्च विकुर्वाणादपोत्सगुणाः स्मृताः ।

अद्भ्यो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ॥७८॥

वायु के विकार से तम का नाश करने वाला प्रकाशित चमकीला अग्नि उत्पन्न होता है उसका गुण रूप है ॥७७॥ अग्नि के विकार से जल उत्पन्न होता है जिसका गुण रस है और जल से पृथिवी, जिसका गुण गन्ध है । प्रथमसे सृष्टिका यह क्रम है ॥७८॥

यत्प्राग्द्वादशसाहस्रमुदितं दैविकं युगम् ।

तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥७९॥

मन्वन्तराण्यसंख्यानिसर्गः सहार एव च ।

क्रीडन्निवैतत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥८०॥

पूर्व जो बारह सहस्र वर्ष का दैव युग कहाता था, ऐसे एकहत्तर युग का एक मन्वन्तर होता है ॥७९॥ मन्वन्तर असंख्य हैं । सृष्टि और संहार = प्रलय भी असंख्य हैं । इन को बार बार प्रजापति क्रीडावत् (विना श्रम) ही किया करता है ॥८०॥

‘चतुष्पात्सकलो धर्मः सत्य चैव कृते युगे ।

नाधर्मणागमः कश्चिन् मनुष्यान् प्रतिव्रत ॥८१॥

इतरेष्वगमाद्धर्मः पादशस्त्रवरोपितः ।

चौरिकानृतमायाभिर्धर्मश्चापैत पादशः ॥८२॥’

“सत्ययुग मे धर्म पूर्ण चतुष्पाद् और सत्य रहता है क्योंकि तब अधर्म से मनुष्यो को धन प्राप्त नहीं होता ॥८१॥ इतर (तीन= त्रेता द्वापर कलि) में वेद में प्रतिपादित धर्म क्रमशः चोरी, भूँठ, माया, इन से धर्म चौथाई २ क्षीण होता है ॥८२॥”

“अरोगाः सर्वसिद्धार्थश्चतुर्वर्षशतायुषः ।

कृतत्रेतादिषु ह्येषामायुर्हसति पादशः ॥८३॥

वेदाक्तमायुर्मर्त्यानामाशिषश्चैव कर्मणाम् ।

फलन्त्यनुयुगंलोके प्रभावश्च शरीरिणाम् ॥८४॥”

“सत्ययुग में सब रोग रहित होते हैं और सम्पूर्ण मनोरथ पूरे होते हैं। आयु ४०० वर्ष की होती है। आगे त्रेतादि में इनकी चौथाई २ आयु घटती है ॥८३॥ मनुष्योकी वेदानुकूल आयु कर्मोंके फल और शरीरधारियोंके प्रभाव सब युगानुकूल फलते हैं ॥८४॥

“अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरे परे ।

अन्ये कलियुगे नणां युगहासानुरूपतः ॥८५॥

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ।

द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कर्तौ युगे ॥८६॥”

युगो की हीनता के अनुसार मनुष्यो के धर्म सत्ययुग के और हैं त्रेता के दूमरे हैं द्वापर के अन्य और कलियुग के और ही हैं ॥८५॥ कृतयुग मे तप मुख्य धर्म है त्रेता मे ज्ञान प्रधान है, द्वापर मे यज्ञ कहते हैं और कलि मे एक दान ही प्रधान है ॥८६॥

(८१ से ८६ तक छ श्लोक भी प्रक्षिप्त जान पडते हैं। क्योंकि मनु सा धर्मात्मा सत्यवादी पुरुष ऐसा असत्य लिखे सो सम्भव नहीं प्रतीत होता जैसा कि ८१ श्लोक मे कहा है कि सत्ययुग मे



धर्म पूरा होता है अधर्म की मनुष्यों में प्रवृत्ति नहीं होती। यह बात प्रथम तो "काल" क्या वस्तु है इस बात पर विचार करने से ज्ञात हो सकती है:—

अपरस्मिन्नपरं युगपच्चिरं क्षिप्रमिति काललिङ्गानि ॥

वैशेषिकदर्शन अ० २ आ० २

पहले पीछे एक साथ और शीघ्र, ये काल के चिन्ह हैं। इनमें धर्म वा अधर्म में प्रवृत्त करना काल का काम नहीं। तथा यह इतिहास प्रमाण के भी विरुद्ध है कि सत्ययुग में अधर्म न हुआ हो। इतिहासों के विचार से ज्ञात होना है कि सब युगों में पाणि पुराणात्मा देव, असुर इत्यादि होते रहे हैं। यह लेख मनु के ही पूर्व लेख के प्रतिकूल है। मनु में पूर्व श्लोक २ में लिखा है कि ऽज्ञा प्रथम धर्माधर्म सुख दुःख से युक्त हुई। तौ सृष्टि के आरम्भ में पहले सत्ययुग होता है इनमें अधर्म और दुःख कैसे उत्पन्न हूँगे! श्लोक २९ में हिंसक अहिंसक मृदु क्रूर धर्माऽधर्म मत्या सत्य थे तौ सत्ययुगमे क्यों थे / इत्यादि प्रकारसे और इस कारणसे भी कि इन युगों की व्याख्या श्लोक ६९। ७० में हो चुकी। मनुजी युग में धर्माऽधर्म का प्रभाव बताते तो उसी के आगे लिखते। अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त जान पड़ते हैं। ८२ वें में त्रेता में चोरी द्वापर में असत्य और कलि में छल होना बताना भी पूर्वोक्त कारणों से माननीय नहीं। ८३ में सत्ययुग में सबका नीरोग रहना बताना भी उक्त कारणों से अशक्य है। ८४। ८५ और ८६ में जो काल के प्रभाव लिखे हैं वे भी उक्त प्रकार से शास्त्रो, इतिहासों और मनुवचनों से भी विरुद्ध हैं। श्लोक ८० का ८७ के साथ सम्बन्ध भी ऐसा ठीक मिलता है जिससे बीच के ६ श्लोक अनावश्यक जान पड़ते हैं) ॥

सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं स महाद्युतिः ।  
 मुखवाहुरूपज्जानां पृथक्कर्मण्यकल्पयत् ॥८७॥  
 अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।  
 दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥८८॥

उम महा तेजस्वी ने इस सब सृष्टि की रचनार्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के कर्मों को पृथक् २ बताया ॥८७॥ ब्राह्मणों के षट् कर्म-पढना, पढाना यज्ञ करना कराना, दान देना और लेना बताया है ॥ ८८ ॥

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च ।  
 विपयष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥८९॥  
 पशूनां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च ।  
 वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृपिमेव च ॥९०॥

प्रजा की रक्षा, दान देना यज्ञ करना, पढना और विपयोंमें न फंसना सत्तेप से क्षत्रिय के कर्म हैं ॥८९॥ पशुओं का पोषण, दान देना, यज्ञ करना, पढना, व्यापार करना, व्याज लेना और खेती; ये वैश्य के हैं ॥९०॥

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ।  
 एतेषामेव वर्णानां शुश्रुषामनस्यया ॥९१॥  
 ऊर्ध्वं नाभेर्मेध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः ।  
 तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य मुखमुक्तं स्वयंभुवा ॥९२॥

प्रभु ने शूद्रों का एक ही कर्म बताया कि इन (तीनों) वर्णों की निन्दा रहित ( जिसमें कोई निन्दा नहीं ) सेवा करनी ॥ ९१ ॥



पुरुष नाभि के ऊपर पवित्रतर कहा है । इससे परमात्मा ने उसका मुख उससे भी पवित्र कहा है ॥९२॥

उत्तमाङ्गोद्भवाज्ज्यैष्ठ्याद्ब्रह्मणश्चैव धारणात् ।

सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः ॥९३॥

तं हि स्वयंभूः स्वादास्यात्तपस्तप्त्वाऽऽदितोऽसृजत् ।

हव्यकव्याभिवाहाय सर्वस्याऽस्य च गुप्त्रये ॥९४॥

उत्तमाङ्गोद्भव (मुखतुल्य होने) और ज्यैष्ठ्या और वेदके धारण कराने से ब्राह्मण संपूर्ण जगत्का धर्मसे प्रभु है ॥ ९३ ॥ क्योंकि ब्राह्मण को परमात्माने देवता और पितरो के हव्य कव्य पहुंचाने और संपूर्ण जगत् की रक्षा के लिये (ज्ञानमय) तप करके (स्वस्वामिभाव से) अपने मुख से उत्पन्न किया है ॥ (देवता-त्रायु आदि और पितर चन्द्रकिरणादि को हव्यकव्य नामक पदार्थ अग्नि में होमे जाते हैं, उसे यज्ञ कहते हैं । यज्ञ कराना ब्राह्मण का कर्म बताया जा चुका है । इसलिये हव्यकव्य पहुंचाने का काम ब्राह्मणों का हुवा । "परमात्मा ने अपने मुखसे रचा" इसका तात्पर्य श्लोक ८८ के अनुसार यही है कि पढ़ना मुखसे पढ़ाना मुखसे यज्ञ करने करानेमें वेदपाठ मुखसेदान और आदानका वाक्य उच्चारण करना, प्रायः ये सब काम मुख से ब्राह्मण करता है । परमात्माने वेदद्वारा जो धर्मोपदेश किया है सो भी ब्राह्मण ऋषियों के मुख द्वारा किया है । यथार्थ में परमात्मा तौ सर्वेन्द्रियगुणाम् । सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् । श्वेता० इत्यादि प्रमाणों से मुखानिरहित ही है) ॥९४॥

यस्यास्येन सदाऽश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकमः ।

कव्यानि चैव पितरः कि भूतमधिकं ततः ॥९५॥



भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिनां बुद्धिजीविनः ।”

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥६६॥

हवन में जिस के मुख से (मुखोच्चारित मन्त्र के साथ) त्रिदिगौरुस (पृथ्वी अन्तर्दिग् दिव् के रहने वाले निरुक्तोक्त वायु आदि) देवता हव्यों और पितर कव्यों को पाते हैं, उस से अधिक कौन प्राणी होगा ॥९५॥ भूतों (म्हावर, जङ्गमो) में प्राणी (कीटादि) श्रेष्ठ हैं। इन में भी बुद्धिजीवी (पशुवादि)। इन सब में मनुष्य श्रेष्ठ हैं और मनुष्यों में ब्राह्मण ॥९६॥

ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः ।

कृतबुद्धिषु कर्त्तारः कर्त्तृषु ब्रह्मवेदिनः ॥६७॥

उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती ।

स हि धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥६८॥

ब्राह्मणों में अधिक विद्यायुक्त श्रेष्ठ हैं, विद्वानों में जिन की श्रौतोक्त कर्मों के विषय कर्त्तव्यबुद्धि हो, और उन से करने वाले और करने वालों से ब्रह्मजानो श्रेष्ठ है ॥९७॥ ब्रह्मयज्ञ की उत्पत्ति ही धर्म की शाश्वत मूर्ति है क्योंकि वह ब्राह्मण धर्मार्थ उत्पन्न हुआ है। मातृ का अधिकारी है।

( ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य द्विज कहते हैं अर्थान् इन का जन्म एक बार माता के गर्भ में दूसरा गायत्री माता और गुरु पिता से होता है। यह द्विज कहाने का अधिकारी यथार्थ में दूसरे जन्म से होता है। इस लिये यहाँ ब्राह्मण की उत्पत्ति का तात्पर्य दूसरे विद्यासम्पन्धी जन्म से है ) ॥९८॥

ब्राह्मणा जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते ।

ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥६६॥

सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किञ्चिज्जगतीगतम् ।

श्रेष्ठयेनाभिजनेनेदं सर्वं वै ब्राह्मणोऽर्हति ॥१००॥

ब्राह्मण का उत्पन्न होना ही पृथ्वी में श्रेष्ठ होता है, क्यों कि सम्पूर्ण जीवों के धर्मरूपी खजाने की रक्षार्थ वह प्रभु है ( अर्थात् धर्म का उपदेश ब्राह्मण द्वारा ही होता है ) ॥९९॥ जो कुछ जगत् के पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मण के हैं । ब्रह्मोत्पत्तिरूप श्रेष्ठता के कारण ब्राह्मण सम्पूर्ण का ग्रहण करने योग्य है । ( यह ब्राह्मण की प्रशंसा है कि सम्पूर्ण को ब्राह्मण अपने सा जाने किन्तु ब्राह्मण यह नहीं समझे कि पराये धन को चोरी आदि से ग्रहण करछूँ । क्यों कि ब्राह्मणों का भी चोरी का दण्ड आगे लिखा है ) ॥१००॥

स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च ।

आनृशंस्याद्ब्राह्मणस्य भुञ्जते हीतरे जनाः ॥१०१॥

“तस्य कर्मविवेकार्थं शेषाणामनुपूर्वशः ।

स्वार्थं भुवो मनुर्धीमानिदं शास्त्रमकल्पयत् ॥१०२॥”

( जो कि ) ब्राह्मण ( दूसरे का भी दिया अन्न ) भोजन करे या ( दूसरे का दिया वस्त्र ) पहिने या ( दूसरे का दिया लेकर और को ) देवे, सो सब ब्राह्मण का अपना ही है । अन्य लोग जो भोजनादि करते हैं वे केवल ब्राह्मण की कृपा से । ( तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण के ६ कर्मों में व्यापारादि करना धन कमाना नहीं कहा, केवल दान और यज्ञ कर्गने आदि कामों में दक्षिणा लेना ही उस की जीविका है । इस पर कोई कदाचित्त यह समझे कि ब्राह्मण सेंट में खावा (मुफ्तखारे) रहे सो नहीं । किन्तु ब्राह्मण

धर्मानुसार सब जगत् को चला कर जगत् का उपकार करता है और इस से अर्थ (धनादि) प्राप्त होते हैं तो एक प्रकार से धर्मोपदेष्टा होनेसे सब जगत् की कमाई का ब्राह्मण प्रधान सहायक होने से किसी को यह न समझना चाहिये कि ब्राह्मण व्यर्थभोजी (मुफ्तखोर) है। किन्तु सब को ब्राह्मण के मुख्यकर्म धर्मोपदेश से जीविका है यही उस की कृपा जानो। परन्तु यह प्रशंसा जन्म-मात्र के ब्राह्मण हुओ की नहीं। ऐसा यथार्थ ब्राह्मण बड़े तप से कभी कठिनता से कोई हो पाता है) ॥१०१॥ 'उस ब्राह्मण के, और शेष क्षत्रियादि के भी कर्म क्रमशः जानने के लिये बुद्धिमान् स्वायम्भुव मनु ने यह धर्म शास्त्र बनाया ॥१०२॥

“विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतव्यं प्रयत्नतः ।

शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ्ज्ञान्येन केनचित् ॥१०३॥

इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः शंसितव्रतः ।

मनोवाग्देहजैर्नित्यं कर्मदोषैर्न लिप्यते ॥१०४॥”

विद्वान् ब्राह्मण को यह धर्म शास्त्र पढ़ना और शिष्यों को पढ़ाना योग्य है। परन्तु अन्य किसी को नहीं ॥१०३॥ इस शास्त्र को पढा इस शास्त्र की आज्ञानुसार कर्म करने वाला ब्राह्मण मन वाणी और देह से उत्पन्न होने वाले पापोंसे लिप्त नहीं होता ॥१०४॥

“पुनाति पंक्ति वन्ध्यांश्च सप्त सप्त परावरान् ।

पृथिवीमपि चैवेमां कृत्स्नामेकोपि सोऽर्हति ॥१०५॥

इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवर्धनम् ।

इदं यशस्यमायुष्यमिदं निःश्रेयसं परम् ॥१०६॥”

‘अपवित्र पांति को ( इस धर्मशास्त्र का जानने वाला ) पवित्र



'कर देता है और अपने वंश के सात पिता प्रपिता आदि और सात पुत्रादि धर्म में इन मन्व १४ को पवित्र कर देता है तथा इस सम्पूर्ण पृथ्वी को भी वह ( लेने ) योग्य है ॥१०५॥ यह शास्त्र कल्याण देने वाला और बुद्धि का बढ़ाने वाला तथा यश का देने वाला और आयु का बढ़ाने वाला है और मोक्ष का भी सहायक है ॥१०६॥'

"अस्मिन्धर्मोऽखिलेनोक्तो गुरोर्दोषो च कर्मणाम् ।

चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्चैव शाश्वतः ॥१०७॥"

'इम ( स्मृति ) में सम्पूर्ण धर्म कहा है और कर्मों के गुरु दोष तथा चारों वर्णों का शाश्वत ( परम्परा से होता आया ) आचार भी कथन किया है ॥१०७॥'

आचार, परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च ।

तस्मादस्मिन्सदायुक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः ॥१०८॥

श्रुति ( वेद ) और स्मृति में उदा हुवा आचार परम धर्म है । इस लिये अपना कल्याण चाहने वाला द्विज मन्व आचारयुक्त रहे ॥१०८॥

आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते ।

आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णकलभाग्भवेत् ॥१०९॥

एवमाचारतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम् ।

सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम् ॥११०॥

आचार से छुटा हुवा विप्र वेद के फल को नहीं पाता और जो आचार से युक्त है, वह सम्पूर्ण के फल का भागी होगा ॥१०९॥  
मुनियों में आचार से धर्म की प्राप्ति इस प्रकार से देख कर धर्म



के परम मूल आचार को ग्रहण किया था ॥११०॥

“जगतश्च समुत्पत्ति संस्कारविधिमेव च ।

व्रतचर्योपचारं च स्नानन्य। च परं विधिम् ॥१११॥

दाराऽधिगमन चैव विवाहानां च लक्षणम् ।

महायज्ञविधानं च श्राद्धकल्पश्च शाश्वतः ॥११२॥”

जगत् की उत्पत्ति ( प्रथम अध्याय में कही है ) और संस्कारों की विधि और ब्रह्मचारियों के व्रतध्याय और स्नान की परम विधि ॥१११॥ तथा गुरु के अभिवादन का प्रकार और उपासनादि (दूसरे अध्याय में लिखे हैं) गुरु के पाम से विद्याभ्यास कर स्त्री गमन और (ब्राह्मदि ८) विवाहों का लक्षण, महायज्ञविधि और श्राद्ध कल्प जो अनादि समय से चला आता है ( तीसरे अध्याय का विषय ) है। ( श्राद्ध को ही 'अनादि काल से सनातन करके लिया है। इस से सूची बनाने वाले की यह शक्ती भूलकती है कि कोई इसे नवीन न समझे )।

“वृत्तीनां लक्षणं चैव ज्ञानकर्म्य व्रतानि च ।

भक्ष्याभक्ष्यं च शौचं च द्रव्याणां शुद्धिमेव च ॥११३॥

स्त्रीधर्मयोगं तापस्यं मोक्षं सन्यासमेव च ।

राज्ञश्च धर्ममश्लिलं कार्याणां च विनिर्णयम् ॥११४॥”

वृत्तियों के लक्षण और स्नातक के व्रत ( चतुर्थ अध्याय में ) भक्ष्य, अभक्ष्य, शौच द्रव्यों की शुद्धि ॥११३॥ स्त्रियों का धर्मोपाय ( पांचवे अध्याय में ) वानप्रस्थ आदि तपस्वियों का धर्म और मोक्ष तथा संन्यास धर्म ( षष्ठाध्याय में ) और राजा का सम्पूर्ण धर्म ( सप्तमाध्याय में ) और कार्यों का निर्णय ( मुकदमों की छानबीन ) ॥११४॥

‘साक्षिप्रश्नविधानं च धर्म स्त्रीसुस्योरपि ।

विभागधर्म द्यूतञ्च कण्टकानां च शोधनम् ॥११५॥

वैश्यशूद्रोपचारं च संकीर्णानां च सम्भवम् ।

आपद्धर्मञ्च वर्णानां प्रायश्चित्तविधिं तथा ॥११६॥”

सान्निप्रश्न ( गवाहो के सवाल ) ( अष्टमाध्याय मे ) स्त्री पुरुष के धर्म, और विभाग ( हिस्सा ) तथा जुगारी चोर इत्यादि का शोधन ॥११५॥ वैश्य शूद्रों के धर्म का अनुष्ठान प्रकार ( नवे अध्याय मे ) वर्णसङ्करों की उत्पत्ति और वर्णों का आपद्धर्म ( दशमाध्याय मे ) और प्रायश्चित्त विधि ( एकादश मे ) ॥११६॥

“संसारगमनं चैव त्रिविधं कर्ममम्भवम् ।

निःश्रेयसं कर्मणां च गुणदोषपरीक्षणम् ॥११७॥

देशधर्माजातिधर्मान्कुलधर्माश्च शाश्वतान् ।

पापण्डगणधर्माश्च शास्त्रेऽस्मिन्नुक्तवान्मनुः ॥११८॥

देहान्तरप्राप्ति जो तीन प्रकार के कर्म ( उत्तम मध्यम अधम ) से होती है और मोक्ष का स्वरूप और कर्मों के गुणदोष की परीक्षा ( द्वादश मे ) ॥११७॥ देशधर्म ( जो प्रचार जिस देश मे बहुत कालसे चला आता है ) और जो धर्म जाति में नियत है और जो कुल परम्परा से चला आता है और पापण्ड ( वेद शास्त्र मे निषिद्ध कर्म ) और गणधर्म इस शास्त्रमे † मनु ने कहे हैं ॥११८॥”

“यथेदमुक्तवान् शास्त्रं पुरा पृष्टो मनुर्नया ।

तथेदं यूयमप्यद्य मत्सकाशान्निबोधत ॥११९॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे ( भृगुप्रोक्तायां संहितायां )

प्रथमाऽध्यायः ॥१॥

† इससे स्पष्ट है कि ये श्लोक अन्य ने सम्पादित करके कभी सूचीपत्र बनाया है ।

“जिस प्रकार मनु जी से पूर्व मैंने पूछा तब यह शास्त्र उन्होंने उपदेश किया। उसी प्रकार अब आप मुझ से सुनिये ॥”

(१०२ वां श्लोक इस पुस्तक के सम्पादक का वचन है। मनु का नहीं। यह श्लोक ही से स्पष्ट पाया जाता है। १०३ में इस ग्रन्थ पर ब्राह्मणों का अधिकार जमाना पक्षपात है। अन्यत्र यह कही नहीं लिखा कि स्मृति पर ब्राह्मणों का ही अधिकार है। जो ग्रन्थ शत्रु को वेदाध्ययन का निषेध भी लिखते हैं वे भी शत्रु को स्मृति पढ़ने का निषेध नहीं करते और द्विज मात्र को तो वेदों का अधिकार में भी कोई नवीन या प्राचीन ग्रन्थ निषेध नहीं करता फिर यह पक्षपात नहीं तो क्या है। १०४ वे में इस ग्रन्थ के पढ़ने से पापों का नाश लिखा है और कर्म दोष न लगना कहा है। यह भी ग्रन्थ की अत्युक्ति करने प्रशंसा है ॥ १०५, १०६ में भी यही बात है ॥ १०७ वें श्लोक में भी इस ग्रन्थ के सम्पादक ने इस ग्रन्थ का सूचीपत्र आरम्भ किया, परन्तु १०८ से ११० तक ३ श्लोकों में धर्मशास्त्र की आज्ञा है और १११ से फिर सूचीपत्र है जो ११८ तक चला गया है ॥ ११९ में पुस्तक का सम्पादक कहता है कि मैंने मनु से जैसे सुना वैसे मैं आपको सुनाता हूँ। सो सम्पादक का मनु के समकाल होना तो असम्भावित है। हाँ मनु के धर्मशास्त्र से जो कि पूर्व सूत्ररूप में था इस भद्रपुरुष ने उस मूल से आशय लिया हो और वही मनु से सुनना समझा जाय तो दूसरी बात है) ॥११९॥

इति श्रीतुलसीरामभ्यामिदृते मनुस्मृतिभाषानुवादे  
प्रथमोऽध्याय ॥१॥



० प्रो० ५

## ॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥

विद्वद्भिः सेवितः गद्भिर्नित्यमद्वेषगामिभिः ।  
हृदयेनाभ्यनुजाता यो धर्मस्तं निबोधत ॥१॥  
कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहाम्न्यकामता ।  
काव्येहि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिक ॥२॥

वेद के जानने वाले और वेदों से रहित मनामाओं ने जिस धर्म का नेवन किया और ऋषय से जिनको अच्छे प्रकार जाना उस धर्म को गुनो ॥१॥ न तो कामात्मा होना और न केवल नित्यकाम होना ही अच्छा है क्योंकि वेद की प्राप्ति और वेदान्त कर्मानुष्ठान कामना करने के ही योग्य हैं ॥२॥

संकल्पमूलः कामाद्यै व्रतः संकल्पसंभवा ।  
व्रतानि यमश्चर्मण्य सर्वे संकल्पजा म्मताः ॥३॥  
अकामस्य क्रियाकाचिद्दृश्यतेनेह कर्हिचित् ।  
यद्यद्वि कुरुते किञ्चित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥४॥

( इस कर्म से वह इष्ट फल प्राप्त होगा, इसके संकल्प कहते हैं फिर जब पूरा विश्वास होता है तब ) संकल्प से उसके करने की इच्छा होती है । यद्यपि सब संकल्प ही से होते हैं और व्रत, नियम, धर्म, ये सब संकल्प ही से होते हैं ( अर्थात् संकल्प बिना कुछ भी नहीं होता ) ॥३॥ लोक से भी कोई क्रिया ( भोजन गमन आदि ) बिना इच्छा कभी देखने में नहीं आती, इस कारण जो कुछ कर्म पुरुष करता है, वह सम्पूर्ण काम ही से करता है ॥४॥

तेषु सम्यग्वर्तनानो गच्छत्यमरलोकताम् ।

यथा सङ्कल्पितांश्चेह सर्वान्कामान्समश्नुते ॥५॥  
 वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् ।  
 आचारश्चैव साधुनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥६॥

जब शास्त्रोक्त कर्मों में अच्छे प्रकार आचरण करने वाला अभरलोकता अर्थान् अविनाशी भाव का प्राप्त होता है और जोर-यह सङ्कल्प करता है वह २ सम्पूर्ण पदार्थ भी प्राप्त होते हैं ॥५॥ सम्पूर्ण वेद धर्ममूल है और वेद के जानने वालों की स्मृति तथा शील भी धर्ममूल हैं। इसी प्रकार साधुजनों का आचार और आत्मा का सन्तोष भी धर्ममूल है ॥ ६ ॥

‘य कश्चित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः ।

स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयोहि स’ ॥७॥”

“जिस वर्णके लिये जो धर्म मनु ने कहा है वह सम्पूर्ण वेदमें कहा है क्योंकि वेद सब विद्याओं का भण्डार है अर्थान् सम्पूर्ण वेद को जान कर यह स्मृति बनाई। इससे सब स्मृतियों से इसकी उद्धृता दिखाई है ॥”

(इस ७ वे श्लोक में ग्रन्थ के सम्पादक ने मनु की प्रशंसा और वेदानुकूलता पुष्ट की है) ॥ ७ ॥

सर्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा ।

श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्स्वधर्मे निविशेत् वै ॥८॥”

(ग्रन्थकार कहता है कि) विद्वान् को चाहिये कि इस सब धर्मशास्त्र को ज्ञान की आग्य से वेद के प्रमाण से जांचे और अपने धर्म में श्रद्धा करे ॥ ८ ॥

श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः ।

इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥६॥

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ।

ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मोहि निर्वभौ ॥१०॥

वेद और स्मृतियों में कहे धर्म को जो मनुष्य करता है उसकी यहाँ कीर्ति होती है और परलोक में अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है ॥१॥ श्रुति वेद है और ( मन्वादिकों का ) धर्मशास्त्र स्मृति है। ये दोनों सम्पूर्ण अर्थों में निर्विवाद हैं, क्योंकि इनसे धर्म का प्रकाश हुआ है ॥१०॥

योऽवमन्येतं ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्द्विजः ।

स सांघुभिर्वहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥११॥

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥१२॥

जो द्विज कुतर्कादि से इन ( धर्ममूलों ) का अपमान करे वह साधुओं को निकाल देने योग्य है, क्योंकि वेदनिन्दक नास्तिक है ॥११॥ वेद=श्रुति, स्मृति ( मन्वादिकों की ) सदाचार शीलादि और अपना सन्नाप; यह चार प्रकार का साक्षान् धर्मलक्षण ( मुनि लोग ) कहते हैं ॥ १२ ॥

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।

धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥१३॥

श्रुतिद्वयं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ ।

उभात्रापि हि तौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीषिभिः ॥१४॥

अर्थ और काम में जो पुरुष नहीं फँसे हैं, उनके धर्मोपदेश

का विधान है और जो पुरुष धर्म जानने की इच्छा रखते हैं उन को परम प्रमाण वेद है ॥१३॥ श्रुतियों के जहां दो प्रकार हों (अर्थात् भिन्न २ अर्थ का प्रतिपादन हो) वहां वे दोनों (तुल्य बल के कारण) ही धर्म हैं, दोनों विचल्यसे अनुष्ठेय हैं। यह ऋषियों ने कहा है ॥ १४ ॥

उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा ।

सर्वथा वर्चते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥१५॥

निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः ।

तस्य शास्त्रोधिकारोऽस्मिन्त्रैयोनान्यस्य कस्यचित् ॥१६॥

(पूर्व जो कहा कि श्रुतिभेद दोनों माननीय हैं; उसको यहां दिखाते हैं, जैसे-) उदित समय में अर्थात् सूर्य के प्रादुर्भाव के समय में, अनुदित उसके विरुद्ध और समयाध्युषित अर्थात् सूर्य नक्षत्र रहित काल में सर्वथा यज्ञ (होम) होता है। यह वैदिकी श्रुति है अर्थात् वेदमूलकवाक्य सुनते हैं ॥ (श्लोक १५ के आगे ३० प्रकार के पुस्तकों में से ३ में ये दो श्लोक अधिक पाये जाते हैं -

[श्रुतिं पश्यन्ति मुनयः स्मरन्ति तु यथास्मृति ।

तस्मात्प्रमाणां मुनयः प्रमाणां प्रथितं भुवि ॥१॥

धर्मव्यतिक्रमोदृष्टः श्रेष्ठानां साहसं तथा ।

तदन्वीक्ष्य प्रयुञ्जानाः मीढन्त्यगरधर्मजाः ॥२॥]

हमारा तात्पर्य इनके लिखने से यह है कि लोग यह जान लें कि मनुस्मृति में पाठों की अधिकता अवश्य होती आई है ॥१॥ गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टिपर्यन्त जिस कर्म की वेदोक्त मन्त्रों से विधि कही है उस कर्मका अधिकार (प्रकरण) इस (मानवधर्मशास्त्र)



में जानिये. अन्य किसीका नहीं ॥ १६ ॥

सरस्वतीदृषद्वत्योर्देवनघोर्यदन्तरम् ।

तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते ॥१७॥

तस्मिन्देसे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः ।

वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥१८॥

सरस्वती और दृषद्वती इन देवन्दियों के मध्य में जो देश है वह देवताओं से बनाया गया है उस को ब्रह्मावर्त कहते हैं ॥१७॥ उस देश में परम्परा से प्राप्त जो वर्णों ( अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ) और वर्णसङ्घरो का आचार है, उस को सदाचार ( सदा का आचार ) कहते हैं ॥ ( १८ वें के आगे एक श्लोक वेदातिथिके भाष्य में पाया जाता है, अन्यत्र कहीं नहीं । वह यह है

[ विरुद्धा च विगीता च दृष्टार्थादिष्टकारणे ।

स्मृतिर्न श्रुतिमूलास्याद्या चैपाऽसम्भवश्रुतिः ॥१॥ ]

इस से हमारा सन्देह पुष्ट होता है कि मनु ने कुछ पीछे की मेलानुष्ठान अवश्य है और वेदविरुद्ध स्मृतियों का होना भी इससे पार्या जाता है ॥१८॥

कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः ।

एष ब्रह्मर्षिदेशो वै ब्रह्मावर्त्तादनन्तरः ॥१९॥

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिञ्जेन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥२०॥

कुरुक्षेत्र और मत्स्य देश, पञ्चाल और शूरसेनक-यह ब्रह्मर्षि देश है जो ब्रह्मावर्त्त से समीप है ॥१९॥ इन (कुरुक्षेत्राः)

देशों में उत्पन्न ब्राह्मण से पृथिवी के सम्पूर्ण मनुष्य अपने २ कामों की शिक्षा पावे ॥२०॥

हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्ये यत्प्राग्विनशनादपि ।

प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥२१॥

आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् ।

तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावत्तं विदुर्बुधाः ॥२२॥

हिमवान् और विन्ध्याचल के बीच जो सरस्वती के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम में देश है, उसे मध्यदेश कहते हैं ॥२१॥ पूर्वसमुद्र से पश्चिमसमुद्र तक और हिमाचल से विन्ध्याचल के बीच में जो देश है, उसको विद्वान लोग आर्यावत्त कहते हैं ॥२२॥

कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः ।

स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥२३॥

एतान् द्विजातयो देशान् मंथयेरन् प्रयत्नतः ।

शूद्रस्तु यस्मिन्करिमन्वा निवसेद्भृत्तिं हर्षितः ॥२४॥

कृष्णसार मृग जहां स्वभावसे विचरता है ( अर्थात् बलात्कार से न छोड़ा हो ) वह यज्ञिय देश है (अर्थात् यज्ञ करने योग्य देश) इस से परे जो देश है, वह म्लेच्छ देश है ॥२३॥ इस देश को द्विजाति लोग प्रयत्न के साथ आश्रय करें और शूद्र चाहे किसी देश में, भृत्तिपीडित, हुवा निवास करे ।

( यद्यपि धर्मानुष्ठान मनुष्य के अधीन है देश के अधीन नहीं तथापि जिस देश में धर्मात्मा लोग अधिक रहते हैं, वहां धर्मानुष्ठान में बाधा कम होती है और धर्मानुष्ठान के साधन सुगमता से मिलते हैं, इस लिये देश का धर्म से सम्बन्ध हो जाता है । पूर्वजों ने स्वाभाविक (नेचुरल) रीति पर भी इस देश को अच्छा और

यज्ञादि धर्मानुष्ठान के लिये उत्तम जान कर यहाँ ही रहना म्बीकार किया था । इसी में मनु ने १७ से २३ श्लोक तक धर्म के उपयोगी देशका वर्णन किया है और २३ वे में तो यज्ञयोग्य देशकी पहचान ही बतलाई है कि ' कृष्णमार " मृग (जिस का चर्म ऊपर से काला होता है) जिस देश में म्बभाव से उत्पन्न हो और विचरे उस देश को जाना कि यह यज्ञयोग्य देश है । इसमें वे चूँटी उत्पन्न होती हैं जिन से यज्ञानुष्ठान होता है ) ॥२४॥

एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता ।

संभवश्चास्य सर्वस्य वर्णधर्मान्निबोधन ॥२५॥

वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निपेकादिद्विजन्मनाम् ।

कार्यः शरीरसंस्कारः पावन- प्रेत्य चेह च ॥२६॥

यह धर्म की योनि ( अर्थान् जानने का कारण ) और इस सब ( जगत् ) की उत्पत्ति तुमसे मन्त्रों से कही, अब वर्णधर्मों को सुनो ॥२५॥ वैदिक जो पुरय कर्म हैं उन से ब्राह्मणादि तीन वर्णों का (गर्भाधानादि) शरीर संस्कार, जो दोनें लोकमें पवित्र करने वाला है, करना चाहिये ॥२६॥

गार्भे हेमिर्जातकर्मचौडमौञ्जीनिवन्धनैः ।

वैजिकं गार्भिकं चैना द्विजानामपमृज्यते ॥२७॥

स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ २८ ॥

गर्भाधान संस्कार जातकर्म चूड़ाकर्म और मौञ्जीबन्धन इनमें के होमों से द्विजों के गर्भ और बीज के दोषादि की शुद्धि होती है ॥२७॥ वेदत्रयीका पढ़ना, व्रत होम, इज्याकर्म, पुत्रोत्पादनादि तथा पञ्च महायज्ञों, और यज्ञोंसे यह तनु ब्राह्मी होता है । (होम=पर्वादि

समय का । इज्या=अग्निप्रोमादि । यज्ञ=पौराणमासादि । व्रत=सत्य भाषणादि ) ॥२८॥

ग्राह्णाभिवर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते ।  
मन्त्रवत्प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसर्षिपाम् ॥२९॥  
नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वाऽस्य कारयेत् ।  
पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥३०॥  
मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्यात्क्षत्रियस्य चलान्वितम् ।  
वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम् ॥३१॥  
शर्मवद्ब्राह्मणस्य स्याद्राज्ञां रक्षासमन्वितम् ।  
वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतम् ॥३२॥

नाभि छेदन के पूर्व पुरुष का जातकर्म संस्कार करे और गृह्योक्त वेदमन्त्रो रो सुवर्ण मधु, घृत का प्राशन करावे ( चढावे ) ॥२९॥ दशमे या वारहमे दिन नामकरण करे अथवा जब शुद्ध तिथि मुहूर्त (दि घडी) नक्षत्र हो ॥ (इसका तात्पर्य साफ दिन और समय से है, जिसमे मेघाच्छादि दुर्दिन न हो) ॥३०॥ सुखवाचक शब्दयुक्त ब्राह्मणका नाम हो क्षत्रिय का चलयुक्त, वैश्यका धनयुक्त शूद्रका दास्ययुक्त नाम होवे ॥३१॥ ब्राह्मण के नाम शर्मा, क्षत्रिय के वर्मादि, वैश्य के भूतियुक्त और शूद्र के दासयुक्त रखे ॥३२॥

स्त्रीणां सुखोद्यमक्रूरं विस्पष्टार्थं मनोहरम् ।  
मङ्गल्यं दीर्घवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत् ॥३३॥  
चतुर्थे मासि कर्तव्यं शिशोर्निष्क्रमणं गृहात् ।  
पण्डेऽन्नप्राशनं मासि यद्दष्टं मङ्गलं कुले ॥३४॥





और स्त्रियों के नाम सुख में उच्चारण करने योग्य हों। क्रूर न हों जिसके अक्षर स्पष्ट हों और प्रीति का देने वाला और मङ्गलवाची, दीर्घ न्वर जिसके अन्त में हो और घ्राशीर्वात्मक शब्द से युक्त हो, गंगा रक्खे (जैसे यशोदा देवी इत्यादि) ॥३३॥ चतुर्थ मास में बालक को घर से बाहर निकालने का संस्कार और छठे मास में अन्नप्राशन संस्कार करावे वा जिन प्रकार कुलाचार हो, उस समय करे ॥३४॥

चूडाकर्म द्विजातीन मर्वेषामेव धर्मतः ।

प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात् ॥३५॥

गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् ।

गर्भादिकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः ॥३६॥

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का चूडाकर्म धर्मानुसार प्रथम वा तीसरे वर्ष में वेद की आज्ञा से करना चाहिये ॥३५॥ गर्भ में अष्टम वर्ष में ब्राह्मण का और गर्भ में एकादश में क्षत्रिय का और द्वादश में वैश्य का उपनयन करे ॥३६॥

ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य एञ्चमे ।

राज्ञो वलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे ॥३७॥

आपोडशाद्ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते ।

आद्द्विशात्क्षत्रवन्धोराचतुर्गिंशतेर्गिराः ॥३८॥

वेदाध्ययन के अर्थ ज्ञानादिसे बड़ा तेज ब्रह्मवर्चस कहाता है। उसकी इच्छा करने वाले विप्र का पांचवें वर्षमें उपनयन करे और वलार्थी क्षत्रियका छठे वर्ष और कृष्यादि कर्मकी इच्छा वाले वैश्य का ८ वें में उपनयन करे ॥३७॥ सोलह वर्ष पर्यन्त ब्राह्मण की

सावित्री नहीं जाती और क्षत्रिय की चाईस वर्ष पर्यन्त, वैश्य की २४ वर्ष पर्यन्त (अर्थात् उपनयन कालकी यह परमावधि है) ॥३८॥

अत ऊर्ध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः ।

सावित्रीपतिता ब्राह्म्या भवन्त्यार्यविगर्हिताः ॥३९॥

नैतैरपूतैर्विविधपद्यपि हि कर्हिचित् ।

ब्राह्मणान्यौनाञ्च संबन्धानाचरेद्ब्राह्मणः सह ॥४०॥

इसके उपरान्त ये तीनों सावित्री पतित हो जाते हैं। अपने २ काल में उपनयन से रहित होने से इनकी संज्ञा 'ब्राह्म्या' होती है और शिष्टोंसे निन्दित होते हैं ॥३९॥ इन अपवित्र ब्राह्म्यो के साथ जिनका प्रायश्चित्तादि विधिपूर्वक नहीं हुआ, आपत्काल में भी ब्राह्मणादि विद्या वा योनि का सम्बन्ध न करे ॥४०॥

काष्णसौरवशास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः ।

वसीरन्नानुपूर्व्येण शाणक्षौमाविकानि च ॥४१॥

मौञ्जी त्रिवृत्समा श्लक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला ।

क्षत्रियस्य तु मौर्वीज्या वैश्यस्य शणतान्तवी ॥४२॥

कृष्णमृग, रुरु मृग, अज इनके चर्मों का वस्त्र ३ वर्ण के ब्रह्मचारी क्रमशः 'रक्त्वे' और सन, क्षौम (अलसी) तथा ऊन का भी ॥४१॥ ब्राह्मण की मेखला तिलड़ी और चिकनी सुखस्पर्शवाली मञ्ज की और क्षत्रिय की मूर्वा तृण से धनुष के गुण सी और वैश्य की सन के डारे की वनावें ॥४२॥

मुञ्जालाभे तु कर्तव्या कुशाश्मन्तकवल्जैः ।

त्रिवृता ग्रन्थिनैकेन त्रिभिः पञ्चाभरेव वा ॥४३॥



कार्पासमुपवीतं स्याद्विप्रस्योर्ध्वं वृतं त्रिवृत् ।

शण्मूत्रमयं राज्ञो वैश्यस्याविकर्मात्रिकम् ॥४४॥

मूञ्ज के न मिलने पर कुश, अश्मन्तक, बल्वज वृणो की क्रम से तीनों वर्णों की संख्या तीन लड़ वाली १ या ३ या ५ ग्रन्थि लगा कर बनाये ॥४३॥ कर्पास का जनेक ब्राह्मण का ऊपर को वटा हुआ और त्रिगुण (३ लड़) होने और सन के डारं का क्षत्रिय का और वैश्य का भेड़ की ऊन का हों ॥४४॥

ब्राह्मणो वैश्वपालाशो क्षत्रियो वाटखाटिरो ।

पैप्पलांदुम्बरो वैश्यो दण्डानर्हन्ति धर्मतः ॥४५॥

केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः ।

ललाटममिताराज्ञः स्यात्तु नामान्तिकोविशः ॥४६॥

ब्राह्मण बेल वा पलाश के दण्ड, क्षत्रिय बट वा खटिरे के तथा वैश्य पीपल वा गुलर के दण्ड. क्रम से सब धर्मानुसार बनावें ॥ (इस श्लोक में नन्दन टीकाकार ने ब्राह्मणादि ग्रन्थों के प्रमाण देकर बिल्वादि के साथ ब्राह्मणादि की समानता दिखाई है। वह लिखता है कि—अर्थात् आदित्यो यतो जायत ततो बिल्वं लदतिष्ठत स योन्यैव ब्रह्मवर्चममवरुन्धे इति श्रुते. = अर्थात् जिस कारण की प्रधानता से सूर्य बना है, उसी से बिल्व का वृक्ष भी उपजा है, इसलिये वह जन्मसे ही ब्रह्मवर्चस का प्रभाव (असर) धारण करता है। इस कारण ब्राह्मण बेलका दण्ड धारण करे। २-तदुक्तमंतरेयब्राह्मणे क्षत्रं वा एतद्वनस्पतीनां यन्न्यग्रोधः । क्षत्रं वै राजन्य इति = अर्थात् एतरेय ब्राह्मण में यह लिखा है कि बट वृक्ष वनस्पतियों में क्षत्रिय है। क्षत्रिय राजा है। इसलिये क्षत्रिय बट का दण्ड रखे। ३-मरुतोवा एतदेजो यदश्वत्थ । मरुतोवै



देवानां विशः इति श्रुतेः अर्थान् अश्वत्थ (पीपल) वायु के बलसे प्रधानता से युक्त है और वायु दंतों का वैश्य है, क्योंकि देवताओं के हव्य पदार्थ इधर उधर लेचलना है। जैसे वैश्य लोग भोजनादि के अन्नादि एक देश से दूसरे देश में ले जाते हैं। इसलिये वैश्य पीपल का दण्ड बनावे। इसके अतिरिक्त अन्य जिन वृक्षों वा वृणों के दण्ड वा मेखला का विधान है उनमें भी उस वर्ण के साथ किसी स्वाभाविक समानताका अनुमान होता है, जो ब्राह्मण श्रन्थों के खोजने से मिल सकता है। किन्हीं पुस्तकों में "पैलबौ-दुम्बरौ" भी पाठ है ॥४५॥ ब्राह्मण का केशान्तिक अर्थात् शिर कं बाल तक लम्बाई का दण्ड होवे और ललाट तक क्षत्रिय का तथा वैश्याका दण्ड नाक तक लम्बा होवे ॥४६॥

ऋजवस्ते तु सर्वे स्युरव्रणाः सौम्यदर्शनाः ।

अनुद्गकरा नणां सत्वचोनाग्निदूषिताः ॥४७॥

प्रतिगृह्ये प्सितं दण्डमुपस्थाय च भास्करम् ।

प्रदक्षिणां परीत्याग्निं चरेद्भक्षं यथाविधि ॥४८॥

और वे मव ( दण्ड ) सीधे हों, कटे न हों, देखने में सुन्दर हों तथा मनुष्यों को डरावने न हों, बल्कलसहित हों और आग से जले न हों ॥४७॥ यथेष्ट दण्ड को ग्रहण करके और आदित्य के सम्मुख स्थित होकर अग्नि को प्रदक्षिणा देकर यथाविधि भिक्षा करे ॥४८॥

भवत्पूर्वं चरेद्भक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः ।

भवन्मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम् ॥४९॥

मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम् ।

भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चैनं नावमानयेत् ॥५०॥

उपनीत ब्राह्मण भवन् शब्द को प्रथम उच्चारण करके भिक्षा करे। क्षत्रिय भवन् शब्द को मध्य में, वैश्य अन्त में ( अथान् ब्राह्मण-‘भवती भिक्षां ददातु’ इस प्रकार उच्चारण करे। क्षत्रिय ‘भिक्षां भवती ददातु’, वैश्य-‘भिक्षां ददातु भवती’ इस प्रकार तीनों का क्रम है ॥४९॥ प्रथम माता से भिक्षा मागे या माँसी या अपनी भगनी से और जो कोई इसका अपमान न करे ॥५०॥

समाहृत्य तु तद्भक्षं यावदर्थममायया ।

निवेद्य गुरुवेऽशनीयादाचम्य प्राङ्मुखः शुचिः ॥५१॥

“आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते यश्चम्य दक्षिणामुखः ।

श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुङ्क्ते ऋतं भुङ्क्ते द्युङ्मुखः ॥५२॥”

यह भिक्षा लाकर निष्कपट होके गुरु को तृप्ति भर देकर आप आचमन करके पूर्वाभिमुख होकर भोजन करे ॥५१॥ “आयु के हित के लिये पूर्वाभिमुख होकर यज्ञ के अर्थ दक्षिण की ओर होकर, सम्पत्ति के निमित्त पश्चिम और सत्य चाहे तो उत्तर की ओर मुख करके भोजन करे ॥५२॥”

(पूर्वादि दिशाओं का आयु आदि के साथ कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। केवल किन्हीं टीकाकारों ने इसे काम्य वचन कहा है। यदि उनका कहना माने तो आयु आदि की कामना वाले क्रमशः पूर्वादि नियत दिशाओं में मुख करके भोजन किया करें, यह मानना होगा। ब्रह्मचारी के कर्तव्यों में यह कोई आवश्यक भी कर्तव्य नहीं। इस लिये हम को यह श्लोक प्रक्षिप्त सा प्रतीत होता है और इस से आगे एक अन्य श्लोक है, जो कि उज्जैन के (आठवले) नाना माहेश्वर के रामचन्द्र टीकायुक्त पुस्तक और पूना के (जोशी) बलवन्तराव के मूल पुस्तक में पाया जाता है।



तथा प्रयाग के ( मुन्शी ) हनुमानप्रसाद जी के मूल पुस्तक में ( \*श्रुतिनोदितम् ) पाठभेद है। शेष २७ पुस्तकों में नहीं पाया जाता। इस से जान पड़ता है कि थोड़े समय से ही बढ़ाया गया है। तथा रामचन्द्र टीकाकार के अतिरिक्त शेष ५ में से किसी ने भी इस पर टीका नहीं की, और रामचन्द्र सबसे अन्तिम समयके टीकाकार हैं। इस से भी प्रतीत होता है कि मेधातिथि आदि रामचन्द्र से पुराने टीकाकारों के समय में यह श्लोक न था, जिस का पाठ इस प्रकार है :—

[ सायं प्रातद्विजातीनामशनं रमृति (\*श्रुति) नोदितम् ।  
नान्तरे भोजनं कुर्यादग्निहोत्रसर्माविधिः ॥५२॥ ]

इस का अर्थ यह है कि द्विजां को ( श्रुति वा ) स्मृति ने सायं, प्रातः दो बार भोजन की आज्ञा दी है। बीच में भोजन न करे। इस की विधि अग्निहोत्र के समान है। यद्यपि हम को इस में कोई वुराई नहीं प्रतीत होती, परन्तु यह श्लोक नवीन समय का है और कुछ आश्चर्य नहीं कि वह पहला श्लोक जो अब सब पुस्तकों और टीकाओं में उपस्थित है वह भी कुछ पुराने समय में मिलाया गया हो ) ॥५२॥

उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्नमद्यात्समाहितः ।

भुक्त्वा चोपस्पृशेत् सम्यगद्भिः खानि च संस्पृशेत् ॥५३॥

पूजयेदशनं नित्यमद्याच्चैतदकुत्सयन् ।

दृष्ट्वा हृष्येत्प्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सर्वशः ॥५४॥

ब्राह्मणादि नित्य आचमनादिक करके एकाग्र हो, भोजन करे। भोजन करने के पश्चात् भी भले प्रकार आचमन करे और चक्षुरादि का जल से स्पर्श करे ॥५३॥ और भोजन के समय

अन्न का प्रति दिन संस्कार करे निन्दा न करके भोजन करे और देव के हट्ट, प्रनत्र होवे और सर्वथा प्रशाना करे ॥५४॥

पूजितं ह्यशनं नित्यं बलमूर्जं च यच्छति ।

अपूजितं तु तद्भुक्तमुभयं नाशयेद्विदम् ॥५५॥

नोच्छिष्टं कस्यचिद्दद्यान्नाद्याचैव तथान्तरा ।

न चैवाध्यशनं कुर्यान्न चोच्छिष्टः क्वचिद् व्रजेत् ॥५६॥

संस्कृत अन्न वीर्य का देता है और असंस्कृत, बल, मामर्थ्य इन दोनों का नाश करता है ( इसलिये संस्कार करके भोजन करना चाहिये ) ॥५५॥ उच्छिष्ट अन्न किसी को न दे भोजन के बीच में ठहर कर भोजन न करे, अधिक भोजन भी न करे और उच्छिष्ट कहीं गमन न करे ॥५६॥

अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यं चातिभोजनम् ।

अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥५७॥

ब्राह्मेण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पृशेत् ।

कायत्रैदशिकाभ्यां वा न पित्र्येण कदाचन ॥५८॥

अति भोजन करना आरोग्य, आयु तथा सुख नहीं देता, पुण्य भी नहीं होता और लोगों में निन्दा होती है, इस लिये अति भोजन न करे ॥५७॥ विप्र सर्वदा ब्राह्मतीर्थ से आचमन करे अथवा प्राजापत्य वा देवतीर्थ से करे, परन्तु पित्र्यतीर्थ से कभी न करे ॥५८॥

( हाथ ने काम करने के वा आचमन करने के वा आहुति छोड़ने के चार ( तीर्थ ) उतारने के स्थान हैं। उन में ब्राह्मादि उत्तरोत्तर अच्छे हैं। अर्थान् सुगमता से काम कर सकने योग्य

हैं। पि यतीर्थ से आचमन न करने का हेतु वेदङ्गापन है ; क्योंकि अगले श्लोक में तर्जनी अंगुलि और अंगुठे के नीचे के स्थान को पित्र्यतीर्थ कहा है उस में आचमन करना अत्यन्त कठिन होने से वर्जित है। वह तीर्थ अग्नि में पित्र्य आहुति देने के लिये (सुगम पड़ता है)।

अङ्गुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचक्षते ।

कायमङ्गुलिमूलेऽग्रे दैवं पित्र्यं तथोरधः ॥५६॥

त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम् ।

खानि चैव स्पृशेदद्विरात्मानं शिर एव च ॥६०॥

अङ्गुष्ठमूल के नीचे ( कलाई ) को ब्राह्मतीर्थ कहते हैं और कनिष्ठा अंगुलि के मूल में कायतीर्थ और उसी के अप्रभाग में देवतीर्थ और अङ्गुष्ठ तथा तर्जनी के मध्य में पित्र्य तीर्थ है। ( यज्ञादि में आहुति आदि कामों के विभागार्थ यह कल्पना की होती है। विशेष प्रयोजन कुछ नहीं जान पड़ता ) ॥५९॥ प्रथम जलसे तीन बार आचमन करे, अनन्तर दो बार मुख धोवे, पश्चात् इंद्रियो, शिर और हृदय का जल से स्पर्श करे ॥६०॥

अनृणाभरफेनाभिर्द्विस्तीर्थेन धर्मत्रित् ।

शौत्रेषुः सर्वदाचामेदेकान्ते प्रागुदङ्मुखः ॥६१॥

हृद्गामिः पूयते विप्रः कण्ठगामिस्तु भूमिपः ।

नैश्वेद्विः प्राशितामिस्तु शूद्रः स्पृष्टामिरन्ततः ॥६२॥

फेनरहित शीतल जल से पवित्र होने की इच्छा करने वाला धर्मज्ञ एकान्त में पूर्व या उत्तर को मुख करके आचमन करे ॥६१॥ ( वह पूर्वोक्त आचमन का जल ) हृदय में पहुँचने से ब्राह्मण





पवित्र होता है ; कण्ठ में प्राप होने से क्षत्रिय और मुख में पहुँचने से वैश्य तथा स्पर्शमात्र से शूद्र पवित्र होता है ॥६२॥

उद्धते दक्षिणे पाणावुपवीत्मुच्यते द्विजः ।

सव्ये प्राचीन आवीती निवीती कण्ठसज्जने ॥६३॥

मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम् ।

अप्सु ग्रास्य विनष्टानि गृणीतान्यानि मंत्रवत् ॥६४॥

दक्षिण हाथ को बाहर निकालने ( बायें के ऊपर जनेऊ कर लेने ) पर द्विज उपवीती कहाता हैं । इसके विपरीत करने पर प्राचीन आवीती, और जनेऊ कण्ठ से लगा हो तब 'निवीती' कहाता है ॥६३॥ मेखला और मृगचर्मादि तथा दण्ड जनेऊ और कमण्डलु, इन दूटे हुवां को पानी में डाल कर और नर्बान को मन्त्र पढ़ कर ग्रहण करे ॥६४॥

केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते ।

राजन्यवन्धोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्वयधिके ततः ॥६५॥

“अमन्त्रिका तु कार्येयं स्त्रीणामावृद्धशेषतः ।

संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम् ॥६६॥”

ब्राह्मण का केशान्त संस्कार सोलहवें वर्ष में करे और क्षत्रिय का २२ बार्डसवें में तथा उससे २ अधिक ( २४ चौबीसवें वर्ष ) में वैश्य का ॥६५॥ यह (जातकर्मादि) सम्पूर्णा कार्य उक्त काल और क्रम से शरीर के संस्कारार्थ स्त्रियों के अमन्त्रक करे अर्थात् स्त्रियों के इन संस्कारों में वेदोक्त मन्त्र न पढ़े ॥६६॥

“वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः ।

पतिसेवा गुरौ वासे गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया ॥६७॥”



एष प्रोक्तो द्विजातीनामौपनायनिको विधिः ।

उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः कर्मयोगं निबोधत ॥६८॥

"स्त्रियों के विवाहसम्बन्धी जो विधि है, वही केवल वेदोक्त कही है और पतिसेवा = गुरुकुलवास, गृहकृत्यादि = सायंप्रातर्होम है ॥" ( ६६ वें श्लोक का यह कहना तो ठीक है कि स्त्रियों के भी गर्भाधान से लेकर केशान्त संस्कार पर्यन्त सब संस्कार करने चाहिये, परन्तु इसके लिये किसी प्रथक विधान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तीनों वर्णों के जो जो संस्कार पूर्व कहे आये हैं, वे सब कन्या और पुत्र दोनों ही के हैं । पुल्लिङ्ग निर्देश अविवक्षित है । अर्थात् वक्ता का तात्पर्य वर्णमात्र में है, चाहे कन्या हो वा पुत्र । जैसे कोई कहे कि ( योत्राऽऽगमिष्यति स मृत्युमाप्स्यति = जो यहां आवेगा वह मर जायगा ) इस दशा में यद्यपि पुल्लिङ्ग का निर्देश है, परन्तु कहने वाले का तात्पर्य स्त्री पुरुष दोनों से है । अथवा वैदिक शास्त्र में पुल्लिङ्ग करके निर्देश करने हुये जो सामान्य विधि निषेध किये हैं, वे सब स्त्री पुरुष दोनों को समझे जाते हैं । ऐसे ही जो साधारण संस्कार हैं वे सब स्त्री पुरुषों के एक से और एक ही विधिवाक्य से विहित समझने चाहिये और कन्याओं के विवाह संस्कार को छोड़ कर अन्य संस्कारों में वेदमन्त्र पढ़ने का निषेध भी प्रक्षिप्त है । जहां तक हमने देखा और विचारा है, वहां तक वेदों में कहीं यह निषेध नहीं पाया जाता । इसलिये ६६। ६७ श्लोक स्त्री जाति के विद्वेषी अन्य मतों के संसर्ग से प्रक्षिप्त जान पड़ते हैं । तथा ६५ वें श्लोक को ६८ वें श्लोक के साथ मिला कर पढ़िये तो ठीक सम्यन्व चला जाता है ) ॥६७॥ यह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यका उपनयन सम्बन्धी विधि कहा । यहविधि जन्मका जतलाने वाला और पवित्रकारक है ( अब आगे ) कर्त्तव्यको सुनो ॥६८॥

उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छौचमादिनः ।  
 आचारमग्निकार्यं च संध्योपाम्नमेव च ॥६६॥  
 अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तो यथाशास्त्रमुदङ्मुखः ।  
 ब्रह्माञ्जलिकृतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः ॥७०॥

गुरु उपनयन कराकर शिष्य के प्रथम शौच, आचार साथ प्रात होम तथा संध्योपाम्न निस्त्रावे ॥६६॥ पढ़ने वाले शिष्य के शास्त्र विधि से आचमन करके हाथ जोड़ कर उत्तर मुख हो, हलका वस्त्र पहिर, जितेन्द्रिय होकर पढ़ना चाहिये ॥७०॥

ब्रह्मारम्भेऽवसाने च पादौ ग्राह्यौ गुरोः मदा ।  
 मंहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः ॥७१॥  
 व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहणं गुरोः ।  
 सव्येन सव्यः स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥७२॥

वेदाध्ययन के आरम्भ और समाप्ति के समय सदा गुरु के चरण छुवे और हाथ जोड़ के पढ़ें। इसके ब्रह्माञ्जलि कहते हैं ॥७१॥ अलग २ हाथ करके गुरु के पैर छुवे, दाहिने से और बाएँ से बाएँ ॥७२॥

अध्येष्यमाणं तु गुरुर्नित्यकालमतन्द्रितः ।  
 अर्धाङ्गमो इति ब्रूयाद्विरामोस्त्विति चारमेन् ॥७३॥  
 ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा ।  
 सवत्यनोक्तं पूर्वं पुरस्ताच्च विशीर्यति ॥७४॥

आलस्यरहित गुरु सर्वदा पढ़ने वाले शिष्यके प्रति प्रथम पढ़ने के समय "अर्धाङ्ग मो." अर्थान् 'हे शिष्य पढ़' ऐसे कहे। पश्चान्



'विरामोत्त्विति' अर्थात् 'अव वस करो' ऐसे कहे, तब पढ़ना बन्द करे ॥७३॥ वेदके पढ़ने के प्रारम्भ में सदा प्रणव ( ओ३म् ) का उच्चारण करे और अन्त में भी । यदि आदि में और अन्त में ओ३म् का उच्चारण न करे तो उस का पढ़ा हुआ धीरे २ नष्ट होजाता है ॥७४॥

प्राक्कूलान् पर्युपासीनः पवित्रैश्चैव पावितः ।

प्राणायामैस्त्रिमि. पूतस्तत ओङ्कारमर्हति ॥७५॥

अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः ।

वेदत्रयान्निरदुहद् भूर्भुव स्व रिति च ॥७६॥

पूर्वाम् दक्षोंको विष्ठाकर उम पर बैठे और पवित्रोंसे मार्जनकर पवित्र होकर, तीनवार प्राणायामोंसे पवित्रहो, ओङ्कारके उच्चारण करने योग्य होता है ॥७५॥ ब्रह्मा ने तीनों वेदों से अकार उकार मकार और भूर्भुवः स्वः यह तीन व्याहृति सार निकाली हैं ॥७६॥

त्रिषु एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदुहत् ।

तदित्युचोस्थाः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥७७॥

एतदक्षरमेतां च जपन व्याहृतिपूर्विकाम् ।

संध्ययोर्वेदविद्विप्रो वेदपुराणेन युज्यते ॥७८॥

प्रजापति ब्रह्मा ने तीनों से 'तत्सवितु०॥' इससावित्री ऋचा के एक एक पाद को दुहा है ॥७७॥ इस (ओङ्काररूप) अक्षर और त्रिपादयुक्त सावित्री को तीनों व्याहृति पूर्व लगा कर वेद का जानने वाला दोनों संध्याओं में जपता हुआ विप्र वेद पढ़ने के फल को प्राप्त होता है ॥७८॥

सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतत्त्रिकं द्विजः ।



महतोऽप्येनसो मासात्त्वचेदाहिर्विमुच्यते ॥७६॥

एतयर्चा विसंयुक्तः काले च क्रिययास्वया ।

ब्रह्मक्षत्रियविड्योनिर्गर्हणां यातिसाधुषु ॥८०॥

और इस त्रिक (अर्थान् प्रणव, व्याहृति, त्रिपाठयुक्तगायत्री) को सहस्रवार ग्रामके बाहर ( नदी तीर वा अरण्यमे ) एक मास जपने से द्विज महापाप से भी छुट जाता है जैसे सर्प कंचली मे । ( यह १ प्रायश्चित्त जाने । प्रायश्चित्त से पाप छटने का एकादशाध्याय में व्याख्यान लिखेंगे ) ॥७९॥ इस गायत्रीके जप मे रहित और सायंप्रातः स्वक्रिया ( अग्निहोत्रादि ) से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण सज्जनो मे निन्दा का पाता है ॥८०॥

ओङ्कारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयोऽव्ययाः ।

त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणोऽमुखम् ॥८१॥

योऽधीतेऽहन्यहन्येतांस्त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः ।

स ब्रह्म परमभ्येति वायुभृतः खमूर्तिमान् ॥८२॥

ओकार से युक्त तीन अविनाशिनी महाव्याहृति और त्रिपदा गायत्री को वेद का मुख जानना ( वेद के अध्ययन के पूर्व मे पढी जाती है और ब्रह्मा जो परमात्मा, उसका प्राप्ति का हेतु है ) ॥८१॥ जो पुरुष प्रति दिन आलस्य रहित होकर तीन वर्ष पर्यन्त ओ व्याहृति और गायत्री का जप करता है वह परब्रह्म को प्राप्त होता है । वायुवन् स्वतन्त्रचारी होकर खमूर्तिमान् शरीर बन्धनसे रहित हो जाता है ॥८२॥

एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परंतपः ।

सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥८३॥



क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोति यजतिक्रियाः ।

अक्षरं दुष्करं ज्ञेयं ब्रह्मचैव प्रजापतिः ॥८४॥

ओ३म् यह एक अक्षर परब्रह्म का वाचक है और प्राणायाम बढ़ा तप है और गायत्री से श्रेष्ठ कोई मन्त्र नहीं तथा मौन से सत्यभाषण श्रेष्ठ है ॥८३॥ संपूर्ण वेदविहित क्रिया ( यज्ञयागादि ) नाशवान है, परन्तु कठिन से जानने योग्य प्रजापति ब्रह्म का प्रतिपादक ओ३म् अक्षर अविनाशी है ॥८४॥

विधियज्ञाञ्जपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः ।

उपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥८५॥

ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञ समन्विताः ।

सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥८६॥

विधियज्ञ ( वैश्वदेवादिकों ) से जपयज्ञ दशगुण अधिक है और वही यदि दूसरों के श्रवण में न आवे ऐसा जप शतगुण अधिक कहा है। और (जिज्ञा के न हिलने से) केवल मनसे जो जप किया जावे वह स्रहगुण अधिक कहा है ॥८५॥ ये जो चार पाकयज्ञ हैं ( अर्थात् वैश्वदेव १ बलिकर्म २ नित्यश्राद्ध ३ अतिथि भोजन ४ ) यज्ञ ( पौर्णमासादि ) से युक्त ये सब जपयज्ञ के षोडश भाग को भी नहीं पाते (अर्थात् जपयज्ञ सबसे श्रेष्ठ है) ॥८६॥

जप्येनैवतु संसिद्धेद् ब्राह्मणो नात्रदंशयः ।

कुर्यादन्त्यत्रवा कुर्यान् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥८७॥

इन्द्रियाणां विचरतां विपयेष्वपहारिषु ।

संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वन्त्यन्तेव वाजिनाम् ॥८८॥

प्राण जप करने ही में निद्रि को प्राप्त होता है ( अर्थात् मान प्राण होने के योग्य होता है ) और अन्य बुद्ध ( यागादि ) करे अथवा न करे वह मैत्र अर्थात् नर्वाप्रिय कर्मा है । इममे नश्य चर्मा ॥८७॥ अपर्मा और ज्ञेयने के न्यभाव वाले विषयों में विचरने वाली इन्द्रियों के मंगम में विद्वान् गन्त करे । जैसे मारथि घोड़ों के रोकने में गन्त करना है ॥८८॥

एकादशेन्द्रियाण्याहुर्यानि पूर्वैरनीपिणः ।

तानि सज्यन् प्रवक्ष्याम यथावदनुपूर्वशः ॥८९॥

श्रेत्रं त्वक्चक्षुशी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी ।

पाचूपस्थं हस्तपादं वाक् चैव दशमी स्मृता ॥९०॥

पूर्व सुनियो नेत्रो एकादश ११ इन्द्रिया कही हैं उनको क्रमशः टाँकर अन्धे प्रकार कहता हूँ कि ॥८९॥ करण त्वचा, नेत्र जिह्वा, और पांचवां नाक और गुदा, शिष्ठ, हस्त पाद और १० वां वाणी कही हैं ॥९०॥

बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां श्रोतादीन्ऽनुपूर्वशः ।

कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाद्यादीनि प्रवक्षते ॥९१॥

एकादशं मनोज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम् ।

यस्मिन् जिते जितावेतौ भवतः पञ्चकां गणौ ॥९२॥

उन में श्रोत्रादि क्रमशः पांचबुद्धीन्द्रिय अर्थात् ज्ञानेन्द्रिय हैं और उनमें गुदा आदि पांच कर्मेन्द्रिय कहते हैं ॥९१॥ एकादशवां मन अपने गुण से दोनो ( ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिया ) का चलाने वाला है । जिसके वश्य होने से यह दोनो पांच २ के गण वश में हो जाते हैं ॥९२॥

इन्द्रियाणां प्रमगैर्न दोषमृच्छत्यऽसंशयम् ।  
 सन्नियम्यतु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥६३॥  
 न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।  
 हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाऽभिवर्धते ॥६४॥

इन्द्रियों के विषयो में फमने से निःसंदेह दोषको प्राप्त होता है और उन्हीं के रोकने से फिर सिद्धि का प्राप्त होता है ॥६३॥ विषय भोग की इच्छा विषयो के भोग से कभी शान्त नहीं होती, जैसे घृत से अग्नि ( कभी शान्त नहीं होती किन्तु ) अधिक ही बढ़ती है ॥६४॥

यश्चैतान्प्राप्नुयात्सर्वान्यश्चैतान्केवलास्त्यजेत् ।  
 प्रापणात्सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥६५॥  
 न तथैतानि शक्यन्ते रानियन्तुमसेवया ।  
 विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥६६॥

जो इन सब विषयों को भोगे और जो इनको केवल छोड़ देवे, ( उन दोनों में ) सपूर्ण कामनाओं का भोगने से छोड़ना भवद कर है ॥६५॥ ये विषयासक्त इन्द्रिये विषयो के सेवन विना भी उस प्रकार नहीं जीती जा सकती जैसे कि सर्वदा ( विषयों के दोष के ) ज्ञान से ॥६६॥

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसिच ।  
 न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति क्वचित् ॥६७॥  
 श्रुत्वा स्पृष्ट्वाच दृष्ट्वाच भुक्त्वा घ्रात्वाच येनरः ।  
 न हृष्यति ग्लायति वा सविज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥६८॥



वेदाध्ययन, दान, गदा, नियम और तप, ये दुष्ट भाव वाले को कभी मिरर नहीं होते ॥९७॥ जिम् पुरुष के (निन्दा या स्तुति के) सुनने में और (कौमल या कड़ी वस्तु के) स्पर्श करने में तथा (मुन्दर वा अमुन्दर वस्तु के) देखने में और (अच्छे भोजन या सामान्य) भोजन से और (सुन्दर वा दुर्गन्ध) पदार्थ के सूँघने में हर्ष विषाद न हो, उसको जिनेन्द्रिय जानना ॥९८॥

इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यदकं क्षतीन्द्रियम् ।

तेनास्य क्षति प्रजा दन्पात्रादिवोदकम् ॥९९॥

वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनरतथा ।

सर्वान्मसाधयेदर्थानक्षिण्यन्योगतस्तनुम् ॥१००॥

अपूर्ण इन्द्रियों में यदि एक भी इन्द्रिय का विषय में भुकाव हो ना तत्वजानी की बुद्धि उस से नष्ट होती है । जैसे दूध-मशक (या कूटे पात्र) से (उसका) पानी ॥९९॥ इन्द्रियों को गणों के स्वाधीन करके और मन का भी संयम करके युक्ति में शरीर को पीड़ा न देता हुआ सम्पूर्ण अर्थों (पुरुषार्थ चतुष्टय) को साधे ॥१००॥

पूर्वां संध्यां जपंस्तिष्ठेत्सावित्रीमार्कदर्शनात् ।

पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृह्यविभावनात् ॥१०१॥

पूर्वां संध्यां जपं स्तिष्ठन्नशमेनो व्यपोहति ।

पश्चिमांतु समासीनो मलंहन्ति दिवाकृतम् ॥१०२॥

प्रातःकाल की सन्ध्या का गायत्री का जप करता हुआ सूर्य-दर्शन होने तक स्थित होकर और सायंकाल की सन्ध्या को तत्र

दर्शन ठीक २ होने तक बैठ कर करे ॥१०१॥ प्रातः संध्या के जप से रात्रि भर की और मायं मंत्र्या से दिन भरकी दुर्वासना का नाश होता है ॥१०२॥

नतिष्ठति तु यः पूजां नोपास्ने यश्च पश्चिमाम् ।

स शूद्रवद्वहिकार्यः सर्वस्माद् द्वजकर्मणः ॥१०३॥

अशांसमीपे नियता नित्यं विधिमास्थितः ।

सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं ममाहितः ॥१०४॥

जा प्रातः काल की मंध्या न करे और जा सायंकाल की भी न करे वह सम्पूर्ण दिनों के कर्म में शूद्रवन् वहिकार्य है ॥१०३॥ जलके समीप एकप्रचित्त से बन (वा एवान्त) में जाकर (सन्ध्या वन्दनादि) नित्य कर्म और गात्री का जाप भी करे ॥१०४॥

वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके ।

नानुधोस्तानध्याये होममन्त्रेषु चैव हि ॥१०५॥

नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मन्त्र हि तन्स्मृतम् ।

ब्रह्माहुतिद्रुतं पुण्यमनध्यायवपद्द्रुतम् ॥१०६॥

शिखादि के पढने और नित्य के स्वाध्याय और होममन्त्रों में अनध्याय के दिन भी रूनाई नहीं है ॥१०५॥ नित्य के कर्म में अनध्याय नहीं है । क्यों कि उस को ब्रह्मयज्ञ कहा है । उस में ब्रह्माहुति का ही होम है और (उस) अनध्याय में भी वपट्टकार (समाप्तिसूचक) शब्द किया जाता है ॥१०६॥

य स्वाध्यायमधीतेऽद्वंदं विधिना नियतः शुचिः ।

तस्य नित्यं क्षरत्येव पयो दधि घृतं मधु ॥१०७॥

अग्नीन्धनं भैक्षचर्यामधः शत्र्यां गुणेर्हितम् ।

आसमावर्तनात्कुर्यात्कृतोपनयनो द्विजः ॥१०८॥

जो पुरुष एक वर्ष पर्यन्त विधियुक्त नियम से पवित्र होकर स्वाध्याय पढ़ता है, उसके नियम बह ( स्वाध्याय ) दूध, दही, घृत, मधु को वर्षाता है ॥१०७॥ उपनयन किया हुआ द्विज, ब्रह्मचर्य व्रत को जब तक समावर्तन न हो, इस प्रकार करे—( समावर्तन उस को कहते हैं, जो गुरु से सम्पूर्ण विद्या पढ़कर घर जाने की अवधि है ) सायं प्रातर्होम, भिक्षा, भूमि पर शयन तथा गुरु का हित किया करे ॥१०८॥

आचार्यपुत्रः शुश्रूषुर्ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः ।

आप्तः शक्तोऽर्थदः साधुः स्वाध्याप्यादशधर्मतः ॥१०९॥

नापृष्टः कस्यचिद् व यात्र चाऽन्यायेन पृच्छतः ।

जानन्नपि हि मेधावी जडबल्लोक आचरेत् ॥११०॥

आचार्यपुत्र, सेवक, ज्ञानान्तरदाता, धर्मात्मा, पवित्र, प्रामाणिक, धारणाशक्ति वाला, धन देने वाला, हितेन्द्र और जाति ; ये दश धर्म से पढ़ाने योग्य है ( अर्थात् इन को पढ़ाना फर्ज है ) ॥१०९॥ बिना किसी के पूछे न बोले और अन्याय से पूछते हुवे से भी न बोले, किन्तु जान कर भी बुद्धिमान् उन लोगोसे अनजान सा रहे ॥११०॥

अधर्मेण च यः प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति ।

तगेरन्यतरः प्रैति विद्वेषं प्राधिगच्छति ॥१११॥

धर्मार्थो यत्र न स्यातां शुश्रूषा नाऽपि तद्विधा ।

तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं बीजमिवोपरि ॥११२॥

क्यों कि जो अधर्म से उत्तर देता और जो अधर्म से पूछता है  
उन दोनों में एक मर जाना वा दूँ पी हो जाता है ॥१११॥ जिस  
( शिष्य के पढ़ाने ) में धर्म और अर्थ न हों और वैसी गुरु में  
भक्ति भी न हो. उस को विद्या न पढ़ावे । जैसे अच्छा बीजे  
उमर में न बोवे ( बोने से कुछ उत्पन्न नहीं होता ) ॥११२॥

विद्यैव मम कामं मर्तव्यं ब्रह्मवादिना ।

आपद्यपि हि धोरायां न त्वेनामिणिषे वपेत् ॥११३॥

विद्या ब्राह्मणमेत्याह गेषधिस्तेस्मि रक्ष माम् ।

असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥११४॥

चाहे विद्या के साथ मरना पड़े, परन्तु वेदाध्यापक घोर आपत्ति  
में भी अयोग्य शिष्य को विद्या न देवे ॥११३॥ विद्या ब्राह्मण के  
पास आकर बोली कि मैं तूरी निधि हूँ, मेरी रक्षा कर । असूयकादि  
दोष वाले पुरुष को मुझे मत दे । इस प्रकार करने से मैं बलवती  
होऊँगी ॥११४॥

यमेव तु शुचि विद्या नियतब्रह्मचारिणम् ।

तस्मै प्रां वृ हि विप्राय निधिपायाऽप्रमादिने ॥११५॥

ब्रह्म चस्त्यननुज्ञातमधीयानादवाप्नुयात् ।

स ब्रह्मस्नेयमयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ॥११६॥

जिस को पवित्र, जितेन्द्रिय और ब्रह्मचारी जाने औ  
मुझ निधि रूप की रक्षा करने वाला हो, ऐसे प्रमादरहित विप्र का  
पढ़ावो ॥११५॥ और जो कोई अन्य पढ़ रहा हो, उस से बिना  
उस के पढ़ाने वाले की आज्ञा के सीख लेवे, वह विद्या की चोरी में  
युक्त नरक को प्राप्त होता है ( इस से ऐसा न करे ) जो आशय यहाँ

मनु मे श्लोक ११४ । ११५ और ११६ का है, वही आशय निरुक्त  
 २ । ३-४ से भी प्रमाणित होता है । यथा —

नित्यं ह्यभिज्ञानुर्विज्ञानेऽसूयोपसन्नाय तु नित्रूयाग्रो-  
 चाऽलं विज्ञातुं स्यान्मेधाविने तपस्विने वा ॥३॥ विद्या  
 ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेषधिष्टेहमस्मि ।  
 असूयकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा  
 स्याम् । य आतृणत्यवितथेन कर्णाविऽदुःखं कुर्वन्नमृतं  
 संप्रयच्छन् । त मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न द्रुह्येत्क-  
 तमच्चनाह ॥ आध्यापिता ये गुरुं नाद्रियन्ते विप्रा वाचा  
 मनसां कर्मणा वा । यथैत्र ते न गुरोर्भोजनीयास्तथैव  
 तान् भुनक्ति श्रुतं तत् ॥ यमेव विद्याः शुचिमप्रसक्तं  
 मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम् । यस्ते नद्रुह्येत्कतमच्चनाह तस्मै  
 मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन् ॥ इति, निधिः शेषधिरिति ॥४

विद्या ने ( अध्यापक ) ब्राह्मण से कहा कि मेरी रक्षा कर मैं  
 तेरा ( खजाना ) निधि हूँ । चुगली करने वाले, क्रूर और ब्रह्मचर्य  
 रहित को मेरा उपदेश न कर, जिस से मैं बलवती रहूँ । जो  
 सत्य से दोना कान भरता है, दुःख दूर करता है और अमृत  
 पिलाता है; उसे माता पिता करके मानना चाहिये उस से कभी  
 द्वेष न करना चाहिये ॥११५॥ जो पढ़ लिख कर बुद्धिमान् हो,  
 अपने गुरु का मन, वचन वा कर्म से आदर नहीं करते वे जिस  
 प्रकार गुरु के भोजनीय नहीं ; इसी प्रकार उनका पढ़ना सुफल  
 नहीं । किन्तु हे ब्रह्मन् ! जिस को तू शुद्ध अप्रमादी, बुद्धिमान्,  
 ब्रह्मचर्य से युक्त समझे और जो तुम से कभी द्वेष न करे उस

निधि के रक्षक शिष्य को मरा जान दे ॥११६॥

लोकिकं वैदिकं अपि तथाध्यात्मिकमेव च ।

आदर्शत यतो ज्ञानं तं पूर्वमभिवाद्येत् ॥११७॥

सावित्रीमात्रमार्गोपि वरं विप्रः सुयन्त्रितः ।

नायन्त्रितस्त्रिवेदाऽपि सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥११८॥

जिस से लौकिक विद्या वा वैदिक कर्मकाण्ड तथा ब्रह्मविद्या पढ़े उस ( प्रतिष्ठितों के बीच बैठे हुए ) को प्रथम नमस्कार करे ( पश्चान् अन्यो को ) ॥११७॥ जो गायत्री मात्र का जानने वाला भी जितेन्द्रिय विप्र है, वह शिष्टों में मान्य है और जो तीनों वेदों को भी पढ़ा हो, परन्तु गद्याभक्ष्य का विचार न रखता हो तथा सम्पूर्ण वस्तुओं का विक्रय करता हो, वह अजितेन्द्रिय शिष्टों में माननीय नहीं है ॥११८॥

शय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न ममाविशेत् ।

शय्यासनस्थश्चैत्रेणं प्रत्युत्थायाभिवाद्येत् ॥११९॥

उर्ध्वं प्राणाद्युत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति ।

प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥१२०॥

जो शय्या वा आमन विद्यादि से अधिक वा गुरु के स्वीकार किये हुये हों उन पर आप बराबर न बैठे और वह (गुरु) आवे तो आप शय्या वा आमन पर बैठा हुआ भी उठ कर नमस्कार करे ॥११९॥ बड़े आदमी के घर आने पर छोटे आदमी के प्राण ऊपर को उभरने लगते हैं। वे (प्राण) उठ कर नमस्कारादि करने से स्वस्थता को प्राप्त होते हैं (इन्से अवश्य अपने से विद्यादि में अधिको को उठ कर नमस्कार करे) ॥१२०॥



अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपमेधिनः ।  
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विधायशोचलं ॥१२१॥

अभिवादात्परंविप्रो ज्यायां गममिवाह्वयन् ।  
असौ नामाहमस्मीति स्वं नामपरिकीर्तयेत् ॥१२२॥

जो प्रति दिन वृद्धो को सेवा करता है और नमस्कार करने के स्वभाव वाला है, उसकी चार वस्तु बढ़ती हैं, आयु धिया यश और बल ॥१२१॥ वृद्धको नमस्कारकता हुआ विप्र 'मैं नमस्कार करता हूँ' इस अभिवादन वाक्य के अन्त 'मैं अमुक नम वाला हूँ' ऐसे अपना नाम कहे ॥१२२॥

नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते ।  
तान्प्राज्ञोहमिति ब्रूयात् रित्रःसूर्यास्तथैव च ॥१२३॥  
भोः शब्दं कीर्तयेदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादने ।  
नाम्नांस्वरूपभावे हे भोभावच्छ्रुपिभिःस्मृतः ॥१२४॥

जो कोई नामधेयके उच्चारणपूर्वक नमस्कार करना नहीं जानते उन से बुद्धिमान् ऐसा कहदे कि मैं नमस्कार करता हूँ और सम्पूर्ण मान्य भिन्नो को भी ऐसे ही कहदे ॥१२३॥ अभिवाद्य के नामों के स्वरूप मे भो यह सम्बोधन ऋषियों ने कहा है। इस से अपना नाम लेकर अन्तमें भो शब्द कहा करे ( अर्थान् अपने से बड़े अभिवादनीय पुरुष का नाम न ले किन्तु उस के नाम की जगह 'भोः शब्द कहे ) ॥१२४॥

आयुष्मान्भव सौम्येति वाच्यो विप्रोभिवादने ।  
अकारञ्चास्य नाम्नोन्ते वाच्यःपूर्वाक्षरः प्युतः ॥१२५॥

यो न वैश्यभिवादनं विप्रं प्रत्यभिवादनम् ।

नाभिवाद्य. म विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः ॥१२६॥

नमस्कार करने पर आयुष्मान् भवसौम्य ऐसा ब्राह्मणसे कहे । नमस्कार करने वाले के नाम के अन्त के व्यञ्जन ( शर्मन इत्यादि ) से पूर्व अकार ( वा किमी स्वर ) को प्लुत करे ( इससे उसका आदर होता है ) ॥१२५॥ जो ब्राह्मण नमस्कार करने पर क्या कहना चाहिये इसके नहीं जानना, वह शूद्र तुल्य है, नमस्कार करने के योग्य नहीं है ॥१२६॥

ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्क्षत्रवन्धुमनामयम् ।

वैश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च ॥१२७॥

अत्राच्यो दीक्षितो नाम्ना यधीयानपि यो भवेत् ।

भ्रातृपूर्वकं त्वेनमभिभाषेन धर्मवित् ॥१२८॥

(नमस्कार के अनन्तर) मिलान होने पर ब्राह्मण से "कुशल" पूछे, क्षत्रिय से 'अनामय वैश्यमे 'क्षेम' और शूद्रसे 'आरोग्य' ही पूछे ॥१२७॥ यदि दीक्षित कनिष्ठ ( छोटा ) भी हो तथापि उसका नाम लेकर न बोले । ( जो कुछ बोलना हो तो ) धर्म का जानने वाला भो दीक्षित ' वा आप (भावान्) कह कर बोले ॥१२८॥

परपत्नी तु या स्त्री स्यादसंबन्धा च यो नितः ।

तां ब्रूयाद्भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च ॥१२९॥

मातुलांश्च पितृव्यांश्च श्वशुरानृत्विजो गुरुन् ।

असावर्हमिति ब्रूयात्प्रत्युत्थाय यदीयसः ॥१३०॥

परस्त्री जो योनि सम्बन्ध ( रिश्ते ) वाली न हो, उसको



(बोलने के समय में) कहे कि भवति । मुभगे । भगिनि । ॥१२५॥  
मातुल पितृव्य, श्वसुर, ऋत्विज, गुरु, यदि ये कनिउ (छोटे) ।  
तो भी इनके आने पर उठ कर "असौ अहम" ऐसा कहे (अर्थात्  
अपना नाम प्रकट करे) ॥१३०॥

मातृष्वसा मातुलानी श्वश्रूश्च पितृष्वसा ।

सम्पूज्यागुरुपत्नीवत् समास्ता गुरुभार्यया ॥१३१॥

भ्रातुर्भार्यापसग्राह्या सवर्णाऽहन्यहन्यपि ।

विप्रोऽप्यतूपसंग्राह्या ज्ञातिसम्बन्धियोऽपितः ॥१३२॥

माता की भगिनी, मामी, सास और पितृ-भगिनी, ये सम्पूर्ण  
गुरु भार्या के तुल्य हैं इससे इनका आदर सत्कार गुरुभार्यावन्  
करे ॥१३१॥ (ज्येष्ठ) भ्राता की सवर्णा भार्या से प्रतिदिन नमस्कार  
आदि करे और ज्ञाति सम्बन्धिनी जो स्त्री है (मातृपत्न की मातु-  
लानी इत्यादि और पितृपत्न के पितृव्यादिको की स्त्रिये) इनको  
परदेश से आने पर नमस्कार करे ॥१३२॥

पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्ञायस्यां च स्वमर्यापि ।

मातृवद्वृत्तिमातिष्ठेन्माता ताभ्यो गरीयसी ॥१३३॥

दशाब्दाख्यं पौत्रसख्यं पञ्चाब्दाख्यं कलाभृताम् ।

त्र्यब्दपूर्वं श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनियु ॥१३४॥

पितृभगिनी, मातृभगिनी और अपनी ज्येष्ठा भगिनी इनका  
माताके समान आदर करे परन्तु माता इनसे अधिकतर है ॥१३३॥  
एक-पुरनिवासियों का दश वर्ष बढ़ा होने तक सख्य ( बराबरी )  
होता है और यदि सङ्गीतादि कला के जानने वाले हों तो पांच वर्ष  
बढ़ा होने तक सख्य ( बराबरी ) होता है और श्रोत्रियो में तीन

वर्ष की ज्येष्ठता तक और अपने बालियोंमें थोड़े ही दिनों में मस्य  
(बराबरी) होता है ॥१३४॥

ब्राह्मणं दशवर्षं तु शतवर्षं तु भूमिपम् ।

पितापुत्रं । विजर्णमान् ब्राह्मणस्तनयोः पिता ॥१३५॥

विशं बन्धुर्वयं कर्म विद्या भवति पञ्चमी ।

एतानि मान्यस्थानानि गरिभ्यो यद्यदुत्तरम् ॥१३६॥

दश वर्ष का ब्राह्मण और सौ वर्ष का क्षत्रिय हो तो पिता पुत्र  
के अनान नाते और ब्राह्मण उनमें पिता के समान है ॥१३५॥  
१ विद्या २ ज्योषित्त दृश्य ३ पितृश्रद्धादि - बन्धु ४ श्रौतस्मार्तादिकं  
कर्म ५ आयु और ५ विद्या ये पांच बड़ाई के स्थान हैं । इनमें  
उत्तरेत्तर एक से एक अधिक है ॥१३६॥

पञ्चानां त्रिषु वयसु भ्रमामि गुणवन्ति च ।

यत्रस्युः सोत्रमानाहं गृहोप दशमीं गतः ॥१३७॥

चक्रिया दशमीस्यन्य गगिणोभारणःस्त्रियाः ।

स्नातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो वर य च ॥१३८॥

तीन वर्णों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य ) में पूर्वाक्त पांच गुणों  
में से जिस में जितने अधिक हो वह उतना अधिक माननीय है  
और शूद्र भी सौ वर्ष का होकर माननीय है ॥१३७॥ चक्रयुक्त  
स्थादि पर सवाह हूवे और ९० १०० वर्ष के वृद्ध रोगी, बौद्ध बाले,  
स्त्री स्नातक राजा और वर-जिसका विवाह हो इन सब को मार्ग  
( रास्ता ) छोड़ देवे ॥ १३८ ॥

तेषातु समवेताना मान्यैः स्नातरूपार्थिवौ ।



राजस्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमान भाक् ॥१३६॥

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः ।

सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥१४०॥

ये सब जहां इकट्ठे हो वहां राजा और स्नातक अधिक माननीय हैं। उनमें भी राजा और स्नातक एक साथ मिल जावे तौ राजा स्नातक को मान ( रास्ता ) देवे ( स्नातक उस ब्रह्मचारी को कहते हैं जिसका समावर्तन हो चुका हो) ॥१३९॥ जो द्विज शिष्य का उपनयन करके कल्प और रहस्य के साथ वेद पढ़ावे उसको "आचार्य" कहते हैं (कल्प=यज्ञविधि । रहस्य=उपनिषद्) ॥१४०

एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः ।

योध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥१४१॥

निषेकादीनि कर्माणि यःकरोति यथाविधि ।

संभावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥१४२॥

वेद के एक देश वा वेद के अङ्ग (ज्योतिष व्याकरणादि) वृत्ति के लिये जो पढ़ावे, उसको "उपाध्याय" कहते हैं ॥१४१॥ जो गर्भाधानादि शास्त्रोक्त कर्म कराता है और जो अन्न से पोषण करता है उस ब्राह्मण को 'गुरु' कहते हैं ॥१४२॥

अग्न्याधेयं पाकयज्ञानग्निष्टोमादिकान्मखान् ।

यः करोति वृतो यस्य स तस्यर्त्विगिहोच्यते ॥१४३॥

य आचृणोत्यवित्थं ब्रह्मणा श्रवणानुभौ ।

स माता स पिता ज्ञेयस्तं न द्रुह्येत्कदाचन ॥१४४॥

(जो आहवनीय अग्नि को उत्पन्न करके कर्म किया जाता है

उसको) अग्न्याश्रय (कहते हैं) और पाकयज्ञ (वंशवदवादि) और अग्निप्रोमादि यज्ञों का वरण लेकर जो जिससे करावे उसका इम शास्त्र में उसका "ऋत्विज्" कहते हैं ॥१४३॥ जो (गुरु) सत्यविद्या नेह से दोनो कर्णों का भरता है वह माता पिता के तुल्य जानने योग्य है, उससे कभी द्रोह न करे ॥१४४॥

उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता ।

सहस्रं तु पितन्माता गौर्वेणातिरिच्यते ॥१४५॥

उत्पादकब्रह्मदात्रार्गरीयान्ब्रह्मदः पिता ।

ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥१४६॥

वश १० उपाध्यायो के तुल्य गौरव (बडाई) एक आचार्य में और शत १०० आचार्यों के समान पिता में और पिता से सहस्र-गुणित माता में होता है ॥१४५॥ उत्पन्न करने वाला और वेद का पढ़ाने वाला (ये दोनो पिता हैं) इनमें ब्रह्म का देने वाला बडा है क्योंकि विप्र का ब्रह्मजन्म ही इस लोक तथा परलोक में शाश्वत (स्थिर फल का हेतु) है ॥१४६॥

कामान्मातापिताचैनं यदुत्पादयतो मिथः ।

सम्भूतिं तस्य तां विद्याद्यत्रोनावभिजायते ॥१४७॥

आचार्यस्त्वस्ययां जातिं विधिवद्देपारगः ।

उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साजरामरा ॥१४८॥

माता और पिता तो काम वश होकर भी इस बालक को उत्पन्न करते हैं इससे जिस योनि में वह जाता है, उसी प्रकार उसके हस्त पादादि हो जाते हैं ॥१४७॥ परन्तु सम्पूर्ण वेद का जानने वाला आचार्य इस बालक की विधिवत् गायत्री उपदेश

द्वारा जो जाति उत्पन्न करता है वह जाति सत्य है और अजर अमर है (क्योंकि उर्मा से शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति होती है) ॥१४८॥

अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः ।

तमपीह गुरुं विद्याच्छ्रुतोपक्रियया तथा ॥१४९॥

ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शामिता ।

बालोपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः ॥१५०॥

जो (उपाध्याय) जिसको अल्प वा बहुत वेदाध्ययनादि कराकर उपकार करे, उसको भी इस लोक में पढाई के उपकार करने में 'गुरु' जाने ॥१४९॥ ब्रह्म (वेद) के पढ़ाने से जन्म दिया है जिसने और स्वधर्म की शिक्षा करने वाला. ऐसा (आयु से) बालक भी विद्वान् पुरुष (आयुमानसे) वृद्ध (मूर्ख) का धर्मसे पिता है ॥१५०॥

'अध्यापयामास पितृन् शिशुराद्भिरसः कविः ।

पुत्रका इति होत्राच्च ज्ञानेन परिगृह्यतान् ॥१५१॥

ते तमर्थमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः ।

देवाश्चैतान्समेत्योचुर्न्याग्र्यं वः शिशुरुक्तवान् ॥१५२॥"

'अद्भिरस मुनि के विद्वान् पुत्र ने अपने पितृव्यादि को पढ़ाया और अपने अधिक विद्या ज्ञान से उनको शिष्य जान कर हे पुत्रकाः! अर्थात् 'हे लड़के' ऐसा कहा है ॥१५१॥ वे क्रोधयुक्त होकर देवताओं से 'पुत्र' के शब्दार्थ को पूछने गये। देवताओं ने मिलकर उनसे कहा कि उस लड़के ने तुमसे ठीक कहा है ॥"

(मनु के पश्चात् अद्भिरस गोत्र कवि हुआ और उसको भी लिट् लकार परोक्षभूत से बहुत पुराना करके इन श्लोको में कहा होने से ये दोनों श्लोक नवीन ज्ञात हैं) ॥१५२॥

अज्ञां भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः ।

अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम् ॥१५३॥

न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः ।

ऋषयश्चक्रिरे धर्मं यो नूचानः स नो महान् ॥१५४॥

अज्ञानी ही बालक है और मन्त्र का देने वाला पिता है इससे अज्ञ को बालक और मन्त्रदाता को पिता कहते हैं ॥१५३॥ न बहुत आयुसे, न श्रेष्ठ वालोंसे न द्रव्यसे, न नातेमें बड़ाईसे बड़ाई है । किन्तु जो वेदाध्ययनपूर्वक धर्म का जानने और करने वाला है वही हम ऋषियो में बड़ा है । यह धर्मव्यवस्था ऋषियो ने की है ॥१५४॥

विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ्यं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः ।

वैश्यानां धान्यवननः शूद्राणामेव जन्मतः ॥१५५॥

न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः ।

यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥१५६॥

ब्राह्मणों का ज्ञान की अधिकता से बड़प्पन होता है और क्षत्रियो का पराक्रम से, वैश्यों का धन धान्य की समृद्धि से और शूद्रों का जन्म से ॥१५५॥ शिर के केश श्वेत होने से वृद्ध नहीं होता, यदि युवाभी लिखा पढाहो तो उसको देवता वृद्ध जानते हैं ॥

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः ।

यश्च विप्रो नधीयान स्त्रयस्ते नाम विभ्रति ॥१५७॥

यथा षण्ढोऽफलः स्त्रीषु यथा गौर्गविचाफला ।

यथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा विप्रो नचोऽफलः ॥१५८॥

जैसे काष्ठ का हाथी और चमड़े का मृग है वैसे विना पढ़ा

ब्राह्मण का पुत्र, ये तीनों नाममात्र को धारण करते हैं ॥१५७॥  
जैसा स्त्रियों में नपुंसक निष्फल और गौ में गौ तथा अजानी में  
दान निष्फल है वैसे ही वेदरहित ब्राह्मण निष्फल है ॥१५८॥

अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम् ।

वाक्चैव मधुराश्लक्षणा प्रयोज्याधर्ममिच्छता ॥१५९॥

यस्य वाङ्मनसी शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा ।

स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम् ॥१६०॥

प्राणियों को श्रेय अर्थान् कल्याणरूपी अर्थकी शिक्षा अहिंसा  
(दुःख न देकर) ही से करे और वाणी मधुर और स्पष्ट कहे, धर्म  
की इच्छा करने वाला (क्रूर भाषणादि न करे) ॥१५९॥ जिसके  
वाणी और मन शुद्ध और (क्रोध मिथ्याभाषणादिकों से) सदा  
सुरक्षित हो वह वेदान्तके यथार्थ सब फल को प्राप्त होता है (मेघ  
लाभ करता है) ॥१६०॥

ना रुन्तुदः स्यादातोपि न परद्रोहकर्मधीः ।

ययास्यो द्विजतेवाचा नालोक्यां तामुदीरयेत् ॥१६१॥

संमानाद् ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव ।

अमृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा ॥१६२॥

द्वारा पड़ने पर भी किसी के मर्मच्छेदन करने वाली बात न  
बोले । दूसरे के साथ द्रोह करनेवाली बुद्धि नकरे और जिस वाणी  
से दूसरा डरे, लोक की अहित करने वाली ऐसी कोई बात न बोले  
॥१६१॥ ब्राह्मण सम्मान से सर्वदा (सुख नहीं माने) विषवत्  
डरे और सर्वदा अपमान की अमृतवत् इच्छा करे (मान अपमान  
से उसको दुःखादि न होवे) ॥१६२॥

सुखं ह्यवमतः शेते सुखं च प्रतिबुद्धयते ।  
 सुखं चरति लोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥१६३॥  
 अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः ।  
 गुरौ वमन्संचिनुयाद् ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥१६४॥

दूसरे से अपमान किये जाने पर भी खेद न करता हुआ पुरुष सुख पूर्वक शयन करता है, सुखपूर्वक जागता है लोगों में व्यवहार करता है और अपमान करने वाला ( उस पाप से ) नष्ट हो जाता है ॥१६३॥ इस क्रम से ( जातकर्म से उपनयनपर्यन्त ) संस्कार किया हुआ द्विज, गुरु के समीप वास करता हुआ वेद के ग्रहणार्थ तप का संचय करे ॥१६४॥

तपोविशेषैर्विधिष्वैतैश्च विधिचोदितैः ।  
 वेदः कृत्स्नोऽधिगन्व्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥१६५॥  
 वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तपस्यन् द्विजोत्तमः  
 वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥१६६॥

विधिविहित विविध तपोविशेष ( समय नियमान्नि ) और व्रतों ( गुरुसेवनादि ) से सम्पूर्ण वेद उपनिषदों के सहित, द्विजन्मा-ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पढ़ाना योग्य है ॥१६५॥ तप करना हो तो ब्राह्मण वेद ही का सदा अभ्यास करे । वेदाभ्यास ही ब्राह्मण का परम तप कहा है ॥१६६॥

आहैव स नखाग्रैभ्यः परम तप्यते तपः ।  
 यः स्रग्व्यपिद्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम् ॥१६७॥  
 योऽनधीत्य द्विजोवेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।  
 स जीवन्नेव शू त्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥१६८॥





जो द्विज पुष्पमाला को भी धारण करके ( ब्रह्मचर्य समाप्त करके भी ) प्रतिदिन यथाशक्ति वेदाध्ययन करता है वह निश्चय नख शिख तक परम तप करता है ( अर्थात् इससे अधिक कोई तप नहीं है ) ॥१६७॥ जो द्विज वेद को बिना पढ़े अन्य कार्यमें श्रमकरे, वह जीता हुआ ही वंश के सहित शूद्रता को प्राप्त होता है ॥१६८॥

मातुरग्रधिजननं द्वितीयं मौञ्जिवन्धने ।

तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतियोदनात् ॥१६९॥

तत्र यद् ब्रह्मजन्मास्य मौञ्जीबंधनचिन्हितम् ।

तत्रास्य मातासावित्री पितास्वाचार्य उच्यते ॥१७०॥

श्रुति की आज्ञा से द्विज के प्रथम मातासे जन्म दृमरे मौञ्जी वन्धन तीसरे यज्ञ की दीक्षा में ये तीन जन्म होते हैं ॥१६९॥ इन पूर्वोक्त तीनों जन्मों में वेदग्रहणार्थ उपनयन संस्काररूप जो जन्म है उस जन्म में उस बालक की माता सावित्री और पिता आचार्य कहाते हैं ॥१७०॥

वेदप्रदानादाचार्यं पितरं परिचक्षते ।

नह्यस्मिन्न्युज्यते कर्म किंचिदामौञ्जिवन्धनात् ॥१७१॥

नाभिव्याहारयेद् ब्रह्म स्वधानिनयनादृते ।

शूद्रेण हि समस्तावद्यावद्दे न जायते ॥१७२॥

वेद के प्रदान से आचार्य को पिता कहते हैं । उस बालक की मौञ्जीवन्धन से पूर्व कोई ( श्रौतगमार्तादि ) क्रिया ठीक नहीं है ॥१७१॥ ( मौञ्जीवन्धन से पूर्व ) वेद का उच्चारण न करावे परन्तु मृतक संस्कार में वेद मन्त्रों का उच्चारण वर्जित नहीं है । जब तक वेद में जन्म नहीं हुआ तब तक शूद्र के तुल्य है ॥१७२॥

कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते ।  
 ब्रह्मणो ग्रहणं चैव क्रमेण विधिपूर्वकम् ॥१७३॥  
 यद्यस्य विहितं चर्म यत्सूत्रं या च मेखला ।  
 यो दण्डो यच्च वसनं तत्तदस्य व्रतेष्वपि ॥१७४॥

इस बालक को (सायं प्रातः होम करना और दिन में न सोना इत्यादि) व्रत और क्रमपूर्वक विधिसे वेदका अध्ययन उपनयन हुवे को कहा है (इसलिये पूर्व न करे) ॥१७३॥ जो जिसको चर्म, सूत्र, मेखला, दण्ड और वस्त्र (उपनयन में) कहा है वही उसको व्रतों में भी जानों ॥१७४॥

सेवेतेमास्तु नियमान्ब्रह्मचारी गुरौ वसन् ।  
 सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तपो वृद्धयर्थमात्मनः ॥१७५॥  
 नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्याद्द्विष्यं पितृतर्पणम् ।  
 देवाताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च ॥१७६॥

ब्रह्मचारी गुरु के पास रहता हुआ इन्द्रियों का संयम करके अपने तप की वृद्धि के लिये इन (जो आगे वर्णित हैं) नियमों का पालन करे ॥१७५॥ प्रतिदिन स्नान करके पवित्र होके देव ऋषि और पितृसंज्ञक पुरुषों को जलादिसे तर्पण करे और समिधों का आधान कर होम से देवताओं का पूजन करे ॥१७६॥

वर्जयेन्मधुमांसं च गन्धमाल्यं रसान्स्त्रयः ।  
 शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥१७७॥  
 अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्षणोरुयानच्छत्रधारणम् ।  
 कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनम् ॥१७८॥  
 इन वस्तुओं को छोड़ देवे-मधु, मांस गन्ध माल्य अच्छे



मदुग्दि ग्म, स्त्री (मिरका इत्यादि) जो मर्दा वन्तु हैं वे सुव और  
 प्राणियों की हिमा ॥१७५॥ नैलादि का मर्दन आंवा में कृत्वन  
 जूथ पहरना. छत्र धारण. काम, क्रोध, लोभ, नाचना. गाना और  
 बजाना ॥१७६॥

श्रुतं च जनवादं च पण्डितं तथानृतम् ।  
 स्त्रियों च प्रवेष्टात्तन्ममुपवातं परव्य च ॥१७७॥  
 एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्कवचित् ।  
 कामादि स्कन्दयन् रेतो हिनस्ति व्रतमान्मनः ॥१७८॥

जुआ, मलाड़ा, दूसरे की निन्दा, कूठ, स्त्रियों के साथ देवता  
 का दिहना करना और दूसरे का उपवास (न करे) ॥१७७॥  
 सर्वत्र एकत्र शयन करे और शुक (बर्त) को न गिरावे क्योंकि  
 इच्छा से शुक का पातकरे तो अपने व्रत का नाश करताहै ॥१७८॥

स्नाने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः ।  
 स्नात्त्वाकर्मचरित्वा त्रिः पुनर्मांमिन्युचं जपेत् ॥१७९॥  
 उदकुम्भं मुमत्सो गोशुक्रन्मृत्तिकाकुरान् ।  
 आह्वयंश्चावदर्यानि सैद्यं चाह्वरहश्चरन् ॥१८०॥

स्नान में द्विज ब्रह्मचारी का बिना इच्छा के शुक गिर जाने तो  
 स्नान कर परमात्मा का पूजन करके, तीन 'वरपुनर्मांमिन्दियम्'  
 इन ऋचा को पढ़े ॥१८१॥ पानी का घड़ा. पुन्क, गोबर, मर्दा. कुरा  
 इनको जितना आवश्यक हो ले आवे और प्रतिदिन भिजा ले  
 आवे ॥१८०॥

चन्द्रयज्ञैर्हीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मसु ।

ब्रह्मचार्याहरेद्भ्रूक्षं गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम् ॥१८३॥

गुरोः कुले न भिक्षेन न ज्ञातिकुलबन्धुषु ।

अत्नामे त्वन्गमेहानां पूर्वं पूर्वं विवर्जयेत् ॥१८४॥

वेद और यज्ञ से जो हीन नर्त हैं और अपने निग्रहर्त में प्रतिष्ठित हैं, ऐसों के घरों से ब्रह्मचारी प्रतिदिन नियम से भिक्षा लावे ॥१८३॥ गुरु और गुरु के ज्ञाति वालं कुल और बन्धु, इन के कुल से भिक्षा न मांगे । यदि और जगह न मिले तो ( इन में से ) पहिले पहिलो को छोड़ देवे ॥१८४॥

गर्वं वापि चरेद् ग्रामं पूर्वाक्तानामसम्भवे ।

नियम्य प्रयतो वाचमभिश्स्तारतु वर्जयेत् ॥१८५॥

दूरादाहृत्य समिधः संनिद्ध्याद्विहायसि ।

सायं प्रातश्च जुहुयात्ताभिरग्निमतन्द्रितः ॥१८६॥

पूर्वोक्तों (विद्ययज्ञ सहितों) से कहीं न मिले तो चाहे और सवप्राम से भिक्षा मांगे, परन्तु बहुत न बोलकर, और उनमें भी महापातकी आदि को छोड़ दे ॥१८५॥ दूर से समिधा लाकर ऊँचे पर रखके, आलस्य छोड़कर सायं प्रातः उनसे अग्नि में होम किया करे ॥१८६॥

अकृत्वा भैक्षचारणमसमिध्य च पावकम् ।

अचानुरः सप्तरात्रमवकीर्णिव्रतं चरेत् ॥१८७॥

भैक्षेण वचीनित्यं नैकान्नादी भवेद् व्रती ।

भैक्षेण व्रतिनो वृत्तिरुपवाससमा स्मृता ॥१८८॥

( यदि ) बिना रोगादि बाधा ब्रह्मचारी सात दिन भिक्षावृत्ति और अग्नि में समिधों से सायं प्रातर्होम न करे तो ( ब्रह्मचर्यव्रत



नष्ट होता है ) उस पर अवकीर्णिव्रत (११ अध्यायोक्त) प्रायश्चित्त करे ॥१८७॥ ब्रह्मचारी भिक्षा करके नित्य भोजन करे और एक का अन्न भोजन न करे ( किन्तु बहुत घरोंसे भिक्षा मांग के भोजन करे ), क्यों कि भिक्षासमूह से जो ब्रह्मचारी की वृत्ति है वह उपवास के तुल्य ( मुनियों ने कही ) है ॥

( १८८ के आगे ३० पुराने पुस्तकों में से ८ जगह के पुस्तकों की टीका में मूल के स्थान में ये दो श्लोक अधिक पाये जाते हैं । शेष २२ पुस्तकों में नहीं । वे ये हैं :

[ न भैक्ष्यं परपाकः स्यान्न च भैक्ष्यं प्रतिग्रहः ।

सोमपानसमं भैक्ष्यं तस्माद्भैक्ष्येण वर्चयेत् ॥

भैक्ष्यस्यागमशुद्धस्य प्रोक्षितस्य हुतस्य च ।

यांस्तस्य ग्रसते ग्रासांस्ते तस्य क्रतुभिः समाः ॥ ]

ये किसी ने भिक्षा की निन्दा वा ग्लानि देख कर बना दिये हैं । जिन का अर्थ यह है कि "भिक्षा का अन्न न तो परपाक है न प्रतिग्रह है, किन्तु सोमपान के तुल्य है, इस लिये भिक्षा के अन्न से वृत्ति करे । भिक्षा का अन्न शास्त्र से विहित, शुद्ध, प्रोक्षित हुत हो तो उनके जितने ग्रास खाता है, उतने यज्ञों का फल खाने वाले को होता है । इस से भी जाना जाता है कि समय २ पर मनु में प्रक्षप होता रहा है ) ॥१८८॥

व्रतवद्देवदैवत्ये विज्ञे कर्मण्यथर्विवत् ।

काममभ्यर्थितोऽशनीयाद् व्रतमस्य न लुप्यते ॥१८९॥

ब्राह्मणस्यैव कर्मैतदुपदिष्टं मनीषिभिः ।

राजन्यवैश्यायोस्त्वेवं नैतत्कर्म विधीयते ॥१९०॥

परन्तु देवतोद्देश ( देवयज्ञ सम्यन्धी ब्रह्म-राज ) में निर्मत्रित ब्रह्मचारी इतवत ( एक के घर भी चाहे ) भोजन करे तो उस का व्रतं लुप्त नहीं होता । तथा जीवित पितृनिमित्तक श्राद्धादि में मुन्यन्नो के ऋषितुल्य भोजन करने से भी ( व्रत नष्ट नहीं होता ) ॥१८९॥ परन्तु मनीषियों ने यह कर्म ब्राह्मण ब्रह्मचारी को कहा है, क्षत्रिय, वैश्यो को यह कर्म ऐसा नहीं है ॥१९०॥

चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा ।

कुर्यादध्ययने यत्नमाचार्यस्य हितेषु च ॥१९१॥

शरीरं चैव वार्चं च बुद्धीन्द्रियमनांसि च ।

नियम्य प्राञ्जलिस्तिष्ठेद्वीक्षमाणो गुणार्मुखम् ॥१९२॥

गुरु प्रतिदिन कहे वा न कहे पढ़ने में तथा गुरु की हित सेवा में यत्न करे ॥१९१॥ शरीर, वाणी, ज्ञानेन्द्रिय और मन का सयम कर हाथ जोड़ गुरु का मुख देखता हुआ ( सामने ) रहा करे ॥१९२॥

नित्यमुद्धृतपाणिः स्यात्साध्याचारः सुसंयतः ।

आस्यनामिति चोक्तः सन्नासीतामिमुखं गुरोः ॥१९३॥

हीनान्नवस्त्रवेषः स्यात्सर्गदा गुरुसन्निधौ ।

उत्तिष्ठेत्प्रथमं चास्य चरमं चैव संविशेत् ॥१९४॥

निरन्तर ( ओढ़ने के वत्न से ) वक्षिण हाथ बाहर निकाले रहे । अच्छे आचार से युक्त "बैठो" ऐसा ( गुरु ) कहे तब गुरु के सम्मुख बैठे ॥१९३॥ सदा गुरु से हीन ( घटिया ) अन्न वस्त्र वेष रख कर गुरु के पास रहे, गुरु से प्रथम जागे और गुरु के पश्चात् सोवे ॥१९४॥

प्रतिश्रवणसम्भाषे शयानो न समाचरेत् ।

नासीनो न च भुञ्जानो न तिष्ठन्नपराङ्मुखः ॥१६५॥

आसीनस्य स्थितः कुर्यादभिगच्छंस्तु तिष्ठतः ।

प्रत्युद्गम्य त्वाव्रजतः पश्चाद्वावन्स्तु धावतः ॥१६६॥

सोता हुआ या आसन पर बैठा हुआ या भोजन करता हुआ या और और मुख करके खड़ा हुआ गुरु से आज्ञा का उत्तर या सम्भाषण न करे ॥१६५॥ आसन पर बैठे हुवे गुरु आज्ञा देवे तो आप आसन से उठ कर और गुरु खड़े हों तो आप नमीप चलके और गुरु अपनी और आवें तो आप भी उन की ओर जाके और गुरु चलते २ वोलें तो आप उनके पीछे चलता हुआ (संभाषणादि करे) ॥१६६॥

पराङ्मुखस्याभिमुखो दूरस्थस्यैत्य चान्तिकम् ।

प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चैव तिष्ठतः ॥१६७॥

नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसन्निधौ ।

गुरोस्तु चक्षुर्विपये न यथेष्टासनो भवेत् ॥१६८॥

गुरु पीछे हों तो सम्मुख होकर और दूर हों तो निकट आकर और लेटे हों तो नमस्कार करके और खड़े हों तो ममीप होकर (कहें सो सुने) ॥१६७॥ गुरु के ममीप इस (शिष्य) का चिह्नौना वा आसन उनसे सत्र नीचा हो और गुरु के सामने मन मानी बैठक से न रहे ॥१६८॥

नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम् ।

न चैवास्यानुकूर्वीत गतिभाषितचेष्टितम् ॥१६९॥



गुरोर्यत्र परीवादा निन्दा वापि प्रवर्तते ।

कर्णौ तत्र पिघातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥२००॥

गुरु का केवल नाम परोक्ष में भी न लेवे और गुरुके चलने, बोलने या चंद्रा की नकल न करे ( १९९ के पूर्वार्द्ध से आगे भी १ श्लोक मु० हनुमानप्रसाद प्रयाग के पुस्तक में पाया जाता है कि-

[ परोक्षं सत्कृपापूर्वं प्रत्यक्षं न कथंचन ।

दुष्टानुचारी च गुरोरिह वाऽप्युत्र चैत्यधः ॥ ]

गुरु का नाम परोक्ष में लेना हो तो नाम से पूर्व "सत्कृपा" लगा कर नाम लेवे, प्रत्यक्ष में सर्वथा नहीं । गुरु का दुष्टाचारी शिष्य इस लोक और परलोक में नीचता को प्राप्त होता है । इस से भी पाया जाता है कि मनु में श्लोक प्रायः मिलाये गये हैं, क्यों कि यह श्लोक शेष २९ पुस्तकों में नहीं पाया गया ) ॥१९९॥ जहां पर कोई गुरु के दोष कहता हो वा निन्दा करता हो वहां पर क्रान बन्द कर लेवे या वहां से और जगह चला जावे ॥२००॥

परीवादात्खरोभयति श्वा वै भवति निन्दकः ।

परिभोक्ता कमिर्भवति कीटो भवति मत्सरी ॥२०१॥

दूरस्थो नार्चयेदेनं न क्रुद्धोनान्तिके स्त्रियाः ।

यः नासनस्थश्चैवैनम्वरुह्याभिवादयेत् ॥२०२॥

गुरु की निन्दा सुनने से (मर कर) गधा होता है और निन्दा करने से (दूसरे जन्म में) कुत्ता होता है और गुरु के अनुचित द्रव्य का भोक्ता शिष्य कृमि होता है और मत्सरता करने वाला कीट होता है ॥२०१॥ गुरु की दूर से पूजा न करे, क्रोधयुक्त हुआ भी न करे और जब गुरु अपनी स्त्री के साथ बैठे हो तब भी । स्वयं



यान वा आसन पर बैठा हुआ इनको उतरकर नमस्कार करे ॥२०२

प्रतिवातेऽनुवाते च नासीत गुरुणा सह ।

असंश्रवे चैव गुंगर्न किञ्चिदपि कीर्त्तयेत् ॥२०३॥

गोऽश्वोष्ट्रयानप्रासादस्रस्तरेषु कटेषु च ।

आसीत गुरुणा सार्धं शिलाफलकनोपु च ॥२०४॥

जब मन्मुख शिष्य की ओर से गुरु की ओर वायु आवे वह प्रतिवात है । ऐसी जगह गुरु के साथ न बैठे और अनुवात (जहां गुरु का वायु अपने ऊपर आता हो) वहां भी न बैठे (किन्तु दाये बायें बैठें) और गुरु जो न सुन सके तो कुछ न कहे ॥२०३॥ बैल, घोड़े, ऊंट की जाती हुई गाड़ी में और मकान की छत पर, पुराल तथा चटाई और पत्थर पर या लकड़ी की बडी चौकियों या नाव पर गुरु के साथ शिष्य बैठ नकता है ॥२०४॥

गुरोर्गुणैः सन्निहिते गुरुवद्भृत्तिमाचरेत् ।

न चानिसृष्टे गुरुणा स्वन्गुरुनभिवादयेत् ॥२०५॥

विद्यागुरुष्वेतदेव नित्यावृत्तिः स्वयोनिसु ।

प्रतिषेधेत्सु चाधर्मान्हितं चापदिशत्स्वपि ॥२०६॥

गुरु का गुरु समीप आवे, तो उससे भी गुरुवन् वर्ताव करे । गुरु के घर में रहने वाला शिष्य ( गुरु के बिना कहे अपने गुरु ) माता पित्रादि को नमस्कार न करे ॥२०५॥ विद्यागुरु पूर्वोक्त उपाध्यायादि और पिता आदि लोग तथा जो अधर्म से रोकने वाले और हित के उपदेश करने वाले हैं उनमें भी यही वृत्ति रखे (आचार्यवत् भक्ति रखे और नमस्कारादि प्रतिनि विधि के अनुकूल करे) ॥२०६॥

श्रेयःसु गुरुवद्बृत्तिं नित्यमेव समाचरेत् ।  
 गुरुपुत्रेषु चार्येषु गुरोरचैव स्वबन्धुषु ॥२०७॥  
 बालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि ।  
 अध्यापयन्गुरुसुतो गुरुवन्मानमर्हति ॥२०८॥

विद्या तप से अधिको और आर्य गुरुपुत्रो तथा गुरु के बन्धुओं  
 से नित्य गुरु के सी बृत्ति रखे ॥२०७॥ छोटा हो वा समान आयु  
 वाला हो वा अपना पढ़ाया हुआ हो, परन्तु यज्ञमे आकर ऋत्विज  
 हुआ हो तब गुरुपुत्र पढ़ाता हुआ गुरु के समान पूजा पाने के  
 योग्य है ॥२०८॥

उत्सादनं च गात्राणां स्नापनोच्छिष्टभोजने ।  
 न कुर्याद्गुरुपुत्रस्य पादयोश्चावने जनम् ॥२०९॥  
 गुरुवत्प्रतिपूज्या स्युः सवर्णा गुरुर्योषितः ।  
 असवर्णास्तु संपूज्या प्रत्युत्थानाभिवादनैः ॥२१०॥

शरीर मलना, निहलाना, उच्छिष्ट (शेष स्वच्छ) भोजन करना  
 और पैर धोना, इतनी सेवा गुरुपुत्र की नकरे (अर्थात् ये गुरुकी ही  
 करनी चाहिये) ॥२०९॥ सवर्णा गुरु की स्त्रियों का गुरुवत् पूजन  
 करे और (अपने से) सवर्णा न हों तो उठकर नमस्कार करके ही  
 उनका सत्कार करे (विशेष न करे) ॥२१०॥

अभ्यञ्जनं स्नापनं च गात्रोत्सादेनमेव च ।  
 गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम् ॥२११॥  
 गुरुपत्नी तु युवतिर्नाभिवाद्येह पादयोः ।  
 पूर्णविंशति वर्षेण गुणदोषौ विजानता ॥२१२॥



उबटन लगाना, स्नान कराना. देह डवाना, फूलों से बाल  
गूँथना (ये सेवा) गुरुपत्नी की न करे ॥२११॥ पूर्ण २० वर्ष का  
(शिष्य) गुरुदोष का जानने वाला युवति गुरुपत्नी को पैर छूकर  
नमस्कार न करे (अर्पान दूर से भूमि पर प्रणाम करले) ॥२१२॥

स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम् ।

अतोऽर्थान्न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः ॥२१३॥

अविद्वांसमलं लोके विद्वांसमपि वा पुनः ।

प्रमदा ह्युत्पद्यं नेतुं कामक्रोधवशानुराम् ॥२१४॥

यह स्त्रियों का स्वभाव है कि पुरुषों को दोष लगा देना  
इससे पण्डित लोग स्त्रियों में प्रमत्त नहीं होते (बड़े सावधान रहते  
हैं) ॥२१३॥ कामक्रोध के वश हुआ पुरुष विद्वान् वा मूल्य हो,  
उसको बुरे मार्ग पर ले जाने को स्त्री समर्थ है ॥२१४॥

मात्रा स्वस्त्रा दृहित्रा वा न विधित्तासनेनाभवेत् ।

बलवानिन्द्रियप्राप्तो विद्वांसमपि कर्षति ॥२१५॥

कामं तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भुवि ।

विधिवद्वन्दनं कुर्यादसावहमिति ब्रुवन् ॥२१६॥

मां या बहिन या लड़की के साथ भी एकान्त स्थान में न बैठे  
क्योंकि अति बलवान् इन्द्रियों का गण, विद्वान् पुरुष को भी  
खींच सकता है ॥२१५॥ युवति गुरुपत्नी और आप भी युवा हैं  
तो चाहे यथोक्त विधि से अमुक शर्माहम् यह कहकर (पैर बिना  
छुवे) पृथ्वी पर नमस्कार करले ॥२१६॥

विप्रोप्य पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम् ।



गुरुदारेषु कुर्यात् सतां धर्ममनुस्मरन् ॥२१७॥

यथा खनन्खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति ।

तथा गुरुगता विद्यां शत्रुपूरधिगच्छति ॥२१८॥

प्रवाम से आकर पादन्पर्श करके प्रतिदिन सत्पुरुषों के धर्म को स्मरण करता हुआ गुरुपत्नियों को (बिना पाव छत्रे) नमस्कार मात्र कर ले ॥२१७॥ जैसे कोई पुरुष कुदाल (फावड़े) से भूमि खोदता हुआ पानी को पाता है, वैसे ही गुरुमे की विद्या को सेवा करने वाला पाता है ॥२१८॥

मुण्डावा जटिलोवाभ्यादथवा स्याच्छिखाजटः ।

नैनं ग्रामेऽभिनिम्लोचेत्सूर्यानाभ्युदियात् क्वचित् ॥२१९॥

तं चेदभ्युदियात्सूर्य- शयानं कामचारतः ।

निम्तोचेद्वाप्यविज्ञानाज्जपन्नुपसेद्दिनम् ॥२२०॥

मुण्डित अथवा शिखा वाला वा जटायु क, इन तीन प्रकार में से ब्रह्मचार के कोई प्रकार रखे। ग्राम में इसको कभी भी सूर्य अस्त वा उदित न हो ॥२१९॥ यदि ज्ञान पूर्वक शयन करते हुवे को सूर्य उदय वा अज्ञान से अस्त हो जावे तो दिन भर (गायत्री) जप करके उपवास करे ॥२२०॥

सूर्येण ह्यभिनिर्मुक्तः शयानोऽभ्युदितश्च यः ।

प्रायश्चित्तमकुर्वाणो युक्तः स्यान्महतैनसा ॥२२१॥

आश्वम्य प्रयतो नित्यमुमे सन्ध्ये समाहितः ।

शुचौ देशे जपञ्जप्यमुपासीत यथाविधि ॥२२२॥

यदि स्त्री यत्रपरज. श्रेय- किंचित्पमाचरेत् ।

तत्सर्वमाचरंशुक्तो यत्र नास्य रमेन्मनः ॥२२३॥

धर्मार्थावुच्यते श्रेयः कामार्था धर्म एव च ।

अर्थ एवेह वा श्रेयस्त्रिवर्ग इति तु स्थितिः ॥२२४॥

यदि सूर्य के उदय वा अस्त के समय साजाय और प्रायश्चित्त न करे तो महापाप से युक्त होता है ॥२२३॥ आचमन करके प्रति दिन एकाम्बित हो कर दोनों मन्वाग्रा को पवित्र देश में चथा विधि जप करता हुआ उपासना करे ॥२२२॥ जिम किसी धर्मका स्त्रीवा शूद्रभी आचरण करता है और उनसे इनका चित्त लगे उम कोभी मन लगाकर करे ॥२२३॥ धर्म अर्थ येदोनों श्रेय कहते हैं । कोई काम को भी श्रेय मानने है और अन्यो का मत यह है कि अर्थ ही श्रेय है । (अपना मत मनु बनाते है कि) तीनों (पुरुषार्थ) त्रिवर्ग श्रेय हैं ॥२२४॥

अचार्यो ब्राह्मणो गृनिः पितामृत्तिः प्रजापतेः ।

माता पृथिव्यामूर्तिस्तु भ्रातास्वामूर्तिरात्मनः ॥२२५॥

आचार्यश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः ।

नात्तेनाप्यधमन्तव्या ब्राह्मणेन शिषेपतः ॥२२६॥

आचार्य वेद की मूर्ति है, और पिता ब्रह्मा की मूर्ति है, माना पृथ्वी की और भ्राता आत्मा की मूर्ति है (इसलिये किसी का अपमान न करे) ॥२२५॥ ब्राह्मण को विशेष करके चाहिये कि आचार्य पिता माता और ज्येष्ठ भ्राता, इनका अपमान स्वयं क्लेशित होने पर भी न करे ॥२२६॥

यं माता पितरौ क्लेशं सहेने सम्भवे नृणाम् ।

न तम्यनिष्कृतिः शक्या कतुं वर्षशतैरपि ॥२२७॥

तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा ।

तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते ॥२२८॥

मनुष्यों की उत्पत्ति और पालनादि में जो क्लेश माता पिता सहते हैं उस क्लेश का बदला सौ वर्षों में भी नहीं हो सकता ॥२२७॥ माता पिता और गुरु का सर्वकाल में नित्य प्रिय करे। इन तीनों की ही प्रसन्नता होने पर सम्पूर्ण तप पूरा होता है ॥२२८॥

तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते ।

न तैरभ्यननुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत् ॥२२९॥

त एव हि त्रयो लोकास्तएव त्रय आश्रमाः ।

त एव हि त्रयो वेदास्त एवाक्तास्त्रयोऽग्नयः ॥२३०॥

उन तीनों की शुश्रूषा परम तप कहाती है और कुछ अन्य धर्म उनकी आज्ञा के बिना न करे ॥२२९॥ माता पिता और गुरु ही तीनों लोक हैं और वेही तीनों आश्रम हैं और वेही तीनों वेद हैं और वे ही तीनों अग्नि हैं ॥२३०॥

पिता वै गार्हपत्याग्निर्माताग्निर्दक्षिणः स्मृतः ।

गुरुराहवनीयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी ॥२३१॥

त्रिष्वप्रमाद्यत्नैतेषु त्रींलोकान्विजयेद् गृही ।

दीप्यमानः स्ववपुषा देववद्वि मेदते ॥२३२॥

(जिनमें) पिता तो गार्हपत्याग्नि और माता दक्षिणाग्नि और गुरु आहवनीयाग्नि हैं। ये तीन अग्नि प्रसिद्ध तीन अग्नियोसे बड़े हैं ॥२३१॥ गृहस्थ इन तीनों के विषय में प्रमाद को त्यागता हुआ (शुश्रूषा करे तो) मानो तीनों लोकों को जीते और अपने शरीर से प्रकाशमान होकर देवताओं के समान सुख में प्रसन्न रहे ॥२३२॥



इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम् ।  
 शुश्रूषया त्वेवं ब्रह्मलोकं समश्नुते ॥२३३॥  
 सर्वे तस्यादृता धर्मायस्येते त्रय आदृताः ।

अनादृतास्तु यस्येते सर्वास्तस्याऽफलाः क्रियाः ॥२३४॥

माता की भक्ति से मानो इस लोक को जीतता है और पिता की भक्ति से मध्य (अन्तरिक्ष) लोक को और ऐसे ही गुरु की शुश्रूषा से ब्रह्म लोकको प्राप्त होता है ॥२३३॥ जिस पुरुष ने माता पिता और गुरु का सत्कार किया उसको सम्पूर्ण धर्म फल देते हैं और जिसके इन तीनोंका सत्कार नहीं होता उसके (श्रौत स्मार्त्त) कर्म सब निष्फल होतेहैं ॥२३४॥

यावत्त्रयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत् ।

तेष्वेव नित्यं शुश्रूषां कुर्यात्प्रियहिते रतः ॥२३५॥

तेषामनुपरोधेन पारत्र्यं यद्यदाचरेत् ।

तत्तन्निवेदयेत्तभ्यो मनोवचनकर्मभिः ॥२३६॥

इस कारण उनकी प्रीति और हित में परायण होता हुआ जब तक वे जीवें तब तक चाहे और कुछ न करे, किन्तु उनकी नित्य शुश्रूषा करे ॥२३५॥ माता पिता और गुरु की आज्ञा के अनुसार जो परलोक के निमित्त काम करे, सो मन, वचन और कर्म से उन ही से निवेदन करदे ॥२३६॥

त्रिष्वेतेष्वितिकृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते ।

एषधर्मः परः साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥२३७॥

श्रद्धधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि ।



अन्त्यादपि परं धर्मं स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥२३८॥

माता, पिता और गुरु की शुश्रूषा से पुरुष के सम्पूर्ण कर्म पूरे होते हैं। इस कारण यही साक्षान् परमधर्म है और, अन्य उपधर्म है ॥२३७॥ श्रद्धायुक्त होता हुआ उत्तम विद्या शूद्र से भी ग्रहण करले और चाण्डाल से भी परम धर्म ग्रहण करले और स्त्रीरत्न अपने से नीचे कुलकी हो उसे भी (विवाह के निमित्त) अङ्गीकार करले ॥२३८॥

विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम् ।

अमित्रादपि सद्वृत्तममेध्यादपि काञ्चनम् ॥२३९॥

त्रिशोरत्नान्यथो विद्या धर्मः शौचं सुभाषितम् ।

विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्गतः ॥२४०॥

(विष और अमृत मिले हो तो) विष से अमृत और बालक से भी हित वचन ग्रहण करले। शत्रु से भी अच्छा कर्म और अमेध्य मे से भी सुवर्णादि ग्रहण करले ॥२३९॥ स्त्री, रत्न, विद्या, धर्म, शौच, अच्छे वचन और अनेक प्रकार की शिल्पविद्या सब से ग्रहण करले ॥२४०॥

अब्राह्मणादध्ययनमापत्काले विधीयते ।

अनुब्रज्या च शुश्रूषा यावदध्ययनं गुरोः ॥२४१॥

नाऽब्राह्मणे गुरौ शिष्यो वाममात्यन्तिकं वसेत् ।

ब्राह्मणे चाननूचाने काञ्चनमनुत्तमाम् ॥२४२॥

आपत्ति समय में ब्राह्मण के बिना (क्षत्रिय और वैश्य से) भी पढना कहा है और गुरु की आज्ञा से चलना और शुश्रूषा जब तक पढे तब तक करे ॥२४१॥ ब्राह्मण गुरु न हो तो शिष्य सदा



गुरुकुल निवाम न करे । त्राहण भी माङ्ग वेडोका पढ़ाने वाला न हो तो मोक्ष की इच्छा करता हुआ शिष्य सदा गुरुकुल निवाम न करे ॥२४२॥

यदि त्वात्यन्तिकं वासं गच्छेत् गुणैः कुले ।

युक्तः पश्चिन्नेदेनमाशरीगविमोक्षणान् ॥२४३॥

आममाप्तेः शरीरस्य यन्तु शुश्रूषते गुरुम् ।

स गच्छत्यञ्जसा विप्रो ब्रह्मणः सद्यः शाश्वतम् ॥२४४॥

जो गुरुकुल में सदा वास की रूचिही हो तो मावयानीसे जड़ तक जीवै गुरु की शुश्रूषा करना रहे और (ब्रह्मचर्य में) युक्त रहे ॥२४३॥ जो शरीर ममाप्त होने तक गुरु की शुश्रूषा करना है वह ब्राह्मण अनायास मोक्ष को प्राप्त होता है ॥२४४॥

न पूर्वं गुरवे किञ्चिदुपकुर्वीत धर्मवित् ।

स्नास्यंस्तु गुरुणाङ्गपुत्रः शक्त्या गुर्वर्थमाहरेत् ॥२४५॥

क्षेत्रं हिण्यं गामश्वं छत्रोपानहमामनम् ।

धान्यं शाकं च वासांसि गुग्मे प्रीतिमावहेत् ॥२४६॥

धर्म का-जानने वाला स्नान के अनिरिक्त कोई वस्तु गुरु से पूर्व न बर्ते । गुरु की आज्ञा से यथाशक्ति गुरुके लिये जलादि ला देवे ॥२४५॥ पृथिवी सुवर्ण गौ, घोड़ा छत्र, जूना, आमन अन्न, शाक और वस्त्र गुरुके निमित्त प्रीतिपूर्वक निवेदित करे ॥२४६॥

आचार्ये तु खलु प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्विते ।

गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुवद्बृत्तिमाचरेत् ॥२४७॥



एतेष्वविद्यमानेषु स्नानासनविहारवान् ।

प्रयुञ्ज नोऽग्निशुश्रूषां साधयेद्देहमात्मनः ॥२४८॥

गुरु के मरे पीछे गुरुका पुत्र गुणों से युक्त हो और गुरु की स्त्री हो और गुरु के सपिण्ड अर्थात् भ्राता आदि हों तो उनका भी गुरु के तुल्य मानता रहे ॥२४७॥ और ये (गुरुपुत्र, गुरु की स्त्री और गुरु के पितृव्यादि) न हों तो स्नानादि और होमादि करताहुवा अपने शरीरका साधे (ब्रह्मकी प्राप्तिके योग्य करे) ॥२४८॥

एवं चरति यो विप्रो ब्रह्मचर्यमविप्लुतः ।

स गच्छत्युत्तमस्थानं न चेहाजायते पुनः ॥२४९॥

जो ब्राह्मण ऐसे अखण्डित ब्रह्मचर्य करता है वह ब्रह्म का प्राप्त होता है और फिर पृथिवी पर जन्म नहीं लेता ॥२४९॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे ( भृगुप्रोक्तायां संहितायां )

द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

इति श्री तुलसी राम स्वामि विरचिते मनुस्मृति भाषानुवादे

द्वितीयोऽध्यायः ॥

\* ओ३म् \*

## अथ तृतीयोऽध्यायः

—ॐ—

पट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरौ त्रैवैदिकं व्रतम् ।

तद्वैदिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥१॥

वेदान्तोक्त्य वेदो वा वेदं वापि यथाक्रमम् ।

अविष्णुतत्रज्ञचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत् ॥२॥

गुरुकुल में (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद) तीनों वेद छत्तीस वर्ष पर्यन्त अथवा अठारह वर्ष पर्यन्त वा नव वर्ष पर्यन्त पढ़े अथवा जितने काल में पढ़ने की शक्ति है, उतने ही काल तक पढ़े और तत्रज्ञचर्य रखे ॥१॥ क्रम से तीनों वेद वा दो वेद अथवा एक ही पढ़ कर तत्रज्ञचर्य खण्डित न करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे ॥२॥

तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः ।

स्रग्विणं तल्प आसीनमर्हयेत्प्रथमं गवा ॥३॥

गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तोयथाविधि ।

उद्वेदं द्विजे भार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम् ॥४॥

अपने धर्म के अनुसार पिता ( आचार्य ) से वेदरूपी दायभाग लाने हुवे लौट कर आये, उस माला से अलंकृत और शय्या पर स्थित हुवे को (पिता) गोदान से पूजित करे ॥३॥ गुरु की आज्ञा से यथाविधि स्नान और समावर्तन करके द्विज अपने वर्ण की शुभ लक्षणां से युक्त स्त्री से विवाह करे ॥४॥

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ।

सा प्रशस्ताद्विजानीनां दारकर्मणि मैथुने ॥५॥  
 महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः ।  
 स्त्रीसम्बन्धे दशानि कुतानि परिवर्जयेत् ॥६॥

जो माता की सपिण्ड (मात पीढ़ी में) न हो और पिता के गोत्र में न हो (ऐसी स्त्री) ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य को स्त्री कर्म-मैथुन में श्रेष्ठ है ॥५॥ यदि गौ, बकरी, भेड़, डव्य और अन्न से बहुत समृद्ध भी हो तो भी इन आगे कहे (दाषयुक्त) दश कुलों की कन्या से विवाह न करे ॥६॥

हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्शसम् ।  
 क्षय्यामयाव्यपस्मारिष्वित्रिकुष्ठिकुलानि च ॥७॥  
 नोद्धहेत्कपिलां कन्यां नाधिकार्ङ्गीं न रोगिणीम् ।  
 नालोमिकां नातिनेमां न वाचाशं नपिङ्गताम् ॥८॥

(वे कुल ये हैं) १ हीनक्रिय (जातकर्मादि रहित) २ पुरुष रहित ३ वेदपाठरहित, ४ बहुत बड़े वालों वाला, ५ ववासीरयुक्त, ६ क्षय व्याधि से युक्त ७ मन्त्राग्नि ८ मृगी ९ श्वेत कुष्ठी और १० गलितकुष्ठी (इन दश कुलो को छोड़ देवे) ॥७॥ कपिल रङ्ग वाली, अतिक अङ्ग वाली, रोगिणी, विना वालों वाली, बहुत वालों वालों कठोर बोलने वाली और कांयरी कन्या से विवाह न करे ॥८॥

नर्क्षवृक्षनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम् ।  
 न पच्यहिम्रेष्यनाम्नीं नच भीषणनामिकाम् ॥९॥  
 अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम् ।  
 तनुलोमकेशदशनां मृदङ्गीमुद्रहेत्स्त्रियम् ॥१०॥

नवत्र, वृक्ष, नदी, अन्त्यज पहाड़, पत्नी, मर्ष शूद्र ( आदि ) नामों और भयङ्कर नामों वालीसे भी न करे । १। सुन्दरे अङ्गवाली, अच्छे नाम वाली, हंस और गज के सदृश गमन वाली पतले रोमांचों, वालों और दांतों और कोमल शरीर वाली से विवाह करे ॥१०॥

यस्यास्तु न भवेद् भ्राता न विज्ञायेत वा पिता ।

नोपयच्छेत्तां प्राज्ञः पुत्रिकाधर्मशङ्कया । ११ ॥

"सवर्णामे द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि ।

कामतस्तु प्रवृत्तानामिषा. स्यु. क्रमशोवग ॥१२॥

जिसके भाई न हो वा जिस के पिताका पता न लगे ज्ञानवान् पुरुष ( जिस का प्रथम पुत्र अपने नाना की गोद धर्म से देना पडे उस को 'पुत्रिका' कहते हैं ) 'पुत्रिका' धर्म से डर कर उस से विवाह न करे ॥११॥ "ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को स्त्री करने में प्रथम अपने वर्ण की कन्या से विवाह श्रेष्ठ है और कामार्थीन विवाह करे तो क्रम से ये नीची भी श्रेष्ठ है ॥१२॥"

'शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विश. स्मृते ।

ते च स्वा चैव राज्ञश्च तान्त्र स्वा चा प्रजन्मन ॥१३॥ '

'शूद्र को शूद्र ही की कन्या से, वैश्य को वैश्य की कन्या से, क्षत्रिय को शूद्र वैश्य और क्षत्रिय की कन्या से और ब्राह्मण को शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण की (कन्या से विवाह कर लेना बुरा नहीं है) ।" ( १२, १३ श्लोक म्वयं मनु.के ही अगले १४ । १५ । १७ । १८ और १९ वे श्लोको से विरुद्ध हैं ) ॥१३॥

न ब्राह्मणक्षत्रिययोरपद्यपि हि तिष्ठतोः ।

कस्मिश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भार्यापदिश्यते ॥१४॥



ब्राह्मण क्षत्रियकौ आपत्कालमे रहतेको भी किसी दृष्टान्तमे शूद्रा भार्या नहीं बतार्ई गई है ॥१४॥

हीनजातिस्त्रियं मोहादुद्धहन्तो द्विजातयः ।

कुलान्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि शूद्रताम् ॥१५॥

शू-वेदी पतत्यत्रेकतथ्यतनयस्य च ।

शौनकस्य सुनोत्पत्त्या तदपन्यतया भृगो ॥१६॥

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मोहवश अपने वर्ण सं हीन वर्णस्थ स्त्री से विवाह करें तो सन्तान ममन अपने कुल को शूद्रा को प्राप्त करते हैं ॥१५॥ "शूद्रा से विवाह करने से पतित होता है यह अत्रि और उत्थय के पुत्र का मत है । शूद्रा से सन्तान उत्पन्न होने से पतित होता है यह शौनक का मत है । और उस सन्तान के सन्तान होने से पतित हो यह भृगु का वचन है" । ( स्पष्ट है कि यह श्लोक मनु का नहीं है ॥१६॥

शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम् ।

जनयित्वा सुतं तस्यांब्राह्मणादेव हीयते ॥१७॥

दैवपित्र्यातिथे यानि तत्प्रधानानि यस्य तु ।

नाश्नन्ति पितृदेवास्तन्न च स्वर्गं स गच्छति ॥१८॥

शूद्रा के शय्या पर आरोपण करने से ब्राह्मण नीच गति को प्राप्त होता है और उस के सन्तान उत्पन्न करके तो ब्राह्मणत्व से ही हीन हो जाता है ॥१७॥ और जिस ब्राह्मण ने शूद्रा स्त्री के प्रधानत्व से होम, श्राद्ध और अतिथि भोजन कराया चाहा है, उस का अन्न पितृसंबन्धक और देवतासंबन्धक पुरुष ग्रहण नहीं करते और वह पुरुष स्वर्ग को प्राप्त नहीं होता ॥१८॥

वृषलाकेनपीतस्य निःश्वासेपहतस्य च ।  
 तस्यां चैव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥१६॥  
 चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताऽहितान् ।  
 अष्टाविमान्प्रमासेन स्त्रीविवाहान्निषेधत ॥२०॥

शूत्र के मुख चुम्बन करने वाले पुरुष की और उसके मुंह की भाँफ लगने से उस पुरुष और उस से उत्पन्न सन्तान की शुद्धि नहीं होती ॥१९॥ चारों वर्णों के परलोक और इम लोक में अच्छे बुरे आठ प्रकार के विवाहों को संज्ञेप से सुनों ॥२०॥

ब्राह्मोदैवस्तथैवार्पः प्राजापत्यस्तथासुरः ।  
 गान्धर्वोराक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥२१॥

‘यो यस्य धर्मो वर्णस्य गुणदोषौ च यस्य यौ ।’  
 तद्वः सर्वं प्रवक्ष्यामि प्रसवे च गुणाऽगुणान् ॥२२॥  
 ब्राह्म १ दैव २ आर्प ३ प्राजापत्य ४ आसुर ५ गान्धर्व ६ राक्षस ७  
 और आठवां पैशाच ८ अतिनिन्दित है ॥२१॥ ‘जो (विवाह) जिस  
 वर्ण को योग्य है और जो गुण दोष जिसमें है, सो तुमसे कहता  
 हूँ और सन्तान के गुण दोष भी (कहता हूँ) ॥२२॥’

“शठानुपूर्व्यां विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरोवरान् ।  
 विट् शूद्रयोस्तु तानेव विद्याद्धर्म्यान्ऽराक्षसान् ॥२३॥  
 चतुरे ब्राह्मणस्याद्यान्प्रशस्तान्ऋवयो विन्दु ।  
 राक्षसं क्षत्रियस्यैकमामुरं वैश्यशूद्रयो ॥२४॥

‘ब्राह्मण को क्रमसे (ब्राह्म दैव आर्प प्राजापत्य आसुर गान्धर्व)  
 छ. विवाह धर्म्य हैं और क्षत्रिय को (आर्प प्राजापत्य आसुर  
 गान्धर्व) चार विवाह श्रेष्ठ हैं। वैश्य और शूद्रको भी ये ही (चारों)



विवाह धर्मसम्बन्धी हैं, परन्तु किमी को भी राजस विवाह योग्य नहीं ॥२३॥ ब्राह्मण को (ब्राह्म देव आर्प प्राजापत्य) पहले चार विवाह उत्तम हैं। क्षत्रिय को राजस विवाह श्रेष्ठ है और वैश्य शूद्र को एक आसुर विवाह उत्तम है ॥२४॥”

“पञ्चानां तु त्रयो धर्म्या द्वावधर्म्या स्मृताविह ।

पैशाचश्चासुरश्चैव न कर्तव्यौ कदाचन ॥२५॥

पृथक्पृथक्वा मिश्रौ वा विवाहौ पृथंचोदितौ ।

गान्धर्वो राजसश्चैव धर्म्यौ क्षत्रिय तौ स्तुतौ ॥२६॥

“पाच विवाहोमे तीन धर्म सम्बन्धी और दो अधर्म सम्बन्धी हैं। पैशाच और आसुर कभी करने योग्य नहीं हैं ॥२५॥ पहले कहे हुवे न्यारं २ अथवा मिले हुवे गान्धर्व और राजस विवाह क्षत्रियों के धर्म सम्बन्धी कहे है ॥ (२२ । २३ । २४ । २५ । २६ श्लोक प्रक्षिप्त जान पड़ते हैं। क्योंकि प्रथम तो २१ वें में जो ८ विवाह कहे हैं उनके लक्षण क्रम से २७ वे से वर्णन किये गये हैं। इसलिये उनसे ठीक सम्बन्ध मिल जाता है। दूसरे ये श्लोक स्वयं विरुद्ध हैं। क्योंकि आगे ३९ । ४० । ४१ वें श्लोकों में प्रथम के ब्राह्मण विवाह उत्तम और पिछले ४ निन्दित बताया जायगे और यही उनके लक्षणों से पाया जाता है। परन्तु उनके विरुद्ध यहां २३ वें में ब्राह्मण का छ विवाह वमयुक्त बताया है। २५ वें में पैशाच और आसुर का वर्जित किया है। २३ और २४ वें में उन्हें विहित बताया है। इत्यादि बहुत विरोध हैं जो स्पष्ट हैं ॥२६॥

आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम् ।

आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः ॥२७॥

यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वते ।



अलंकृत्य सुतादानं दैवं धर्मं प्रचक्षते ॥२८॥

विद्यायुक्तं शीलवान् वर को बुला कर वस्त्र तथा भूषणादि से सत्कृत करके कन्यादान करने को 'ब्राह्म' विवाह कहते हैं ॥२७॥ (ज्योतिष्टोमादि) यज्ञ में अच्छे प्रकार यज्ञ कराने वाले ऋत्विज वर को भूषण पहिरा कर कन्यादान करने को "दैव" विवाह कहते हैं ॥२८॥

एकं गोमिथुन द्वे वा वराढादाय धर्मतः ।

कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धर्मः स उच्यते ॥२९॥

सहनौ चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च ।

कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥३०॥

एक गौ और एक बैल अथवा दो गौ और दो बैल (यज्ञादि के निमित्त अथवा कन्या को देने के निमित्त) वरसे लेकर शाम्भ्र मे कहे प्रकार से कन्यादान करने को "आर्ष" विवाह करते हैं (आगे ५३ वे श्लोक मे कहेंगे कि यह सब का मत नहीं है और बुरा है) ॥२९॥ 'तुम दोनों साथ धर्म के आचरण करो, कन्यादान के समय वाणी से यहप्रार्थना करके जो सत्कारपूर्वक कन्यादान किया जाता है वह "प्राजापत्य" विवाह है ॥३०॥

ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायै चैव शक्तितः ।

कन्याप्रदानं स्वाच्छन्दादासुरोधर्म उच्यते ॥३१॥

इच्छयान्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च ।

गांधर्वाः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसंभवः ॥३२॥

वर के माता पिता आदि और कन्या को यथाशक्ति धन देकर जो इच्छापूर्वक कन्या का देना है वह "आसुर" विवाह कहा जाता

है ॥३२॥ अपनी इच्छा से कन्या और वर का मिलाप मात्र होना,  
यह कामियों का मैथुन्य 'गांधर्व विवाह' जानना चाहिये ॥३२॥

हत्वा क्लिप्ता च भिन्ना च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात् ।

प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥३३॥

सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रक्षोयत्रोपगच्छति ।

स पापिष्ठो विवाहाना पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥३४॥

विनाश करके हस्तपादादि पर चोट मारके, मकान आदि फोड़  
के, गानी बेती और रोती हुई कन्या को हट से लेजाना राक्षस  
विवाह कहाँ है ॥३३॥ सोती हुई और नशा पीहुई और प्रमादिनी  
को जहाँ मनुष्य न हों विषय करके प्राप्त होना यह पाप का मूल  
विवाहो मे अधम ८ वां "पैशाच" विवाह है ॥३४॥

अद्विरेव द्विजाग्रयाणां कन्यादानं विशिष्यते ।

इतरेषां तु वर्णानामितरेतत्काम्यया ॥३५॥

"यो यस्यैषा विवाहानां मनुना कीर्तितो गुणः ।

सर्वं शृणुत तं विप्राः सर्वं कीर्तयतो मम ॥३६॥"

ब्राह्मणों को जलसे ही कन्यादान करना श्रेष्ठ है और क्षत्रिय  
आदि वर्णों का परस्पर की इच्छामात्र से कन्यादान होता है (जल  
का निशम न है) ॥३५॥ इन विवाहो मे जो गुण जिस विवाह का  
मनुने कहा है सो सम्पूर्ण है ब्राह्मणों । मुझसे सब सुनो" (यह शृगु  
ने ब्राह्मणों से कहा है) ॥३६॥

दश पूर्वान्परान्वांश्यानात्मानं चैकविंशकम् ।

ब्राह्मीपुत्रः सुकृतकृन्मोचयेदेनसः पितृन् ॥३७॥

दैवोदाजः सुतश्चैव सप्त सप्त परावरान् ।



आर्षोढाजः सुतस्त्रींस्त्रीन्पट्टयट्टकायोढजः सुतः ॥३८॥

ब्राह्मविवाह की कन्या का पुत्र जो अच्छे कर्म करने वाला होवे तो दश पीढ़ी प्रथम (अपने जन्म से पहली) और दश पीढ़ी पर (पुत्रादि) तथा अपने को इस प्रकार इक्कीस को (अपयशरूपी) पाप से छुड़ाता है ॥३७॥ और दैव विवाह की स्त्री का पुत्र सात पीढ़ी पहली और सात अगली तथा ऋषि विवाह की स्त्री का पुत्र तीन पीढ़ी पहली और तीन अगली और प्राजापात्य विवाह की स्त्री का पुत्र छ. पीढ़ी पहली छः अगली और अपने को (अपयश) पाप से छुड़ाता है ॥

(ये दो श्लोक ब्राह्मविवाह चार विवाहों की प्रशंसा के हैं । यथार्थ में जब किसी कुल में कोई धर्मात्मा प्रतिष्ठित पुरुष उत्पन्न होता है तो अगले पिढ़ियों के नाम पर कोई बट्टा भी लगा हो तो उससे सब दब जाता है । और उत्तम विवाह उत्तम सन्तान का हेतु है ही । इसलिये ब्राह्म आदि ४ विवाहों का न्यूनाधिक उत्तमत्व दिखाया गया है) ॥३८॥

ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्विधानुपूर्वशः ।

ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्मता ॥३९॥

रूपसत्त्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः ।

पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा जीवन्त च शतं समाः ॥४०॥

ब्राह्मविवाह चार विवाहों में ही क्रम से ऐसे पुत्र होने हैं जो ब्रह्मतेजस्वी और श्रेष्ठ मनुष्यों के प्यारे ॥३९॥ रूपवान्, पराक्रमी, गुणवान् धनवान् यश वाले, पुष्कल भोग वाले, धर्मात्मा और १०० वर्ष की आयु वाले होते हैं ॥४०॥



इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः ।  
जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधर्मद्विषः सुताः ॥४१॥  
अनिन्दितैः स्त्रीविवाहैरनिन्द्या भवति प्रजा ।  
निन्दितैर्निन्दिता नृणां तस्मान्निन्द्यान्विवर्जयेत् ॥४२॥

शेष दुष्ट विवाह के सन्तान निर्लज्ज, मूठ बोलने वाले, ब्रह्म-  
धर्म द्वेषी (ब्राह्मणों व धर्मा के शत्रु) उत्पन्न होते हैं ॥४१॥ अन्ध्रे  
स्त्री विवाहों में अच्छी और बुरे विवाहों से बुरी सन्तान मनुष्यों  
के होती है। इस कारण निन्दित विवाहों का त्याग करे ॥४२॥

“पाणिग्रहणस कारं सवर्णासपदिश्यते ।  
असवर्णाम्बयं ज्ञेयो विभिरुद्वाहकर्मणि ॥४३॥  
शरं क्षत्रियया ग्राह्यं प्रतोदो वैश्यकन्यया ।  
वसनस्य दशा ग्राह्या शूद्रयोत्कृष्टवेदने ॥४४॥”

पाणिग्रहण संस्कार अपने वर्ण की स्त्री के साथ कहा है और  
वर्ण से दूसरे वर्ण की स्त्रियों में विवाह कर्म में यह विधि जाननी  
चाहिये:-॥४३॥ उत्तम वर्ण का परुष हीन वर्ण की कन्या से  
विवाह करे तो क्षत्रिय की कन्या को वारण का एक सिरा और  
वैश्य की कन्या को सांटे का एक सिरा और शूद्र की कन्या को  
कपडे का एक सिरा पकडना चाहिये ॥४४॥

(४३ । ४४ श्लोकों में स्वयं ही कहने हैं कि यह पाणिग्रहण  
संस्कार नहीं हैं, जो असवर्णों के साथ हो। और असवर्णों के  
साथ विवाह करना पूर्व श्लोक ४ के विरुद्ध होने से त्याज्य भी है)

ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा ।  
पर्ववर्जं ब्रजेच्चैनां तद्ब्रतो गतिकाम्यया ॥४५॥

ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः ।

चतुर्भिरितरैः सार्धमहोभिः सद्भिर्गर्हितैः ॥४६॥

अपनी स्त्री से (अमावस्यादि) पर्व चर्जित दिनों में ऋतुकालमें प्रीतिपूर्वक संभोग करे ॥४५॥ स्त्रियों की स्वाभाविक ऋतुकाल की १६ रात्री हैं जिन में (पहले) चार दिन अच्छे मनुष्यों से निन्दित भी मस्मित हैं ॥४६॥

तासामाद्याश्चतस्रस्तु निन्दितैकादशी च या ।

त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥४७॥

युग्मासु पुत्राजायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु ।

तस्माद्युग्मा सुपुत्रार्थी संविशेदार्तवेस्त्रियम् ॥४८॥

उन में चार प्रथम की और ११ वीं और १३ वीं ये छ रात्रि (स्त्री भागमें) निषिद्ध हैं और शेष दश रात्रि श्रेष्ठ हैं ॥४७॥ (उन दशों में भी) युग्म (ऋठी आठवीं इत्यादि) में पुत्र उत्पन्न होते हैं और अयुग्म (सातवीं आदि) रात्रियों में कन्या उत्पन्न होती हैं इस कारण पुत्र की इच्छा वाला युग्म तिथियों में ऋतुकाल में स्त्री से संभोग करे ॥४८॥

पुमान्पुंनोऽधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रिया ।

समेऽपुमान्पुंस्त्रियौ वा क्षीणेऽल्पे च विपर्ययः ॥४९॥

निन्द्यास्वप्तासु चान्यासु स्त्रियोरात्रिषुवर्जयन् ।

ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन् ॥५०॥

पुरुष का वीर्य अधिक हो तो पुत्र और स्त्री का अधिक हो तो कन्या जो दोनों का वीर्य बराबर हो तो नरुंसक वा १ कन्या

और १ पुत्र उत्पन्न होता है। वीर्य क्षीण हो अथवा, कम हो तो मन्तान नहीं होती ॥४५॥ चा रात्रि ऋतु की, ११ वीं १३ वीं और २ पर्व की इन ८ रात्रियों को त्याग कर, शेष रात्रियों में जिस किसी भी आश्रम में रहता हुआ (स्त्री संभोग करे तो) ब्रह्मचारी ही है ॥५०॥

न कन्यायाः पिता विद्वान्गृहीयाच्छुल्कमण्यपि ।

गृहं शुकुल्यं हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥५१॥

स्त्रीधनानि तु ये माहादुपजीयन्ति बान्धवाः ।

नारी यानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यधोगतिम् ॥५२॥

ज्ञानवान् पिता कन्या का अथ द्रव्य भी शुल्क=मूल्य ग्रहण न करे। यदि लोभ में मूल्य ग्रहण करे तो वह मनुष्य सन्तान का बेचने वाला हो ॥५१॥ स्त्री वन (स्त्री को दिया हुआ धन) वा यान वा वस्त्र को (पति के) जो बान्धव ग्रहण करते हैं वे पापी अधोगति को प्राप्त होते हैं ॥५२॥

आर्षे गोमिधुनं शुल्कं केचिदाहुर्मपैव तत् ।

अल्पोऽप्येवं महान् वापि विक्रयस्तावदेव सः ॥५३॥

यासां नाददते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः ।

अर्हणं तत्कुमारीणामानृणस्यं च केवलम् ॥५४॥

आर्षे विवाह में गौ के जोड़े का ग्रहण करना जो कोई कहते हैं सो मिथ्या है क्योंकि बहुत, मूल्य हो चाहे थोड़ा परन्तु बेचना तो है ही ॥५३॥ परन्तु जिन कन्याओं का द्रव्य पित्रादि न लें वह बेचना नहीं है किन्तु कन्याओं का पूजन और केवल दया है ॥५४॥

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा ।

पूज्या भूपयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥५५॥

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥५६॥

अपनी बहुत भलाई चाहें तो पिता भाई पति और देवर भी (बम्बालझारादि से) इनका पूजन करे ॥५५॥ क्योंकि जिन कुलमें स्त्रियें पूजी जाती हैं, वहां देवता रमने हैं और जहां इनका पूजन नहीं होता वहां सम्पूर्ण कर्म (यज्ञादि) निरर्थक हैं ॥५६॥

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा ॥५७॥

जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः ।

तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥५८॥

जिस कुल में स्त्रियें (दु खित हो) शोक करती हैं, वह कुल शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है, जहां ये शोक नहीं करती वह (कुल) सर्वदा बढ़ता है ॥५७॥ जिन घरोंको अपूजित होकर स्त्रिया शप देती हैं वे घर कृत्या (विषप्रयोगादि) के से मारे सब और सं नाश को प्राप्त हो जाते हैं ॥५८॥

तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः ।

भृतिक्लामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेपूत्सवेषु च ॥५९॥

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भाया तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥६०॥

इसलिये ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुषों को भूषण और वस्त्र आदिसे अच्छे कर्मों और विवाहादि में इन (स्त्रियों) का सदा

मन्का र रत्नना इवेन है ॥५९॥ जित्त कुल मे नित्य स्त्री से पति  
 और पति से स्त्री प्रमन्न रन्ता है उन कुल में निश्चय कल्याण  
 होता है ॥६०॥

यदि हि स्त्री न रोचेत् पुमांसं न प्रमोदयेत् ।  
 अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्त्तते ॥६१॥  
 स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम् ।  
 तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥६२॥

यदि स्त्री शोभित न हो तो पति को प्रसन्न न कर सके और  
 पुरुष के प्रमन्न न रहने से सन्तान नहीं चलती ॥६१॥ स्त्री (बस्त्र  
 आभूषणादि में) शोभित हो तो सम्पूर्ण कुल की शोभा है और  
 उनके मलिन धन से सम्पूर्ण कुल मलिन रहता है ॥६२॥

कुविनाईः क्रियातोर्भेदानध्ययनेन च ।  
 कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥६३॥  
 शिल्पेन व्यवहारेण शूद्रापत्यैश्च केवलैः ।  
 गोभिरश्वैश्च यानैश्च कृप्या राजापसेवया ॥६४॥

खोटे विधानों से, कर्म के लोप से और वेद के न पढ़ने से  
 कुल नीचपन को प्राप्त हो जाते हैं और ब्राह्मणों की आज्ञा भङ्ग  
 करने से भी ॥६३॥ शिल्प और व्यवहार में केवल शूद्र सन्तानों  
 से गाथ, घोड़े और सवारियों से, खेती और राजा की नीची  
 नौकरी से-॥६४॥

अयाज्ययाजनैश्चैव नास्तिक्येन च कर्मणाम् ।  
 कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥६५॥



मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुलान्यल्पधनान्यपि ।

कुलसंख्यां च गच्छन्ति कर्षन्ति च महद्यशः ॥६६॥

और चाएनालादि को यज्ञ कराने तथा श्रौत स्मार्त कर्मों को अश्रद्धा में और वे कुल जो वेदपाठ से हीन हैं, उन कामों में शक्ति ही नाश को प्राप्त हो जाना है ॥६५॥ और वेदों में समृद्ध कुल चाहे अल्प धन वाले भी हो, परन्तु बड़े कुल की गिनती में गिने जाने हैं और बड़े यज्ञ को धारण करते हैं (अर्थात् कुल की प्रतिष्ठा वेदपाठ में है न कि नौकरी, व्यापार, मजदूरी और गौ आदि आहम्बर में) ॥६६॥

वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत गृह्यं कर्म यथाविधि ।

पञ्चयज्ञविधानं च पक्तिं चान्वाहिकीं गृही ॥६७॥

पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्लीं पेपण्युपस्करः ।

कण्डनी चोदकुम्भश्च वधते यास्तु वाहयन् ॥६८॥

विवाह की अग्नि में विधिपूर्वक गृहोक्त कर्म (मायं प्रातः होमादि) करे और पञ्चयज्ञान्तर्गत बलिर्वैश्वानरे औः नित्य करने का पारुभी गृहस्थ (उनी में) करे ॥६७॥ ये पांच वस्तु गृहस्थको हिमा का मूल हैं—चून्दा १, चक्री २, बुझारी ३ उल्थल मूलक, जल का घडा ५, इनको अपने कामों में लाता हुआ (पाप में) बंध जाता है ॥६८॥

दानां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं मह पक्तिः ।

पञ्चक्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम् ॥६९॥

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृ यज्ञस्तु तर्पणम् ।

होमोद्वैवावलिभौतान्यज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥७०॥

गृहस्थों के उन पापों के प्रायश्चित्तार्थ महर्षियों ने प्रतिदिन के पांच महायज्ञ रचे हैं ॥७९॥ ब्रह्मयज्ञ = पढ़ाना और पितृयज्ञ = तपण और देवयज्ञ = होम और भूतयज्ञ = भूतवलि और मनुष्ययज्ञ = अतिथि भोजन ( ये ५ हैं ) ॥७०॥

पञ्चैतान्योमहायज्ञान्न हापयति शक्तिः ।

स गृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोपैर्न लिप्यते ॥७१॥

देवतातिथिमृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः ।

न निर्वर्षात् पञ्चानामुच्छ्वसन्न स जीवात् ॥७२॥

जो इन ५ महायज्ञों को अपनी शक्ति भर न छोड़े वह पुरुष गृह में बसता हुआ भी हिंसा के दावों से लिप्त नहीं होता ॥७१॥ देवता अतिथि भृत्य माता, पिता आदि और आत्मा इन पापों को अन्न न दे तो जीता हुआ भी मरे के तुल्य है ॥७२॥

अहुतं च हुतं चैव तथा प्रहुतमेव च ।

ब्राह्मं हुतं प्राशितं च पञ्चयज्ञान्प्रचक्षते ॥७३॥

जपोऽहुतोऽहुतोहोमः प्रहुतो भौतिको वलिः ।

ब्राह्मं हुतं द्विजाग्रचाचो प्राशितं पितृतर्पणम् ॥७४॥

१ अहुत, २हुत, ३ प्रहुत, ४ ब्राह्महुत, ५ प्राशित ये पांच दूसरे नाम पञ्चमहायज्ञों के ( मुनि लोग ) कहते हैं ॥७३॥ अहुत=जप, हुत = होम, प्रहुत=भूतवलि, ब्राह्महुत = ब्राह्मण की पूजा, प्राशित= नित्य श्राद्ध ( कहाता है ) ॥७४॥

स्वाध्यायेनित्य युक्तः स्याद्देवैवेहकर्मणि ।



दैवैकर्मणि युक्तोहि विभर्त्तीदं चराचरम् ॥७५॥

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ।

आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥७६॥

वेदाध्ययन और अग्निहोत्र में सर्वदा युक्त रहे। जो देव = होमकर्म में युक्त है, वह चराचर का पोषण करता है। क्यों कि- ॥७५॥ अग्नि में डाली आहुति आदित्य का पहुँचती है और सूर्य से वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न, अन्न में प्रजा होती है। (इस से जो अग्निहोत्र करता है, वह सम्पूर्ण प्रजा का पालन करता है) ॥७६॥

यथाघायुं समाश्रित्य वर्चन्ते सर्वजन्तवः ।

तथागृहस्थमाश्रित्य वर्चन्ते सर्व आश्रमाः ॥७७॥

यस्मात्त्रयोप्याश्रमिणो ज्ञानेनात्नेन चान्वहम् ।

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमोगृही ॥७८॥

जैसे सम्पूर्ण जीव ( प्राणी ) वायु के आश्रय से जीते हैं, वैसे गृहस्थ के आश्रय ( सहारे ) से सब आश्रम चलते हैं ॥७७॥ जिन कारण तीनों आश्रम वालों का ज्ञान और अन्न से गृहस्थ ही प्रति दिन धारण करता है, इससे गृहाश्रमी बड़ा है ॥७८॥

स संधार्यः प्रयत्नेन रवर्गमक्षयमिच्छता ।

मुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः ॥७९॥

ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा ।

आरासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विजानता ॥८०॥

जो दुर्बल इन्द्रिय वालों से धारण नहीं किया जा सकता, वह

( गृहस्थाश्रम ) इस लोक में सुख की इच्छा करने वाले तथा अक्षय सुख ( मोक्ष ) की इच्छा करने वाले का प्रयत्न से धारण करना चाहिये ॥७९॥ क्यों कि ऋषि, पितर, देव, अन्य जीव तथा अतिथि, ये सब कुटुम्बियों से आशा करने हैं, इस से इन के लिये जानते हुए को ( ५ यज्ञ ) करने चाहिये ॥८०॥

स्वाध्यायेनार्चयेत्पीन्हेमैर्देवान्यथाविधि ।

पितृन् श्राद्धैश्च नानाक्षैर्भूतानि बलिकर्मणा ॥८१॥

कुर्याद्दहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन वा ।

पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन् ॥८२॥

स्वाध्याय से ऋषियों, होम से देवताओं, श्राद्धों से पितरों : अन्न से मनुष्यों तथा बलिकर्म से अन्य भूतों को सत्कृत करे ॥८१॥ पितरों से प्रीति चाहने वाला, अन्नादि, दुग्ध, मूल, फल और जल से प्रतिदिन श्राद्ध करे ॥८२॥

एकमप्याशयेद्विप्रं पित्रर्थे पाञ्चयज्ञिके ।

न चैवान्नाशयेत्किञ्चिद् वैश्वदेवं प्रतिद्विजम् ॥८३॥

वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्येणैव विधिपूर्वकम् ।

आभ्यः कुर्याद्देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम् ॥८४॥

पाञ्चमहाय सम्बन्धी पितृयज्ञनिमित्त ( साक्षात् पिता आदि न हो तो चाहे पितृत्वगुणयुक्त छान्दोग्य में कहे अनुसार २४ वर्ष ब्रह्मचर्य धारण करने वाला वसुसंज्ञक ब्रह्मचारी जिस की २८४ वे श्लोक में वसु और पितृसंज्ञा करेंगे, उस प्रकार के ) एक ब्राह्मण को भी भोजन करा देवे । परन्तु इस वैश्वदेव के स्थान में किसी को भोजन न करावे ॥८३॥ गृह्य अग्नि में सिद्ध वैश्वदेव का इन



देवताओं के लिये ब्राह्मणादि प्रतिदिन होम करे ॥८४॥

अग्नेः सामस्य चैवादीत यो श्रैव समस्तयोः ।

विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो धन्वन्तर्य एव च ॥८५॥

कुङ्कै चैवानुमत्यै च प्रजापतय एव च ।

सह द्यावापृथिव्योश्च तथा स्विष्टकृतेऽन्ततः ॥८६॥

( वे देवता ये हैं :- ) अग्नये, सामाय, इस से पहिले होम करे फिर दोनों का नाम मिला कर, फिर विश्वेभ्योदेवेभ्य और धन्वन्तरये ॥८५॥ और कुङ्कै, अनुमत्यै, प्रजापतयं, द्यावापृथिवीभ्याम् और अन्त मे स्विष्टकृते ( इन सब के साथ ) 'स्वाहा' अन्त में लगा कर होम करे ॥८६॥

एवं सम्यग्घविहुत्वा सर्वादिक्षु प्रदक्षिणम् ।

इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो वलि हरेत् ॥८७॥

मरुद्भ्य इति तु द्वारि त्रिपेदस्वद्भ्य इत्यपि ।

वनस्पतिभ्य इत्येवं मूसलोलूखले हरेत् ॥८८॥

उक्त प्रकार अच्छी विधि से होम करके . चारों दिशाओं में प्रदक्षिण क्रम से सानुग, इन्द्र, यम, वरुण और सोम, इन के लिये वलि दे ॥८७॥ मरुद्भ्यः ऐसा कह कर द्वार, अद्भ्यः ऐसा कह करजल, वनस्पतिभ्य, कह कर उलूखल, मूसल निमित्त वलिदे ॥८८॥

उच्छीर्षके श्रियै कुर्याद्भद्रकाल्यै च पादतः ।

ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्या तु वास्तुमध्ये वलि हरेत् ॥८९॥

विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो वलिमाकाश उत्क्षिपेत् ।

दद्याचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तचारिभ्य एव च ॥९०॥

वास्तु के शिर' प्रदेश छत मे श्री के लिये मकान के पैर=भूमि मे भद्रकाली के लिये, ब्राह्मण और वानोष्पति के लिये घर के बीच, मे ॥८९॥ विश्वदेवों के लिये आकाश मे दिवाचर प्राणी तथा रात्रिचरों के लिये भी आकाश मे ॥९०॥

पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत बलिं सर्वात्मभूतये ।

पितृभ्यो बलिशेषं तु सर्वं दक्षिणतो हरेत् ॥६१॥

मकान के पीछे सर्वात्ममृति के लिये और शेष बलि पितरों को दक्षिण में देवे ॥९१॥ ( ८७ से ९१ तक ५ श्लोकों में वैश्वदेव बलि का विधान या रीति है । वैश्वदेव शब्द विश्वदेवाः से बना है, जिस का अर्थ यह है कि सब देवों वा प्राणी, अप्राणी रूप जगत के पदार्थों को अपने भोजन से भाग देना । क्यों कि श्लोक ८९ मे इसका नाम भूतबलि कह आये हैं और श्लोक ६८ में गृहस्थ को ५ हिंसा लगना कह आये हैं कि चूल्हा चक्की आदि से काम लेते हुए गृहस्थ पुरुष कुछ न कुछ जगत् की हानि भी करता ही है । उमीके प्रायश्चित्तार्थ उस को सब जगत् के उपकाररूप वैश्वदेव बलि का विधान है । ८४ । ८५ । ८६ वें श्लोकों मे आहुतियों का वर्णन है, वे आहुति उस २ देवता = दिव्य पदार्थ के उपकारार्थ दी जाती हैं । उस २ देवता ( अग्नि, सोम आदि में जो २ दिव्य सामर्थ्य है, वह २ दिव्य सामर्थ्य परमात्मा मे सर्वोपरि है । इस लिये कोई आचार्य परमात्मा की प्रसन्नता के लिये इस होम को मानते हैं । और भिन्न २ देवता के पक्ष में १ अग्नि । २ सोम । ३ अग्निषोम । ४ विश्वेदेवाः = सब देवता । ५ धन्वन्तरि = रोग निवारक । ६ कुहू = अमावस्या मे चन्द्रोदय होने से विशेष दिन मे विशेष । ७ अनुमति = पौर्णिमा मे भी उक्त रीति से । ८ प्रजापति = काम । ९ द्युलोक और भूमिलोक । १० स्विष्टकृत् अग्निः । ये सब



पदार्थ वायु के समान सर्वत्र फैले हुए हैं और मनुष्यादि के शरीर भी इन्हीं से बने हैं और बाह्य जगत् में जब हवन से इनकी उत्तम अवस्था रहती है तब शरीर देवता जो सूक्ष्म तत्व वा अंश है वे भी भले प्रकार आप्यायित रहते हैं। जैसे बाहर का वायु शुद्ध पवित्र हो तो शरीरस्थ प्राणादि भी स्वस्थ रहते हैं। वैसे ही बाह्य जगत् के व्याप्त द्रव्य अच्छे रहें, तभी मनुष्यों के भीतरी तत्व भी परिष्कृत रहते हैं। इस लिये इन मन्त्रों से होम का तात्पर्य उन उन द्रव्यों की हृष्टि पुष्टि आदि से है। और आगे जो बलि लिखी है उन २ को भी उस २ देवता = तत्त्व वा द्रव्य की हृष्टि पुष्टि और शुद्धि को निमित्त मान कर (निमित्तार्थ में ही इन श्लोकों की सप्तमी विभक्ति है, न कि अधिकरण में इस लिये) द्वार आदि स्थानों में भाग रखना आवश्यक नहीं। किन्तु पत्तल पर रखकर पीठे श्लोक ८४ के अनुसार गृह्य अग्नि चूल्हे से निकाल कर उस में चढादे। अब यह जानना शेष रहा कि इन २ इंद्रादि का उस उस पूर्व दिशा आदि से क्या सम्बन्ध है? यद्यपि अपनी बुद्धि के अनुसार हम लिखते हैं और हम से पूर्व के टीकाकारों ने भी अपनी २ समझ के अनुसार लिखा है परन्तु जितना हम लिखते हैं वा अन्योंने लिखा है उस से पूरा २ सन्तोष न तो हम को है और न हम यह आशा करते हैं कि अन्योंने को होगा। परन्तु हम इस सम्बन्ध को यह निश्चय विश्वास करते हैं कि यह आधुनिक कल्पना नहीं है किन्तु बहुत कुछ यह सम्बन्ध वेदों में भी देखा जाता है। उदाहरण के लिये सन्ध्या में मनसापरिक्रमा के मन्त्रों को देखिये जिन में से पूर्वादि दिशाओं के साथ विशेष नाम एक प्रकार के क्रम से आये हैं, जो वेदों के अन्य मन्त्रों में भी उस क्रम से प्रायः पाये जाते हैं। इस लिये हम अनुमान करते हैं कि इंद्र का पूर्व दिशा से, यम का दक्षिण से, वरुण का पश्चिम से

सोम का उत्तर से वायु का (द्वार में होकर आने से) द्वार से, जल का जल से साक्षान्, वनस्पति का (काष्ठमयवृक्षजन्य) मूसल उल्लूखल से ऊपर का लक्ष्मी से, पृथिवी का भद्रकाल-पृथ्वी से, वेदवेत्ता पुरोहितादि और गृहपति का गृहमध्य से और सब सामान्य देवताओं और दिन में तथा रात्रि में विचरने वाले प्राणियों का आकाश से कुत्र न कुत्र विशेष सम्बन्ध है। सर्वात्मभूतिका पृष्ठ से तथा पितरों का दक्षिण से भी ॥ जैसे इन्द्र वरुण यमादि तत्त्वों के विशेष नाम हैं वैसे ही यहां बलि-वैश्वदेव में पितर पद का भी एक प्रकार के आकाशागत तत्त्वों से ही अभिप्राय है। माता पिता आदि गुरुजनों का तो पृथक् पितृयज्ञ विहित ही है ॥ वायुकोण में जल भरा घड़ा रखना वहीं स्नानगृह और सोरी रखना, अग्नि कोण में वनस्पति शाकादि ऊखली मूसल आदि रखना ईशानकोण में लक्ष्मी-धन, नैऋत्यमें स्त्रीपुरोहितानि वेदपाठियों वा वेदपाठ और गृहपतिका मुख्यतः बीचमें यज्ञशाला। विश्वेदेया. से विशेषतः अग्नि वायु सूर्यका प्रायः आकाश दिवाचर भस्वी आदि और रात्रिचर दंश मशकादि जो निकृष्ट मलिन कारणसे उत्पन्न होते हैं-उनका विरुद्ध धूमसे अपने ऊपरको उड़नेसे आकाश सब प्रकार के अन्नादि रखने का मकान के पृष्ठ भाग से सम्बन्ध रखना भूलकता है इत्यादि विचार भी चिन्तनीय है। निदान यह सर्वभूत बलि का तात्पर्य मात्र तो (अहरहर्वलिमिते०) इत्यादि अथर्व १९।७।७ और (पुनन्तु विश्वाभूतानि०) इत्यादि यजु १९।३९ वेदमन्त्रों में भी पाया जाता है कि प्रतिदिन सब भूतों को बलि दे। परन्तु पूर्वादि दिशां के साथ का भेद और (सानुगायेन्द्रायनम.) इत्यादि मन्त्र, वेदमन्त्र नहीं हैं किन्तु गृहसूत्रों और स्मृतिके हैं। इसलिये यह कर्म स्मात्त वा गृह कर्माता है और गृहस्थ का ही कर्तव्य है ॥ हम लोग बहुत काल तक वेदशा आदि





में अद्वा स्वते ह्ये यदि यही तप करते चले जायेंगे तो आशा है कि भविष्यन् में इन सब का पूरा २ भेद जान पड़ेगा और सब देवता कहानें वाले दिव्य पदार्थों में जो २ ऐसा गुण है जिस से वह २ पदार्थ (देवो दानाद्वा०) इत्यादि निरुक्त के अनुसार देवता कहाता है वह २ गुण परमात्मा में अवश्य अनन्तभाव से वर्तमान हैं। इस लिये उस २ देवतावाचक शब्द में परमात्मा का प्रहण करना, तो निर्विवाद ही है) ॥९१॥

शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोहिणां ।

वायसानां कृमीणां च शनकैर्निर्वपद् भुवि ॥९२॥

कुत्ते पतित, चाण्डाल, पापरोगी, कब्बे, तथा कीड़े इन को धीरे से भूमि पर भाग डालें (जिसमें मिट्टी न लगे) ॥९२॥

एवं यः सर्गभूतानि ब्राह्मणो नित्यमचति ।

स गच्छति परं स्थानं तेजो मूर्तिः पथजुना ॥९३॥

कृत्वैतद्वलिकर्त्तव्यमतिथिं पूर्वमाशयेत् ।

भिक्षा च भिक्षवे दद्याद्विधिवद् ब्रह्मचारिणे ॥९४॥

इसप्रकार जो ब्राह्मादि नित्य मन्व प्राणियों का सत्कार करताहै वह सीधे मार्गसे ज्योतिरूप परमधामको प्राप्त होता है ॥९३॥ उक्त प्रकार से बलि कर्म करके अतिथि को प्रथम भोजन करावे और विधिवत् भिक्षा वाले ब्रह्मचारी को भिक्षा देवे ॥९४॥

यत्पुण्यफलमाप्नोति गां दद्यात् विधिवद्गुरोः ।

तत्पुण्यफलमाप्नोति भिक्षां दत्त्वा द्विजो गृही ॥९५॥

भिक्षामप्युदयात्रं वा सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ।

वेदतत्त्वार्थविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत् ॥६६॥

जिस पुण्य का फल गुरु को गोदान करने से (शिष्य) पाता है वही फल (ब्रह्मचारीको) भिक्षा देनेसे द्विज गृहस्थ पाना है ॥९५॥ भिक्षा वा जलपात्र मात्र ही विधिपूर्वक वेदतत्त्वार्थ जानने वाले ब्राह्मण को सत्कार करके देवे ॥९६॥

नश्यन्ति हव्यकव्यानि नराणामविजानताम् ।

भस्मीभूतेषु विप्रेषु मोहादत्तानि दातृभिः । ६७॥

विद्यातपः समृद्धेषु हुतं विप्रमुखाग्निषु ।

निस्तारयति दुर्गाच्च महतरथैव किञ्चिपात् ॥६८॥

जो भस्मीभूत (जैसे अङ्गार में से अग्नि निकल कर निस्तेज भस्म रह जाता है) ऐसे ही ब्रह्मवर्चसादि हीन भस्मरूप कथनमात्र के जा ब्राह्मण हैं (उन) ब्राह्मणों को जो दाता लोग अज्ञान से दान करते हैं उनके दिये हव्य कव्य सब नष्ट हो जाते हैं ॥९७॥ विद्या और तप से समृद्ध विप्रों के मुखरूप अग्नि में हवन करना कठिनाई और बड़े पाप से बचाता है ॥९८॥

संप्राप्ताय त्र्यतिथये प्रदद्यादासनोदके ।

अन्नं चैव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ॥६९॥

शिलानप्युञ्जतो नित्यं पञ्चाग्नीनपि जुह्वतः ।

सर्वं सुकृतमादत्ते ब्राह्मणोऽनर्चितोवसन् ॥१००॥

आये हुवे अतिथि के लिये यथाशक्ति आसन, जल और अन्न सत्कृत करके विधिपूर्वक देवे ॥९९॥ नित्य शिल (खेत में पीछे से रहे हुये अनाज के दानों) को बीन कर जीवन करने वाले और (आश्वनीप्र. गार्हपत्य, दक्षिण, श्रौत आवसथ्य) पांच अग्नि में



होम करने वाले के भी उपार्जित सब पुण्यों को बिना पूजन किया हुआ ब्राह्मण (अतिथि) ले जाता है ॥१००॥

तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च स्मृता ।

एतान्यपि सतां गेहे नाच्छिन्नन्ते कदाचन ॥१०१॥

एकरात्रं तु निवसन्नतिथिर्ब्राह्मणः स्मृतः ।

अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥१०२॥

(अन्न न हो तो) तृणामन, विश्राम के लिये स्थान, जल और चौथे अन्नचा बोलना, ये चार बातें तो सन्धुरुपों के कभी कम रहती ही नहीं ॥१०१॥ एकरात्रि रहने वाला ब्राह्मण अतिथि होता है, क्योंकि नित्य नहीं रहता, इसी से अतिथि कहाता है ॥१०२॥

नैकग्रामीणमतिथिं विप्रं साङ्गतिकं तथा ।

उपस्थितं गृहे विद्याद्वार्या यत्राग्नयोऽपि वा ॥१०३॥

उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः ।

तेन ते प्रेत्य पशुनां ब्रजन्त्यन्नादिनामिनाम् ॥१०४॥

(उसी) एक ग्राम में रहने वाले सहा-वासी और भार्या तथा अग्नि से युक्त गृहस्थ में रहने वाले (वैश्वदेव काल में) उपस्थित विप्र को अतिथि न जाने ॥१०३॥ जो निरुद्धि गृहस्थ (भोजन के लालच से) दूसरे के अन्न का सहारा देवते हैं, उससे वे मरने पर अन्नादि देने वाले के पशु बनते हैं ॥१०४॥

अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सूर्योदोगृहमेधिना ।

काले प्राप्तस्त्वकांक्षेश नास्यानश्नन्गृहेवसन् ॥१०५॥

न त्रै स्वयं तदशनीयादतिथिं यन्न भोजयेत् ।

धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं वाऽतिथिपूजनम् ॥१०६॥

सायंकाल के सूर्य छिपने पर भोजन के समय अतिथि प्राप्त हो जा बेसमय (जबकि भोजन हो चुका हो) प्राप्त हो तो भी उसको भूखा घर से न भेजे (अर्थात् गृहस्थ यह न कहे कि चले जाओ) ॥१०५॥ जो वस्तु अतिथि को भोजनार्थ न दे उसे आप भी भोजन न करे। यह अतिथि पूजन धन्य = धनहितार्थ, यश आयु तथा स्वर्ग का देने वाला है ॥१०६॥

आसनावसथौ शय्यामनुब्रज्यामुपासनाम् ।

उत्तमेषूनमं कुर्याद्दीने हीनं समे समम् ॥१०७॥

वैश्वदेवे तु निवृत्तो यद्यन्गोऽतिथिराव्रजेत् ।

तस्याप्यन्नं यथाशक्ति प्रदद्यान्न वलिं हरेत् ॥१०८॥

आसन और जगह तथा शय्या और अनुब्रज्या (विदाई) तथा उपासना (अरदली) ये सब उत्तमों को उत्तम और हीनों को हीन और समों को समानता से करे ॥१०७॥ वैश्वदेव के हो चुकने पर यदि दूसरा अतिथि आजावे तो उस को भी यथाशक्ति अन्न देवे, वलिहरण = पूरी पत्तल (चाहे) न करे ॥१०८॥

न भोजनार्थं स्वे विप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत् ।

भोजनार्थं हि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यते बुधैः ॥१०९॥

न ब्राह्मणस्य त्वतिथिर्नृहे राजन्य उच्यते ।

वैश्यशूद्रौ सखा चैव ज्ञातयो गुरुरेव च ॥११०॥

भोजन के लिये विप्र अपना कुल गोत्र न कहे और जो भोजन के लिये उन्हें कहे तो उसके विद्वान् लोग वान्ताशी = उगलन खाने

बाला कहते हैं (क्योंकि वह टुकड़ों के लिये बड़ों का सहारा लेता है) ॥१०९॥ ब्राह्मण के घर क्षत्रिय अतिथि नहीं होता और वैश्य, शूद्र, सखा तथा गुरु भी अतिथि नहीं समझने चाहियें ॥११०॥

यदि त्वतिथिधर्मण क्षत्रियो गृहमात्रजेत् ।

भुक्तवत्भुक्तविप्रेषु कामं तमपि भोजयेत् ॥१११॥

वैश्यशूद्रावपि प्राप्तौ कुटुम्बेऽतिथिधर्मिणौ ।

भोजयेत्सह भृत्यैस्तावानृशंस्यं प्रयोजयन् ॥११२॥

यदि अतिथि धर्म से क्षत्रिय भी उक्त ब्राह्मणों के भोजन करते हुवे गृह पर आजावे तो उसके भी चाहे भोजन करा देवे ॥१११॥ और यदि वैश्य शूद्र भी अतिथि होकर प्राप्त होवें तो कुटुम्ब में भृत्यों के सहित उन पर कृपा करता हुआ भोजन करादेवे ॥११२॥

इतरानपि सख्यादीन्तं ग्रीत्या गृहमागतान् ।

सत्कृत्यान्नं यथाशक्ति भोजयेत्सह भार्यया ॥११३॥

सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणीः स्त्रियः ।

अतिथिभ्योऽग्रणैतान्भोजयेदविचारयन् ॥११४॥

क्षत्रियादि के अतिरिक्त मित्रादि प्रीति करके घर आजावे तो उनके भी यथाशक्ति सत्कार करके भार्या के सहित भोजन करावे ॥११३॥ सुवासिनी (जिनका अभी विवाह हुआ हो), कुमारी रोगी लोग तथा गर्भवती स्त्री इनके अतिथि के पहिले ही बिना विचार भोजन करा देवे ॥११४॥

अदत्त्वा तु य एतेभ्यः पूर्वं भुङ्क्तेऽविचक्षणः ।

सभ्रुञ्जानां न जानाति श्वगृध्रैर्जग्धिमात्मनः ॥११५॥

भुक्तवत्स्वयं विप्रेषु स्वेषु भृत्येषु चैव हि ।

भुञ्जीयातां ततः पश्चान्ब्रशिष्टं तु दम्पती ॥११६॥

जो मूर्ख इनको बिना दिये पहिले भोजन करता है वह नहीं जानता है कि कृन्ने और गीवोंसे अपना भक्षण (मरणके अनन्तर) होगा ॥११७॥ ब्राह्मण और पाण्ड्यवर्ग ये सब भोजन कर चुके, तत्पश्चान् ब्रचे को (गृहस्थ) आप और स्त्री भोजन करें ॥११६॥

देवान्पूषीन्मनुष्यांश्च पितृन्गृह्याश्च देवताः ।

पूजयित्वा ततः पश्चाद्गृहस्थः शेषभुग्भवेत् ॥११७॥

अथ स केवलं भुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात् ।

यज्ञशिष्टाशनं ह्येतन्सतामन्नं विधीयते ॥११८॥

देव, ऋषि, मनुष्य पितर और गृह्योक्त विश्वेदेवाः. इन सबको सत्कृत करके पश्चान् गृहस्थ शेष अन्न का भोजन करने वाला हो ॥११७॥ जो केवल अपने लिये अन्न पकाता है वह निरा पाप खाता है और जो यज्ञादि से शेष भोजन है, वह सज्जनों का भोजन है ॥११८॥

राजत्विक्स्नातकगुरुन्प्रियश्चशुभमातुलान् ।

अर्हयेन्मधुपर्केण परिसंवत्सरात्पुनः ॥११९॥

राजा च श्रोत्रियश्चैव यज्ञकर्मण्युपस्थितौ ।

मधुपर्केण संपूज्यौ न त्वयज्ञ इति स्थितिः ॥१२०॥

राजा, ऋत्विज, स्नातक, गुरु, मित्र, श्वसुर, मामा एक वर्ष के ऊपर फिर आवें तो फिरभी इनका मधुपर्कसे पूजन करे ॥११९॥ राजा और स्नातक यज्ञ कर्म में प्राप्त हों तो मधुपर्कसे पूज्य हैं बिना यज्ञ के नहीं ॥१२०॥

सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्त्रं वलिं हरेत् ।

वैश्वदेवं हि नामैतत्सायं प्रातर्विधीयते ॥१२१॥

सायंकाल में रसोई होने पर स्त्री बिना मंत्र बलि करे, क्योंकि वैश्वदेव नाम कृत्यका गृहस्थ को सायं प्रातः विधान किया है ॥१२१॥

“पितृयज्ञं तु निर्वर्त्य विप्रश्चन्दुत्तयेऽग्निमान् ।

पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यान्मासानुमासिकम् ॥१२२॥”

“अग्निहोत्री अमावस्या में पितृयज्ञ करके ‘पिण्डान्वाहार्यकं’ श्राद्ध प्रति मास किया करे ॥”

(यहां श्लोक १२२ में श्लोक १६९ तक “मृतकश्राद्ध” का वर्णन है। हमारी सम्मति में यह सभी प्रकरण प्रक्षिप्त है। १७० में उत्तम व्रती ब्राह्मणादि की प्रशंसा और विरुद्धों की निन्दा का प्रकरण कहेंगे जो मृतपितरो से सम्बद्ध नहीं है। इसलिये उनमें १२१ वें श्लोक का ठीक सम्बन्ध मिल जाता है। इन श्लोकों का प्रक्षिप्त मानने के हेतु ये भी हैं—१-इन श्लोकों के मंत्रों की शैली मनु के सी नहीं; किन्तु पुराणों के सी है। २-यह मासिक श्राद्ध का (जो अमावस्या में है) विधान है। जब तिस्रों श्राद्ध कह चुके तब अमावस्या भी आगई, इसलिये व्यर्थ है। ३-श्लोक १२३ में आमिष=मांस से इसका विधान है जो देव ऋषि पितरोंका भोजन नहीं, किन्तु ‘यक्षराक्ष. पिशाचान्नं मद्यं मांसं सुरासवम्’ (मनु ११। ९५) मद्यमांसादि यक्ष राक्षसादि का भोजन है। कोई लोग ‘आमिष’ पद से भोज्यवस्तु का ग्रहण करने हैं और जीवतों का ही श्राद्ध वर्णित करने हैं, परन्तु मेरा तिथि आदि ६ टीकाकार आमिष=मांस ही लिखते हैं। ४ और रामचन्द्र टीकाकार ने इसके आगे एक यह श्लोक और लिख कर व्याख्या की है कि—



[न निर्वापति यः श्राद्धं प्रमीतपितृको द्विजः ।

इन्दुक्षये मासि मासि प्रायश्चित्ती भवेत्तु सः ॥]

अर्थात् जिस द्विज के माता पिता मर गये हों और प्रतिमास अमावस्या को श्राद्ध न करे वह प्रायश्चित्ती होता है ॥ इससे यह भलकता है कि यह प्रकरण मृतक श्राद्ध का ही है। यह श्लोक अन्य ५ टीकाकारों ने नहीं लिखा न ३० पुस्तकों में से एक पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों में है। इससे पाया जाता है कि रामचन्द्र सब से पिछले टीकाकार हैं उन्हीं के समय में यह मिला हुआ था। पूर्व ५ टीकाकारों के समय में नहीं था। १२४ वें श्लोक का फिर यह कहना कि जिन अन्नो से जैसे और जितने ब्राह्मण भोजनकराने हैं उन्हें कहेंगे, व्यर्थ है क्योंकि ११३ में मांससे जिमाना कह चुके हैं। ५-पितृनिमित्त में ब्राह्मणों की गिनती का विधान भी मृतकश्राद्ध का ही सूचक है। ६-१२७ वें में स्पष्ट ही इसे प्रेत कृत्या लिखा है। ७-१३६ वें में परिहृत के पुत्र मूर्ख ब्राह्मण की उत्तमता और मूर्ख के पुत्र विद्वान की भी निन्दा अन्याय और पक्षपातपूर्ण है। ८-१४६ वे. में एक ब्राह्मण के भोजन से ७ पुरुषाओं की असम्भव वृत्ति वर्णित है। ९-१४९ वें में दैवकर्म में ब्राह्मण की परीक्षा न करना अन्याय है। १०-१५० वां श्लोक स्पष्ट मनु का नहीं, अन्यकृत है। ११-१५२ वें में मांस बेचने वाले ब्राह्मण को भोजन न कराना कहा है। इससे जाना जाता है कि उस श्लोक के बनते समय ब्राह्मण मांस खाना क्या बेचने का भी पेशा करने लगे थे। १२-१५३ से १६७ तक जिन ब्राह्मणों को श्राद्ध में वर्जित किया है उनमें बहुतों के ऐसे कर्म कहे हैं जो श्राद्ध में ही क्या किसी भी कार्य में सत्कार योग्य नहीं किन्तु राजदरदके योग्य हैं ॥१२२॥



“पितॄणां मासिकं श्राद्धमन्वाहार्यं विदुर्वुधाः । तच्छामिपेण कर्तव्यं प्रशस्तेन समंततः ॥१२३॥ तत्र ये भोजनीयाः स्युर्ये च वर्ज्या द्विजोत्तमा । यावन्तश्चैव यैश्चान्नेस्तान्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥१२४॥ द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा । भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि न प्रसज्जेत विस्तरे ॥१२५॥ सत्क्रियां देशकालौ च शौचं ब्राह्मणसंपदः । पञ्चवैतान्विस्तरोहन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम् ॥१२६॥ प्रथिता प्रेतकृत्यायैवा पित्र्यं नाम विधुक्षये । तस्मिन्युक्तस्यैति नित्यं प्रेतकृत्यायैव लौकिकी ॥१२७॥ श्रोत्रियाश्चैव देयानि हव्यकव्यानि दातृभिः । अर्हत्तमाय विप्राय तस्मै दत्तं महाफलम् ॥१२८॥ एकैकमपि विद्वांसं दैवे पित्र्ये च भोजयेत् । पुष्कलं फलमाप्नोति नाऽमन्त्रज्ञान्वहनपि ॥१२९॥ दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम् । तीर्थं तद्धव्यकव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्मृतः ॥१३०॥

“पितरों के मासिक श्राद्ध को पण्डित अन्वाहार्य जानते हैं । उसको श्राद्धविहित सर्वथा अच्छे मांस से करे ॥१२३॥ उस श्राद्ध में जो भोजन योग्य ब्राह्मण हैं और जो त्याज्य हैं और जितने और जिस अन्नसे जिमाने चाहियें यह सम्पूर्णा में आगे कहूंगा ॥१२४॥ देवश्राद्ध में दो और पितृश्राद्ध में तीन ब्राह्मण वा देवश्राद्ध में और पितृश्राद्ध में एक एक को भोजन करावे । अच्छा समृद्ध (यजमान) भ विस्तार न करे ॥१२५॥ अच्छी पूजा, देश काल, पवित्रता और श्राद्धोक्त गुण वाले ब्राह्मण, इन पांचों को विस्तार नष्ट करता है, इससे विस्तार न करे ॥१२६॥ यह जो पितृकर्म है, सो प्रेतकृत्या विख्यात है । अमावस्या के दिन उसमें युक्त होने वाला पुरुष नित्य के लौकिक श्राद्धा क फल को प्राप्त होता है ॥१२७॥ देने वाले



लोग श्रोत्रिय को ही हव्य और कव्य देवें और अधिक पूजन को देवें तो बड़ा फल है ॥१२८॥ देवकर्म (यज्ञादि) में और पितृ कर्म (श्राद्ध) में एक ही ब्राह्मण को भोजन करावें तो भी बहुत फल को प्राप्त होता है और बहुत मूर्ख ब्राह्मणों के जिमाने से नहीं ॥१२९॥ प्रथम ही से एक सम्पूर्ण वेद की शाखाओं के पढ़ने वाले ब्राह्मण की परीक्षा करले । वह हव्य कव्यों का पात्र है देने में अतिथि कहा है ॥१३०॥”

‘सहस्रं हि सहस्राणामनृचां यत्रभुञ्जते । एकास्तान्मन्त्रंवितीतः  
सर्वानर्हति धमेत ॥१३१॥ ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हवींषि  
च । न हि हस्तावसृग्दिग्धौ रुधिरेशैव शुध्यत ॥१३२॥ यावतो  
प्रसते प्रासान्द्व्यकव्येष्वमन्त्रवित् । तावतो प्रसते प्रेत्य वीक्षन्  
शूलानयो गुडान् ॥१३३॥ ज्ञाननिष्ठा द्विजां कंचित् तपोनिष्ठास्तथा  
परे । तप स्वाध्यायनिष्ठाश्च कर्मनिष्ठास्तथापरे ॥१३४॥ ज्ञान-  
निष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः । हव्यानि तु यथान्यार्य सर्वे-  
ष्वेव चतुर्ष्वपि ॥१३५॥ अश्रोत्रिय पिता यस्य पुत्रः स्याद्देव-  
पारगः । अश्रोत्रियो वा पुत्र स्यात्पिता स्याद्देवपारगः ॥१३६॥  
ज्यायांसमनयोर्विद्याद्यस्य स्याच्छ्रोत्रिय पिता । मन्त्रसंपूजनार्थं  
तु सत्कारमितरोऽर्हति ॥१३७॥ न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धनैः  
कार्योऽस्य संप्रहं । नाऽरिं न मित्रं यं विद्यात्तं श्राद्धे भोजयेद्द्विजम्  
॥१३८॥ यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवींषि च । तस्य प्रेत्य  
फलं नास्ति श्राद्धेषु च हविष्यु च ॥१३९॥ यः संज्ञतानि कुरुते  
मोहाच्छ्राद्धेन मानव । स स्वर्गाच्च्यवते लोकाच्छ्राद्धमित्रो द्विजा  
धमः ॥१४०॥ सम्भोजनीयामिहिता पैशाची दक्षिणा द्विजैः



इहैवास्ते तु सा लोके गौरन्धेवैकवेश्मनि ॥१४१॥ यथेरिणे वीज-  
मुक्त्वा न वंशा लभते फलम् । तथाऽनृचे हविर्दत्त्वा न दाता लभते  
फलम् ॥१४२॥ नतृन्प्रतिप्रहीतुंश्च कुरुने फलभागिनः । विदुषे  
दक्षिणां दत्त्वा विधिवत्प्रेत्य चेह च ॥१४३॥ कामं श्राद्धेऽर्चयेन्मित्रं  
नाभिरूपमपि त्वऽरिम् । द्विपता हि हविर्भुक्तं भवति प्रेत्य निष्फलम्  
॥१४४॥ यत्नेन भोजयेच्छ्राद्धे बह्वृचं वेदपारगम् । शाखान्तगम-  
थाध्वर्युं छन्दोगं तु समाप्तिकम् ॥१४५॥ एषामन्यतमो यम्य मुञ्चीत  
श्राद्धमर्चितः । पितृणां तम्य वृमिः स्याच्छ्राश्वती साप्तपौरुपी ॥१४६॥

“जिस श्राद्ध में वेद के न जानने वाले दशलक्ष ब्राह्मण भोजन करते हैं, वेद का जानने वाला सन्तुष्ट हो तो वह एक उन मत्र के बराबर फल देता है ॥१३१॥ विद्या से उन्कृष्टको हव्य व कव्य देना चाहिये क्यों कि रक्त से भरे हुवे हाथ रक्त ही से शुद्ध नहीं होते ॥१३२॥ वेद का न जानने वाला जितने प्रास हव्य कव्य के खाता है उतने ही मरने पर जलते हुवे शूल और लोह के गोले खाता है ॥१३३॥ कोई द्विज आत्मज्ञानपरायण होते हैं और

(\* यह भी ज्ञात हो कि श्लोक १३४ के भाष्य में मेधातिथि जो अन्य पांच भाष्यकारों से प्राचीन हैं लिखते हैं कि. -

व्यासदर्शनात्तु भोजयितुरयं दोषः न भोक्तु न पितृणां न  
तावन्मृतानामन्यकृतेन प्रतिपेधातिक्रमेण दोषसम्बन्धोयुक्त । अकृ-  
ताभ्यागमादिदोषापत्तेः । यद्वि हि पुत्रेण तादृशो ब्राह्मणो भोजितः  
को पराभ्ये मृतानाम् ? ननु चोपकारोऽपि पुत्रकृतः पितृणामनेन  
न्यायेन न प्राप्नोति ? न प्राप्नुयाद्यदि तादर्थ्येन श्राद्धादि नोदितं  
स्यात् । इह तु नास्ति चोदना ॥ इत्यादि )

दूसरे तपरत्पर होते हैं और कोई तप अध्ययनरत होते हैं और कोई यज्ञादि कर्म में तत्पर होते हैं ॥१३४॥ उन में ज्ञाननिष्ठ को श्राद्धो में यत्नपूर्वक भोजन देवे, अन्य यज्ञो में क्रम से चारों को भी भोजन देवे ॥१३५॥ जिस का पिता वेद न पढ़ा हो और पुत्र पढ़ा हो या जिस का पुत्र न पढ़ा हो और पिता वेद जानने वाला हो ॥१३६॥ इन में श्रद्ध उस को जाना, जिस का पिता श्रोत्रिय हो। परन्तु वेद पूजन को दूसरा याग्य है ॥१३७॥ श्राद्ध में मित्र का भोजन न करावे, धन से इस का सत्कार करे और जिस का न तो मित्र जान न शत्रु ऐसे द्विज का श्राद्ध में भोजन करावे ॥१३८॥ जिस के श्राद्ध और हवि, मुख्यतः मित्र खाते हैं, उस को पारलौकिक फल न श्राद्धो का है, न यज्ञो का ॥१३९॥ जो मनुष्य अज्ञानवश श्राद्ध द्वारा मित्रता करता है, वह अधम श्राद्ध मित्र द्विज स्वर्गलोक से पतित होता है ॥१४०॥ वह दान प्रक्रिया द्विजों ने पंशाची कही है कि जिस किसी के आपने भोजन किया है, उसी का परस्पर जिमाना, यह इसी लोक में फल देने वाली है, जैसे अन्धी गौ एक ही घर में खड़ी रहती है ( दूसरी जगह नहीं

---

अर्थात् व्यासस्मृति से तो भोजन कराने वाले को यह दोग है, न भोजन करने वाले और न पितरों को क्यों कि मरों को अन्य के किये अपराध का फल युक्त नहीं है। ऐसा हो तो अकृताभ्यागम= विना कर्म किये फल भोगादि दोग प्राप्त होगा। क्यों कि पुत्र ने ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराया इस में मरे पितरों का क्या अपराध है? तो फिर ऐसे न्याय से तो पुत्र का किया श्राद्धरूप उपकार भी पितरो को न मिलना चाहिये? हां जो मरों के लिये विधान किया हो तो नहीं मिल सकता। परन्तु यहां तो मरों के लिये विधि नहीं है ॥ ( इत्यादि )



जाती ) ॥१४१॥ जैसे ऊपर भूमि में बीज बोने से बोने वाला फल नहीं पाता, वैसे बिना वद पड़े को हवि देकर देने वाला फल नहीं पाता ॥१४२॥ वेद जानन वाले ब्राह्मण को यथाशात्र दिया हुआ दान; दाता और प्रतिमहीता देना का इस लोक और परलोक में फल का भागी करता है ॥१४३॥ श्राद्ध में मित्र को चाहे बैठा देवे, परन्तु शत्रु विद्वान हो तो भी उसे न बैठावे, क्या कि जो द्वेष-भावसे भक्षण किया हवि है, वह परलोकमें निष्फल होता है ॥१४४॥ पूर्ण ऋग्वेदी को श्राद्ध में भोजन करावे, उमी प्रकार सशाख यजुर्वेदी और जो सम्पूर्ण सामवेद पढा है और जिसने वेद समाप्त किया है ऐसे ब्राह्मण को यत्नपूर्वक भोजन करावे ॥१४५॥ इन में से कोई ब्राह्मण अच्छे प्रकार पूजित किया हुआ जिम के श्राद्ध में भोजन करता है, उस के पितरों का निरन्तर सात पुरुष तक वृत्ति होता है ॥१४६॥

“एष वै प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययो । अनुकल्पस्त्वर्यं ज्ञेयः ।  
सदा सद्भिरनुष्ठितः ॥१४७॥ मातामहं मातुलं च स्वध्रीयं  
श्वशुरं गुरुम् । दौहित्रं विट्पतिं वन्धुमृत्विग्याभ्यां च भोजयेत्  
॥१४८॥ न ब्राह्मणं परीक्षेत देवे कर्मणि धर्मविन । पित्र्ये कर्मणि  
तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः ॥१४९॥ ये स्तेनपतितक्लीबा ये च  
नास्तिकवृत्तयः । तान् हव्यकव्ययोर्विप्राननर्हान् मनुरब्रवीत् ॥१५०॥  
जटिलं चानधीयानं दुर्बलं कितव्यं तथा । याजयन्ति च ये पूगां-  
स्तांश्च श्राद्धे न भोजयेत् ॥१४१॥ चिकित्सकान् देवलकान्मांस-  
विक्रयिणस्तथा । विपरोन च जीवन्तो वर्ज्याः स्युर्हव्यकव्ययो  
॥१५२॥ प्रेक्ष्यो ग्रामस्य रामश्च कुनखी श्यावदन्तकः । प्रतिरोद्धा  
गुरोश्चैव त्यक्ताग्निर्वार्धुषिस्तथा ॥१५३॥ यक्ष्मी च पशुपालश्च

परिवेत्ता निराकृतिः । ब्रह्मद्विदपरिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च  
 ॥१५४॥ कुशीलवोऽथकीर्णं च वृषलीपतिरेव च । पौनर्मवश्च  
 काणश्च यस्य चोपपतिर्गृहे ॥१५५॥ भृतकाध्यापको यश्च भृत-  
 काध्यापितस्तथा । शूद्रशिष्यो गुरुश्चैव वाग्दुष्टः कुण्डगोलकौ ॥१५६॥

“हव्य और कव्य के देने में यह मुख्य कल्प कहा है और इसके अभाव में आगे जा कहने हैं उस को अनुकल्प जाने। वह साधुओं से सर्वग अनुष्ठान किया गया है ॥१४७॥ इन १० माता-महादि को भोजन करावे नाना १, मामा २, भानजा ३, ससुर ४, गुरु ५, धेवता ६, जंबाई ७, मौसी का लड़का ८ ऋत्विज् ९, तथा याज्य अर्थात् यज्ञ कराने योग्य १० ॥१४८॥ चाहे धर्म का जानने वाला यज्ञ में भोजन के लिये ब्राह्मण की परीक्षा न करे परन्तु श्राद्ध में यत्नपूर्वक परीक्षा करे ॥१४९॥ जो चार महापातकी नपुंसक और नास्तिक वृत्ति वाले हैं ये विप्र मनु ने हव्य कव्य के अयोग्य कहे हैं ॥१५०॥ जटाधारी परन्तु वेपदा, दुर्बल, जुआरी और बहुत उद्यापन कराने वाला, इन सब को श्राद्ध में भोजन न करावे ॥१५१॥ वैद्य, पुजारी, मांस का बेचने वाला और वाणिज्य से जीने वाला ये सब हव्य और कव्य में निषिद्ध हैं ॥१५२॥ ग्राम और राजा का हलकारा, कुनखी, काले दांत वाला, गुरु के प्रतिकूल चलने वाला, अग्निहोत्र का छोड़ने वाला व्याज जीवी ॥१५३॥ क्षयरोगी वृत्ति के लिये गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का पालने वाला, परिवेत्ता, नित्यकर्मानुष्ठान से रहित, ब्राह्मण का द्वेष करने वाला, परिवित्ति ( देखो १७१ ) समुदाय के हव्य से अपना जीवन करने वाला ॥१५४॥ कथावृत्ति करने वाला, जिस का ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ हो, शूद्र से विवाह करने वाला, पुनर्विवाह का लड़का, जिस की स्त्री का जार हो ॥१५५॥ वेतन

लेकर पढ़ाने वाला और उमी प्रकार पढ़ने वाला, जिस गुरु का शूद्रशिष्य हो, कटु बोलनेवाला, कुण्ड गोलक (देखा १७४) ॥१५६॥

“अकारणपरित्यक्ता मातापित्रोर्गोस्तथा । ब्राह्मैर्यैर्नैश्च सम्बन्धैः  
 भयोंगं पनितैर्गतः ॥१५७॥ अगारदार्ढी गरदः कुण्डाशी सोम-  
 विक्रयी । समुद्रयायी वन्दी च तैलिकः कूटकारकः ॥१५८॥  
 पित्रा विवदमानश्च क्तिन्वोमद्यपस्तथा । पापरोग्र्यभिशस्तश्च दाम्भिके  
 रत्नविक्रयी ॥१५९॥ धनुशराणां कर्ता च यश्चाप्रे द्विविषुपति ।  
 मित्रु गृह्यतृत्तिश्च पुत्राचार्यस्तथैव च ॥१६०॥ भ्रामरी गण्ड-  
 माली च शिव च ऽथो पिशुनस्तथा । उन्मत्तोऽन्धश्च वर्ज्या  
 स्युर्वेदनिन्दक एव च ॥१६१॥ हस्तिगोश्वोऽट्टमको नक्षत्रेश्च  
 जीवति । पक्षिणां पोमको यश्च युद्धाचार्यस्तथैव च ॥ १६२ ॥  
 द्योतमां नेदको यश्च नेपां चामरणे रतः । गृह्मवेशको ऽतो  
 वृत्तारोपक एव च ॥१६३॥ श्वकीडी ज्येनजीवी च कन्या दृषक एव  
 च । हिन्दो वृषलवृत्तिश्च गणानां चैव याजकः ॥१६४॥ आचारहीन  
 क्णश्च नित्यं याचनकस्तथा । कृपिजीवी श्लीपदी च सद्भिर्निन्दित  
 एव च ॥१६५॥ औरभ्रिको माहिपिक परपूर्वापतिस्तथा ।  
 प्रेतनिर्यातकश्चैव वर्जनीयाः प्रयत्नत ॥१६६॥ एतान्विर्गहिना-  
 चारानपाङ्क्त्यान् द्विजायमान् । द्विजातिप्रवरो विद्वानुभान् च  
 विवर्जयेन् ॥१६७॥ ब्राह्मणम्बनरीयानस्तृणाग्निरिव शाम्यति ।  
 तन्मै ह्यन्य न दातव्यं न हि भस्मनि ह्यो ॥१६८॥ अगच्छ  
 दाने यो दातुर्भवत्यूर्ध्वं फलोद्भयः । देवे हविषि पित्र्ये वा तत्प्रव-  
 द्याम्यशेषतः ॥१६९॥”

“विना कारण माता पिता गुरु का त्यागने वाला, पतितों से  
अध्ययन और कन्यादानादि सम्बन्ध वाला ॥१५७॥ घर का जलाने  
वाला, धिप देने वाला, कुण्ड का अन्न खाने वाला, सोम बेचने  
वाला, समुद्र पार जाने वाला, राजा की स्तुति करने वाला, तेली  
और कूँठा सान्नी, ॥१५८॥ पिता से लड़ने वाला, धूर्त, मद्य पीने  
वाला, कुष्ठी, कलङ्की, दम्भी, रस बेचने वाला ॥१५९॥ धनुष बाण  
का व्रताने वाला (बड़ी बहिन से पहिले जिस छोटी का विवाह होता  
है वह अग्नेदिधिपु कहाती है) अग्नेदिधिपु को पति, मित्र से द्रोह  
करने वाला, जुबेका रोजगार करने वाला, पुत्रसे पढ़ा हुआ ॥१६०॥  
मिरगी वाला, गरुडमाली, श्वेतकोढ़ वाला, चुगलखोर, उन्मादरोग  
वाला, और अन्धा ये वर्जित है । और वेद की निन्दा करने वाला  
॥१६१॥ मथी, बैल, घोडा और ऊँट को सीधा चलना सिखाने  
वाला, ज्योतिषी, पक्षियों का पालने वाला, युद्ध विद्या सिखाने वाला  
॥१६२॥ नहर आदि तोड़ने वाला, उसका वन्द करने वाला, गृह-  
वस्तु विद्या से जीविका करने वाला, दूत, वृक्षों का लगाने वाला  
॥१६३॥ कुन्नों से खेलने वाला, वाज खरीदने बेचने वाला, कन्या  
से गमन करने वाला हिमा करनेवाला शूद्रवृत्तिवाला (विनायकादि)  
गणों की पूजा कराने वाला ॥१६४॥ आचारसे हीन, नपुंसक, नित्य  
भीख मागने वाला, खेती करनेवाला, पीलिया रोगवाला, और जो  
सत्पुरुषोंसे निन्दित हो ॥१६५॥ भेंडा और भैंससे जीनेवाला, द्वितीया  
विवाहिता का पति, प्रेतका धन लेने वाला, ये (ब्राह्मण) यत्नपूर्वक  
आद्व में वर्जनीय हैं ॥१६६॥ इन निन्दित आचार वाले और पंक्ति-  
वाद्य अधमों को द्विजां से श्रेष्ठ पिद्वान् देव और पितृकर्मों से  
त्याग देवे ॥१६७॥ विना पढ़ा ब्राह्मण फूस की अग्नि के समान  
ठण्डा हो जाता है । इससे उस ब्राह्मण को हवि न देवे, क्योंकि





राख में होम नहीं किया जाता ॥१६८॥ पंक्तिवाह्य ब्राह्मणों को देवताओं के हव्य और पितरों के कव्य देने में दातार को जो देने के ऊपर फल होता है, वह सम्पूर्ण में आगे कहूँगा ॥१६९॥”

अत्रतैर्यद् द्विजेर्भुक्तं परिवेत्तादिभिस्तथा ।

अपाङ्क्तैर्यैर्यदन्यैश्च तद्वै रक्षांसि भुञ्जते ॥१७०॥

वेदव्रत रहित ब्राह्मण और (वक्ष्यमाण) परिवेत्ता आदि वा और कोई (चोर इत्यादि) पंक्तिवाह्यों ने जो भोजन किया, उसको राक्षस भोजन कहते हैं ॥१७०॥

द्वाराग्निहोत्र संयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते ।

परीवेत्ता स विद्येयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥१७१॥

परिवित्तिः परीवेत्ता यगा च परिविद्यते ।

सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ॥१७२॥

जो कनिष्ठ ज्येष्ठ भ्राता के रहते, उससे प्रथम विवाह और अग्निहोत्र करे, उसको “परिवेत्ता” और ज्येष्ठ को “परिवित्ति” जानें ॥१७१॥ परिवित्ति और परिवेत्ता और वह कन्या तथा कन्या का देने वाला और याजक = विवाह का आचार्य, ये पांचों सब नरक को जाते हैं ॥१७२॥

भ्रातुर्मृतस्य भार्यायां योऽनुरज्येत कामतः ।

धर्मेणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिषूपतिः ॥१७३॥

पद्मदारेषु जायेते द्वौ सुतौ कुण्डगोलकौ ।

पत्यौ जीवति कुण्डः स्यान्मृते भर्तृरिगोलकः ॥१७४॥

सरे भाई की भार्या से धर्मानुसार नियोग भी किया हो परन्तु

उसमे जो कामवश होकर प्रीति करे उसे दिधिपपति जानें ॥१७३॥  
परत्री से उन्नत हुये वे पुत्रों को कुण्ड और गोलक कहते हैं ।  
पति के जीवने जो हो वह कुण्ड और मरने पर हो वह गोलक है  
(१७० से यहां तक भी चिन्त्य हैं) ॥१७४॥

‘ नौ तु चानौ परत्रे प्रानौ प्रे-प्र चेइच । दत्तानि ह्य्यकव्यानि  
नाशयेते प्रदायिनाम् ॥१७५॥ आपङ्क्त्यो यावतः पाङ्क्त्यान्  
भुञ्जानाननुपश्यति । तावतां न फलं प्रेयदाताप्राप्नोति वालिश  
॥१७६॥ वीह्यन्वो नयते काण पत्रे शिवत्री शतस्य तु ।  
पापरोगी सहस्रस्य दातुर्नारायते फलम् ॥१७७॥ यावतः संस्पृशे-  
दङ्गर्वाङ्गणाङ्गुदयाजकः । तावतां न भवेदातुः फलं दानस्य  
पौर्तिकम् ॥१७८॥ वेदविन्चापि विप्रोऽस्य लोभात्कृत्वा प्रति ह्य  
विनाशं व्रजति क्षिप्रमामपात्रमिवाग्भमि ॥१७९॥ सोमविक्रयिणे  
विद्या भिरजे पूयरोहितम् । नष्टं देवलकं दत्तम् प्रतिष्ठं तु  
वायुर्पौ ॥१८०॥”

“देने वाले के ह्य और कव्यों को इस लोक और परलोक में  
जो दूसरे के क्षेत्र में उन्नत हुये है नष्ट करते हैं ॥”

(श्लोक १७५ से फिर अमम्यद्व परस्पर विरुद्ध मृतकश्राद्धे  
के श्लोक चलते हैं । १७६-१८२ तक मे पङ्क्तिवाह्यों के भाजन  
कराने का फल नष्ट कह कर १८३-१८६ तक पङ्क्तिपावन ब्राह्मण  
गिनाये है । जबकि पङ्क्तिपावन पङ्क्ति को पवित्र कर देता है तो  
श्लोक १७७ का यह कहना वृथा है कि अन्धा ब्राह्मण अपनी दृष्टि  
से ९० वेदपाठियों के जिमाने के फल को नष्ट करता है । काणा ६०  
के श्वेतकुष्ठी १०० के और पापरोगी १००० के फल को नष्ट करता



है। फिर भला पंक्तिपावनता क्या रही? अन्धे आदि ही बलवान् रहे। अन्धा देख भी नहीं सकता इसलिये भी १७६ वां श्लोक असम्भव दोषयुक्त है। १७९ में कहा है कि वेदज्ञ ब्राह्मण भी पङ्क्तिबाह्य के साथ लोभ से प्रतिग्रह ले तो नष्ट हो जाता है और वेदज्ञ को १८४ वे में पंक्तिपावन कहा है। यह परस्पर विरोध है। १८७ वे में १, २ वा ३ ब्राह्मण श्राद्ध में लिखे हैं और पूर्व भी विस्तार को वर्जित किया है तो फिर ६०।९०।१००।१००० जब श्राद्ध में जिमाये ही नहीं जाते तब फल नाश किनका होगा? १८८ वे में श्राद्ध जिमाने और जीमनेवाले को उसदिन वेद पढ़नेका निषेध भी चिन्तनीय है। १९४ में विराट् का मनु; मनुके मरीच्यादि, उनके पुत्र पितर लिखे हैं। फिर मनुष्यों के मृत माता पिता आदि का उद्देश्य कहाँ रहा? १९५ से १९७ तक भिन्न जातियोंके सोमसदादि भिन्न २ पितर कहे हैं तब मनुष्य जाति का सबका श्राद्ध व्यर्थ है।

२०५ से २८३ तक मृतकश्राद्धकी विधि और मांसोंका वर्णन है जिनसे इन कल्पित पितरों की वृत्ति की कल्पना की गई है। जब मृतकश्राद्ध ही वेद विहित नहीं तब उनके विधानादि स्मृत्युक्त सभी निष्फल और दुष्फल हैं और तृतीयाऽध्याय के अन्तिम श्लोक २८६ में कहा है कि यह पञ्चमहायज्ञ का विधान वर्णन किया गया” इससे भी पाया जाता है कि बीच के २८३ तक कहे मृतक पितरों के मासिकादि श्राद्ध प्रक्षिप्त हैं क्योंकि पञ्चमहायज्ञ तो गृहरथ का नैतिक कर्म है नैमित्तिक नहीं ॥१७५॥

पंक्ति के अयोग्य पुरुष अपाङ्क्त्य पूर्वोक्त चौगदि, जितने भोजन करते हुवे श्रोत्रियादि को श्राद्ध में देखते हैं, उतनों का फल भोजन कराने वाला मूर्ख नहीं पाता ॥१७६॥ अन्धा देखकर दाता के ९० श्रोत्रियादि ब्राह्मणों के भोजन का फल नष्ट करता है और कारण ६० का, श्वेद कोढ़ वाला १०० का और पापरोगी १०००

ब्राह्मणों के भोजन का फल नष्ट करता है ॥१७७॥ शूद्र का यह कराने वाला अङ्गो से जितने श्राद्ध में भोजन करने वालों को छूवे, उतनों का पूर्ण सम्यन्धी श्राद्ध का फल दाता कौन होगा ॥१७८॥ घेद का जानने वाला भी विप्र शूद्रयाजक के साथ लोभ से प्रतिप्रद लेकर श्राद्ध नष्ट हो जाना है जैसे कच्चा वातन पानी में नष्ट हो जाता है ॥१७९॥ सोमविक्रयी को जो हव्य कव्य देवे तो विष्टा होती और वैद्य को देवे तो पीव रक्त और पुजारी को देने से नष्ट होता है तथा व्याजगृहि को देवे तो अप्रतिष्ठित होता है ॥१८०॥”

“यन् वाणिजके दत्तं नेह नामुत्र तद्वेत् । भस्मवीव हुतं हव्यं तथा पौनर्भवे द्विजे ॥१८१॥ इतरेषु त्वपांक्तयेषु यथोद्दिष्टेषु साः । मेदाम् मांसमज्जास्थि वदन्यन्नं मनीषिणः ॥१८२॥ अ॥ कृपावहता पङ्क्ति पाठ्यं यैर्द्विजोत्तमैः । तान्निबोधत क्वात्स्न्येन द्विजात्रयान्प्रङ्क्तेपावनान् ॥१८३॥ अप्रयाः सर्वेषु त्रेदेषु सर्वप्रवचनेषु च । श्रोत्रियान्वयत्राधैव विज्ञेयाः पङ्क्तिपायनाः ॥१८४॥ त्रिणाचिकेत पञ्चाग्निमिसुपर्णाः पडङ्गविन् । ब्रह्मदेशात्मसन्तानो ज्येष्ठंमामग एव च ॥१८५॥ वेदार्थवित्प्रवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्रदं । शतायुश्चैव विज्ञेयाः ब्राह्मणाः पङ्क्तिपावनाः ॥१८६॥ पूर्वेषुरपरेद्युर्वा श्राद्धकर्मण्युपस्थिते । निमन्त्रयेत ष्यवरान्सम्यग्विप्रान्यथोदितान् ॥१८७॥ निमन्त्रितो द्विजः । फिष्ये निमित्तात्मा भवेत्सदा । न च छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्धं च तद्वेत् ॥१८८॥ निमन्त्रितान्हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्द्विजान् । वायुवर्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥१८९॥ केचितस्तु यथान्प्रार्थं हव्यकव्ये द्विजोत्तमः । कथञ्चिदप्यतिक्रामन्पापः

सूकरतां व्रजेत् ॥१९०॥ आमन्त्रितास्तु यः श्राद्धे दृपत्या मह  
 मोदते । दातुर्गद्गुष्कृतं किञ्चित्तत्सर्वं प्रतिपद्यते ॥१९१॥ अक्रोधना  
 शौचपराः संततं ब्रह्मचारिणः । न्यस्तशस्त्रा महाभागाः पितरः  
 पूर्वदेवताः ॥१९२॥ यस्माद्दुत्पत्तिरेतेषां सर्वेषामप्यशंसत । ये च  
 चैरुपचर्याः स्युर्नियमैन्तान्निवोधत ॥१९३॥ मनोर्हैरयगर्भस्य ये  
 मरीच्यादयः सुताः । तेषामृषीणां सर्वेषां पुत्रा पितृगणाः  
 । गृह्णताः ॥१९४॥”

वनिये की वृत्ति करने वाले ब्राह्मण को देवे तो यहा तथा  
 परलोक मे कुछ फल नहीं जैसे राख मे घी जलाना वैसे पुनर्विवाह  
 के लडके को देवे तो राख के होमवन् व्यर्थ है ॥१८१॥ और इतर  
 ऋषाक्षर्यों को देने में भेद रक्त भान सज्जा हट्टी होती है । ऐसा  
 विद्वान् कहते हैं ॥१८२॥ असाधुओं से भ्रष्ट पक्ति जिन द्विजोत्तमों  
 से पवित्र होती है उन पक्तियों के पवित्र करने वाले सव द्विज-  
 श्रेष्ठों का सुना ॥१८३॥ जो चारों वेदों के जानने वाले और वेद के  
 सम्पूर्ण अर्हों के जानने वाले, श्रोत्रिय, परम्परा से वेद-अध्यायन जिन  
 के होता है उनका पंक्तिपावन जान ॥१८४॥ कठोपनिषद् मे कहे  
 व्रत का त्रिणाचिकेत कहते हैं उमके करन वाला भी त्रिणाचिकेत  
 कहलाता है और पूर्वोक्त पञ्चाग्नि वाला वैन ही ऋग्वेद के  
 ब्राह्मणोक्त व्रत करने वाला त्रिसुपर्ण कहलाता है और छद्म  
 का जानने वाला और ब्राह्मविवाहिता स्त्री से उत्पन्न हुआ और  
 साम के आरण्यक (गान विना) का गान वाला -इसका पंक्ति  
 पावन जाने ॥१८५॥ वेद के अर्थों का जानने वाला और उमी का  
 पढ़ाने वाला और ब्रह्मचारी और महत्त गोदान करने वाला और  
 सौ वर्ष का इनका भी पंक्ति के पवित्र करने वाले जाने ॥१८६॥

श्राद्ध के प्रथम दिन वा उर्मी दिन यथोक्तगुण वाले और ब्राह्मणों को सत्कारपूर्वक तीन वा न्यून को निमन्त्रण देवे ॥१८७॥ श्राद्ध में निमन्त्रित ब्राह्मण श्राद्ध के दिन नियम वाला होवे और वेदाध्ययन न करे। ऐसे ही श्राद्ध करने वाला भी ॥१८८॥ पितर उन निमन्त्रित ब्राह्मणों के पास आते हैं और वायु तुल्य उनके पीछे चलते हैं और बैठोंके पास बैठे रहते हैं ॥१८९॥ श्रेष्ठ ब्राह्मण हव्य कथ्य से यथाशास्त्र निमन्त्रित किया हुआ निमन्त्रण स्वीकार करके फिर किसी प्रकार भोजन न करे तो उस पाप से जन्मान्तर में सूकर होवेगा ॥१९०॥ जो ब्राह्मण श्राद्ध में निमन्त्रित हुआ शूद्र स्त्री के साथ मैथुन करे वह श्राद्ध करने वाले के सम्पूर्ण पाप को पाता है ॥१९१॥ क्रोध रहित भीतर बाहर से पवित्र निरन्तर जितेन्द्रिय, हथियार छोड़े हुए और दयादि गुणों से युक्त पूर्व देवता पितर हैं ॥१९२॥ इन सब पितरों की जिससे उत्पत्ति है और जो पितर जिन नियमों से पूजित होते हैं उन नियमों को सम्पूर्णतया सुनो ॥१९३॥ भ्रायम्भुव मनु के पुत्र मरीच्यादि हैं और उनके पुत्रों को पितृगण कहा है ॥१९४॥”

“विराट्मुता सोमसद साध्यानां पितरः स्मृताः । अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोऋविश्रुता ॥१९५॥ दैत्यदानत्रयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् । सुपर्णाकिन्नराणां च स्मृता बर्हिपदेऽत्रिजाः ॥१९६॥ सोमपा नाम विप्राणां क्षत्रियाणां हविर्भुजः । वैश्यानामाज्यपा नाम शूद्राणां तु सुकलिनः ॥१९७॥ सोमपास्तु कवेः पुत्रा हविष्मन्तोऽङ्गिरस्सुताः । पुलस्त्यस्याज्यपा पुत्रा वसिष्ठस्य सुकलिनः ॥१९८॥ अग्निदग्धानग्निदग्धान्काव्यान्वर्हिपदस्तथा । अग्निष्वात्तांश्चसोम्यांश्च विप्राणामेव निर्दिशेत् ॥१९९॥ य एते तु गणा मुख्याः पितृणां परिकीर्तिताः । तेषामपीह विज्ञेयं पुत्र-



पौत्रमनन्तकम् ॥२००॥ ऋषिभ्यः पितरो जाता पितृभ्यो देव-  
मानवाः । देवेभ्यस्तु जगन् सर्वं चरम्याणवतुपूर्वशः ॥२०१॥  
राजतैर्भाजनैरेयामथो वा राजतान्वितैः । वार्यपि श्रद्धया दत्तम-  
क्षयायोपकल्पते ॥२०२॥ देवकार्याद् द्विजातीनां पितृकार्यं  
विशिष्यते । दंवा हि पितृकार्यम्य पूर्वमाप्यायनं श्रुतम् ॥२०३॥  
तेषामारक्षभूतं तु पूर्वं दंवं नियोजयन् । रक्षांसि हि विलुम्पन्ति  
श्राद्धमारक्षवर्जितम् ॥२०४॥ दंवाद्यन्तं तदीहेत पित्राद्यन्तं न  
तद्भवेत् । पित्राद्यन्तं त्वीहमानं क्षिप्रं नश्यति सान्वयः ॥२०५॥  
शुचि देशं विविक्तं च गोमयेनोपलेपयेत् । दक्षिणाप्रवणं चैव  
प्रयत्नेनोपपादयेत् ॥२०६॥ अवकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चैव हि  
विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥२०७॥ आसनेषु-  
पःक्षेत्रेषु बर्हिष्मत्सु पृथक् पृथक् । उपस्पृष्टोदकान्सम्यग्विप्रांस्तान्  
नुपवेशयेत् ॥२०८॥ उपवेश्य तु तान्विप्रानासनेष्वजुगुप्सितान् ।  
गन्धमाल्यैः सुरभिभिरर्चयेद्देवपूर्वकम् ॥२०९॥ तेषामु-कमानीय  
सुपवित्रांस्तिलानपि । अग्नौ कुर्यादनुज्ञातो ब्राह्मणो ब्राह्मणैः  
सह ॥२१०॥

" विप्राद् के पुत्र सोमसद् नाम वाले साध्यों के पितर हैं ।  
मरीचिके पुत्र लोक विख्यात अग्निध्वान्त देवोंके पितर हैं ॥१९५॥  
बर्हिषद् नाम अत्रि के पुत्र दैत्य दानव यक्ष, गन्धर्व सर्प, राक्षस  
सुपर्ण और किन्नरों के पितर हैं ॥१९६॥ सोमपा नाम ब्राह्मणों के  
और क्षत्रियों के हविर्भुज तथा वैश्यों के आज्यपा नाम और शूद्रों  
के सुकालिन् पितर कहे हैं ॥१९७॥ भृगु के पुत्र सोमपा और  
अङ्गिरा के पुत्र हविष्मन्त और पुलस्त्य के पुत्र आज्यपा और

वसिष्ठ के सुकलानि. ये पितर इन् ऋषियों से उत्पन्न हुवे ॥१९८॥  
 अग्निदग्ध अन्नग्निदग्ध कान्य, वह्निपद् और अग्निप्यात्त तथा  
 सौम्यो का ब्राह्मणो के पितर कहा है ॥१९९॥ ये इतने तो पितरोंके  
 गण मुख्य कहे हैं, परन्तु इन् जगत् मे उनके पुत्र भी अन्त  
 जानने ॥२००॥ ऋषियों से पितर हुवे और पितरों से देवता तथा  
 मनुष्य हुवे और देवता से ये सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम क्रम से हुवे  
 ॥२०१॥ चांदी के पात्रों से या चांदी लगे पात्रों से पितरों का श्रद्धा  
 करके दिया पानी भी अक्षय सुख का हेतु होता है ॥२०२॥ (इन्  
 श्लोकों मे पाया जाता है कि मरे हुवे पिता आदि पितर नहीं हैं)  
 द्विजातियों का देव कार्य से पितृ कार्य अधिक कहा है। क्योंकि  
 दंडकार्य पितृकार्य का पूर्वाङ्ग तर्पण सुना है ॥२०३॥ पितरों के  
 रक्षा करने वाले देवताओंका श्राद्ध मे प्रथम स्थापन करे क्योंकि  
 रक्षक रहित श्राद्ध को राक्षस नष्ट कर देते हैं ॥२०४॥ श्राद्ध में  
 प्रा रम्भ और समाप्ति दोनों देवतापूर्वक करे, पित्रादि पूर्वक न करे।  
 पित्रादिपूर्वक करने वाला शीघ्र वंशमहित नष्ट हो जाता है ॥२०५॥  
 एकान्त और पवित्र देश का गोवर से लीपे और दक्षिण की ओर  
 का नीची बेंदी प्रयत्न से बनावे ॥२०६॥ खुली जगह और पवित्र  
 देश वा नदी के तीर पर या निर्जन देश मे श्राद्ध करने से पितर  
 प्रसन्न होते हैं ॥२०७॥ उस देश मे कुश सहित अच्छे प्रकार  
 अलग २ विज्रायं हुवे आसनों पर स्नान आचमन कियं हुवे निम-  
 न्त्रित ब्राह्मणों को बैठावे ॥२०८॥ अनिन्धित ब्राह्मणों को आसन  
 १२ बैठा कर अच्छे सुगन्धित गन्धमाल्यों स देवपूर्वक पूजे  
 (अर्थात् प्रथम देवस्थान के ब्राह्मणों को पूज कर पश्चात् पितृस्था-  
 नीय ब्राह्मणों की पूजा करे) ॥२०९॥ उन ब्राह्मणों का पवित्री और  
 तिलों से युक्त अर्घ्योदक लाकर ब्राह्मणों के साथ श्राद्ध करने वाला  
 ब्राह्मण अग्नि में होम करे ॥२१०॥





"अग्नेः सोमयनाम्नां च कत्वाप्यायनमादित । हविर्दानेन विधि-  
वत्पश्वान् संतपयेत्पितृन् ॥२११॥ अग्न्यग्नात्रे तु विप्रस्य  
पाणावेवोपपादयेन् । योऽग्निः स द्विजोविप्रैर्मन्त्रांशभिरुच्यते  
॥२१२॥ अक्रोधनान्मुप्रसाशन्वदन्त्येतान् पुरातनान् । लोकम्याप्यायने  
युक्तान् श्राद्धदेवान् द्विजोत्तमोन् ॥२१३॥ अपसव्यमग्नौ कृत्वा  
सर्वमावृत्य विक्रमम् । अपसव्येन हस्तेन निर्वपेदुदकं भुवि  
॥ २१४ ॥ त्रींस्तु तस्माद्द्विः शेषात्पिण्डान्कृत्वा समाहितः ।  
श्रौद्धकेनैव विधिना निर्वपेदक्षिणामुख ॥२१५॥ न्युप्य पिण्डांस्त-  
त्तरतांस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम् । तेषु दर्भेषु तं हस्तं निमृज्याह्लेप  
भागिनाम् ॥२१६॥ आचम्योदक्परावृत्य त्रिरायस्य शनैरसून् ।  
पङ्क्तून्श्च नमस्कुर्यात्पितृन्व च मन्त्रवित् ॥२१७॥ उ-कं निनये-  
च्छेषं शनैः पिण्डान्तिके पुनः । अवजिघ्रैच्च तान्पिण्डान्यथा-  
न्युमान्समाहितः ॥२१८॥ पिण्डेभ्यस्त्वल्पिकां मात्रां समा-यानु-  
पूर्वशः । तेनैव विप्रानासीनान् विधिवत्पूर्वमाशयेन् ॥२१९॥  
धियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निर्वपेत् । विप्रवद्वापि तं श्राद्धे  
स्वकं पितरमाशयेत् ॥२२०॥ पिता अग्न्य निवृत्तः स्याज्जीवेच्छापि  
पितामहः । पितुः स नाम संकीर्त्य कीर्तयेत्प्रपितामहम् ॥२२१॥  
पितामहो वा तच्छ्राद्धं भुञ्जीतेत्यब्रवीन्मनुः । कामं वा समनु-  
ज्ञातः स्वयमेव समाचरेत् ॥२२२॥ तेषां दत्त्वा तु हस्तेषु सप्तवित्रं  
तिलोदकं । तत्पिण्डाग्रं प्रयच्छेत् स्वधैषामस्त्विति ब्रुवन् ॥२२३॥  
पाणिभ्यां तूपसंगृह्य स्वयमन्नस्य वर्धितम् । विप्रान्तिके पितृन्ध्या-



यन शनकैरुपनिक्षिपेत् ॥२२४॥ उभयार्हस्तयोर्भुक्तं यदन्नमुपनीयते  
तद्विप्रलुम्पन्त्यसुरा सहसा दुष्टचेतसः ॥२२५॥ गुणांश्च सूप-  
शाकाद्यान् पयोदधि घृतं मधु । विन्यसेत्प्रयतः पूर्वं भूमावेव  
समाहित ॥२२६॥”

प्रथम यथाविधि होम करके अग्नि सोम यम का पर्युक्षण पूर्वक तर्पण करके पश्चात् पितरो को तृप्त करे ॥२११॥ अग्नि के अभाव में होम न करे तो ब्राह्मण के हाथ पर (उक्त तीन) आहुति दे देवे क्योंकि जो अग्नि है वही ब्राह्मण हैं, ऐसा मन्त्र के जानने वाले कहते हैं ॥२१२॥ क्रोध रहित और प्रसन्नचित्त वाले और वृद्ध तथा लोगों की वृद्धि में उद्योग करने वाले द्विजोत्तमो को श्राद्ध पात्र कहते हैं ॥२१३॥ अपसव्य से अनौकरणादि होम और अनुष्ठानक्रम करके पश्चात् दक्षिण हाथ से भूमि पर पानी डाले ॥२१४॥ उस होम द्रव्य के शेष से तीन पिण्ड बनाके जल वाली विधि से दक्षिण मुख होकर स्वस्थचित्त से (कुशो पर) चढ़ावे ॥२१५॥ विधिपूर्वक उन पिण्डों को (दर्भोपर) स्थापन करके उन दर्भों के ऊपर लेंपभागी पितरों की तृप्ति के लिये हाथ पूंछ डाले ॥२१६॥ अनन्तर उत्तर मुख होकर आचमन और ३ प्राणायाम शनैः २ करके मन्त्र का जानने वाला पटञ्जलुओं और पितरों को भी नमस्कार करे ॥२१७॥ एका चित्त वाला पिण्डदान के पात्र में जो शेष पानी बचा हो उसको पिण्डों के समीप धीरे २ छोड़े । सावधान हुवा जिस क्रम से पिण्डों को रक्खा था उसी क्रम से सूँधे ॥२१८॥ क्रम के साथ प्रत्येक पिण्ड से थोड़ा २ भाग लेकर विधि के साथ उन्हीं अल्प भागों को भोजन के समग्र ब्राह्मणों को प्रथम खिलावे ॥२१९॥ पिता जीता हो तो बाबा आदि का ही श्राद्ध करे वा पिता के स्थान में अपने (जीवते) पिता को भोजन करा देवे

॥२२०॥ पिता जिमका मरगया हो और बाबा जीता हो, तो पिता का नाम उच्चारण करके प्रपितामह का उच्चारण (श्राद्ध में) करे ॥२२१॥ या उस श्राद्ध में जीते पितामह को भोजन करावे ऐसा मनु कहते हैं वा पितामह की आत्मा पाकर जैसा चाहे वैसा करे ॥२२२॥ उन (ब्राह्मणों) के हाथ में सपवित्र तिलोदक देकर पितृ पितामह प्रपितामह के साथ 'स्ववा अस्तु' ऐसा उच्चारण करता हुआ क्रम से बड़ पिण्डका अल्प भाग देवे ॥२२३॥ परिषेक्य अन्नो के पात्रों को अपने हाथों में वृद्धिरस्तु कह कर पितरों का स्मरण करता हवा ब्राह्मणों के समीप धीरे २ रत्नवे ॥२२४॥ (ब्राह्मणोंके) दानो हाथों में न लाये हवे अन्न का अकम्मान् दुष्ट बुद्धि वाले अमुर कीन खाने हैं (इन्मसे एक हाथ से लाकर न रक्खे) ॥२२५॥ चटनी दाल तरकारी इत्यादि नाना प्रकार के व्यञ्जन दूध दही घृत और मधु का पवित्र होकर तथा स्वाथचित्त से प्रथम (पात्र सहित) भूमि पर रक्ख ॥२२६॥

भक्ष्यं भाज्यं च विविधं मूलानि च फलानि च । हृद्यानि चैव  
मांसानि पानानि सुरभीणि च ॥२२७॥ उपनीय तु तत्तर्पणं शनैः  
सुसमाहितः । परिवेषयेत् प्रथतो गुणान्मर्वाङ्गप्रचोदयन् ॥२२८॥  
नाश्रुमापातयेज्जातु न कुप्येन्नानृतं वदेत् । न पादेन स्पृशेन्नं न  
चैतद्वधूनयेत् ॥२२९॥ अन्नं गमयति प्रेतान्कोपोऽरीनऽनृतंसुन  
पादस्पर्शस्तु रक्षांसि दुष्कृतीन्वधूनतम् ॥२३०॥ यद्यत्रोचेत् विप्रे-  
भ्यस्तत्तद्ददमत्सरः । ब्रह्मोद्याश्च कथा । कुर्यात्पितृणामेतदीप्सितम्  
॥२३१॥ स्याद्व्यायं श्रावयेत्पित्र्ये धर्मशास्त्राणि चैव हि । आख्या-  
नानीतिहासांश्च पुराणान्यखिलानि च ॥२३२॥ हर्षयेद् ब्राह्मणान्-  
स्तुष्टो भोजयेच्च शनैः शनैः । अन्नाद्येनासकृच्चैतान् शुण्धैश्च

परिचाद्व्यंत ॥२३३॥ व्रतमथमपि दौहित्रं श्राद्धे यत्नेन भोजयेत् ।  
 कुतपं चामने दद्यान्निलंश्च विकिरेन्महीम् ॥२३४॥ त्रीणि श्राद्धे  
 पवित्राणि दौहित्रं कुतपस्तिला । त्रीणि च य प्रशंसन्ति शौच-  
 मक्रोधमत्वराम् ॥२३५॥ अन्युष्णं सर्वमन्नं स्याद्भुञ्जीरन्ते च  
 वाग्यता । न च द्विजातयो ब्रह्मर्षिणा पृष्ठा हविर्गुणान् ॥२३६॥  
 यावदुष्णं भवत्यन्नं यावदश्नन्ति वाग्यताः । पितरस्तावदश्नन्ति  
 यावन्नोक्ता हविर्गुणा ॥२३७॥ यद्वेष्टितशिरामुं क्ते यद्भूं क्ते दक्षिण-  
 मुखं । सोपानकश्च यद्भुं क्ते तद्वै रक्षांसि भुञ्जते ॥२३८॥  
 चण्डालश्च वराहश्च कुक्कुटः श्वा तथैव च । रचस्त्रला च  
 परहश्च नंक्षेत्रश्नता द्विजान् ॥२३९॥ होमे प्रदाने भोज्ये च  
 शदेभिरभिवीक्ष्यते । दैवे कर्षिणि पित्र्यं वा तद्गच्छत्ययथातथम्  
 ॥२४०॥ घ्राणं सृक्करो हन्ति पक्षवातेन कुक्कुटः । श्वा तु दृष्टि-  
 निपानेन स्पर्शेनाऽधरवर्णजः ॥२४१॥ खञ्जो व यदि वा काणो  
 दातु प्रेष्यापि वा भवेत् । हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपन-  
 येत्युनः ॥२४२॥”

“नाना प्रकार के भक्ष्य भोजन, मूल, फल और हृदय के भांस  
 और सुगन्धि, युक्त पीने के द्रव्य ॥२३७॥ ये सम्पूर्णा अन्न धीरे से  
 ब्राह्मणों के समीप लाकर पवित्रता और स्वस्थ चित्त से मुख  
 के गुण कहता हुआ परोमे ॥२३८॥ (श्राद्ध के समय में) रोदन  
 और क्रोध न करे, झूठ न बोलें, अन्न में पैर न लगावे और अन्न  
 को न फेंके ॥२३९॥ रोने से यह अन्न प्रेतों को मिलता है, क्रोध  
 करने से शत्रुओं को प्राप्त होता है और असत्य भाषण करने से  
 कुत्तों को पहुँचता है तथा पैर लगाने से राक्षस खाते हैं और



कैका हुआ पापी पाते हैं ॥२३०॥ और जो २ अन्न ब्राह्मणों को अच्छा लगे वह २ देवे । मत्सरतारहित होकर ईश्वर सम्बन्धी बात करे क्योंकि पितरों का यही दृष्ट है ॥२३१॥ वेद, धर्मशास्त्र और आख्यान तथा इतिहास पुराण इत्यादि श्राद्धमें सुनवावे ॥२३२॥ प्रसन्न चित्त हुआ आप ब्राह्मणों को प्रसन्न करे और अन्न से जल्दी न करता हुआ भोजन करावे और मिश्रान्न के गुणों से ब्राह्मणों को प्रेरणा करे ॥२३३॥ श्राद्ध में दीहित्र (नाती) ब्रह्मचारी हो तो भी यत्न से भोजन करावे । बैठने को नेपाली कम्बल देवे और श्राद्ध भूमि में तिल डाले ॥२३४॥ श्राद्ध में तीन पवित्र हैं- नाती, कम्बल और तिल । और तीन प्रशंसा के योग्य हैं- १ क्रोध को न करना २ पवित्रता तथा ३ जल्दी न करना ॥२३५॥ बोलना बन्द करके ब्राह्मण भोजन करे । भोजन योग्य जो पदार्थ हैं वे सब उष्ण (गरम) होने चाहिये और श्राद्ध करने वाला भोजनों का गुण पूछे तो भी विप्र न बोलें ॥२३६॥ जब तक अन्न उष्ण है और जब तक मौनयुक्त भोजन करते हैं और जब तक भोजन के गुण नहीं कहे जाते तब तक पितर भोजन करते हैं ॥२३७॥ सिर बांधे हुवे जो भोजन करता है और दक्षिण मुख जो भोजन करता है तथा जूता पहरे जो खाता है वे सब राक्षस भोजन करते हैं (पितर नहीं) ॥२३८॥ चाण्डाल, सूकर मुरगा, कुत्ता रजम्बला स्त्री और तपुंसक, ये सब भोजन करते हुवे ब्राह्मणों को न देखे ॥२३९॥ अग्निहोत्र, नान, ब्रह्म भोज, देवकर्म वा पितृकर्म में जो ये देखें तो वह सब निष्फल हो जाता है ॥२४०॥ सूकर (उस अन्न को) स्पर्शन से (कर्म को) निष्फल करता है । पैरों की हवा से मुरगा और देखने से कुत्ता और छूने से शूद्र निष्फल कर देता है ॥२४१॥ जिसका पैर मारा गया हो वा कारण वा दाता का दास हो वा न्यून या अधिक अन्न खाता हो उसको भाँ (श्राद्ध के

रथान से) हटा देवे ॥२४२॥”

‘ब्राह्मणं भिक्षुकं वापि भोजनार्थमुपस्थितम् । ब्राह्मणैरभ्यनुज्ञातः  
शक्तिं प्रतिपूजयन् ॥२४३॥ सार्ववर्णिकमनाद्यं सन्नीयाप्लाव्य  
धारिणा । सनुत्सृजद् मुक्तवतामभतो विकिरन्मुवि ॥२४४॥ असं-  
स्कृतप्रमीताना र्वाग्निना कुलयापिताम् । उच्छिष्टं भागधेयं स्या-  
द्भेषु विकिरश्च य ॥२४५॥ उच्छेषण भूमिगतमजिह्वस्ना-  
शठम्य च । दामवर्गस्य नत्सि ये भागधेयं प्रचक्षते ॥२४६॥  
आत्मपिण्डक्रियाकर्म द्विजातं संस्थितस्य तु । अद्वैवं भोजये-  
च्छ्राद्धं पिण्डमेकं तु निर्वपेत् ॥२४७॥ सहपिण्डक्रियायां तु कृता-  
यामस्य धर्मत । अनयैवावृता कार्य पिण्डनिर्वपणं सुतैः ॥२४८॥  
श्राद्धं मुग्धा य उच्छिष्टं वृषलाय प्रयच्छति । स मूढो नरकं  
याति कालसूत्रमवाकशिरा ॥२४९॥ श्राद्धमुग्धपत्नीतल्पं तदह-  
र्योऽविगच्छति । तस्याः पुरीषे तमासं पितरस्तस्य शेरते ॥२५०॥  
पृष्ठा स्वदितमित्येवं तृप्रानाचामयेत्ततः । आचान्तांश्चानुजानीयाद-  
मितौ रम्यतामिति ॥२५१॥ स्वधाग्निन्येव तं ब्रूयुर्ब्राह्मणस्तद-  
नन्तरम् । स्वधाकारः परं ह्याग्नी सर्वेषु पितृकर्मसु ॥२५२॥ ततो  
मुक्तवतां तेषमन्नशेषं निवेदयेन् । यथा ब्रूयुस्तथा कुर्यादनुज्ञात-  
रततो द्विजैः ॥२५३॥ पित्र्यं स्वदितमित्येव वाच्यं गोष्ठे तु सुश्रु-  
तम् । संपन्नमित्यभ्युदये देवे रुचितमित्यपि ॥२५४॥ अपराहस्तथा  
दर्भा वास्तुसंपादनं तिलाः । सृष्टिमृष्टिद्विजाश्चप्रया श्राद्धकर्मसु  
संपदः ॥२५५॥ दर्गा पवित्रं पृवाहो हविष्याणि च सर्वशः ।

पवित्रं यच्च पूर्वोक्तम् विज्ञेया ह्यसम्पद. ॥२५६॥ मुन्यन्नानि  
पयः सोमो मांसं यच्चानुपमृतम् । अक्षारलवणं चैव प्रकृत्या  
हविरुच्यते ॥२५७॥ विसृज्य ब्राह्मणांस्तांस्तु नियतो वाग्यतः  
शुचिः । दक्षिणां दिशमाकाक्षन्याचेतेमान्वरान् पितृन् ॥२५८॥”

भिक्षुक वा ब्राह्मण उस काल में भोजनार्थ प्राप्त हो तो उस  
का भी ब्राह्मण की आज्ञा पाकर यथाशक्ति पूजन करे (भाजन  
करावे या भिक्षां देवे) ॥२४३॥ सर्व प्रकार के अन्नादि को एकत्र  
करके पानीसे छिड़क कर भोजन किये हुये ब्राह्मणोंके आगे दर्भपर  
बस्त्ररत्ना हुआ रखे ॥२४४॥ संस्कार के अयोग्य मरे बालका तथा  
त्यागियों और कुल म्त्रियों का उच्छिष्ट कुश पर का भाग विकिर  
(२४४ में कहा) है ॥२४५॥ जो कि भूमि पर गिरा श्राद्ध में उच्छिष्ट  
है वह दासों के समुदाय का भाग है ऐसा मनु कहते हैं । परन्तु  
यह दास समुदाय सीया हो और क्लृप्तिल न हो ॥२४६॥ मरे द्विजो  
की सपिण्डी तक वैश्वदेवरहित श्राद्धान्न (ब्राह्मणों के) जिमात्रे और  
एक पिण्ड देवे ॥२४७॥ परन्तु धर्म से सपिण्डी हो जाने पर पुत्रों  
को उक्त प्रकार से पिण्ड प्रदान करना चाहिये ॥२४८॥ जो श्राद्धो-  
च्छिष्ट को भाजन करके शूद्र को देता है वह सूग्व कालसूत्र नाम  
नरक को जाता है जिसका नीचे का शिर और ऊपर का पंर हेते  
हैं ॥२४९॥ जो श्राद्धान्न भोजन करके उस दिन वेश्याप्रसङ्ग करता है  
उसके पितर उस वेश्याके विष्टा में उस महीने तक लेटते है ॥२५०॥  
एव ब्राह्मण को 'अच्छे भोजन हुआ' ऐसा पूञ्जर आचमन करावे  
पश्चात् आचमन कियों को आराम कीजिये' ऐसा कहे ॥२५१॥ इस  
कहने के अनन्तर ब्राह्मण श्राद्धकर्ता के प्रति 'स्वधा अस्तु' ऐसा  
कहें । क्योंकि सत्र श्राद्धकर्म में स्वधा शब्द का उच्चारण परम  
अशीर्वाद है ॥२५२॥ स्वधा शब्द के उच्चारणाऽनन्तर निवेदन



करे कि 'यह शेष अन्न है' । तब ब्राह्मण इसको जैसा कहें वैसा करे ॥२५३॥ पितृश्राद्ध में स्त्रुतितम् = खूब भोजन किया ऐसा कहे और गोष्ठ श्राद्ध में "सुश्रुतम्" ऐसा कहे और अभ्युदय श्राद्ध में सम्पन्नम् इस प्रकार कहे और देव श्राद्ध में रुचितम् ऐसा कहे ॥२५४॥ दोपहर का समय दर्भ और गोबर से लेपन तिल और उदारता से अन्नानि का देना और अन्न का मंस्कार और पूर्वोक्त पंक्तिपावन ब्राह्मण ये श्राद्ध की सम्पत्ति हैं ॥२५५॥ दर्भ और पवित्र और पहला पहर और सब मुनियों के अन्न और जो पूर्वोक्त पवित्र ये हव्य की सम्पत्ति जानें ॥२५६॥ मुनियों के अन्न दूध सोमलता का रस मांस जो पकाया नहीं गया और सैन्धव नमक को स्वभाव से हवि कहते हैं ॥२५७॥ उन ब्राह्मणों को विसर्जन करके एकाग्र चित्त और पवित्र, मौनी दक्षिण दिशा में देखता हुआ, पितरों से अपने अभिलषित ये वर मांगे कि - ॥२५८॥

"दातागे नोऽभिवर्धन्तां वेदा सन्ततिरेव च । द्वा च नो मात्र्यगमद् बहुधेयं च नोऽस्त्विति ॥२५९॥ [ अन्नं च नो बहु भवेदतिथीश्च लभेमहि । याचितारश्च न मन्तु मा स्म याचिष्म कञ्चन ॥१॥ श्राद्धमुक् पुनरश्नाति तदहुर्यो द्विजा धमः । प्रयाति सूकरा योनिं कृमिर्वा नात्र संशय ॥२॥ ] एवं निर्गपणं कृत्वा पिण्डांस्तांस्तदनन्तरम् । गां विप्रमजमग्निंवा प्राशयेदप्सु वाक्षिपेत् ॥२६०॥ पिण्डनिर्गपणं कैचित्पुरस्तादेव कुर्वते । वयोभिः खादयन्त्यन्ये प्रक्षिपन्त्यनले प्सुवा ॥२६१॥ पतिव्रता धनपत्नी पितृपूजनतत्परा । मव्यमं तु तत पिण्डमद्यात्सम्यक् सुतार्थिनी ॥२६२॥ आयुष्मन्तं सुतं सूते यशोमेधासमन्वितम् । धनवन्तं प्रजावन्तं सात्त्विकं धार्मिकं तथा ॥२६३॥ प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य





घानिप्रायं प्रकल्पयेन् । जातिभ्यः सत्कृतं दत्त्वा बान्धवानपि  
 भोजयेन् ॥२६४॥ उच्छेपणं तु तत्तिष्ठेद्यावद्विप्रा विसर्जिता । ततो  
 गृह्यलिं कुर्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥२६५॥ हविर्यन्त्रिचररात्राय  
 यच्चानन्त्याय कल्पते । पितृभ्यो विधिवदत्तं तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः  
 ॥२६६॥ तिलैर्ब्रीहियवैर्माषैरद्भिर्मूलफलेन वा । दत्तेन मासं  
 तृप्यन्ति विधिवत्पितरो नृणाम् ॥२६७॥ द्वौ मासौ मत्स्यमाम्नेन  
 त्रीन् मासान्दारिणेन तु । औरभ्रोणाय चतुरः शाकुनेनाय पंच  
 वै ॥२६८॥ पण्णामांशुमगांसेन पार्षतेन च मप्त वै । अष्टांशु-  
 णस्य मांसेन रौक्षेण नवैव तु ॥२६९॥ दशमासांस्तु तृप्यन्ति  
 धराहमहिपामिषैः । शशकूर्मयोस्तु मांसेन मासानेकादशैव तु ॥२७०॥”

“हमारे कुल से देने वाले, वेद और पुत्र पौत्रादि बड़े  
 श्रद्धा हमारे कुल से न हटे और धनादि बहुत होवे ॥

[ हमारे अन्न बहुत होवे हम अतिथियों को भी पाने हमसे  
 मांगने वाले हों और हम किसी से न मांगें ॥ जो ब्राह्मण धर्म  
 श्राद्ध भोजन करके उन दिन दूसरी बार भोजन करता है वह  
 सूकर वा कीड़े की यात्री पाना है । इमं मंशय नहीं ॥] (य दो  
 श्लोक तो बहुत ही थोड़े दिनों से मिलाने गये हैं क्योंकि इनमें  
 पड़ता श्लोक पुण्ये लिखे ३० में से ७ पुस्तक में है २३ में नहीं  
 तथा राघवानन्द और रामचन्द्र इन दो ने ही इस पर  
 टीका किया है, औरों ने नहीं । दूसरा श्लोक ३० में केवल १  
 लिखित पुस्तक में ही मिलता है शेष २९ में नहीं । इस पर टीका  
 भी किसी ने नहीं की) ॥२५९॥ उक्त प्रकार से पिण्डदान करके  
 उन पिण्डों को गाय, ब्राह्मण, बकरा वा अग्नि को खिलावे वा पानी  
 में डाल देवे ॥२६०॥ कोई ब्राह्मण भोजन के अनन्तर पिण्डदान

करते हैं और कोई पत्निये। को पिएड खिलाते हैं और दूसरे अग्नि वा पानी में डालते हैं ॥२६१॥ सजातीय विवाहिता पतिव्रत धर्म की करने वाली, श्राद्ध में श्रद्धा रखने वाली, लड़के की इच्छा करने वाली स्त्री, उन ३ में से विधियुक्त वीच के पिएड का भक्षण करे ॥२६२॥ ( उस पिएडभक्षण से ) दीर्घायु, कीर्ति और यश वःरण करने वाला भाग्यवान्, सन्तति वाला सत्वगुणी, धर्मान्ना पुत्र उत्पन्न करती है ॥२६३॥ हाथों को धोकर आचमन करके जात पालों को भाजन करावे । सत्कार पूर्वक जाति वालों को अन्न दकर भाइयों का भी भाजन करावे ॥२६४॥ वह ब्राह्मणों का उच्छिष्ट अन्न, ब्राह्मणों के विसर्जन तक रहे । उम के अनन्तर वैश्वदेव करे । यह धर्म की व्यवस्था है ॥२६५॥ जो हवि पितरों को यथाविधि दिया हुआ बहुत कालपर्यन्त और अनन्त वृत्ति देता है वह सम्पूर्ण आंग कहते हैं-॥२६६॥ तिल, धान्य यव, उड़द, जल, मूल और फल विधिवत् देन से मनुष्यों के पितर एक मास पर्यन्त वृत्त होते हैं ॥२६७॥ मछली के मांस से दो महीने तक, हरिण के मांस से तीन महीने, भेड़ के मांस से चार महीने, पत्नियों के मांस से पांच महीने ( वृत्त रहते हैं । क्या अब भी मृतकश्राद्ध को प्रक्षिप्त न मानियेगा ? ) ॥२६८॥ और बकरे के मांस से छ. महीने, चित्र मृग के मांस से सात महीने, एण मृग के मांस से आठ महीने और रुरु मृग के मांस से नौ महीने ॥२६९॥ सूकर और भेंसे के मांस से दश महीने वृत्त रहते हैं और शशा तथा कछवे के मांस से ग्यारह महीने ( वृत्ति रहती है ) २७०॥”

“सम्बत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च । वार्ध्वाणसस्य मासेन वृत्तिर्द्वांशवार्षिकी ॥२७१॥ कालशाकं महशल्का. खड्गलोहा-मिपं मधु । आनन्त्यायैव कल्प्यन्ते मुन्यन्नानि च सर्वश ॥२७२॥



यत्किञ्चिन्मधुना मिश्रं प्रदद्यात् त्रयोदशीम् । तदप्यक्षयमेव  
 स्याद्वर्षासु च मघासु च ॥२७३॥ अपि न. स कुले जायाद्यौ  
 नो दद्यात् त्रयोदशीम् । पायसं मधुसपिभ्यां प्रावृष्टायं कुञ्जरस्य  
 च ॥२७४॥ यद्यहदाति विधिवत्सम्यक्श्राद्धसमन्वित. । तत्तत्  
 पितृणां भवति परत्रानन्तमक्षयम् ॥२७६॥ कृष्णपक्षे दशम्यादौ  
 वर्जयित्वा चतुर्दशीम् । श्राद्धे प्रशान्तास्तिथयो यथैता न तथेतरा  
 ॥२७६॥ युक्तु कुर्वन् दिनक्षेपु सर्वान्कामान्समश्नुते । अयुक्तु तु  
 पितृन्सर्वान्त्रजां प्राप्नोति पुष्कलाम् ॥२७७॥ यथा चैवापर  
 पक्ष. पूर्वपक्षाद्विशिष्यते । तथा श्राद्धस्य पूर्वोद्वाङ्पराहो विशिष्यते  
 ॥२७८॥ प्राचीनावीतिना सम्यगपसव्यमतन्त्रिणा । पितृव्य-  
 मानिवनात्कार्यं विधिवद्दर्भपाणिना ॥२७९॥ रात्रौ श्राद्धं न  
 कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा । सन्ध्योरुभयोश्चैव सूर्ये चैवा-  
 चिरोदिते ॥२८०॥ अनेन विधिना श्राद्धं त्रिरवस्येह निवपेत् ।  
 हेमन्त िष्मवर्षासु पाञ्चयज्ञिकमन्त्रद्वम् ॥२८१॥ न पेत्यद्वियो  
 होमोलौकिकेऽग्नौ विधीयते । न दर्शनं विना श्राद्धमाहिताग्ने-  
 द्विजन्मन ॥२८२॥”

“ गाय के दूध वा उस की स्त्रीर से १ वर्ष पर्यन्त और  
 चाभीणस ( लम्बे कान वाले बकरे ) के मांस से बारह वर्ष तृप्ति  
 रहता है ॥२७१॥ का तशाक महाशल्क ( मञ्जलियो के भेद हैं )  
 और गेंडा, लाल बकरा, मधु और सम्पूर्ण मुनियों के अन्न अनन्त  
 तृप्ति देते हैं ॥२७२॥ वर्षा काल की मघायुक्त त्रयोदशी से श्राद्ध  
 निमित्त ( ब्राह्मण को ) जो कुछ मधुयुक्त देवे उस से अक्षय तृप्ति  
 होती है ॥२७३॥ इस प्रकार का कोई हमारे कुटुम्ब में जो है

को चतुर्दशी में दूध, मधु घृत से युक्त भोजन देवे या हस्ती की पूर्व दिशा की छाया में देवे (यह पितर आशा करते हैं) ॥२७४॥ अच्छे श्राद्धयुक्त जो कुछ विधिपूर्वक पितरोंको देता है, वह परलोक में पितरों की अक्षय वृत्ति के लिये जाता है ॥२७५॥ कृष्णच में दशमी में लेकर चतुर्दशी श्राद्ध करने विधि श्राद्ध में जैसी प्रशस्त है वैसी और नहीं ॥२७६॥ युग्मतिथि और युग्म नक्षत्रों में श्राद्ध करने वाला पुत्रादि सन्तति को पाता है ॥२७७॥ जैसे शुक्ल पक्ष से कृष्णपक्ष श्राद्धादि करने में अग्निक्रम का देने वाला है, वैसे ही पहले पहर से दूसरे पहर में अधिक फल होता है ॥२७८॥ दहिने कन्धे पर यज्ञोपवीत करके, आलस्य रहित हो, कुशा हाथ में लेकर, अपसव्य हो शास्त्रानुसार सप्त पितृसम्बन्धी कर्म मृत्युपर्यन्त करे ॥२७९॥ रात्रि में श्राद्ध न करे। उस (रात्रि) को राक्षसी कहा है और दोनों सन्ध्याओं तथा सूर्योदय से (छः घड़ी वा) थोड़ा दिन चढ़े तक समय में भी श्राद्ध न करे ॥२८०॥ इस विधि से एक वर्ष में तीन बार—हेमन्त, ग्रीष्म वर्षा में श्राद्ध करे और पञ्चयज्ञान्तर्गत श्राद्ध को प्रतिदिन करे ॥२८१॥ श्राद्ध सम्बन्धी होम लौकिक अग्नि में नहीं कहा है और आहिताग्नि ब्राह्मणादि को अमावास्या से अतिरिक्त तिथि में श्राद्ध नहीं कहा है ॥२८२॥

‘यदेव तर्पयत्यद्भिः पितृन्नात्वा द्विजोत्तमः ।

तेनैव कृत्स्नमाप्नोति पितृयज्ञक्रियाफलम् ॥२८३॥’

‘जो द्विज स्नान करके जल से ही पितृतर्पण करता है, उसी से सम्पूर्ण नित्य श्राद्ध का फल पाता है ॥२८३॥’

वसन्वदन्ति तु पितृन्द्रांश्चैव पितामहान् ।

प्रपितमहांश्चादित्यान्श्रुतिरेषा सनातनी ॥२८४॥’

पितर = वसुओ और पितामह = रुद्रों और प्रपितामह = आदित्यों को कहते हैं। यह-सनातन से सुनते हैं। ( इस विषय में छान्दोग्य उपनिषद्-३। १२ में भी लिखा है सो देखने योग्य है-

पुरुषोवाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विंशतिर्वर्षाणि तत् प्रातः सवनं, चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री, गायत्रं प्रातः सवनं, तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः, प्राणा वाव वसव एते हीदं सर्वं वासयन्ति ॥१॥ अथयानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिनं सवनं, चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुप् त्रैष्टुभं माध्यन्दिनं सवनं, तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः, प्राणावाव रुद्रा एते हीदं सर्वं रोदयन्ति ॥२॥ अथयान्यष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि तत्तृतीयसवनमष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगती, जागतं तृतीयसवनं, तदस्यादित्या अन्वायत्ताः, प्राणा वावादित्या एते हीदं सर्वं माददते ॥५॥

भावार्थ—मनुष्य भी एक यज्ञ है। जैसे यज्ञ के प्रातः सवन, माध्यन्दिनसवन और सायंसवन वा तृतीयसवन ये ३ सवन होते हैं, ऐसे ही मनुष्य देहयात्रा रूप यज्ञ के २४।४४।४८ वर्ष ३.सवन हैं। गायत्री के २४ अक्षर हैं। प्रातः सवन का भी गायत्री छन्द है उसमें इसके प्राण वसुसंज्ञक होते हैं। ४४ अक्षरका त्रिष्टुप् छन्द है और माध्यन्दिन सवन का भी त्रिष्टुप् छन्द है। उस में इस के प्राण रुद्र संज्ञक होते हैं। और ४८ अक्षर का जगती छन्द है और तृतीयसवन का भी जगती छन्द है। उस में इस के प्राण आदित्यसंज्ञक होते हैं (निदान २४ वर्ष तक ब्रह्मचर्यव्रतधारी के प्राण वसु, ४४ वर्ष वाले के रुद्र और ४८ वर्ष वाले के आदित्य

कहाते हैं। ये ब्रह्मचारी यज्ञस्वरूप हैं और क्रम से पिता पितामह और प्रपितामह के समान सत्करणीय है) ॥२८४॥

विधसाशी भवेन्नित्यं नित्यं वामृतभोजनः ।

विधसो भुक्तशेषं तु यज्ञशेषं तथामृतम् ॥२८५॥

एतद्वोऽभिहितं सर्वं विधानं पाञ्चयज्ञिकम् ।

द्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधानं श्रूयतामिति ॥२८६॥

सर्वदा विधस भोजन करने वाला वा अमृत भोजन करने वाला होवे। (ब्राह्मणादिकों के) भोजन के शेष को विधस और यज्ञशेष को अमृत कहते हैं ॥२८५॥ यह पाञ्चयज्ञानुष्ठान की सब विधि तुम से कही। अब द्विजों में मुख्य (ब्राह्मण) की वृत्तियों का विधान सुनो ॥२८६॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे ( भृगुप्रोक्तायां संहितायां )

तृतीये ऽध्यायः ॥३॥

इति श्री तुलसीरामस्वामिविरचिते मनुस्मृतिभाषानुवादे

तृतीयेऽध्यायः ॥३॥

\* ओ३म \*

## अथ चतुर्थोऽध्यायः

ॐ ॥

चतुर्थमायुषो भागमुपित्वाऽऽद्यं गुरौ द्विजः ।

द्वितीयमायुषो भागं कृतदागे गृहे धसेत् ॥१॥

अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः ।

या वृत्तिस्तां समास्थाच विप्रो जीवेदनापदि ॥२॥

आयु के प्रथम चौथाई भाग ( १०० वर्ष प्रमाण से चौथाई २५ वर्ष ) द्विज गुरुकुल में निवास करके आयु के द्वितीय भाग में गृहस्थाश्रम को धारण करे ॥१॥ जिस वृत्ति में जीवों को पीड़ा न हो वा अल्प पीड़ा ऐसी वृत्ति को धारण करके आपत्ति रहित कालमें विप्र निर्वाह करे ॥२॥

यात्रामात्रप्रसिद्धयर्थं स्वैः कर्मभिरगर्हितैः ।

अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसञ्चयम् ॥३॥

ऋतमृताभ्यां जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा ।

सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्या कदाचन ॥४॥

प्राणरक्षक शास्त्रानुसार कुटुम्बपोषण और नित्यकर्मानुष्ठान मात्र के लिये अपने अनिन्दित कर्मों से तथा शरीर में क्लेश न करके धन सञ्चय करे ॥३॥ ऋत-अमृत वा मृत-अमृत से वा सत्य-अनृत से जीवन करे परन्तु कुत्ते की वृत्ति से कभी नहीं ॥४॥

ऋतमुञ्छशिलं ज्ञेयममृत स्य दयाचितम् ।

मृतं तु याचितं भैक्षं प्रमृतं कर्षणं स्मृतम् ॥५॥

सत्यानृतं तु वाशिज्यं तेन चैवापि जीव्यते ।

सेवा श्ववृत्तिगव्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥६॥

लच्छ और गिल को ऋत, न मांगने की वृत्ति को अमृत और मांगी मित्रा के मृत तथा कृषिको प्रमृतजानना चाहिये ॥५॥ इससे या सत्यानृत= वाशिज्य वृत्ति से जीवे और सेवा कुत्ते की वृत्ति कही है इससे उसे वजित करे ॥६॥

कुशुलधान्यको वा स्यात्कुम्भीधान्यक एव वा ।

ज्यहेहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥७॥

चतुर्णामपि चैतेषां द्विजानां गृहमेधिनाम् ।

ज्यायान्परः पराज्ञेयो धर्मतो लोकचित्तमः ॥८॥

कोठार में धान्य का सञ्चय करने वाला हो वा घड़े भर अन्न सञ्चय वाला हो या दिनत्रय के निर्वाहमात्र का सञ्चय करने वाला हो या कल को भी न रखने वाला हो ॥ (७ वें के आगे ३० में से केवल एक पुस्तकमें यह श्लोक अधिक पाया जाता है) -

सद्यः प्रवालिको वा स्यान्माससञ्चयिकोपि वा ।

परमासनिचयोवापि समानिचय एव वा ॥९॥

तुरन्त हाथ धो डालने वाला वा एकमास वा छ.मास यवा एक वर्ष के लिये धान्यादि सञ्चय करने वाला होवे ॥९॥

( यथार्थ में मनु के लेखानुसार गुण कर्म स्वभावयुक्त ब्राह्मण हो और तदनुसार ही उनकी जीविका का भार क्षत्रिय वैश्यों पर रहे तो सञ्चय की ब्राह्मणों को कुछ आवश्यकता नहीं है ) ॥१०॥ उन चार गृहस्थ द्विजों में एक से दूसरा फिर तीसरा इस क्रम से श्रेष्ठ ( अर्थात् जितना जिसके कम संग्रह हो उतना वह श्रेष्ठ है ) धर्म से लोक का अत्यन्त जीतने वाला ससम्पन्ना चाहिये ॥८॥



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

पद्वर्गैर्ज्ञाभवत्येषां त्रिभिर्गन्धः प्रवर्त्तते ।

द्वाभ्यामेकश्चतुर्थस्तु ब्रह्मगत्रेण जीवति ॥१६॥

वर्त्तयंश्च शिलोञ्छ्वाभ्यामग्निहोत्रपरायणः ।

इष्टीः पात्रायनान्तीयाः केवलानिर्वपेत्पटा ॥१७॥

इत में कोई गृहस्थ पदकर्मों में जीता है (अथ अराचिन भिन्ना कृषि, वाणिज्य और कुसीद में) और कोई तीन कर्मों में जीता है (याजन, अध्यापन प्रतिग्रह) और कोई दो (याजन और अध्यापन) से और कोई एक (पढ़ाने) - में ॥१६॥ शिलोञ्छ्वा से जीवन करता हुआ केवल पटा अग्निहोत्र और पर्व तथा अयन के अन्त में इष्टि-यज्ञ करे ॥१७॥

न लोकावृत्तं धर्त्तत वृत्तिहंतोः कथञ्चन ।

अजिह्वामशठां शुद्धां जीवेद्ब्राह्मणजीविकाम् ॥१८॥

संतोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत् ।

संतोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विषययः ॥१९॥

जीविकाके लिये लोकावृत्त (नाटकादि) कभी नकरे किन्तु असत्य और इम्भादिमें रहित पवित्र जीविका जो ब्राह्मण को जती है करे ॥१८॥ सुखार्थी मन्तोपसे रहकर न्यथ चित्तगहे क्योंकि मन्तोप ही सुख का कारण है और वृष्णा दुःख का हेतु है ॥१९॥

अतोऽन्यतमया वृत्त्या जीवंस्तु स्नातको द्विजः ।

स्वर्ग्यायुष्य यशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत् ॥२०॥

वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादितन्द्रितः ।

तद्विकृर्वन्यथाशक्ति प्राप्नोति परमांगतिम् ॥२१॥

इन में कोईसी वृत्तिसे निर्वाह करता हुआ स्नातक द्विज, स्वर्ग, आयु और यश देने वाले इन व्रतों का धारण करे ॥१३॥ अपना वेदोक्त कर्म निन्द्य आलम्बरहित होकर यथाशक्ति करे क्योंकि उसको करता हुआ निश्चय परमगति (मोक्ष) को प्राप्त होता है ॥१४॥

नेहेतार्थान्प्रसंगेन न विरुद्धेन कर्मणा ।

न विद्यमानेष्वर्थेषु नात्यमपि यतस्ततः ॥१५॥

इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः ।

अतिप्रसक्तिं चैतेषां मनसा संनिवर्त्तयेत् ॥१६॥

गाने वजाने आदिसे शास्त्रविरुद्ध किसी कर्म से द्रव्योपार्जन न करे । द्रव्य हाने परभी न करे और कष्टमेभी इधरउधरसे (पतितों) द्रव्यों का उपार्जन न करे ॥ (९ प्राचीन लिखित पुस्तकोमें उत्तरार्थ इस प्रकार है कि-न कल्प्यमानेष्वर्थेषु नान्यादपि यतस्ततः) ॥१५॥ संपूर्ण इन्द्रियों के अर्थों ( शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध ) में इच्छा से न फंसे । इन की बहुत आसक्ति को मन से हटा देवे (मिधातिथि के भाष्य में-संनिवर्त्तयेत् - सन्निवेशयेत् पाठ है ) ॥१६॥

सर्वान्परित्यजेत्तर्थांस्वाध्यायस्य विरोधिनः ।

यथातथाऽप्यस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥१७॥

वयसः कर्मणोऽर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च ।

वेपवाग्वुद्धिसारूप्यमाचरन्विचरेदिह ॥१८॥

वेदाध्ययन के विरोधी जितने अर्थ हैं सब को छोड़ देवे । जैसे बने वैसे वेदाध्ययन से निर्वाह करे यही उसकी कृतकृत्यता है ॥१७॥ आयु क्रिया धन विद्या और कुल इनके अनुरूप वेष वाणी और समस्त आचरण करता हुआ इस जगत् में रहे ॥१८॥

बुद्धिबुद्धिकराण्याशु धान्यानि च हितानि च ।  
 नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान् ॥१९॥  
 यथायथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति ।  
 तथातथा विजानाति विज्ञानं चास्यरोचते ॥२०॥

शौच बुद्धि के बढ़ाने वाले. धन के सञ्चय करने वाले और शरीर को सुख देने वाले शास्त्रों को और वेद के अर्थ जताने वाले शास्त्रों को भी नित्य देखे ॥१९॥ जैसे २ मनुष्य अच्छे प्रकार शास्त्र का अभ्यास करता है, वैसे २ शास्त्र को जानता जाता है और इस को विज्ञान रुचता जाता है ॥२०॥

(३० में से १ पुस्तक में यह श्लोक अधिक पाया जाता है.-

[शास्त्रस्य पारङ्गत्वा तु भूयोभूयस्तदभ्यसेत् ।

तच्छास्त्रं श्वत्सुं कुर्यान्न चार्थात् त्यजेत्पुनः ॥१॥

अर्थात् शास्त्र के पार को प्राप्त होकर भी बार २ अभ्यास करता रहे । उस शास्त्र को उज्वल करे न कि पढ़ कर फिर छोड़ दे ॥

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा ।

नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत् ॥२१॥

एतानेके मज्ञायज्ञान्यज्ञशास्त्रविदेशा जनाः ।

अनीहमानाः सततमिन्द्रियेष्वेव जुह्वति ॥२२॥

स्वाध्यायादि पञ्चयज्ञों को यथाशक्ति कभी न छोड़े ॥२१॥

कौई यज्ञशास्त्र के जानने वाले पुरुष इन पंच मज्ञायज्ञों को (त्रय चर्यके अभ्याससे) ब्रह्म चेष्टा से निरन्तर रहित हुए पञ्चज्ञानेन्द्रियों में ही संयम करते हैं ॥२२॥



वाच्येके जुहति प्राणं प्राणे वाचं च सर्वदा ।

वाचि प्राणे च पश्यन्तो यत्रनिवृत्तिमक्षयाम् ॥२३॥

ज्ञाननैवापरं त्रिप्रा यजन्त्येतैर्मखः सदा ।

ज्ञानमृत्ता क्रि गयेषा पश्यन्तो ज्ञानचक्षुषा ॥२४॥

कोई वाणी का प्राण में और प्राण का वाणी में हवन करते हैं और इन्हीं में यज्ञ की अक्षय फलसिद्धि देखने हैं (अर्थात् प्राणायाम और मौन धारण करते हैं) ॥२३॥ ज्ञानचक्षु से इन क्रियाओं को ज्ञानमूलक जानने वाले दूसरे विप्र इन यज्ञों का ज्ञान से ही करते हैं ॥२४॥

अग्निहोत्रं च जुहुयादाद्यन्ते द्युनिशोः सदा ।

दर्शनं चार्धमासान्ते पौर्णमासेन चैव हि ॥२५॥

'सस्यान्ते नवसस्येष्टया तथर्त्वंते द्विजोऽध्वरैः ।

पशुना त्वयनस्यागौ समान्ते सौमिकैर्मखैः ॥२६॥

दिन और रात्रि के आदिमें नित्य अग्निहोत्र करे । अर्धमास के अन्तमें अमावस्या और पूर्णमास यजन करे ॥२५॥ 'नवीन अन्न की उत्पत्ति में नवीन धान्य से नवसस्येष्टि करे ऋतुओं के अन्त में अध्वर याग करे और अयन के आदि में पशु से याग करे और वर्ष के अन्तमें सोमयाग करे' ॥ (मिधातिथि के भाष्य में पाठ भेद भी है—पशुताह्वयनस्यादौ । इस से भी यह नवीन प्रक्षेप मंशयित होता है) ॥२६॥

'नानिष्ट्वा नवसस्येष्टया पशुना चाग्निमान्द्विजः ।

नवान्नमद्यान्मासं वा दीर्घमायुर्जिजीविषुः ॥२७॥

नवेनानर्चिता ह्यस्य पशुहव्येन चाग्नयः ।

प्राणान्वाऽत्तु मिच्छन्ति नवान्नामिपगद्धिन" ॥२८॥

अग्निहोत्री ब्राह्मणादि दीर्घ आयु की इच्छा करने वाला नवीन अन्न से इष्टि क्रिये बिना नवान्न भक्षण न करे और पशुयाग क्रिये बिना मांस भक्षण न करे ॥२७॥ नवीन अन्न और पशु से यजन क्रिये बिना अग्नि इनके प्राणों को खाने की इच्छा करते हैं क्योंकि अग्नि नवीन अन्न और मांस के अन्यन्न अभिलाष वाले हैं" ॥

( इस प्रसङ्ग में पशुयाग का अर्थ पशु के घृतादि से यथार्थ लेकर कोई लोग २६ वै का समाधान करते हैं परन्तु आगे २७ वै के अर्थ वाः में मांस का वर्णन आने से स्पष्ट जान पड़ता है कि यह लीला हिन्दकों की है। यज्ञ देवकार्य है और मनु एकादशाध्याय में माम वैव भोजन नहीं किन्तु राज्ञसी वा पैशाच भोजन कहेंगे। इनलिये ये श्लोक हमारी सम्मति में मनु के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं ॥२८॥

आयनागनशय्यभिरद्धिर्मूलफलेन वा ।

नास्य कश्चिद्वसद्गोहे शक्तितोऽनर्चितोऽनिधिः ॥२९॥

पापपिडनो विकर्मस्थान्नीडालत्रतिकाञ्छुः ।

हृतुकान्वकवृत्तीश्च वाडमात्रेणापि नाचेन् ॥३०॥

आसन भोजन शय्या जल मूल वा फल से तथाशक्ति बिना पूजन किया कोई अनिधि इस ( गृहस्थ ) के घर में न रहे ॥२९॥ परन्तु पाखण्डी और निषिद्ध कम करने वालों विडालत्रन वालों शठों वेद में श्रद्धा न रखने वालों और वकवृत्ति वालों का वाणी मात्र से भी न पूजे ॥३०॥

वेदविद्याव्रतस्नाताञ्श्रोत्रियान्गृहमेधिनः ।

पूजयेद्व्यकव्येन विपरीताश्च वजयेत् ॥३१॥

शक्तितोऽपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना ।

संविभागश्च भूतेभ्यः कर्तव्योऽनुपरोधतः ॥३२॥

वेद विद्या की ममापि करने वाले और व्रतको, सम्पूर्ण करने वाले तथा श्रान्त्रिय गृहस्थों को हव्य कव्य से पूजित करे और इन से विपरीतो को नहीं ॥३१॥ गृहस्थ यथाशक्ति पाक न करने वाले (सन्यासी वा ब्रह्मचारी) को भिक्षा देवे और सम्पूर्ण जीवों को बिना रुकावट के जलादि भाग देवे ॥३२॥

राजतो धनमन्विच्छेत्समीदन्स्नातकः क्षुधा ।

याज्यान्तेवासिनोर्वापि नत्वन्यत्र इति स्थितिः ॥३३॥

न सीदेत्स्नातको विप्रः क्षुधाशक्तः कथञ्चन ।

न जोर्णमलद्रामा भवेच्च विभवे सति ॥३४॥

क्षुधा से पीडित स्नातक राजा से और यजमान वा शिष्य से द्रव्य की इच्छा करे अन्य से न मांगे । इस प्रकार शास्त्र मर्यादा है ॥३३॥ स्नातक ब्राह्मण क्षुधा से पीडित कभी न रहे और धन-पास होने पर पुराना मैला वस्त्र न रक्खे ॥३४॥

क्लृप्तकेशनखश्मश्रुदान्तः शुक्लाम्बरः शुचिः ।

स्वाध्याये चैवयुक्तः स्यान्नित्यमात्महितेषु च ॥३५॥

वैश्वीं धारयेद्यष्टिं सोदकं च कमण्डलुम् ।

यज्ञोपवीतं वेदं च शुभे रौक्मे च कुण्डले ॥३६॥

केश नख दाढी मुन्हाये हुवे (ऐसी हजामत बनवाया करे) और इन्द्रियों का दमन करने वाला श्वेतवस्त्रधारी और पवित्र रहे और नित्य वेद पाठ तथा आत्मा का हित किया करे ॥ (यह प्राचीन



कालीन रहन सहन [ एटीकेट ] है जो मनु ने अपने 'समय में' नियमबद्ध किया था। इस में से जो २ बातें धर्माऽधर्म में कारण हैं, वे वे माध्य अप्राह्य है। शेष देशकाल की रीति नीति मात्र थी जो बहुत सी अब आवश्यक नहीं रही ) ॥३५॥ बांसकी छड़ी जल भरा लोटा, यज्ञोपवीत, वेद पुस्तक और अच्छे सोने के दो कुण्डल धारण करे ॥३६॥

नेचेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यान्तं कदाचन ।

नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यनभसो गतम् ॥३७॥

न लङ्घयेद्वत्सतन्त्रीं न प्रधावेच्च वर्षति ।

न चोदके निरीक्षेत स्वं रूपमिति धारणा ॥३८॥

उदय और अस्त होते हुवे सूर्य को कभी न देखे, ग्रहोंसे मिलने पर और जलमें सूर्य का प्रतिबिम्ब और बीच आकाश में भी सूर्य को न देखे ( इस से दृष्टि की हानि होती है ) ॥३७॥ और बछड़े के बन्धे होते उसके रस्से को न लांघे, पानी वर्षतेमें न दौड़े, अपना स्वरूप पानी में न देखे ऐसा नियम है ॥३८॥

मृदं गां दैवतं विप्रं घृतं मधु चतुष्पथम् ।

प्रदक्षिणानि कुर्वीत प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन् ॥३९॥

नोपगच्छेत्प्रमत्ताऽपि स्त्रियमार्तवदर्शने ।

समानशयने च न शयीत तथा सह ॥४०॥

मिट्टी के टीलो, गौबो, यज्ञशालाओ, ब्राह्मणों, घृत और मधुके समूहो, चौराहों और बड़े प्रसिद्ध २ वनस्पतियो को दक्षिण ओर करके जावे ॥३९॥ कामात्त पुरुष भी रजस्वला स्त्री के पास न जावे और उसके साथ बराबर बिछौने पर भी न सोवे ॥४०॥

रजसाभिप्लुतां नारीं नरस्य ह्युपगच्छतः ।  
 प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रहायत ॥४१॥  
 तां विवर्जयतरतस्य रजसा समभिप्लुताम् ।  
 प्रज्ञा तेजोबलं चक्षुरायुश्चैव प्रवर्धते ॥४२॥

रजस्वला स्त्री के पास जाने वाले पुरुष की प्रज्ञा, तेज, बल, आंख तथा आयु नष्ट होती है ॥४१॥ उसी ( रजस्वला ) के पास न जाने वाले की प्रज्ञा, तेज, बल, आंख की दृष्टि और आयु बढ़ती है (४ पुस्तको में -प्रज्ञा लक्ष्मीर्यशश्चक्षुः पाठ है) ॥४२॥

नाशनीयाद्भायैथासार्धं नेनामीक्षेत चाश्नतीम् ।  
 क्षुवतीं जृम्भमाणां वा न चासीना यथासुखम् ॥४३॥  
 नाञ्जयन्ती स्वकेनेत्रे न चाभ्यक्तामनावृताम् ।  
 न पश्येत्प्रसवन्तीं च तेजस्कामो द्विजेत्तमः ॥४४॥

तेज चाहने वाला भार्या के साथ भोजन न करे इस को भोजन करते हुए भी न देखे तथा छींकती जम्भाई लेती हुई और आराम से बैठी हुई को भी न देखे (इस से लज्जामङ्ग का भय है) ॥४३॥ अपने नेत्रों में अञ्जन करती हुई, विना कपड़ों नङ्गी तैलादि लगाती हुई, बच्चा जन्मती हुई को तेज की इच्छा करने वाला ब्राह्मणादि न देखे । ( चार पुस्तकों और रामचन्द्र के टीके में ४४ से आगे यह श्लोक अधिक पाया जाता है :-

[उपेत्य स्नातको विद्वान्नेक्षेन्नगनां परस्त्रियम् ।  
 सरहस्यं च सम्वादं परस्त्रीषु विवर्जयेत् ।]

अर्थात् स्नातक विद्वान् पराई नग्न स्त्री के समीप न जावे और



न दैत्ये और पर स्त्रियो ने एकान्त नस्वाद वर्जित करे ) ॥४४॥

नाक्षमघादेकवामा न नग्नः स्नानमाचरेत् ।

नमूत्रं पथि कुर्वीत न भस्मनि न गोत्रजे ॥४५॥

न फालरुष्टे न जले न चित्या न च पर्वते ।

न जीर्णदेवायतने न कर्मिके कदाचन ॥४६॥

एक वस्त्र पहन कर भोजन न करे नहा स्नान न करे, मार्ग में गौ के खरफ में, ॥४५॥ गंत तथा जल में चिता और पर्वत में, पुराने दूटे देव स्थान में, यज्ञशाला में और बसी में कभी मूत्र न करे ॥४६॥

न सप्तत्वेषु गर्तेषु न गच्छन्नापि च स्थितः ।

न नदीतीरमासाद्य न च पर्वतमस्तके ॥४७॥

वाय्वग्निविप्रमादित्यमपः पश्यंस्तथैव गाः ।

न कदाचन कुर्वीत ।वरमूत्रस्य विसर्जनम् ॥४८॥

रहते हुवे जानवरों के बिलों में, चलते हुवे, खड़े हुवे, नदी के किनारे, पर्वत की चोटी पर ॥४७॥ वायु अग्नि, विप्र, सूर्य, जल और गौवों का दंग्वता हुआ कभी मल, मूत्र त्याग न करे ॥४८॥

तिरस्कृत्येचरेन्काष्ठलोष्ठपत्रवृणादिना ।

नियम्य प्रयतो वाचं मन्वीताङ्गोऽवगुण्ठितः ॥४९॥

मूत्रोच्चारसमुत्सर्गं दिवा कुर्यादुदङ्मुखः ।

दक्षिणाभिमुखो रात्रौ सन्ध्ययोश्च यथा दिवा ॥५०॥

लकड़ी, ढंला, पत्ता, घास आदि से छिप कर दिशा फिरे, बोले नहीं, शरीर पर कपड़ा ओढ़ लेवे और गठकर बैठे ॥४९॥ दिन और

दीनों सन्ध्याओं मे उत्तर की ओर मुख करके और रातको दक्षिण मुख होकर मल, मूत्र त्याग किया करे ॥५०॥

छायायामन्धकारे या रात्रावहनि वा द्विजः ।

यथासुखमुखः कुर्यात्प्राणवावाभयेषु च ॥५१॥

प्रत्यग्निं प्रतिसूर्यं च प्रतिसेमोदकद्विजान् ।

प्रतिगा प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥५२॥

छाया, अन्धकार, रात्रि वा दिन में ( जिस मे दिशा का ज्ञान न हो ) वा (व्याघ्रादिकों से) प्राण के भय मे जैसे चाहे वैसे मुख करके मल मूत्र त्यागले ॥४१॥ अग्नि, सूर्य, चन्द्र, जल, ब्राह्मण आदि गौ और वायु इन के सम्मुख मूत्र करने वाले की बुद्धि नष्ट होती है ॥५२॥

( जैसे स्वच्छ वस्त्र पर थोड़ी मलीनता बहुत प्रतीत होती है, वा अति स्वच्छ वस्त्र धारण करने वाले थोड़ा भी छीटा पड़ जाने से वस्त्र को मलिन और न पहरने योग्य समझते हैं, परन्तु साधारण लोग उतने मैले वस्त्रादि को मैला ही नहीं समझते । इसी प्रकार धर्मशास्त्र के अनुसार चलने वाले लोगों को ही उसके विपरीत चलने की हानि वा ग्लानि प्रतीत हो सकती हैं, सब को नहीं । और जो लोग जिस प्रकार से सदा रहन सहन करते हैं उस से नई या विरुद्ध वा भिन्न रीतिसे करने मे उन्हें ही कष्ट होता है अन्यो को नहीं । जैसे अंगरेजी पाट ( पाखाने ) मे इस देश वालो को कष्ट होता है । मलमूत्रादि करने मे जहां २ किसी की कोई भी हानि हो वहां न करे । जो २ स्थान वा ढङ्ग धर्मशास्त्र मे यहां बतलाये हैं वे उपलक्षणमात्र हैं । इस से अन्यत्र भी हानि देखे ता न करे । और इन स्थानो में भी करने से लाभ और न करने

मे हानि हो तो इस मर्यादा को चाहे न माने। यही विचार ५१  
वें श्लोक का मुख्य करके है। ब्राह्मणादि के सामनं मूत्रादि करने  
से उन का अपमान और अपने में धृष्टतादि दोषोत्पत्ति तथा वायु  
आदि की परीक्षा करते एक काल में दो कामों के करने से विघ्न  
और शौच का ठीक २ न होना, बवासीर और मूत्रकृच्छ्रादि रोगों  
की वृद्धि सम्भव है। इत्यादि स्वयं विचारते रहना चाहिये ॥५२॥

- नाग्निं मुखेनापधमेन्नग्नां नेचेत च स्त्रियम् ।

नामेध्यं प्रक्षिपेदग्नौ न च पादौ प्रतापयेत् ॥५३॥

अधस्ताच्चोपदध्याच्च न चैनमभिलंघयेत् ।

न चैनं पादतः कुर्यान्न प्राणावाधमाचरेत् ॥५४॥

आग को मुख से न फूँके और नङ्गी स्त्रीको न देखे, मल मूत्र  
आग में न डाले और पैरों को आग पर न तपावे ॥५३॥ (चारपाई  
आदिके) नीचे आग न धरे और इस (आग) को न लाँघे  
और पैरों को आग पर न रखे और जीवों को पीड़ा होने वाला  
कर्म न करे ॥५४॥

नाशनीयात्संधिवेलायां न गच्छेन्नापि संविशेत् ।

न चैत्र प्रलिखेद्भूमिं नात्मनोपहरंस्त्रजम् ॥५५॥

नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा घृष्टीवनं वा समुत्सृजेत् ॥५६॥

अमेध्यं लिप्तमन्ध्रं द्वालोहितं वा विंशाणं वा ॥५६॥

सन्ध्याकाल में भोजन, शयन, यात्रा न करे और न भूमि पर  
लकीर खींचे और पहनी हुई माला को न निकाले ॥५५॥ मूत्र,  
मूँल और शूक वा मलमूत्रयुक्त वस्तु, रक्त और विष भी जल में  
न डाले ॥५६॥

नैकः स्वपेच्छून्यगेहे श्रेयांसं न प्रवोधयेत् ।  
 नोदक्ययाभिभाषेत यज्ञं गच्छेन्न ज्ञाऽवृतः ॥५७॥  
 अग्न्यागारे गवां गोष्टे ब्राह्मणानां च सन्निधौ ।  
 स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत् ॥५८॥

सूने मकान में अकेला न सोवे, अपने से बड़े को ( सोते हुये )  
 न जगावे, रजस्वला से न बोले और बिना वरण किये यज्ञ में न  
 जावे । ( ५७ वे के आगे ३ पुस्तको में यह श्लोक अधिक है:-

[एकः स्वादु न भुञ्जीत स्वार्थमेको न चिन्तयेत् ।  
 एको न गच्छेदध्वानं नैकः सुप्तेषु जागृयात् ॥१॥]

अर्थान् अकेला स्वादु पदार्थ न खावे, न अकेला स्वार्थ की  
 चिन्ता करे । अकेला दीर्घयात्रा न करे, सत्र के सोते हुवे अकेला  
 न जागे ॥५७॥ यज्ञशाला गोशाला तथा ब्राह्मणों के समीप वेद के  
 पढ़ने और भोजन में दाहिना हाथ उठावे ॥५८॥

न वारयेद् गां धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित् ।  
 न दिवीन्द्रायुधं दृष्ट्वा कस्यचिदृर्णयेद् बुधः ॥५९॥  
 नाधामिके वसेद् ग्रामे न व्याधिवहुनेभशम् ।  
 नैकः प्रपद्येताध्वानं न चिरं पर्वते वसेत् ॥६०॥

(जल) पीती गायको न हांके और न दूसरेको बतावे, आकाश  
 में इन्द्र धनुष देख कर किसी को न दिखावे (आंख की हानि है)  
 ॥५९॥ अधर्मी ग्राम और जहां वहत बीमारी हो वहां न रहे.  
 अकेला मार्ग न चले और पर्वतपर बहुत काल निवास न करे ॥६०॥

न शूद्रराज्ये निवसेन्नाधार्मिकजनावृते ।

न पापण्डिगणाक्रान्ते नोपसृष्टेऽन्त्यजैर्नृभिः ॥६१॥

न भुञ्जीतोद्धृतस्नेहं नातिसौहित्यमाचरेत् ।

नातिप्रगे नातिसायं न सायं प्रातराशितः ॥६२॥

शू ों के राज्य मे निवास न करे. अधार्मिक पुरुषों से घेरे हुवे और पापण्डियों के वास किये हुवे तथा चाण्डालों से भरे हुवे देश में भी न बसे ॥६१॥ जिसकी चिकनाई निकाल ली हो उसको न खावे (जैसे खल) अति रुचि न करे, उदय तथा अस्त काल के समीप भोजन न करे, प्रातः काल अति वृत्त हुआ सायंकाल मे भोजन न करे ॥६२॥

न कुर्वीत वृथा चेष्टां न वार्यञ्जलिना पिबेत् ।

नात्स भक्षयेद्भक्ष्यान्न जातु स्यात्कुतूहली ॥६३॥

न नृत्येदथवा गायेन्न वादित्राणि वाज्येत् ।

नास्फोटयेन्न च च्चेडेन्न न रक्ता विगत्रयेत् ॥६४॥

निष्फल क्रम न करे, अश्लील से पानी न पीवे । (मोठकादि) भक्ष्य को गो ों में रख कर भोजन न करे और कभी व्यर्थ वाते न करे ॥६३॥ न नाचे न गान करे, बाजों को न बजावे, तानी न बजावे और तुतलाकर न बोले और बहुत प्रसन्न होकर (गधेका सो) कुशब्द न करे ॥६४॥

न पादौ धावयेत्कांस्ये कदाचिदपि भाजने ।

न मिन्नभाण्डे भुञ्जीत न भावप्रतिदूषिते ॥६५॥

उपानहौ च वासश्च धृतमन्यैर्न धारयेत् ।

उपवीतमलङ्कारं स्रजं करकमेव च ॥६६॥

कांसे के वर्तन में कभी पैर न धुवावे, फूटे वर्तन में भोजन न करे और विरोध वाले के घर भोजन न करे ॥६५॥ जूता, कपड़ा, यज्ञोपवीत, अलङ्कार, पुष्पमाला और कमण्डलु दूसरे के ओढ़े पहरे, वर्त्ते हुवे धारण न करे ॥६६॥

नाविनीतैर्व्रजेद्गुर्यैर्न च क्षुब्धाधिपीडितः ।

न भिन्नशृङ्गाच्चिखुरैर्न बालधिविरूपितैः ॥६७॥

विनीतैस्तु व्रजेन्नित्यमाशुगैर्लक्षणान्वितैः ।

वर्णरूपोऽसम्पन्नैः प्रतोदेनातुदन्मृशम् ॥६८॥

अशिक्षित क्षुधा व्याधि से पीडित तथा सींग आंख और खुर से खण्डित घोड़ों वा बैलो की सवारी न करे। लांढे बैलों से यात्रा न करे ॥६७॥ किन्तु शिक्षित तथा अच्छे प्रकार शीघ्र चलने वाले शुभ लक्षण युक्त वर्णरूप सहित (अश्वदि) से प्रतोद (कोड़े) से निरंतर न चुभाता हुआ यात्रा करे ॥६८॥

बालातपः प्रेतधूमो वज्र्यं भिन्नं तथासनम् ।

न छिन्द्यान्नखलोमानि दन्तैर्नेत्पादयेन्नखान् ॥६९॥

न मृत्नोष्टं च मृद्नीयान्नच्छिन्द्यात्करजैस्तृणम् ।

न कर्म निष्फलं कुर्यान्नायत्यामसुखोदयम् ॥७०॥

उदय काल का घाम और जलते मुर्दे का धुआं और दूटा आसन त्याज्य हैं। रोम वा नखों को न उखाड़े तथा दांतों से नखों को न उपाड़े (दा पुस्तकों में ६९ वें बीच में यह अर्थ श्लोक अधिक पाया जाता है: -

( श्रीकामोवर्जयेन्नित्यं मृगमये चैव भोजनम् )

अर्थात् शोभा का इच्छक मिट्टी के पात्र में न खाया करे ॥६९॥  
मिट्टी के ढंले को न मसला करे, नखों से टूणों को न काटा  
करे व्यर्थ काम न करे और आगामी काल में दुःख का देने वाला  
काम न करे ॥७०॥

लाष्टमर्दीतृणच्छेदी नखखादी च यो नरः ।

स विनाशं व्रजत्याशु सूचकांशुचिरेव च ॥७१॥

न विगह्य कथां कुर्याद् बहिर्माल्यं न धारयेत् ।

गवां च यानं पृष्टेन सर्वथैव विगहितम् ॥७२॥

ढंलेको मसलने वाला टूण का छेदने वाला, और नखों के  
चवाने के अभ्यास वाला मनुष्य शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है  
और चुगलबोर तथा अपवित्र भी ॥७१॥ उदरदृढता से बात नकरे,  
माला को बाहर धारण न करे और बैल की पीठ पर सवारी न  
करे । यह सर्वथा ही निन्दित है ॥७२॥

अद्वारेण च नातीयाद् ग्रामंवा वेश्म वावृतम् ।

रात्रौ च वृक्षमूलानि दूरतः परिवर्जयेत् ॥७३॥

नाक्षैः क्रीडेत्कदाचित्तु स्वयं नोपानहौ हरेत् ।

शयनस्थो न भुञ्जीत न पाणिस्थं न चासने ॥७४॥

घिरे हुवे नगर या मकानमें विना दरवाजे के न जावे (अर्थात्  
दरवाजे से जावे दीवार कूड़ कर न जावे) और रात को वृक्ष के  
नीचे न रहे ॥७३॥ कभी जुवा न खेले अपने जूतों को हाथ से उठा  
कर न चले शय्या पर वा हाथ में लेकर वा आसन पर रख कर  
न (किन्तु पात्र में रख कर) खावे ॥७४॥

सर्वं च तिलसंग्रहं नाद्यादस्तमिते रवौ ।

न च नग्नः शयीतेह नचोच्छिष्टः क्वचिद्ब्रजेत् ॥७५॥

आ 'पादस्तु भुञ्जीत नार्द्रपादस्तु संविशेत् ।

नार्द्रपादस्तु भुंजानो दीर्घमायुरवाप्नुयात् ॥७६॥

सूर्य के अस्त होने पर तिलयुक्त सब पदार्थों का भोजन न करे और नङ्गा न सोवे और भूँठे मुँह कहीं न जावे ॥७५॥ गीले पैर भोजन करे किन्तु गीले पैर सोवे नहीं । क्योंकि गीले पैर भोजन करने वाला दीर्घायु पाता है ॥७६॥

अचक्षुर्विषयं दुर्गं न प्रपद्येत कर्हिचित् ।

न विण्मूत्रमुदीचेत न ब्राह्म्या नदीं तरेत् ॥७७॥

अधितिष्टेन्न केशास्तु न भस्मास्थिकपालिकाः ।

न कर्पासास्थि न तुषान्दीर्घमायुर्जिजीविषु ॥७८॥

आंखों से जो दुर्ग नहीं देखा वहाँ कभी न जावे और मल मूत्र को न देखे और वाहु से नदी को न तरे ॥७७॥ बहुत दिन जीने की इच्छा वाला केश भस्म हड्डी खपरों के टुकड़े कपास की मीग और भूसे पर न बैठे ॥७८॥

न संवसेच्च पतितैर्न चाण्डालैर्न पुल्कसैः ।

न मूर्खैर्नावलिप्तैश्च नान्त्यैर्नान्त्यावमायिभिः ॥७९॥

पतितों के साथ न रहे । चाण्डालों के साथ तथा निपाद से शूद्रा में उत्पन्न हुवे पुल्कसों के साथ भी न बसे और मूर्ख तथा धनगर्वित और अन्त्यज और निपादन्त्री से चाण्डाल से उत्पन्न हुवों के साथ भी न बसे ॥ (७९ वें से आगे यह श्लोक १ पुस्तक में अधिक पाया जाता है) —



[ न कृतघ्नैरघुक्तैर्न महापातकान्वितैः ।  
न दस्युभिर्नाशुचिभिर्नाऽमित्रैश्च कदाचन ॥ ]

अर्थात् कृतघ्न, आलसी, उद्योगहीन, महापातकी, दस्यु अपवित्र और शत्रुओं के साथ कभी वास न करे ) ॥७५॥

“न शूद्राय मतिं वक्षान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम् ।

न चाम्योपदिशेद्धर्मं न चाम्य व्रतमादिशेत्” ॥८०॥

शूद्र को बुद्धि और उच्छिष्ट और हविष्कृत अर्थात् हेमशेष का भाग न दे। और उसका धर्म उपदेश न करे और व्रत भी न बतावे ॥ (एक पुस्तक में अर्थ श्लोक अधिक है—

[ अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा प्रायश्चित्तं समादिशेत् । ]

अर्थात् शूद्र को प्रायश्चित्त बताना हो तो ब्राह्मण को बीच में करले ) ॥८०॥

यो ह्यम्य धर्ममाचष्टे यश्चैवादिशति व्रतम् ।

सोऽसंवृतं नाम तमः सह तेनैव मज्जति ॥८१॥”

न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डूयेदात्मनः शिरः ।

न स्पृशेच्च तदुच्छिष्टो न च स्नायाद्विना ततः ॥८२॥

“जो इस (शूद्र) को धर्मोपदेश और प्रायश्चित्तका उपदेश करे वह उस शूद्र के साथ “असंवृताख्य’ बड़े अन्धकार वाले नरक में गिरता है ॥” (दशमाध्याय १२६ । १२७ में शूद्र के विषय में (न धर्मान्प्रतिपेधनम् । धर्मेष्वस्तु धर्मज्ञा सता वृत्त-मनुष्ठिता.) कहा है, जिम से शूद्रोका भी धर्मात्मा धर्मज्ञ सदाचारी होना पाया जाता है । और बिना उपदेश धर्म ज्ञान असम्भव है । इसलिये ये ८० । ८१ श्लोक किसी शूद्र-द्वेषी के मिलाये प्रतीत होते हैं जो कि उक्त दशमाध्याय से विरुद्ध हैं और आगे २१ नरक



श्लोक ८८। ८९। ९० में गिनाये हैं उनमें "असंघृत" नामका कोई नरक भी नहीं है और इसी के समीप उक्त १॥ श्लोक सब पुस्तकों में नहीं है। इससे भी प्रक्षिप्तता का संशय होता है) ॥८१॥ दोनों हाथों से एक साथ अपना शिर न खुजावे और झूठे हाथों से सिर को न छूवे और विना शिर पर पानी डाले स्नान न करे ॥८२॥

केशग्रहान्प्रहारांश्च शिरस्येतान्विवर्जयेत् ।  
 शिरः स्नातश्च तैलेन नाङ्गं किञ्चिदपि स्पृशेत् ॥८३॥  
 न राज्ञः प्रतिगृह्णीयादराजन्यप्रसूतितः ।  
 सूनाचक्रध्वजदतां वेपथैव च जीवताम् ॥८४॥  
 दशसूना समं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः ।  
 दशध्वजसमो वेपो दशवेपसमो नृपः ॥८५॥  
 दशसूनासहस्राणि यो वाहयति सौनिकः ।  
 तेन तुल्यः स्मृतो राजा धारस्तस्य प्रतिग्रहः ॥८६॥  
 यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति लुब्धस्योच्छ्वास्त्रवर्त्तिनः ।  
 स पथयिष्य यातीमान्नरकानेकविंशतिम् ॥८७॥  
 तामिस्रमन्धतामिस्रं महारौरवरौरवौ ।  
 नरकं कालसूत्रं च महानरकमेव च ॥८८॥  
 संजीवनं महाशीर्षि तपनं संप्रतापनम् ।  
 रंघातं च सकाकोलं कुङ्कुमं प्रतिमुञ्चिकम् ॥८९॥  
 लोहशङ्कु मजीषं च पन्थानं शाल्मली नदीम् ।  
 असिपत्रवनं चैव लोहदारकमेव च ॥९०॥

एतद्विदन्तो विद्वांसो ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः ।

न राज्ञः प्रतिगृह्णन्ति प्रेत्य श्रेयोऽभिकांक्षिणः ॥६१॥

केश का पकड़ना और मारना ये दो काम शिर में न करे। शिर में तेल लगाकर अन्य किसी अन्न को न चूवे ॥६३॥ विना क्षत्रिय से उत्पन्न राजा से दान न लेवे, सूना (जीवों के मारने की जगह), गाड़ी आदि, तथा कलालान से वृत्ति करने वालों और बहुरूपियों के भी (धन को ग्रहण न करे) ॥६४॥ दश सूना वाले के बराबर एक गाड़ी वाला है और इन दस के बराबर एक कलाल, और दस कलालों के समान एक बेपयारी दस वंश वालों के बराबर एक उक्त अधर्मी राजा (अर्थान् उत्तरोत्तर अधिक निपिद्ध) हैं ॥६५॥ दस हजार जीवों को मारने का अधिग्रहात् सौनिक कहता है। उक्त राजा उसके बराबर कश है। इस लिये इस का प्रतिग्रह घोर है (अतश्च न ले) ॥६६॥ जो कृपण और शान्त्र का उलंघन करने वाले राजा का प्रतिग्रह लेता है वह क्रम से इन इक्कीस नरकों को जाता है ॥६७॥ ताम्रिय १ अन्वतामित्र २ महा रौरव ३ रौरव ४ नरक ५ कालभूत्र ६ मग्ननरक ७ ॥६८॥ सञ्जीवन ८ महावीचि ९ तपन १० संप्रतापन ११ मंघात १२ सुकाकुल १३ कुड्मल १४ प्रतिमूर्तिक १५ ॥६९॥ लोहशंक्रु १६ अज्जीप १७ पन्थान १८ शाल्मली-नदी १९ असिपत्रवन २० और लोहदारक २१ (इन इक्कीस नरकों = स्थान विशेषों वा देश विशेषों को पाता है) ॥९०॥ यह प्रतिग्रह नाना प्रकार के नरकों का हेतु है; ऐसा जानने वाले विद्वान् वेद के जानने वाले और परलोक में कल्याण की इच्छा करने वाले ब्रह्मवादी ब्राह्मण ऐसे राजा का प्रतिग्रह नहीं लेते ॥

(६४ से ९१ तक ८ श्लोक भी प्रक्षिप्त से जान पड़ते हैं। एक

तो इनकी संस्कृत शैली मनु के सी नहीं । दूसरे ८५ वे श्लोक का पाठ २४ पुस्तकों में तो यही मिलता है जैसा मूल में छपा है परन्तु ६ पुस्तकों में -(दशध्वजसमा वेश्या दशवेश्यासमो नृप.) पाठ भेद है । दूसरे राजा और पहियोंदार गाड़ीसे जीविका करनेवाले वैश्य. इनको खटीकों और कलालों तथा वेश्याओं के समान समझना और इससे भी नीच समझना चिन्त्य है । और ८९ वें श्लोक के "प्रतिमूर्तिक" नरक का नाम ८ पुराने लिखे पुस्तकों में "पूतिमूर्तिक" पाया जाता है । जिससे भिन्न २ पुस्तकों में भिन्न २-पाठ भी संशय का हेतु है । इन तथा अन्य हेतुओं से हमने पहले तीन बार के एडीशनों (छापों) में प्रक्षिप्त लिखा था परन्तु अब चौथी बार इसलिये प्रक्षिप्त नहीं रक्खा कि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने भी संस्कारविधि गृहाश्रम प्र० में श्लोक ८५ माना है और नरक योनियों के नाम प्रायः मनु के माननीय श्लोकों में भी आये हैं । अतः हमने अब मान लिया है परन्तु ऊपर लिखे कारणों से संदेह-युक्त अब भी हैं) ॥९१॥

ब्राह्मं मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थं चानुचिन्तयेत् ।

कायक्लेशांश्च तन्मूलान्वेदतत्त्वार्थमेव च ॥९२॥

प्रातः दो घड़ी रात से उठे और धर्म अर्थ का चिन्तन करे । उनके उपार्जन के शरीर क्लेशों को समझे और वेदतत्त्वार्थ को भी सोचे ॥९२॥

उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः ।

पूर्वा सन्ध्यांजपंस्तिष्ठेत्स्वकाले चापरां चिरम् ॥९३॥

ऋषयो दीर्घसंन्यात्वाद् दीर्घमायुरवाप्नुयुः ।

प्रज्ञायशश्च कीर्त्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च ॥९४॥

फिर उठ कर दिशा जङ्गल होकर पवित्र हो एकाग्रचित्त से प्रातः सन्ध्यार्थ बहुत काल पर्यन्त जप करता रहे और मायं सन्ध्या को भी अपने काल में देर तक करे ॥९३॥ क्योंकि ऋषि-लोग दीर्घ सन्ध्याके अनुष्ठान से दीर्घ आयु, प्रज्ञा, यशः कीर्ति तथा ब्रह्म तेज को भी पा सकते हैं ॥९४॥

श्रावण्यां प्रौष्टपद्यां वाऽप्युपाकृत्य यथाविधि ।

युक्तश्छन्दांस्यधीयीत मासान्विप्रोऽर्धपंचमान् ॥९५॥

पुष्ये तु छन्दसां कुर्याद् बहिरुत्सर्जनं द्विजः ।

माघशुक्लस्य वा प्राप्ते पूर्वाह्ने प्रथमेऽहनि ॥९६॥

ब्राह्मणादि श्रावणी वा भाद्रपदी पौर्णिमा को उपाकर्म करके साढ़ेचार मास में उद्यत होकर वेदाध्ययन करे ॥९५॥ पुष्यनक्षत्र वाली पौर्णिमा (पौषी) में या माघ शुक्ला के प्रथम दिन के पूर्वाह्न में वेद का 'उत्सर्जन' कर्म (ग्राम के) बाहर जाकर करे ॥९६॥

यथाशास्त्रं तु कृत्वैवमुत्सर्गं छन्दसां बहिः ।

त्रिरमेतन्नाणीं गत्रिं तदेकैकमहर्निशम् ॥९७॥

अथ ऊर्ध्वं तु छन्दामि शुक्लेषु नियतः पठेत् ।

वेदाङ्गानि च सर्वाणि, कृष्णपक्षे पठेत् ॥९८॥

शान्त्र के अनुसार (ग्राम के) बाहर वेदों का उत्सर्जन कर्म करके दो दिन और एक बीच की रात्रि भर अनध्याय करे वा उसी दिन और रात्रि का अनध्याय करे ॥९७॥ उत्सर्जन अनध्याय के उपरान्त शुक्लपक्ष में निमय पूर्वक वेद और कृष्णपक्ष में वेदों के सम्पूर्णा अङ्गों को पढ़ा करे ॥९८॥

नाविस्पष्टमधीयीत न शूद्रजनसन्निधौ ।



न निशान्ते परिश्रान्तो ब्रह्माधीत्य पुनःस्वपेत् ॥६६॥

यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत् ।

ब्रह्मछन्दस्कृतं चैव द्विजो युक्तो ह्यनापदि ॥१००॥

अस्पष्ट न पढ़े और शूद्रों के पास बैठ कर न पढ़ा करे और प्रभात काल पढ़ कर थका हुआ फिर शयन न करे ॥९९॥ यथोक्त विधि से नित्य गायत्र्यादि छन्दा से युक्त मन्त्र पढ़े और द्विजमात्र अनापत्तिकाल में साधारण वेदपाठ और छन्दोयुक्त मन्त्र नियम पूर्वक पढ़ा करे ॥१००॥

इमान्नित्यमनध्यायानधीयानो विवर्जयेत् ।

अध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिपूर्वकम् ॥१०१॥

कर्णश्रवेऽनित्ये रात्रौ दिवा पांसुसमूहने ।

एतौ वर्षास्वनध्यायावध्यायज्ञाः प्रचक्षते ॥१०२॥

इन आगे कहे अनध्यायों को सर्वदा यथोक्तविधि से पढ़ने वाला और शिष्यों को पढ़ाने वाला (गुरु) छोड़ दवे ॥१०१॥ रात्रि में कान में शब्द करने वाले वायु के चलते हुवे और दिन में गर्द उड़ाने वाले वायु के चलते हुवे, ये वर्षा ऋतु में दो अनध्याय स्वाध्यायज्ञ (मुनि) कहते हैं ॥१०२॥

विद्युत्तनितवर्षेषु महोल्कानां च संप्लवे ।

आकालिकमनध्यायमेतेषु मनुरब्रवीत् ॥१०३॥”

एतास्त्वभ्यादताः स्वघाघदा प्रादुष्कृताग्निषु ।

तदा विद्यादनध्यायमनृतौ चाभ्रदर्शने ॥१०४॥

विजुली गरजते हुवे वर्षा में और उल्काओं के गिरने में अनध्याय उस समय तक करे जिस समय तक ये उत्पात वा वर्षा होते



रहें। ऐसा मनु कहते हैं ॥" (यह श्लोक भी स्पष्ट मनुप्रोक्त नहीं है तथा १०५-१०६ से पुनरुक्त भी है) ॥१०३॥ इन विद्युदादि को अग्निहोत्र के होम समय उत्पन्न होते जाने तो न पढ़े और उसी समयमें बिना वर्षा ऋतुके बादल दीखे तो भी अनध्याय करो १०४।

निघोति भूमिचलने ज्योतिषां चोपसर्जने ।

एतानाकालिकान्निघादनध्यायानृतावधि ॥१०५॥

प्रादुर्भूतैष्वग्निं तु विद्युत्स्तनितं निःस्वने ।

सज्योतिः स्यादनध्यायः शेषैरात्रौयथादिवा ॥१०६॥

अन्तरिक्ष में उत्पात शब्द होने और भूकम्प और मूर्यादिकों के उपद्रव में जिन ऋतुओं में भूकम्पादि हुआ करते हैं उन में भी जब तक उपद्रव रहे तब तक अनध्याय करे ॥१०५॥ होमार्थ अग्नि प्रकट होने के समय बादल में विजुली का शब्द हो तो दिन भर का अनध्याय करे और शेष समयों वा रात्रि में पूर्वोक्त दिन के समान "आकालिक" अनध्याय करे ॥१०६॥

नित्यानध्याय एव स्याद्ग्रामेषु नगरेषु च ।

धर्मनैपुण्यकामानां पूतिगन्धे च सर्वदा ॥१०७॥

अन्तर्गतशवे ग्रामे वृषलस्य च सन्निधौ ।

अनध्यायैरुद्यमाने संववाये जनस्य च ॥१०८॥

धर्म की अतिशय इच्छा वालों को ग्राम वा नगर में सर्वदा अनध्याय (किन्तु एकान्त जङ्गल में पढ़ना उत्तम है) और दुर्गन्ध में कभी पढ़ना नहीं चाहिये ॥१०७॥ जिस में मुर्दा पड़ा हो ऐसे छोटे ग्राम में और अधर्मी के पास और रोने तथा भीड़ में न पढ़े ॥१०८॥

'उक्ते मध्यरात्रे च विण्पूत्रम्य विसर्जनं ।  
 उच्छिष्टं श्राद्धमुक्त्वा मनसाऽपि न चिन्तयेत् ॥१०९॥  
 प्रतिगृह्य द्विजो विद्वानंकादिष्टम्य कंतनम् ।  
 अहं न कीर्तयेद्ब्रह्म राज्ञो राहोश्च सूतकं ॥११०॥'

“जल और मध्य रात्रि में और मल ,त्र करनं कं समय और भोजनादि करके फूँठे मुंह और श्राद्ध में भोजन करके वेद का मन में भी याद न करे ॥१०९॥ विद्वान् ब्राह्मण एकादिष्ट श्राद्ध का निमन्त्रण ग्रहण करके तीन दिन वेद का अध्ययन न करे और राजा के (पुत्रजन्मादि के) सूतक तथा राहू के सूतक में तीन दिन अनध्याय करे ॥११०॥”

“यावदेकानुदिष्टस्य गन्धोलेपश्च तिष्ठति ।  
 विप्रस्य विदुषो देहे तावद् ब्रह्म न कीर्तयेत् ॥१११॥  
 शयान. प्राँडपादश्च कृत्वा चंवावसक्थिकाम् ।  
 नाधीयीतामिपं जग्ध्वा रूतधात्राद्यमेव च ॥११२॥”

“जब तक एकादिष्ट का देह में गन्ध और लेप रहता है विद्वान् ब्राह्मण तब तक वेद न पढ़े ॥१११॥ लेटा हुआ और पैरों को ऊँचा किये, बैठनेमें दोनो पैरों को भीतर की ओर मोड़े हुवे, मांस तथा सूतकियों का अन्न भोजन करके भी न पढ़े ॥११२॥”

“नाहारे वाणशब्दे च संध्ययारेव चोभयो ।  
 अमावास्याचतुर्दश्या पौर्णमास्यष्टकासु च ॥११३॥  
 अमावास्या गुरुं हन्ति शिष्यं हन्ति चतुर्दशी ।  
 ब्रह्माऽष्टकापौर्णमास्यौ तःमात्ता. परिवर्जयेत् ॥११४॥”

कुहर में और ब्राह्मणों के शब्द में तथा दोनो सन्ध्याओं में अमावास्या तथा चतुर्दशी और पूर्णमासी और हेमन्त शिशिर की कृष्ण अष्टमी में नपढ़े ॥११३॥ क्योंकि अमावस्या (को पढ़ने में)



गुरुको नष्ट करती है और चतुर्दशी शिष्य को और वेदको अष्टमी पौर्णमासी नष्ट करती हैं ॥११४॥

पांसुवर्षे दिशादाहे गोमायुविरुने तथा ।  
श्वखरोष्ट्रे च रुवति पंक्तौ च न पठेद् द्विजः ॥११५॥  
नाधीयीत श्मशानान्ते ग्रामान्ते गोत्रजेपि वा ।  
“वसित्वा मैथुनं वासः श्राद्धिकं प्रतिग्रह च” ॥११६॥

धूल वर्षने और दिशात्रो के जलने और सियारों के चिह्नाने और कुत्ता, ऊंट, गधे के शब्द करने और पंक्तियों में द्विज वेद न पढ़ा करे ॥११५॥ श्मशान और ग्राम के समीप तथा गोशाला में न पड़े, और मैथुन समय के वस्त्रों को पहन कर और श्राद्धान्न को भोजन करके न पढ़े ॥११६॥

‘प्राणि वा यदि वाऽप्राणि यत्किञ्चिच्छ्राद्धकं भवेत् ।  
तदालभ्याप्यनध्याय पाण्याम्यो हि द्विज स्मृतः” ॥११७॥  
चौरैरुपप्लुते ग्रामे मंत्रमे चाग्निकारिते ।  
आकालिकमनध्यायं विद्यात्सर्वाद्गुतेषु च ॥११८॥

“श्राद्धसम्बन्धी पशु वा शाकादि को हाथ में काट कर बनार कर न पढ़े । क्यों कि ब्राह्मण “पाण्याम्य” (अर्थात् हाथ ही हैं मुख जिसका) कहा है ॥११७॥ चोरो के उपद्रवमें प्राप्तमें, और मकान इत्यादि जलते समय में पूर्वोक्त आकालिक अनध्याय जाने और संपूर्ण अद्भुत कर्मों के होने में भी ॥११८॥

उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्रं क्षेपणं स्मृतम् ।  
अष्टकासु त्वहोरात्रमृत्वन्तासु च रात्रिषु ॥११९॥  
नाधीयीताश्वमारूढो न वृक्षं न च हस्तिनम् ।-



पितरों का इस क्रम से वर्णन नहीं है जैसा श्लोक में बताया जाता है इस लिये यह वेद विरुद्ध है] ॥१२४॥

एतद्विदन्तो विद्वांसस्त्रयीनिष्कर्षमन्वहम् ।

क्रमतः पूर्वामभ्यस्य पश्चाद्देमधीयते ॥१२५॥

पशुमण्डूकमार्जारश्वसर्पनकुलाखुभिः ।

अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहर्निशम् ॥१२६॥

इस प्रकार जानने वाले विद्वान् प्रतिदिन गायत्री, ओ३म् और व्याहृति, इस वेद के सार को क्रमपूर्वक प्रथम जप कर पश्चान् वेद को पढ़ते हैं ॥१२५॥ बैल इत्यादि पशु मेंढक विल्ली, कुत्ता, सांप, नेबला चूहा ये पढ़ते समय ( गुरु शिष्य ) के बीच में होकर निकल जावें तो दिन रात्रि अनध्याय करे ॥ ( पशु आदि सब मनुष्योंसे डरते और बैठे मनुष्योंके बीच में नहीं निकलते हैं और जब निकलते हैं तो कुछ उपद्रव और अपवित्रता हो जाती है इत्यादि कारण हैं । और अगलेश्लोकमें मनु जी ने सब अनध्यायों को दो बातों के अन्तर्गत कर दिया है अथान् एक तो जब २ पढ़ने के स्थान में कोई बाह्य विघ्न हो दूसरे जब २ आत्मा में वप्रता आजावे ) ॥१२६॥

द्वावेवं वर्जयेन्नित्यमनध्यायौ प्रयत्नतः ।

स्वाध्यायभूमिं च शुद्धामात्मानं चाशुचिं द्विजः ॥१२७॥

अमावास्यामष्टमीं च पौर्णमासीं चतुर्दशीम् ।

ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्यृतौस्नातको द्विजः ॥१२८॥

( वस्तुतः ) दो ही अनध्याय सर्वदा यत्नपूर्वक छोड़े । एक पढ़ने की अशुद्ध जगह और दूसरे आप पढ़ने वाला द्विज अपवित्र

हे। तव ( अर्थान् अच्छे स्थान में और आप पवित्र होकर पढ़े )  
[ अनध्याग प्रकृणु ममाम हुआ ] ॥१२७॥ अमावस्या अष्टमी  
पौर्णमासी और चतुर्दशी इन तिथियों में पूर्वोक्त स्नातक द्विज ऋतु  
काल में भी भार्या के पाम न जावे ॥१२८॥

न स्नानमाचरेद्भुक्त्वा नातुगे न महानिशि ।

नरासोभिः महाजम्भं नाऽविज्ञाते जनाशने ॥१२९॥

देवतानां गुणैः स्नानकाचार्यैस्तथा ।

नाक्रामेन्नामतराणां बभ्रुणो दीक्षितस्य च ॥१३०॥

भोजन करके, रोग में मध्यरात्रिमें, कपड़ों के साथ और जहां  
पानी गहरा हो और विदित न हों ऐसे जलाशय में स्नान न करे  
॥१२९॥ देव = प्रसिद्ध २ विद्वान् और गुरु, राजा स्नातक आचार्य,  
कपिल, दीक्षित इन की आथा इच्छा से न लांघे (इस से इन का  
अनादर होता है) ॥१३०॥

मन्यदिनेऽर्धरात्रे वा श्राद्धं भुक्त्वा च सामिपम ।

सन्ध्योरुभयोश्चैव न सेवेत चतुष्पथम् ॥१३१॥

दोपहर दिन आधी रात्रि और श्राद्धमें मांसभोजन करके और  
दोनो सन्ध्याओं में चौराहे पर अधिक काल तक न रहे ॥

( १०९ । ११० । १११ । ११२ । ११३ । ११४ । आधा ११६ ।  
११७ । १२४ । १३१ । ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं क्योंकि जल में पढ़ना  
किसी को इष्ट ही नहीं । मध्यरात्रि शयनार्थ है ही । विष्टा मूत्र के  
त्याग समय सभी काम पूर्व निषिद्ध कर आये फिर भला वेदपाठ  
का निषेध कहां रह गया भूँठे मुँह कहीं जाना तक निषिद्ध है,  
फिर वेदाध्ययन कैसा ? मांस और मृतक श्राद्धनिषिद्ध और वेदवाह्य



हैं ये सर्वदा ही निन्दित हैं, स्वाध्याय में क्या ? मांस भक्षण ब्रह्म-  
चारी को विशेषतः और सामान्यता सबही को प्रथम निषिद्ध कर  
आये हैं और करेगे । फिर मांस खाकर वेद न पढ़े यह कथन कैसा  
तिरकुश है । अमावस्यादि का पाठ पर्व होना में ही वर्जित है ।  
परन्तु गुरु शिष्य वा विद्या की हानि और नाश लिखना अनर्गल  
है । ब्रह्मचारी को मैथुन ही अप्राप्त है फिर मैथुन के बन्ध धारे हुवे  
वेद पाठ निषेधकी क्या आवश्यकता है । प्राणिवध वर्जित है, तब  
वेदपाठी को उनकी आशाङ्का ही क्या है । १२४मे ऋग्वेदको देवयजु  
को मानुष साम को पित्र्य वताना सकल वैदिक मिद्धान्त के विरुद्ध  
है । न ३ वेदों में इन ३ की कोई विशेषता पाई जाती है । १३१ वे  
में मांस और श्राद्धभाजी का अनध्याय प्रक्षेपक से भी पुनरुक्त है ।  
१११ में नन्दन दीकाकार ने (गन्धोत्पन्नं=स्नेहोत्पन्नं) व्याख्यात  
कियाहै । यहपाठ भेदभी प्रतिप्रनाके मंशयको दृढ़ करना है)॥१३१॥

-उद्धर्तनमपस्नानं विण्मृत्रे रक्तमेव च ।

श्लेष्मनिष्ठयूतवान्तानि नाधितिष्ठेत्तु कामतः ॥१३२॥

उद्वहनके मैलकी पीठी स्नानका पानी. मल, मूत्र, रक्तकफ पीक  
और यमन, इन के ऊपर जान कर खड़ा न होंवे ॥१३२॥

वैरिणं नोपसेवेत सहायं चैव वैरिणः ।

ग्रवार्मिकं तस्करं च परस्यैव च योपितम् ॥१३३॥

न तीक्ष्णमनायुग्यं लोके किञ्चन विद्यते ।

यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम् ॥१३४॥

शत्रु और उसके सहायक से और अधर्मी चोर तथा पराई  
स्त्री से मैल न रखे ॥१३३॥ इस प्रकार का आयुक्षय करनेवाला

संसार मे कोई कर्म नहीं है जैसा ( मनुष्य की आयु घटाने वाला)  
दूसरे की स्त्री का सेवन है ॥१३४॥

क्षत्रियं चैव सर्पं च ब्राह्मणं च बहुश्रुतम् ।

नावमन्येत वैभूष्णुः कृपानपि कदाचन ॥१३५॥

एतत्त्रयं हि पुरुषं निर्देहदवमानितम् ।

तस्मादेतत्त्रयं निश्चय नावमन्येत बुद्धिमान् ॥१३६॥

( धर्मादि से ) बुद्धि चाहने वाला क्षत्रिय, सर्प और बहुश्रुत  
ब्राह्मण दुबले भी हों तो भी इन का अपमान न करे ॥१३५॥ ये  
तीन अपमान करने से अपमान करने वाले को भस्म कर देते हैं ।  
इस से बुद्धिमान् इन का अपमान न करे ॥१३६॥

नात्मानममन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः ।

आमृत्योः श्रियमन्विच्छेन्नैनां मन्येत दुर्लभाम् ॥१३७॥

सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेव धर्मः सनातनः ॥१३८॥

यत्न करने से द्रव्य न मिले तो भी अपने को अभागी कह कर  
अपना अपमान न करे, किन्तु मरने तक सम्पत्ति के लिये यत्न  
करे इस को दुर्लभ न जाने ॥१३७॥ सच बोले, प्रिय बोले और  
जो प्रिय न हो ऐसा न बोले ( मौन रहे ) और असत्य प्रिय भी  
न बोले , यह सनातनधर्म है ॥१३८॥

भद्रं भद्रमिति ब्रूयाद्भद्रमित्येव वा वदेत् ।

शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित्सह ॥१३९॥

नातिकल्पं नातिसायं नातिमर्ष्यादने स्थिते ।

नाऽज्ञाते न समं गच्छेत्नैका न वृषणैः सह ।१४०।

भद्र भद्र ( अच्छा बहुत अच्छा ) कहे या केवल "अच्छा" ही कहे, किन्तु निष्प्रयोजन वैर वा झगड़ा किसीसे न करे ॥१३९॥  
 सवेरे उपः काल और प्रदोष समय में तथा दोपहर दिन के और अनजान के साथ तथा अकेला और शूद्रों के साथ मार्ग न चले ॥१४०॥

हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्विद्या हीनान्वयोधिकान् ।

रूपद्रव्यविहीनाश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत् ॥१४१॥

न स्पृशेत्पाणि नोच्छिष्टेऽपि गोत्राङ्गणानलान् ।

न चापिपश्येद्दशुचिः मुस्थो ज्योतिर्गणान्द्रिवि ॥१४२॥

अङ्गहीन, अधिक अङ्ग वाले, मूर्ख, वृद्ध, कुरूप तथा द्रव्य हीन और जाति से हीन को ताना न दे ॥१४१॥ भोजन करके मूत्रे हाथों से इन्द्रियों, ब्राह्मणों और अग्नि का स्पर्श न करें।  
 गंधिरहित पुरुष अपवित्र हुआ आकाशमे सूर्यादिको न देखे ॥१४२॥

स्पृष्ट्वातानशुचिर्नित्यमद्भिः प्राणानुपस्पृशेत् ।

गात्राणि चैवसर्वाणि नाभिं पाणितलेन तु ॥१४३॥

अनातुरः स्वानि खानि न स्पृशेदनिमित्ततः ।

गेमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव विवर्जयेत् ॥१४४॥

यदि अपवित्र हुआ पुरुष भूत से इन इन्द्रियादि का स्पर्श करले तो आचमन कर हाथ से जल लेकर चक्षुरादि का स्पर्श करे और सम्पूर्णगात्र तथा नाभि को स्पर्श (करना रूप प्रायश्चित्त) करे ॥१४३॥ स्वस्थ मनुष्य अपने इन्द्रियों और सब गुप्त वालों

को विना निगित्त न छुवे ॥१४४॥

मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्प्रयतात्माजिनेन्द्रियः ।

जपेन्न जुहुयाच्चैव नित्यमग्निमतन्द्रितः ॥१४५॥

मङ्गलाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम् ।

जपनां जुहनां चैव विनिपातो न विद्यते ॥१४६॥

शुभाचारयुक्त, शुचि तथा जितेन्द्रिय रहे । सर्वदा आलस्य रहित होकर जप और अग्निहोत्र करे ॥१४५॥ शुभ आचारयुक्त और सर्वदा पवित्र रहने वाले और जप तप तथा होम करने वालों को उपद्रव ( रोगादि ) नहीं होता ॥१४६॥

वेदभ्यासेनित्यं यथाकालमतन्द्रितः ।

तं ह्यस्याहुः परंधर्ममुत्तममाऽन्य उच्यते ॥१४७॥

वेदभ्यासेन सततं शांतेन तपसैव च ।

अश्लोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौत्रिकीम् ॥१४८॥

सर्वदा आलस्यरहित होकर यथावसर वेद ही को पढे । क्योंकि यह इसका परमधर्म कदा है और दूसरा धर्म इससे नीचे है ॥१४७॥ निरन्तर वेदाभ्यास करने, शुचि रहने तप करने और जीवों के साथ द्रोह न करने से (अग्ने) पूर्व जन्म को जान जाता है ॥१४८॥

पौत्रिको संस्मरञ्जातिं ब्रह्मैवाभ्यसते पुनः ।

ब्रह्मभ्यासेन चाजस्रमनन्तं सुखमश्नुते ॥१४९॥

सावित्राञ्छान्तिहोमश्च कुर्यात् पर्णसुनित्यशः ।

नित्यं श्वैवाष्टकाम्बुर्चे नित्यमन्वष्टकासु च ॥१५०॥

पूर्व जन्म को स्मरण करता हुआ पुनः नित्य वेद ही का



अभ्यास करता है। उस व्रतभाग में अनन्त मृत्यु (मौज) को भागता है ॥१४५॥ मरिचा देवता के मन्त्र और ज्ञानिगठ में सर्वत्र छमावाद्या तथा पौर्णमासी आदि पर्वों में होम करे और हेमन्त शिशिर ऋतु की कृष्ण अष्टमी और नवमियां में यथाविधि पितरों का (विशेष) पूजन करे। (नन्दन टीकाकार ने सावित्रान-सावित्र्या पाठ की व्याख्या की है) जिस प्रकार निम्न भी गुरु का स्मरण करने ही हैं परन्तु आराधी गुरुपूजोपा में विशेष गुरु पूजन की रीति है। इसी प्रकार माता पिता आदि के लिये स्मरण के अतिरिक्त हेमन्त और शिशिर की कृष्णपक्ष की ४ अष्टमी और ४ नवमियां में पितृपूजा का विशेष उक्तव्रत जानो ॥१५॥

दृग्दात्रमथान्मत्रं दशान्पादाधमेचनम् ।

उच्छिष्टात्तन्निपेकं च दशान्त्रममाचरेत् ॥१५१॥

रैत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनेम् ।

पूर्वाच्च एव कुर्यात् देवतानां च पूजनम् ॥१५२॥

गृह में मल, मूत्र और पैर धोना और जूतन का त्याग भी दृग् ही करे ॥१५१॥ मल का त्याग शरीर शुद्धि, स्नान दन्तधावन अञ्जन और देवतोंके लिये होम ये कर्म प्रथम पहर में करे ॥१५२॥

दैवतान्यभिगच्छेत्तु धार्मिकांश्चद्विजोत्तमान् ।

ईश्वरं चैव रक्षार्थं गुरुनेव च पर्वसु ॥१५३॥

अभिवाद्येद् वृद्धांश्च दद्याच्चैवामनं स्वकम् ।

कनाञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठातोऽन्विधात् ॥१५४॥

यज्ञशालाओं धार्मिक ब्राह्मणों और गुरुओं के मिलने वा ईश्वर की उपासना में अपनी रक्षा के लिये पर्वों में जावे ॥१५३॥

( घर में आये ) वृद्धों को नमस्कार करे और बैठने के लिये अपना आसन देवे और हाथ जोड़ कर उन के पास रहे और चलते हुआ के पीछे २ ( थोड़ी दूर ) चले ॥१५४॥

श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यङ् निवृद्धं स्वेषु कर्मसु ।

धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥१५५॥

आचाराह्नमते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः ।

आचाराद्धनमक्षयमाचारो हन्त्यलक्षणम् ॥१५६॥

वेद और स्मृति में कहा हुआ और अपने कर्मों में नियम से बांधा हुआ और धर्म का मूल जो सदाचार है, उस को आलस्य रहित हाकर सेवन करे ॥१५५॥ आचार से आयु, इच्छित (पुत्र पौत्रादि) सन्तति तथा अक्षय धन प्राप्त होता है और आचार अशुभ लक्षण का नष्ट करता है ॥१५६॥

दुःखचारेहि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ।

दुःखभागी च सततं व्याधिताऽल्पायुरेव च ॥१५७॥

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्भरः ।

श्रद्धधानोऽनमूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥१५८॥

दुष्ट आचरण करने वाला पुरुष लोक में निन्दित, दुःख का भागी, निरन्तर रोगी रहता तथा अल्पायु भी होता है ॥१५७॥ साधुओं के आचार करने वाला, श्रद्धायुक्त और दूसरों के दोषों को कहने वाला पुरुष चाहे सम्पूर्ण अन्य शुभ लक्षणों से रहित भी हो तौ भी सौ वर्ष जीता है (तात्पर्य बड़ी आयु से है) ॥१५८॥

यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत् ।

यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥१५९॥



सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।

एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥१६०॥

जो २ कर्म दूमरे के आधीन है उन २ को यत्न से छोड़ देवे और जो २ अपने आधीन है, उनको यत्न से करे ॥१५९॥ दूमरे के आधीन होना ही सम्पूर्ण दुःख है और स्वार्थीनता ही सम्पूर्ण सुख है । यह सुख दुःख का मंक्षिम लक्षण जानें ॥१६०॥

यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यान्परितोपोन्तरात्मनः ।

तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत् ॥१६१॥

आचार्यं च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम् ।

न हिंस्याद्ब्राह्मणान्ग.श्चसर्वाश्चैव तपस्विनः ॥१६२॥

जिस कर्मके करने से इस (कर्म करने वाले पुरुष) का अन्तरात्म. प्रसन्न होवे वह कर्म यत्नपूर्वक करे और इसके विपरीत कर्मों को छोड़ दे ॥१६१॥ आचार्य वेद की व्याख्या करने वाला, पिता, माता, गुरु, ब्राह्मण, गौ और सम्पूर्ण तपस्वी, इनको न मारे (अन्य प्राणियों की अपेक्षा ये अधिक उपकारक होने से विशेष हैं) ॥१६२॥

नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम् ।

द्वेषं दम्भं च मानं च क्रोधं तैर्ण्यं च वर्जयेत् ॥१६३॥

परस्य दण्डं नोद्यच्छेत्क्रुद्धो नैव निपातयेत् ।

अन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्वा शिष्ट्यर्थं ताडयेत् तौ ॥१६४॥

नास्तिकता और वेद की निन्दा तथा देवतों की निन्दा, वैर, दम्भ, अभिमान, क्रोध और तेजी छोड़ दे ॥१६३॥ दूसरे के मारने को क्रोधयुक्त हुआ दण्ड न उठावे और (दूसरे के ऊपर) लाठी न

फेंके परन्तु पुत्र और शिष्य को छोड़कर, क्योंकि इनको तो शिक्षा के लिये नाड़ना करे ही ॥१६४॥

ब्राह्मणायावगुर्येव द्विजातिर्वधकाम्यया ।  
शतं वर्षाणि तामिस्रं नरके परिवर्तते ॥१६५॥  
ताडयित्वा तृणेनापि संरम्भान्मतिपूर्वकम् ।  
एकविंशतिमाजातीः पापयोनिषु जायते ॥१६६॥

प्राणघात के विचार से ब्राह्मण को दण्डादि उठाने ही से द्विजाति सौ वर्ष तामिस्र-अन्धनरक में फिंराया जाता है ॥१६५॥ क्रोध से वृण द्वारा भी बुद्धि पूर्वक मारने से २१ पाप योनियों में जन्मता है ॥१६६॥

अयुध्यमानस्योत्पाद्य ब्राह्मणस्यासृगङ्गतः ।  
दुःखं सुमहदाप्नोति प्रेत्याऽप्राज्ञतया नरः ॥१६७॥  
शोणितं यावतः पांसून्सृगृह्णाति महीतलात् ।  
तावताऽब्दानमुत्रान्यैः शोणितोत्पादकोऽद्यते ॥१६८॥

न लड़ने वाले ब्राह्मणके शरीर से अज्ञान से रक्त निकाल कर मनुष्य मरकर जन्मान्तरमें बड़ा दुःख पाता है ॥१६७॥ (शास्त्रादिके मारने से निकला हुआ ब्राह्मण के शरीर का) रुधिर, जितने पृथ्वी के धूल के अणुओं को शोषता है उतने वर्ष पर्यन्त मारने वाला अन्यां (कुत्ते आदि) से मरकर जन्मान्तर में खाया जाता है ॥१६८॥

न कदाचिद् द्विजे तस्माद्विद्वानवगुरेदपि ।  
न ताडयेत्तृणेनापि न गात्रात्स्रावयेदसृक् ॥१६९॥  
अधार्मिको नरो येहि यस्य चाप्यनृतं धनम् ।

हिंसारतश्च ये नित्यं नेहाऽसौ सुखमेधते ॥१७०॥

इसलिये द्विज के मारने को कभी लाठी भी न उठावे और न  
रुणादि से मारे और न शरीर से रक्त निकाले ॥१६९॥ अधर्म  
करने वाला और जिस के असत्य ही धन है और जो नित्य हिंसा  
करने में रत रहता है वह इस लोकमें सुखपूर्वक नहीं बढ़ता ॥१७०॥

न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत् ।

अधार्मिकाणां पापानामाशुः पश्यान्वपर्ययम् ॥१७१॥

नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव ।

शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कुन्तत ॥१७२॥

अधर्म करने वाले पापियों को शीघ्र विपर्यय अर्थात् उलटा  
फल देखता हुआ धर्म करने में पीड़ित होता है तो भी मन को  
अधर्म में न लगावे ॥१७१॥ इस लोक में अधर्म किया हुआ उसी  
समयमें नहीं फलता जैसे पृथ्वी वा गौ(उसी समय फल नहीं देती)  
परन्तु धीरे २ फलता हुआ अधर्म करने वाले की जड़े काट  
देता है ॥१७२॥

यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत् पुत्रेषु नप्तृषु ।

न त्वेव तु कृतोऽधर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः ॥१७३॥

अधर्मैशुधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ।

ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥१७४॥

सत्यधर्मार्थवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा ।

शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मेण वाग्वाहूदरसंयतः ॥१७५॥

परित्यजेदर्थकामौ यां स्यातां धर्मवर्जिता ।

धर्मं चाप्यसुखोदकं लोकविक्रुष्टमेव च ॥१७६॥

किया हुआ, अधर्म करने वाले को निष्फल नहीं होता किन्तु यदि तत्काल देह धर्मादि का नाश नहीं भी करे तो उसके पुत्र में सफल होता है । यदि पुत्र में न हो तो पौत्र में सफल होता है ॥१७३॥ अधर्म से पहिले तो बढता है, फिर कल्याणो को देखता है (अर्थात् नौकर चाकर गाय गोडा इत्यादि से सुख भी पाता है) और शत्रुओ को भी जीतता है परन्तु फिर (पापके परिपाकसमय) मूल सहित नष्ट हो जाता है ॥१७४॥ सत्य धर्म सदाचार और शौच में मर्वदा प्रीति करे और धर्म से शिष्यों को शिक्षा देवे और वाणी बाहु उदर इनका संयम करे (अर्थात् सत्यभाषण, दूसरे को पीडा न देना और न्यायोपार्जित अन्न का भोजन ऐसे तीनों का संयम करे) ॥१७५॥ धर्मरहित जो अर्थ और काम हो उनको त्याग दे (जैसे चारी से द्रव्योपार्जन और पर-स्त्री से गमन) और उत्तर काल में दुःख का देने वाला और जिसमें लोगों को क्लेश हो ऐसा धर्म भी न करे जैसे पुत्र पौत्रादि के रहते सर्वस्व दान और पुण्य धर्म की सहायतार्थ भी किसी को अत्यन्त सताना) ॥१७६॥

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽन्जुः ।

न स्याद्वाक्चपलश्चैव न परद्रोहकर्मधीः ॥१७७॥

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः ।

तेन यायात्सतां मार्गं तेन गच्छन्न रिष्यते ॥१७८॥

निष्प्रयोजन हाथ पैर वाणी से चञ्चलता न करे, कुटिल न होवे और दूसरे को बुराई की बुद्धि (नियत) न करे ॥१७७॥ जिस मार्ग से इसके पिता पितामह चलते रहे हैं उसी सन्मार्ग में चले, उस में चलते की बुराई नहीं होती ॥१७८॥



ऋत्विक्पुरोहिताचार्यैर्मातुलातिथिसंश्रितैः ।

बालवृद्धातुरवैद्यैर्ज्ञातिसंबन्धिवान्धवैः ॥१७६॥

मातापितृभ्यां यामीभिर्भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया ।

दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरन् ॥१८०॥

ऋत्विज्, पुरोहित, आचार्य माता अतिथि भिक्षकाणि बाल वृद्ध रोगी वैद्य, चाचा इत्यादि, साला इत्यादि और मां के पिता= नाना मामा आदि ॥१७९॥ मां बाप बहन, या पुत्र बधू आदि, भ्राता पुत्र स्त्री लड़की और नौकरों से झगडा न करे ॥१८०॥

एतैर्विवादान्संत्यज्य सर्वपापैः प्रमुच्यते ।

एभिर्जितैश्च जयति सर्वल्लोकानिमान्गृही ॥१८१॥

आचार्यो ब्रह्मलोकेः प्राजापत्ये पिताप्रभुः ।

अतिथिस्त्विन्द्रलोकेशो देवलोकस्य च त्विजः ॥१८२॥

गृहस्थ इन (ऋत्विजाहि) के साथ विवाद को छोड़कर सब टंटों से छूटा रहता है और इनके जीतने से इन सब संसारस्थ लोगों को जीत लेता है (किन्तु जो घर में लड़ता है वह बाहर हारे ही गा) ॥१८१॥ 'आचार्य' ब्रह्म = वेदलोक का स्वामी है (उसके सन्तुष्ट होने से वेद प्राप्त होता है) ऐसे ही प्रजापति लोक का 'पिता' स्वामी है और 'अतिथि' इन्द्रलोक का प्रभु है। देवलोक के प्रभु 'ऋत्विज्' हैं इन्हींके अनुग्रहसे इनकी प्राप्ति होती है ॥ (पिता उत्पादक होने से प्रजा का पति है। इन्द्र तत्व सम्बन्धिनी बुद्धिका उपदेशक होने से अतिथि इन्द्रलोकेश कहा। ऋत्विज् यज्ञ करा कर वायु आदि देव लोक की सदऽवस्था करते हैं) ॥१८२॥

जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवस्य बान्धवाः ।

सम्बन्धिनो ह्यपां लोके पृथिव्यां मातृमातुलौ ॥१८३॥

आकाशे रास्तु विज्ञेया वाल्वृद्धकृशातुराः ।

भ्राता ज्येष्ठः समः पित्रा भार्या पुत्रः स्वकातनुः ॥१८४॥

भगिनी और पुत्र वधू आदि अप्सरा लोक की स्वामिनी हैं ।  
और वैश्वदेव लोक के बान्धव और जललोक के सम्बन्धी लोग  
और भूलोक के मां और मामा स्वामी हैं (इन सब की कृपा से  
इन की प्राप्ति होती है) ॥१८३॥ और बालक वृद्ध कृश, आतुर ये  
आकाश के स्वामी (निराधार) हैं । और ज्येष्ठ भ्राता पिता के तुल्य  
हैं । भार्या और पुत्र अपने शरीर के तुल्य हैं (इससे इनसे विवाद  
करना उचित नहीं) ॥१८४॥

छायास्वोदासवर्गश्च दुहिता कृपणं परम् ।

तस्मादेतैरधिचिप्त सहेताऽसंज्वरः सदा ॥१८५॥

प्रतिग्रहसमर्थोपि प्रसंगं तत्र वर्जयेत् ।

प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्मं तेजः प्रशाम्यति ॥१८६॥

दासवर्ग अपनी छाया के तुल्य हैं और कन्या परम कृपापात्र  
है । इससे इनमें कृद्ध बुरा कहा गया भी सर्वदा सह लेवे बुरा न  
माने (यदि इस धर्म पर चले तो आज कल मुकद्दमेवाजी द्वारा  
क्यों सत्यानाश हो । पुत्र वधू आदि देववधू उत्तमाङ्गनाओं के  
तुल्य होने से अप्सराओं के तुल्य घर की शोभा है । बान्धव लोग  
विश्वेदेवों के समान सर्वत, सुखदायक और सहायक हैं । साले  
आदि काम सुखदायक होने से जल के गुण शान्ति के दाता हैं ।  
माता मामा आदि मातृपक्ष में पृथिवी के तुल्य उत्पत्ति की भूमि  
) ॥१८५॥ प्रतिग्रह लेने को समर्थ होने पर भी उस में फंसा-  
आमक्त न होवे क्योंकि प्रतिग्रह लेने से वेद, सम्बन्धी तेज शीघ्र



## चतुर्थाऽध्याय

नष्ट हो जाता है ॥१८६॥

न द्रव्याणामभिज्ञाय विधिं धर्म्यं प्रतिग्रहे ।

प्राज्ञः प्रतिग्रहं कुर्यादत्रसीदन्नपि क्षुधा ॥१८७॥

हिरण्यं भूमिमश्वं गामन्नं वासस्ति लान्घृतम् ।

प्रतिगृह्णन्नऽविद्वांस्तु भस्मी भवति दारुवत् ॥१८८॥

प्रतिग्रह में द्रव्यो की धर्मयुक्त विधि को न जानकर क्षुधा से पाड़ेत हुआ भी बुद्धिमान प्रतिग्रह न लेवे ॥१८७॥ अविद्वां = वेदादि का न जानने वाला, सुवर्ण, भूमि, घोड़े गाय, वस्त्र अन्न, तिल, घृतादि का प्रतिग्रहण करता हुआ अग्नि संयोग से लकड़ी सा जल जाता है ॥१८८॥

हिरण्यमायुरन्नं च भूगौश्चाप्योपतस्तनुम् ।

अश्वश्चक्षुस्त्वचं वासो घृतं तेजस्तिलाः प्रजाः ॥१८९॥

अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिर्द्विजः ।

अम्भस्य ऽमप्लवेनैव सह तेनैव मज्जति ॥१९०॥

सुवर्ण और अन्न आयु को जलाते हैं। भूमि और गाय शरीर को जलाती हैं। अश्व आंख को, वस्त्र त्वचा को, घृत तेज को और तिल प्रजा को जलाते हैं। (अर्थात् इन के प्रतिग्रह को मूर्ख ले तो ये नष्ट होते हैं। सुवर्ण और भोजनका दान अज्ञानी भोगासक्त करके आयु नष्ट करता है। भूमि और गोदान अज्ञानी के मुफ्त के आकर देह क्षीण करते हैं क्योंकि वह मिथ्याहार विहार करता है। घोड़ा और आंख दोनों इन्द्रतत्व प्रधान हैं। वस्त्र और त्वचा शरीर को ढांपते हैं। घृत घृथा दानसे मिला हुआ तेज नहीं बढ़ाता, किन्तु मिथ्याप्रयुक्त हुआ तेज का नाश करता है। तिल मिथ्या-

प्रयुक्त हो वीर्य को विगाड़ कर सन्तति में बाधक होते हैं) ॥१८९॥  
तप से शून्य और वेदादि जिसके पठित नहीं ऐसा प्रतिग्रह लेने की  
इच्छा करने वाला द्विज पानी में पत्थर की नाव के समान उस  
प्रतिग्रह के साथ ही डूब जाता है ॥१९०॥

तस्मादधिद्वान्त्रभियाद्यस्मात्तस्मात्प्रतिग्रहात् ।

स्वल्पकेनाप्यऽविद्वान्हि पङ्के गौरिव सीदति ॥१९१॥

न वार्यापि प्रयच्छेत्त वैडालव्रतिके द्विजे ।

न वक्रव्रतिके विप्रं नावेदविदि धर्मवित् ॥१९२॥

इस लिये मूख ऐसे वैसे प्रतिग्रह से डरे। थोड़े प्रतिग्रह में  
भी मूख ऐसे फँस जाता है, जैसे कीचड़ में गौ ॥१९१॥ धर्म का  
जानने वाला पूर्वोक्त वैडालव्रत वाले तथा वक्रव्रत वाले और वेद  
के न जानने वाले विप्र वा द्विज नामधारीको जल भी न देवे ॥१९२॥

त्रिष्वप्तेतेषु दत्तं हि विधिनाप्यजितं धनम् ।

दातुर्मवन्त्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥१९३॥

यथाप्लवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन ।

तथा निमज्जतोऽधस्तादज्ञौ दातृप्रतीच्छकौ ॥१९४॥

न्यायोपार्जित भी धन इन तीनों को दिया हुआ देने वाले और  
लेने वाले को परलोक में अनर्थ का हेतु होता है ॥१९३॥ जैसे  
पत्थर की नाव से तरता हुआ नीचे को डूबता है वैसे ही लेने और  
देने वाले दोनों अज्ञानी डूबते हैं। (दाता को इस कारण पाप है  
कि मूखों को देकर मूख, संख्या की वृद्धि करता है और लेने वाला  
मूख जगत का उपकार नहीं कर सकता) ॥१९४॥

धर्मध्वजी सदाबुधश्रद्धाद्वि को लोकदम्भकः ।



बैडालव्रतिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिसन्धकः ॥१६५॥

अधोदृष्टिनैर्ष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः ।

शठो मिध्याविनीतश्च वक्रव्रतचरो द्विजः ॥१६६॥

(जो लोगों में प्रसिद्धि के लिये धर्म करता है और आप भी कहता है वा दूसरों से प्रख्यात कराता है वह) धर्मध्वजी और परधन की इच्छा वाला छली तथा लोगों में दम्भ फैलाने वाला, हिंसक स्वभाव वाला सबको बहका कर भड़काने वाला, विलाव जैसा व्रत धारण करने वाला ब्राह्मण क्षत्री वैश्य बैडालव्रतिक मनुष्य जानिये । (इस से आगे चार पुस्तकों में यह श्लोक अधिक मिलता है. —

[यस्य धर्मध्वजो नित्यं सूरध्वज इवोच्छ्रितः ।

प्रच्छिन्नानि च पापानि बैडालं नाम तद्व्रतम् ॥]

जिस के धर्म का झण्डा तो देवध्वजा सा ऊंचा फहरावे, परन्तु पाप छिपे रहें । इस व्रत को "बैडाल" कहते हैं) ॥१९५॥ नीचे दृष्टि रखने वाले कर्महीन, स्वार्थ साधनमे तत्पर, शठ और झूठा विनय करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को "वक्रव्रती" जानो ॥१९६॥

ये वक्रव्रतिनो विप्रा ये च मार्जारलिङ्गिनः ।

ते पतन्त्यन्धतामिस्रं तेन पापेन कर्मणा ॥१६७॥

न धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वा व्रतं चरेत् ।

व्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्वन् स्त्रीशूद्रदम्भनम् ॥१६८॥

जो विप्र वक्रव्रत और मार्जारव्रत वाले हैं वे उम पाप से

अन्धतामिच्छ मे गिरते हैं॥१९७॥ पाप करके धर्म के वहाने (मिप) से व्रत न करे। (जैसा कि) व्रत से पाप को छिपाकर स्त्री और शूद्रो = मूर्खों को वहकाता हुआ (लोभी रहा करता है) ॥१९८॥

प्रत्नेह चेदशा विप्रा गृह्यन्ते ब्रह्मणादिभिः ।

छद्मना चरितं यच्च व्रतं रक्षांसि गच्छति ॥१९९॥

अलिङ्गी लिङ्गिवेषेण यो वृत्तिमुपजीवति ।

स लिङ्गिनां हरत्येनस्तिर्यग्धेनौ च जायते ॥२००॥

परलोक में तथा इस लोकमें ऐसे विप्र ब्रह्मवादियों से निन्दित हैं। और छल से किया हुआ व्रत राक्षसों को पहुँचता है ॥१९९॥ जो अब्रह्मचारी आदि ब्रह्मचारी आदिका वेश धारण करके भिक्षा मागता है वह ब्रह्मचारी आदि के पाप को आप लेता और तिर्यक् योनि में जन्म पाता है ॥२००॥

परकीय निपानेषु न स्नायाच्च कदाचन ।

निपानकर्तुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥२०१॥

यानशय्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च ।

अदत्तान्युपभुञ्जान एनसः स्यात्तुरीयभाक् ॥२०२॥

(यदि बनाने वाले ने परोपकार्य न बनाया हो तो) दूसरे के पोखर (हौज) में कभी स्नान न करे। उसमें स्नान करने से पोखर वालों का बुरा अंश लग जाता है ॥ (इसका तात्पर्य यह है कि जो किसीने नित्य अपने स्नान के निमित्त पोखर (हौज) बना रखा है उसमें कुछ तो नित्य एक ही मनुष्य के स्नान योग्य थोड़े जल में उसके शारीरिक विकार सञ्चित रहते हैं वे अन्य को स्नान करने से लग जाते हैं। कुछ उस के साथ मगड़ा लड़ाई

टपटा होना भी संभव है। इसके आगे एक श्लोक ७ पुस्तकों में अधिक भी पाया जाता है—

[सप्तोद्धृत्य ततः पिएडान्कामं स्नायाच्च पञ्च वा ।

उदपानात्स्वयं ग्राहाद्बहिः स्नात्वा न दुप्यति ॥]

यदि उस पोखर में ७ वा ५ (गारे के) पिएड निकाल देवे तो स्वयं ग्राह पोखर से बाहर स्नान चाहे करले दोष नहीं ॥२०१॥  
सवारी, शय्या, आसन कुचा, बगीचा घर, ये बिना द्वियं भोग करने वाला उसके स्वामी के चौथाई पाप का भागी होता है ॥२०२॥

नदीषु देवस्नातेषु तडागेषु मगस्तु च ।

स्नानं समाचरेन्नित्यं गर्त्तप्रस्रवणेषु च ॥२०३॥

यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान् बुधः ।

यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान्कवलान्भजन् ॥२०४॥

नदी या नैव (कुदरती) सरोवर या तालाब या मर या गड्ढे या झरने में सर्वत्र स्नान किया करे ॥२०३॥ विद्वान् सर्वदा यमो का सेवनकरे न कि केवल नियमोका । (हिमानकरना मत्यभापण चोरी न करना, ब्रह्मचर्य अपरित्रह ये ५ यम हैं । शौच सन्तोष तप स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान ये ५ नियम हैं । इनमें नियमो से यमोको प्रधानता है) जो यमो को न करता हुआ केवल नियमो को करता है वह गिर जाता है ॥

(इन से आगे निम्नलिखित चार श्लोकों में से १ श्लोक १४ पुस्तकों में दूसरा ४ पुस्तकों में तीसरा ११ पुस्तकों और चौथा ४ पुस्तकों में अधिक पाया जाता है:—

आनृशंस्यं जमा सत्यमहिंसा दनमस्पृहा ।

ध्यानं प्रसादो भाधुर्यमार्जवं च यमा दश ॥१॥

अहिंसा सत्यवचनं ब्रह्मचर्यमकल्पता ।

अस्तेयमिति पंचैते यमाश्चोपव्रतानि च ॥२॥

शौचमिज्या तपो दानं, स्वाध्यायोपस्थनिग्रहौ ।

व्रतोपवासौ मौनं च स्नानं च नियमा दश ॥३॥

अक्रोधगुरुसुश्रूषा शौचमाहार लाघवम् ।

अप्रमादश्च नियमाः पञ्चैवोपव्रतानि च ॥४॥

आनृशंस्य क्षमा, सत्य, अहिंसा, दम, अस्पृहा, ध्यान प्रसन्नता मधुरता ये दश यमहै ॥१॥ अहिंसा, सत्यवचन, ब्रह्मचर्य, वनावट न करना चोरीत्याग, ये ५ यम और उपव्रत भी कहाते हैं ॥२॥ शौच यज्ञ तप, दान, स्वाध्याय, उपस्थेन्द्रिय का निग्रह व्रत, उपवाम, मौन, स्नान, ये १० नियम है ॥३॥ क्रोध न करना गुरु की सेवा, शौच, हलका भोजन, प्रमाद न करना, ये ५ नियम और उपव्रत भी कहाते हैं ॥२०४॥

नाश्रोत्रियतते यज्ञे ग्रामयाजिकृते तथा ।

स्त्रिया क्लीबेन च हुते भुञ्जीत ब्राह्मणः क्वचित् ॥२०५॥

अश्लीलमेतत्साधूनां यत्र जुह्वत्यमी हविः ।

प्रतीपमेतद्देवानां तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥२०६॥

जिस यज्ञ मे आचार्य वेदपाठी न हो और जिस मे समस्त ग्राम भर (विना विवेक) का अध्वर्यु तथा स्त्री वा नपुंसक होता हो-ऐसे यज्ञ में ब्राह्मण कभी भोजन न करे ॥२०५॥ जिस यज्ञ में पूर्वोक्त होता आदि काम करते हैं वह सज्जनों को बुरा लगाने वाला और विद्वानों को अप्रिय है । इस से उसमे भोजन न करे ॥२०६॥



मत्तक्रुद्धातुराणां च न भुञ्जीत कदाचन ।  
 केशकीटावपन्नं च पदास्पृष्टं च कामतः ॥२०७॥  
 भ्रूणघ्नावेक्षितं चैव संस्पृष्टमेव चाप्युदकयया ।  
 पतत्रिणावलीढं च शुना संस्पृष्टमेव च ॥२०८॥

उन्मत्त, क्रोधी, रोगीका अन्न तथा केश वा कीड़े (के मिलने) से दुष्ट हुआ और इच्छा से पैर लगाया अन्न कभी भोजन न करे ॥२०७॥ भ्रूणहत्याओं का देखा हुआ रजम्बला का छूया हुआ कौवा आदि पक्षियों का चाटा और कुत्ते का छूया हुआ भी (अन्न भोजन न करे) ॥२०८॥

गवा चान्नमुपघ्रातं घृष्टान्नं च विशेषतः ।  
 गणान्नं गणिकान्नं च विदुषां च जुगुप्सितम् ॥२०९॥  
 स्तेनगायकयोश्चान्नं तक्ष्यो वार्धुपिकस्य च ।  
 दीक्षितस्य कर्दर्यस्य बद्धस्य निगडस्य च ॥२१०॥

गौ का मूँघा हुआ और विशेष घोटा(घिचोला)हुआ या 'कोई है जो ले और खावे' ऐसे पुकार कर लिया हुआ समुदाय का अन्न तथा वेश्या का अन्न और विद्वानों का निन्दित (ऐसे अन्न का भी भोजन न करे) ॥२०९॥ चोर, गवैया तक्षवृत्ति-बद्ध वृद्धि-व्याज का उपजीवन करने वाले कृषण तथा वन्युवे का (अन्न भोजन न करे) ॥२१०॥

अभिशास्तस्य पण्डस्य पुंश्चन्या दाभिमकस्य च ।  
 शुक्तं पर्युषितं चैव शूद्रस्योच्छिष्टमेव च ॥२११॥  
 चिकित्सकस्य मृगयोः क्रूस्योच्छिष्टमोजिनः ।



उग्रान्नं सूतिकान्नं च पर्याचान्तमनिर्देशम् ॥२१२॥

लोगों में पातकोंसे प्रसिद्ध हुवे का, नपुंसक का, व्यभिचारिणी का, डम्भी का और खमीर वाला खट्टा सड़ा वासी तथा शूद्र का भोजन करके बचाहुआ अन्न (भोजन न करे) ॥२११॥ वैद्य शिकारी क्रूर(वदमिजाज) जूठनखाने वाले, उग्रस्वभाव और सूतिका का एक के अपमान में दूसरा भोजन करे वह और सूतक निगृत्ति न हुवे का अन्न (न भोजन करे) ॥२१२॥

अनर्चितं वृथा मांसमग्नीरायाश्च योऽपतः ।

द्विपदन्नं नगर्यन्नं पतितान्नमवक्षुतम् ॥२१३॥

पिशुनानृतिनोश्चान्नं क्रतुविक्रयिणस्तथा ।

शैल्पतुन्नवायान्नं कृतघ्नस्यान्नमेव च ॥२१४॥

बिना सत्कार के दिया हुआ, वृथा अन्न, मांस, जिस स्त्री के पति पुत्र न हों उसका शत्रु का, ग्रामाधिपति का जाति के निकाले का और छीका हुआ अन्न ॥(३ पुस्तकों में नगर्यन्नं = कदर्यन्नं पाठ है । यही अच्छा भी प्रतीत होता है) ॥२१३॥ चुगलखोर, झूठी गवाही देने वाले यज्ञ वेचने वाले, नट, सौचिक = दर्जी और कृतघ्न का अन्न (न भोजन करे) ॥२१४॥

कर्मास्य निपादस्य रङ्गावतारकस्य च ।

मुवर्णकतुर्वैणस्य शास्त्रविक्रयिणस्तथा ॥२१५॥

श्वरतां शौण्डिक नां च चैलनिर्णोजकस्य च ।

रञ्जकस्य नृगंस्य यस्य चोपरतिर्गहे ॥२१६॥

लोहार, निपाद, तमाशा करने वाले, सुनार वांम का काम बनाने वाले शास्त्र वेचनेवाले ॥२१५॥ और बुत्ते पालनेवाले, कलाल,



धोवी, रङ्गरेज निर्दयी और जिसके मकानमे जार हो (अर्थात् जिस की स्त्री व्यभिचारणी हो) उसका (अन्न भोजन न करे) ॥२१६॥

मृग्यन्ति ये चोपपत्तिं स्त्रीजिताना च सर्वशः ।

अनिर्दशं च प्रेतान्नमनुष्टिकरमेव च ॥२१७॥

राजान्न तेज आदत्ते शूद्रान्नं ब्रह्मवचंसम् ।

आयुः सुवर्णकारान्नं यशश्चमावेकृतिनः ॥२१८॥

(जा घर मे) स्त्री के जार को (जानकर) सहन करते हैं उनका और जो सब प्रकार स्त्री के आवीन है उनका, दशाहके भीतर जो सूतकान्न है वह और वृषि का न करने वाला अन्न (भोजन न करे) ॥२१७॥ राजा का अन्न तेज को और शूद्र का अन्न ब्रह्म सम्बन्धी तेज को स्वर्णकार का अन्न आयु को और चमार का अन्न यश को ले जाता है ॥२१८॥

कारुकान्नं प्रजां हन्तिवलंनिर्णजकस्य च ।

गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिकृन्तति ॥२१९॥

पूयंचिकित्सकस्यान्नं पुंरचलयास्त्यन्नमिन्द्रियम् ।

विष्टात्राधुर्विकस्यान्नं शस्त्रविक्रयिणोमलम् ॥२२०॥

वदर्ई का अन्न सन्तति का नाश करता है । धोवीका वल नाश और समुदाय तथा गणिका का अन्न लोको का नाश करता (अप्रतिष्ठित है) ॥२१९॥ वैद्य का अन्न पीक के समान है और वेश्या का अन्न इन्द्रिय सम है तथा व्याजवृद्धिजीवी का अन्न विष्टा और शस्त्र बेचने वालेका अन्न (शरीरके) मैलके समान है ॥२२०॥

य एतेऽन्येत्वभोज्यान्नाः क्रमशः परिकीर्तिताः ।

तेपांत्वगस्थिरोमाणिवदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥२२१॥

शुक्त्वातोऽन्यतमस्यान्नममत्या क्षपणं त्र्यहम् ।

मत्या शुक्त्वाचरेत्कृच्छ्रं रेतोवियमूत्रमेव च ॥२२२॥

ये और दूसरे कि जिन के अन्न क्रम से भोजन करने योग्य नहीं उनके अन्न को मनीषी लोग त्वचा, हड्डी, रोम के समान कहते हैं । ( इस में आगे दो पुस्तकों में यह श्लोक अधिक पाया जाता है :-

[ अमृतं ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियान्नं पयः स्मृतम् ।

वैश्यान्नमन्नमित्याहुः शूद्रस्य रुधिरं स्मृतम् ॥ ]

ब्राह्मण का अन्न अमृत, क्षत्रिय का दूध वैश्य का अन्न अन्न और शूद्र का रुधिर के समान है । इसी से हम को यह शङ्का होती है कि अन्य श्लोक भी जो भिन्न २ अन्नोको भिन्न २ निन्दनीय उपमा देते हैं, कदाचित् पीछे ही से निन्दार्थवाद के लिये बढ़ाये गये हों । परन्तु आशय कुछ बुरा नहीं ) ॥२२१॥ इन में से किसी का अन्न बिना जाने भोजन करे तो तीन दिन उपवास प्रायश्चित्त करे और जान कर भोजन करे तो कृच्छ्र व्रत करे । ऐसे ही बिना जाने वीर्य मल मूत्र के भक्षण में भी ( कृच्छ्र व्रत करे ) ॥२२२॥

नाद्याच्छूद्रस्य पक्वान्नं विद्वानऽश्रद्धिनोद्विजः ।

आददीताममेवास्मादवृत्तावेकरात्रिकम् ॥२२३॥

श्रोत्रियस्य कदर्यस्य वदान्यस्य च वार्धुपेः ।

मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन् ॥२२४॥

विद्वान् ब्राह्मण, श्रद्धासे शून्य शूद्र का पक्वान्न भोजन न करे । परन्तु बिना लिये काम न चले तो कच्चा अन्न एक दिन के

निर्वाह मात्र ले लेवे ( नन्दन टीकाकार ने “अश्रद्धिनः” पाठ माना है और उत्तम भी यही है। तथा सब से प्राचीन भाष्यकार मेधातिथि ने भी इस पाठान्तर का वर्णन किया है। और अगले श्लोक में श्रद्धा की प्रधानता का वर्णन है। सर्वज्ञ नारायण भाष्यकार भी श्रद्धा अर्थ करते हैं। नन्दन टीकाकार यह भी कहते हैं कि “श्रद्धा रहित शूद्र का पक्वान्न न खावे, इस कहने से श्रद्धालु शूद्र का पक्वान्न ब्राह्म समझना चाहिये”। इस से आगे एक श्लोक १ पुस्तक में और रामचन्द्र की टीका में जो सब से नवीन है पाया जाता है :-

[चन्द्रसूर्यग्रहेनाद्यादद्यात्स्नात्वा तु मुक्तयोः।

अमुक्तयोरगतयोरद्याच्चैव परेऽहनि ॥]

चन्द्र सूर्य के ग्रहण में भोजन न करे। जब ग्रहण होकर (चन्द्र और सूर्य) मुक्त हो जावे, स्नान करके भोजन करे। यदि बिना मुक्त हुवे छिप जावे तो अगले दिन भोजन करे। यह लीला ग्रहण में भोजन न करने की चाल को मुष्ट करने के लिये की गई जान पड़ती है) ॥२२३॥ कृपण श्रोत्रिय और वृद्धिजीवी दाता, इन दोनोंके गुण दोषोको विचार कर देवता लोग दोनोंके अन्नो को समान कहते थे। इस पर-[ देखो सम्बन्ध अध्याय ३ श्लोक २८४ की व्याख्या ]।

( २०५ से २२४ तक जिन जिन के अन्न अभक्ष्य कहे हैं उन में कारणों से दोष हैं। कहीं तो अन्न में दोष की सम्भावना है। कहीं अन्न वाले की वृत्ति वा जीविका निन्दित है। कहीं उस का अन्न खाने में अपने ऊपर उस का दबाव रहना अनुचित है। कुछ कुछ अत्युक्ति भी है। कई जगह नवीन श्लोक भी मिलाने गये हैं



जो सब पुस्तकों में नहीं पाये जाते। कहीं २ उस उस का अन्न खाने से अपने गौरव = बड़प्पन का नाश है। कहीं अवेदवित् के कराये वेदविरुद्ध यज्ञ की निन्नार्थ ही उस यज्ञका अन्न वर्जित है। कहीं कच्चे अन्न में न्यून विकार और पक्के में अधिक विकार वा रससर्ग दोष लगना कारण है। कहीं अपनी उच्चता की रक्षामात्र ही तात्पर्य है। और जो २ यहाँ गिनाये हैं उनके अतिरिक्त भी जहाँ २ हानि का कारण उपस्थित हो, वहाँ का अन्न त्याज्य और जो त्याज्य गिनाये हैं उन में हानि की सम्भावना न होने का ह्य समझना चाहिये। कारण का प्रधान समझना बुद्धिमानों का काम है। यह भोजन ( न्याता जीमने ) का बहुत प्रपञ्च इस लिये कहा है कि जो पुरुष अत्यन्त शुद्ध पवित्र धर्मात्मा आत्मा की उन्नति का चाहने वाला द्विजेत्तम है, उसे सूक्ष्म से सूक्ष्म भी कोई बुराई न लगने पावे। राजा के अन्न त्याग का तात्पर्य अपने से अति अधिक प्रभुता रखने वाले मात्र के अन्न का त्याग है। उस के भोजन से अपना महत्व घटता है। महत्त्व और तेज के घटने से धर्म कर्म का उत्साह भी कम हो जाता है। शूद्र के अन्न से नीचपन आकर उत्तमता घटती है। स्वर्ण की चोरी महापातक है और सुनार प्रायः उसे कर सकते हैं। इस से उस का अन्न दुराचार प्रवर्तक होने से आयु का नाशक है। बढई प्रायः हरे वृक्षों को भी लोभ से काटते हैं। उनके अन्न से सन्तति पर प्रभाव पड़ना सम्भव है। धाँवी कपड़े के और अपने बल का घटाने वाला है। समुदाय और वेश्या से वृथाऽऽगत धन बहुत मिलना सम्भव है। उस से जैसे शहद की लोभिनी मक्खी उड़ती नहीं, मर रहती है, वैसे फंसना सम्भव है। चिकित्सक चीर फाड़ करने वाले वैद्य की वृत्ति निर्घृण हो जाती है। व्याज वाला बुद्धि ही प्रतिक्षण शोचता है। शस्त्र बेचने वाला एक क्रूर जीविका



करता है। इत्यादि कारण स्वयं विचाणीय हैं ) ॥२२४॥

तान्प्रजापतिराहैत्यमाकृष्ण विपमं ममम् ।

श्रद्धापूर्तं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत् ॥२२५॥

श्रद्धेयेष्टं च पूर्तं च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः ।

श्रद्धाकृते ह्यक्षये त भवतः स्यागर्तैर्धनैः ॥२२६॥

ब्रह्मा उन दधतां क पास आकर बोलें कि तुम लोग विषम को सम मत करो। क्यों कि वृद्धि जाधी दाता का अन्न श्रद्धा से पवित्र होता है और कृपण श्रोत्रिय का अश्रद्धा से अपवित्र (सम नहीं) होता है ॥२२५॥ श्रद्धा से यज्ञादि और कूप तडागादि को आलस्यरहित होकर सर्वदा बनावे। न्यायानित धना से श्रद्धा से किये हुवे ये कम अक्षय फल देते हैं ॥२२६॥

दानधर्मं निषेवेत नित्यमैष्टिकपौतिकम् ।

पारतुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तितः ॥२२७॥

यत्किचिदाप दातव्यं याचितेनाऽनुसूयया ।

उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारगतिं सर्वतः ॥२२८॥

आनन्द से युक्त होकर योग्य पात्र को पाकर यथाशक्त यज्ञादि और कूपतडागादि दान धर्मों को सदा करे।

( २२७ से आगे केवल एक पुस्तक मे ये दो, श्लोक अधिक पाये जाते हैं :-

[पात्रभूतोहि यो विप्रः प्रतिगृह्य प्रतिग्रहम् ।

असत्सुविनियुञ्जीत तस्मै देयं न किञ्चन ॥

संचयं कुरुते यस्तु प्रतिगृह्यसमन्ततः ।



धर्मार्थं नोपयुङ्क्ते च न तं तस्करमर्चयेत् ॥]

जो ब्राह्मण दानपात्र बना हुआ प्रतिग्रह लेकर घुरे कामों में लगाता हो उसे कुछ न दे । जो चारों ओर से प्रतिग्रह लेकर धन सञ्चय करे, परन्तु धर्म के कामों में न लगावे, उस तस्कर को न पूजे ॥२२७॥ दान न लगाकर कोई अपने से कुछ मांगे तो यथा शक्ति कुछ न कुछ देवे ही, क्योंकि देने वाले को वह पात्र भी कभी मिल जावेगा जो कि मव से तार देगा ॥२२८॥

वारिदस्त्वृप्तिमाप्नोति सुखमक्षयमन्नदः ।

तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्चक्षुरुत्तमम् ॥२२९॥

भूमिदो भूमिमाप्नोति दीर्घमायुर्हिरण्यदः ।

गृह्णोऽग्रयाणि वेश्मानि रूप्यदोरूपमुत्तमम् ॥२३०॥

जल देने वाला रुमि, अन्न का देने वाला अक्षय सुख, तिल का देने वाला यथेष्ट सन्तति और दीपक देने वाला अच्छी आंख पाता है ॥२२९॥ भूमि देने वाला भूमि, सोना, देने वाला दीर्घायु, घर देने वाला अच्छे मङ्गल और चांदी देने वाला अच्छा रूप पाता है ॥ ( एक पुस्तक में भूमिमाप्नोति=सर्वप्रेति पाठ है ) ॥२३०॥

वामोदश्चन्द्रसालोक्यमश्विसालोक्यमश्वदः ।

अनडुह्.श्रियं पुष्ठां गोदो ब्रह्मस्यविष्टपम् ॥२३१॥

यानशय्याप्रदो भार्यामैश्वर्यमभयप्रदः ।

धान्यदः शाश्वतंसौख्यं ब्रह्मदोब्रह्मसार्ष्टिताम् ॥२३२॥

वस्त्र देने वाला चन्द्रसमान लो = शरीर पाता है । घोड़े का देने वाला अश्व बाली की जगह पाता है । बैल का देने वाला

तुयाऽध्याय

बहुत सन्धति और गौ देने वाला सूर्य के तुल्य प्रकाश को पाता

है। (एक पुस्तकमें अश्विसालोक्य=सूर्यसालोक्यपाठ है) ॥२३१॥  
सवारो और शय्याका देने वाला भार्या, अभयका देने वाला राज्य,  
मान्य देने वाला निरन्तर सुख और वेद देने वाला ब्रह्म को प्राण  
होता है ॥२३२॥

सर्वपामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ।

यद्यन्नगोमहीवासस्तिलकांचनसर्पिषाम् ॥२३३॥  
येन येन तु भावेन यद्यदानं प्रयच्छन्नि ।  
तत्तरोनेव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः ॥२३४॥

जल अन्न गाय भूमि वस्त्र तिल सुवर्ण और घृत, इन सब दानों  
से ब्रह्मदान (वेद का पढ़ाना) अधिक है ॥२३३॥ जिस जिस भाव  
से जो २ दान देता है उसी २ भाव से दिया हुआ सत्कार पूर्वक  
पाता है ॥२३४॥

योऽर्चितं प्रतिगृह्णाति ददात्यर्चितमेव च ।

तावभौ गच्छतः स्वर्गं नरकं तु विपर्यये ॥२३५॥  
न विस्मयेत तपसा वदेदिष्ट्वा च नानृतम् ।  
नार्तोऽप्यपवदेद्विप्रान्न दत्त्वा परिकीर्तयेत् ॥२३६॥

जो सत्कारपूर्वक दान लेता है और जो सत्कार पूर्वक देता है  
दोनों स्वर्ग में जाते हैं और उस के विपरीत करने वाले दोनों  
नरक में जाते हैं ॥२३५॥  
(२३७ से २३५ तक दान का माहात्म्य है। जल प्रत्यक्ष तृप्ति  
का हेतु है। अन्न भोजन से जैसा सुख मिलना प्रसिद्ध है वैसा  
अन्य पदार्थ से नहीं। तिलो में सन्तानोत्पादन का प्रभाव है। जब



स्त्रियो का रज रुक जाता है वा सन्तानोत्पत्ति में बाधा होती है तब वैद्य तिल प्रधानभोजन बनाते हैं । जैसे गालीदेने वाले गालीखाते हैं वैसेही जोअन्याके लिये भलाई करेगा वह परमात्मा की व्यवस्थासे वैसे हीभलाई पावेगा । सोनेके बर्क ग्वानेसे आयु बढ़ना वैद्यककाभी मत है । जैसे पृथिवी को किमान बीज देते हैं पृथिवी उन्हें बीज देती है । कृप लोगों को जल देता है तो उसका जल बढ़ता है । चन्द्रमा का रूप सौन्दर्य उपमा मे भी । लिया जाता है । वस्त्रकी इक्षेता प्रशंसनीय है और चन्द्रमा की भी वैल-कृप्यादि से वैश्य कीलक्ष्मी बढ़ाने वाले है । दानके परिमाणानुसार फलका परिमाण वा देश काल वस्तु श्रद्धा आदिके अनुसार फल की न्यूनाधिकता माननी ही पडगी ) ॥२३५॥ तप करके आश्चर्य न करे (किमेरातप बहुत है ) यज्ञ करके असत्य न बोले (कि मैंने यह किया और वह किया)पीडित होने पर भी विप्रों की निन्दा न करे और दान देकर चारों ओर (लोगों से) कद्रता न फिरे ॥२३६॥

यज्ञोऽनृतेन चरति तपः चरति विस्मयात् ।

आयुर्विप्रापवादेन दानं च परिकीर्त्तनात् ॥२३७॥

धर्म शनैः संचिनुयाद्वल्मीकमिव पुत्तिकाः ।

परलोकमहायार्थं सर्वभूतान्यऽपीडयन् ॥२३८॥

असत्य भाषण से यज्ञ नष्ट होता है । विस्मय .से तप तथा ब्राह्मणों की निन्दा से आयु और चारों ओर कहने से दान घटता है ॥२३७॥ परलोक के हित के लिये सम्पूर्ण जीवों का पीडा न देता हुआ धीरे धीरे धर्म को सञ्चित करे जैसे दीमक बंधों को बनाती है ॥२३८॥

नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः ।





न पुत्रदारं न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः ॥२३६॥

एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रली ते ।

एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥२५०॥

परलोक मे सहाय के लिये मां वार नहीं रहते न पुत्र न स्त्री, केवल एक धर्मरहता है ॥२३९॥ अकेलाही जीव उत्पन्नहोता है और अकेला ही मरता है। अकेला ही सुकृत को और अकेला ही दुष्कृत को भोगता है ॥२४०॥

मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठश्लोष्टममं चिनौ ।

त्रिमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥२४१॥

तस्माद्धर्म सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनैः ।

धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥२४२॥

लकड़ी और ढेला सा मृतक शरीर को भूमि पर छोड़ कर बान्धव पीछे लौट जाते हैं ( उस मरे के पीछे कोई नहीं जाता ) धर्म उस के पीछे जाता है ॥२४१॥ इस कारण धर्मको सहायता के लिये सर्वदा धीरे २ सञ्चित करे क्योंकि धर्म ही की सहायता से अति कठिन दुःख से तरता है ॥२४२॥

धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिल्बिषम् ।

परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं स्वशीतिष्णम् ॥२४३॥

उत्तमैरुत्तमैर्नित्यं संबन्धानाचरेत्सह ।

निनीषुः कुलमुत्कर्षमधमानधमास्त्यजेत् ॥२४४॥

तप से नष्ट हुआ है पाप जिसका ऐसे धर्मपरायण प्रकाशयुक्त मुक्तब्रह्म पुरुष को (धर्म) शी २ मोक्षवाम को लेजाता है ॥२४३॥

कुल उत्पन्न करने की इच्छा करने वाला सर्वदा अच्छे २ पुरुषों के साथ ( कन्यादानादि ) संबन्ध करे और अधम २ मनुष्यों के साथ छोड़ देवे ( न करे ) ॥२४४॥

उत्तमानुत्तमान्गच्छन्हीनान्हीनांश्च वर्जयन् ।

ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम् ॥२४५॥

दृढकारीमृदुर्दान्तः क्रूरचारैरसंबसन् ।

अहिंसो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्गं तथाव्रतः ॥२४६॥

(क्योंकि) उत्तम पुरुषों से सम्बन्ध करने और हीनोंके त्याग से ब्राह्मण श्रेष्ठताके पाता है। नीचसंबन्ध बनीचताको (प्राप्तहोजाता) ॥२४५॥ दृढ वृत्ति वाला निष्ठुरता, रहित शीत उष्णादिका सहन करने वाला, क्रूर आचरण वाले पुरुषों का सहवास छोड़ता हुआ हमा रहित पुरुष दम = इन्द्रियसंयम और दान से स्वर्ग को जीतता है ॥२४६॥

एधोदकं मूलफलमन्नमभ्युद्यतं च यत् ।

सर्वतः प्रविवृण्वान् मध्वथाऽभयदक्षिणाम् ॥२४७॥

आहृताभ्युद्यतांभिर्चांदुरन्ताद् प्रचोदिताम् ।

मेने प्रजापतिर्ग्राह्यमपितुष्कृतकर्मण ॥२४८॥”

‘इन्धन, जल, मूल, फल, अन्न और अभयदक्षिणा ये बिना मांगे प्राप्त हों तो सबसे ग्रहण करले ॥२४७॥ ले आई और सामने रखी लेने वाले ने पूर्व न मांगी हुई भिक्षा पापकारी से भी ग्रहण करे ब्रह्मा ने माना है” ॥२४८॥

‘नाश्नन्ति पितरस्तस्य दशवर्षाणि पञ्च च ।

न च हव्यं वहत्यग्निर्यस्तामभ्यवमन्यते ॥२४९॥

[चिकित्सककृतघ्नाणां शिल्पकर्तुश्च वार्धुपे ।  
परुहस्य कुलटायाश्च उद्यतामपि वर्जयन् ॥  
न विद्यमानमेवैवं प्रतिग्राह्यं विजानता ।  
विकल्प्याविद्यमाने तु धर्महीनः प्रकीर्तितः ॥]

शय्यां गृहान्कुशान्गन्धानपः पुष्पं मणीन्द्रधि ।  
धानामल्पान् पयोमांसं शाकं चैव न निर्णुदन् ॥२५०॥

“उसके किये श्राद्ध मे पितर पन्द्रह वर्ष भोजन नहीं करते और अग्नि उसके हवि को ग्रहण नहीं करता जो कि अयाचित भिक्षा का अपमान करता है ॥२४९॥”

[वैद्य कृतघ्न शिल्पी व्याजजीवी, नपुंसक और वेश्या का प्रतिग्रह विना मागे मिलने पर भी न ले । यह प्रतिग्रह जान बूझ कर अपने पाम होते हुवे न ले परन्तु न होते हुवे लेने में विकल्प करने से धर्महीन हो जाता है । इन दोनो श्लोकों पर भवसे पिछले रामचन्द्र टीकाकार की टीका है । मेघातिथि आदि अन्य ५ की नहीं । इससे नूतनकाल में ही इनका मिलाया जाना पाया जाता है । पिछले और अगले श्लोकों से सम्बन्ध ऐसा मिलाया है कि कोई जानने न पावे । इन दो में से पहला श्लोक ११ पुस्तकों में पाया जाता है और दो पुस्तकों में कुछ २ पाठान्तर से पाया जाता है तथा दूसरा श्लोक केवल एक पुस्तक में ही मिलता है] ॥२४९॥

“शय्या, घर, कुशा गन्ध, जल पुष्प, मणि, दधि, धाना, मन्थ, दूध, मांस और शाक इनका ग्रन्थाख्यान न करे (कोई देवे तो न लौटावे) ॥२५०॥”

‘गुरुभृत्यांश्चोच्चिहीर्षन्नचिष्यन्देवतातिथीन् ।  
सर्वतः प्रतिहीयान्न तु वृष्येत्स्वर्यं ततः ॥२५१॥  
गुरुपुत्रभ्यतीतेषु विनावातैर्गृहे वसन् ।

आत्मनोवृत्तिमन्विच्छन्वृत्त्यात्साधुतः सदा ॥२५२॥'

'गुरु और भृत्य भार्यादि क्षुधा से पीडित हों तो इनकी वृत्ति और देवता अतिथि के पूजन के लिये सबसे ग्रहण करले, परन्तु आप उससे से भोजन न करे ॥२५१॥ किन्तु माता पिता के मरने पर वा उनके बिना घर में रहता हुआ अपनी वृत्ति की इच्छा करता हुआ सदा साधु से ही ग्रहण करे ॥२५२॥'

"आर्थिक. कुलमित्रं च गोपालोदासनापितौ ।

एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत् ॥२५३॥"

'आधी साधु की खेती आदि करने वाला और कुल मित्र और गोपाल तथा दास और नापित, ये शूद्रों में भोज्यान्न हैं (अर्थात् इनका अन्न भोजन योग्य है) और जो अपने को निवेदन करे (उसका भी अन्न भोजन योग्य है ॥२५३॥'

(सबका जल पीना बिना मांगे मिलने पर भी अपेय है और इस २४७ वें में तो मूल फल अन्न सभी बिना मांगे स्वयं कोई कहे कि लीजिये तो गड़प करना विधान करके पिछली सारी शुद्धि पर पानी फेर दिया । २४८ वे में दुष्कृतकर्मा की भी अयाचित भिक्षा का ग्रहण अनुचित है । प्रथम तो अयाचित का नाम भिक्षा रखना ही व्यर्थ है और श्लोक बनाने वालेको अपने हृदयमें भी घिन और त्याज्य होने का सन्देह है उसीको दावता हुआ कहता है कि 'इसको प्रजापति ने ग्राह्य माना है' अर्थात् मेरा कहना तुम न मानो तो प्रजापति की अनुमति तो माननी ही चाहिये । धन्य । २४७ में कहा है कि जो अयाचित भिक्षाका अनादर करता है उसके पितर और अग्नि १५ वर्ष तक कव्य हव्य नहीं खाते हैं । मरे पितरों की दशा तो श्लोक बनाने वाले जाने परन्तु जीते पितर और अग्नि तो खाते प्रत्यक्ष देखते हैं । तथा मनु ने ही जब कि दान लेने से

न लेने को उत्तम लिखा है कि (प्रापणात्सर्वकामानां परित्यागो-  
विशिष्यते) वा (प्रतिग्रह. प्रत्यवरः) दान लेना हलका तुच्छ काम है  
तो न लेने वाले को ऐसा भ्रष्ट बताना कि उसका हव्य अग्नि भी  
नहीं ग्रहण करता कैसे अन्धेर की बात है। २५० में पाठभेद भी  
है। ३ पुस्तकों में (मणीन्=फलम्) पाठ है और इस श्लोक  
बनाने वाले का जी मछली को ऐसा ललच गया कि प्रक्षिप्त  
श्लोकों में ही अध्याय ५ श्लोक १५ में मछली को खाना सर्व-  
भक्षीपना होने से वर्ज्य बतवेंगे उसे भी भूल गया। वा इन प्रक्षिप्तों  
का कर्ता भी एक पुरुष नहीं किन्तु अनेकों ने भिन्न २ समयों में  
ये श्लोक मिलाये हैं और चौर को सुय भी नहीं रहती आगे पीछे  
क्या है। २५१ में सब प्रतिग्रह माता पिता आदि तथा देवता  
अतिथि की पूजार्थ ग्राह्य कर दिया। भला जो अपना पेट नहीं  
भर सकता न अपने माता पिता का, उसके अतिथि क्यों आने  
लगा है स्नातक विप्र की वृत्तियों का वर्णन करते हुवे खेती  
वाणिज्यादि जब उसका रुम ही नहीं तब २५३ वे का यह कहना  
कि आधा माम्ना खेती व्यापारादि में जिनका हा इत्यादि शूद्रों  
का अन्न भी भक्ष्य है असङ्गत है। खेती वैश्य कर्म है शूद्रकर्म  
नहीं। (२४९ के आगे जो दो श्लोक सब पुस्तकों में भी नहीं मिलते  
वे भी अपने साथियों के प्रक्षिप्त होने के सशय को दृढ करते हैं  
और २४६ का २५४ से मन्त्रन्ध भी नहीं बिगडता। इत्यादि  
कारणों से हमारी सम्मति में २४७ से २५३ तक ७ श्लोक  
प्रक्षिप्त हैं) ॥२५३॥

यादृशोऽस्य भवेदात्मा यादृशं च चिकीर्षितम् ।

यथा चोपचरेदेनं तथात्मानं निवेदयेत् ॥२५४॥

जैसा इसका आत्मा हो और इस को करना हो और जैसे  
इसकी कोई सेवा करे वैसा ही अपने को निवेदन करे ॥२५४॥

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथासत्सु भापते ।  
 स पापकृत्तमो लोकेस्तेन आत्माग्रहारकः ॥२५५॥  
 वाच्यर्थानियताः सर्वे वाङ्मूलावाग्विनिःसृताः ।  
 तां तु यःस्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः ॥२५६॥

जो अपने को और कुछ बताता है और है कुछ और वह लोगो में बड़ा पाप करने वाला आत्मा का चुराने वाला चोर है ॥२५५॥ सम्पूर्ण अर्थवाणी में बन्धे हैं और सबका मूल वाणी ही है और सब वाणी से निकले हैं उस वाणी को जो चुरावे वह मनुष्य सम्पूर्ण चोरियो का करने वाला है ॥२५६॥

महर्षिपितृदेवानां गत्वाऽऽनृत्यं यथाविधि ।  
 पुत्रे सर्वं समासज्य वसेन्मध्यस्थमाश्रितः ॥२५७॥  
 एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः ।  
 एकाकी चिन्तयानोहि परंश्रेयोधिगच्छति ॥२५८॥

ऋषि पितर देवता इनका ऋण देकर और यथाविधि पुत्र को कुटुम्ब भार सौंप कर समदर्शी होकर रहे ॥२५७॥ निर्जन स्थान में अकेला आत्मा का हित चिन्तन करे, क्योंकि अकेला ध्यान करता हुवा परम श्रेय (मोक्ष) पाता है ॥२५८॥

एषोदितागृहस्थस्य वृत्तिर्विप्रस्य शाश्वती ।  
 स्नातकव्रतकल्पश्च सत्त्ववृद्धिकरः शुभः ॥२५९॥  
 अनेन विप्रो वृत्तेन वर्तयन्वेदशास्त्रवित् ।  
 व्यपेतकल्मषो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते ॥२६०॥



यह गृहस्थ ब्राह्मण की सनातन वृत्ति और स्नातक का व्रत और कल्प जो शुभ गुणकी वृद्धि करता है कहा ॥२५९॥ वेद शास्त्र का जानने वाला विप्र इस शास्त्रोक्त आचार से नित्य कर्मानुष्ठान करता हुआ पापको नष्ट कर ब्रह्मलोक में बड़ाई को पाता है ॥२६०॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे ( भृगुप्रोक्तायां संहिताया )

चतुर्थाऽध्यायः ॥४॥

इति श्री तुलसीरामस्वामिविरचिते मनुस्मृतिभाषानुवादे

चतुर्थाऽध्यायः ॥४॥

ओ३म्

## अथ पञ्चमोऽध्यायः

ॐ\*ॐ\*

‘श्रुत्वैतानुपयोधर्मान्स्नातकस्य यथो दितान् ।  
इदमूचुर्महात्मानमनञ्जप्रभवं भृगुम् ॥१॥  
एवं यथोक्तं विप्राणां स्वधर्ममनुतिष्ठताम् ।  
कथं मृत्युः प्रभवति देवशास्त्रविदां प्रभो ! ॥२॥

“ऋषि लोग स्नातकके यथोक्त धर्म सुनकर महात्मा अग्निवंशी भृगु के प्रति यह वचन बोले ॥१॥ (कि) हे प्रभु ! जो ब्राह्मण स्वधर्म करते और वेद शास्त्र के जानने वाले हैं ऐसे विप्रों की (अकाल) मृत्यु कैसे हो जाती है ? ॥२॥

“स तानुवाच धर्मात्मा महर्षिन्मानवो भृगुः ।

अयतां येन दोषेण मृत्युर्विप्राञ्जिघांसति ॥३॥”

अनभ्यासेन वेदा नामाचारस्य च वर्जनात् ।

आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्राञ्जिघांसति ॥४॥

‘मनुवंशी भृगु जी उन महर्षियोंके प्रति बोले कि सुनिये जिस दोषसे मृत्यु (अकाल में) विप्रोंको मारना चाहता है’ ॥ (इन श्लोकों से यह स्पष्ट पाया जाता है कि इनका कर्त्ता मनु नहीं है, न भृगु किन्तु किसी ने ‘विप्राञ्जिघांसति’ इन चतुर्थ श्लोक में आये पदों की सङ्गति मिलाकर ये श्लोक बना दिये हैं) ॥३॥ वेदों के अनभ्यास और आचार के छोड़ने तथा सत्कर्मों में आलस्य करने और अन्न के दोष से (अकाल) मृत्यु विप्रों को मारना चाहता है (आगे अन्न दोष बताते हैं) ॥४॥



लशुनं गृञ्जनं चैव पलाण्डुं कवकानि च ।

अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥५॥

लोहितान्वृक्षनिर्यासान्वृश्चन प्रभवांस्तथा ।

शेखुं गव्यं च पेयुं प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥६॥

लहसन\* शलगम पियाज कुकुरमुत्ताः और जो मैले में उत्पन्न हो द्विजातियों को अभक्ष्य है ॥५॥

\* साधारणतया गृञ्जन को ३ अर्थों में लेते हैं । १-गाजर २-शलजम वा शलगम ३-लहसन, परन्तु मुख्य करके गृञ्जन का अर्थ शलगम ही जान पड़ता है । जैसा कि धन्वन्तरि निघण्टु करवीरादि ४ वर्ग अङ्क १० में —

गृञ्जनं शिखिमूलं च यवनेष्टं च वर्त्तुलम् ।

ग्रन्थिमूलं शिखाकन्दं कन्दं डिण्डीरमोदकम् ॥

गृञ्जनं कटुकोष्णं च दुर्गन्धं गुल्मनाशनम् ।

रुच्यं च दीपनं हृद्यं कफवातरुजापहम् ॥

गृञ्जन जिसके मूल पर शिखा है, जो यवनों का इष्ट (पसन्द) है गोल है जो गांठदार मूल है शिखा कन्द, कन्द डिण्डीरमोदक जिसके नामान्तर हैं वह गृञ्जन कटु गर्म दुर्गन्ध है और गुल्म रोग नाशक है । रुचि, अग्नि और हृदय को बढ़ाने वाला वात कफ रोगों का नाशक है ॥ इससे शलगम का अर्थ पाया जाता है क्योंकि ये गुण जिनमें विशेषकर यवनेष्टता, कटुता, दुर्गन्ध, वात, कफ नाशकता, उष्णता गोलहोना, गांठ होना, ऐसे लक्षण हैं जो गाजर से नहीं मिलते, शलगम से ही मिलते हैं । गृञ्जन से लहसन के ग्रहण में प्रमाण —

महाशुन्दारसानोऽन्यो गृज्जनो दीघपत्रकः ।

धन्वन्तरि निघण्टु करवीरादि ४ वर्ग --इस में लम्बे पत्रे वाले (रसान लङ्घन) का भी गृज्जन कहा है ॥ गृज्जन का अर्थ गाजर होने में प्रमाण - गाजर के नाम और गुण उक्त ग्रन्थ के उक्त पत्र पर—

गर्जरं पिङ्गलं मूलं पीतकं मूलकं तथा ।  
स्वादुमूलं सुपीतं च नागरं पीतमूलकम् ॥  
गर्जरं मधुरं रुच्यं किञ्चित्कटु कफावहम् ।  
आध्मानकृमिशूलघ्नं दाहपित्तवृषापहम् ॥

इसमें गर्जरके बदले ३ पाठ पाये जाते हैं । १ गृज्जन २ गृजर ३ गर्जर । यही गाजर है क्योंकि इसका पीला होना कफकारक होना स्वादुमूल होना, मधुर होना ऐसे गुण हैं जो गाजरमें पाये जाते हैं । अब गृज्जन का अर्थ गाजर लेने में केवल १ पाठान्तर का सहारा है, अन्य कुत्र नहीं । फिर कलकत्तेके छपे बड़े कोश 'शब्द कल्पद्रुम' में जो राधाकान्त देववहादुर ने प्रकाशित किया है उस में भी गृज्जन का अर्थ शलगम है । यथा

गृजनम्—क्ली० । मूलविशेषः । (विषदिग्धपशोर्मांस-  
सम्, इति मेदिनी ) शलगम इति ख्यातः । यवनेष्टम् ।  
शिरसाकन्दम् । कन्दम् । कटुत्वम् । उष्णत्वं कफवातरोग-  
गुल्मनाशित्वम् । रुच्यं, दीपनं, हृद्यं, दुर्गन्धम् ॥

इत्यादि से भी पाया जाता है कि स्पष्ट शलगमही गृज्जन है । मेदिनी कोषकार गृज्जन का अर्थ जहर (विष) में सनापशुमांस

करो हैं। तथा अन्तर यह भी सुनने हैं कि

गोलोम्यां गृजन प्रोक्तं लशुने वृत्तमूलके ।

अर्थात् गोलोमी ओपधि का नाम गृजन है और गोल आकार मूल लशुनके अर्थमें भी गृजन शब्द है। अमरकोष २।४। १४८ में

लशुनं गृजनारिष्टमहाक्रन्दस्येन ।।

कहा है जिसमें लशुन शब्द का पर्याय गृजन पाया जाता है। इसी की महेश्वरकृत अमरविलेकनाम्नी टीकामें कहा है कि—

लशुनगृजनयोराकृतिभेदेऽपिसैक्याद्भेदइतिवद्दोऽन्यन्ते

लशुन और गृजन के आकार (मूल शकल) में भेद होने पर भी रम ( म्वादु ) एकमा होने से यहाँ अमरकोष दोनों को एक (अभिन्न) कहा है। ऐसा नहोना का मत है।

वैदिक निघण्टु में गृजन शब्द पाया ही नहीं जाता। उणादिकोष में भी इस शब्द का पता नहीं मिलता।

बहुत और बहुत गुणों के मेल से गृजन का अर्थ शलगम पाया जाता है। यदि यवनेष्ट आदि विशेषण वा किन्हीं ऐतिहासिक प्रमाणों से यहाँ भी गृजनका अर्थ गोलोमी हो वा अन्य हो गाजर नहीं समझ पड़ता।

उक्त मनु के श्लोक में लशुन शब्द पृथक् पठित है, अतः गृजन का अर्थ लशुन भी नहीं ले सकते क्योंकि वैद्यक शास्त्र का मत है कि—

तुल्याभिधानानितुयानिशिष्टैर्द्रव्याणि योगेविनिवेशितानि ।

अर्थाधिकारागमभ्रदायैर्विभज्यतर्केण च तानिप्रज्यात् ॥

अर्थात् शिष्टो के प्रयुक्त अनेकार्थवाचक एक शब्द के प्रयोग में अर्थ अधिकार = प्रकरण शास्त्र के संप्रदाय और तर्क ३ विभाग कर के काम म लावे ।

सा यहां लशुन शब्द के भिन्न २ प्रयोग से और ब्रह्मचर्य के प्रकरण से ब्रह्मचर्यनाशक शलगम का अर्थ ही गृञ्जन शब्द से ग्राह्य है वा गोलोमी का किन्तु गाजर का नहीं ॥५॥ रक्तवर्ण वृत्तों के गोद और वृत्तों के छेदने से जो रस निकलता है वह तथा लिसोड़ा=लभेड़ा और नवीन व्याई हुई गाय का दूध (पेवसी) यत्न से छोड़ देवे ॥६॥

'वृथा कृसरसंयाव पायसापूत्रमेव च ।

अनुपाकृतमांसानि देवान्नानि हवीषि च ॥७॥

अनिर्दशाया गोः क्षीरमोष्ट्रमैकशफ तथा ।

अत्रिकं साधनीक्षीर त्रिवत्सायाश्च गोः पयः ॥८॥

'(तिल चावल मिलाकर पकाया) कृसरसंयाव लपसी वा क्षीर तथा मांस पूत्रा ये सब वृथा पक्कान्न (अर्थात् बिना वैश्वदेव) और बलि बिना मांस और हवन के पुरोडाशों को (न भक्षण करे)" ।

जब कि बलिवैश्वदेवादि न करके भोजनमात्र ही पूर्व निषिद्ध कर आये तब तिल चावल लपसी पूडे मांस हव्य आदि के गिनाने की क्या आवश्यकता है क्या अन्य वातु खाने पकाने में वैश्व-देवादि आवश्यक नहीं ? यह मांसाहारियों की लीला प्रक्षिप्त है । एक पुस्तकमें 'पूपमेव च=पूपशकुली"पाठभेदभी है) ॥७॥ १०दिन तक प्रसूता गौ का दूध ऊंटनी का घोड़ी आदि एक खुर वाली का और भेड़ का ऋतुमती का तथा जिसका बच्चा मर गया हो उस गौ का दूध (त्याग देवे । इससे आगे १ पुस्तकमें यह श्लोक अधिक पाया जाता है: --



[क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्विकाराशने बुधः ।

सपराश्रवतं ऋयात्प्रयत्नेन समाहितः ॥]

जो दूध अभक्ष्य हैं उत्तकी बनी वस्तु खा लेवे तो जानने पर  
एकाग्रता से यत्नपूर्वक ७ रात्रि का व्रत करे) ॥८॥

आरण्यान् च सर्वेषां मृगाणां माहेपं विना ।

स्त्री क्षीरं चैव वज्यानि सर्वं शुक्तानि चैव हि ॥९॥

दधिभक्ष्यं च शुक्तेषु सर्वं च दधिसंभवम् ।

यानि चैवामिपूयन्ते पुष्पभूलफलेः शुभैः ॥१०॥

मैंस को छोड़कर, वन में रहने वाले सब मृगों का दुग्ध और  
निज स्त्री का दुग्ध तथा बहुत समय के खट्टे हुवे सब पत्रार्थ भी न  
खावे पीवे ॥९॥ खट्टे हुवे द्रव्यों में वही मदुरा और जो दही में वन  
पकौड़ी आदि तथा उत्तम पुष्प, मूल फल के संधान से जो पदार्थ  
(अचार आदि) बनते हैं वे भक्षण योग्य हैं) ।

(इन भक्ष्यों में कोई दुर्गन्ध युक्त कोई शलगम आदि कामो-  
त्तेजक होकर विषयी बना केवल वीर्य नाशक कोई तमोगुणी बुद्धि  
नाशक है । और यदि कहीं स्लेक्षादि अभक्ष्यभक्षियों की दीर्घ आयु  
और फलाणि शुद्ध सात्विकादि खाने वालों की भी अल्प आयु देखते  
हैं वह अन्य कारणों से हो ही सकती है ॥१०॥

ऋव्यादाञ्छकुनान्सर्वास्तथा गमनिवासिनः ।

अनिर्दिष्टांश्चैकशफांष्टिद्विभं च विवर्जयेत् ॥११॥

कलविद्धं प्लवं हंसं चक्रादं प्रामकुक्कुटम् ।

सारसं रज्जुवालं च दात्युहं शुभं चारिके ॥१२॥

कञ्चं मांस के खाने वाले सब जानवरों, ग्राम के रहने वालों न बताये हुये एक खुर वाला तथा गर्दम और टिड्डी को छेड़ देवे ॥११॥ चिड़िया, परंव, ढंरा, चकवा ग्राम का सुरगा, सारस, बड़ी शुद्धी वाला जलकाक, पपीहा, नेता, मैना ॥१२॥

“प्रनुदाञ्जालपात्रां कंगप्रिनखविष्किरान् ।

निमञ्जनं च मत्स्यान् शीं वल्हूरमेव च ॥१३॥

वक्रंचैव बलाकां च काकोलं खञ्जरीटकम् ।

मत्स्यादन्विड्वराहांश्च मत्स्यानेव च सर्वशः ॥१४॥”

“चोंच से फाड़ कर खाने वाले, जिन के पैरों में जाल सा हो ( वाज इत्यादि ) चील और जो नखों से फाड़ कर खाते हैं, तथा पानी में डूब कर जो मछलियों को खाते हैं और मौन=मारने के स्थान का मांस और शुक मांस ॥१३॥ बगुला और वक्तक करेखा, खञ्चन ( मीमला ) और मछली के खाने वाले तथा विष्टामही मूकर और सम्पूर्ण मछलियों को ( न खावे ) ॥१४॥”

“यो यम्य मांसमश्नाति स तन्मांसादुच्यते ।

मत्स्याद सर्वमांसादस्तम्भान्मत्स्यान्विवर्जयेत् ॥१५॥

पाठीनरोहितावाद्यौ नियुक्तौ हव्यकव्ययोः ।

राजीवान्सिंहतुण्डांश्च सशरकांश्चैव सर्वशः ॥१६॥”

“जो जिस का मांस खाता है, वह उस मांस का खाने वाला कहलाता है । ( मछली सब का मांस खाती है ) इस को जो खावे वह सब का खाने वाला कहलाता है । इस से मछली को न खावे ॥१५॥ पाठा और रोहू ये दो मछली हव्य कव्य मे ली गई हैं इस से भक्षण योग्य हैं और राजीव सिंहतुण्डा और सब मोटी खाल वाली मछली ( ये भी भक्षण योग्य हैं ) ॥१६॥”

न भजयेत्कचरानजातांश्च मृगद्विजान् ।  
भक्ष्येद्यपि समुत्थितान् सवान्यञ्चनन्वांस्तथा ॥१७॥

श्यायिषं शपकं गोवा म्बडुग कर्मणशास्तथा ।  
भक्ष्यान्वञ्चनयेत्वाहुगनुद्गां वैकनास्त ॥१८॥

“अकेले चरने घाले ( सर्पादि ) और मृग, पत्नी जो जागे नहीं गये हैं और जो भक्ष्यों में भी रुटे गये हों वे पञ्चनख मय भक्ष्य वर्त्ता ( जैसे वानरादि ) ॥१७॥ श्यायिष मेरु, शपक गोवा खड्ग, कल्पा शता ये पांर नच शतो इ भक्षण याग इ ऊंट को छोड़ कर एक ओर दात वाले भी ॥१८॥

‘अत्राकं दिडवराः च लक्षणं ग्राममुत्कृष्टम् ।  
पलागडुं गृह्यन् चैव मत्या जगत्या पतेद्विज ॥१९॥

अमन्त्रानि दडजगत्या कन्त्रु सान्तपनं चरेन ।  
यत्तित्चान्द्रायणं प्रायि शेषपवसेद ॥२०॥’

“छत्रक और प्रान मृकर लक्षण, प्राम का सुर्गा पियाज शलजम ये चय बुद्धिपूर्वक जो द्विन भक्षण करे, वह पतित होंवे ॥१९॥ इन छत्र का जो बुद्धि पूर्व भक्षण करे तो ( एकादशाध्याय में कहे ) सान्तपन वा यत्तित्चान्द्रायण प्रायश्चित्त करे और इन में शेष का भक्षण करे तो एक दिन उपवास करे ॥२०॥

‘मन्वन्मरम्यैकमपि चरन्तुनद्धं द्विजेत्तम ।

अज्ञातभुक्तशुद्धयर्थं नितम्य तु विरांपत ॥२१॥

यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्व्या प्रशस्नामृगरक्षिण ।

भृत्याना चैव वृत्त्यर्थमगस्त्यात्वाचरत्पुग ॥२२॥”

“कभी बिना जान निषिद्ध का भक्षण कर लिया हो इस लिये द्विज १ वर्ष में १ कृच्छ्रव्रत कर लिया करे और जानबूझ कर



किया हो तो विशेष करके ॥२१॥ यज्ञ और पोष्यवर्ग की वृत्ति के लिये, ब्राह्मण भक्ष्य मृग पक्षियों को मारे क्यों कि पूर्व अगस्त्य मुनि ने भी किया है ॥२२॥”

‘वभ्रुर्बुर्हि पुरोडाशा भक्ष्याणां मृगपक्षिणाम् ।

प्राणेष्वपि यशेषु ब्रह्मक्षत्रसवेषु च ॥२३॥”

यत्किञ्चित्स्नेहसयुक्तं भक्ष्यं भोज्यमगर्हितम् ।

तत्पर्युपितमप्याद्यं हविःशेष च यद्भवेत् ॥२४॥

‘क्यों कि प्राचीन ऋषियों और ब्राह्मण, क्षत्रियों के यज्ञों में भक्ष्य मृग पक्षियों के पुरोडाश हुआ करते थे’ । ११ से २३ वें तक १३ श्लोक मासाहारियों ने अन्य मांसों की परिशेष से भक्ष्यता सिद्ध करने को मिलाये हैं। इस में कुछ भी संशय नहीं है। १० वें श्लोक में वासी मडे, खटे खमीरी पदार्थों का वर्णन है। फिर २४ वें में भी वासी रक्खे हुवे पदार्थों का ही वर्णन है। इस से उस का सम्बन्ध निर्भ्रम है। लग्न अत्राक पनागद्दु गृञ्जन का निषेध ५ में कर आये, फिर १९ में लिखना प्रमाण है। २२ वें में यह जोर लगाना कि यज्ञा ब्राह्मणों को मम मग पक्षी वध्य है पहले अगस्त्य मुनि ने भी मारे थे पप्र बनाना है कि यह अगस्त्य की पौराणिक कथा के भी बनने से पीछे किनो के मिलाये हैं। २३ वें में प्राचीन ऋषियों के भी यज्ञों में भक्ष्य मृग पक्षियों के मांस से पुरोडाश बनाये गये थे। यह कहना सिद्ध करता है कि श्लोक बनाने वाला अपने समय में मांस को अभक्ष्य प्रसिद्ध जान कर प्राचीन साक्षी देने की कल्पना करता है और वमुवुः” इस परोक्ष भूत क्रिया से जतलाता है कि बात बहुत पुरानी है। जो आंखों से देखा नहीं है। भला स्वायंभुव मनु से पूर्व परोक्ष





भूत कौन लोग ऋषि थे ) ॥२३॥ जो कुत्र भक्ष्य या भोज्य निन्दित नहीं है, यह वासी होने पर भी घृतादियुक्त हो तो भक्षण करले और जो शेष चरु हवन में बचा है, उसे भी (अर्थात् पुरोडाश विना घृतादि लगा भी भक्षण करले ) ॥२४॥

चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्नेहाक्तं द्विजातिभिः ।

यवगोधूमजं सर्वं पयमश्चैव विक्रिया ॥२५॥

“एतदुक्तं द्विजातीना भक्ष्याभक्ष्यमशेषतः ।

मांसायात. प्रवक्ष्यामि विधि भक्षणवर्जनं ॥२६॥

बहुत काल की भी जौ या गेहूँ की घृतगहित और दूध की ( मिंगड आदि ) बनी वस्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य भक्षण करले ॥२३॥ ‘यह द्विजातियों का निःशेष भक्ष्याभक्ष्य कहा, इसके उपरान्त मांस के भक्षण और त्याग की विधि कहेंगे । (जब निःशेष भक्ष्याभक्ष्य कह चुके और मांस भी प्रक्षिप्त श्लोको में ब्रता चुके फिर दुबारा उन्मत्ता प्रस्ताव प्रमाद और विगड है । अतः आगे के श्लोक भी ४२ तक प्रक्षिप्त है ) ॥२६॥

प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं ब्राह्मणाना च काम्यया ।

यथाविधिनियुक्तन्तु प्राणानामेव चान्यये ॥२७॥

प्राणं तन्मिदं सर्वं प्रजापतिरञ्कल्पयत् ।

स्थावरं जङ्गमं चैव सर्वं प्राणस्य भोजनम् ॥२८॥”

‘ब्राह्मणों की कामना मांसभक्षण की हो तो यह मे प्रोक्षण विधिसे शुद्ध करके भक्षणकरे और प्राणरक्षाके हेतु विधिके नियम से ॥२७॥ प्राण का यह सम्पूर्ण अन्न प्रजापति ने बनाया है । स्थावर और सङ्गम सम्पूर्ण प्राण का भोजन है ॥२८॥’

‘चराणामन्नमचरा दंष्ट्रिणामप्यदंष्ट्रिण ।

अहस्ताश्च सहस्ताना शूराणां चैव भीरवः ॥२९॥

नात्ता दुष्यत्यदन्नाद्यान्प्राणिनोऽहन्यन्न्यपि ।

धात्रैव वृष्टाह्याद्याश्च प्राणिनोऽत्तारण्व च ॥३०॥”

चर जीवों के अचर ( घास आदि ) और दंष्ट्रियों के अदंष्ट्र ( व्याघ्रादि के हरिणादि ) और हाथ वालों के बिना हाथ वाले ( मनुष्यों के मछली आदि ) और शरीर के डरपोक ऐसे एक का एकभोजन बनाया है ॥२९॥ भक्षणयोग्यों को भक्षण करते हुवे खाने वाले को दोष नहीं लगता क्यों कि विधाता ने ही भोजन और भोजन करने वालों को उत्पन्न किया है” ( यूं तो चोरो और धनियों को भी विधाता ने ही बनाया है तो क्या चोरी पाप नहीं ? ) ॥३०॥

“यज्ञाय जग्धिर्मांसस्येत्येव देवोविधिःस्मृतः ।

अतोऽन्यथाप्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते ॥३१॥

क्रीत्वा स्वयंधाप्युत्पाद्य परोपकृतमेव वा ।

देवान्पितृश्चार्चात्त्वा खादन्मांसं न दुष्यति ॥३२॥”

‘यज्ञके निमित्त मांस भक्षण करना देवविधि है और इसके सिवाय मांसभक्षण राक्षसविधि कही है ॥३१॥ मोल लेकर अथवा आपही मार कर या दूसरे किसी ने लाकर दिया हो उसको देवता और पितरों को चढाकर खानेसे दोष नहीं । (४ पुस्तकोंमें परोप-हृतम् पाठ है । मनु तो ११ वें अध्याय में इसे निशाचादि का भक्ष्य कहेंगे ) ॥३२॥

नाद्यादविधिना मांसं विधिज्ञो-नापदि द्विजः-।

जग्ध्वा ह्यविधिना मांसं प्रेत्य तैरद्यतेवऽशः ॥३३॥

न तादृश भवत्येनो मृगहन्तुर्धनार्थिनः ।

यादृश भवति प्रेत्य वृथा मांसानि खादत ॥३४॥”



अनापत्ति में विधि का जानने वाला द्विज विना विधि के मांस भक्षण न करे क्योंकि विना विधि के जो मांस भक्षण करना है उसके मरने पर जिन का मांस उम ने खाया है, उसे वे खाते हैं ॥३३॥ गौशकार के लिये जो पशु मारते हैं, उनको यन्मा पाप नहीं होता जैसा कि विना श्रमिकों के चराये मांस भक्षण करने वालों को पाप होता है ॥३४॥

'नियुक्तान्नु यथान्याये यो मांसं नास्ति मानव' ।  
 स प्रेक्ष्य पशुतां याति संभवतानेव प्रियतिम ॥३५॥  
 अमंशु तान्पशून्भेदनाद्यादिप्रः कदाचन ।  
 मन्तेऽन्नु गन्तुं तान्पशून्प्रयत्नं विधमान्यत ॥३६॥

मधुपर्क का श्राद्ध में विधि में नियुक्त हुआ जो मांसभक्षण न करे वह मर के उबकौस चार पशुयानिमें जन्म लेता है (उम विगड के तो देगे) कि खाने वाले के दोष न मानना तो एक और रहा न खायें तो दे दे जन्म नरु पशु घने । यथा उम में भी मांस-भक्षा वाममार्गियों का प्रक्षेप नहीं जान पता ) ॥३५॥ मन्त्रों से जिन का संस्कार नहीं हुआ उन पशुओं का विप्र कभी भक्षण न करे और शास्त्र वेद की विधियों यागादिकों में मरुन किये हुए का भक्षण करे ( किर्षा पेशुनुत्तव पत्र न पशुप्रय श्रितित धर नहीं श्रौत्रमूत्रोमे जो कुरते, यदभी उन्दी वाममार्गियों की लीना ) ॥३६॥

'कुर्याद् पृतपशुं सजे कुर्यान्विष्टपशुं तथा ।  
 नश्येव तु गृध्रा दन्तुं पशुमिच्छेत्कदाचन ॥३७॥  
 यावन्ति पशुरामाणि तावन्मन्वोऽह मारणम् ।  
 घृथा रशुन्नः प्राप्नोति प्रेथ जन्मनि जन्मनि ॥३८॥

• खाने की इच्छा ही हो तो वृत्तका पशु या पिष्ट ( मंडा ) का पशु घना कर यथा विधि खाये परन्तु विना वेचना के उद्देश पशु

मारने की इच्छा न करे ( धन्य ॥ आटा वा घृत भी पशु के आकारका बनाकर रुचता है ॥ इसीसे कोईर गुप्त वाममार्गी बाल्य-भीरु यज्ञ में भी आटे वा घृत के पशु बनाया करते थे यह प्रसिद्ध है ) ॥३७॥ विना देवता के उद्देश जो पशु मारता है वह मरने पर जितने पशु के रोम है उतने ही जन्मों तक अन्यो से मारा जाता है ( हमारी सम्मति में तो देवता का नाम न लेकर खाने वाले पापी इतने बढ़िया कलङ्की नहीं हैं जितने ये हैं । ५ पुस्तकों में 'कृत्वेह पाठ भद्र है ) ॥३८॥

“यज्ञार्थं पशवः सृष्टा स्वयमेव स्वयंभुवा ।  
यज्ञस्य भूत्यै सर्वस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥३९॥  
श्लोषध्य पशवो वृक्षास्तिर्यञ्च पक्षिणस्तथा ।  
यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युत्सृती पुनः ॥४०॥”

“ब्रह्मा ने स्वय ही मद्य यज्ञ की सिद्धि वृद्धि के अर्थ पशु बनाये हैं इसलिये यज्ञमें पशु वध नहीं है ( ८ पुस्तकमें 'यज्ञो स्य पाठ है ) ॥३९॥ श्लोषधि पशु वृक्ष कूर्मादि और पक्षी, यज्ञ के अर्थ मारे जावे तो उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं ॥४०॥”

“मधुपर्कं च यज्ञे च पितृदेवतकर्मणि ।  
अत्रैव पशवो हिंस्या नान्यत्रेत्यत्रवीन्मनु ॥४१॥  
एष्वर्थेषु पशून् हिंसन्वेदतत्त्वार्थविद् द्विजः ।  
आत्मानं च पशु चैव गमयत्युत्तमां गतिम् ॥४२॥”

मधुपर्क यज्ञ और श्राद्ध तथा देवकर्म इन में ही पशु वध करे अन्यत्र नहीं करे, “यह मनु ने कहा है ( जी हां आपके भी हृदय में सन्देह है कि कदाचित् कोई इस को मनु वाक्य न समझे । चोर की डाढ़ी में तिनका ) ॥४१॥ वेद का तत्त्वार्थ जानने वाला द्विज इन्हीं मधुपर्क में पशुहिंसा करता हुआ आप और पशु दोनों



को उत्तम गति प्राप्त कराता है। (तो पहले अपने पुत्रादि को भेद चढ़ा कर उत्तम गति क्यों न लिखलाई जावे ? २६ से ४२ तक १७ श्लोक निकाल कर २५ वे' से ४३ वे' को मिला कर पढ़िये तो प्रकरण ठीक मिन जाता है और इन पांच को मिलाते मनु ने मिनाने वालेने ऐसी अधिकतासे मिलाया है कि एकही बात (श्राद्धादि न कर के मांस नखावे) अनेकवार पिष्टपेयण करताही जाता है। यह मास भक्षण किसी कर्ममें मनुका संमत नहीं है. इसका निषेध मनुने स्वयं इसी अध्यायके ४३ वे' से ५५वे' तक १३ श्लोकों में बड़े वनपूर्वक किया है और व्यौरेवार इसकी बुराई धिनौनापन वृत्तना एव पापता सब बतलाई हैं वे बुराईये यन्न में कैसे दूर हो सकती हैं। मनु जब मास को राक्षसादि का भोजन मानते हैं. तो देव कार्य में कैसे ग्राह्य हो सकत है। ये श्लोक अवश्य प्रक्षिप्त हैं जैसा कि महाभारत मोक्ष धर्म पर्व में कइ है कि-

मव'कर्मस्त्रहिंसां हि धर्मात्मा मनुःत्रवात् ।

कामकाराद्विहिंसन्ति बहिर्वेद्यां पशून्मगः ॥

धर्मात्मा मनु ने सब कर्म (वश्यदेवादि) में अहिंसा ही कही थी परन्तु अपनी इच्छा से शास्त्रवाह्य यज्ञ वेदां पर लोग पशुओं को मारते है ॥४२॥

गृहे गुरावरण्ये वा निवमन्नात्मवान्द्विजः ।

नावेदविहितां हिंसामापद्यपि ममाचरेत् ॥४३॥

या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिंश्चराचरे ।

अहिंसामेव तां विद्याद्वेदाद्धर्मो हि निर्वमौ ॥४४॥

गृहस्थाश्रम वा ब्रह्मचर्याश्रम वा वानप्रस्थाश्रम में रहता हुआ जितेन्द्रिय द्विज अशास्त्रोक्त हिंसा आपत्काल में भी न करे ॥४३॥

इस जगत में जो वेदविहित हिंसा चराचर में नियत है, उस को अहिंसा ही जाने ( हिंसक मनुष्यों सिंह सर्पादि के दण्ड से तात्पर्य है । इसी को अगले श्लोक में अहिंसकों के निषेध से स्पष्ट किया है ) क्योंकि वेद से धर्म का ही प्रकाश हुआ है ॥४४॥

योऽहिंसकानिभूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया ।

स जीवश्च मृतश्चैव न क्वचिप्सुखमेधते ॥४५॥

यो पन्धनवधक्लेशान्प्राणिनां न चिकीर्षति ।

स सर्वस्य हितप्रैप्सुः सुखमत्यन्तमश्नुते ॥४६॥

जो अहिंसक प्राणियों को अपने सुख की इच्छा सं मारता है, वह पुरुष इस लोक में जीवता और परलोक में मर कर सुख नहीं पाता ॥४५॥ जो पुरुष प्राणियों को बांधने वा मारनेका क्लेश दना नहीं चाहता, वह सबके हितकी इच्छा करनेवाला अनन्त सुख को प्राप्त होता है ॥४६॥

यद्दृष्यायति यत्कुरुते धृतिं बध्नाति यत्र च ।

तदवाप्नोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किंचन ॥४७॥

नाऽकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित् ।

न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ॥४८॥

वह जो कुछ सोचता है जो कुछ करता है और जिस में धृति बांधता है, वह सब उसे सहज में प्राप्त हो जाता है जो कि किसी को नहीं मारता ॥४७॥ प्राणियों की हिंसा किये बिना मांस कभी उत्पन्न नहीं हो सक्ता और प्राणियों का वध स्वर्ग का देने वाला नहीं, अतः मांस को वर्ज देवे ॥४८॥

समुत्पत्तिं च मांसस्य वधवन्धौ च देहिनाम् ।



प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात् ॥४६॥

न भक्षयति यो मांसं विधिं हित्वा पिशाचवत् ।

सलोके प्रियतांयाति व्याधिभिश्च न पीडयते ॥५०॥

मांस की (घिनौने शुक्र शोणितसे) उत्पत्ति और प्राणियोंके वध और बन्धन (क्रूर कर्मों) को देख कर सब प्रकार के मांस भक्षण से बचे ॥ ४९ ॥ जो विधि छोड़ कर पिशाचवत् मांस भक्षण नहीं करता वह लोगो में प्यारा होता और रोगों से कभी पीड़ित नहीं होना (इससे मांस भक्षण रोगकारक भी समझना चाहिये और प्रत्यक्ष जब से मांस भक्षणः दुराचार फैले है तब से रोग भी अधिक देगे जाने हैं ) ॥५०॥

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।

संस्कर्त्ता चोपहर्त्ता च स्वादकश्चेति घातकाः ॥५१॥

“स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति ।

अनभ्यर्च्य पितृन्देवांस्ततोऽन्य. नास्त्यपुण्यकृत् ॥५२॥

१-जिसकी सम्मति से मारते हैं, २-जो अज्ञो को काट कर अलग अलग करता है ३-मारने वाला ४-खरीजने वाला ५-बेचने वाला ६-पकाने वाला, ७-परोसने वाला तथा ८-खाने वाला ये ८ घातक हैं ॥५१॥ “देव और पितरोंके पूजन बिना जो पराये मांस से अपना मांस बढ़ाने की इच्छा करताहै उससे बढ़ कर कोई पाप करने वाला नहीं” ॥५२॥

वर्षे वर्षेष्वमेधेन यो यजेत शतं समाः ।

मांसानि च न स्वादेद्यस्तयोः पुण्यफलं समम् ॥५३॥

फलमूलाशनैर्मेध्यैर्मुन्यन्नानां च भोजनैः ।

न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिचर्जनात् ॥५४॥

जो माँ बर्ष तक प्रति बर्ष अश्वमेध यज्ञ करना है और जो जन्म पर्यन्त मांस भक्षण नहीं करता दोनों का पुण्यफल समान है ॥५३॥

(५३ वे से आगे ३ पुस्तको में यह श्लोक अधिक देखा गया है -

[ सदा जयति यज्ञेन मदा दानानि यच्छ्रुति ।

म तपस्वी सदा विप्रो यश्च मांसं विव्रजेयत् ] ॥

अर्थात् जो ब्राह्मण मांस नहीं खाता वह माना मदा यज्ञ करता है और दान देता है, तपस्वी है ) ॥५३॥ पवित्र फल मूल के भोजन और मुनिशोक अन्न खाने में वह फल नहीं जो मांस छोड़ने से प्राप्त होता है ॥५४॥

'मा स भक्षयिनाऽमुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम् ।

एतन्मामस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥५५॥

"न मांसभक्षणं दोषो न मद्यं न च मैथुने ।

प्रवृत्तिरेषा भूताना निवृत्तिस्तु महाफला ॥५६॥"

इम लोक में जिम का मांस मैं खाता हूँ परलोक में (मांस म.) वह मुझे खायगा । विद्वान् लोग यह मांसका मांसत्व कहते हैं ॥५५॥ मांस भक्षण और मद्यपान तथा मैथुन में मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, इस लिये इस में दोष नहीं और इन का छोड़ देवे तो बड़ा पुण्य है ॥ ( स्वाभाविक वच्चे को तो मांस में घिन होती है । तथा यह श्लोक निषेध के प्रकरण में अनुचित भी स्पष्ट है । कोई लोग खेचातानी से कई अर्थ करते हैं परन्तु वे अक्षरार्थ और ध्वन्यर्थ से बाहर हैं ॥ यद्यपि ये १३ श्लोक ४३ से ५५ तक मांस भक्षण निषेध विषयक धर्मशास्त्र के सिद्धान्तानुकूल होने से हम



को सभी मान्य है, परन्तु इन में से ५३ । ५४ । ५५ वे श्लोको की शैली नवीन भी हैं और ऐसा मन्त्रेह होता है कि ये श्लोक तत्र मांसनिषर्ष मिताये गये हैं जत्र कि मांस धियात कं श्लोक मिलाये जा चुके थे ) ॥५६॥

प्रेतशुद्धिं प्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धिं तथैव च ।

चतुर्णामपि वर्णानां यथावदनुपूर्वशः ॥५७॥

दन्तजातेऽनुजाते च कृतचूडे च संस्थिते ।

अशुद्धा चान्मयाः सर्वे सूतके च तयोच्छ्रये ॥५८॥

अत्र चारो वर्णों को यथावत् क्रम में प्रेतशुद्धि और द्रव्य शुद्धि आगे कहूंगा ॥५७॥ दांत निकलने पर ही वा दांत निकलनेके अनन्तर और चूडाकृत होने पर मरने में सब चान्मयोको अशुद्धि और सूतक लगता है ॥५८॥

दशाहं शायमार्गौचं सपिण्डेषु विधीयते ।

अर्वाक्ष्यंचचनादऽस्थनां ज्यहमेकाहमेव च ॥५९॥

सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते ।

समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोऽवेदने ॥६०॥

सपिण्डों में सूतक का आशौच दश दिन रहता है किन्हीं को अम्भिसञ्चयन तक, किन्हीं को ३ दिन और किन्हीं को १ दिन ही ( इसमें ज्ञान और आचार की न्यूनताविक्रमा ही कारण है । जो गुणों से जितना हीन हो उतना ही उसे सूतक अधिक होता है । जैसे १ । २ । ३ दिन बढ़ाये हैं और सर्वगुणों से रहित हो तो १० दिन आशौच होता है ) ॥ ५९ ॥ सातवी पीढी में सपिण्डता का सम्बन्ध छूट जाता है और कुल में उत्पन्न हुओं के

नाम जन्मभी स्मरण न रहे तब समानोदकता छूट जाती है ॥६०॥

यथेदं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते ।

जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणं शुद्धिमिच्छताम् ॥६१॥

जैसा मरने में सपिण्डों को यह आशौच कहा है, वैसे ही पुत्रादि उत्पन्न होने में भी अच्छी शुद्धता की इच्छा करने वालों को (आशौच) होता है ॥

( ६१ वे से आगे ४ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है:-

[ उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्नं न भुज्यते ।

दानं प्रतिग्रहोयज्ञः स्वाध्यायश्च निवर्तते ] ॥

जन्म और मृत्यु दोनों में १० दिन तक कुल का अन्न भोजन नहीं किया जाता। देना, लेना यज्ञ और स्वाध्याय रुके रहते हैं ॥ इस प्रकरण में सपिण्ड शब्द से किसी के मृतक श्राद्ध का भ्रम न हो किन्तु शरीर का नाम पिण्ड है। मात पीढी तक पूर्वज के वीर्य से थोड़ा बहुत प्रभाव सन्तानों में चलता है इसके पश्चात् श्लोक ६० के अनुसार सपिण्डता नहीं रहती। और जो जिसको जब तक जानता रहे कि अमुकनामा पुरुष हमारे वंश में था उस की सन्तान तब तक आपस में श्लोक ६० के उत्तरार्धानुसार समानोदक होती है ॥६१॥

सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु मृतकम् ।

सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥६२॥

मृतनिमित्त आशौच सब सपिण्डों को और जन्मनिमित्त आशौच माता पिता को ही रहता है। उसमें भी पिता स्नान करने से शुद्ध हो जाता है, माता को ही सूतक रहता है ॥



(६२वे से आगे भी ४ पुस्तकोंमें यह श्लोक अधिक प्रक्षिप्त है:-

[सत्रधर्मप्रवृत्तस्य दानधर्मफलैपिणः ।

त्रेताधर्मापरोधार्थमारण्यस्यैतदुच्यते ॥]

जो ज्ञानयज्ञ में प्रवृत्त है और दान धर्म का फल चाहता है, त्रेतायुग के धर्म (ज्ञान) के अनुरोधार्थ उस वानप्रस्थ के लिये यह विधान है। इस पर सब से अन्तिम रामचन्द्र ने भाष्य किया है। अन्य किसी ने नहीं) ॥६२॥

‘निरस्य तु पुमान् शुक्रमुपस्पृश्यैव शुद्ध्यति ।

वैजिकादभिसंवन्धादनुरुध्यादऽर्घं त्र्यहम् ॥६३॥”

अहो चैकेन रात्र्या च त्रिरात्रैरेव च त्रिभिः ।

शवस्पृशो विशुध्यन्ति त्र्यहादुदकदायिनः ॥६४॥

“पुरुष अपने वीर्य को निकालकर स्नानमात्र से शुद्ध होता है और पराई भार्यामें पुत्र उत्पन्न करनेसे तीनदिन आशौच रहता है” ॥

(६३ वां श्लोक भी प्रक्षिप्त जान पड़ता है। एक तो सूतक सूतक के बीच में वीर्य निकालने की अशुद्धि का वर्णन मनु की इस प्रतिज्ञा के विरुद्ध है जो ५७ वे श्लोक में की गई है। दूसरे परस्त्री प्रसङ्ग वा उसके सन्तानोत्पादनरूप पाप पर केवल ३ दिन का प्रायश्चित्त मात्र भी सत्र धर्मशास्त्र के प्रतिकूल और अन्याय है। किसी पुस्तक में ६३ से आगे भी यह श्लोक अधिक है.-

[जननेप्येवमेव स्यान्मातापित्रोस्तु सूतकम् ।

सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥]

जन्म में भी ऐसे ही माता पिता को सूतक लगता है कि माता को ही सूतक और पिता स्नान करके शुद्ध है) ॥६३॥ सूतक के

स्पर्श करने वाले १ और ३ गुणा ३ = ९ = १० दिन रात में शुद्ध होते हैं और (मरते समय कण्ठ में) पानी देने वाले (वा अस्थि-सञ्चयन में चिता पर जल छिड़कने वाले) तीसरे दिन शुद्ध होते हैं ॥६४॥

गुराः प्रेतस्य शिष्यस्तु ऽपत्तमधं समाचरन् ।

प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुद्धयति ॥६५॥

रात्रभिर्मासतुल्याभर्गर्भस्त्रावे विशुद्धयति ।

रजस्युपरत साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला ॥६६॥

मृत गुरु की अन्त्येष्टि करता हुआ शिष्य प्रेत=मुदा उठाने वालों के साथ दशवें दिन शुद्ध होता है ॥६५॥ जितने मास का गर्भस्त्राव हो उतने दिन में स्त्री शुद्ध होती है और रजस्वला स्त्री जिस दिन रज निवृत्ति हो, उस दिन स्नान करके शुद्ध होती है, ॥६६॥

नृणामहृतचूडाना विशुद्धर्नशिकी स्मृता ।

निवृत्तचूडकाना तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥६७॥

जिन बालको का चूडाकर्म नहीं हुआ, उनके मरने से एक दिन में और जिनका चूडाकर्म हो गया है उनके मरने से तीन दिन में शुद्धि होती है ॥ (६७ वें से आगे ३ श्लोक और भी १ पुस्तकमें प्रक्षिप्त मिलते हैं:-

।. वसस्कारप्रमीतानां वर्णानामावशेषतः ।

त्रिरात्रात्तु भवेच्छुद्धिः कन्यास्वहोविधीयते ॥१॥

अदन्तजन्मनः सद्य आचूडान्नैशिकी स्मृता ।

त्रिरात्रमात्रतादेश दशरात्रमतः परम् ॥२॥



परपूर्वासु भार्यासु पुत्रेषु प्रकृतेषु च ।

मातामहे त्रिरात्रं तु एकाहं त्वऽसपिण्डतः ॥३॥]

सब वर्णों के बच्चे जो संस्कार से पूर्व मर गये हों उनकी तीन दिन में शुद्धि होती है और कन्याओं की एक दिन में ॥१॥ जिसके दांत न जमे हों उसकी तत्काल और फिर चूडाकर्म तक आयु वाले की एक रात्रि भर और फिर उपनयन संस्कार आयु वाले की ३ रात्रि और उसके पश्चात् १० रात्रिकी अशुद्धि है ॥२॥ जो स्त्री प्रथम किसी अन्य की थी उनकी और उनमें जन्मे पुत्रों की और नाना की अशुद्धि ३ रात्रि तक असपिण्डगोत्रियों की एक दिन है ॥३॥ ॥६७॥

ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं निदग्धुर्वान्धवा वहिः ।

अलंकृत्य शुचौ भूमावस्थिसंचयनदत्ते ॥६८॥

जिसकी आयु के पूरे दो वर्ष न हुवे हों ऐसे मृत बालक को बान्धव लोग मामादि के बाहर शुद्ध भूमिमें स्वच्छ करके (अस्थिसञ्चयन बिना ही) दवा देवे । (बिना दाह व अस्थि संचयन) ॥६८॥

नास्यकार्योऽग्निमंस्कारो न च कार्योऽदकक्रिया ।

अरण्येऽकाष्ठवत्यक्त्वा क्षपेयुस्त्यहमय च ६९॥

नाऽत्रिवर्षस्य कर्तव्या वान्धवैरुदकक्रिया ।

जातदन्तस्य वा कुर्यान्नात्मनापि कृते सति ॥७०॥

इस (पूर्वोक्त बच्चे) का अग्निसंस्कार न कर, इसकी उदक क्रिया (अस्थिसञ्चयनादि) भी न करे, किन्तु जङ्गल में काष्ठवत् दवा देवे और तीन दिन आशाच रखे ॥६९॥ अथवा-जिसके तीन वर्ष पूरे न हुवे हों उस बालक की बान्धव उदकक्रिया न करें

अथवा जिसके दांत ही उत्पन्न हुवे हों वा नामकरण ही हुवा हो।  
उसके दाहादि संस्कार करे तो अच्छा है (यह दूसरा पक्ष है) ॥७०॥

सन्नद्धाचारिण्येकाहमतीते क्षपणं स्मृतम् ।

जन्मन्येकोदकाना तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥७१॥

“स्त्रीणामसंस्कृताना तु त्र्यहाच्छुद्धयन्ति बान्धवाः ।

यथोक्तेनैव कल्पेन शुद्धयन्ति तु सनाभयः ॥७२॥”

महाध्यायी के मरनेमे एक दिन आशौच कहा है और समानो-  
दकों के पुत्रादि जन्मे तो तीन दिन मे शुद्धि चाही है ॥७१॥  
'जिन स्त्रियो का संस्कार नहीं हुआ उन के मरने में उनके बान्धव  
और उनके सनाभि भी तीसरे दिन शुद्ध होते हैं' ॥ (७२ वे' से  
आगे एक पुस्तक मे यह श्लोक अधिक है जो कि ६७ वे' के आगे  
विखाये ३ अधिक श्लोकों में से तीसरे प्रक्षिप्त के सा आशय रखता  
है, परन्तु चतुर्थ पाद उसके ठीक विरुद्ध है:-

[परपूर्वासु पुत्रेषु सूतके मृतकेषु च ।

मातामहे त्रिरात्रं स्यादेकाहं तु सपिण्डने] ॥

पूर्वली पराई स्त्रियो मे, उन के जन्म तथा मृत्यु और नाना के  
मृतक मे ३ दिन मे शुद्धि होती है। परन्तु सपिण्डों में १ रात्रि  
में ही) ॥७२॥

“अक्षारलवणान्नाः स्युर्निमज्जेयुश्च ते त्र्यहम् ।

मांसाशनं च नाशनीयुः शयीरंश्च पृथक् क्षितौ ॥७३॥”

“क्षारलवणरहित अन्न का भोजन करें, तीन दिन स्नान  
करें, मांस भक्षण न करें और भूमि पर अकेले सोवें। (७२वे  
से अगला श्लोक तो एक ही पुस्तक में मिलता है, सब मे नहीं।  
परन्तु ७२ वां और ७३ वां भी प्रक्षिप्त जान पड़ता है। क्यो कि



असंस्कृत स्त्रियों का आशौच जब पुरुषों के समान है तो पृथग्विधान व्यर्थ है। और जो लोग मगई मात्र का अर्थ करते हैं सो धर्मशास्त्रों में मगई कोई संस्कार १६ संस्कारों में से नहीं है। ७३ वें में ३ दिन स्नानविधान कहना असङ्गत है। क्यों कि आशौच १० दिन और स्नान ३ दिन कैसा ? जब कि विना मृतक मृतक भी नित्य शरीर शुद्धिकर्तव्य है। मांस का निषेध भी व्यर्थ है, जब कि सब काल में ही मांस निषिद्ध है। ५७ वें श्लोक से यह प्रेतशुद्धि का वर्णन आरम्भ हुआ है। जिस के साथ कहीं २ जन्म शुद्धि को भी कहने जाते हैं यथार्थ में जन्म और मृत्यु दो संस्कार में बड़ी घटना हैं। इन से बढ़ कर कोई घटना नहीं। जिन में एक हर्ष और दूसरी शोक का कारण सर्वसाधारण के लिये होती है। जन्म समय १० मास का रुका मल जिम, घर में निकलता है और वायु तथा अन्य घर के पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है, कुटुम्बी लोग तो हानि लाभ के साथी साझी हैं, उन्हें संसर्ग से बचना कठिन है। परन्तु अन्य वर्ण, पास पड़ौसी आदि को स्वाभाविक रीति पर कुछ दिन अवश्य उम, घर के पदार्थों से होती है।- इस लिये अपवित्रता के परिमाण से न्यूनाधिक यथासम्भव सूतक लगाया गया है। ऐसे ही मृतक भी। अग्नि मृत्यु काल, वायु आदि पदार्थ उस अशुद्धि को क्रम से घटाने हैं। (देखो १०५) और लीपने पोतने, धोने मांजने आदि से भी क्रम पूर्वक शुद्धि होती है। इस लिये जितना २ सन्वन्ध समीप है वा जितना २ जस जिस वर्ण आश्रम आदि के विचार से जिस को अधिक संसर्ग सम्भव देखा, उस २ को अधिक मृतक मृतक का आशौच विधान किया है। मृतक आशौच में मरने वालेकी आयु की न्यूनाधिकता से बान्धवादि के संसर्ग में भी न्यूनाधिकता देख कर आशौच की न्यूनाधिकता कथन की गई है। एक बात अधिक

विचारणीय है कि दो वर्ष से न्यून आयु वाले बच्चों का दाहना क्या कहा, जब कि दाह संस्कार वेदोक्त है। इस में एक पक्ष यह भी ७० वे श्लोक में किया है कि जिस का नामकरण हो गया वा जिस के दांत निकल आये उस के दाहादि संस्कार करने चाहिये। यथार्थ में दाह करने का तात्पर्य यही है कि मरने वाले देही ने संसारयात्रा में मल भ्रंसर्ग से शरीर पर बहुत बड़ी मलिनता सं ह करली है। वह मलिनता अन्य जीवते प्राणियों को वायु में परिणत हो हो कर दीर्घकाल तक रोगादि का हेतु न हो। परन्तु संसार के सभी कार्य आरम्भ काल में नहीं के समीप २ होने हैं। ऐसे ही गर्भस्थिति से नामकरण तक उस मलिनता का संग्रह उस के शरीर में बहुत कम होता है। कहीं न कहीं मर्यादा रखनी ही पड़ती है। यहां से आगे दाहसंस्कार द्वारा निवारण करने योग्य मलिनता का आरम्भ है। इस से पूर्व सूक्ष्म रूप पृथिवीस्थ अग्नि ही उसे भस्म करने में समर्थ समझा गया। और जन्मते बच्चे को दाहविधान करते तब भी यह शक्य रह ही जाती कि गर्भपात वा गर्भस्त्राव का दाह क्यों न करना चाहिये। इस से आगे वीर्यपात मात्र के दाह की भी आशङ्का होती। इस लिये शास्त्रकार ने दाह की योग्यता की अवधि निम्न करके मर्यादा स्थापित करदी है। विशेष स्वयं बुद्धिमान् विचार सकते हैं। मृत्यु में शोक भी एक प्रकार की भीतरी मलिनता अशौच का कारण है) ॥७३॥

सन्निधावेप वै कल्पः शवाशौचस्य कीर्तितः ।

असन्निधावयं ज्ञेयो विधिः सम्बन्धिवान्धवैः ॥७४॥

यह समीप रहने में मृतसम्बन्धी आशौचका विधान कहा और विदेश रहने में उस के सम्बन्धी बांधव आगेकहे अनुसार आशौच विधान जानें ॥७४॥





विगतं तु विदेशस्थं श्यायाद्यो त्वनिर्दशम् ।

यच्छेषं दशगत्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत् ॥७५॥

विदेश में मग हो और १० दिन पूरे न हूँ तो मुने पर जितने दिन १० दिन में शेष हो उतने दिन आशौच रहे ।

( ७५ वें के आगे एक पुस्तक में यह श्लोक अत्रिक है -

[ मामत्रये त्रिगत्रं स्यात्पणमासे पक्षिणी तथा ।

अहस्तु नवमाद्वर्गार्धं स्नानेन शुध्यति ॥ ]

तीन माम बीतने पर मुने तो ३ रात्रि तक आशौच और छ मास बीतने पर १॥ दिन और ५ वें मास के भीतर १ दिन तथा इम के पश्चात् स्नान मात्र में शुद्ध होना है ) ॥७५॥

अतिक्रान्ते दशाहे च त्रिगत्रमशुचिर्भवेत् ।

संवत्सरे व्यतीने तु स्पृष्ट्वैवापो त्रिशुद्धयति ॥७६॥

और दश दिन अतीत होने के अनन्तर मुने तो तीन दिन आशौच रहे परन्तु एक वर्ष बीत गया हो तो स्नान करने में ही शुद्ध हो जाता है ॥७६॥

निदेशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च ।

सवासा जलमाप्नुत्य शुद्धो भवति मानवः ॥७७॥

वाले देशान्तरस्थे च पृथक् पिण्डे च संस्थिते ।

सवासा जलमाप्नुत्य सद्यएव त्रिशुद्धयति । ७८॥

दश दिन हो जाने पर ज्ञातिमरण या पुत्र का जन्म सुन कर मनुष्य मचैल स्नान करके शुद्ध होता है ॥७७॥ संगोत्र बालक देशान्तरस्थ तथा अमपिण्ड का मरण ( मुने के ) सचैल स्नान

करने से उसी समय शुद्ध हो जाता है ॥७८॥

अन्तर्दशाहे स्यातां चेतपुनर्मरणजन्मनी ।

तावत्स्यादशुचिर्विप्रो यावत्तत्स्यादनिर्दशम् ॥७९॥

त्रिरात्रमाहुराशौचमाचार्ये संस्थिते सति ।

तस्य पुत्रे च पत्न्यां च दिवारात्रमिति स्थितिः ॥८०॥

दशाह के बीच यदि पुनः किसी के मरने वा उत्पन्न होने से आशौच होजावे तो विप्र तब तक शुद्ध न होगा जब तक कि उस के दश दिन पूरे न हो जावें ॥७९॥ आचार्य के मरने में शिष्य को तीन दिन आशौच रहता है और आचार्यके लड़के या स्त्री के मरने में एक दिन ॥८०॥

श्रोत्रिये तूपसंपन्ने त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् ।

मातुले पक्षिणीं रात्रि शिष्यत्विर्ग्वान्धवेषु च ॥८१॥

प्रते राजनि सज्योतिर्यस्य स्याद्विपर्योस्थतः ।

अश्रोत्रिये त्वहः कृत्स्नमनूचाने तथा गुरौ ॥८२॥

श्रोत्रिय के मरने में तीन दिन और मामा, शिष्यः ऋत्विक् और वांधवों के मरने में सूर्यास्त तक आशौच रहे और जो श्रोत्रिय न हो तो सारा दिन और जिस ने पूर्ण वेदाध्ययन किया हो वा गुरु हो उस का भी ॥८२॥

शुष्येद्विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः ।

वैश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति ॥८३॥

ब्राह्मण १० दिन में, क्षत्रिय १२ दिन में, वैश्य १५ दिन में, और शूद्र एक मास में शुद्ध होता है । ( ८३ से आगे दो पुस्तकों

मे पहले दो श्लोक और अन्य दो पुस्तकों में चार श्लोक जो नीचे लिये हैं, अधिक हैं :—

[क्षत्रविट्शूद्रदायादाः रघुञ्चेद्विप्रस्य दान्वाः ।  
तेषामशौचं विप्रस्य दशाहाच्छुद्धिरिष्यते ॥१॥  
राजन्यवैश्ययोश्चैवं हीनयोनिषु बन्धुषु ।  
स्वमेव शौचं कुर्वीत विशुद्ध्यर्थमिति स्थितिः ॥२॥  
विप्रः शुद्धयेद्दशाहेन जन्महानौ स्वयोनिषु ।  
शङ्भिन्त्रिभिरथैकेन क्षत्रविट् शूद्रयोनिषु ॥३॥  
सर्वे चोत्तमवर्णारितु शौचं कुर्यत्तन्दिताः ।  
तद्वर्णं विधित्प्रेन स्वं तु शौचं स्वयोनिषु ॥४॥]

इस ३। १३ श्लोकों का प्रक्षिप्त यथा आये हैं जिसमें ब्राह्मणादि का अपने से नीचे वर्णों की कन्या लेने का विधान है। यहाँ इन ४ श्लोकों में उन्हीं नीचे विवाह के सम्बन्धियों का मृतक आशौच बताया जाता है। परन्तु ये श्लोक केवल ४पुस्तकों में हैं सबसे नहीं इसलिये यह तो स्पष्ट है कि ये प्रक्षिप्त हैं और यहाँ भी निश्चय होता है कि २। १३ भी ठीकप्रक्षिप्तथा। यदि मनुप्रोक्त होता तो यहाँ आशौच प्रकरण में उसका आशौच विधान भी सब पुस्तकों में होता।

यदि क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण के दायाद बान्धव हों तो उनके आशौच में ब्राह्मण की १० दिन में शुद्धि चाही है ॥१॥ इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य को भी अपने से हीन योनि सम्बन्धियों की मृत्यु में अपने वर्णानुसार शुद्धि के लिये शौच करना चाहिये यह नियम है ॥२॥ ब्राह्मण अपने वर्णस्थ सम्बन्धियों के जन्म वा मृत्यु में १० दिन में, क्षत्रिय वर्णस्थ सम्बन्धियों के जन्म वा मृत्यु में ६ दिन में,

वैश्य सम्बन्धियों के ३ दिन में और शूद्र सम्बन्धियों के जन्मादि में १ दिन में शुद्ध होता है ॥३॥ सब उत्तम वर्ण निरालस्य होकर उस २ वर्णस्थ सम्बन्धियों का उस २ वर्णानुसार और स्ववर्णस्थों का स्ववर्णानुसार आशौच माने ॥४॥ ॥८३॥

न धयेदघाहानि प्रत्यहेत्त्राग्निपु क्रियाः ।

न च तत्कर्म कुर्वाणः सनाभ्योऽप्यशुचिर्भवेत् ॥८४॥

मरणाऽशौच के दिन न बढावे और अग्निहोत्रादि क्रिया का विधान नकरे उस कर्मके करतेहुवे सनाभिभी अशुचि नहीं है ॥८४॥

दिवाकीर्तिमुदक्यांच पतितं स्रुतिकां तथा ।

शवं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुद्ध्यति ॥८५॥

आचम्य प्रयतो नित्य जपेदशुचिदर्शने ।

सौरान्मन्त्रान्यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः ॥८६॥

चण्डाल, रजम्बला, पतित, प्रसूता तथा शव और शवके स्पर्श करने वाले को छूने पर स्नानसे शुद्ध होता है ॥८५॥ आचमन करके शुद्ध हुआ मनुष्य चाण्डलादि के अशुचि दर्शन होने पर सौर मन्त्र (उदुत्यं जातवेदसम् इत्यादि) और पवमान देवता वाले मन्त्रों को शक्ति और उत्साह के अनुसार जपे ॥८६॥

नारं स्पृष्ट्वास्थि सस्नेहं स्नात्वा विप्रो विशुद्ध्यति ।

आचम्यैवतु निःस्नेहं गामालभ्यार्कमीक्ष्य वा ॥८७॥

आदिष्टी नोदकं कुर्यादाघ्रतस्य समापनात् ।

समाप्ते तूदकं कृत्वा त्रिरात्रेणैव शुद्ध्यति ॥८८॥

मनुष्य की स्नेहयुक्त अस्थि छूने से विप्र स्नान करके शुद्ध हो



जाना है और जिसमें चिकनाई न हो उम के स्पर्श करने से  
आचमन ही से वा गौ-भूमि के स्पर्शसे या सूर्य के दर्शन से पवित्र  
होता है। (यहां दो पुस्तकों में, "गां स्पृष्टा वीक्ष्य वा रविम्" पाठ  
भेद है। और मेघातिथि आदि छहों भाष्यकार "आलभन का अर्थ  
"स्पर्श" करते हैं) ॥८७॥ ब्रह्मचारी व्रत की समाप्ति पर्यन्त प्रेतोदक  
न करे। समाप्ति के अनन्तर प्रेतोदक करे तो त्रिरात्रसे ही शुद्ध हो  
जाता है ॥८८॥

वृथामंकरजातानां प्रव्रज्यासु च तिष्ठताम् ।

आत्मनस्त्यागिनां चैव निवर्ततेऽदकक्रिया ॥८९॥

पापएडमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामतः ।

गर्भभर्तृद्रुहां चैव सुरार्पीनां च योषिताम् ॥९०॥

वृथा वर्णसङ्घरो, सन्यासियों और आत्मघातियों की उदक  
क्रिया आवश्यक नहीं ॥८९॥ पापखिद्यो, म्बरिणियों और गर्भपान  
पतिघात. सुशानन करने वाली स्त्रियों की (उदकक्रिया नकरे) ॥९०॥

अचार्य स्वमुगध्याय पितरं मातरं गुहम् ।

। नर्हत्य तु व्रती प्रेतान्न व्रतेन वियुज्यते ॥९१॥

दाक्षिणेन मृगं शूद्रं पुद्दारेण निर्हरेत् ।

पश्चिमात्तः पूरुषं तु यथायोगं द्विजन्मनः ॥९२॥

अग्ने आचार्य उगध्याय पिता माता तथा गुरु के प्रेतकृत्य  
करने से ब्रह्मचारी का व्रत भङ्ग नहीं होता ॥९१॥ शूद्रके मुर्दे नगर  
के दक्षिणद्वार से और वैश्य के पश्चिम, क्षत्रिय के उत्तर और  
ब्राह्मण के पूर्व से निकाले ॥९२॥

त राज्ञामघदोषोऽस्ति व्रतीनां न च सत्रिणाम् ।

ऐन्द्रं स्थानमुपासीना ब्रह्मभूताहि ते सदा ॥६३॥

राज्ञां माहात्मिके स्थाने सद्यः शौचं विधीयते ।

प्रजानां परंरक्षार्थमासनं चात्रकारणम् ॥६४॥

राजा और ब्रह्मचारी व चान्द्रायणादि व्रत करने वाले और यज्ञ करने वालों को आशौच नहीं लगता । क्योंकि ये इन्द्रके पद पर बैठे हुवे और सदा निष्पाप हैं । (इन्द्र पद शुद्ध स्थान का नाम है जैसा कि "इन्द्र शुद्धो न आगहि०" इत्यादि । और इन्द्र शुद्धोहि नो रयिम०" इत्यादि सामवेद उत्तरार्चिक १२ । ३ । २ । ३ मे लिखा है) ॥९३॥ माहात्मिक राजपद में स्थित राजा को उसी समय पवित्र कहा है (अर्थात् राज्य से भ्रष्ट क्षत्रियो को सद्यः शुद्धि नहीं है) प्रजा की रक्षार्थ न्यायासन पर बैठना इस मे कारण है ॥९४॥

डिम्बाहवहतानां च विद्युतापार्थिवेन च ।

गोब्राह्मणस्य चैवार्थे यस्यचेच्छति पार्थिवः ॥६५॥

सोमामन्यर्कानिलेन्द्राणां वित्ताप्पत्यार्यमस्य च ।

अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते नृपः ॥६६॥

विना शस्त्र की लड़ाई में और बिजली से तथा राजाज्ञा = फांसी से और गौ ब्रह्मण की रक्षा के लिये मरे हुवे का और जिस को राजा अपने कार्य के लिये चाहे उसका (तत्काल शौच कहा है) ॥९५॥ चन्द्र अग्नि, सूर्य, वायु, इन्द्र कुबेर, वरुण और यम इन आठ लोकपालो का शरीर राजा धारण करता है (अर्थात् राजा में लोकपालनार्थ ये आठ गुण रहते हैं, जो दिव्य हैं) ॥९६॥

लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्याशौचं विधीयते ।

शौचाशौचं हि मर्त्यानां लोकेशप्रभवाप्ययम् ॥६७॥



उद्यतैरहवे शस्त्रैः क्षत्रधर्म हतस्य च ।

सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथा शौचमिति स्थितिः ॥६८॥

इन्द्रादि ८ लोकपालो के स्थान पर रहता है इसलिये राजा को आशौच नहीं कहा, क्योंकि मनुष्यों का शौच और आशौच लोकपालो से उत्पन्न और नष्ट होता है ॥९७॥ संग्राम मे उद्यत शस्त्रो से क्षत्रधर्म से (डिला लकड़ी से नहीं किन्तु) सामने लड़ाई मे मरे का यज्ञ उसी समय समाप्त होता है और शौच भी तत्काल हो जाता है ॥९८॥

विप्र शुद्धयत्यपः स्पृष्ट्वा क्षत्रिये वाहनायुधम् ।

वैश्यः प्रेतोदं रश्मीन्वा यष्टिं शूद्रः कृतक्रियः ॥६९॥

एतद्वोऽभिहितं शौचं सपिण्डेषु द्विजोत्तमाः ।

असपिण्डेषु सर्वेषु प्रेतशुद्धिं निवोधत ॥१००॥

प्रेतक्रिया करके ब्राह्मण जल को स्पर्श कर, क्षत्रिय शस्त्र और वाहन आदि को तथा वैश्य हांकने के ढण्डे वा लगाम को और शूद्र लाठी को छूके शुद्ध होता है (अर्थात् आशौच समाप्ति के दिन इन इनको ये २ वस्तु छूनी चाहिये यह रीति है) ॥९९॥ हे द्विजश्रेष्ठो ' यह सपिण्डो में आशौच विधान तुम सं कहा और असपिण्डो मे प्रेत शुद्धि का विधान (आगे) सुनां ॥१००॥

असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रोनिहृत्य बन्धुवत् ।

विशुद्धयतित्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च बान्धवान् ॥१०१॥

यद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनैव शुष्यति ।

अनदन्नन्नमन्हैव न चेत्तस्मिन्गृहे वसेत् ॥१०२॥



यदि ब्राह्मण असपिण्ड मृत द्विज का स्नेहसे बन्धु के समान अन्त्येष्ट्यादि कर्म करे और माता के सम्बन्ध वाले बान्धवों के द्वाहादि करे तो तीन दिनमें शुद्ध होता है ॥१०१॥ जो दाहादि करने वाला विप्र मृतक के मपिण्डोंका अन्न ग्वानाहो तो १० दिनमें और जो इनका अन्न न खाता हो और उस घर में भी न रहता हो तो एक दिन में शुद्ध हो जाता है ॥१०२॥

अनुगम्भेच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च ।

स्नात्वा सचैलः स्पृश्याग्निं घृतं प्राशयन्निशुध्यति ॥१०३॥

न विप्रं स्पेषु तिष्ठत्सु मृते शूद्रेण नाययत् ।

अस्वर्ग्या ह्याहुतिः सा स्याच्छूद्रमस्पर्शदूषिता ॥१०४॥

स्वजाति वा अन्य जाति के मुर्देके पीछे जान घूमकर जाने से सचैल स्नात, अग्नि स्पर्श और घृतको खाकर शुद्ध होता है ॥१०३॥ सजातियों के रहते हुये ब्राह्मण के मुर्दे को शूद्र के दाहार्थ न लिया जावे क्योंकि शूद्र के स्पर्श से दूषित आहुति (संसार को) सुख देने वाली न होगी ॥१०४॥

ज्ञानं तपोऽग्निराहारो मन्मनोवायुर्पाञ्जनम् ।

वायुः कर्मार्ककालौ च शुद्धे कर्तृणि देहिनाम् ॥१०५॥

मर्त्रेपामेव शौचानामर्थशांचं परं स्मृतम् ।

योऽर्थे शुचिर्हि स शुचिर्न मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥१०६॥

मनुष्योंको ये ज्ञानादि शुद्ध करने वाले हैं-ज्ञान, तप, अग्नि, आहार मृतिका, मन, पानी लीपना, वायु यज्ञादि सूर्य और काल (इसी से आशौच और शौच के हेतु समझ लेने चाहिये) ॥१०५॥ इन सब शौचों में अर्थ शौच (अन्याय करके दूसरे का धन न लेने



की इच्छा रूा शौच) मत्र मे श्रेष्ठ कहा है । यदि अर्थशौच नहीं तो मृत्तिकादि मे कुछ शुद्धि नहीं होती । जो अर्थ मे शुद्ध है वही शुद्ध है ॥१०६॥

दान्त्या शुध्यन्तिविद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः ।

प्रच्छन्नपापा जपेन तपसा वेदवित्तमां ॥१०७॥

मृत्योयैः शुध्यते शोधयं नदी वेगेन शुध्यति ।

रजसा स्त्री मनोदुष्टा संयासेन द्विजोत्तमः ॥१०८॥

जमा से विद्वान शुद्ध होते हैं । जो यज्ञादि क्रिया नहीं कर सकने वे दान से, गुप्त पाप वाले जप से और उत्तम वेद के जानने वाले तप से (शुद्ध होने हैं) ॥१०७॥ मलयुक्त अशुद्ध वस्तु मृत्तिका और जलसे शुद्ध होती है । नदी वेगसे शुद्धहोती है । मनमे दूषित स्त्री रजस्वला होनेपर और ब्राह्मण त्यागसे (शुद्ध होता है) ॥१०८॥

अद्विर्गत्रिाणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ।

विद्या तपोभ्यां भृतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुध्यति ॥१०९॥

एष शौचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः ।

नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः श्रुतनिर्णयम् ॥११०॥

पानी से शरीर शुद्ध होते हैं । मन सत्य बोलने से शुद्ध होता है । सूक्ष्म लिङ्ग शरीर से युक्त जीवात्मा विद्या और तप से (शुद्ध होता है) ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है ॥१०९॥ यह तुमसे शरीर शुद्धि का निर्णय कहा । अब नाना प्रकार के द्रव्यों की शुद्धि का निर्णय सुनो ॥११०॥

तैजसानां मणीनां च सर्गस्याश्मयस्य च ।

मस्मनाद्भिर्मृदा चैव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः ॥१११॥  
 निलोपं काञ्चनं भाण्डमद्भिरेव विशुध्यति ।  
 अब्जमश्ममयं चैव राजतं चानुपस्कृतम् ॥११२॥

सुवर्णादि और हीरा आदि मणियों और सम्पूर्ण पाषाणमय पदार्थों की राख मिट्टी और पानी से मनीषियों ने शुद्धि कही है ॥१११॥ सौने का वर्तन जिसमें उच्छिष्ट न लगा हो और शङ्ख मोती आदि जलज और पत्थर के वर्तन तथा चादी जिन पर नकशा न हो वे केवल जल से शुद्ध होते हैं ॥११२॥

अपामग्नेश्च संयोगाद्धैमं रौप्यं च निर्वभौ ।  
 तस्मात्तयोः स्वयोन्यैव निर्णोका गुणवत्तरः ॥११३॥  
 ताम्रायः कांस्यरैत्याना त्रपुणः सीसकस्य च ।  
 शौचं यथार्हं कर्त्तव्यं क्षाराम्लोदकवारिभिः ॥११४॥

जल और अग्नि के संयोग से चांदी सौना उत्पन्न हुआ है इसलिये इनका शोधन अपनी योनि = पानी और अग्निसे ही बहुत उत्तम है ॥११३॥ तांबा लोहा कांसी, पीतल, लाख और सीसे के वर्तनों का खार खट्टे पानी और केवल पानी से जिसमें उचित हो उससे उसका शोधन करे ॥११४॥

द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिराप्लवनं स्मृतम् ।  
 प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम् ॥११५॥  
 शार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ।  
 चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥११६॥

द्रवों को पिघला कर छान लेने से और जमे हुएों की प्रोक्षण



से और लकड़ियों के वर्तनादि की छीलनेसे शुद्धि होती है ॥११५॥  
परन्तु यज्ञकर्म में यज्ञपात्रों की हाथ में मार्जन द्वारा और चमसों  
तथा ग्रहो = संडासी वा चिमटों का धोने से शुद्धि होती है ॥११६॥

घरुणांसु वसु वःणां च शुद्धिरुप्येन वारिणा ।

स्फ्यशूर्पशकटानां च मृसलोलूखलस्य च ॥११७॥

अद्विस्तु प्रोक्षणं श चं वहूनां धान्यवाससाम् ।

प्रचालनेन त्वल्पानामाद्भः शौचं विधीयते ॥११८॥

यज्ञ पात्र चरु, क्षत्र, ऋव, स्फ्य, शूर्प, शकट, ओखली और  
मृसल की शुद्धि गरम पानी से होती है ॥११७॥ बहुत धान्यों और  
कपड़ों की शुद्धि पानी के प्रोक्षण में और थोड़े हो तो धोने से कहीं  
है । (इस से आगे दो पुस्तकों में एक श्लोक अधिक पाया जाता है-

(त्र्यहकृतशौचानां तु वायसी शुद्धिरिष्यते ।

पर्युक्षणद्वपनाद्वा मलिनामातधावनात् ॥)

३ दिन में जिसकी शुद्धि करनी है, उन मृतवाजकों के वस्त्र उन  
की आयु के अनुसार शुद्ध होने हैं-किन्हीं को त्रिङ्गुफले, किन्हीं की  
धूपदेने और किन्हीं मैले वस्त्रों की अत्यन्त घुसानेसे शुद्धिजाने ॥११८॥

चेलवच्चर्मणां शुद्धिवैदलाना तथैव च ।

शाकमूलफलाना च धान्यवच्छुद्धिरिष्यते ॥११९॥

कौशेयात्रिकयोरूपैः कुतपानामरिष्टकैः ।

श्रीफलैरंगुपट्टानां चौमाणा गौरसुर्पपैः ॥१२०॥

चमड़ों और चटाइयों की शुद्धि वस्त्रवत् होती है और शाक  
मूल फलों की शुद्धि धान्य के समान चाही गई है ॥११९॥ रेशमी

और ऊनी कपड़ों की (शुद्धि) रहे वा सुनहरी मिट्टी से और नेपाल के कम्बलों की रीठों से तथा शणादि घास के कपड़ों की बेल से और छालटी बस्त्रोंकी श्वेत सरसोंसे शुद्धि होती है ॥१२०॥

क्षामवच्छ्रव शृङ्गाणामस्थिदन्तमयस्य च ।

शुद्धिजिज्ञानता कार्या गोमूत्रेणोदकेन वा ॥१२१॥

शोच्यन्त णकाष्ठं च पलालं चैव शुध्यति ।

मार्जनोपाञ्जनैर्वैश्वं पुनः पाकेन मृण्मयम् ॥१२२॥

शंख, शृङ्ग, हड्डी और दांत के पात्रादि की शुद्धि शास्त्र का जानने वाला पुरुष पानी या गोमूत्र से करे या जैसे छालटी की होती है ॥१२१॥ घास और फूस शोच्य से और घर मार्जन तथा लीपने से और मिट्टी का वर्तन पुनः आग में देने से शुद्ध होता है ॥१२२॥

मद्यैर्मूत्रैः पुरीषैर्वा घृीवनैः पूयशोणितैः ।

संस्पृष्टं नैव शुध्येत पुनः पाकेन मृण्मयम् ॥१२३॥

संमार्जनोपाञ्जनेन सेकेनोल्लेखनेन च ।

गवां च परिवासेन भूमिः शुध्यति पञ्चभिः ॥१२४॥

परन्तु मदिरा, मूत्र मल थूक, राध और रक्त से दूषित हुआ मृत्तिका का पात्र पुनः अग्नि में पकाने से भी शुद्ध नहीं होता ॥१२३॥ मार्जन, लीपने, छिड़कने, छीलने और गौ के बास करने, इन पांचों से भूमि शुद्ध होती है ॥१२४॥

पक्षिजग्धं गवा घ्रातमवधृतमवक्षुतम् ।

दूषितं केशकीटैश्च मृत्प्रक्षेपेण शुध्यति ॥१२५॥



यावन्नापैत्यमेध्याक्ताद्गन्धो लेपश्च तत्कृतः ।

तावन्मृद्वारि चादेर्यं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥१२६॥

पत्नी ने खाया हो और गाय ने सूंघा हो वा पैर से कुचला हो तथा जिस के ऊपर छींक दिया हो और जो कीड़ों तथा केशों से दूषित हुआ हो। वह (स्थान) मृत्तिका डालने से शुद्ध होता है ॥१२५॥ अमेध्य (विष्ठादि) के लेप से समस्त द्रव्यशुद्धियों में जब तक उस का गन्ध और लेप रहे तब तक पानी और मिट्टी से उस को धोवे ॥१२६॥

त्रीःखेदेवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन् ।

अदृष्टमद्भिर्निर्णयित्तं यच्च वाचा प्रशस्यते ॥१२७॥

आपःशुद्धाभूमिगता वैतृष्यं यासु गोर्भवेत् ।

अव्याप्ताश्चेदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः ॥१२८॥

देवतों ने ब्राह्मणों के तीन पदार्थ पवित्र कहे हैं। एक अदृष्ट दूसरा जो पानी से धो लिया हो, तीसरे (ब्राह्मण की) वाणी से जो प्रशंसित हो ॥१२७॥ जिन पानी में गाय की प्यास निवृत्त हो सके अमेध्ययुक्त न हो तथा गन्ध वर्ण रस से ठीक हो ऐसा पानी भूमि में शुद्ध है ॥१२८॥

नित्य शुद्धः कारुहस्तः परये यच्च प्रसारितम् ।

ब्रह्मचारिगतं भैक्ष्यं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः ॥१२९॥

“नित्यमास्यं शुचिः स्त्रीणां शकुनिः फलपातने ।

प्रसवे च शुचिर्वत्सः श्वा मृगग्रहणे शुचिः ॥१३०॥”

कारीगरों का हाथ और दुकान में बेचने का जो रक्खा है,



वह और ब्रह्मचारी की भिक्षा, ये सर्वदा पवित्र हैं। यह शास्त्र की मर्यादा है ॥१२५॥ “स्त्रियो का मुख सर्वदा पवित्र माना जाता है तथा पत्ती फल गिराने में और बज्रड़े का मुख दोहन के समय, कुत्ते का मुख शिकार पकड़ने के समय पवित्र माना जाता है”। (यह कामी स्वार्थी और माम भक्षियों का प्रक्षेप धर्मशास्त्र से विरुद्ध त्याज्य है) ॥१३०॥

“श्वभिर्हृतस्य यन्मांसं शुचि तन्मनुरब्रवीत्।

क्रव्याद्भिश्च हतस्थान्यैश्चण्डालाद्यैश्च दस्युभिः ॥१३१॥”

“कुत्ते से मारे हुवे का जो मांस है वह पवित्र है—ऐसा मनु ने कहा है और दूसरे व्यात्र, चील आदि चण्डाल आदि या दस्युओं के मारे का मांस भी पवित्र है। (यह भी पूर्व श्लोक के समान प्रक्षिप्त है। ‘मनुब्रवीत्’ से भी यही झलकता है”। (१३१ वें के आगे ४ पुस्तको में यह श्लोक अधिक पाया जाता है और इस पर अन्तिम भाष्यकार रामचन्द्र का भाष्य है अन्यां का नर्श :-

[ शुचिरग्निः शुचिर्वायुः प्रवृत्तोहि बहिश्वरः ।

जलं शुचि विविक्तस्थं पन्थाः सञ्चरणे शुचिः ॥ ]

अग्नि शुद्ध है और वायु बाहर बहता हुआ शुद्ध है। एकान्त देश का जल और चलते हुवे मार्ग शुद्ध हैं ) ॥१३१॥

ऊर्ध्वं नाभेर्यानि खानि तानि मेघ्यानि सर्वाशः ।

यान्यधस्तान्यमेघ्यानि देहाच्छैव मज्जाशब्जुनाः ॥१३२॥

नाभिके ऊपर जो इन्द्रियां हैं वे पवित्र और जो नाभि से नीचे हैं वे अपवित्र हैं और वेह से निकले मल अशुद्ध है ॥१३२॥

मक्षिका विप्र पशुनाया गौरश्वः सूर्यश्मयः ।

रजोशूर्वाद्युरग्निश्च स्पर्शं मेघधानि निर्दिशेत् ॥१३३॥

विण्मूत्रोत्सर्गशुष्यर्थं मृद्वार्यादियमर्थवत् ।

दौर्दिकानांमलानां च शुद्धिषु द्वादशस्वपि ॥१३४॥

सक्षिका और उड़ने हुये छोटे २ जलविन्दु और छाया, गाय, घोड़ा, सूर्य की किरण, धूलि, भूमि, पवन और अग्नि, इन सब को स्पर्श में पवित्र समझे ॥१३३॥ मल मूत्र के त्याग और देह के बाहरों मलो की शुद्धि के लिये उतनी मृत्तिका और जल लेंवे जितने से दुर्गन्धादि मिट सके ॥१३४॥

वमाशुक्रममृद्धमज्जामूत्रविड्घ्राणकर्णविट् ।

जलेष्माश्रु दृषिका स्वेदा द्वादशैते नृणां मलाः ॥१३५॥

एका लिङ्गे गुदे तिस्रस्तथैकत्र करं दश ।

उभयोःसप्त दातव्या मदः शुद्धिमभीप्सता ॥१३६॥

चर्षी = यमा, वीर्य, रक्त, मज्जा, मूत्र विष्टा नाक का मैल, कान का मैल, कफ, आंशू, आन्व की कीचड और पसीना, ये मनुष्यों के १२ मल हैं ॥१३५॥ शुद्धि को चाहने वाला मूत्र को जगह एक बार, गुदा में तीन बार, बायें हाथ में दश बार तथा दांनो हाथों में सात बार मिट्टी लगावे ( दो पुस्तकों में 'तथा वाम करे दश' पाठ है ) ॥१३६॥

एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् ।

त्रिगुणंस्याद्धनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम् ॥१३७॥

कृत्वा मूत्रं पुगीपंथा ग्वान्याचान्त उपस्पृशेत् ।

वेदमघ्येऽप्यमाणश्च अन्नमशनश्च सर्वदा ॥१३८॥

यह शुद्धि गृहस्थों की है। ब्रह्मचारियों की इस से दूनी और वानप्रस्थों की, तिगुनी तथा यतियों की चौगुनी है ॥१३७॥ मल मूत्र करने के पश्चात् शुद्ध होकर आचमन करे और चक्षुरादि का जल से स्पर्श करे। वेद पढ़ने के पूर्व समय तथा भोजन के समय सदा आचमन करे ॥१३८॥

त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विःप्रमृज्यात्तनो मुखम् ।

शारीरं, शौचमिच्छन्दि स्त्रीशूद्रस्तु सकृत्सकृत् ॥१३९॥

शूद्राणां मासिकं कार्यं वपनं न्यायवर्तिनाम् ।

वैश्यवच्छौचकल्पश्च द्विजोच्छिष्टं च भोजनम् ॥१४०॥

शरीर के पवित्र करने की इच्छा वाला भोजनोत्तर तीन बार आचमन करे फिर दो बार मुख धोवे और शूद्र तथा स्त्री एक बार ॥१३९॥ न्याय पर चलने वाले शूद्रों का मुखान्धन महीने भर में कराना और सूतकादि में वैश्य के तुल्य शौचविधि तथा द्विजों के भोजन से शेष भोजन है ॥१४०॥

नोच्छिष्टं कुर्वते मुख्या विप्रुपोऽङ्गं पतन्ति याः ।

न श्मश्रूणु गतान्यास्यान् दन्तान्तरंधिष्ठितम् ॥१४१॥

मुख से निकले जो थूक के छीटे शरीर पर गिरते हैं वे और मुख में गई हुई मूँछें और दांत के भीतर रहने वाला अन्न कूँठ नहीं कहाता ॥१४१॥ (इससे आगे एक पुस्तकमें २२श्लोक अधिक हैं-

[अजाश्वं मुखतोमेध्यं गावो मेध्याश्च पृष्टतः ।

ब्राह्मणाः पादतोमेध्याः स्त्रियोमेध्याश्च सर्वतः ॥

गौरमेध्या मुखे प्रोक्ता अजा मेध्या तदः स्मृता ।



गोः पुरीषं च मूत्रं च मेध्यमित्पत्रगीन्मनुः ॥]

बकरी, घोड़े मुखसे पवित्र है। गौ पीठ से पवित्र है। ब्राह्मण पांव से पवित्र हैं और म्रिया मत्र ओर से पवित्र हैं। गौ का मुख अपवित्र है, परन्तु बकरी का मुख पवित्र है और गौ का गोबर और मूत्र पवित्र है। यह मनु ने कहा है ॥

स्पृशन्ति विन्दवः पादौ य आचामगतः परान् ।

भौमिकैस्ते समाज्ञेया न तैग्रयतोभवेत् ॥१४२॥

दूसरे के आचमन को जल देने वाले के पैरों पर जो विन्दु (भूमिसे उछट कर) पड़ते हैं उनको भूमि के जल विन्दु ममान जाने। उनसे अशुद्ध नहीं होता ॥१४२॥

(इससे आगे भी एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक है -

[दन्तवदन्तलग्नेषु जिहास्पर्शेषु चेन्न तु ।

परिच्युतेषु तत्स्थानान्निर्गन्नेव तच्छुचिः॥]

दांतों में घुसा अन्न दांतों के तुल्य शुद्ध है, परन्तु जीभ से न लगता हो और वह अन्न दांतोंसे छूटनेपर निगलनेमें ही शुद्ध है ॥

उच्छिष्टेन तु सम्पृष्टे द्रव्यहस्तः कथञ्चन ।

अनिधायैवतद्द्रव्यमाचान्तः शुचितामियात् ॥१४३॥

वान्तो विग्तः स्नात्वा तु घृतप्राशनमाचरेत् ।

आचामेदेवभुक्त्वात् स्नानंमैथुनिनः स्मृतम् ॥१४४॥

उच्छिष्ट पुरुष से कोई द्रव्य हस्त में लिये हुवे छू गया हो तो उस द्रव्य को अलग किये बिना ही आचमन करके शुद्ध हो जाता है ॥१४३॥ वमन तथा दस्त जिसे हुवा हो वह स्नान करके (थोड़ा)



घृत खात्रे और भोजन करके वसन किया हो तो आचमन करके ही और मैथुन वाला स्नान से शुद्ध होता है ॥१४५॥ वे से आगे ४ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है:-

[अनृतौ तु मृदा शौचं कार्यं मूत्रपुरीषवत् ।

अृतौ तु गर्भशक्त्वात्स्नानं मैथुनिनः स्मृतम् ॥]

अतु से भिन्न काल में मैथुन करने वाले को मिट्टी से शौच करना चाहिये, जैसे मल मूत्र करने से आकर करते हैं, परन्तु अतु में गर्भ की शङ्कायुक्त होने से स्नान करना कहा है ॥१४५॥

सुप्त्वा क्षुत्त्वा च भुक्त्वा च निष्ठीव्योक्त्वा नृतानि च ।

पीत्वापोऽद्येग्यमाणश्च आचामेत्प्रयतेऽपिमन् ॥१४५॥

एषशौचविधिः कृत्स्नो द्रव्यशुद्धिस्तथैव च ।

उक्तो वः सर्ववर्णानां स्त्रीणां धर्मान्निबोधत ॥१४६॥

सोकर झींक कर भोजन करके थूक कर, (भूल से) मूँठ बोल कर और पानी पीकर और पढ़ने के पूर्व समय में शुद्ध हुआ भी आचमन करे ॥१४५॥ यह संपूर्ण शौच विधि और सब कर्मों की द्रव्यशुद्धि तुम से कड़ी । अथ स्त्रियों के धर्म सुनो ॥१४६॥

बालया वायुवत्त्वा वा वृद्धयात्रापि योपिता ।

नस्वातन्त्र्येणकर्तव्यं किञ्चेत्कार्यं गृहेष्वपि ॥१४७॥ -

बाल्ये नितुर्वशे तिष्ठेताण्येग्राहस्य यौवने ।

पुत्राणां भर्तारि प्रते न भजेत्स्त्रीस्वतन्त्रताम् ॥१४८॥

बालक या वृद्ध या युवति स्त्री स्वतन्त्रता से कोई काम घरों में भी न करे ॥१४७॥ बाल्य अवस्थामें पिता के, यौवन में पति के

और पति मरने पर पुत्रों के अधीन रहे। स्त्री कभी रहे (कहीं २ "पितृगृहे पाठ है) ॥१४८॥

पित्रा भर्त्रा सुतत्रापि नेच्छेद्विरहमात्मनः ।

एषां हि विरहेण स्त्री गर्ह्ये कुर्यादुभे कुले ॥१४९॥

सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया ।

सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥१५०॥

पिता भक्तों, पुत्र इन से अलग होना न चाहे क्योंकि इन में अलग होने से स्त्री दानों कुलों को निन्दित करती है ॥१४९॥ सर्वदा प्रसन्न चित्त और घरके कामों में चतुर तथा घर के वर्तन भांडे ठीक करके रखे और व्यय करने में स्त्री सर्वदा हाथ सँकोड़े रहे ॥१५०॥

यस्मै दद्यात्पितात्वेनां भ्राताचानुमतं पितुः ।

तं शुश्रूषेतजीवन्तं संस्थितं च न लंघयेत् ॥१५१॥

मङ्गलार्थं स्वस्त्ययनं यज्ञश्चाज्ञां प्रजापतेः ।

प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम् ॥१५२॥

पिता या पिता को अनुमति ले भाई जिम (स्वयंव्रत पति) को इसे देवे उसकी जीवते की सेवा करे और मरने पर व्यभिचारादि न करे ॥१५१॥ इनका जो स्वस्त्ययन और प्राजापत्य होम विवाहमें किया जाता है वह मङ्गलार्थ है। कन्यादान (पतिके) स्वामी होने का कारण है ॥१५२॥

अनृतावृत्तुवाले च मन्त्रसंस्कारकृत्पतिः ।

सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च योऽपितः ॥१५३॥

वशातः कामवृत्ता वा गुणैर्मा परिवर्जितः ।

उत्तर्प्यः स्त्रिया माध्व्या सततं देववत्पतिः॥१५४॥

मन्त्र संस्कार (विवाह) करने वाला पति ऋतु और अनृतु में सदा सुख दन वाला है उसकी सेवा से यहा और परलोक में भी सुख प्राण होता है ॥१५३॥ पति शीलरहित कामी तथा बिद्यादि गुणो से हीन भी हो तथापि अञ्जनी स्त्री को देववत् आराधन योग्य है ॥

(१५४ के आगे भी ३ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है:-

[दानप्रमृति या तु स्यादावदायुः पतिव्रता ।

भर्तृलोकं न त्यजति यथैवारुन्धती तथा ॥]

जो स्त्री पिता आदि ने जब कन्यादान किया उस समयसे सारी आयु पतिव्रता रहती है वह अरुन्धती (तार) के समान भर्तृलोक नहीं त्यागती ॥१५४॥

नास्त स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषितम् ।

पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गो महीयते ॥१५५॥

स्त्रियोका अलग कोई यज्ञ नहीं, न व्रत न उपवास केवल एक पति की शुश्रूषा से स्वर्ग में पूज्या हो जाती है ॥ (इसके आगे का एक श्लोक ३ पुस्तकों में मिलता है.-

[पत्यौ जीवति या तु स्त्री उपवासं व्रतं चरेत् ।

आशुष्यं प्राधते भर्तृर्नरकं चैव गच्छति ॥]

जो स्त्री पति के जीवते मूखी रहने वाला व्रत करती है, वह पति की आयु को बाधा पहुँचाती और नरकको जाती है ॥१५५॥



पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा ।

पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किञ्चिदप्रियम् ॥१५६॥

पति की इच्छा करने वाली स्त्री जीवित या मृत पति को अप्रिय कोई कर्म न करे ॥१५६॥

कामं तु क्षपयेद्देहं पुष्पमूलफलैः शुभैः ।

न तु नामापि गृह्णीयात् पत्न्यौ प्रतेपरस्वतु ॥१५७॥

आसीतामग्णात्त्वान्ता नियता ब्रह्मचारिणी ।

यो धर्म एकपत्नीना वान्छन्ती नमनुत्तमम् ॥१५८॥

चाहे तो स्त्री पवित्र पुष्प, मूल, फलों में देह को कृश करदे परन्तु पति के मरण पर परपुरुष का (व्यभिचार की इच्छा में) नाम भी न लेवे ॥१५७॥ (चाहे तो) क्षमायुक्त नियमवाली और पवित्र एक पतिधर्म की इच्छा करने वाली और मंथन की इच्छा न करती हुई मरणपर्यन्त रहे ॥१५८॥

अनेकानि महस्त्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम् ।

द्विवं गतानि विप्राणामकन्या कुलमतानम् ॥१५९॥

मतेभर्तारि साध्वा स्त्री ब्रह्मचर्यं व्यवस्थिता ।

स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥१६०॥

कुमार ब्रह्मचारी ब्राह्मणों के कई हजार समुदाय बिना पुत्रोत्पादन किये स्वर्ग को गये ॥१५९॥ इसी प्रकार साध्वी स्त्री पति के मरण पर ब्रह्मचर्य में रहे तो अपुत्रा भी स्वर्ग को जाती हैं जैसे वे ब्रह्मचारी ॥१६०॥

अस्त्यस्त्राभावा तु स्त्री भर्तारनाशनेन ।

सेह निन्दामवाप्नोति पतिलोकाच्च हीयते ॥१६१॥

नान्येत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे ।

न द्वितीयश्च साध्वीनां कश्चिद्भर्तापदिश्यते ॥१६२॥

पुत्र के लाभ से जो स्त्री परपुरुष से सम्यन्ध करती है वह यहां निन्दा को पाती है और पतिलोक से भी वञ्चित रहती है। (मेघनिश्चिनं 'परलोकान्' पाठ माना है) ॥१६१॥ दूसरे पुरुष से (व्यभिचार की) उत्पन्न हुई सन्तान शास्त्र से उस की नहीं है और न दूसरी स्त्री में उत्पन्न करने वाले की है। और न कहीं साध्वी स्त्रियो का दूसरा (विवाहित) पति कहा है ॥१६२॥

पति हित्वापकष्टं स्वमुत्कृष्टं या निषेवते ।

निन्द्यैव सा भवेत्क्षोभं परपूर्वेति चोच्यते ॥१६५॥

व्यभिचागतु भर्तुःस्त्री लोकेप्राप्नोति निन्द्यताम् ।

शृगालयोनि प्राप्नोति पापरोगैश्च पीड्यते ॥१६४॥

जो अपने न्यूनगुण पति को छोड़कर श्रेष्ठ का सेवन करती है वह लोगो में निन्दनीया होती है और उसको दो पति की स्त्री है, ऐसा कहते हैं ॥१६३॥ परपुरुष के भोग से स्त्री लोगो में निन्दा और मरने पर म्यार की योनि का प्राप्त होती है और कुष्ठादि पापरोगो से पीडित होती है ॥१६४॥

पति यान्नाभ्रचरति मनो वाग्देहसंयता ।

सामर्तुलोकमप्योति सद्भिः साध्वीतिचोच्यते ॥१६५॥

अनेन नारीवृत्तेन मनोवाग्देह संयता ।

इहाग्रयां कीर्तिमाप्नोति पतिभोक्तं परत्र च ॥१६६॥

मन वाणी देह से जो पतिको देख नहीं देती वह पति लोक को प्राप्त होती है और अच्छे पुरुष उसको साध्वी कहते हैं ॥१६५॥ इस धर्म से मन वाणी और देह का संयम करने वाली स्त्री यहां श्रेष्ठ कीर्ति श्रोः पला रु में पतिजोरुको प्राप्त होती है ॥१६६॥

एवं वृत्तां सवर्णास्त्रीं द्विजातिः पूर्वमारिणाम् ।

दाहयेद्ग्न्यहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मविन् ॥१६७॥

भार्यायै पूर्वमारिण्यै दत्त्वाग्नीनन्त्यकर्मणि ।

पुनर्दारक्रियां कुर्यात्पुनराधानमेव च ॥१६८॥

ऐसी सवर्णा स्त्री (पति सं) पूर्व मर जावे तो धर्मज्ञ द्विज उसे स्मार्त्ताग्नि और यज्ञपात्रों के सहित दाह देवे ॥१६७॥ पूर्व मरी स्त्री को अन्त्याष्ट्र में अग्नि देकर गृहस्थाश्रम के निमित्त पुनः विवाह करे तो फिर अग्निहोत्र लेवे ॥१६८॥

अनेन विधिना नित्यं पंचयज्ञान् हापयेत् ।

द्वितीयमायुषोभागं कृतदारो गृहे वसेन् ॥१६९॥

इस विधि से विवाह करने वाला पुरुष आयु का दूसरा भाग गृहस्थाश्रम में व्यतीत करे और पञ्चमज्ञयज्ञों का त्याग न करे ॥

(यद्यपि पुरुषों के साथ ही स्त्रियों का भी समान्य धर्म कहा गया समझना चाहिये, परन्तु १४७ से अध्याय समाप्ति तक स्त्री का जो विशुद्ध धर्म है उस का वर्णन है । इसमें १४७ । १४८ वे श्लोकों का तात्पर्य नवमाध्याय में भी आवेगा इसलिये पुनरुक्त से हैं । १५४ वें में पुरुष का अनुचित पन्नपात (हिमायत) है । १५७ से १६१ तक स्त्रीको विधवा होने पर ब्रह्मचर्य से रहने की उत्तमता का वर्णन है । नियोगादि करना उससे घटिया पक्ष है । १६३ । १६४ में भी परपुरुष सङ्ग की निन्दा है वह व्यभिचार की निन्दा है ।

जिसमें पापरोग उपदंशादि प्रत्यक्ष होते देखे जाते हैं। १६२ में अन्यसे उत्पन्न सन्तान को सन्तान न मानना व्यभिचार की सन्तान के विषयमें है। नियमपूर्वक विधिवन् नियुक्तोकी सन्तति तो संतति ही है। १६८ में स्त्री मरने पर पुनर्विवाह का विधान आवश्यक नहीं है किन्तु उसका भाव यह है कि यदि पुरुष अक्षत धीर्य होने से पुनर्विवाह का अधिकारी हो और विवाह करना चाहे तो कर सकता है, परन्तु फिरसे अग्निहोत्र लेना होगा। इसमें ऊपर लिखे अनुसार दो श्लोक इस प्रकरण में ऐसे भी हैं जो सब पुस्तकों में नहीं पाये जाते और यह भी संशय है कि पुनरुक्तादि उक्त दोषों वाले श्लोक भी म्त्रियों की अत्यन्त परतन्त्रता के पक्षपाती लोगों ने कदाचित् बढ़ायें हो क्योंकि १५९। १६० श्लोकों में तो बहुत ही नवीनता झलकती है) ॥१६५॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे ( भृगुप्रोक्तायां संहितायां )

पंचमोऽध्यायः ॥४॥

इति श्री तुलसीरामम्बामिधिरचिते मनुस्मृतिभाषानुवादे


पंचमोऽध्यायः ॥४॥





ओ३म्

## अथ षष्ठोऽध्यायः



एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः ।

वने वसेत् नियो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥१॥

स्नातक द्विज ऐसे यथाविधि गृहस्थाश्रम मे रह कर नियम पूर्वक जितेन्द्रियता से वन मे निवास करे ॥ ( एक पुस्तक और रामचन्द्र की टीका में इस से आगे यह श्लोक अधिक है -

[अतः परं प्रवक्ष्यामि धर्मं वैखानसाश्रमम् ।

वन्यमूलफलानां च विधिं ग्रहणमोक्षणम् ॥]

इस से आगे वानप्रस्थाश्रमी का धर्म और वन के मूल तथा फलों के लेने और त्यागने का विधान कहूंगा) ॥१॥

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्मनः ।

अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥२॥

गृहस्थ जब अपने देह की त्वचा को ढीली, शिर के बाल श्वेत और सन्तान के भी सन्तान को देखले तब वनका आश्रय करे ॥२॥

संत्य ज्यग्राम्यमाहारं सर्वं चैवपरिच्छदम् ।

पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥३॥

अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं ाग्नि परिच्छदम् ।

ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥४॥

ग्राम का भोजन (दाल चावल पक्वान्नादि) और गा०, घोड़ा शय्या इत्यादि को त्याग स्त्री को पुत्रों के पास छोड़ या साथ लेकर ही वन को गमन करे ॥३॥ अग्निहोत्र और उस के पात्र स्रुव इत्यादि का ग्रहण कर ग्रामसे निकल कर इन्द्रियों को स्वाधीन करता हुआ वन में निवास करे ॥४॥

मुन्यन्नैर्विविधैर्मेध्यैः शाकमूलफलेन वा ।

एतानेव महायज्ञान् निर्गपेद्विधिपूर्वकम् ॥५॥

वर्त्सीत चर्म चीरं वा सायं स्नायात् प्रगे तथा ।

जटाश्च विभृयान्नित्यं श्मश्रुत्सोमनखानि च ॥६॥

नाना प्रकार के मुनियों के पवित्र अन्न वा शाक मूल फलों से ही ये महायज्ञ करे ॥५॥ मृगों का चर्म या वृत्तों के बल्कलो को पहिने । प्रातः सायं दोनों समय स्नान करे । जटा और श्मश्रु तथा नख और रोम सर्वदा धारण करे ॥६॥

यद्ब्रुज्यंस्यात्ततोदद्याद् बलिभिक्षां च शक्तितः ।

अम्मूलफलभिक्षाभिरर्चयेदाश्रमागतान् । ७॥

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तोमैत्रः समाहितः ।

दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥८॥

(अपने) भोजन में से यथाशक्ति बलि और भिक्षा देवे और आश्रम में आये हुओं का जल मूल और फल की भिक्षा से सत्कार करे ॥७॥ प्रति दिन वेदाध्ययन करे इन्द्रियों का दमन और सबका उपकार करने वाला तथा मन को स्वाधीन रखने वाला हो और नित्य देता रहे लेवे नहीं । सम्पूर्ण जीवों पर दया करनेवाला हो ॥८॥

वैतानिकं च जुहुयादग्निहोत्रं यथाविधि ।  
दर्शमस्कन्दयन्पर्णं पौर्णमासं च योगतः ॥६॥  
ऋक्षेष्टचाग्रायणं चैव चातुर्मास्यानि चाहरेन् ।

उत्तरायणं च क्रमणो दक्षन्यायनमेव च ॥१०॥

(गार्हपत्य कुण्ड में के अग्नि को आहवनीय दक्षिणाग्नि में मिलाने का नाम वितान है) उमसे वैतानिक अग्निहोत्र यथाविधि करे और समय पर दर्श पौर्णमास इष्टियों को न दृष्टने दे ॥७॥ नक्षत्रेष्टि और आध्यायणष्टि तथा चातुर्मास्य और उत्तरायण दक्षिणायन में भी विहित (श्रौतकर्म) करे (मंधातिथि ने-दर्शेष्ट्याप्रहरणम् पाठ माना है । तथा दो पुस्तकोंमें "दक्षिणायनमेव च" और ७ पुस्तकों में "दक्षन्यायनमेव च" । पाठ हैं) ॥१०॥

वांसन्तशारदमैर्धर्मन्यन्तैः स्वयमाहृतः ।

पुरोडाशाश्चरुश्चैव विधिवन्निर्वापेत्पृथक् ॥११॥

देवताभ्यस्तु तद्धुत्वा वन्धं मेध्यतरं हविः ।

शेषमात्मनि गुञ्जीत लवणं च स्वयंकृतम् ॥१२॥

अपने हाथ से लाये हुवे घसन्त और शरद में उत्पन्न हुए पवित्र मुनियों के अन्नो से पुरोडाश और चरु बना कर विधिवन होम करे ॥११॥ वन का उत्पन्न हुआ अति पवित्र हवि होम करने से शेष अपना बनाया अन्न लवण मिलाकर भोजन करे ॥१२॥

स्थलजादकशाकानि पुष्पमूलफलानि च ।

मेघ्यवृक्षोद्भवान्यघात्स्नेहांश्च फलसंभवान् ॥१३॥

वर्जयेन्मधुमांसं च भौमानि कवकानि च ।

भृष्टृणांशिग्रुकं चैव श्लेष्मातकफलानि च ॥१४॥

भूमि वा जल मे उत्पन्न हुवे शाकों और पवित्र वृक्षां के पुष्प  
मूल फलों तथा फलों मे उत्पन्न फलों=लो का भोजन करे ॥१३॥  
मद्य, मांस और भूमि के कुकुरमुत्तो और मूतृण (मालवामे प्रसिद्ध  
है) तथा महोजना और श्लष्मातक फल=लिसौड़ोंको न खावे ॥१४॥

त्यजंद्दशयुजे मासि मुन्यन्नं पूर्वसंचितम्

जीर्णानि चैव वापि गोकमूलफलानि च ॥१५॥

न फालकृष्टमशनीयादुत्पृष्टमपि वेनचित् ।

न ग्रामजानान्याताऽपि मूलानि च फलानि च ॥१६॥

आश्विन के महीने मे संचय किया हुआ पहला मुन्यन्न और  
पुराने कपडे तथा वासी शाक मूल फल त्याग देवे ॥१५॥ खेतों के  
धान्यादि का चाहे किसी ने छेड़ भी दिये हों न भोजन करे और  
ग्राम मे होने वाले मूल और फल पीडित हुआ भी न खावे ॥१६॥

अग्निपवनाशनो वा स्यात्कालपक्वभुगेव वा ।

अश्मकुट्टो भवेद्वापि दन्तोलूखलिकोऽपि वा ॥१७॥

सद्यः प्रजालको वा स्यान्माससंचयिकोऽपि वा ।

परमार्सानचरो वा स्यात्प्रमानेच एव वा ॥१८॥

अग्नि का पकाया समय से पके हुये फल ही या पत्थरों से कूटा  
हुवा या दांतों से चबाया हुआ खावे ॥१७॥ एक बार के भोजनमात्र  
का संचय करने वाला वा महीने भर का वा छः महीने का वा वर्ष  
दिन के निर्वाह योग्य का संचय करने वाला हो ॥१८॥

नक्तं चान्नं समशनीयादिवावा हृत्य शक्तितः ।

चतुर्थकालिको वा स्यात्स्वाद्याप्यष्टमकालिकः ॥१९॥

चान्द्रायणविधानैर्वा शुक्लकृष्णे च वर्तयेत् ।

पक्षान्तयोर्वाप्यशनीयाद्यवागूँ क्वथितां सकृन् ॥२०॥

अपने सामर्थ्य के अनुसार रात्रि वा दिन में अन्न लाकर एक बार खावे वा एक दिन उपवास करके दूसरे दिन सायंकाल को भोजन करे वा तीन दिन रात्रि उपवास करके चौथे दिन रात्रि का भोजन करे ॥१५॥ वा चान्द्रायण के विधान से शुक्ल कृष्ण पक्ष में ग्रास घटावे बढ़ावे वा पूर्णमासी अमावस्या में पकी यवागू (लपसी) का एक बार भोजन करे ।

(२० वें से आगे एक पुस्तकमें यह श्लोक अधिक मिलता है —

यतः पत्रं समादद्यान्न ततः पुष्पमाहरेत् ।

यतः पुष्पं समादद्यान्न ततः फलमाहरेत् ॥)

जिस (वृक्ष) से पत्ते ले उससे फूल न ले जिससे फूल ले उससे फल न ले) ॥२०॥

प्रणभूजफलैर्वापि केवलैर्वातयेत्मदा ।

कालपक्वैः स्वयं जीर्णैर्वस्नानसमते स्थितः ॥२१॥

भूमि विपरिवर्तत तिष्ठेद्वा प्रपदैर्दिनम् ।

स्थानासनाभ्यां विहरंत्सवनेपूपयन्नपः ॥२२॥

अथवा पुष्प, मूल, फल जो काल पाकर पके और आप ही गिरे उन से वानप्रस्थाश्रम में रहने वाला निर्वाह करे ॥२१॥ भूमि में बैठा करे वा दिन भर खड़ा रहे । स्थान और आसन पर घूम सायं प्रातः, मध्याह्न में त्रिकाल स्नान करे ॥२२॥

ग्रीष्मे पञ्चतपास्तु स्याद्वर्षास्वभावकाशिकः ।

आर्द्रवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वर्धयंस्तपः ॥२३॥

उपस्पृशंस्त्रिपवणं पितृन् देवांश्च तर्पयेत् ।  
तपश्चरंश्चोग्रतरं शोपयेद्देहमात्मनः ॥२४॥

ग्रीष्म में पञ्चाग्निसाधन करे (चारों ओर अग्नि रक्खे, ऊपर से सूर्य) और वर्षाकाल में बादल का आश्रय करे और हेमन्त में भीगे कपडों से रहे । इस प्रकार क्रम से (सहिष्णुता) तपको बढ़ावे ॥२३॥ त्रिकाल स्नान करके देवों और पितरों का तर्पण करे और उपतर नर करके अपने शरीर को सुखावे ॥२४॥

अग्नीनात्मनि वैतानान्ममारोप्य यथाविधि ।  
अनग्निरनिकेतः स्यान्मुनिमूलफलाशनः ॥२५॥  
अप्रयत्नः सुखार्थं ब्रह्मचारी धराशयः ।  
शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः ॥२६॥

अग्नियों के (वैखानस शास्त्र के) विधान से आत्मा में समा-रोपित करके मुनिव्रत वाला फल मूल का भोजन किया करे । अग्नि और निकेत=स्थान भी न रक्खे ॥२५॥ सुख के लिये प्रयत्न न करे और स्त्री संभोग रहित भूमि पर सोने वाला और निवासस्थानोंमें ममत्वरहित वृक्ष के नीचे वास करे ॥२६॥

तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भैक्षप्राहरेत् ।  
गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥२७॥  
ग्रामादाहृत्य वाशनीयादष्टौ ग्रासान वने दसन् ।  
प्रतिगृह्य पुटेनैव पाणिना शकलेन वा ॥२८॥

वानप्रस्थाश्रम वाले विप्रों से प्राण बचाने भर ही भिक्षा लेलेवे उसके अभाव में अन्य वनवासी गृहस्थ द्विजोंसे लेलेवे ॥२७॥ ग्राम

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

से लाकर वनवासी अन्न के आठ मास पत्ते वा सकोरे पर रखकर भोजन करे ॥२८॥

एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन् ।

विविधाद्यौपनिषद्दीगत्मसंसिद्धये श्रुतिः ॥२९॥

ऋषिभिर्ब्राह्मणैश्चैव गृहस्थैरेव सेविताः ।

विशातपोविवृद्ध्यर्थं शरीरस्य च शुद्धये ॥३०॥

इन दीक्षाओं और अन्यो (जो वानप्रस्थाश्रम में कर्हा है) का वन में रहता हुआ विप्र सेवन करे और विविध उपनिषदों में आई श्रुतियों का आत्मज्ञानार्थ (अभ्यास करे) ॥२९॥ जोकि ऋषि ब्राह्मण गृहस्थों ने ही विद्या और तप की वृद्धि तथा शरीर की शुद्धि के लिये सेवन की हैं ॥३०॥

अपगजिना वास्थाय ब्रजेद्दिशमजिह्वगः ।

आनिपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिलाशनः ॥३१॥

आसा मर्दपिचर्याणां त्यक्त्वाऽन्यतमया तनुम् ।

वीतशोकभयो विप्रो ब्रह्मलोके महीयते ॥३२॥

अथवा शरीर के छुटने तक जल वायु भक्षण करता हुआ जिसका पराजय नहो ऐसी दिशाको जितेन्द्रिय और कुटिल गतिसे रहित होकर गमनकरे ॥३१॥ इन मर्दपियों के अनुष्ठानों में से कोई सा अनुष्ठान करके विप्र शरीर को छोड़ शोक भय से रहित हो, ब्रह्मलोक (मोक्ष) में महिमा को प्राप्त होता है। (यहां तक वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन है। इसमें १९ वे से ३२ वें तक जो शरीर का वर्णन है, यह आवश्यक विधान नहीं किन्तु सहनशीलतादि तप की वृद्धि के लिये कथन है। जो ऐसा कर सके वा करना चाहे, करे) ॥३२॥

वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः ।  
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान्परिव्रजेत् ॥३३॥  
आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः ।  
भिक्षावलिपरिश्रान्तः प्रव्रजन् प्रेत्य वर्धने ॥३४॥

ऐसे आयु के तीसरे भाग को वन में व्यतीत कर, चतुर्थ भाग में ( विपयादि का ) सङ्ग छोड़ कर संन्यास आश्रम का धारण करे ( आयु के चार भाग, चार आश्रमों पर है ) ॥३३॥ आश्रम से आश्रम में गमन करके (अर्थान् व्रतचर्य से गृहस्थ, उससे वान-प्रस्थ, उस से ) हवन करके भिक्षा और वलि से थका हुआ जितेन्द्रिय "संन्यास आश्रम" करने वाला मन पर बढ़ता-मात्र प्राप्त करता है ॥३४॥

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत् ।  
अनराकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यथः ॥३५॥  
अधीत्य विधिवद्देवान्पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः ।  
इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनोमोक्षे निवेशयेत् ॥३६॥

तीन ऋतुओं को चुका कर मन को मोक्ष में लगाये । बिना ऋण के चुकाये मोक्ष का सेवन ( चतुर्थ आश्रम का धारण ) करने वाला नीचे गिरता है ॥३५॥ विधिपूर्वक वेदों को पढ़ कर विवाहादि धर्म से पुत्रों को उत्पन्न कर यथाशक्ति ज्योतिष्टोमादि यज्ञ करके ( ऋषि-ऋण, पितृ-ऋण और देव-ऋण से निवृत्त हुआ ) मोक्ष में मन लगावे ॥३६॥

अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान् ।





अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छन्त्रजत्यधः ॥३७॥

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदमदक्षिणाम् ।

आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्रह्मणः प्रव्रजेद्गृहात् ॥३८॥

वेदाभ्ययन निये विना और पुत्रों को उन्नत किये विना और यथाविधि यज्ञों को न करके मोक्ष की इच्छा करता हुआ नीचे गिरता है ॥३७॥ सर्व्व वेदक्षिणा की प्राजापति देवता के उद्देश वाली इष्टि करके आत्मा में अग्निरो का समारोपण करके ब्राह्मण वानप्रस्थाश्रम से संन्यास को धारण करे ॥३८॥

यो दत्त्वा सर्गभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात् ।

तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥३९॥

यन्नादृशयिभूतानां द्विजात्तोत्स्यं भयम् ।

तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥४०॥

जो मय प्राणियों को अभय देकर गृह में चतुर्थ आश्रम को जाता है, उस ब्रह्मजानी को तेजोमय लोक (मोक्ष प्राप्त) होते है ॥३९॥ जिस द्विज से प्राणियों को थोड़ा भी भय उत्पन्न नहीं होता, देह छूटने पर उस को किसी से भय नहीं है ( वह भी अभय हो जाता है) ॥४०॥

आगारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचिता मुनिः ।

समुपोदेषु कामेषु निरक्षेपः परिव्रजेत् ॥४१॥

एकएव चरेन्नित्यं सिध्यर्थमसहायवान् ।

सिद्धिमेकस्य संपश्यन्न जहाति न हीयते ॥४२॥

घर से निकला हुआ पवित्र दरिद्रकमण्डलयुक्त अच्छे प्रकार

मिलते हुवे कामो मे भी अपेक्षा रहित मुनि संन्यास धारण करे ॥४१॥ पकाकी को मांसप्राप्ति होती है। ऐसा जानता हुआ सदा सहायक रहित अकेला ही रहे ( तब) वह न छोड़ता है न छूटता है ( एकरस हो जाता है ) ॥४२॥

अग्निरनिकेतः स्याद् ग्राममन्त्रार्थमाश्रयेत् ।

उपेक्षक्रेऽशंकुसुको मुनिर्भावसमाहितः ॥४३॥

कपालं वृक्षमूलानि कुचैःशमऽसहायता ।

समता चैव सर्वास्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणम् ॥४४॥

अग्नि तथा घरसे रहित, भिक्षा के लिये ग्राम का आश्रय करे और दु ख हो तो चिन्ता न करे तथा स्थिरचित्त और मुनि धर्म से युक्त रहे ॥४३॥ ( भोजनार्थ ) खपरा ( स्थानार्थ ) वृक्ष के नीचे की भूमि, मांट वस्त्रों की गुदड़ी किसीसे सहायता न चाहना और सब में समानबुद्धि, यह मुक्त का लक्षण है ॥४४॥

नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम् ।

कालमेव प्रतीचेत निर्देगं भृतको यथा ॥४५॥

न जीवन मे सुख माने न मरने मे दु ख माने, किन्तु (मृत्युके) समय की प्रतीक्षा करे। जैसे नौकर आज्ञा की (प्रतीक्षा करता है। "बहुत अच्छा" कह कर प्राण त्याग दे।) नीचे लिखे ३ श्लोकोंमें से एक पुस्तक मे पहले दो और एक पुस्तक मे पहला एक और ८ पुस्तकों में तीनों श्लोक अधिक पाये जाते हैं और एक पर राघवानन्द की तथा तीनों पर रामचन्द्र की टीका भी है:—

[अं ष्यान्हैमन्तिकान्मासानऽष्टौ भिक्षुर्विचक्रमेत् ।

दयार्थं सर्वभूतानां वर्षास्वेकत्र संवसेत् ॥१॥



नाऽमूर्यं हि ब्रजेन्मार्गं नाऽदृष्टां भूमिमाक्रुपेत् ।  
 परिभृताभिरङ्घ्रिस्तु कार्यं कुर्वीत नित्यशः ॥२॥  
 सत्यां वाचमहिंसां च वदेद्दत्तपक्राङ्गीम् ।  
 कल्पापेतामऽपरुषामऽनृशंसामपैशुनाम् ॥३॥

धर्मों और जाड़े के ८ मास में मन्वासी देशाटन करे और  
 नव जीव जन्तुओं पर दया के लिये वर्षा के ४ मास तक एक  
 स्थान में निवास करे ॥१॥ रात्रि में जब सूर्य न हो, तब मार्ग  
 न चले । भूमि को बिना देखे न चले । अधिक जल से नित्य कार्य  
 करे ॥२॥ सत्य हिंसा रहित दृमरे की हानि न करने वाली और  
 कठोरता, क्रोध, निन्दा और चुगलीसे रहित वाणी बोले ॥३॥

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।  
 सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समावसेत् ॥४॥

दृष्टि में शोधित ( मार्ग में ) पैर रखने ( देखकर चले ) और  
 वस्त्र से ( छान कर ) पवित्र हुआ जल पीने और सत्य में पवित्र  
 वाणी को बोले और मन से पवित्र आचरण को करे ॥४॥

अतिवादांस्तितिक्षेत् नावमन्येत कञ्चन ।  
 न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् ॥५॥

क्रुध्यन्तं न प्रतिक्रुध्येदाक्रुष्टः कुशलं वदेत् ।  
 सप्तद्वाराऽवकीर्णां च न वाचमऽनृतां वदेत् ॥६॥

दूसरों के बुरे कहने का सहन करे किसी का अपमान न करे  
 और इस देह का आश्रय कर किसी के साथ वैर न करे ॥५॥  
 क्रोध करते पर बदले में क्रोध न करे और निन्दा करने वाले में

आय अन्धा बोले और पञ्चेन्द्रिय, मन, बुद्धि इन ७ ( अथवा १ मुख का, २ नाक के, २ कानों के, २ आंख के इन ७ ) छिद्रों में विद्यतीहुई असत्य वाणी न बोले (किन्तु शास्त्रीयवचन बोले) ४८

अध्यात्मरतिरासीनेऽ निरपेक्षो निरामियः \* ।

आत्मनैः सहायेन मुखार्थी विचरेदिह ॥४९॥

न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्ग विद्यया ।

नानशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कहिंचित् ॥५०॥

ब्रह्मध्यान में रहने और किसी की अपेक्षा न रखने वाला और विषयों के अभिलाष सं रहित तथा अपनी ही सहायता से सुख चाहने वाला होकर इस संसार में विचरे ॥४९॥ ( भविष्यत् ) उत्पात ( भूकम्पादि ) बताने वा ग्रहों की विद्या वा उपदेश वा शास्त्रों के बदले भिक्षा की इच्छा न करे ॥५०॥

न तापमैर्ब्राह्मणैर्वा वयोभिरपि वा श्वभिः ।

आकीर्णं भिक्षुकैर्वान्यै रागारमुपसं व्रजेत् ॥५१॥

क्लृप्तकेशानखश्मश्रुः पात्रीदण्डी कुसुम्भवान् ।

विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥५२॥

वानप्रस्थों वा अन्य ब्राह्मणों तथा पक्षियों वा कुत्तों वा अन्य मांगने वालों से धिरे मकान में भिक्षा को न जाय ॥५१॥ नख केश, श्मश्रु जिस के मुँडे हों पात्र, दण्ड, कमण्डलु और रंगे कपड़ों से युक्त, किसी को पीड़ा न देता हुवा सदा नियम से विचरे ॥५२॥

\*यहां सब टीकाकारों ने 'आमिय' का अर्थ 'विषय' ही किया है।



अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युर्निर्दृशानि च ।  
तेषामद्भिः स्मृतं शौचं, चमसानामिवाध्वरे ॥५३॥

अलावुन्दारुपात्रं च सूरमयं वैदलं तथा ।

एतानि यतिपात्राणि मनु. स्वायंभुवो ब्रवीत् ॥५४॥”

“उस के पात्र तैजस अर्थात् सोना चांदी, पीतल आदि शतुओं के न हों और छिद्ररहित हों। पानी से उन की पवित्रता कही है। जैसे यज्ञ में चमसों की, ॥५३॥ तूँबी, लकड़ी मिट्टी वा बांस के बने हुवे, ये यतियों के भिक्षापात्र हैं। ऐसा “स्वायम्भुव मनु ने कहा है” ( इसी से स्पष्ट है कि अन्यकृत हैं ) ॥५४॥”

एककालं चरेद्भक्षं न प्रसज्जे तविस्तरे ।

भैक्षे प्रसक्तोऽहं यतिर्विषयेष्वपि सज्जति ॥५५॥

विधूमे सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्जने ।

वृत्तान्तरवसंपाने भिक्षा नित्य यातश्चरत् ॥५६॥

एक बार भिक्षा करे, बहुत भिक्षा में आसक्त न हो. क्यों कि बहुत भिक्षा में फंसा संन्यासी अन्य विषयों में भी आसक्त हो जाता है ॥५५॥ रसोई का धुआं निकल चुका हो, कूटना आदि बन्द हो गया हो आ। नु जा दी गई हो सन भाजन कर चुके हो और रसोई के वर्तत डाल दिये हों, तत्र ( ऐसे गृह में ) सत्र संन्यासी भिक्षा करे ॥५६॥

अलाभे न विपादी स्याल्लाभे चैव न हर्षयेत् ।

प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासंगाद्विनिर्गतः ॥५७॥

अभिपूजितलाभांस्तु जुगुप्सेतैव मर्षशः ।

अ भपूजितलाभेथ यतिर्मुक्तोऽपि बध्यते ॥५८॥

( भिक्षा ) न मिले तो खेद न करे और मिले तो आनन्द न माने । जीवन मात्र का उपाय करे । मात्रासङ्ग ( शब्द रूप रस गन्ध स्पर्श ) विषयो में पृथक् रहे ॥५७॥ यति पूजापूर्वक ( स्वादिष्ट भिक्षा ) लाभ की निन्दा करे ( अर्थात् ऐसी भिक्षा प्रसन्न न करे ) ऋयो कि ऐसो भिक्षा के लाभों से मुक्त भी यति ( देने वाले के स्नेह ममत्वादि से ) बन्धन का प्राप्त हो जाता है ॥५८॥

अल्पाक्षाभ्यवहारेण रहः स्थानामनेन च ।

द्वियमाणानि विषयैरिन्द्रियाणि निवर्तयेत् ॥५९॥

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेष क्षयेण च ।

अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥६०॥

थोडे भोजन, निर्जन देश और एकाग्र स्थान में रहने से विषयो से खिंची हुई इन्द्रियो को रोके ॥५९॥ इन्द्रियो को रोकने, राग द्वेष के नाश तथा प्राणियो की हिंसा न करने से मोक्ष के योग्य होता है ॥६०॥

अवेक्षेन गतीर्णां कर्मदोषसमुद्भवाः ।

निरये चैव पतनं यातनाश्च यमद्वये ॥६१॥

विप्रयोगं प्रियैश्चैव संयोगं च तथाऽप्रियैः ।

जरया चाभिभवनं व्याधिभिश्चोपपीडनम् ॥६२॥

मनुष्यो के कर्म दोषों से उत्पन्न दशाओं और नरक में गिरने और मृत्यु के पञ्चानाना प्रकार की शिक्षाओं का चिन्तन करे ॥६१॥ और पतन के वियोग तथा शत्रुओं के संयोग, वृद्धावस्था से दवाये जाने तथा उम्रियों से पीड़ित होने पर भी ( ध्यान करे ) ॥६२॥

देहादुत्क्रमणं चास्मात्पुनर्गर्भे च सम्भवम् ।

योनिकोटिसहस्रेषु सूतीश्चास्यान्तरात्मनः ॥६३॥

अधर्मप्रभवं चैव दुःखयोगं शरीरिणाम् ।

धर्मार्थप्रभवं चैव सुखसंयोगमक्षयम् ॥६४॥

इस देह से निकलना फिर गर्भ में उत्पत्ति और कोटि सहस्रों योनियों में इस जीवान्मा का जाना ॥६३॥ देह धारियों को अवन से दुःख के योग और धर्म अर्थ से उत्पन्न अक्षय सुख के योग का भी ( चिन्तन करे ) ॥६४॥

सूक्ष्मतां चान्वेक्षेत योगेन परमात्मनः ।

देहेषु च समुत्पत्तिमुत्तमेष्वधमेषु च ॥६५॥

द्रूपितोऽपि, चरेद्धर्मं यत्र तत्राश्रमे रतः ।

समः सत्रेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम् ॥६६॥

योग से परमात्मा की सूक्ष्मता का ध्यान करे । उत्तम और अधम योनियों में जीवों के शुभाशुभ फल भाग के लिये उत्पत्ति का भी ( चिन्तन करे ) ॥६५॥ देव लगाने पर भी सम्पूर्ण जीवों में समदृष्टि करता हुआ चाहे किमी, आश्रम में रहे पर धर्मके आचरण करे क्यों कि ( दण्डादि ) चिन्ह धर्म का कारण नहीं हैं । ( एक पुस्तक में द्रूपितः=गृहस्थः और चार पुस्तकों में भूपित पाठ भेद है ) ॥६६॥

फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम् ।

न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥६७॥

संरक्षणार्थं जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा ।

शारस् त्रये चैव समीक्ष्य वसुधां चरेत् ॥६८॥

(जैसा कि) निर्मली का फल यद्यपि पानी शुद्ध करने वाला है तथापि निर्मली के नाम लेने से ही पानी शुद्ध नहीं होता ॥६७॥ (पिपीलीकादि सूक्ष्म) जन्तुओं की रक्षा के लिये रात्रि में वा दिन में शरीर को क्लेश होने पर भी भूमि को देखकर चले ॥६८॥

अह्ना रात्र्याश्च याञ्जन्तून्हनस्त्यऽज्ञानतो यतिः ।

तेषा रनात्वा दिशुर्ध्वं प्राणायामान्पडाचरेत् ॥६९॥

प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः ।

व्याहृति प्रणवैयुक्ता विज्ञेय परमं तपः ॥७०॥

यति से जो जीव बिना जाने दिन या रात्रि में मर जाते हैं, उस पाप से दूर होने को स्नान करके छः प्राणायाम करे ॥६९॥ (भू, भुवः स्वः) इन व्याहृति और प्रणव (ओ३म्) युक्त विधि से किये हुवे ३ भी प्राणायाम ब्राह्मण का परम तप जानिये ॥७०॥

दहन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः ।

तथेन्द्रियाणां दहन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥७१॥

प्राणायामैर्दोषान्धारणाभिश्च क्विन्विपम् ।

प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान् ॥७२॥

जैसे (सुवर्णादि) धातुओं के मूल अग्नि में धोकने से फुंकते हैं वैसे ही प्राण के रोकने से इन्द्रियों के दोष जल जाते हैं ॥७१॥ प्राणायामों से रोगादि दोषों को धारणाओं से पाप को इन्द्रियों के रोकने से विषयों के संसर्गों को और ध्यानादि सं मोहादि गुणों को जलावे ॥७२॥



उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः ।  
ध्यानयोगेन मंपश्येद् गतिमस्यान्तरात्मनः ॥७३॥  
सम्यग्दर्शनमंपन्नः कर्मभिर्न निबद्धतः ।  
दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥७४॥

इस जीव की उत्तम, अधम योनियों में प्राप्ति का, जो अकृतात्म पुरुषों से नहीं जानी जाती ध्यान योगमे देखे (जाने) ॥७३॥ (ब्रह्म का) साक्षात् करने वाला कर्मों से नहीं बंधता और साक्षात्कार से रहित संसार को प्राप्त होता है ॥७४॥

अहिसयेन्द्रियासङ्गं वैदिकेश्चैव कर्मभिः ।  
तपसश्चरणैश्चोग्रैः साधयन्तीह तत्पदम् ॥७५॥  
अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसरोषितज्ञेयनम् ।  
चर्माचनद्धं दुर्गन्धिपूर्णं मूत्रपुरीषयोः ॥७६॥

हिंसा न करने इन्द्रियों को विषयों में न फंमाने और वैदिक कर्मों और उग्रतप के आचरणों से इस लोक में उस पद को सिद्ध करते हैं ॥७५॥ इड़ी को स्तूणा (स्तम्भ) युक्त, स्नायुरूप जेवड़ी से बांधे, मांस रक्त से लिथड़े, चाम से मंढे हुये, दुर्गन्धित और मलमूत्र से पूर्ण ॥७६॥

जराशो रुममात्रिष्टं रोगायतनमातुरम् ।  
रजस्वल्मनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत् ॥७७॥  
नदीकूलं यथा वृक्षो वृक्षां वा शकुनिर्यथा ।  
तथा त्यजन्निमं देहं कृच्छ्राद् ग्राहाद्विमुच्यते ॥७८॥

जरा (बुढ़ापे) और शोक से घिरे हुवे रोगके घर. श्लुधा प्यास



से पीडित. रजम्बल (मलीन) अनित्य तथा पञ्चभूतो के गृह  
 "शरीर को छोड़ देवे (अर्थान् ऐसा करे कि फिर शरीर न हो)  
 ॥७७॥ जैसे नदी के किनारेको वृक्ष छोड़ देता है ऐसे संन्यासी इस  
 देहको छोड़ता हुआ कठिन (संसार रूपी) ग्राहसे लूट जाता है ॥७८॥

प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम् ।  
 विमृज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम् ॥७९॥  
 यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः ।

तदासुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥८०॥

अपने प्रिय में (पूर्वजन्मार्जित) सुकृत और अप्रिय में दुष्कृत  
 (जानकर उस में होने वाले रागद्वेषादि) को छोड़ कर ध्यान  
 योग से सनातन ब्रह्म का प्राप्त होता है ॥७९॥ जब (विषयों के  
 दोषों के) ज्ञान से संपूर्ण पदार्थों में निःस्पृह हो जाता है तब इस  
 लोक और परलोकमें नित्य सुख का प्राप्त होता है ॥८०॥

अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा सङ्गान् शनैः शनैः ।

सर्वद्वन्द्व विनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते । ८१॥

ध्यानिकम् सर्वमेवैतद्यदेतदभिशाब्दितम् ।

न ह्य नध्यात्मवित्क्रश्चिक्रिया फलमुवाश्नुते ॥८२॥

इस प्रकार संपूर्ण (पुत्र कलत्रादि के) सङ्गों को धीरे २ छोड़  
 कर संपूर्ण द्वन्द्वों (मानाऽपमानादि) से छूटा हुआ ब्रह्ममें ही स्थित  
 हो जाता है ॥८१॥ यह जो (पुत्रादि का) समत्व त्याग कहा है वह  
 सम्पूर्ण मनसे ही होता है, क्योंकि मन से (त्याग) न करने वाला  
 (केवल दिखावे को अलग रहने वाला) कोई उस क्रिया के फल को  
 नहीं प्राप्त होता ॥८२॥



अधियज्ञं ब्रह्म जपेदाधिदैविकमेव च ।

आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत् ॥८३॥

इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम् ।

इदमन्विच्छतां स्वर्गमिदमानन्त्यमिच्छताम् ॥८४॥

यज्ञ और देवतो तथा आत्माके विषय में और वेदान्त (ब्रह्म-ज्ञान) विषय में जो वेदवाक्य है उनका निरन्तर जप करे ॥८३॥ यह (वेदाभ्यास) अज्ञानियों को और ज्ञानियों को भी हित है । यह स्वर्ग और मोक्ष की इच्छा करने वालों का भी शरण है (अर्थात् वेदद्वारा सब की प्राप्ति है) ॥८४॥

अनेन कर्मयोगेन परिव्रजति यो द्विजः ।

स विवृण्वेह ॥८५॥ परं ब्रह्माधिगच्छति ॥८५॥

एष धर्मेऽनुशिष्टो वो यतीनां नियतात्मनाम् ।

इदं संन्यासिकानां तु कर्मयोगं निबोधत ॥८६॥

इस क्रम के अनुष्ठान से जो द्विज संन्यास धारण करता है, वह यहां पापों का नाश करके परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है ॥८५॥ जितेन्निश्च यतियोंका यह धर्म तुमको बताया । अब वेद संन्यासियों (ज्ञान से ही संन्यासी जिन्होंने बाहर से संन्यस्य चिन्ह वा गृहवास त्यागादि नहीं किये) का कर्मयोग सुना ॥८६॥

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा ।

एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः ॥८७॥

सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाशास्त्रं निषेवितः ।

यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमं ॥८८॥

ब्रह्मचारी गृहस्थ, वानप्रस्थ और यति ये पृथक् २ चार आश्रम गृहस्थ में उपाय हैं ॥८७॥ ये चारों ही आश्रम क्रम से शास्त्रानुसृत सेवित किये हुये उक्त विधि से करने वाले विप्र को मोक्ष प्राप्त कराते हैं ॥८८॥

सर्वेपामपि चतेषां वेदरमृतिविद्यानतः ।

गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान्दिभर्ति हि ॥८९॥

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् ।

तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥९०॥

इन सब आश्रमों में वेदों और स्मृतियों के विद्यान से गृहस्थ श्रेष्ठ कहा है क्योंकि वह तीनों का पोषण करता है ॥८९॥ जैसे सम्पूर्ण नदी और नद समुद्र में जाकर ठहरते हैं वैसे ही सब आश्रमी गृहस्थ में ठहरते हैं (आश्रय पाते हैं) ॥९०॥

चतुर्भिरपि चैवैतैर्नित्यमाश्रमिभिर्द्विजैः ।

दशलक्षणकोधर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥९१॥

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥९२॥

चारों आश्रमी द्विजों को दश लक्षण वाले धर्म का सेवन यत्न से करना चाहिये ॥९१॥ १-धैर्य २-दूसरे की करी हुई बुराई को सह लेना ३-मन का रोकना ४-चोरी न करना ५-गुद्व होना ६-इन्द्रियों का रोकना ७-शास्त्र का ज्ञान ८-आत्मा का ज्ञान ९-सत्य बोलना और १०-क्रोध न करना । ये धर्म के दश लक्षण हैं (५ पुस्तको और नन्दनकृत टीकामें-धी=ही: पाठभेद है) ॥९२॥

दश लक्षणानि धर्मस्य ये विप्राः समधीयते ।



अधीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम् ॥६३॥

दशलक्षणकं धर्ममनुतिष्ठन् समाहितः ।

वेदान्तं विधिवच्छ्रुत्वा संन्यसेदनुगोद्विजः ॥६४॥

जो विप्र धर्म के दश लक्षणों का पढ़ते हैं और पढ़कर उसके अनुसार चलते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥९३॥ (ऋषि पितर देवों के) ऋणों से मुक्त द्विज मन्थ्रचिन्त होकर दश लक्षण वाले धर्म को करता हुआ विधि से वेदान्त का श्रवण करके मन्थ्राम धारण करे ॥९४॥

संन्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदापानपानुदन् ।

नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रैश्वर्ये सुखं वसेत् ॥६५॥

संपूर्ण (गृहस्थ के) कर्मों को छोड़कर और (बिना जाने जीवों के नाशजनित) पापोंको (प्राणायामसे) नष्ट करता हुआ जितेन्द्रिय होकर वेद का अभ्यास करके पुत्र के ऐश्वर्य में (वृत्ति की चिन्ता से रहित) सुख पूर्वक निवास करे ॥ (९५ वें से आगे एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक है:—

[संन्यसेत्सर्वकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत् ।

वेदपंन्यामतः शूद्रस्तस्माद्वेदं न संन्यसेत् ॥]

सब काम छोड़ दे परन्तु एक वेद को न छोड़े, क्योंकि वेदके छोड़नेसे शूद्र हो जाता है इस लिये वेद को न छोड़े ॥ इसी आशयका श्लोक पाठभङ्गसे अन्य दो पुस्तकोंमें भी मिलता है कि—

संन्यसेत्सर्वकर्माणि वेदं तु न परित्यजेत् ।

परित्यागाद्धि वेदस्य शूद्रतामनुगच्छति ॥६५॥



एवं संन्यस्य कर्माणि स्वकार्यपरमोऽम्पृहः ।

संन्यासेनापहत्येनः प्राप्नोति परमां गतिम् ॥६६॥

इस प्रकार कर्मों को छोड़कर अपने कार्य (आत्म साक्षात्कार) में तत्पर हुवा निःस्पृह संन्यास में पापको दूर करके परम गति को प्राप्त होता है ॥६६॥

एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः ।

पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राज्ञां धर्मं निबोधत । ६७॥

(हे ऋषियों ! ) तुमसे यह ब्राह्मण का चार प्रकार का धर्म जो परलोक में पुण्य तथा अनर फल दन वाला है कडा । अथ राजाओं का धर्म सुनो ॥६७॥



इति मानवे धर्मशास्त्रे ( भृगुप्रोक्तायां संहितायां )

षष्ठाऽध्यायः ॥६॥


इति श्री तुलसीरामस्वामिनि ने मनुस्मृतिभागनुवादे

षष्ठाऽध्यायः ॥६॥



ओ३म्

## अथ सप्तमोऽध्यायः



राजधर्मान्प्रवक्ष्यामि यथावृत्तोभवेन्नृपः ।  
संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥१॥  
ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि ।  
सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्त्तव्यं परिक्षणम् ॥२॥

जैसे आचरण वाले राजा होने चाहिये उस प्रकार के राजधर्मों और राजा की उत्पत्ति और जैसे (राजा के प्रभुत्व की) उत्तम सिद्धि हो उसको आगे कहूंगा ॥१॥ वेदोक्त संस्कार हुए क्षत्रिय का इस सम्पूर्ण (राज्य) की न्यायानुसार रक्षा करनी चाहिये ॥२॥

अराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतोविद्रुते भयात् ।  
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसजत्प्रभुः ॥३॥  
इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च ।  
चन्द्रविरोशयोश्चैव मात्रा निर्दृश्य शाश्वती ॥४॥

बिना राजा के इस लोक में भय से चाँगे और जन विवर्ण होजाता इस कारण सबकी रक्षा के लिये ईश्वर ने राजा को उत्पन्न किया ॥३॥ इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र और कुबेर की शाश्वत मात्राओं (सारभूत अंशों) को निकाल कर (राजा को बनाया अर्थात् इन दिव्य गुणोंसे युक्त पुरुष राजा होता है) ॥४॥

यस्मादेपां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्दितो नृपः ।  
 तस्मादभिभवत्येष सर्वाभूतानि तेजसा ॥५॥  
 तपत्यादित्यवच्छेषां चक्षुषि च मनामि च ।  
 न चैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम् ॥६॥

क्योंकि देवेंद्रों की मात्राओं से राजा बनाया गया है इसलिये यह (राजा) तेज से सब प्राणियों को दबाता है ॥५॥ (अब दो श्लोकों में यह बताने है कि राजा में कैसे उक्त आठ देवों का प्रभाव रहता है) राजा अपने तेज से इन (दिग्बने वालों) की आंखों और मनो को मर्यादा मन्त्र होता है और पृथिवी में कोई इस (राजा) के नामने होकर नहीं देख सकता (इससे मर्यादा कहा। इसी प्रकार—) ॥६॥

सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् ।  
 सु कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥७॥  
 बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः ।  
 महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥८॥

यह राजा प्रभाव से अग्नि वायु सूर्य चन्द्र, यम कुबेर वरुण और इन्द्र है ॥७॥ मनुष्य जानकर बालक राजा भी अपमान करने योग्य नहीं है, क्योंकि यह एक बड़ा देवता मनुष्य रूप से स्थित है ॥८॥

एकमेव दहत्यग्निर्नरं दुरूपसर्पिणम् ।  
 कुत्सं दहति राजाऽग्निः स पशुद्रव्यसञ्चयम् ॥९॥  
 कार्यं सोवेच्य शक्ति च देशकालौ च तत्प्रतः ।





‘कुरुतं धर्मनिधयर्थं विश्वरूपः पुन पुनः ॥१०॥

अग्नि के ऊपर कोई ननुष्य कुचा न चले तो अग्नि उमी ण्क को जलाना है, परन्तु राजा (कुचाल चवन जाले के) कुत नो भ पशु और धनमन्त्रित नट्ट कर देना है ॥१५॥ काये शक्ति देश और कान के तन्व से देवकर धर्मसिद्धि के लिये राजा वार २ नाना प्रकार का रूप धरता है (कभी जमा, कभी ज्ञाप, कभी मित्रत्व, कभी शत्रुत्व इत्यादि) ॥१०॥

यस्य प्रसादे पद्मा श्रीर्निजयश्च पराक्रमे ।

मृत्युश्च वमति क्रोधे सर्वतेजोमयोहि मः ॥११॥

तं यस्तु द्वेष्टि ममोहात्स विनश्यत्यसंशयम् ।

तस्य द्वाशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मन ॥१२॥

जिमकी प्रमन्नता मे लक्ष्मी रहती है (द्रव्यप्राप्ति होती है) और पराक्रम में जय रहता है और क्रोध में मृत्यु वाम करता है, वह (राजा) अवश्य सर्वतेजोमय है ॥११॥ जो अज्ञानवश राजा मे द्वेष करता है वह निश्चय नाश को प्राप्त होता है क्योंकि उसके शीघ्र नाश के लिये राजा मन विगाड़ता है ॥१२॥

तस्माद्धर्मं यमिष्टेषु स व्यवस्येन्नराधिप ।

अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धर्मं न विचालयेत् ॥१३॥

तस्यार्थे सर्वाभृतानां गोपनारं धर्ममात्मजम् ।

ब्रह्मतेजोमयं दण्डममृजत्पूर्वामीश्वर ॥१४॥

इस लिये राजा अपने अनुकूलों से जिस धर्म=कानून का और प्रतिकूलों में जिस अनिष्ट का निश्चय करे (कानून बनावे),

उस धर्म ( कानून ) को न विचलावे ( न तोड़े ) ॥१३॥ उस ( राजा ) के लिये प्राणिमात्र के रक्षक, आत्मा से उत्पन्न ब्रह्मतेज से धने दण्ड धर्म को ईश्वर ने पूर्व बनाया है ॥१४॥

तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च ।

भयाद्भोगाय कल्पन्ते स्वधर्मान् चलन्ति च ॥१५॥

तं देशकालौ शक्तिं च विद्यां चावेक्ष्य तत्त्वतः ।

यथार्हतः संप्रणयेन्नरेष्वन्यायवर्तिषु ॥१६॥

उस ( दण्ड ) के भय से सम्पूर्ण स्थावर और जङ्गम भोगको प्राप्त होते हैं और अपने धर्म से नहीं विचलते ॥१५॥ देश काल शक्ति और विद्या के तत्व को शास्त्रानुसार विचार कर अपराधी मनुष्यों को यथायोग्य उम दण्ड को देवे ॥१६॥

स राजा पुरुषोदण्डः स नेता शासिता च सः ।

चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥१७॥

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति ।

दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्मं विद्वृषाः ॥१८॥

वह दण्ड ही राजा है वही पुरुष है और वही नेता तथा शासिता और चारों आश्रमों के कर्म का प्रतिभू ( जामिन ) है ॥१७॥ दण्ड सम्पूर्ण प्रजा का शासन करता है; दण्ड ही रक्षा करता है । सब के सोते हुवे दण्ड ही जगाता है (उसी के डर से चोर चोरी नहीं करते) विद्वान् लोग दण्डको धर्म जानते हैं ॥१८॥

समीक्ष्य स धृतः सम्यक् सर्वा रञ्जयति प्रजाः ।

असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥१९॥



यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्डेयष्वनन्दितः ।

श्लो मत्स्यानिवापच्यन्दुर्वलान्वलवत्तराः ॥२०॥

वह (दण्ड) शास्त्र से अच्छे प्रकार देख कर घरा हुआ सम्पूर्ण प्रजा को प्रसन्न करता और बिना देखे किया हुआ, चारों ओर से नाश करता है ॥१९॥ आलस्य रहित राजा यदि अपराधियों को दण्ड न देवे तो शल पर मछली के समान अति बलवान् लोग निर्बलों को भून डाले ॥२०॥

अद्यात्काकः पुरोडाशं श्वा च लिह्याद्धविस्तथा ।

स्वाम्यं च न स्यात्कस्मिंश्चित्प्रवर्तेताधरोत्तस्म् ॥२१॥

सर्वे दण्डजिता लोको दुर्लभोहि शुचिर्नरः ।

दण्डस्य हि भयात्सर्वं जगद्भोगाय कल्पते ॥२२॥

(यदि राजा दण्ड न करे तो) कौवा, पुरोडाश भक्षण कर जावे, कुत्ता हवि का भक्षण करले और कोई किसी का स्वामी (मालिक) न हो सके नीचे ऊंचे और ऊंच नीचता में प्रवृत्त हो जावे ॥२१॥ सम्पूर्ण लोग दण्ड से नियमित किये हुवे ही सन्मार्ग में रहते हैं क्योंकि (स्वभाव से सन्मार्ग में रहने वाला) शुचि मनुष्य दुर्लभ है। सम्पूर्ण जगत् दण्ड के भय से ही भोग कर सकता है ॥२२॥

देवदानवगन्धर्वा रक्षांसि पतगोरगाः ।

तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीडिताः ॥२३॥

दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन् सर्वसैतवः ।

सर्गलोकप्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विभ्रमात् ॥२४॥



देव दानव, गन्धर्व, राक्षस, पत्नी, मर्ष ये भी दण्ड के ही दबे हुवे भाग को पा सकते हैं ॥२३॥ दण्ड के बिना सम्पूर्ण वर्ण दुष्टाचरण में प्रवृत्त हो जावें और (चतुर्वर्गरूप) सब पुल दूट जावे और सम्पूर्ण लोगों में उपद्रव हो जावे ॥२४॥

यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्च गति पापहा ।

प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्माधु पश्यति ॥२५॥

तस्याहुः सम्प्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् ।

समीच्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकेषु विदम् ॥२६॥

जिस देश में श्याम वर्ण और लाल आंख वाला, पाप का नाशक दण्ड विचरता है, वहां प्रजा प्रमाद नहीं करती यदि नेता (राजा) अच्छे प्रकार देयता हो ॥२५॥ सत्य बोलने वाले और अच्छे प्रकार समझ कर करने वाले, बुद्धिमान् और धर्म अर्थ, काम के जानने वाले राजा को उस (दण्ड के) देने का अधिकारी कहते हैं ॥२६॥

तं राजा प्रणयन्सम्यक् त्रिवर्गेणाभिवर्धते ।

कामात्मा विषमः क्षुद्रोदण्डेनैव निहन्यते ॥२७॥

दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्चाऽकृतात्मभिः ।

धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सवान्धपम् ॥२८॥

जो राजा उस (दण्ड) को अच्छे प्रकार चलाता है, वह धर्म, अर्थ, काम से बृद्धि को प्राप्त होता है जो विषय का अभिलाष और उलटा चलने वाला तथा क्षुद्रता करनेवाला वह उसी दण्डसे नष्ट हो जाता है ॥२७॥ बड़े तेज वाला दण्ड है और शास्त्रोक्तसंस्कार



रहित राजाओं से धारण नहीं किया जा सकता किन्तु राजधर्मसे विपरीतराजा ही का बन्धुसहित नाश कर देता है ॥२८॥

ततोद्गुर्गं च राष्ट्रं च लोकं च सचराचरम् ।  
अन्तरिक्षगतांश्चैव मुनीन्देवांश्च पीडयेत् ॥२९॥  
सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना ।  
न शक्यो न्यायतेनेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥३०॥

राजा के नाश के अनन्तर किला राज्य और स्थावर जङ्गम प्रजा व अन्तरिक्ष के रहने वाले पक्षी और वायु आदि देवतों को (हव्यादि न मिलने से) और सब मुनियों को (वह अधर्मी राजा का दण्ड) पीड़ित करने लगेगा ॥२९॥ (मन्त्री व सेतापतियों के) सहाय से रहित मूर्ख लोभी, निवृद्धि और विषयों में आसक्त राजा से वह (दण्ड = राजधर्म) न्यायपूर्वक नहीं चल सकता ॥३०॥

शुचिना मत्सन्धेन यथाशास्त्रानुमारिणा ।  
प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धोमता ॥३१॥  
स्वर्गद्वे न्यायवृत्तः स्याद्भृशदण्डश्च शत्रुषु ।  
सुहृत्स्त्राजिह्वः स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः ॥३२॥ -

शौचादियुक्त सत्यप्रतिज्ञ शास्त्रके अनुसार चलने वाले अच्छे सहायकों वाले और बुद्धिमान् राजा से दण्ड चलाया जा सकता है (ऐसा राजा शिक्षा करने के योग्य है) ॥३१॥ राजा को अपने राज्य में न्यायकारी और शत्रुओं का सब दण्ड देने वाला और प्यारे मित्रों से कुटिलता रहित और ब्राह्मणों पर क्षमायुक्त होना चाहिये ॥३२॥

एवं वृत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनापि जीवतः ।



विस्तीर्यते यशो लोके तैलविन्दुरिवाम्भसि ॥३३॥

अतस्तु विपरीतस्य नृपतेरजितात्मनः ।

संक्षिप्यते यशोलोके घृतविन्दुरिवाम्भसि ॥३४॥

उक्त प्रकार चलने वाले शिलाञ्छवृत्ति से भी जीवते हुये राजा का यश जगन् मे फैल जाता है जैसे पानीमे तैलकी की बूंद ॥३३॥ विपरीतसक्त और इम से विपरीत चलने वाले राजा का यश लोकों मे संकोच को प्राप्त हो जाता है जैसे पानी मे घृत की बूंद ॥३४॥

स्वै स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः ।

वर्णानामाश्रमाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता ॥३५॥

तेन यद्यत्समृत्येन कर्तव्यं रक्षता प्रजाः

तत्तद्वोऽहं प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥३६॥

अपने २ धर्म मे चलने वाले आनुपूर्व्य से सब वर्णों और आश्रमों की रक्षा करने वाला राजा (ईश्वर ने) उत्पन्न किया है ॥३५॥ प्रजा की रक्षा करते हुवे अमात्यो सहित उस राजा को जो २ करना चाहिये सो तुमसे मैं क्रमक्रम्माथ यथावन् कहूंगा ॥३६॥

ब्राह्मणान्पर्युपासीत प्रातरुत्थाय पार्थिवः ।

त्रैविद्यवृद्धान्विदुपस्तिष्ठेत्तेषां च शासने ॥३७॥

वृद्धांश्च नित्यं सेवेत विप्रान्वेदविदः शुचीन् ।

वृद्धसेवी हि सततं रक्षोभिरपि पूज्यते ॥३८॥

राजाको प्रातःकाल उत्तर ऋग् यजु सामवेद और धर्मशास्त्र के जानने वाले ब्राह्मणों के साथ बैठना और उनके शासन को मानना चाहिये ॥३७॥ वेद जाननेवाले पवित्र, आयुमे वृद्ध ब्राह्मणों



की नित्य सेवा करे क्योंकि वडे विद्वानों की सेवा करने वाला  
(राजा) दुष्ट जीवों से भी पृथा (भक्तार) पाता है ॥३८॥

तेभ्योऽधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि नित्यशः ।

विनीतात्माहि नृपतिर्न विनश्यति कर्हिचित् । ३८॥

बहवोऽविनयान्नाष्टा राजानः सपरिच्छदाः ।

वनस्थाअपि राज्यानि विनयात्प्रतिपेदिरे ॥४०॥

शिक्षित राजा भी उन (विद्वानों) से शिक्षा का निर अभ्यास  
करे क्योंकि सुशिक्षित राजा कर्मा नाश को प्राप्त नहीं होता ॥३९॥  
(हाथी घोड़ा खजाना इत्यादि सब) सामानों से युक्त बहुत से राजा  
विनय रहित नष्ट होगये और बहुत से (वे सामान) जङ्गल में रहते  
हुवे भी विनय से राज्य को प्राप्त हो गये ॥४०॥

“विनोविनष्टोऽविनयान्नहुषचैव पार्थिवः ।

सुदासो यवनश्चैव सुमुखोनिमिरेव च ॥४१॥

पृथुस्तु विनयाद्राज्यं प्राप्तवान् मनुरेव च ।

कुवेश्व धनैश्वर्यं ब्राह्मण्यं चैव गाधिजः ॥४२॥”

वेन. नहुष सुगम यवन, सुमुख और निमि भी अविनय से  
नष्ट हो गये ॥४१॥ पृथु और मनु विनय से राज्य पा गये और  
कुवेश्व ने विनय से धनाधिपत्य पाया और गाधि के पुत्र विश्वामित्र  
(विनय से) ब्राह्मण हो गये । (यह श्लोक मनु के नहीं क्योंकि म्वयं  
मनु और यवन तकको भी इनमें भूतकालस्थ वर्णनकिया है) ॥४२॥

त्रैविश्वैश्वर्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम् ।

आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्तारम्भाथ लोकतः ॥४३॥



इन्द्रियाणां जयेयोगं समातिष्ठेद्वानिशम् ।

जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशेस्थापयितुं प्रजाः ॥४४॥

तीनों वेदों के जानने वालों से तीनों वेद (पढ़े) और सनातन दण्डनीति विद्या तथा वेदान्त (पढ़े) और लोगों से व्यवहारविद्या (पढ़े) ॥४३॥ इन्द्रियो के जय का रात दिन उद्योग करे क्योंकि जितेन्द्रिय ही प्रजा को वश में कर सकता है ॥४४॥

दशकामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च ।

व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥४५॥

कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीशतिः ।

वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां क्रोधजेष्व्वात्मनैव तु ॥४६॥

काम से उत्पन्न दश और क्रोध से उत्पन्न आठ (ऐसे १८ व्यसनों) को जिन का अन्त मिलना दुर्लभ है, यत्न से छोड़ देवे ॥४५॥ काम से उत्पन्न (दश) व्यसनों में आसक्त हुवा, राजा अर्थ और धर्म से हीन हो जाता है और क्रोध से उत्पन्न (८) व्यसनों में आसक्त तो अपने शरीर से ही (नष्ट हो जाता है) ॥४६॥

मृगयाक्षादिवास्वप्नः परिवारः स्त्रियोमदः ।

तौर्यत्रिकं वृथाद्या च कामजो दशकौ गणः ॥४७॥

पैशुन्यं साहसं मोह ईर्ष्याऽसूयार्थदूषणम् ।

वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥४८॥

शिकार करना, जुवा, खेलना, दिन में सोना, दूसरे के दोषों को कहते रहना, स्त्री-सम्भोग मद्यपान, नाचना, गाना, वजाना और बिना प्रयोजन घूमना ये दश काम के व्यसन हैं ॥४७॥



चुगली; साहस, झोह, ईर्ष्या, दूसरे के गुणों में दोष लगाना, द्रव्य हरण, गाली देना और कठोरता, ये आठ क्रोध से उत्पन्न व्यसन हैं ॥४८॥

द्वयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः ।

तं यत्नेन जयेन्नोभ तज्जावेतानुभौ गणौ ॥४९॥

पानमत्ताः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम् ।

एतत्कष्टतरं विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे ॥५०॥

जिस को सम्पूर्ण विद्वान् इन दोनों गणों का कारण बताते हैं, उम लोभ को यत्नसे छोड़ देंगे । उसीसे ये दोनों कारण उत्पन्न हैं ॥४९॥ काम से उत्पन्न हुवे गण में मद्यपान, जुवा खेलना, स्त्री प्रसङ्ग और शिकार, इस चौकड़े का बहुत कष्ट जाने ॥५०॥

दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदूषणे ।

क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतत्त्रिकं सदा ॥५१॥

सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुपङ्गिणः ।

पूर्वं पूर्वं गुरुतरं विद्याद्वयसनमात्मवान् ॥५२॥

क्रोध से उत्पन्न हुवे गण में कठोर वचन कहना, दण्ड से मारना और द्रव्यका हरण करना, इस त्रिक ( ३ ) को सदैव अति कष्ट जाने ॥५१॥ ये जो सब में साथ लगे, सात व्यसन हैं, इन में पहिले २ ( त्रयसन ) को ज्ञानी पुरुष भारी ( व्यसन ) जाने ॥५२॥

व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते ।

व्यसन्यघोऽघोत्रजति स्वर्थात्यव्यसनीमृतः ॥५३॥

मौलाञ्छास्त्रविदः शूरांल्लब्धलक्षान् कुलोद्गतान् ।



सचिवान्सप्त चाष्टौवा प्रकुर्वीत परीक्षितान् ॥५४॥

व्यसन और मृत्यु (दोनों नाश करने वाले हैं) में मृत्यु से व्यसन कठिन है; क्यों कि व्यसनी दिन दिन अवनति में जाता है और निर्व्यसनी मर कर स्वर्ग को जाता है ॥५३॥ मूल से नौकरी किये हुवे, शास्त्र के जानने वाले, शरवीर, अच्छा निशाना लगाने वाले, अच्छे कुल के और परीक्षोत्तीर्ण ७ या ८ मन्त्री रखे ॥५४॥

अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम् ।

विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम् ॥५५॥

तैः सार्धं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम् ।

स्थान समुत्थं गुप्ति लब्धप्रशमनानि च ॥५६॥

जब कि सुगम काम भी एक से होना कठिन है तो विशेष कर बड़े फल का देने वाला राज्यसम्बन्धी काम अकेला कैसे कर सकता है ॥५५॥ इस लिये उन (मन्त्रियों) के साथ साधारण सन्धि विग्रह की और (दण्ड, कोश, पुर, राष्ट्र = चतुर्विध) स्थान की और द्रव्य धान्यादि की उन्नति और सब की रक्षा और जो प्राप्त है, उस की शान्ति का विचार करे ॥५६॥

तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य पृथक् पृथक् ।

समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्वितमात्मनः ॥५७॥

सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता ।

मन्त्रयेत्परमं मन्त्रं राजा पाङ्गुण्यसंयुतम् ॥५८॥

उन मन्त्रियों के अलग २ और सब के मिले अभिप्राय



(अलग अलग राय और मिली हुई राय ) को जान कर कार्यो मे अपना हित करे ॥५७॥ उन सब (मन्त्रियों) मे अधिक धर्मात्मा और बुद्धिमान् ब्राह्मण ( मन्त्री ) के साथ राजा पङ्गुणयुक्त परम मन्त्र ( सलाह ) करे ॥५८॥

नित्यं तस्मिन्समाश्वस्तः सर्वकार्याणि निक्षिपेत् ।  
तेन सार्धं विनिश्चित्य ततः कर्मसमारभेत् ॥५९॥

अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्प्राज्ञानवस्थितान् ।  
सम्यगर्थसमाहर्तुं नमात्यान्सुपरीक्षितान् ॥६०॥

उस ( ब्राह्मण मन्त्री ) मे अच्छा विश्वास करता हुआ सब काम उस को सोंपे और जो करना हो, उस के साथ निश्चय करके तब उस काम को करे ॥५९॥ अन्य भी पवित्र, बुद्धिमान् परीक्षित तथा द्रव्यके उपार्जनकी युक्ति जानने वालेको मन्त्री बनावे ॥६०॥

निर्वाचितास्ययावद्भिन्नरिति कर्त्तव्यतानृभिः ।  
तावते तन्द्रितान्दक्षान् प्रकुर्वीत विचक्षणान् ॥६१॥  
तेषामर्थं नियुञ्जीत शूरान्दक्षान् कुञ्जोद्गतान् ।  
शुचीनाकरकर्मान्ते भीरून्तन्निवेशने ॥६२॥

इस (राजा) का जितने मनुष्यो से पूरा काम निकले उतने आलस्यरहित चतुर बुद्धिमानों को (मन्त्री) बनावे ॥६१॥ उनमे शूर चतुर कुलीन मन्त्रियो को धन के स्थान में और अर्थ शुचियों को रत्नों की खानि खोदवाने मे तथा डरपोकों को महलों के भीतर जाने आने मे नियुक्त करे ॥६२॥

दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् ।

इङ्गिताकारवेष्टज्ञं शुचिं दत्तं कुलोद्गतम् ॥६३॥  
 अनुरक्तः शुचिर्दत्तः स्मृतिमान् देशकालधित् ।  
 वपुष्पान्वीतभीर्वाग्मी दूताराजः प्रशस्यते ॥६४॥

और दूत उसको रखने जो बहुश्रुत, हृदय के भाव आकार  
 चेष्टाओं के जानने वाला अन्तःकरण का शुद्ध तथा चतुर और  
 कुलीन हो ॥६३॥ प्रीति वाला, शुद्धचित्त, चतुर याद रखने वाला  
 देश काल का जानने वाला अच्छे देह वाला निडर और बोलने  
 वाला राजा का दूत प्रशस्त है (अर्थात् राजा के ऐसा दूत रखना  
 चाहिये) ॥६४॥

(६४ वें से आगे एक पुस्तक में ये ५ ॥ श्लोक अधिक हैं—

[मन्धिविग्रहकालज्ञान्समर्थानायतिष्ठमान् ।  
 परैरहार्यान्शुद्धांश्च धर्मतः कामतोऽर्थतः ॥१॥  
 समाहर्तुं प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविपश्चितः ।  
 कुलीनान्वृत्तिमंपन्नान्निपुणान्कोशवृद्धये ॥२॥  
 आयव्ययस्य कुशलान् गणितज्ञानऽलोलुपान् ।  
 नियोजयेद्धर्मनिष्ठान्मध्यक्कार्यार्थचिन्तकान् ॥३॥  
 कर्मणि चातिकुशलां लिपिज्ञानायतिष्ठमान् ।  
 सर्वविश्वासिनः सत्यान्सर्वकार्येषु निश्चितान् ॥४॥  
 अकृताशांस्तथा भर्तुः कालज्ञांश्च प्रसङ्गिनः ।  
 कार्यकामोपधाशुद्धान् बाह्याभ्यन्तरचारिणः ॥५॥  
 कुर्यादारक्षकार्येषु गृहसंरक्षणे च । ]



कौशवृद्धि के लिये-सन्धि और विग्रह के समय को जानने वाले समर्थ, समय पढ़े को भेल सकने वाले, शत्रुओं से न मिल जाने योग्य, धर्म अर्थ काम से शुद्ध, सब शास्त्रों के ज्ञाता, कुलीन पुष्कलजीविका वाले और चतुर पुरुषों के इकट्ठा करने का उद्योग क्रिया करे। आय व्यय में चतुर हिसाब के पक्के, निर्लोभ, धर्म में श्रद्धालु और कार्यों का तात्पर्य समझने वालों को नियुक्त करे। जो काम में अतिकुशल, अच्छा लिखना जानने वाले भीड़ पड़ी को भेलने वाले, सबके विश्वासपात्र, सच्चे, सब कामोंमें निश्चित और स्वामी पर आशा न रखने वाले (सन्तुष्ट), समय और प्रसङ्ग (मौके) के जानने वाले हो। कार्य, काम और बरोहर में सच्चे, बाहर भीतर के भेरी (मन्त्री) लोगों को समीचीन कामों और गृह की रक्षाओं में नियुक्त करे) ॥६४॥

अमात्ये दण्डआयत्तो दण्डे वैनयिक्री क्रिया ।

नृपतौ कौशराष्टं च दूते सन्धिविपर्ययौ ॥६५॥

दूत एव हि संधेते भिनस्येव च संहतान् ।

दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन मानवाः ॥६६॥

मन्त्री के आधीन दण्ड और दण्डके आधीन सुशिक्षा और राजा के आधीन देश तथा खजाना और दूत के आधीन मेल वा विगाड़ है ॥६५॥ क्योंकि दूत ही मेल कराता है और दूत ही मिने हुओं का फाड़ता है। दूत वह काम करता है जिससे मनुष्यों में भेद हो जाता है। (५ पुस्तकों में-मानवा = वा धवा पाठ है) ॥६६॥

स विद्यादस्य \* कल्पेषु निगूढोऽतचेष्टितैः ।

आचारमिद्धितं चेष्टां भूतेषु च । चकीर्षितम् ॥६७॥

इस श्लोक में राजदूत का कर्तव्य बताया गया है। अ -

(स.) वह दूत ( अस्य ) इस राजा के ( कृत्येषु ) असन्तुष्ट विरुद्ध लोगो मे (निगृढेङ्गितचंप्रितैः) छिपे इङ्गित इशारो और चेष्टाओ से ( आकारम् ) उनके आकार = सूरत शकल ( इङ्गितम् ) इशारे और ( चेष्टाम् ) काम वा हरकत को ( विद्यात् ) जानने का यत्न करे (च) और (भृत्येषु) भरण पोषण योग्य पुरुषोमे (चिकीर्षितम्) क्या करना चाहते हैं, उसको जाने ॥

(इसमे जो कृत्य शब्द है वह राजनैतिक योगरुद्धि शब्द है जिसका विवरण अमरकोष तृतीय काण्ड, नानार्थवर्ग ३ श्लोक १५८ में और उसी की अमरविवेक टीका मे इस प्रकार है कि-

कृत्या क्रियादेवतयोस्त्रिषु भेद्ये धनादिभिः ॥

(अमरकोष ३।३।१५८)

“धनस्त्रीभूम्यादिभिर्भेदनीयो यः परराष्ट्रगतपुरुषादिस्तत्र कृत्याशब्दोवाच्यलिङ्गः” टीका ॥

पराये = शत्रु के राज्य मे जो कोई धनके स्त्री के वा पृथिवी आदि के लालच से तोड़ने (अपने अनुकूल कर लेने) योग्य पुरुष इत्यादि है, उसको “कृत्य” कहते हैं और उसका वाच्य के समान लिङ्ग होता है। स्त्री=कृत्या पुरुष = कृत्य ; नपुंसक = कृत्यम् ॥

ये “कृत्य” ४ प्रकार के होते हैं । १-क्रुद्धकृत्य २-लुब्धकृत्य, ३-भीतकृत्य और ४-अवमानितकृत्य । यथा -

क्रुद्धक्रुद्धभीताऽवमानिताः परेषां कृत्याः ॥ कौटिल्यसूत्र

जो शत्रुराज्य पर क्रोध रखने हैं वे ‘क्रुद्धकृत्य’ । जो लोभी हैं वे ‘लुब्ध कृत्य’ । जो डरेहुवे हैं वे ‘भीतकृत्य’ और जो शत्रु राजा से अपमान किये गये हैं वे ‘अवमानितकृत्य’ कहाते हैं । इस

श्लोक में राजदूत के कामों में एक यह काम भी बताया गया है कि वह शत्रुराज्यों में त्रिपी इज्जित चेष्टाओं से गुप्त रूप से शत्रुराज्य से नाराज वैदिज असन्नुष्ट ( Mal-content ) पुरुषों के आकार इज्जित और चेष्टाओं का भेद लेवे ॥

परन्तु मेधातिथि जैसे विद्वान् टीकाकार भी "कृत्येषु=कार्येषु" लिखकर भूल कर गये । कुल्लुकभट्ट ने भी भूल में कृत्य का अर्थ "कर्तव्य" ही लिख दिया । राघवानन्द भी भूल कर "कृत्य" का अर्थ "कुर्तुमिष्ट" कर गये । रामचन्द्र टीकाकार भी "कर्तव्य कार्य" लिख कर भूल में ही रहे ॥

हां, सर्वज्ञ नारायण टीकाकार का ध्यान "कृत्य" शब्द के योगरूढ अर्थ पर पहुँचा उन्होंने 'कृत्येषु लुब्धभीतावमानितेषु' अर्थ लिखा तथा नन्दन टीकाकार ने भी "कृत्येषु - स्वराज्ञा भेद्येषु पर-पक्षस्थेषु पुरुषेषु" लिखकर राजनीतिज्ञान का परिचय दिया है ॥

नवीन काल के पुस्तक "मुद्गराक्षस" में भी 'कृत्य' शब्द योगरूढ अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । यथा—

कृत-कृत्यतामापादिताश्चन्द्रगुप्तसहोत्थायिनो

भद्रभटप्रभृन्नयः प्रधानपुरुषाः ॥

मुद्गराक्षस अङ्क १ पृ० ३२ । ३३ तथा उसी की टीका में लिखा है कि—

स्त्रीमद्यमृगयाशीलाचित्यादि तृतीयाङ्के वच्यमा-  
णमुत्पाद्य इतो निःसार्य मलयकेतुना सह संघाय कृत-  
कृत्यताम् एते वयं देवकार्येष्वहिताःस्म इत्येवंरूपाम् ॥

इत्यादि स्थलो पर "कृत्य" शब्द राजनैतिक योगरूढ पाया

जाता है। "कृत्य" शब्द भट्टी और कामन्दकीय, नीतिसार आदि ग्रन्थों में भी प्रयुक्त है ॥६७॥

बुद्ध्वा च सर्वं तत्त्वेन परराजचिकीर्षितम् ।  
तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यथात्मानं न पीडयेत् ॥६८॥

शत्रु राजा की सब इच्छाओं को ठीकर जान कर वैसा प्रयत्न करे जिसमें (वह) अपने को पीडा न दे सके ॥६८॥

जाङ्गलं सस्यसंपन्नमार्यप्रायमनाविलम् ।  
रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत् ॥६९॥

धनुर्दुर्गं महीदुर्गमब्दुर्गं वार्द्धमेव वा ।

गिरिदुर्गं नृदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥७०॥

जाङ्गल जहाँ थोडा घास और पानी भी हो धान्य बहुत हो, अच्छे शिष्ट आर्य पुरुष निवास करते हो और रोगादि उपद्रव में रहित हो. देखने में मनाहर और जिसके पास अच्छे वृक्ष पत्नी खेती और वातार हो ऐसे देश में रहे ॥६९॥ जहाँ धनुर्दुर्ग महीदुर्ग जलदुर्ग वृक्षदुर्ग सेना दुर्ग वा गिरिदुर्ग हों ऐसे किसी दुर्ग का आश्रय करके पुर बसावे (जहाँ धनुषो वा भूमि की बनावट वा जल वा वृक्ष वा सेना वा पहाड़ों का ऐसा घेरा हो जिसे दुर्ग (क ल) कह सकें । जहाँ शत्रु को आना कठिन हो ॥७०॥

सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्गं समाश्रयेत् ।

एषां हि बाहुगुण्येन गिरिदुर्गं विशिष्यते ॥७१॥

त्रीण्याद्यान्याश्रितास्वेषां मृगगर्ताश्रयाऽप्लराः ।

त्रीण्युत्तराणि क्रमशः पल्वङ्गमनरामराः ॥७२॥



सब दुर्गों में पहाड़ी दुर्ग श्रेष्ठ है। इसलिये सब प्रवृत्तों ने उसका आश्रय करे क्योंकि इस में सब में अधिक शुभ है ॥७१॥  
(इन छः प्रकार के दुर्गों से छः प्रकार के प्राणी अपने को बचा लेते हैं जैसा कि—) इनमें से पहिले ३ दुर्गों में क्रम से धनुर्दुर्ग में मृग महीदुर्ग में मूसे आदि, जल दुर्ग में आसुर=चलचर। अगले ३ में से वृक्षदुर्ग में वानर, नृदुर्गमें साधारण मनुष्य और पहाड़ी-दुर्गमें पर्वतवासी देवजाति रहते (और अपनी रक्षा करते) हैं ॥७२॥

यथा दुर्गाश्रितानेतान्नोपहिंसन्ति शत्रवः ।

तयारयो न हिंसन्ति नृपं दुर्गसमाश्रितम् ॥७३॥

एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः ।

शतं दशसहस्राणि तस्माद् दुर्गं विधीयते ॥७४॥

जैसे इन दुर्गवासियों को शत्रु पीड़ा नहीं दे सकने वैसे ही दुर्ग के आश्रय करने वाले राजा को शत्रु नहीं मार सकते ॥७३॥ किले के भीतर रहने वाला एक धनुर्धर सौ के साथ लड़ सकता है और सौ दश हजार के साथ लड़ सकते हैं, इसलिये किला बनाया जाता है ॥ (७४ से आगे २ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है—

[मन्दरस्यापि शिखरं निर्मनुष्यं न शिष्यते ।

मनुष्यदुर्गं दुर्गाणां मनुः स्वायम्भुदेऽब्रवीत् ॥

स्वयम्भुव मनु ने कहा है कि दुर्गों में दुर्ग मनुष्यों का दुर्ग है क्योंकि मन्दराचल (पर्वत) का शिखर भी मनुष्यों से रहित होता तो शत्रु उसे शेष न छोड़ते) ॥७४॥

तत्स्यादायुधसम्पन्नं धनधान्येन वाहनैः ।

ब्राह्मणैः शिल्पिभिर्यन्त्रैर्यवसेनोदकैश्च ॥७५॥

तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद् गृहमात्मनः ।

गुप्तं सर्वतुर्कं शुभ्रं जलवृक्षसमन्वितम् ॥७६॥

वह दुर्ग आयुध (शस्त्रादि) धन धान्य, वाहनों, ब्राह्मणों कलों के जानने वालों, कलो, चारा, जल और इन्धन से समृद्ध हो। (९पुस्तकों में उदकेन च=उदकेन्धनै. पाठ है) ॥७५॥ उस किले के भीतर पर्याप्त (स्त्री-गृह देवागार आयुध मन्दिर अग्निशालादि और भित्तियों से रक्षित और सब ऋतुओं के फल पुष्पादि युक्त और सफेदी किया हुआ तथा जल और वृक्षों से युक्त अपना घर बनावे ॥७६॥

तदध्यास्योद्बहेद्भार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम् ।

कुलेमहति सम्भृतां हृद्यां रूपगुणान्विताम् ॥७७॥

पुरोहितं च कुर्वीत वृणुयादेव चत्विजम् ।

तेऽस्यगृह्याणि कर्माणि कुर्युर्नीतानिकानि च ॥७८॥

उस घर में रहकर अपनी सवर्णां शुभलक्षणयुक्त बड़े कुल में उत्पन्न हुई मन प्रसन्न करने वाली तथा रूप और गुणों से युक्त भार्या को विवाहे ॥७७॥ पुरोहित और चत्विज् का वरण करे। वे इसके गृह्यकर्म (अग्निहोत्र) और शान्त्यादि क्रिया करें (इनको भी किले में रखे) ॥७८॥

यजेत राजा क्रतुभिर्विघ्नैराप्तदक्षिणैः ।

धर्मार्थं चैव विप्रैर्म्यो दद्याद्भोगान्धनानि च ॥७९॥

सांवत्सरिकमाप्तैश्च राप्तादाहारयेद् बलिम् ।

स्याच्चाम्नाय परोलोके वर्तेत पितृवन्नृपु ॥८०॥



राजा नाना प्रकार के बहुत दक्षिणा वाले (अश्वमेधादि) यज्ञ करे और ब्राह्मणों का भोग और सुवर्ण वस्त्रादि धन धर्मार्थ देवे ॥७९॥ राज्य से प्रामाणिकों द्वारा वार्षिक बलि (मालगुजारी) उगाहवे और लोक में शास्त्रानुकूल चलने में तत्पर हो। प्रजा में पिता को समान बर्ते ॥८०॥

अध्यक्षान्विविधान्कुर्यात्तत्र तत्र विपश्चितः ।

तेऽस्यं सर्वाण्यवेक्षेरन्नृणां कार्याणि कुर्वताम् ॥८१॥

आवृत्तानां गुरुकुलाद्विप्राणां पूजको भवेत् ।

नृपाणामक्षयो ह्येष निधिर्ब्राह्मोऽभिधीयते ॥८२॥

नाना प्रकार के कामों को देखने वाले अध्यक्ष (अफसर) उन उन कामों में नियत करे। वे राजाके सब काम करने वालों के काम को देखे ॥८१॥ गुरुकुल से आये हुये ब्राह्मणों का (धन वान्यो से) पूजन किया करे। राजाओं की यह ब्राह्मनिधि अक्षय कही है (अर्थान् देने से कमी नहीं होती) ॥८२॥

न तं स्नेना न चाभिप्रा हरन्ति न च नश्यति ।

तरमाद्राज्ञा निशानव्यो ब्राह्मणेष्वक्षयानिधिः ॥८३॥

न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्हिचित् ।

वर्णिष्ठग्निर्द्वित्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम् ॥८४॥

उस (ब्राह्मणार्थ न्ये हृवे) निधि को चोर नहीं चुरा सकते और गा नष्ट नहीं कर सकते इसलिए राजा ब्राह्मणों में अक्षय निधि जमा करे ॥८३॥ अग्नि में जो हवन किया जाता है वह कर्मा गिरजा का कर्मा मृत्यु जाना है और कभी नष्ट होजाता है परन्तु ब्राह्मणों के मुख में जो अग्नि किया जाता है उनके मुख नहीं होते। इन्द्राग्नि इन्द्राग्नि से उक्त ब्राह्मणों का देना है ॥८४॥

“सममन्त्राक्षणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणत्रुवे ।  
 प्राधीते शतमाहस्रमनुन्तं वेदपारगै ॥८५॥”  
 पात्रस्य हि विशेषेण श्रद्धादान तयैव च ।  
 अल्पं वा बहु वा प्रेत्य दानस्यावाप्यते फलम् ॥८६॥

क्षत्रियादि को देने में बराबर फल होता है (अर्थात् न्यूनाधिक नहीं) (जो क्रिया रहित) अपने को ब्राह्मण कहता है, उसको देने में दूना और पढ़े हुये को देने से १ लक्षगुणा और पूर्ण वेद पढ़े ब्राह्मण को देने से अनन्त फल होता है।” (यह नाममात्र के ब्राह्मण ब्रह्मों ने बनाया जान पड़ता है) ॥८५॥ वेदाध्ययनादि पात्र के विशेष से और श्रद्धा की अनिश्चयता के अनुमार थोड़ा वा बहुत परलोक में दान का फल मिलता है ।

(८६ वें से आगे २ श्लोक हैं, जिन में से पहिला ३ पुस्तकों में और दूसरा १ पुस्तक और मेधातिथि तथा राघवानन्दी टीका में पाया जाता है:—

[एष एव परोधर्मः ऋतस्नो राज्ञः उदाहृतः ।  
 जित्वा धनानि संग्रामाद् द्विजेभ्यः प्रतिपादयेत् ॥१॥  
 देशकालविधानेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितम् ।  
 पात्रे प्रदीयते यत् तद्धर्मस्य प्रसाधनम् ॥२॥]

राजा का सार परम धर्म यही है कि संग्राम से धन जीत कर द्विजों को बांट दे ॥१॥ देशकाल के विधान से श्रद्धासहित द्रव्य जो कुछ पात्र को दिया जाता है वह धर्म का शृङ्गार है ॥२॥ यह दानपात्र द्विजो ने पीछे से बढ़ा दिये जान पड़ते हैं जो कि सब पुस्तकों में नहीं पाये जाते, न सब की टीका इन पर है और आश्चर्य नहीं कि ८३ । ८४वें भी इन्हीं दानपात्रों ने बनाये हो) ॥८६॥

समोत्तमाधमैराजा त्वाहूतः पालयन्प्रजाः ।  
न निवर्तेतसंग्रामात् क्षात्रं धर्ममनुस्मरन् ॥८७॥  
संग्रामेष्वनिवर्तित्वां प्रजानां चैव पालनम् ।  
शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम् ॥८८॥

प्रजा का पालन करता हुआ राजा सम, उत्तम वा हीन शत्रु के माथ बुझाने पर क्षत्रियधर्म को स्मरण करता हुआ युद्ध से न हटे ॥८७॥ संग्राम से न भागना और प्रजा का पालन करना तथा ब्राह्मणों की सेवा, ये राजा के परम कल्याण करने वाले कर्म हैं ॥८८॥

आह्वेषु मिथोऽन्वेषन्त्यं जिवांसन्तो महीक्षितः ।  
युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपराङ्मुखाः ॥८९॥  
न कूटैरायुधैर्हन्याद्युध्यमानो रणे रिपून् ।  
न कर्षिभिर्नापि दिग्धैर्नाग्निज्वरैर्जित्तेजनेः ॥९०॥

संग्रामों में एक को एक मारने की इच्छा करते हुवे राजा लोग परम शक्ति से लड़ते हुवे, पीछे न हटने वाले स्वर्ग को प्राप्त होते हैं ॥८९॥ लड़ता हुआ रण में शत्रुओं को कूट ( छिपे ) आयुधों से न मारे और कर्षी (बाण जो फिर निकलने कठिन हो) उन से और विष में बुझाये हुओं तथा जलतो से भी न मारे । ( पूर्व श्लोकों में योद्धा को स्वर्ग प्राप्ति कही थी । अब उस संग्राम के ऐसे नियमों का वर्णन है, जो अद्भुतार्थ है, अर्थान् जिन नियमों से लड़ने वाले को मानुषी सामाधिक अक्रूरता से लड़ते हुवे अद्भुत पारनैतिक फल मिल सकता है क्यों कि केवल राज्य लोभार्थ, जैसे वने वैसे जीत कर लेने वाले स्वार्थी योद्धा उत्तम



गति के अधिकारी नहीं हो सकते ) ॥९०॥

न च हन्यात्स्थलारूढं न क्लीवं न कृताञ्जलिम् ।  
न मुक्तकेशं नासीनं न तत्रास्मीति वादिनम् ॥९१॥

न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम् ।  
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् ॥९२॥

( रथ से उतरे ) भूमि पर स्थित को न मारे, न तपुंसक को, न हाथ जोड़े हुवे को, न शिर के बाल खुले हुवे को, न बैठे हुवे को और न 'तुम्हारा हूँ' ऐसे कहते को ( मारे ) ॥९१॥ न सोते को, न कबच उतारे हुवे को, न नङ्गे को न वे हथियार को, न बेलडने वाले को न ( तमाशा ) देखने वाले को और न दूसरे से समागत करने वाले को ( मारे ) ॥९२॥

नायुधव्यसनप्राप्तं नार्तं नानि परिक्षतम् ।  
न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥९३॥

यस्तु भीतः परावृत्तः भंग्रामे हन्यते परैः ।  
भर्तुर्यद् दुष्कृतं किञ्चित्सर्वं प्रतिगद्यते ॥९४॥

न दूटे आयुध वाले को, न ( पुत्रादि मरने से ) आर्त को, न जिस के बहुत घाव हुवे हों उस को न डरपोक को न भागने वाले को, सत्पुरुषों के धर्मका अनुस्मरण करता हुआ ( मारे ) ॥९३॥ जो योद्धा युद्ध में डर कर पीछे हटा हुआ शत्रुओं से मारा जाता है, वह स्वामी का जो कुछ पाप है उस सब को पाता है ॥९४॥

यज्ञस्य सुकृतं किञ्चिदमुत्राथमुपार्जितम् ।  
भर्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥९५॥



रथारवं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशून् स्त्रियः ।

सर्वद्रव्याणि कुप्यं च योयज्जयति तस्य तन् ६६

पीछे हट के मरे का जो कुछ परलोक के लिये उपार्जन किया हुआ सुकृत है वह सम्पूर्ण स्वामी लेलेता है ॥९५॥ रथ घोड़े, हार्थी, छत्र, धन धान्य ( बैल आदि ) पशु स्त्रियों और सब द्रव्यों घृत तैलादि, (इन में से) जो जिस को जीते, वह उमका है ॥९६॥

राज्ञश्च द्युरुद्धारमित्येषा वैदिकी श्रुतिः ।

राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमपृथग्विजितम् ॥९७॥

(छट में से) उत्तम धन और वाहनादि राजा को देवे, यह वेदों से सुना है । साथ मिल कर जीती वस्तु, विभाग पूर्वक राजा सब योद्धों को दे देवे । ( ९७ वें से आगे एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक है :-

[श्रुतेभ्यो विभजेदर्थान्नैः सर्वहरो भवेत् ।

नामपात्रेण तुप्येत छत्रेण च महीपतिः ॥ ]

( राजा ) नौकरोका धन बांट दे अकेला ही मय न लेले । क्यों कि राजाको तो छत्र और नाम मात्रसे प्रसन्न होना चाहिये ) ॥९७॥

एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तो योधधर्मः सनातनः ।

अम्माद्धर्मान्न न्यवेत् क्षत्रियोऽनन् गणे रिदूत ॥९८॥

यह सनातन अनुपाकृत = अनिन्दित योद्धाओं का धर्म कहा । रण में शत्रुओं को मास्ता हुआ क्षत्रिय इस धर्म को न छोड़े ॥९८॥

अलब्धं चैव लिप्येत लब्धं रक्षेत्रयत्नतः ।

रक्षितं वर्धयेच्चैव घृष्टं पात्रेषु निक्षिपेत् ॥९९॥

एतच्चतुर्विधं विद्यात्पुरुषार्थप्रयोजनम् ।

अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक्कुर्यादतन्द्रितः ॥१००॥

जो नहीं मिला है, उस के लेने की इच्छा करे, मित्रे हुवे की प्रयत्न से रक्षा करे और जो रक्षित है, उस को बढ़ावे और बढ़े को अच्छे योग्य पात्रों को देवे ॥९९॥ यह चार प्रकार का पुरुषार्थ प्रयोजन जाने । आलस्य रहित होकर नित्य अच्छे प्रकार इस का अनुष्ठान करे ॥१००॥

अलब्धमिच्छेद्दण्डेन लब्धं रक्षेद्वेक्षया ।

रक्षितं वर्धयेद् वृद्ध्या वृद्धं दानेन निक्षिपेत् ॥१०१॥

नित्यमुद्यतदण्डः स्यान्नित्यं विवृतपौरुषः ।

नित्यं संवृतसर्वार्थी नित्यं छिद्रानुसार्यरेः ॥१०२॥

जो नहीं प्राप्त है उसको दण्ड से (जीतने की) इच्छा करे और प्राप्त की देखने से रक्षा करे और रक्षित को व्यापार से बढ़ावे और बढ़े को दान से जमा कर देवे ॥१०१॥ सदा दण्ड को उद्यत रखे, सग कौने पुरुषार्थ वाला रहे और सदा अपने सम्पूर्ण अर्थोंको गुप्त रखे और शत्रुके छिद्रोंको सदा देखे ॥१०२॥

नित्यमुद्यतदण्डस्य कृत्स्नमुद्विजते जगत् ।

तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत् ॥१०३॥

अमाययैव वर्तेत न कथंचन मायया ।

बुध्येतास्त्रियुक्तां च मायां नित्यं स्वसंवृतः ॥१०४॥

नित्य उद्यत दण्डवाले राजा से सम्पूर्ण जगत् डरता है, इस लिये दण्ड ही से सम्पूर्ण जीवों को स्वाधीन करे ॥१०३॥ छल





से रहित व्यवहार करे, किसी प्रकार छल से न करे और अपनी रक्षा करता हुआ शत्रु के किये छल को जानता रहे ॥१०४॥

नास्य छिद्रं परोविद्याद्विद्याच्छिद्रं परस्य तु ।

गूहेत्कूर्मइवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः ॥१०५॥

( ऐसा यत्न करे कि जिस में ) अपने छिद्रों को शत्रु न जाने परन्तु शत्रु के छिद्रों को आप जानें । कछुवे के समान राजा अपने ( राज्य सम्बन्धी ) अङ्गों को गुप्त रखे और अपने छिद्र का संरक्षण करे । ( १०५ से आगे १ पुस्तकमें यह श्लोक अधिक है :-

[ न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत् ।

विश्वासाद्भयमुत्पन्नं मृलादपि निरुन्तति ॥ ]

अविश्वासी पर विश्वास न करे, विश्वासी पर अति विश्वास न करे क्योंकि विश्वाससे उत्पन्न भय जड़से काट देता है) ॥१०५॥

वृकवच्चिनायेदर्थान् मिहवच्च पराक्रमेत् ।

वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत् ॥१०६॥

बगला सा अर्थों ( प्रयोजनों ) का चिन्तन करे और मिह सा पराक्रम करे और वृक सा मार डाले और शशसा भाग जावे ॥१०६॥

एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः ।

तानानयेद्वशं सर्वान्सामादिभिरुपक्रमैः ॥१०७॥

यदि ते तु न तिष्ठेयुरुपायैः प्रथमैस्त्रिभिः ।

दण्डेनैव प्रसह्य तांश्छनकैर्वशमानयेत् ॥१०८॥

इस प्रकार विजय करने वाले राजा के जो विरोधी हों, उनको सामादि उपायों से वश में करे ॥१०७॥ यदि प्रथम के तीन (सात



दाम भेद ) उपायो से न माने तो दण्ड से ही बल करके क्रम मे वश मे लावे ॥१०८॥

सामाद्रीनामुपायानां चतुर्णामपि परिहृताः ।

सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिवृद्धये ॥१०९॥

यथोद्धरति निर्दाता कर्त्तुं धान्यं च रक्षति ।

तथा रक्षेन्नृपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिनः ॥११०॥

परिहृत लोग सामादि चार उपायो मे सदा राज्य की वृद्धि के लिये साम और दण्ड की प्रशंसा करते हैं ॥१०९॥ जैसे खेती नलाने वाला धान्यो की रक्षा करता है और तृणको उगवड़ डालत है वैसे ही राजा राष्ट्र की रक्षा और विरुद्ध चलनेवालों का नाश करे ॥११०॥

मोहाद्राजा स्वगर्हं यः कर्षयत्यनवेक्षया ।

सो निगद्भश्यते राज्याज्जीविताच्च न धान्यवः ॥१११॥

शरीरकण्ठात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणानां यथा ।

तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् ॥११२॥

जो राजा अज्ञान मे बिना विचारे अपने राज्य को दुःख देता है वह शीघ्र ही राज्य तथा जीवन और धान्यवो मे भ्रष्ट हो जाता है ॥१११॥ जैसे शरीर के शोषण मे प्राणियो के प्राण क्षीण होते है वैसे राजाओंकेभी प्राण राष्ट्र के पीड़ा देनेमे क्षीण होने हैं ॥११२॥

राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विद्वानभिदमाचरेत् ।

सुमंगृहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमेधते ॥११३॥

द्वयोस्त्रयाणां पञ्चाना मध्ये गुल्यमधिष्ठेनम् ।



तथा ग्रामशतानां च कुर्याद्वाष्टस्य संग्रहम् ॥११४॥

राज्य के संग्रहार्थ यह उपाय ( जो आगे कहते हैं ) करे, क्यो कि अच्छे प्रकार सुरक्षित राष्ट्र वाला राजा सुख पूर्वक बढ़ता है ॥११३॥ दो, तीन, पांच, तथा सौ ग्रामों के बीच में संग्रह करने वाले पुरुषों का समूह स्थापन करे अर्थात् कलकटरी इत्यादि राष्ट्र के स्थानों का स्थापन करे ॥११४॥

ग्रामस्याधिपतिं कुर्याद्दशग्राम-तिं तथा ।

विंशतीशं शतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥११५॥

ग्रामदोषान्समुत्पन्नान् ग्रामिकः शनकैः स्वयम् ।

शंसेद् ग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिनम् ॥११६॥

विंशतीशस्तु तत्सर्वे शतेशाय निवेदयेत् ।

शंसेद् ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम् ॥११७॥

यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामवासिभिः ।

अन्नपानेन्धनादीनि ग्रामिकस्तान्यवाप्नुयात् ॥११८॥

एक गांव का अधिपति नियत करे वैसे ही दश गांव का और बीस का और सौ का तथा हजार का ॥११५॥ ग्रामाधीश उत्पन्न हुवे ग्रामों के दोषों को आप धीरे से जान कर ( अपने योग्य न समझे ) तो दश ग्राम के अधिपति को सूचित करे. इसीप्रकार दश ग्राम वाला बीसग्रामवाले को ॥११६॥ और बीसवाला यह सब सौ वालेको और सौ वाला हजार वालेको स्वयं सूचितकरे ॥११७॥ और अन्न पान इन्धनादि जो ग्रामवासियों को प्रतिदिन देने योग्य हो उन को उस २ ग्राम पर नियत राजपुरुष पहण करे ॥११८॥

दशी कुलंतुभुञ्जीत विशी पञ्चकुलानि च ।  
 ग्रामंग्रामशताध्यक्षः सहस्राधिपतिः पुरम् ॥११६॥  
 तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणिचैव हि ।  
 राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्नानिपश्येदतन्द्रितः ॥१२०॥

( छः वेल का एक मध्यम हल ऐसे दो हलों से जितनी पृथिवी  
 जाती जाय उस को 'कुल' कहते हैं, दश ग्राम वाला एक 'कुल' का  
 भोग ग्रहण करे और बीस गांव वाला पांच कुलका और १०० ग्राम  
 वाला एक मध्यम ग्राम तथा हजार गांव वाला एक मध्यम नगर  
 का भोग ग्रहण करे (अर्थात् यह २ उन २ की जीविका हो) ॥११९॥  
 उन के ग्रामसम्बन्धी तथा अन्य कामों को एक प्रीति वाला राजा  
 का ( प्रतिनिधि ) मन्त्री आलस्यरहित होकर देखे ॥१२०॥

नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सर्वार्थचिन्तकम् ।  
 उच्चैः स्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिवग्रहम् ॥१२१॥  
 स ताननुपरिक्रामेत्सर्वानिव सदा स्वयम् ।  
 तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्यग्ग्राष्ट्रेषु तच्चरैः ॥१२२॥

प्रति नगर मे एक एक बड़े कुल का प्रधान, सेना आदि से भय  
 का दे सकने वाला और तारों मे ( शुक्रादि) ग्रह सा तेजस्वी कार्य  
 का द्रष्टा नगराधिपति नियुक्त करे ॥१२१॥ वह नगराधिपति सर्वदा  
 आप उन सब ग्रामाधिपतियों के ऊपर दौरा करे और राष्ट्र मे उनके  
 समाचारों को उस विषय में नियुक्त दूतों से जाने ॥१२२॥

राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शठाः ।  
 मृत्याभवन्ति प्रायेण तेभ्योरक्षेदिमाः प्रजाः ॥१२३॥



ये कार्याक्रेम्योर्थमेव गृह्णीयुः पापचेतसः ।

तेषां सर्वास्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम् ॥१२४॥

क्योंकि रक्षा के लिये नियत राजा के नौकर प्रायः दूसरो के द्रव्य को हरण करने वाले और बञ्चक होते हैं। राजा उन से इन प्रजाओं की रक्षा करे ॥१२३॥ जो पापवृद्धि कार्यार्थियों से द्रव्य ही ग्रहण करते हैं उन का राजा सर्वस्व हरण करके देशके बाहर निकाल देवे ॥१२४॥

राजा कर्मसु युक्तानां स्त्रोणां प्रेष्यजनस्य च ।

प्रत्यहं कल्पयेत् वृत्तिं स्थानं कर्मानुरूपतः ॥१२५॥

पणो देयोऽत्रकृष्टस्य पटुत्कृष्टस्य वेतनम् ।

पाणमासिकस्तथाऽद्वादे धान्यद्रोणस्तु मासिकः ॥१२६॥

राजा के काम में नियुक्त स्त्रियो और काम करने वाले पुरुषो की उन के कर्म के अनुसार पदवो और वृत्ति सदा नियत किया करे ( अर्थात् वेतन में घटो वा वृद्धि प्राप्ति करे ) ॥१२५॥ निकृष्ट चाकर को वेतन एक पण ( जो आगे कहेगे ) देवे और छः मशने में दो रूपड़े और एक मशने में द्रोण भर धान्य देवे और उच्छृष्ट= उत्तम काम वाले को छः गुणा देवे ( मन्थकं तिगुणा समकतो ॥ ५ पुस्तकों में वेतनं = भक्तकम् पाठ है ) ॥१२६॥

क्रयविक्रयमध्वानं भक्तं च सपरिव्ययम् ।

योगक्षेमं च संग्रहे च वणिजां दापयेत्करान् ॥१२७॥

यथा फलेन युज्यत राजा कर्त्ता च कर्मणाम् ।

तथा वच्य नपा राष्ट्रं कल्पयत्सततं करान् ॥१२८॥



वेचना खरीदना और रास्ते के खर्च, रक्षादि के खर्च और उन के निर्वाह को देखकर धनियों से कर दिवावे ॥१२७॥ कामा के करने वाले और राजा दोनों को फल अच्छा रहे, ऐसा विचारकर सत्र राज्य में कर (टैक्स) लगावे ॥१२८॥

यथाल्पाल्पमदन्त्याद्यं वार्यो कोवत्सपट्पदाः ।

तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिकः करः ॥१२९॥

पंचाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः ।

धान्यानामष्टमो भागः पष्ठो द्वादश एव वा ॥१३०॥

जैसे जोक, बछड़ा और भौरा धीरे २ अपनी खुराक को खींचते हैं वैसे राजा भी थोड़ा २ करके राष्ट्र से वार्षिक कर प्रहण करे (अर्थान् थोड़ा कर लेवे उजाड़ न दे) ॥१२९॥ पशु और सुवर्ण के लाभ का पचासवां भाग और धान्य का आठवां वा छटा वा चारहवां भाग (पैदावारके श्रम को देखकर) राजा प्रहणकरे ॥१३०॥

आददीताथ पड्भागं द्रुमांसमधुसर्पिषाम् ।

गन्धौषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च ॥१३१॥

पत्रशाकतृणानां च चर्मणां वैदलस्य च ।

मृण्मयानां च भाण्डानां सर्वस्यामश्मयस्य च ॥१३२॥

घृत, मांस, मधु घृत गन्ध औषधि रस पुष्प, मूल, फल और ॥१३१॥ पत्र शाक, तृण, चर्म और मिट्टी वा पत्थर की चीजों की आमदनी का छटा भाग ले (दि पुस्तको में द्रुमांस=द्रुमाणां पाठ है) ॥१३२॥

म्रियमाणोप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम् ।

न च क्षुधाऽस्य ससीदेच्छ्रोत्रियो विषयेवसन् ॥१३३॥



यस्य गङ्गस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुद्रा ।

तस्यापि तत्क्षुधा राष्ट्रमचिरेणैव सीदति ॥१३४॥

भरता हुआ भी राजा श्रोत्रिय से ग्रहण न करे और इसके राज्य में रहना हुआ श्रोत्रिय क्षुद्रा से पीड़ित न हो ॥१३३॥ जिन राजा के राज्य में श्रोत्रिय (वेदपाठी) क्षुद्रा से पीड़ित होता है उस की क्षुद्रा से उस राजा का राज्य भी थोड़े ही दिनों में बँट जाता है ॥१३४॥

श्रुतवृत्ते विदित्वास्य वृत्तिं धर्म्यां प्रकल्पयेत् ।

संरक्षेत्सर्वतश्चैनं पिता पुत्रमिगौरसम् ॥१३५॥

संरक्ष्यमाणो राज्ञाऽयं कुरुते धर्ममन्वहम् ।

तेनायुर्वर्धने राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च ॥१३६॥

राजा इनका वेदाध्ययन पूर्वक कर्मानुष्ठान जान कर धर्मयुक्त जीविका नियत कर देवे और सब प्रकार इमकी रक्षा करे । जैसे पिता औरस पुत्र की (रक्षा करता है) ॥१३५॥ क्योंकि राजा से रक्षा किया हुआ यह (श्रोत्रिय) निम्न धर्म करता है उस पुण्य से राजा की आयु, धन और राज्य बढ़ता है ॥१३६॥

यत्किञ्चिदपि वर्षस्य दापयेत्करसंज्ञितम् ।

व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्रं पृथग्जनम् ॥१३७॥

कारुकाञ्चिन्नैनश्चैव शूद्रांश्चात्मोपजीविनः ।

एकैकं कायेत्कर्म मासि मासि महीपतिः ॥१३८॥

राजा अपने राज्य में व्यापार वाले से भी कुछ वार्षिक थोडा सा कर दिलावे ॥१३७॥ लोहार बर्दई आदि और दासों से राजा

महीने मे एक २ काम (राजकर के बदले) करावे ॥१३८॥

नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं परेषां चातिवृष्णया ।

उच्छिन्दन्त्यात्मनोमूलमात्मानं तांश्च पीडयेत् ॥१३९॥

तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चस्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः ।

तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति संमतः ॥१४०॥

(प्रजा के स्नेह से अपना कर न लेना) अपना मूलच्छेद और लालच से (बहुत कर प्रहण करना) औरों का मूलच्छेद (है)। ये दोनों काम राजा न करे, अपना मूलच्छेद करता हुआ (कोप के क्षीण होनेसे) आप क्लेश को प्राप्त होगा और (अधिक कर प्रहण करने से) प्रजा क्लेश को प्राप्त होगी ॥१३९॥ राजा काम को देख कर न्यायानुसार तीक्ष्ण और नम्र हो जाया करे, क्योंकि इस प्रकार का राजा सब के सम्मत होता है ॥१४०॥

अमात्यमुःख्यं धर्मज्ञं प्राज्ञं दान्तं कुतोद्गतम् ।

स्थापयेदासने तस्मिन् खिन्नः कार्येक्षणं नष्टाम् ॥१४१॥

एवं सर्वं विधायेदमिति कर्त्तव्यमात्मनः ।

युक्तश्चैवाऽप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥१४२॥

आप मनुष्यों के कामोंके देखने मे खिन्न (रोगादिवश मुकदमो को न देख सकता) हो तो मुख्य मन्त्री जो धर्म का जानने वाला बुद्धिमान्, जितेन्द्रिय और कुञ्जीन हो, उस की उस जगह मनुष्यों के काम देखने पर योजना करे ॥१४१॥ अपने सम्पूर्ण कर्त्तव्य को इस प्रकार पूरा करके प्रमादरहित और युक्त राजा इन प्रजाओं की सब से रक्षा करे ॥१४२॥

विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्घ्नियन्ते दस्युभिः प्रजाः ।



संपश्यतः समृत्यस्य मृतः स न तु जीवति ॥१४३॥

क्षत्रियस्य परोधर्मः प्रजानामेव पालनम् ।

निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥१४४॥

भृत्यों के सहित जिस राजा के देखते हुये चिछाती हुई प्रजा चोरो से लूटी जाती है, वह राजा जीता नहीं, किन्तु मरा है ॥१४३॥ प्रजा का पालन ही क्षत्रिय का परम धर्म है। इस लिये अपने धर्म ही से राजा को फल भोग करना ठीक है ॥१४४॥

उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः ।

हुताग्निर्ब्राह्मणांश्चार्य्यं प्रविशेत्स शुभांसभाम् ॥१४५॥

तत्रस्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत् ।

विसृज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सहमन्त्रिभिः ॥१४६॥

(राजा) पहरमर के तड़के उठकर शौच (मुखमार्जन स्नानादि) कर, एकाग्रचित्त हो अग्निहोत्र और ब्राह्मण का पूजन करके सुन्दर सभा में प्रवेश करे ॥१४५॥ उस सभा में स्थित संपूर्ण प्रजा को निवटेरे से प्रसन्न करके विसर्जन करे, अनन्तर मन्त्रियों से (राजसम्बन्धी सन्धि विप्रहादि) मन्त्र (मलाह) करे ॥१४६॥

गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः ।

अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥१४७॥

यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः ।

स कृत्स्नां पृथिवीं भुङ्क्ते कोशहीनेऽपि पार्थिवः ॥१४८॥

पर्वत पर चढ़कर वा एकान्त घर में वा वृक्षरहित वन में वा एकान्त में जहां भेड़ लेनेवाले न पहुँच सकें मन्त्र करे ॥१४७॥

जिस के मन्त्र को मिलकर अन्य मनुष्य नहीं जान पाते वह कौश-  
हीन राजा भी सम्पूर्ण पृथ्वी को भोगता है ॥१४८॥

जडमूकान्धवधिरा स्तिर्यग्योनान्वयोतिगान् ।

स्त्रीस्लेच्छव्याधितव्यङ्गान्मन्त्रकालेऽपसारयेत् ॥१४९॥

भिन्दन्त्यत्रमता मन्त्रं तिर्यग्योनास्तथैव च ।

स्त्रियश्चैव विशेषेण तस्मात्तत्रादृतो भवेत् ॥१४८॥

जड़, मूक, अन्ध, वधिर, पत्नी आदि वृद्ध, स्त्री स्लेच्छ, रोगी  
और विकृत अङ्ग वाले को मन्त्र के समय में (वहां से) हटा देवे  
॥१४९॥ पूर्वोक्त जडादि अपमान को प्राप्त हुये मन्त्रभेद कर देते हैं  
ऐसे ही शुक सारिकादि पत्नी और विशेष करके स्त्री मन्त्रभेदक हैं  
इसलिये उनको (अपमान न करे) आदर पूर्वक हटा दे ॥१५०॥

मध्यादिनेर्धरात्रे वा विश्रान्तो विगतक्लमः ।

चिन्तयेद्धर्मकामार्थान् सार्धं तैरेक एव वा ॥१५१॥

परस्परविरुद्धानां तेषां च समुपार्जनम् ।

कन्यानां सम्प्रदानं च कुमागणां च रक्षणम् ॥१५२॥

दोपहर दिन में वा अर्धरात्रि में चित्त के खेद और शरीर के  
क्लेश से रहित हुवा मन्त्रियों के साथ वा अकेला धर्म अर्थ काम  
का चिन्तन करे ॥१५१॥ यदि धर्म अर्थ काम परस्पर विरुद्ध हों  
तो इन के विरोध दाय के परिहार द्वारा उपार्जन और कन्याओं के  
दान और पुत्रों के रक्षण शिक्षणादि (का चिन्तन करे) ॥१५२॥

दूतसंप्रेषणं चैव कार्यशेषं तद्वै च ।

अन्तःपुरप्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टिनम् ॥१५३॥

कृत्स्नं चाष्टविधं कर्म पञ्चवर्गं च तत्त्वतः ।

अनुरागापरागौ च प्रचारं मण्डलस्य च ॥१५४॥

परराज्य में रत्न भेजने और शेष कामों तथा अन्तःपुर अर्थात् महल में जो प्रचार हो रहा है उसका और प्रतिनिधियों के काम का (विचार करे) ॥१५३॥ सम्पूर्ण अष्टविधकर्म और पञ्चवर्ग का तत्त्व से विचार करे और अमात्यादि के अनुराग विराग को जाने और मण्डल के प्रचार (कौन लडना चाइता है और कौन सुलह करना चाहता है) को विचारे । (यहाँ ८ वा ५ प्रकार के कामों की गिनती नहीं लिखी है इसलिये हम मेघातिथि के भाष्य से उद्धृत करके उरान. श्रुतिकुशलांको सार्थ लिखना उचित समझते हैं -

[आदाने च विसर्ग च तथा प्रैपनिषेधयोः ।

पञ्चमे चार्थवचने व्यवहारस्य चेत्तयो ॥

दण्डयाशुद्धयोस्तथा युक्तस्तेनाष्टगतिकानृपः ॥]

भेंट वा कर लेना, वेतन वा पारितोषिकादि देना, दुष्टों को त्यागना-पृथक् करना, अधिकारियों के मतमद का स्वीकार न करना (वा विधि और निषेध) बुरी वृत्तियों को नहीं करना (अपील में रह करना) व्यवहार पर ऋष्टि अपराधियों को दण्ड और पराजितों की रत्न के प्रायश्चित्त करना, ये आठ हैं ॥ और दूसरे प्रकार से भी मेघातिथि ने गणना की है । यथा-व्यागर, पुल बांधना किले बनवाना उनकी स्वच्छता का ध्यान हाथी पकड़ना खानि खोदना, जङ्गलों को वसाना और वन कटवाना ॥८॥ अन्य भी कई प्रकार से भाष्यकारों ने गणना की है ॥ अब पांच की गणना सुनिये-कोई तो मानने हैं कि १ कर्मारम्भापाय २ पुरुष संपात्त ३ हानि का प्रतिकार ४ देश कालका विभाग ५ कार्यसिद्धि ।

और कांड कहते हैं कि १ कापटिक २ उदासीन ३ बद्ध ४ गृहपति ५ तापस, ये ५ प्रकार के बनावटी साधु वेष बनाये अन्य राजा की ओर से अन्य राजा का भेद जानने का फिरा करते हैं. उनके लिये वैसे ही अपने यहां रखे ॥ इसी भाव के २ श्लोक मन्त्र की टीका में मिलते हैं:-

[वने वनेचराः कार्याः श्रमणाटविकादय ।

परप्रवृत्तिज्ञानार्थं शीघ्राचारपरंपराः ॥१

परस्य चैते बोद्धव्यास्तादृशैरेव तादृशाः ।

चारमंचारिणः संस्था. शठाश्चारूढमञ्जिताः ॥२ ॥

मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोश्च चेष्टितम् ।

उदासीनप्रचारं च शत्रोश्चैव प्रयत्नतः ॥१५५॥

एताःप्रकृतयोमूलं मण्डलस्य समासतः ।

अष्टौचान्याः समाख्याता द्वादशैव तु ताःस्मृताः ॥१५६

१ मध्यम २ जीतने की इच्छा करने वाले ३ उदासीन और ४ शत्रु के प्रचार को प्रयत्न से (राजा विचारे) ॥१५५॥ ये चार प्रकृतियां संक्षेप से मण्डल की मूल हैं और आठ अन्य कही गई हैं (इन ४ के मित्र ४ और ४ के शत्रु ४ = ८) ये सब वारह हैं ॥१५६॥

अमात्यराष्ट्रदुर्गार्थिदण्डाख्याः पंच चापराः ।

प्रत्येकं कथिता ह्येता संक्षेपेण द्विसप्ततिः ॥१५७॥

अनन्तगमरिं विद्यादरिसेविनमेव च ।

अरेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः पम् ॥१५८॥

अमात्य, देश, दुर्ग, कोश और दण्ड, ये पांच और भी

(प्रकृति) हैं। (पूर्वोक्त मूल प्रकृति चार और शाखा प्रकृति आठ, एत) चारह की पाच २ प्रत्येक की प्रकृति है (ये मिलकर साठ होती हैं और य मूल चार-२ मिला कर) संक्षेप से वहत्तर होती हैं ॥१५७॥ शत्रु और शत्रु के संवियों को समीप ही जानें। उसके अनन्तर मित्र को जानें। पश्चान् उदासीन को अथात् इन पर उत्तरात्तर नष्टि रखे ॥१५८॥

तान्सवानाममंद्घ्यात्मामादिभिरुपक्रमः

व्यस्तश्चैव समस्तेश्च पौरुषं नयेन च ॥१५९॥

सान्धं च विग्रहं चैव यानमासनमेव च ।

द्वैधीभावं संश्रयं च पगुणांश्चिन्तयेत्सदा ॥१६०॥

उन सब को सामादि उपायो से वश में करे। एक २ उपाय से या सब से और पुरुषार्थ तथा नीति से (वश में करे) ॥१५९॥  
१ मेल २ लड़ाई ३ शत्रु पर चढ़ जाना ४ उसकी राह देखना ५ अपने दो भाग कर लेना और ६ दूसरे का आश्रय कर लेना इन छः गुणों को सर्वदा विचारे ॥१६०॥

आसनं चैव यानं च सन्धिं विग्रहमेव च ।

कार्यं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वैधं संश्रयमेव च ॥१६१॥

सन्धिं तु द्विविधं विद्याद्राजाविग्रहमेव च ।

उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥१६२॥

आसन यान, सन्धि, विग्रह, द्वैध और आश्रय इन गुणों को अवसर देखकर जब जैसा उचित हो तब वैसा करे ॥१६१॥ सन्धि दो प्रकार की जाने और विग्रह भी दो प्रकार का। यान, आसन और संश्रय भी दो दो प्रकार के हैं ॥१६२॥

समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च ।

तदा त्वार्यातसंयुक्तः सन्धिज्ञेयोद्विलक्षणः ॥१६३॥

स्वयंकृतश्च कायार्थमकाल काल एव वा ।

मित्रस्य चैवापकृत द्विविधोविग्रहः स्मृतः ॥१६४॥

(तत्काल वा आगामी समय के फल लाभ के लिये जहां दूसरे राजा के साथ किमी और राजा पर चढ़ाई की जाती है उसको) "समानयानकर्मा" सन्धि और ( 'हम इस पर चढ़ाई करेंगे तुम उस पर करो' इस प्रकार मेल करके दो शत्रु २ राज्यों पर चढ़ाई करने के लिये जो मेल किया जाता है उसको) 'असमानयानकर्मा' कहते हैं। इन दो को दो प्रकार की सन्धि जानें ॥१६३॥ शत्रु के जयरूप कार्य के लिये (शत्रु के व्यसनादि जानकर उचित मार्ग शीर्षादि) काल वा विना काल में स्वयं युद्ध करना एक विग्रह और अपने मित्रके अपकार होनमें (उसका शत्रुका) जो युद्ध है सो दूसरा है, (ऐसे) दो प्रकारका विग्रह कहा है ॥१६४॥

एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदृच्छया ।

संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥१६५॥

क्षीणस्य चैव क्रमशो दैवात् पूर्वकतेन वा ।

मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम् ॥१६६॥

द्वैवयोग से अत्यावश्यक कार्य में अकेला शत्रुपर चढ़ाई करना या मित्र के साथ होकर शत्रु पर चढ़ाई करना यह दो प्रकार का 'यान' (धावा) है ॥१६५॥ पूर्व जन्म के दुष्कृत से वा यही की बुराई से क्षीण राजा का चुपचाप बैठा रहना ? आसन है और मित्र के अनुरोध से चुपचाप बैठे रखना २ दूसरा ये दो प्रकार के आसन कहे हैं ॥१६६॥



बलस्यं स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्थसिद्धये ।

द्विविधं कीर्त्यते द्वैधं पाङ्गुण्यगुणवेदिभिः ॥१६७॥

अर्थसंपादनार्थं च पीड्यमानस्य गत्रुभिः ।

माघुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥१६८॥

अर्थ सिद्धि के लिये कुछ सेना को एक स्थान पर स्थापित कर केशव सेना के साथ राजा दुर्ग में रहे। यह दो प्रकार का द्वैध पङ्गुण्यज्ञ लोग कहते हैं ॥१६७॥ शत्रुओंसे पीड़ित राजाको प्रयोजन की सिद्धि के लिये किसी की शरण लेना और सज्जनों के साथ व्यपदेश के लिये शरण लेना (अर्थात् बिना शत्रु पीड़ा भी किसी बड़े राजा के आश्रय रहना, जिससे अन्य राजों को उम बड़े के आश्रय का भय रहे) ऐसे दो प्रकार का संश्रय कहा है ॥१६८॥

यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं भ्रुवमात्मनः ।

तदात्वेचाल्पिकां पडां तदा सन्धि समाश्रयेत् ॥१६९॥

यदा प्रकृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीमृशम् ।

अत्युच्छ्रितं तथात्मानं तदा कुर्वीत मिग्रहम् ॥१७०॥

जब भविष्यत्काल में निश्चय अपना आधिक्य जाने और वर्तमान समय में अल्प पीड़ा देख पड़े, उस समय में सन्धि का आश्रय करे ॥१६९॥ जब (अमात्यादि) सब प्रकृति अत्यन्त बढ़ी हुई (उन्नत) जाने और अपने को अत्यन्त बलिष्ठ देखे तब विह करे ॥१७०॥

यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकम् ।

परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुं प्रति ॥१७१॥

यदा तु स्यात्परिचीणो वाहनेन बलेन च ।

तदासीत् प्रयत्नेन शनकैः सान्त्वयन्मरीन् ॥१७२॥

जब अपनी सेना हर्षयुक्त और (द्रव्यादि से)पुष्ट प्रतीतहों और शत्रु की निर्वल हा तब शत्रु के सामन जाव ॥१७१॥ परन्तु जब वाहन और बल सं आप चीण हो तब धार २ शत्रुओं को प्रयत्न से शान्त करता हुवा आसन पर ठहरा रहे ॥१७२॥

मन्वेतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम् ।

तदा द्वित्रा बलं कृत्या साधयेत्कार्यमात्मनः ॥१७३॥

यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत् ।

तदा तु संश्रयेत्क्षिप्रं धार्मिकं बलिनं नृपम् ॥१७४॥

जब लड़ाई मे राजा शत्रुओं को सर्वथा अति बलवान् समझे तब कुछ सेना के साथ आप (नेल का आश्रय करे और कुछ सेना लड़न का मोरचो पर रक्खे, इन दोनों प्रकार से अपना काम साधे ॥१७३॥ जब शत्रु सेना की बहुत चढाई हो (और आप किले के आश्रय सं भी न बच सकें) तब शीघ्र किसी धार्मिक बलवान् राजा का आश्रय (पनाह) लेवे ॥१७४॥

अनग्रहं प्रकृतीना च कुर्याद्वाशरं बलस्य च ।

उपसेवेत् तं नित्यं सर्वयत्नैर्गुरुं यथा ॥१७५॥

यदि तत्रापि संपश्येद्दोषं संश्रयकारितम् ।

सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशङ्कः समाचरेत् ॥१७६॥

जो मित्र, प्रकृतियों का और अपने शत्रुओं के बल का निग्रह करे, उसका सदा सम्पूर्ण यत्ना से दुरुवत् सेवन करे ॥१७५॥





परन्तु यदि आश्रय किये जाने से भी दोष दग्धे (अर्थान् उसमें भी कुछ धोका समझे) तब उसके साथ भी निःशङ्क होकर युद्ध करे ॥१७६॥

सर्वपायैस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः ।

यथास्याभ्यधिका नभ्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ॥१७७॥

आयति सर्वकायाणा तदात्वं च विचारयेत् ।

अतीतानां च सर्वेषा गुणदाया च तत्त्वतः ॥१७८॥

नातिक्रम जानने वाला राजा सामासिक सब उपायों से ऐसा करे कि जिस में उसके मित्र उदासीन और शत्रु बहुत न हों ॥१७७॥ सम्बन्धे भावी गुण दाप और वर्तमान समय के कर्तव्य और सब व्यतीत हुआ, को भी विचारे कि ठीक २ किस २ में क्या २ गुण दोष निकले ॥१७८॥

आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः ।

अतीते कार्ये शेषज्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते ॥१७९॥

यथैनं नाभिसंदध्युर्मित्रोदासीन शत्रवः ।

तथा सर्वं संवेदध्यादेय सामासिको नयः ॥१८०॥

जो होने वाले का ग के गुण दोष को जानने वाला (अच्छे का प्रारम्भ करता है और बुरे को छोड़ देता है) और उस समय के गुण दोषों को शीघ्र निश्चय करके काम करता है और हुवे कार्यों के शेष कर्तव्य का जानने वाला है, वह शत्रु से नहीं डवता ॥१७९॥ जिस में मित्र उदासीन और शत्रु अपने को दवाने न पावें वैसे सब विधान करे। यह संचेप से नीति है ॥१८०॥

यदा तु यानमातिष्टेदरिराष्ट्रं प्रति प्रभुः ।  
 तदाऽनेन विधानेन यायादरिपुरं शनैः ॥१८१॥  
 मार्गशीर्षे शुभे मासि यायाद्यात्रां महीपतिः ।  
 फाल्गुनं वाऽथचैत्रं वामासौ प्रति यथावलम् ॥१८२॥

जब राजा शत्रु के राज्य में जाने को यात्रा (चढ़ाई) करे तब इस विधि से धीरे-धीरे शत्रु के राज्य में गमन करे (कि) ॥१८१॥  
 जैसी अपनी सेना वा अन्य बल हो, तदनुसार शुभ मार्गशीर्षे  
 अथवा फाल्गुन वा चैत्रके महीने में राजा यात्रा करे ॥१८२॥

अन्येष्वपि तु कालेषु यदा पश्येद् ध्वं जयम् ।  
 तदा यायाद्विगृह्यैव व्यमने चोत्थिते रिपाः ॥१८३॥  
 कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधि ।  
 उपगृह्णास्पदं चैव चारान्सम्भविधाय च ॥१८४॥

और दूसरे कालों में भी जब निश्चय जय सम्झे तब यात्रा  
 करे चाहे तो अपनी ओर से ही युद्ध ठान कर अथवा जब शत्रु  
 की ओर से उपद्रव उठे ॥१८३॥ अपने राज्य और दुर्ग की रक्षा  
 करके और यात्रा सम्बन्धी ठीक-ठीक विधान करके डेरा तम्बू आदि  
 लेकर आर दूतों को भले प्रकार नियत कर (यात्रा करे) ॥१८४॥

संशोध्य त्रिविधं मार्गपङ्क्तिं च बलं स्वकम् ।  
 सांपरायिक कल्पेन यायादरिपुरं शनैः ॥१८५॥  
 शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत् ।  
 गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः ॥१८६॥



(जल स्थल, आकाश, वा ऊंचे, नीचे सम) तीन प्रकार के मार्गों का शोचन करके और छ. प्रकार का अपना बल लेकर संग्राम कल्प की विधि से धीरे २ शत्रु के नगर को यात्रा करे। (६ प्रकार का बल यह है-१ मार्ग रोकने वाले वृक्षादि कटवाना, २ गढ़ों को बरखर करना, ३ नदी वा मीलों के पुत वाचना वा नौकादि रखना ४ मार्ग रोकने वालों को नष्ट करना, ५ जिन से शत्रु को सहारा मिलना सम्भव हो उन्हें अपना बनाना, ६ रसद और सैनादि तैयार रखना अथवा १ हस्तारोही २ अश्वारोही ३ रथारोही ४ पैदल सेना, ५ कौश और ६ नौकर चाकर) ॥१८५॥ जो मित्र छिपकर शत्रु से मिला हुआ हो और जो पहिले छड़ाया फिर आया हुआ (नौकर) हो, इन से सचेत रहे क्योंकि ये (द्वानो शत्रुता करें तो) बड़ा दुःख दे सकते हैं ॥१८६॥

दण्डव्यूहेन तन्मार्गं यायात्तु शकटेन वा ।

वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥१८७॥

यतश्च भयमाशङ्कतेतो विस्तारयेद् बलम् ।

पद्मेन चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम् ॥१८८॥

(दण्ड के आकर व्यूह की रचना दण्ड व्यूह कहलाती है। ऐसे ही शकटादि व्यूह भी जानिये। उसमें आगे सेना के अफसर बीच में राजा, पीछे सेनापति द्वानो बगल हाथी उनके पास घोड़े और उनके आस पास पैदल। इस प्रकार लम्बी रचना दण्डव्यूह कहाती है। ऐसे) दण्डव्यूह से मार्ग चले अथवा शकट वराह मकर, सूची और गरुड़ के तुल्य आकृति वाले व्यूह से (जहां जैसा उचित समझे वहां वैसे यात्रा करे) ॥१८७॥ जिस ओर डर समझे उस ओर सेना बढ़ावे। सर्वदा आप (कमलाकार) पद्मव्यूह में रहे ॥१८८॥

सेनापतिबलाध्यक्षी सर्वादिक्षु निवेशयेत् ।  
 यतश्च भयमाशङ्कते प्राचीं तां कल्पयेद्दिशम् ॥१८६॥  
 गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान् कृत संज्ञान्समन्ततः ।  
 स्थाने युद्धे च कुशलानभीरूनविकारिणः ॥१८७॥

सेनापति और सेनानायकों को सब दिशाओं में नियुक्त करे और जिस दिशा में भय समझे उसे पहली (पूर्व) दिशा कल्पना करे ॥१८६॥ सेना के स्तम्भ के समान ढ ढ आप्त पुरुषों को भिन्न भिन्न संज्ञा धर कर सब ओर स्थापित करे जो स्थान और युद्ध में प्रवीण तथा निर्भय हों और विगड़ने वाले न हों ॥१८७॥

संहतान्योद्येदल्पाङ्कामं विस्तारयेद् बहून् ।  
 सूच्या वज्रेण चैवैतान्व्यूहेन व्यूह्य योद्येत् ॥१८८॥  
 स्यन्दनार्शवैः समे युध्येदन्पे नौद्विपैस्तथा ।  
 वृक्षगुल्मावृते चापैरसिचर्मायुधैः स्थले ॥१८९॥

अल्प योद्धा हों तो उनको इकट्ठा करके युद्ध करावे और बहुतों को चाहे फैलाकर लड़ाये । पूर्वोक्त सूच्याकार वा वजाकार व्यूह से रचना करके इनसे युद्ध करावे ॥१८८॥ बराबर की पृथिवी पर रथों और अश्वों से युद्ध करे पानी की जगह हाथी और नावों से वृक्ष लताओं से घिरी पृथिवी पर धनुओं और कण्टकादि रहित स्थल में खड्गचर्मादि आयुधों से (लड़े) ॥१८९॥

कुरुक्षेत्रांश्च मत्स्यांश्च पञ्चालान्शूरसेनजान् ।  
 दीर्घाल्लघ्वंश्चैव नरानग्रानीकेषु योजयेत् ॥१९०॥  
 प्रहर्षयेद् बलं व्यूह्य तांश्च सम्यक् परीक्षयेत् ।



चेष्टार्चैव विजानीयादरीन्योभयतामपि ॥१६४॥

कुरुक्षेत्र निवासी और मत्स्यदेश के निवासी तथा पाञ्चाल और शूरसेन देश निवासी नाटे और ऊँचे मनुष्यों को सेना के आगे करे (क्योंकि ये रणकर्कश वीर होते हैं) ॥१९३॥ व्यूह की रचना करके उनको उदाहृत करे और उनकी परीक्षा करे। शत्रुओं से लड़ते हुवे भी उनकी चेष्टाओंको जाने (कि कैसे लड़ते हैं) ॥१९४॥

उपरुध्यारिमासीत् रात्रौ चास्योपपीडयेत् ।

दूपयेच्चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम् ॥१६५॥

भिन्द्याच्चैत्र तडागानि प्राकारपरिखास्तया ।

समवस्कन्दयेच्चैनं रात्रौ वित्रासयेत्तथा ॥१६६॥

शत्रुओं को घेर कर देश को उच्छिन्न करे और निरन्तर घास अन्न जल और इन्धन को नष्ट करे ॥१९५॥ तालाब और शहर-पनाइ और घेरे भी तोड़ डाले और शत्रु का निर्बल करे और रात्रि में कष्ट देवे ॥१९६॥

उपजप्यानुपजपेद् बुध्येतेव च तत्कृतम् ।

युक्ते च दैवे युध्येत जयप्रप्सुरपेतभीः ॥१६७॥

साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरथवा पृथक् ।

जितुं प्रयतन्ताराच्च युद्धेन कदाचन ॥१६८॥

शत्रु के मन्त्री आदि को तोड़ कर भेद लेवे। और उसके इसी काम का भेद जाने। यदि दैव सहायक हो तो निडर होकर जय की इच्छा करने वाला ऐसा युद्ध करे ॥१९७॥ (होसके तो) साम, दान, भेद इन में से एक २ से वा तीनों से शत्रु को जय करने का प्रयत्न करे, (पदिने) युद्ध ले कभी नहीं ॥१९८॥

अनित्योविजयो यस्माद्दृश्यते युध्यमानयोः ।  
 पराजयश्च संग्रामे तस्माद्बुद्धं विवर्जयेत् ॥१६६॥  
 त्रयाणामप्युपायानां पूर्वोक्तानामसम्भवे ।  
 तथा युध्येत सम्पन्नो विजयेत रिपून्यथा ॥२००॥'

( संग्राम मे ) लड़ने वालों के जय पराजय अनित्य देखे जाते हैं । इस लिये ( अन्य उपायों के होते ) युद्ध न करे ॥१५५॥ पूर्वोक्त तीनों उपायों से जय सम्भव न हो तो सम्पन्न (हस्ती अश्व आदिसे युक्त) जिस प्रकार शत्रुओंको जीते, उसप्रकार लडे ॥२००॥

जित्वा सम्पूजयेद्देवान्ब्राह्मणांश्चैव धार्मिकान् ।  
 प्रदद्यात्परिहारांश्च स्थापयेद्भयानि च ॥२०१॥  
 सर्वेषां तु विदित्वेषां समासेन चिकीर्षितम् ।  
 स्थापयेत्तत्र तद्वश्यं कुर्याच्च समयक्रियाम् ॥२०२॥

परराज्य को जीत कर वहां देवता और धार्मिक ब्राह्मणों का पूजन करे और उस देश वालों को परिहार ( लड़ाई के समय जिन दीन पुरुषों की हानि हुई हो, उन के निर्वाहार्थ ) देवे और अभय की प्रसिद्धि करे ॥२०१॥ ( शत्रु राजा और ) उन सब के ( मन्त्र्यादि के ) अभिप्राय को संक्षेप से जान कर उस ( शत्रु ) राजा के वंश मे हुवे पुत्रादि को उस गद्दी पर बैठावे और "यह करो यह न करो" तथा उस के अन्य विषयों के नियम (अहद) स्वीकार करावे ॥२०२॥

प्रमाणानि च कुर्यात् तेषां धर्मान्यथोदितान् ।  
 रत्नैश्च पूजयेदेतं प्रधानपुरुषैः सह ॥२०३॥



आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम् ।

अभीप्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥२०४॥

उनके यथोचित धर्मों ( रिवाजों ) को प्रमाण करे और रत्नों में प्रधान पुरुषों के साथ उस का पूजन करे ( अर्थान् मये वजीरो के उस गद्दी पर बैठये राजा को विलत देवे ) ॥२०३॥ यद्यपि अभिलषित पदार्थों का लेना अप्रिय और दाना ( मद्य के ) प्रिय है । तथापि समय विशेष में लेना और देना देना अच्छे है ॥२०४॥

सर्वं कर्मदयायत्तं विधाने दैवमानुषे ।

तयोर्देवमचिन्त्यं तु मानुषे विद्यते क्रिया ॥२०५॥

यह सम्पूर्ण कर्म दैव तथा मनुष्य के आधीन है । परन्तु उन दोनों में दैव अचिन्त्य है ( उस की चिन्ता व्यर्थ है ) इस लिये मनुष्य के आधीन अंश में कार्य किया जाता है ॥२०५॥

( २०५से आगे छोड़ो भाष्यमें प्राचीन भाष्यकार मेधातिथिका भाष्य इन ३ श्लोकों पर अधिक है जो कि अब अन्य भाष्यों वा मूल पुस्तकों में नहीं पाये जाते । प्रतीत होता है कि ये श्लोक पीढ़े से नष्ट हो गये वा किये गये :-

[ दैवेन विधिनाऽयुक्तं मानुष्यं यत्प्रवर्तते ।

परिक्लेशेन महता तदर्थस्य समाधकम् ॥१॥

संयुक्तस्यापि दैवेन पुरुषकारेण वर्जितम् ।

विना पुरुषकारेण फलं क्षेत्रं प्रयच्छति ॥२॥

चन्द्रार्काद्या ग्रहा वायुरग्निरापस्तथैव च ।

इह दैवेन माध्यन्ते पौरुषेण प्रयत्नतः ॥३॥ ]

जब कभी दैव की विमुखता में पुरुषार्थ किया जाता है तब



भी अधिक कष्ट उठाने से काम बन ही जाता है ॥१॥ और देव की अनुकूलता में पुरुषार्थ न किया जाय तो जैसे बोया हुआ ही बीज खेती से मिलता है ( वैसे पूर्व पुरुषार्थ का ही फल होता है ) ॥२॥ चन्द्र सूर्य आदि ग्रह, वायु और अग्नि तथा बादल सब संसार में यज्ञ पूर्वक ईश्वरीय पुरुषार्थ से ही सध रहे हैं ॥३॥ ) ॥२०५॥

सह वापि ब्रजेद्युक्तः सन्धिं कृत्वा प्रयत्नतः ।

मित्रं भूमिं हिरण्यं वा सम्पर्शयं स्त्रिविधं फलम् ।२०

अथवा मित्रता, सुवर्ण, भूमि, यह तीन प्रकार का यात्रा का फल देखते हुवे उस के साथ सन्धि करके वहां से गमन करे। ( अथान् मित्रता या कुञ्ज रुपया या भूमि लेकर उसके साथ प्रयत्न से सुलहकर चला आवे ) ॥२०६॥

पार्ष्णिग्राह च सम्प्रैच्य तथाक्रन्दं च मण्डले ।

मित्रादथाप्यमित्राद्वा यात्राफलमवाप्नुयात् ॥२०७॥

हिरण्यभूमि सम्प्राप्त्या पार्थिवो न तथैधते ।

यथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्या कृशमप्यायात क्षमम् ।२०८॥

( जो पराये राज्य का जय करते राजा के पीछे राज्य दवाता हुआ राजा आवे उस को ) मण्डल में "पार्ष्णिग्राह" ( कहते हैं ) और ( जो उस को ऐसा करने से रोके उस को ) 'क्रन्द' ( कहते हैं ) दोनों को देख कर मित्र से वा अमित्र से यात्रा का फल ग्रहण करे। ( ऐसा न करे जिस से पार्ष्णिग्राह वा क्रन्द अपने से विगड़ जावें ) ॥२०७॥ राजा सुवर्ण और भूमि को पाकर बैसा नहीं बढ़ता, जैसा (वर्त्तमान) दुर्बल भी आगामी काल में काम देने योग्य स्थिर मित्र को पाकर बढ़ता है ॥२०८॥





धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च ।  
 अनुक्ताधिरारम्भं लघु मित्रं प्रशस्यते ॥२०६॥  
 प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च ।  
 कृतज्ञं घृतिमन्तं च कष्टमाद्गुरिं बुधाः ॥२१०॥

धर्मज्ञ, कृतज्ञ, प्रसन्नचिन्त प्रीति करने वाला, स्थिर कार्य का आरम्भ करने वाला द्वांष्ट मित्र अच्छा होना है ॥२०६॥ बुद्धिमान् कुलीन शूर, चतुर, दाता, कृतज्ञ और धैर्य वाले शत्रु को विद्वान् लोग कठिन कहते हैं ॥२१०॥

आर्यता पुरुषज्ञानं शौर्यं करुणवेदिता ।  
 स्थौल लक्ष्यं च सततमुदासीनगुणोदयः ॥२११॥  
 क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यं पशुवृद्धिकरीमपि ।  
 पणित्यजेन्नृपो भूमिमात्मार्थमविचारयम् ॥२१२॥

सभ्यता मनुष्यों को पहचान, शूरता कृपाशुता और मोटी र बातों पर ऊपरी लक्ष्य रखना, यह उदासीन गुणों का उदय है ॥२११॥ कल्याण करने वाली सम्पूर्ण धान्यों को देने वाली और पशुवृद्धि करने वाली भूमि को भी राजा अपनी रक्षा के लिये विचार न करता हुआ छोड़ देवे ॥२१२॥

आपदर्थं धनं रक्षेदारान् रक्षेद्धनैरपि ।  
 आत्मानं सततं रक्षेदारैरपि धनैरपि ॥२१३॥  
 सह सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमीच्यापदो भृशम् ।  
 संयुक्तांश्च वियुक्तांश्च सर्वोपायान्सृजेद् बुधः ॥२१४॥

आपत्ति (की निवृत्ति) के लिये धन की रक्षा करे और धनों स्त्रियों की रक्षा करे और अपने को मंत्री और धनोसे भी निरन्तर रक्षित करे ॥२१३॥ बहुत सी आपत्ति एक साथ उत्पन्न होती देखे तो (उनके हटाने को) बुद्धिमान् (सामाधि) सब ही उपाय अलग २ वा मिलकर करे ॥२१४॥

उपेतारमुपेयं च सर्वोपायांश्च कृत्स्नशः ।

एतत्त्रयं समाश्रित्य प्रयतेतार्थसिद्धये ॥२१५॥

एवं सर्वाभिद राजा सहस्रमन्त्र्य मन्त्रिभिः ।

व्यायम्याप्सुत्यमध्यान्हे भोक्तुमन्तःपुरं विशेषत् ॥२१६॥

उपाय करने वाले और उपाय के योग्य साध्य और उपाय ३ तीनों का ठीक २ आश्रय करके अर्थसिद्धि के लिये प्रयत्न व ॥२१५॥ उक्त प्रकार से सम्पूर्ण वृत्त को राजा मन्त्रियों के सा विचार कर स्नान तथा (शस्त्र के अभ्यास द्वारा) व्यायाम (कसर करके मध्याह्न में भोजन को अन्त.पुर में प्रवेश करे ॥२१६॥

तत्रात्मभूतैः कालज्ञैर्गृह्यैः परिचारकैः ।

सुपरीक्षितमन्नाद्यमद्यान्मन्त्रैर्विपापहैः ॥२१७॥

विपघ्नैर्गदैश्चास्य सर्वद्रव्याणि योजयेत् ।

विपघ्नानि च रत्नानि नियतो धारयेत्तदा ॥२१८॥

उस अन्त पुर में भोजन काल के भेद जानने वाले, दूद । शत्रुपक्ष में न मिल जाने योग्य अपने सेवकों के द्वारा सिद्ध कर हुआ और (चकोरादि पक्षियों से) परीक्षित और विप के दूर क वाले मन्त्रो (गुप्त विचारो) से शुद्ध हुवे अन्न का भोजन करे ॥२ राजा के सब भोज्य द्रव्यों में विप का नाश करने वाली दवा ३

और विप के दूर करने वाले गत्तो का नियम से सत्र (राजा) धारण करे ॥२१८॥

परीक्षिताः स्त्रियश्चैनं व्यजनोदकधूपनैः ।

वेपामरणमंशुद्धाः स्पृशेयुः सुसमाहिताः ॥२१९॥

एवं प्रयत्नं कुर्वीत यानशय्यासनाशने ।

स्नाने प्रसाधने चैव सर्वालङ्कारकेषु च ॥२२०॥

परीक्षा की हुई. वेप आभूषणों से शुद्ध, एकाग्रचित्त स्त्रिया पंखा, पानी, धूप, गन्ध में राजा को मेवाकरें ॥२१९॥ इसी प्रकार का (परीक्षादि) प्रयत्न वाहन, शय्या, आसन, भोजन स्नान, अनुलेपन और सत्र अलङ्कारों में भी करे ॥२२०॥

भुक्तवान् विहरेच्चैव स्त्रीभिरन्तःपुरे सह ।

विहृत्यतु यथाकालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत् ॥२२१॥

अलंकृतश्च संपश्येदायुधीयं पुनर्जनम् ।

वाहनानि च सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च ॥२२२॥

भोजन करके इसी अन्तःपुर में स्त्रियों के साथ कुछ देर टहले फिर (राजसम्बन्धी) कामों का विचार करे ॥२२१॥ शस्त्राभूषणादि अलङ्कार धारण किये हुए आयुध से जीने वालों (सवार सिपाही आदि) और सम्पूर्ण वाहन तथा शस्त्रों और आभूषणों को देखे ॥२२२॥

संध्यां चोपास्य श्यायादन्तर्वेश्मनि शस्त्रभृत् ।

रहस्याख्यायिनां चैव प्रणिधीनां च चेष्टितम् ॥२२३॥

गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समनुज्ञाप्य तं जनम् ।

प्रविशेद्भोजनार्थं च स्त्रीवृतोऽन्तपुरं पुनः ॥२२४॥

फिर सन्ध्योपासन करके निवासगृह के एकान्त में शम्भु धारण किये हुवे, गुप्त समाचार कहन वाल दूतां और प्रतिनिधियों के समाचार और कामों को सुन ॥२२३॥ अन्य कमर में उन का विसर्जन कर अन्तःपुर की भित्ति के साथ फिर से भाजन के लिये अन्त पुर में जावे ॥२२४॥

तत्र भुक्त्वा पुनः किञ्चित् र्यधोपैः प्रहर्षितः ।

संविशेत्तु यथाकालमुत्तिष्ठेच्च गतक्लमः ॥२२५॥

एतद्विधानमातिष्ठेदरेगः पृथिवीपतिः ।

अस्वस्थः सर्गमेतत्तु भृत्येषु विनियोजयेत् ॥२२६॥

यहां भोजन करके फिर थोड़े गाने बजाने से प्रसन्न किया हुआ उचित काल में शयन करे । पुनः (४ घड़ी के तड़के) विश्रान्त होकर उठे ॥२२५॥ रोगरहित राजा यह सब इस प्रकार से (आप ही) करे और यदि अस्वस्थ होतो भृत्योंसे यहसब कार्यकरावे ॥२२६॥



इति मानवे धर्मशास्त्रे ( भृगुप्रोक्तायां संहितायां )

सप्तमोऽध्यायः ॥७॥

इति श्री तुलसीरामस्वामिविरचिते मनुस्मृतिभाषानुवादे

सप्तमोऽध्यायः ॥७॥

श्री३३

## अथाष्टमोऽध्यायः

— — —

व्यवहारान्दिदृक्षुस्तु ब्राह्मणैः मरु पार्थिवः ।  
मन्त्रज्ञैर्मन्त्रिभिश्चैव विनीतः प्रविशेत्सभाम् ॥१॥  
तत्रामीनः स्थितोवापि पाणिमुग्रम्य दक्षिणम् ।  
विनीतवेपाभरणः पश्येत्कार्याणि कार्पिणाम् ॥२॥

विशेष करके नीति में सुशिक्षित राजा व्यवहारों के देखने को ब्राह्मणों और मन्त्र (सलाह) के जानने वाले मन्त्रियों के साथ सभा में प्रवेश करे ॥१॥ विनययुक्त वेप आमूषण वारण करके उस (ममा) में बैठा या खड़ा हुआ दाहिने हाथ को उठाकर काम वालों के कामों को देखे ॥२॥

प्रत्यहं देशदृष्टैश्च शास्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः ।

अष्टादशसु मार्गेषु निवद्धानि पृथक् पृथक् ॥३॥

(जो कि) अष्टादश १८ व्यवहार के मार्गों में नियत कार्य हैं उनको देश व्यवहार और शास्त्रद्वारा समझे हुये हेतुओंसे पृथक् २ निय (विचारे) वे अठारह आगे कहे हैं। (इसमें "निवद्धानि=विविधानि" यह पाठ भेद संशयतिथि नं व्याख्यात कि ग है । तथा एक पुस्तक में इय तीमरे श्लोक में आगे एक श्लोक यह अधिक पाया जाता है:—

[हिंसां यः कुरुते कश्चिद्देयं वा न प्रयच्छति ।

स्थाने ते द्वे विवादस्य त्रिणां अष्टादशसु पुनः]



कोई किसीकी हिंसाकरे वा देने योग्य न देवे ये दो [फौजदारी व दीवानी] विवाद के मुख्य स्थान हैं। फिर अष्टादश १८ प्रकार का विवाद है) ॥३॥

तेषामाद्यामुणादानं निक्षेपोऽस्वामिविक्रयः ।  
 संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥४॥  
 वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः ।  
 क्रयविक्रयानुशयोविवादः स्वामिपालयोः ॥५॥  
 सीमाविवादवर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके ।  
 स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसंग्रहणमेव च । ६॥  
 स्त्रीपुंधर्मो विभागश्च द्यूतमाद्वेष एव च ।  
 पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थितापिह ॥७॥  
 एषु स्थानेषु भूयिष्वादिषु चरतां नृणाम् ।  
 धर्मं शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यं विनिर्णयम् ॥८॥

उनमें पहिला १ ऋणाऽज्ञान है कि ऋण लेकर न देना वा बिनो दिये मांगना, २ निक्षेप = धरोदर, ३ बिना स्वामी होने के बेचना, ४ साभे का व्यापार, ५ दान दिये को फिर लेलेना ॥४॥ ६ नौकरी का न देना, ७ इतरार नाम के विरुद्ध चलना ८ खरीदने बेचने का झगड़ा ९ पशु स्वामी और पशुपाल का झगड़ा ॥५॥ १० सरहदकी लड़ाई ११ कड़ी बात कहना १२ मारपीट १३ चोरी १४ जबरदस्ती, धनादि का हरण करना १५ परस्त्री का लेलेना ॥६॥ १६ स्त्री और पुरुषके धर्म की व्यवस्था १७ धन का भाग १८ जुवा और जानवरो की लड़ाई में हार जीत का दाव लगाना । संसार में ये अठारह व्यवहार प्रवृत्तिके स्थान है ॥७॥ (इन ऋणा-

ऽज्ञानादि) व्यवहारों में बहुत झगड़ने वाले पुरुषों का सन्तानतंत्र के अनुसार कार्यनिर्णय करे ॥८॥

यदा स्वयं न कुर्यात्तु नृपतिः कार्यदर्शनम् ।

तदा नियुज्ज्याद्विद्वान्मं ब्राह्मणं कार्यदर्शने ॥९॥

सोऽस्य कार्याणि संपश्येत्सम्यैरेव त्रिभिर्वृतः ।

समाभेव प्रविश्याग्रयामासीनः स्थित एव वा ॥१०॥

जब राजा आप ( किमी कारण ) कार्य दर्शन न कर सके अथवा कार्याधिकादि में आप सब मुकद्दमां का न देख सके ) तब विद्वान् (नीतिज्ञ) ब्राह्मण का कार्य देखने में नियुक्त करे ॥९॥ वह ब्राह्मण तीन सभ्य पुरुषों के ही साथ सभा में ही प्रवेश करके, एकप्र मंडे हुवे वा घेठकर राजाके दम्बनेके सब कामों को देखे ॥१०॥

यस्मिन्देशे त्रिपीदन्नि विप्रा घेदविदस्त्रयः ।

राज्ञश्चा धिकृतो विद्वान् ब्रह्मणस्तां समांविदुः ॥११॥

धर्मो विद्वस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते ।

शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्वान् सभासदः ॥१२॥

जिस देश में वेदों के जानने वाले ३ ब्राह्मण ( राजद्वार में ) रहते हैं और राजा के अधिकार को पाया हुवा १ विद्वान् ब्राह्मण रहता है उसको ब्रह्मा की सभा जानते हैं ॥११॥ जिस सभा में अधर्म से धर्म को बीचा जाता है ( उस सभ्यको क्लेश देने वाले ) शल्य ( काँटे ) को जो सभामद् नहीं निकालने तब उसी अधर्मरूप काँटे से वे सभामद् विवते हैं ( अर्थात् सभासद् लोग मुकद्दमे की पेचीदगी को न निकालें तो पाप भागी होते हैं ) एक पुस्तक में यह पाठ भेद है कि "निकृन्तन्ति विद्वान्सोऽत्रसभासदः" इस पक्ष में यह

अर्थ है कि उस कांटे को विद्वान् सभासद् निकालते हैं) ॥१२॥

सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम् ।

अत्रुर्वान्वत्रु वन्यापि नरो भवति किल्बिषी ॥१३॥

यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्राऽनृतेन च ।

हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥१४॥

या तो सभा (कचहरी) न जाना, जावे तो सच कहना । कुछ न बोले या झूठ बोले तो मनुष्य पापी होता है । (८ पुस्तकों में "सभा वा न प्रवेष्टव्या पाठ भेद है और एक में 'सभायां न प्रवेष्टव्यम्' पाठभेद भी देखा जाता है) ॥१३॥ जिस सभामें सभों के देखते हुवे धर्म, अधर्म सं और सच झूठ से नष्ट होता है, वहां के सभासद् (उस पाप से) नष्ट होते हैं ॥१४॥

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्याद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥१५॥

वृषोहि भगवान्धर्मस्नस्य यः कुरुते ह्यलम् ।

वृषलं तं विदुर्देवास्तस्मद्धर्मं न लोपयेत् ॥१६॥

नष्ट हुवा धर्म ही नाश करता है और रक्षित हुवा धर्म रक्षा करता है । इस लिये धर्म का नष्ट न करना चाहिये जिस सं नष्ट हुवा धर्म हमारा नाश न करे ॥१५॥ भगवान् धर्म को वृष कहते हैं उस को जो नष्ट करता है उस को देवता "वृषल जानते हैं । इस लिये धर्म का लोप न करे ॥१६॥

एक एव सुहृद्धर्मं निधनेऽप्यनुयाति यः ।

शरीरेण सम नाशं सर्वमन्यद्वि गच्छति ॥१७॥





पादोऽधर्मस्य कर्त्तारं पादः साक्षिणमृच्छति ।

पादः सभासदः सर्वान् पादा राजानमृच्छति ॥१८॥

एक धर्म ही मित्र है जो मरण पर भी साथ चलता है अन्य सब शरीरके साथ ही नाश को प्राप्त हो जाता है ॥१७॥ (दुर्व्यवहार के करने से अधर्म के चार भाग हैं उन में) एक भाग अधर्म करने वालका लगता है दूसरा भाग झूठा साक्ष्य देने वाले को, तीसरा सभासदों को और चौथा राजा को लगता है ॥१८॥

राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः ।

एनो गच्छति कर्त्तारं निन्दाहोयत्र निन्द्यते ॥१९॥

जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद्ब्राह्मणत्रुवः ।

धर्मप्रवक्ता नृपतेर्न तु शूद्रः कथञ्चन ॥२०॥

जिस सभा में असत्यवादी वा पापकर्त्ता की ठीक ठीक बुराई (निन्दा) की जाती है वहां राजा और सभासद निष्पाप होजाते हैं और (उस अधर्म) करने वाले को ही पाप पहुंचता है ॥१९॥ जिस को जातिमात्र से जीविका है (किन्तु वेदादि का पूर्ण ज्ञान नहीं) ऐसा अपने को ब्राह्मण कहने वाला पुरुष चाहे (अभाव में) धर्म का प्रवक्ता हो परन्तु शूद्र कभी नहीं ॥ (इस का यह तात्पर्य नहीं है कि ब्राह्मण कुलोत्पन्न कुपट लोग धर्मप्रवक्ताहो किन्तु एक तो ऐसा पुरुष हो जो ब्राह्मणकुल में उत्पन्न मात्र हुआ है, वेदाध्ययनादि विशेष विद्या नहीं रखता, दूसरा शूद्रकुलोत्पन्न हो और वह भी विशेष विद्यासे हीन हो तो इन दोनों में वह उत्तम है जो कि ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न है) ॥२०॥

यस्य शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्मविवेचनम् ।

तस्य सीदति तद्राष्ट्रं पङ्के गौरिव पश्यत ॥२१॥  
 यद्राष्ट्रं शूद्रभूयिष्ठं नास्तिकाक्रान्तमद्विजम् ।  
 विनश्यत्याशु तत्कृत्स्नं दुर्भिन्नव्याधिपीडितम् ॥२२॥

जिस राजा के यहां धर्म का निर्णय शूद्र करता है उस का वह राज्य देखते हुवे कीचड़ में गौ सा (फंस) पीड़ा को प्राप्त होजाता है ॥२१॥ जिस राज्य मे शूद्र और नास्तिक अधिक हों और द्विज न हों वह सम्पूर्ण राज्य दुर्भिन्न और व्याधि से पीड़ित हुवा शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है ॥२२॥

धर्मासनमाघृष्टाय संवीताङ्गः समाहितः ।  
 प्रणम्य लोकपालेभ्यः कायदर्शनमारभेत् ॥२३॥  
 अर्थानर्थावुभौ बुद्ध्वा धर्माधर्मौ च केवलौ ।  
 वर्णक्रमणं सर्वाणि पश्येत्कार्याणिकार्यिणाम् ॥२४॥

(राजा)धर्मासन ( गद्दी ) पर बैठ कर शरीर ठके स्वस्थचित्त लोकपालों ( जिन ८ दिव्यगुणों से राजा को युक्त होना चाहिये ) को नमस्कार ( आदर ) करके काम देखना आरम्भ करे (अर्थात् अच्छी तरह इजलास में बैठ कर मुकद्दमों को देखे ) ॥२३॥ अर्थ अनर्थ दोनों को तथा केवलधर्म और अधर्म को जान कर वर्णक्रम से ( अर्थात् प्रथम ब्राह्मण का फिर क्षत्रिय का-इस क्रम से ) कार्य वालों के सम्पूर्ण कार्यों को देखे ॥२४॥

वाह्यैर्विभादयेन्ल्लिङ्गैर्भावमन्तर्गतं नृणाम् ।  
 स्वरवर्णैर्ङ्गिताकारैश्चक्षुषा चेष्टितेन च ॥२५॥  
 आकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषितेन च ।

नेत्रवक्त्रविकारश्च गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥२६॥

मनुष्यों के बाहर के लक्षण-स्वर ( आवाज ) और शरीर को) चर्च और नीचे ऊपर देखना. आकार(पसीना रोमाञ्च आदि) और चत्र तथा चेष्टासे भीतरी अभिप्राय को समझे ॥२५॥ आकार, आकाश, इगारे, गति चेष्टा, भावण और नेत्र तथा मुखके विकारों से मन का भेद जाना जाता है ॥२६॥

बालदायादिकं रिक्तं तावद्राजानुपालयेत् ।

यावत्समस्वार्त्तमावृत्तां यावच्चार्त्तानर्गतामः ॥२७॥

वशाऽपुत्रासु चैवं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च ।

पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवास्यातुरासु च ॥२८॥

बालक के जन्म भाग का द्रव्य राजा तब तक ( जैसे कोर्ट आफ़ नार्डिम में ) पालन करे जब तक वह समावर्त्तन वाला (पढ लिख होशियार ) हो और जवनक लड़कन जाता रहे (अर्थान् जब तक बालिग हो ) ॥२७॥ वन्-या अमुत्रा चण्डिहरिता, पतिव्रता और विधवा तथा धिप्रयेगिणो ध्री म भी ऐसा ही हो ( उनके द्रव्य को भी राजा रक्षा करे ॥

२८ वें में आगे नेशातिथि के भाष्यानुसार एक यह श्लोक अधिक है.-

[ एवमेव विधिं कुर्यान्नोपित्तु पतितास्वपि ।

यस्त्रान्नपानं देयं च वनयुग्च गृहान्निक्रे ॥]

यही विधि पतित स्त्रियों में करे कि वन्न अन्न पान और घर के समीप रहने की जगह दो जावे) ॥२८॥

जीवन्तीनां तु तासां ये तद्वरेयुः स्ववान्धवाः ।

तांस्त्रिभुवनैर्दण्डेन धार्मिकः पृथिवीमतिः ॥२६॥

प्रणष्टरवांसकं निवृत्तं राजा त्र्यब्दं निधापयेत् ।

अर्नात्त्र्यब्दाद्द्वगत्स्वामी परेण नृपतिर्हरेत् ॥३०॥

उन जीवती हुई स्त्रियो का वह धन जो बान्धव, हरण के, उन को चोर दण्ड के समान धार्मिक राजा दण्ड दिये ॥२९॥ जिस का स्वामी न हो उस ( लावारिस ) धन को राजा तीन वर्ष तक रकबे तीन वर्ष के भीतर ( उस के स्वामी का पना लो तो वह ) लेलेवे. अनन्तर राजा हरण ( जप्त ) करे अर्थान् ढढोरा पीटने मे कि "जिस की हो ले जाओ" ३ वर्ष तक कोई लेने वाला न मिले तो वह धन राजा का हो जावे) ॥३०॥

ममेदमिति यो ब्रूयात्सोऽनुयोज्यो यथाविधि ।

संवाद्यरूपसंख्यादीन् स्वामीतद्द्रव्यमर्हति ॥३१॥

अवेदयानो नष्टस्य देशं कालं च तत्रतः ।

वर्णं रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमर्हति ॥३२॥

जो कहे कि यह धन मेरा है, तब उस से राजा यथाविधि पूछे कि क्या स्वरूप है और कितना है वा कैसा है इत्यादि । जब यह सब सही कहे तब उस धन को उसका स्वामी पावे ॥३१॥ नष्ट द्रव्य का देश काल वर्ण रूप प्रमाण ( अर्थात् कहां, कब कौनसा रङ्ग कैसा आकार कितना यह सब अच्छे प्रकार न जानता हो तो उसी के बराबर दण्ड पाने योग्य है । अर्थात् भूठा दावा करने वाले को उस धनके बराबर दण्ड दिया जावे, जिस धन पर उसने दावा किया हो ) ॥३२॥

आददीताथ षड्भागं प्रणष्टाधिगतान्नृपः ।



दशमं द्वादशं वापि सतां धर्ममनुस्मरन् ॥३३॥

प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं तिष्ठेद् युक्तैरधिष्ठितम् ।

यास्तत्र चौरान्गृह्णीयात्तान् राजेभेन वातयेत् ॥३४॥

नष्ट द्रव्य फिर पावे तो उस में उस द्रव्य का छठा भाग वा दशवां वा चारहवां सत्पुरुषों के धने का अनुस्मरण करता हुआ राजा ग्रहण करे ॥३३॥ जो द्रव्य किसी का गिरा, राजपुरुषों को पाया पहरे में रक्खा हो, उस को जो चोर चुरावे, उनको राजा हाथीसे मरवा डाले ॥३४॥

ममायमिति यो ब्रूयान्निधिं सत्येन मानवः ।

तस्याददीत पङ्कभागं राजा द्वादशमेववा ॥३५॥

अनृतं तु वदन्दण्डयः स्वन्नित्तस्यांशमष्टमम् ।

तस्यैव वा निधानस्यसंख्यायाल्पीयसीं कलाम् ॥३६॥

जो पुरुष सचाई से, कहे कि 'यह निधि मेरा है' उस के निधि से राजा छठा वा चारहवां भाग ग्रहण करे ( शेष उस को देदेवे ) ॥३५॥ ( यदि वह पराये को "मेरा है" ऐसा ) असत्य कहे तो अपने धनका आठवां भाग दण्डके योग्य है, वा गिन कर उमी धन के अल्प भाग पर दण्ड के योग्य है ( निधि उसको कहते हैं जो पुराना बहुत काल पृथिवी में दबा हुआ रक्खा हो । वैद्ययोग से वह कभी किसी को मिल जावे तो वह राजा का धन है और यदि उस पर कोई अपनेन का दावा करे और सत्य २ सिद्ध होजावे तो छठा भाग राजाले, शेष उसे देदेवे । यदि झूठा दावा हो तो दावा करने वाले की जितनी हैसियत हो उसक अष्टमांश वा उस निधि का कुछ अंश दावा करने वाले पर दण्ड

किया जावे )॥३६॥

विद्वांस्तु ब्राह्मणो दृष्ट्वा पूर्वोपनिहितं निधिम् ।

अशेषतोऽप्याददीत सर्वस्याधिपतिर्हि सः ॥३७॥

यदि विद्वान् ब्राह्मण पूर्वकालस्थापित निधि को पावे तो वह सब लेले क्यो वह सब का म्नामी है (अर्थान् उस में में छठा भाग राजा न लेवे ॥

३७ वेसे आगे ४ पुस्तकोमें यह श्लोक अधिक पाता जाता है:-

[ ब्राह्मणस्तु निधिं लब्ध्वा क्षिप्रं राज्ञे विवेदयेत् ।

तेन दत्तं तु भुञ्जीत स्तेनः स्यादऽनिवेदयन् ॥

यदि ब्राह्मण भी निधिको पावे तो शीघ्र राजाको विदित करदे । फिर जब राजा उसे देदेवे तो भोग लगावे और राजा को निवेदन करता हुवा [ किन्तु चुपचाप भागता हुवा ] चोर समझा जावे ) ॥३७॥

यं तु पश्येन्निधिं राजा पुराणं निहितं क्षितौ ।

तस्माद् द्विजेभ्यो दत्त्वार्धमर्धं कोशे प्रवेशयेत् ॥३८॥

राजा पडी हुई भूमि में जो पुरानी निधि को ( म्वयं ) पावे तो उस में आधा द्विजो को दान देकर आधा कोश में रखे ॥३८॥

निधीनां तु पुगणानां धातूनामेव च क्षितौ ।

अर्धभागक्षणाद्राजा भूमैरधिपतिर्हि सः ॥३९॥

दातव्यं सर्ववर्णैर्भ्यो राजा चौरैर्हृतं धनम् ।

राजातदुपयुञ्जानश्चौरस्याप्नोति किल्बिषम् ॥४०॥

पुरानी निधि ( ब्राह्मण से भिन्न को पाई हुई ) और सुवर्णादि



के उत्पत्तिस्थानो का, राजा आधे का भागी है । क्योंकि भूमिकी रक्षा करने से वह उसका स्वामी है ॥३९॥ जो धन चोरों ने हरण किया है उसको राजा पाकर धन के स्वामी का चाहे वह किसी वर्ण का हो देवे । उस धन का यदि राजा स्वयं नाग करे तो चोरके पाप का पाता है ॥४०॥

जातिजानपदान्धर्मान्श्रेणीधर्माश्च धर्मवित् ।

समीक्ष्य कुलधर्माश्च स्वधर्मं प्रतिपादयेत् ॥४१॥

स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपिमानवाः ।

प्रियाभवन्ति लोकस्य स्वेस्वे कर्मण्यत्रस्थिता ॥४२॥

धर्मका जानने वाला (राजा) जातिधर्म देशधर्म और श्रेणी धर्म (वर्णगवृत्त्यादि) और कुलधर्म इनको अच्छे प्रकार देखकर (इनके विरुद्ध न हो) राजधर्म को प्रचरित करे (यहां धर्मशब्द रिवाजों का वाचक है, जो रिवाज वैदिक धर्मके विरुद्ध न हों) ॥४१॥ जाति देश और कुल के धर्मों और अपने कर्मों को करते हुवे अपने अपने कर्म में वर्तमान दूर रहने हुवे लोग भी लोक ( सोसाइटी) के प्रिय होते हैं ( अर्थात् मनुष्य कहीं किसो विलायत में भी रहता हुआ, अपने देशादि के धर्म कर्म करता रहे तो सोसाइटी का प्रिय रहता है । इसलिये इसको न छोड़े न छुड़ावे ) ॥४२॥

नात्पादयेत्स्वयं कार्यं राजा नाप्यन्यपुरुषः ।

न च प्रापिनमन्त्रेण प्रसेदर्थं कथञ्चन ॥४३॥

यथा नयत्यसृक्पातैर्मृगस्य मृगयुः पदम् ।

नोत्तथाऽनुमानेन धर्मस्य नृपितः पदम् ॥४४॥

राजा और राजपुरुष (कामगार) भी ऋणाऽद्वानादि का ऋणदा स्वयं उत्पन्न न करावे और यदि कोई पुरुष विवाद को प्रस्तुत (पेश) करे तो राजा और राजपुरुष उस ही उपाय (हजम) न करें। वा रिश्वत लेकर खारिज न कर दें) ॥४३॥ जैसे मृग के रुविर पात के मार्ग से खोजता हुआ व्याघ्र ठिकाने को प्राप्त होता है, वैसे ही राजा अनुमानसे धर्म के पद (मुआमले की असलियत) को प्राप्त होवे ॥४४॥

सत्यमर्थं च संपश्येदात्मानमथ साक्षिणः ।

देशरूपं च कालं च व्यवहारविधौ स्थितः ॥४५॥

सद्गिराचरितं यत्स्याद्धार्मिकैश्च द्विजातिभिः ।

तद्देशकुलजातीनामविरुद्धं प्रकल्पयेत् ॥४६॥

व्यवहार (मुआमला, मुद्दमा) के देखने में प्रवृत्त (राजा वा राजपुरुष) सत्य अर्थ (गोहिरण्यादि) तथा आपे और साक्षियों तथा देश रूप और काल को देखे (विचारे) ॥४५॥ जो धार्मिक सत्यरूप द्विजातियो से आचरण किया हुआ हो और कुल जाति तथा देश के विरुद्ध न हो ऐसा व्यवहार का निर्णय करे ॥४६॥

अधमार्थसिद्धमर्थमुत्तमार्थेन चोदितः ।

दापयेद्धनिकस्यार्थमधमार्थाद्विभावितम् ॥४७॥

यैर्यैरुपायैरर्थं स्वं प्राप्नुयादुत्तमार्थिकः ।

तैस्तैरुपायैः संगृह्य दापयेदधमार्थिकम् ॥४८॥

धर्मेण व्यवहारेण क्लृप्तेनाचरितेन च ।

प्रयुक्तं साधयेदर्थं पञ्चमेन वल्लेन च ॥४९॥

यः स्वयं साधयेदर्थमुत्तमार्थोऽधमार्थिकात् ।





न स राज्ञाभियोक्तव्यः स्वकं संसाधयन्धनम् ॥५०॥

अधमर्ण (करजदार) से ऋण = ऋणों का धन मिलने के लिये उत्तमर्ण=महाजन के करजदार से महाजन का निश्चित धन दिलावे ॥४७॥ जिन २ उपायों से महाजन अपना ऋण पा सके उन २ उपायों से ऋण संप्रह करके दिलावे ॥४८॥ या तो धर्म से या व्यवहार=राजद्वार या छल की चाल से या आचरित (लेन देन के दवाव) से या पांचवें बलात्कार से यथार्थ धन का साधन करे (अदा करादे) ॥४९॥ जो महाजन आप करजदार से रुपया निकाल ले तो उस पर राजा अभियोग (मुकदमा कायम) न करे जब कि वह ठीक २ अपना धन निकाल रहा हो ॥५०॥

अर्थेऽपण्ययमानं तु करणेन विभाविनम् ।

दापयेद्वनिकर्म्यार्थं दण्डलेजं च शक्तितः ॥५१॥

अपन्हवेऽधमर्णस्य देहीत्युक्तस्य संगति ।

अभियोक्ता दिशेद्देश्यं करणं वान्पदुदिशेत् ॥५२॥

धन के विषय में नकार करने वाले से लेन माग्नादि द्वारा प्रमाणित कर महाजन का ऋण और यथाशक्ति थोडा दण्ड भी (राजा) दिलावे ॥५१॥ प्रथम नमा में अभियोक्ता (वर्मान्तम्य) करज लेने वाले से कहे कि महाजन का ऋण दे। उस पर जब वह कहे कि मैं नहीं जानता तब राजा माही (गवाह) वा अन्य कुछ साधन (तमन्मुक आदि) के प्रस्तुत करने की उत्तमर्ण को आज्ञा देवे ॥५२॥

अद्देश्यं यश्य दिशति निर्दिश्यापन्हुते च यः ।

यश्चाधरोत्तरानर्थान्विगीताच्चावबुध्यते ॥५३॥



॥५७॥

कारणोंसे उसको भी पराजित (हारा) कहदे ॥५७॥ जो अभियोक्ता (मुद्दे) राजद्वार मे निवेदन करके न बोले (अर्थात् नालिश करके खवानी न बोले) तब (छांटे बड़े मुकद्दमे के अनुसार) बन्ध वा जुर्माने के योग्य हो और यदि उस पर मुद्दआ-इलह डेढ़ महीने के भीतर झूठे दावे से हुई हानि की नालिश न करे तो धमेत. (कानून से) हार जावे ॥५८॥

या यावान्नह धीतार्थं मिथ्या यावति वा वदेत् ।

तौ नृपेण ह्यधर्मज्ञौ दाप्यौ तद्द्विगुणं दमम् ॥५९॥

पृष्टोऽपव्ययमानस्तु कृतावस्थो धनैरिणा ।

ज्यवरैः साक्षिभिर्भाव्यो नृपत्राह्वणसन्निधौ ॥६०॥

जो (मुद्दआइलह अमल धन मे से ) जितने धनको न दे और जो ( मुद्दे असल धन से ) जितना बढ़ा कर दावा करे, उस ( घटाये बढ़ाये ) धन का दूना ( अर्थात् घटाने वाले से घटाने का दूना और बढ़ाने वालेसे बढ़ानेका दूना) दण्ड उन दोनो अधर्मियों से राजा दिलावे ॥५९॥ राजा और ब्राह्मण के सामने पूछा जावे और नकारकरे तो मशान कमसे कमतीन गवाहोंसे सिद्धकरे ॥६०॥

यादृशा धनिभिः कार्या व्यवहारेषु साक्षिणः ।

तादृशान्संप्रवक्ष्यामि यथावाच्यमृतं च तैः ॥६१॥

गृहिणः पुत्रिणोमौलः क्षत्रविदूशूद्रयोनयः ।

अथ्युक्ताः साक्ष्यमर्हन्ति नयेकेचिदनापदि ॥६२॥

मुकद्दमो में महाजनों को जैसे गवाह करने चाहिये और उन (गवाहों) को जैसे सच बोलना चाहिये सो भी आगे कहता हूँ ॥६१॥ कटुम्बी पुत्र वाले उसी देश के रहने वाले क्षत्रिय, वैश्य



शूद्र वर्ण वाले ये लोग जब कि अर्थी (मुहर्ष) कहे कि मेरे साक्षी हैं तब साक्ष्य के योग्य होने हैं हर कोई नहीं। जब तक कि कुछ आयति न हो। (यहां ब्राह्मण को गवाही में इस लिये नहीं कहा है कि सांसारिक कार्यों में पड़ने से उस के पारमार्थिक कामों में बाधा न पड़े और यदि न्य साक्षी न मिल सके तो ब्राह्मण साक्षी वैसे तो सर्वोत्तम है, इस लिये आगे ब्रूहीति ब्राह्मणं 'पृच्छेत्' कहेंगे) ॥६२॥

आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः ।

सर्वधर्मविदोऽनुब्धा विपरीतास्तु वर्जयेत् ॥६३॥

नोर्थसंवन्धिनोऽनाप्ता न सहाया न वैरिणः ।

न दृष्टदोषाः कृतव्या न व्याघ्यार्ता न दूषिताः ॥ ६४ ॥

सब वर्णों में जो यथा र्थ कहने वाले और सम्पूर्ण धर्म के जानने वाले हो उन को कामों में साक्षी करना चाहिये और इन से विपरीतो को नहीं ॥६३॥ धन के सम्बन्धी, अमत्यवादी, नौकर आदि सहायक, शत्रु दूसरी जगह जानकर झूठी गवाही देने वाले, रोगी और (महापातकादि से) दूषितो को (गवाह) न करे ॥६४॥

न साक्षी नृपतिः कार्योः नकारुककुशीलवौ ।

नश्रोत्रियो न लिङ्गस्थोनसंगेभ्योविनिर्गतः ॥६५॥

नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्युर्न विकर्मकृत् ।

न वृद्धो न शिशुर्नैको नान्त्यो न विकलेन्द्रियः ॥६६॥

राजा, कारीगर, नट श्रोत्रिय, ब्रह्मचारी और संन्यासी को भी साक्षी न बनावे ॥६५॥ परतन्त्र वदनाम दस्यु निपिद्धकर्म करने वाला, वृद्ध, बालक, और १ एक ही और चण्डाल और जिसकी



इन्द्रिये स्वयं न हो उसे (साक्षी) न करे ॥६६॥

नार्तो न मत्तो नोन्मत्तो न चतुष्टुष्णोपपीडितः ।

न भ्रमातो न कामातो न क्रुद्धो नापि तस्करः ॥६७॥

स्त्रीणांसाक्षरंस्त्रियः कुर्युर्द्विजानां सदृशा द्विजाः ।

शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥६८॥

दुःखी मद्यादिमत्त, पागल, ब्रूधा, तृपा से पीडित थका, कामपीडित, क्रोध वाजा और चोर (ये भी साक्षी योग्य नहीं हैं) ॥६७॥ स्त्रियों का साक्ष्य स्त्रियां करें। द्विजों का (साक्ष्य) उन के सदृश द्विजकरे। शूद्रों का (साक्ष्य) सज्जन शूद्र करें और चण्डालों का (साक्ष्य) चण्डाल करे ॥६८॥

अनुभावी तु यः कश्चित्कुर्यात्साक्ष्यं त्रिवादिनाम् ।

अन्तर्वेश्मन्यरण्ये वा शरीरस्मापि चात्यये ॥६९॥

स्त्रियाण्यसंभवे कार्यं बालेन स्थविरेण वा ।

शिष्येण वन्धुना वापि दासेन भृताङ्गेन वा ॥७०॥

घर के भीतर, वन में, शरीर के अन्त (खून) में, इन माट्टों में जो कोई भी अनुभव करने वाला हो वही साक्षी किया जा सकता है ॥६९॥ (मकान के भीतर आदि स्थानों में ऊपर लिखे साक्ष्य के) न होने पर स्त्री, बालक, वृद्ध, शिष्य, वन्धु और नौकर चाकर भी साक्ष्य करें ॥७०॥

बालवृद्धातुराणां च साक्ष्येषु वदतां मृषा ।

जानीयादस्थिरां वाचमुत्सिक्तमनसां तथा ॥७१॥

साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंग्रहणेषु च ।

वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥७२॥

बाल, वृद्ध आतुर और चलचित्त लोग साक्ष्य में झूठ बोलें तो इनकी दाणी को स्थिर न जाने ॥७१॥ सम्पूर्ण माहों (डाका मकान जलाना इत्यादि) में चोरी, परस्त्रीसङ्ग, गाली और मारपीट में साक्षियों की परीक्षा न करे (अथान् ६१ से ६८ श्लोक तक जिस प्रकार के साक्षी कहे हैं वैसे ही का नियम नहीं) ॥७२॥

बहुत्वा परिगृहीयात्साक्षिद्वैधे नराधिपः ।

समेपुतुगुणोत्कृष्टान् गुणिद्वैधे द्विजेत्तमान् ॥७३॥

समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिध्यति ।

तत्र सत्यं ब्रुवन्माक्षी धर्मार्थाभ्या न हीयते ॥७४॥

परस्पर विरुद्ध साक्षियों में जिस बात को बहुत कई उमको राजा ग्रहण करे और विरुद्ध कइने वाले साक्षी जहां संख्या में समान हों वहां अधिक गुण बातों का और यदि गुण वाले विरुद्ध कहे तो वहां द्विजेत्तमाना (ब्राह्मणों) का प्रमाण करे ॥७३॥ मामने देखने से और सुनने से भी साक्ष्य सिद्ध होता है उसमें सच बोलने वाला साक्षी धर्म अर्थ से नहीं हारता ॥७४॥

साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद्विब्रुवन्नार्यसंसदि ।

अवाङ्मनरकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥७५॥

यत्रानिबद्धोऽपीक्षेत शृणुयाद्वापि किञ्चन ।

पृष्ठस्तत्रापि तदब्रूयाद्यथादृष्टं यथाश्रुतम् ॥७६॥

आर्यों की सभा में देखे सुने से विरुद्ध कइने वाला साक्षी अधोमुख नरक में जाता है और मरकर भी स्वर्ग से हीन हो जाता है ॥७५॥ जिस (मुकदम) में न भी कहा हुआ हो (कि तुम इसमें

साक्षी हो) उसमें भी जो देखे और सुने उस को पूछने पर जैसा देखे सुने वैसा ही कहे ॥७६॥

एकोऽलुब्धस्तु साक्षीस्याद्बह्वयः शुच्योपि न स्त्रियः ।

स्त्रीबुद्धेरऽस्यत्वात्तु दोषैश्चान्तेऽपि ये वृताः ॥७७॥

स्वभावेनैव यद्ब्रूयुस्तद् ग्राह्यं व्यावहारिकम् ।

अतो यदन्यद्विब्रूयुर्धर्मार्थं तदपार्थक्यम् ॥७८॥

एक ही साक्षी लोभादि रहित हो तो पर्याप्त है परन्तु स्त्रियां बहुत और पवित्र भी होवें तो भी नहीं, क्योंकि स्त्री की बुद्धि स्थिर नहीं होती । और लोगों से युक्त अन्य लोगों को भी साक्षी न करे ॥७७॥ साक्षी स्वभाव से (अथान् भगदिते रहित होकर) जो कहे वह व्यवहार के निर्णय में ग्राह्य है और इससे विरती (भय लोभ आदि ने) जो विभक्त बात कह सो व्यवहार के निर्णयार्थ निरर्थक है ॥७८॥

सभान्तः साक्षिणः प्राणानर्थिप्रत्यर्थिमन्त्रिषु ।

प्राड्विवाकोऽनुयुञ्जीत विविनानेन सान्त्वयन् ॥७९॥

यद् द्वयोरनयोर्वैत्यकार्येऽस्मिंश्चेष्टितं मिथः ।

तद्ब्रूत सर्वं सत्पेन युष्माकं ह्यत्र साक्षिणा ॥८०॥

सभा के बीच प्राण हुये साक्षियों से अर्थी और प्रत्यर्थी के सामने प्राड्विवाक (वकील आदि) धैर्य देकर आगे कहे प्रकार से पूछे कि ॥७९॥ इन दोनों (मुद्दई मुद्दआइलह) ने आपस में इस काम में जो कुछ किया हो उसको तुम जो कुछ जानते हो सो सब सचाई से कहे क्योंकि तुम्हारी इसमें गवाही है ॥८०॥

सत्पं साक्ष्ये ब्रू कस्यो लोकाणाप्नोति पुष्कलान् ।



इह चानुचामां कीर्त्तिं वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥८१॥

साच्चेऽनृतं वदन्पाशैर्बुध्यते वारुणैर्भृशम् ।

विवशं शतमाजातीस्तस्मात्साच्यं वदेद्वनम् ॥८२॥

साक्ष्य कर्म मे सच बोलता हुआ साक्षी उत्कृष्ट (ब्राह्मादि) लोको और इस लोक मे उत्तम कीर्त्ति को प्राप्त होता है क्योंकि यह सत्य वाणी ब्रह्म = वेद से पूजी हुई है ॥८१॥ क्योंकि साक्ष्य मे असत्य कहने वाला वरुण के पारो से परतन्त्र हुआ शत जन्म पर्यन्त अत्यन्त पीड़ित होता है (अर्थान् जलान्तरादिसे पीड़ित) इस कारण सच साक्ष्य (गवाही) दे ॥ (८२ वें से आगे ३ श्लोक अधिक पाये जाते हैं। जिनमें से पहिला और तीसरा एक पुस्तक में और दूसरा तीन पुस्तको मे मिलता है

[ब्राह्मणो वै मनुष्याणामादित्यस्तेजसां दिवि ।

शिरो वा सर्वागात्राणां धर्माणां सत्यमुत्तमम् ॥१॥

नास्ति सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम् ।

साक्षिधर्मे विशेषेण तस्मात् सत्यं विशिष्यते ॥२॥

एकामेवाऽद्वितीयं तु प्रवृत्तवन्नावबुध्यते ।

सत्यं स्वर्गस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥३॥

जैसे मनुष्यो में ब्राह्मण, आकाश के तारागणो मे सूर्य और अन्य सब अङ्गो मे शिर (ऐसा ही) धर्मो मे सत्य उत्तम है ॥१॥ सत्य से बढ़कर धर्म नहीं है असत्य से बढ़कर पाप नहीं। विशेषकर साक्षी के धर्म मे। इस कारण सत्य उत्तम है ॥२॥ जो एक सत्य ही कहता है दूसरी बात नहीं कहता वह भूलता नहीं। सत्य स्वर्ग की सीढ़ी है, जैसे समुद्र मे नौका ॥३॥ ॥८२॥





सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते ।  
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥८३॥

आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः ।  
भावसंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम् ॥८४॥

सत्य से साक्षी पवित्र हो जाता है और सत्यभाषण से धर्म बढ़ता है। इसलिये सब वर्णों के साक्षियों को सत्य ही बोलना चाहिये ॥८३॥ (शुभ और अशुभ कर्मों में) आत्मा ही अपना साक्षी है और आप ही अपनी गति (शरण) है। इसलिये इन मनुष्यों के उत्तम साक्षी अपने आत्मा का (भूँठ साक्ष्य से) अपमान मत कर ॥८४॥

सन्न्यन्ते वै पापकृतो न कश्चित्पश्यतीति नः ।  
तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्यैवान्तरपूरुषः ॥८५॥  
धौर्भूमिरापोहृदयं चन्द्रः, अग्नि यमानिलाः ।  
रात्रिः संध्ये च धर्मश्च वृत्तजाः सर्वदेहिनाम् ॥८६॥

पापकरने वाले जानने हैं कि हम को कोई देखता नहीं। परंतु उन को देवता (जो अगले श्लोक में गिनाये गये हैं) देखते हैं और अपने ही शरीर का भीतर वाला पुरुष देखता है ॥८५॥ आकाश, भूमि जल, हृदय, चन्द्र, सूर्य, अग्नि यम, वायु रात्रि दोनो सन्ध्या और धर्म ये सब प्राणियों के शुभाशुभ कर्मोंको जानते हैं। (इस लिये साक्षी असत्य न बोले। इन जड़ पदार्थों का अविष्टाव देव (परमात्मा) ज्ञाता समझो। प्रपञ्चपूर्वक कथन प्रभावार्थ है) ॥८६॥

देवब्राह्मणसाक्षिष्ये साक्ष्यं पृच्छेदतं द्विजान् ।



उदङ्मुखान्प्राङ्मुखान्वा पूर्वाह्णैश्च शुचि शुचीन् ॥८७॥

ब्रूहीति ब्राह्मणं पृच्छेत्सत्यं ब्रूहीतिपार्थिवम् ।

गोबीजकाञ्चनैर्वैश्यं शूद्रं सर्वैस्तु पातकैः ॥८८॥

देवता और ब्राह्मण के समीप में पवित्र द्विजातियों को पूर्व मुख वा उत्तर मुख कराके आप शुद्ध स्वस्थचित्त हुआ अभियोक्ता सबेरेके समय सच सच घृतान्त पूछे ॥८७॥ 'कहो' ऐसा ब्राह्मण से पूछे । और 'सच बोलो' ऐसा क्षत्रिय से पूछे और 'गाय, बीज, सुवर्ण के चुराने का पातक तुम को होगा जो मूँठ बोलोगे तो ऐसा कह कर वैश्य से पूछे । 'सब पातक तुम को लंगेंगे जो मूँठ बोलोगे तो', ऐसा कह कर शूद्र से पूछे ॥८८॥

ब्रह्मघ्नोयेस्मृतालोका ये च स्त्रीबालघातिनः ।

मित्रद्रुहः कृतघ्नस्य ते ते स्युर्ब्रुवतो मृषा ॥८९॥

जन्मप्रभृति यत्किञ्चित्पुण्यं भद्रं त्वया कृतम् ।

तत्तं सर्वं शूनो गच्छेद्यदि ब्रूयास्त्वमन्यथा ॥९०॥

ब्राह्मण के मारने वाले और स्त्री घाती तथा बालघाती और मित्र द्रोही और कृतघ्न को जो २ लोक प्राप्त होने कहे हैं वेही मूँठ बोलने वाले को हों ॥८९॥ 'हे भद्र तूने आयु भर जो कुछ पुण्य किया है, वह सब तेरा पुण्य कुत्ते पार्वे, जो तू इस विषय मे अन्यथा कहे ॥९०॥

एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्नं कल्याण मन्यसे ।

नित्यं स्थितस्ते हृद्येष पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥९१॥

यमो वैवस्वतो देवो यस्तनैष हृदि स्थितः ।



तेन चेद् विवादस्ते मा गङ्गां मा कुरुन् गमः ॥६२॥

हे भद्र पुरुष ! 'मैं एकला ही हूँ' ऐसा यदि अपने को मानता है तो तेरे हृदयमें नित्य पाप पुण्योंका देखने वाला मुनि (परमात्मा) तो स्थित है ॥६१॥ वैवस्वत यम (परमात्मा) जो यह तेरे हृदय में स्थित है, उस के साथ यदि विवाद नहीं है तो (पाप के प्रायश्चित्त या दण्डभोगार्थ) गङ्गा और कुरुदेशों को मत जा । (ऐसा जान पड़ता है कि आर्य राजों ने गङ्गा तट और कुरुदेशों में विक्रमफल भोगने के स्थान विशेष नियत कर रखे थे । और एक प्रकार से तो यह श्लोक पीछे का ही जान पड़ता है । क्यों कि गङ्गाको भागीरथ ने प्रकट किया मनु के ममय मे तो यह गङ्गा का प्रवाह ही न था) ॥६२॥

नग्नो मुण्डः कपालेन भिक्षार्थी क्षुत्तिपासितः ।

अन्धः शत्रुकुलं गच्छेद्यः साक्ष्यमनृतं वदेत् ॥६३॥

अवाक्शिरास्तमस्यन्धे किल्बिषी नरकं व्रजेत् ।

यः प्रश्नं वितथं व्रूयात्पृष्टः सन्धर्मनिश्चये ॥६४॥

जो कूठ गवाही देये वद् रूपसे सैनज्ञा, सिर मुण्डा, कपाल हाथ में लिय भिक्षनवा, क्षुमा निमात्रा से पीडित और अन्धा होकर शत्रुकुल में गमन करे ॥६३॥ जो धन निर्णय के लिये पूछा हुआ अमत्य बोलै, वह पानी अंगोमुख बडे अन्धकार रूप नरक में जावे ॥६४॥

अन्यो मत्स्थानिवाशनाति स नरः कण्टकैः सह ।

योभापतेऽर्थवकल्पमप्रत्यक्षं समां गतः ॥६५॥

यस्य विद्वान् हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशङ्कते ।

तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ॥६६॥

जो सभामें जाकर बिना देखी बातको झूठी बना कर बोलता है, वह अन्धा होकर कांटों सहित मञ्जली सी खाता है ॥९५॥ जिस के बोलते हुवे चेतन जीवात्मा शङ्का नहीं करता उस से बढ़ कर देवता लोग दूसरे को अच्छा नहीं मानते ॥९६॥

यावतोवान्धवान् यस्मिन् हन्ति साक्ष्येऽनृतं वदन् ।

तावतः संख्यया तस्मिन् शृणु सौम्यानुपूर्वशः ॥६७॥

पञ्च पश्वनृते हन्ति दशहन्ति गवानृते ।

शतमश्वानृते हन्ति सहस्रम् पुरुषानृते ॥६८॥

हे सौम्य ! ( साक्षिन् ) जिस साक्ष्य में झूठ बोलने वाला जितने बान्धवों के मारने का फल पाता है उस में क्रमशः उतनों को गिनती से सुन । ( देखिये बड़ों से भी भूल होती हैं । इस श्लोक में ' सौम्य ' यह सम्बोधन स्पष्ट प्रकरणानुसार गवाह ( साक्षी ) के लिये है । परन्तु प्राचीन भाष्यकार मेधातिथि कहते हैं कि यह सम्बोधन मनु ने भृगु को दिया है । एक पुस्तक में इस से आगे १ प्रक्षिप्त श्लोक भी मिलता है परन्तु हमने व्यर्थ सा समझ कर उद्धृत नहीं किया ) ॥९७॥ पशु के विषय में झूठ बोलने से पांच बान्धवों के मारने का फल पाता है । गौ के विषय में दश, घोड़े के विषय में सौ और पुरुष के विषय में सहस्र ( बान्धवों के हनन का पातक प्राप्त होता है ) ॥९८॥

हन्ति जातान्जातांश्च हिरण्यार्धेऽनृतं वदन् ।

सर्वं भूम्यऽनृते हन्ति मा स्म भूम्यऽनृतं वदीः ॥६९॥

सुवर्ण के लिये असत्य बोलने वाला, उत्पन्न हुओं और न हुओं

( होने वाले पुत्रादि ) के मारने के फल को पाता है और भूमि के लिये असत्य बोलने वाला सम्पूर्ण प्राणियों के हनन का फल पाता है इस लिये तू भूमि के लिये भी मूठ मत बोल । (९९ वें से आगे नन्दन के टीके वाले पुस्तक में डेढ़ श्लोक यह अधिक प्रक्षिप्त हुआ है :-

[ पशुवत्क्षौद्रघृतयोर्यच्चान्यत्पशुसम्भवम् ।

गोवद्वत्सहिरण्येषु धान्यपुष्पफलेषु च ।

अश्वत्सर्वायानेषुखरोष्ट्रवतरादिषु ]

शहद और घृत के विषय में मूंठी गवाही देने वाले को पशु विषयकसमानपातक लगता है और अन्यभी जो कुञ्ज पशुसे उत्पन्न ( दुग्धादि ) पदार्थ हैं, उन में भी । बछड़ों वा सुवर्ण के विषय में गौ के तुल्य, धान्य पुष्प और फलों के विषय में भी । गधा ऊंठ वतरादि सब सवारियों के विषय में मूंठ गवाह को घोड़ेके विषय में कहे असत्य जनित पातक के तुल्य पातक लगता है ) ॥९९॥

अप्सु भूमिवदित्याहुः स्त्रीणां भोगे च मैथुने ।

अब्जेषु चैव रत्नेषु सर्वेष्वश्ममयेषु च ।१००॥

( तालाव, बावड़ी इत्यादि ) जलाशय के विषयमें और स्त्रियों के भोग मैथुन में और (मांत्तकादि) उल्लापन्न रत्नों के विषय में तथा हीरा आदि पत्थरों के विषय में ( ऊंठ बोलने का ) भूमि के पातक समान (पातक) है । (१०० वें के आगे भी ५ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक मिलता है:—

[पशुवत् क्षौद्रघृतयोर्यानेषु च तथाऽश्ववत् ।

गोवद्रजतवस्त्रेषु धान्ये ब्राह्मणवद्विधिः ॥ ]



शहद और घृत मे पशु के तुल्य सवारियों में घोड़े के तुल्य, च दी और वस्त्रो मे गौ के तुल्य और धान्य के विषय मे असत्य गवाही देने वाले को ब्राह्मण विषयक पाप के समान पाप होता है ] ॥१००॥

एतान्दोषानऽवेच्य त्वं सर्वाननृतभाषणे ।

यथाश्रुतं यथादृष्टं मर्वमेवाञ्जसा वद ॥१०१॥

गौरक्षकान्वाणिजिकांस्तथा कारुकुशीलवान् ।

प्रैष्यान्वार्धपिकांश्चैव विप्रान् शूद्रवदाचरेत् ॥१०२॥

इन सब हूँ बोजने मे पानकों को समझ कर जैसा देखा और सुना है, वही मत्र शीत्र कह ॥१०१॥ गौ रखाने वाले, बनिये लुहार, बढई आदि के काम वा रसाई करने वाले, गाने बजाने वाले, हलकारे की नौकरी करन वाले और व्याज से जीने वाले ब्राह्मणों से भी ( राजा ) शूद्र के समान प्रश्न करे । ( १०२ वे से आगे भी एक पुस्तक में ग्रह श्लोक अधिक है :-

[ येप्यतीताः स्वधर्मैभ्यः परपिण्डोपजीविनः ।

द्विजत्वमभिकाङ्क्षन्ति तांश्च शूद्रानिवाचरेत् ॥ ]

जो लोग अपने वर्ण धर्मों को छोड़ कर पराई जीविका करने लगे हों और द्विज होने की इच्छा करे उन को राजा शूद्र के तुल्य सम्बोधन करे । इसी तात्पर्य का श्लोक एक अन्य पुस्तक मे इसी जगह मिलता है । यथा-

[ येऽप्यपेताः स्वकर्मभ्यः परकर्मोपजीविनः ।

द्विजा धर्मं विजानन्तस्तांश्च शूद्रवदाचरेत् ] ॥१०२॥

“तद्वदन्धर्मतोऽर्थेषु जानन्नप्यन्यथा नरः ।

न स्वर्गाच्च्यवते लोकाद्देवी वाचं वदन्ति ताम् ॥१०३॥  
 शूद्रविद्वत्त्रविप्राणां यत्रर्तोक्तौ भवेद्वधः ।  
 तत्र वक्तव्यमनृतं तद्धि मन्याद्विशिष्यते ॥१०४॥”

जो पुरुष जानता हुआ भी धर्म के व्यवहारों में अन्यथा कहने वाला है, वह स्वर्ग लोक से भ्रष्ट नहीं होता। क्यों कि उस ( असत्य ) को देववाणी कर्त्ते है ॥१०३॥ जिस मुकहमे में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों का सच बोलने से वध हो वहां झूठ बोलना चाहिये, क्यों कि वह सच से अधिक है ॥१०४॥

“वाग्देवत्यैश्च चरुभिर्यजेरन्ते सरम्बतीम् ।  
 अनृतस्यैनसस्तस्य कुवाणानि कृतिं पराम् ॥१०५॥  
 कृष्माण्डैर्वापि जुहुयाद् घृतमग्नौ यथाविधि ।  
 उदित्युवा वा वारुण्य वृचेनाग्नेवतेन वा ॥१०६॥

“ उस झूठ बोलने के पाप का अत्यन्त प्रायश्चित्त करते हुवे ( वे साक्षी ) वाग्देवता सम्बन्धी चरु से सरम्बती का यजन करे ॥१०५॥ अथवा कृष्माण्डों (यह वाग्देवदेहनम् इत्ययजु० २० । १४ मन्त्रों) से यथाविधि घृत को अग्नि में हवन करे। वा 'उदुत्तमं वरुणपाशम० यजु० १२ । १० इस वरुण देवता वाले मन्त्र से वा ( आपोहिता० यजु० ११ । ५० ) इन जल देवता को ३ ऋचाओं से (पूर्वोक्त आहुति करे) ॥”

( १०३ से १०६ तक ४ श्लोक ठीक नहीं जान पड़ते। १०३ में असत्य साक्ष्य से भी धर्मनिमित्त बोलने में दोष नहीं बताया; फिर १०४ में उस धर्मनिमित्त को स्पष्ट किया है कि ब्राह्मणादि चारों को सत्य साक्ष्य देने से वध दण्ड होता देखे तो झूठ बोल दे। वह झूठ सच से बढ़ कर है। १०५ । १०६ में उस झूठ बोलने के पाप का प्रायश्चित्त है। धर्मशास्त्र का सिद्धान्त है कि अन्यायोपाजित



धनादि के व्यय से पुण्यकार्य करने में पुण्य नहीं है जैसा कि पूर्व मनु ही कहते आये हैं। फिर चारों वर्ण किसी को मार डालें और राजा के सामने कोई सच्ची गवाही न दे तो कदाचिन् चण्डालादि ही शेष बचे वध दण्ड पा सके। अन्य तो चार वर्ण छूट ही गये। फिर यह विचारना चाहिये कि यदि यह झूठ सच से बढ़ कर है तो पाप के होते हुये प्रायश्चित्त किस बात का है? इस विषय में मेधातिथि ने १०० श्लोकों के बराबर इन्हीं चार श्लोकों पर भाष्य बढ़ा कर समाधान का उद्योग किया है परन्तु उस समाधान से सन्तोष नहीं होता ) ॥१०६॥

त्रिपक्षाद्ब्रु वन्साक्ष्यमृणादिषु नरोऽगदः ।

तदृणं प्राप्नुयात्सर्वं दशवन्धं च सर्वतः ॥१०७॥

यस्य दृश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः ।

रोगोऽग्निर्जातिमरणमृणं दाप्योदमं च सः ॥१०८॥

व्याधि आदि विघ्नरहित मनुष्य लेन देन के विषय में डेढ़ महीने तक गवाही न देवे तो महाजन का कुल ऋण ( रुपया ) देवे और उस सब रुपये का दशवां भाग राजा को दण्ड देवे ॥१०७॥ जिस गवाही देकर गये हुवे साक्षी के सात दिन के भीतर रोग, अग्नि और पुत्रादि का मरण होजाय तो वह महाजन को रुप-ा और राजा को दण्ड देने योग्य है ।

( सब भाष्यकारों ने ऐसे साक्षी को इस हेतु झूठा माना है कि देवी आपत्तियां उस की झूठी गवाही का प्रमाण हैं। सर्वज्ञ नारायण भाष्यकार ने इतना अधिक लिखा है कि ( तत्प्रागनुपजा-तनिमित्तकृतं ग्राह्यम् ) “अर्थान् जब कि रोगोत्पत्ति गृहादिमे अग्नि लाने और पुत्रादि की मृत्यु का हेतु गवाही देने से पहला न हो तब उसे झूठागवाह समझना चाहिये” परन्तु यह भी युक्ति दुर्बल





जान पड़ती है और प्रायः रोगादि के हेतु बहुत प्राचीन होते हैं और जाने नहीं जा सकने, उम दशा में बड़ा अन्याय होगा। तथा वैद्यादि के भरोसे बड़ा कार्य जा पड़ेगा और अग्नि लगने के हेतु जानने में तथा पुत्रादि की मृत्युका हेतु जानने में असंख्य कठिनाई हैं और फिर भी पूरा निश्चय होना कठिन ही है। इत्यादि कारणों से हमारी सम्मति में तो राजद्वारादि लौकिक निर्णयों में दैवानुमान उचित नहीं है) ॥१०८॥

असाक्ष्यकेषु त्वर्थेषु मिथो विवदमानयोः ।

अविन्दंतत्मतः सत्यं शपथेनापि लम्भयेत् ॥१०९॥

“महर्षिभिश्च देवैश्च कार्यार्थं शपथाः कृताः ।

वसिष्ठश्चापि शपथं शोपे वै यवने नृपे ॥११०॥”

विना गवाह के मुरुहमो में आगस में झगड़े वाले दोनों के सत्य वृत्तान्त ज्ञात न होने पर शपथ ( हलक ) से भी निर्णय कर लेवे ॥१०९॥ “ऋषीन् महर्षिं और देवतो ने कार्य के लिये शपथ की, वसिष्ठ जी ने भी यवन राजा के सामने शपथ किया था ॥” ( कहां वसिष्ठ ! कहां यवन ! और कहां मनु ! यह सब पश्चात् की रचना स्पष्ट है ) ॥११०॥

न वृथा शपथं कुर्यात्स्वल्पेऽप्यर्थे नरो बुधः ।

वृथा हि शपथं कुर्यात्प्रेत्य चेह च नश्यति ॥१११॥

कामिनीषु विवाहेषु गवां भक्ष्ये तथेन्धने ।

ब्राह्मणाभ्युपपत्तौ च शपथे नास्ति पातकम् ॥११२॥

थोड़े अर्थ में भी परिहृत मिथ्या शपथ न करे क्योंकि वृथा शपथ करने वाला इस लोक तथा परलोक में नाशको प्राप्त होता है ॥१११॥ सुरत लाभको कामिनीके विषयमें, विवाहमें, गौवोंके चारे

इन्धन और ब्राह्मण की रक्षा के लिये ( वृथा शपथ करने में पातक नहीं है ॥ '

(यह अपवाद भी अन्यायप्रवर्त्तक, असत्यपोषक तथा धर्मशास्त्रके सत्यसिद्धान्तका बाधक और 'ब्राह्मणाभ्युपपत्तौ ब्राह्मणस्य विपत्तौ ब्राह्मणावपत्तौ' ये तीनपाठ भी भिन्न २ प्रकार मिलने हैं) ११२

सत्येन शापयेद्विप्रं क्षत्रियं वाहनायुधैः ।

गोवीजकाञ्चनैर्वैश्यं शूद्रं सर्वं स्तु पातकैः ॥११३॥

'अग्निं वा हारयेदेनमप्सु चैनं निमज्जयेन् ।

पुत्रशरम्य वाप्येनं शिरांमि म्पर्शयेत्पृथक् ॥११४॥'

ब्राह्मण को सत्य की शपथ (कसम) करावे । क्षत्रिय को वाहन तथा आयुध ( हथियार ) की वैश्य को गाव या बैल, वीज और सोनेकी और शूद्र को सम्पूर्ण पातको से [ शपथ (कसम) करावे ] ॥११३॥ "जलने अग्नि को (शूद्र मात्सी) से उरवावे और पानी में इस को डुवावे और पुत्र स्त्री के शिर पर अलग २ इस से हाथ धरावे ॥११४॥"

"यमिद्धो न दहत्यग्निरापो नोन्मज्जयन्ति च ।

न चार्तिमृच्छति क्षिप्रं स ज्ञेय शपथे शुचिः ॥११५॥

वत्सस्य ह्यभिशास्तस्य पुरा भ्रात्रा यवीयसा ।

नाग्निर्ददाह रोमापि सत्येन जगत म्पृशः ॥११६॥'

'जिस को जलाती आग नहीं जलाती और पानी जिस को नहीं डुवाने और जिस को पुत्रादि के वियोगजनित बड़ी पीडा जरुंगे नहीं प्राप्त होती वह ( शूद्र ) शपथ में सच्चा जानना चाहिये ॥११५॥ क्योंकि पूर्व काल में वत्स ऋषि को छोटे भ्राता ने कहा कि ( तू शूद्रा का लड़का है ब्राह्मण का नहीं, इस कहने से उस



ने जगत् के शुभारंभ जानने वाले अग्नि में प्रवेश किया, मो सत्य के कारण ) अग्नि ने उसका एक रोम भी नहीं जलाया '

( ११४ । ११५ । ११६ भी असंभवादि दोषों से चिन्त्य होने के अतिरिक्त बरस ऋषि के इतिहास से अत्यन्त स्पष्ट है कि पीछे सं मिलाये गये । इस प्रकरण में ८२ से आगे ३, ९९ से आगे १॥ १०० वे से आगे १, १०२ से आगे १ और दूसरे पुस्तक में १ सब ७॥ श्लोक तो स्पष्ट ही सब पुस्तकों में नहीं पाये जाते । इसपर इन इतिहासों से और भी निश्चित होता है कि हमारे प्रसिद्ध ग्रन्थों में हुये श्लोक जो सब पुस्तकों में मिल रहे हैं, वे भी अवश्य पीछे में ही मिले हैं )॥११६॥

यस्मिन् यस्मिन् विद्यादे तु कौटसाच्यं कृतं भवेत् ।

तत्तत्कार्यं निवर्तते कृतं चाप्यकृतं भवेत् ॥११७॥

लोभान्मोहाद्भयान्मैत्र्यात्कामात् क्रोधात्तथैव च ।

अज्ञानाद्बालभावाच्च साच्यं वितथमुच्यते ॥११८॥

जिस मुकदमे में गवाहों ने झूठी गवाही दी ऐसा निबय हो उस मुकदमे को फिर से दोहरावे और जो गल्टादि कर चुका हो उसे नहीं किया समझे ( फिर से विचार हो ) ॥११७॥ लोभ, मोह भय, मित्रता काम क्रोध अज्ञान तथा लड़कपन से गवाही झूठी कही जाती है ॥११८॥

एषामन्यतमे स्थाने यः साच्यमनृतं वदेत् ।

तस्य दण्डविशेषास्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥११९॥

लोभात्सहस्रं दण्ड्यस्तु मोहात्पूर्वतु साहसम् ।

भयाद् द्वौ मध्यमौ दण्डौ मैत्र्यात्पूर्वं चतुर्गुणम् ॥१२०॥

इन लोभादि मे से किनी कारण मुक्तदमे मे जो झूठी गवाही दे, उस के दण्ड विशेष क्रम ये आगे कहता हूँ ॥११५॥ लोभ सं (मिथ्या गवाही देने वांज पर) 'हजार' पण [१५॥१] दण्ड हो और मोह से कहने वाले को 'प्रथम साहस' [३॥१] दण्ड देवे और भय से कहने वाले को 'दो मध्यम साहस' [१५॥] दण्ड और मैत्री से झूठ कहने वाले को 'प्रथम साहस का चतुर्गुण' [१५॥] दण्ड देवे " चिन्हित परिमाण संज्ञा आगे १३१ व १२८ तक संज्ञा प्रकरण मे कहे अनुमार जानिये ) ॥१२०॥

कामादशगुणं पूर्वं क्रोधात्त्रिगुणं परम् ।

अज्ञानाद्द्वशतेषूणो वालिश्याच्छतमेवतु ॥१२१॥

एतानाहुः कौटसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डान् मनीषिभिः ।

धर्मस्याव्यभिचारार्थमधर्मनियमाय च ॥१२२॥

कामनिमित्त ( असत्य गवाही दे तो ) प्रथम साहस दशगुण' [३९-] और क्रोध से ( झूठी गवाही दे तो ) त्रिगुण उत्तम साहस' [४६॥१] और अज्ञान से ( झूठी गवाही दे तो ) सौ पण [१॥१] दण्ड पावे ॥ ( हमने पण को एक पैसा कल्पित करके ये रकम लिखी हैं परन्तु इसमे कुछ अन्तर है । आज कल का सिक्का उस में ठीक नहीं मिलता ) ॥१२१॥ सत्यरूप धर्म के लोप न होने आर असत्यरूपी अधर्म के दूर होने के लिये झूठे साक्षी को ये दण्ड विद्वानो ने कहे हैं ॥१२२॥

कौटसाक्ष्यं तु कुर्वाणांस्त्रीन्वर्णान्धार्मिको नपः ।

प्रवासयेद्दण्डयित्वा ब्राह्मणं तु विवासयेत् ॥१२३॥



दशस्थानानि दण्डस्य मनुः सात्सुवोऽब्रवीत् ।

त्रिपुत्रर्षेषु यानि स्युरक्षता ब्राह्मणव्रजम् ॥१२४॥

धार्मिक राजा भूठी गवाही देने वाले तीनों वर्णों को दण्ड देकर देश से बाहर निकाल देवे और ब्राह्मण को (केवल) निकाल दे ॥१२३॥ जो दण्ड के १० स्थान स्वार्थभुव मनु ने कहे हैं, वे क्षत्रियादि तीन वर्णों के हैं। और ब्राह्मण को बिना चोटके (केवल) निकाल देवे ॥ (मनुरब्रवीत् ० से संदेह तो स्पष्ट है कि यह अन्यकृत है) ॥१२४॥

उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम् ।

चक्षुर्नासा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च ॥१२५॥

अनुवन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्प्रतः ।

सारापराधौ चालोक्य दण्डं दण्डेषु पातयेत् ॥१२६॥

लिङ्ग उदर जीभ हाथ पाचवें पैर और आंख, नाक, कान धन और देख ( ये १० दण्ड के स्थान हैं) ॥१२५॥ प्रकरण (सिलसिले) को समझ कर देशकाल को ठीक २ जानकर और (धन शरीरादि) सामर्थ्य तथा अपराधको देखकर दण्डके योग्यो को दण्ड देवे ॥१२६॥

अधर्मदण्डनं लोके यशोधनं कीर्तिनाशनम् ।

अस्वर्ग्यं च परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥१२७॥

अदंडचान्दण्डयन् राजा दण्डयाश्चैवाप्यदण्डयन् ।

अयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति ॥१२८॥

क्योंकि अधर्म से दण्ड देना लोगों में इस जन्म में यश और (आगे के) कीर्ति का नाश करने वाला है और परलोक में

स्वर्ग का अहित करने वाला है। इस कारण उसे न करे ( अर्थात् वेडन्सार्फी से स ना न देवे ) ॥१२७॥ अदण्डनीयो को दण्ड देता हुआ और दण्डनीयो को छोड़ देने वाला राजा बड़े अपयश का पाता और नरक में भी जाता है ॥१२८॥

वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्दण्डं तदनन्तरम् ।

तृतीयं वनदण्डं तु बध्दण्डमतः परम् ॥१२९॥

बधेनापि यदा त्वेतान्निग्रहीतुं न शक्नुयात् ।

तदंशुं सर्वमप्येतत्प्रयुञ्जीत चतुष्टयम् ॥१३०॥

प्रथम वाग्दण्ड देवे ( अर्थात् यह कहे कि तूने यह बुरा किया इस कहने पर न माने तो ) दूसरी बार बिक्रार दण्ड देवे। तीसरी बार वनदण्ड ( जुर्माना ) करे। चौथी बार बध्दण्ड=(अपराधानुसार) दे दण्ड देवे ॥१२९॥ यदि देहदण्ड में भी इनके वश में न कर सके तो इन पर वाग्दण्डादि सब चारों दण्ड करे ॥१३०॥

लोकान्वयग्रहाराथं याः संज्ञाः प्रथिता भुवि ।

अरूप्यसुवर्णानां ताः प्रवच्याम्यशेषतः ॥१३१॥

जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं दृश्यते रजः ।

प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते ॥१३२॥

तावा चाग्नी और सोने की ऋजो ( पणादि ) संज्ञा लोगों के व्यवहार के लिये पृथिवी में प्रसिद्ध है उन सब को (दण्डप्रकरणोपयोगी होने से ) आगे कहता हूँ ॥१३१॥ मकान के रोशनदान में मूर्थ की धूप में जो बारीक २ छोटे रज ( जरे ) दीग्वते हैं, इन्हें मापे को प्रमाणोंमें पहिला (परिमाण) "त्रसरेणु" कहते हैं ॥१३२॥

त्रसरेणुवोष्टौ विज्ञेया लिक्षैका परिमाणतः ।

ता राजवर्षास्त्रिस्तस्ने त्रयो गौरवर्षाः ॥१३३॥

सर्षपाःपङ्कयवो मध्यन्त्रियवं त्वेककृष्णलम् ।

पञ्चकृष्णलका मापन्ने सुवर्णसु षोडश ॥१३४॥

आठ वरगणों का एक 'निष्ठा' और तीन लिप्ता की एक 'राज वर्षा' = राई और तीन राई का एक "श्वेत सरसा" जानिये ॥१३३॥ और छ मरुतो का एक मरुता "यव" और तीन यव का एक "कृष्णल" और पाच कृष्णल का एक "माप" और सातह मापों का एक "सुवर्ण" होता है ॥१३४॥

पलं सुवर्णवित्पारः पलानि धरणं दश ।

द्वे कृष्णने ममघृते विज्ञेयो रौप्यमापकः ॥१३५॥

ते षोडश स्याद्वरणं पुराणञ्चैन राजतः ।

कार्पापणं तु विज्ञेयम्नात्रिकः कर्षिकः पणः ॥१३६॥

चारसुवर्णों का एक "पल" दशमनका एक धरण वरावर केर कृष्ण ॥ के : १ रौप्यमापक (चादीकामापक)जाने ॥१३५॥ सोलह मापक का १ "रौप्यवरण" और चादी का 'पुराण' भी होता है । तांबे के कर्ष भर के पण (पैसे) कार्पापण का तात्रिक कार्षिक पण जाने ॥१३६॥

धरणानि दश ज्ञेयः शतमानस्तु राजतः ।

चतुःस्रावर्णिको निष्का विज्ञेयस्तु प्रमाणतः ॥१३७॥

पणानां द्वे शते सार्धे प्रथमः साहस्रं स्मृतः ।

मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहस्रं त्वेव चोत्तमः ॥१३८॥

दश धरण का एक चांदी का "शतमान" जाने और प्रमाण

से चार सुवर्ण को १ 'निष्क' जाने ॥१६७॥ दो सौ पचास पणों का प्रथम साहस' कहा है और पांच सौ पणों का 'मध्यमसाहस' तथा १ सहस्र पणों का उत्तम साहस जाने ॥१३८॥

ऋणोदेये प्रतिज्ञाते पञ्चकं शतमर्हति ।

अपहवे तद्द्विगुणं तन्मनोरनुशासनम् ॥१३९॥

वसिष्ठविहितां वृद्धिं सृजेद्विचिविर्धनीम् ।

अशीतिभागं गृह्णीयान्मामाद्वार्धुषिकः शते ॥१४०॥

यदि करजदार सभामें कहदे कि मुझे महाजन का रुपया देना है तो पांच प्रतिसैकड़ा दरद योग्य है और इंकार करे (परन्तु सभा में फिर प्रमाणित हो) तो दश प्रति सैकड़ा दरद देने योग्य है। इस प्रकार (मुक्त) मनु की आज्ञा है ॥१३९॥ धन को बढ़ाने वाली वसिष्ठोक्त वृद्धि (सूद) अम्सीवां भाग सौ पर व्याज खाने वाला मासिक ग्रहण करे (अथात् सश रुग्ना सैकड़ा व्याज ले ॥१३९ व १४० में भी नवीनता की झलक तो है क्योंकि 'मनु की आज्ञा' और वसिष्ठ का नाम आया है) ॥१४०॥

द्विकं शतं वा गृह्णीयात्सतां धर्ममनुस्मरन् ।

द्विकं शतंहि गृह्णीनो न भवत्यर्थकिल्बिषी ॥१४१॥

द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पंचकंच शतं समम् ।

मासस्य वृद्धिं गृह्णीयाद्वर्णानामनुपूर्वशः ॥१४२॥

सत्पुरुषो के धर्म का स्मरण कर (बड़ो का नाम ले) दो रुपया सैकड़ा व्याज ग्रहणकरे। दो रुपया सैकड़ा व्याज ग्रहणकरने वाला उस धनसे पापी नहीं होता ॥१४१॥ ब्राह्मणादि वर्णों से क्रमसे दो, तीन, चार और पांच रुपये सैकड़ा माहवारीव्याज ग्रहणकरे ॥१४२॥





नत्वेवाधौसोपकारे कौनीर्दीं वृद्धिमाप्नुयात् ।

न चाधेः कालसंरोधानिसर्गोऽस्ति न विक्रयः ॥१४३॥

न भोक्तव्यो बलादाधिर्भुञ्जानो वृद्धिसुत्सृजेत् ।

मूच्येन तोषयेच्चैनमाधिस्तेनान्यथा भवेत् ॥१४४॥

(भूमि गौ धन आदि) भागयुक्त पदार्थ वन्द्यक गिरवी रक्त्वे तो पूर्वोक्त व्याज न प्रहण करे और बहुत दिन होने पर भी उसके अन्ध को दे देने या बेचने का धनी को अधिकार नहीं है ॥१४३॥ आवि (गिरवी की चीज) को जबरदस्ती भाग न करे । यदि भाग करे तो व्याज छोड़ देवे या मूच्य ने उम (वन्दु स्वामी) को (उन वन्द्यालङ्कारादि का भागने ने जो घटा हाया है उमका मूच्य देकर ) प्रसन्न करे न तो वन्द्यक चोर कहलावे ॥१४४॥

आधिश्रोपनिधिश्रोभौ न कालान्ययमर्हतः ।

अवहार्यौ भवेतां तौ दीर्घकालमवस्थिषौ ॥१४५॥

सम्प्रीत्याभुञ्जमानानि न नश्यन्ति कदाचन ।

धेनुरुष्टो वहन्नश्वो यश्च दम्भः प्रयुज्यते ॥१४६॥

आवि = वन्द्यक (गिरवी) और उपनिधि (अमानन = प्रीतिपूर्वक उपयोग के लिये न हुई वस्तु) इन दानों में का १ दौतने से न्वत्व नष्ट नहीं होता । बहुत दिन की भी रक्त्वी को जब स्वामी चाहे तब ले सकता है ॥१४५॥ प्रीतिपूर्वक (अन्ध स) उपभाग किये जाते गाव ऊँट, घोड़ा, बैल आदि कामों में लाये जायें तो इन पर का स्वामित्व नहीं जाता रहता ॥१४६॥

यत्किञ्चिदश वर्षाणि सन्निधौ प्रेक्षने धनी ।

सुञ्जमानं परैस्तूष्णो न स तन्नधुमर्हति ॥१४७॥



अजडश्चेदपौगण्डो त्रिपये चारय भुज्यते ।

भग्नं तद्रव्यवहारेण भोक्ता तद् द्रव्यमर्हति ॥१४८॥

यदि किसी वस्तु का अन्य लोग दश वर्ष तक वर्तते रहे और उसका स्वामी चुपचाप देखतारहे तो फिर वह उसे नहीं पा सकता ॥१४७॥ जो (वस्तु स्वामी) पागल न हो और न पौगण्ड (बालक) हो और उसी के सामने वस्तु को पर पुरुष भोगता रहे तो अदालत में उसका अधिकार नहीं रहता किन्तु भोक्ता ही उसको पाने योग्य ॥१४८॥

आधिः सीमा बालघनं निक्षेपोपनिधिः स्त्रियः ।

राजस्वं श्रोत्रियस्वं च न भोगेन प्रणश्यति ॥१४९॥

यः स्वामिनाऽननुज्ञातमाधि भुङ्क्ते विचक्षणः ।

तेनार्धवृद्धिर्भोक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः ॥१५०॥

बन्वक (गिरवी) सीमा, बालघन, धरोहर प्रीतिपूर्वक भोगार्थ दिया धन, स्त्री और राजा का धन तथा श्रोत्रिय का धन इन को (दश वर्ष) भोगने से भी भोग करने वाला नहीं पासकता (इस से आगे १ पुस्तक में एक श्लोक अधिक है) ॥१४९॥ जो चात्कार मनुष्य आधि (गिरवी) को बिना स्वामी के कहे भोगता है, उसे उस भोग के बदले आधा सूत्र लेना चाहिये ॥१५०॥

कुसीदवृद्धिर्द्वैगुण्यं नात्येति सकृदाहता ।

धान्ये सदे लवे बाह्ये नातिक्रामति पचताम् ॥१५१॥

कृतानुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिध्यति ।

कुसीदपथमाहुस्तं पंचकं शतमर्हति ॥१५२॥



(रुपयों का) सूद एकवार लेने पर मूल धन से देने से अधिक नहीं होसकता और धान्य वृत्तके मूल और फल ऊन और वाहन ५ गुने से अधिक नहीं हो सकते ॥१५१॥ ठहराये से अधिक व्याज शास्त्र के विपरीत नहीं मिल सकता । व्याज का मार्ग इसीको कहा है कि (अधिक से अधिक) पांच रुपये सैकड़ा लिया जा सकता है ॥१५२॥

नातिसांवत्सरीं वृद्धिं न चादृष्टां पुनर्हरेत् ।

चक्रवृद्धिःकालवृद्धिः कारिता कायिका च या ॥१५३॥

ऋणं दातुमशक्तोयः कर्तुं मिच्छेत् पुनः क्रियाम् ।

स दत्त्वा निर्जितावृद्धिकरणं परिवर्तयेत् ॥१५४॥

एक वर्ष हो जानेपर (जो माहवारी सूद ठहरा हो ग्रहणकरले) अधिक समय न बढ़ान और सूद पर सूद और महावारी सूद और सूद के बचाव से ऋण कराके उस पर सूद और शरीर से कोई काम सूद में न ले ॥१५२॥ जो ऋण देने को असमर्थ है और फिर से हिसाब करना चाहे वह चढ़ा हुआ सूद दकर दूसरा करण (कागज=तमस्युक्त) बदल देवे ॥१५४॥

अदरांयेत्वा तत्रैव हिरण्यं पारेरचार ।

यावती संभवेद् वृद्धिस्तावतीं दातुमर्हति ॥१५५॥

चक्रवृद्धिं समाहूता देशकालव्यवस्थितः ।

आजेकामन्देराकाशो न तत्कलमवाप्नुयात् ॥१५६॥

यदि सूद भी न दे सके तो सूद के बच को मूल में जोड़ देवे और फिर जितनी संख्या व्याज सहित हो उतनी देने योग्य है ॥१५५॥ चक्र वृद्धि का आश्रय करने वाला महाजन देश काल से

नियमित हुवा ही फल पावे, किन्तु नियत देश वा काल को उल्लंघित करने वाले फल को नहीं प्राप्त हो (मियाद गुज़रने पर हकदार न रहे) ॥१५६॥

समुद्रयानकुशला देशकालार्थं दर्शिनः ।

स्थापयन्ति तु यां वृद्धिं सा तत्राधिगमं प्रति ॥१५७॥

यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठेदर्शनायेह मानवः ।

अदर्शयन् स तं तस्य प्रयच्छेत्स्वधनादृणम् ॥१५८॥

समुद्रपथ के यान में कुशल, और देश काल अर्थ के जानने वाले (अर्थात् इतनी दूर इतने दिन तक, इस काम के करने में यह लाभ होता है इसको जानने वाले महाजन) जिस वृद्धि का स्थापन करते हैं वही उसमें प्रमाण है ॥१५७॥ जो मनुष्य जिस को हाज़िर करने के लिये प्रतिभू (जामिन) हो वह उसको सामने न करे तो अपने पास से उसका ऋण दे ॥१५८॥

प्रातिभाव्यं वृथादानमाक्षिप्तं सौरिकं च यत् ।

दण्डशुल्कावशेषं च न पुत्रो दातुमर्हति ॥१५९॥

दर्शनप्रातिभाव्ये तु विधिःस्यात्पूर्वचादितः ।

दानप्रतिभुवि प्रेते दायादानपि दापयेत् ॥१६०॥

प्रतिभू होने (जमानत) का धन और वृथा दान तथा जुवे का रूपया मद्य का रूपया और दण्ड शुल्क का शेष, (ये सब पिता के मरने पर उसके बदले) पुत्र देने योग्य नहीं है ॥१५९॥ सामने कर देने के प्रतिभाव्य (जमानत) में ही पूर्वोक्त विधि है (अर्थात् पिता की जमानत पिता ही देवे) और धन देने का प्रतिभू (जामिन) मर जावे तो उस के वारिसों से भी दिलावे ॥१६०॥



अदातरि पुनर्दाता विज्ञातप्रकृतावृणम् ।  
 पश्चात्प्रतिभुवि प्रेते परीप्सेत्केन हेतुना ॥१६१॥  
 निरादिष्टधनश्चेत्तु प्रतिभूः स्यादलंधनः ।  
 स्वधनादेव तद्दद्यान्निरादिष्ट इति स्थितिः ॥१६२॥

अदाता प्रतिभू (जिसने देने की जमानत न की हो किन्तु अधमर्ण को सामने कर देना मात्र स्वीकार किया हो) जिसकी प्रतिज्ञा दाता ने जान भी रक्खी है (कि वह देने का प्रतिभू नहीं बना था) उसके मर जाने के पश्चात् (उस के पुत्रादि दायदों से) दाता अपना ऋण किस हेतु से पाना चाहे? (किसी से भी नहीं) ॥१६१॥ यदि [ प्रतिभू ] (जामिन) को अधमर्ण रुपया सौंप गया हो इसलिये प्रतिभू के पास वह रुपया हो पर अधमर्ण ने आज्ञा न दी हो [कि तुम उत्तमर्ण को दे देना तो वह] निरादिष्ट प्रतिभू (जामिन) अपने पास अवश्य उत्तमर्ण का ऋण देवे यह निर्णय है ॥१६२॥

मत्तोन्मत्तात्तार्त्तध्वधीनैर्वालेन स्थविरेण वा ।

असंबद्धकृतश्चैव व्यवहारो न सिध्यति ॥१६३॥

सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्यात् प्रतिष्ठिता ।

बहिश्चेद्भाष्यते धर्मान्नियताद्वयावहारिकात् ॥१६४॥

मत्त, उन्मत्त, आर्त्त परतन्त्र, बाल और वृद्धो का तथा पूर्वा-पर विरुद्ध किया हुआ व्यवहार सिद्ध नहीं होता ॥१६३॥ आपस की भाषा (शर्त व इकरार) चाहे लिखा पढी से वा जवानी ठहरी भी हो तो भी यदि धर्म (कानून) या परम्परा के रिवाज के विरुद्ध ठहरी हो तो सच्ची नहीं मानी जाती ॥१६४॥

योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम् ।  
 चत्र वाप्युपधिं पश्येत्तत्सर्वं विनिवर्तयेत् ॥१६५॥  
 ग्रहीता यदि नष्टः स्यात्कुटुम्बार्थे कृतो व्ययः ।  
 दातव्यं दान्धनैस्तत्स्यात्प्रतिभक्तैरपि स्वतः ॥१६६॥

छल से किये हुवे बन्धक (गिरवी) विक्रय दान, प्रतिग्रह और निक्षेप=धरोहर भी लौटा देवे ॥१६५॥ कुटुम्ब के लिये ऋण लेकर व्यय करने वाला यदि मरजावे तो उसके दान्धन विभाग किये हुवे वा न विभाग कियेहुयेहो अपनेधनसे उसके बदले ऋणदेवे ॥१६६॥

कुटुम्बार्थेऽव्यधीनोपि व्यवहारं यमाचरेत् ।  
 स्वदेशे वा विदेशेवा तं ज्यायान्नविचालयेत् ॥१६७॥  
 बलाद्दत्तं बलाद्भुक्तं बलाद्गन्धापि लेखितम् ।  
 सर्वान्वलकृतानर्थानकृतान्मनुरब्रवीत् ॥१६८॥

जो कोई अधीन (पुत्रादि) भी कुटुम्बके लिये स्वदेश वा विदेश में कुछ व्यवहार=लेन देन करले तो उसका बड़ा (अधिष्ठाता) उसे विचलित न करे (क्यूँ ही करे) ॥१६७॥ बलात्कारसे दिया, भोग किया और बलात्कार से जो कुछ लिखाया तथा बलात्कारसे कराये सब काम नहीं किये के समान (मुक्त) मनु ने कहे हैं ॥१६८॥

त्रयः परर्थे विश्रयन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुलम् ।  
 चत्वारस्तूपचीयन्ते विप्रश्चाद्योवशिङ्गनृपः ॥१६९॥  
 अनादेयं नाददीतपरिचीणोऽपि पार्थिवः ।  
 नचादेयं समृद्धौपि सूक्ष्ममप्यर्थमुत्सजेत् ॥१७०॥

तीन दूसरे के लिये क्लेश पाते हैं साक्षी, प्रतिभू तथा कुल और चार दूसरे के कारण बढ़ते हैं ब्राह्मण धनी बनिया और राजा ॥१६९॥ क्षीण धन वाला भी राजा लेने के अयोग्य धन को न ग्रहण करे और ममृद्ध भी (राजा) उचित थोड़े धन को भी न छोड़े ॥१७०॥

अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वर्जनात् ।

दौर्बल्यं ख्याप्यते राज्ञः सप्रत्येह च नश्यति ॥१७१॥

स्वादानाद्वर्णसंसर्गाच्चिवलानां च रक्षणात् ।

बलं संजायते राज्ञः स प्रत्येह च वर्धते ॥१७२॥

अब्राह्म के ग्रहण तथा ग्राह्य के त्याग से राजा की दुर्बलता (ढील) प्रसिद्ध हो जाती है। इस कारण वह इस लोक और परलोक में नष्ट होता है ॥१७१॥ (न्यायोचित) धन के ग्रहण करने और वर्णों के नियम में रखने और निर्मज्जों के संरक्षण से राजा का बल होता है। इससे वह (राजा) इस लोक तथा परलोक में वृद्धि पाता है ॥१७२॥

तस्माद्यम इव स्वामी स्वयं हित्वा प्रियाप्रिये ।

वर्तेतयाम्यया वृत्त्या जितक्रोधोजितेन्द्रियः ॥१७३॥

यस्त्वधर्मेणकार्याणि मोहात्कुर्यान्निराधिपः ।

अचिरात्तं दुरात्मानं वशे कुर्वन्ति शत्रवः ॥१७४॥

इसलियं यमराज के तुल्य राजा जितक्रोध और जितेन्द्रिय होकर अमन प्रिय अप्रिय को छोड़कर यमराज (न्यायी ईश्वर) के सी (सवम सम) वृत्ति से वर्ते ॥१७३॥ जो राजा अज्ञानवश अधर्म से व्यवहारिक कार्य करता है उस दुष्टात्मा को थोड़े ही दिनों में शत्रु वश में करलेते हैं ॥१७४॥



कामक्रोधौ तु संयम्य योऽर्थान् धर्मेण पश्यति ।

प्रजास्तमनुवर्त्तन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥१७५॥

यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्दैनिकं नृपे ।

स राज्ञा तच्चतुर्भागं दाप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥१७६॥

जो (राजा) कामक्रोधों को छोड़ कर धर्म के कार्यों को देखता है प्रजा उसके अनुकूल रहती है, जैसे समुद्र के नदियां ॥१७५॥ जो अधमर्ण स्वतन्त्रता से अपना रुपया वसूल करते हुवे उत्तमर्ण की राजा से सूचना (शिकायत) करे उस अधमर्ण से राजा वह रुपया और उसका चतुर्थांश दण्ड अधिक दिलावे ॥१७६॥

कर्मणापि सभं कुर्याद्धानकायाधमर्णिकः ।

समोवकृष्टजातिस्तु दद्याच्छ्रेयास्तु तच्छूनैः ॥१७७॥

अनेनविधिना राजा मिथोविवदतां नृणाम् ।

साक्षिप्रत्ययसिद्धानि कार्याणि समता नयत् ॥१७८॥

समान जाति वा हीन जाति (करजदार महाजन का रुपया न दे सके तो ) काम करके पूरा कर देवे और उत्तम जाति धीरे २ रुपया दे देवे ॥१७७॥ राजा परस्पर झगड़ा करने वाले मनुष्यों के मुकद्दमे कागज आदि और गवाहों से ऐसे बराबर न्याय को प्राप्त करे ॥१७८॥

कुलजे वृत्तसम्पन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि ।

महापक्षे धनिन्यार्ये निक्षेपं निक्षिपेद्बुधः ॥१७९॥

योयथा निक्षिपेद्बुधस्ते यमर्थं यस्य मानवः ।

स तथैव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथाग्रहः ॥१८०॥





सन्तुल में उत्पन्न हुवे सदाचागी धर्मान्मा सत्यभाषण करनेवाले बड़े पन्न वाले धनवान् आर्य के पास बुद्धिमान पुरुष धरोहर रखें ॥१७९॥ जो मनुष्य जिस प्रकार जिस द्रव्य को जिस के हाथ रखे, उसको उसी प्रकार ग्रहण कराना योग्य है । जैसा देना वैसा लेना ॥१८०॥

यो निक्षेपं याच्यमानो निक्षेप्तुर्न प्रयच्छति ।

स याच्यः प्राड्विवाकेन तन्निक्षेप्तुरमन्विधौ ॥१८१॥

साच्यऽभावे प्रणिधिभिर्विधैरूपसमन्वितैः ।

अपदेशैश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्त्वतः ॥१८२॥

जो धरोहर रखने वाले की धरोहर मांगने पर नहीं देता उससे न्यायकर्ता राजपुरुष धरोहर रखने वाले के पीछे (मामने नहीं) मांगे ॥१७९॥ यदि धरोहर रखने वाले का कोई सान्नी न हो तो राजा अपने नौकरों से जो कि अवस्था और स्वरूप से भले मानुष प्रतीत हों उनके हाथ बहाने बनवा कर (कि हमारे धन की धरोहर रख लीजिये हमारे यहाँ इसकी रक्षा नहीं हो सकती इत्यादि) अपना धन उस धरोहर न देने वाले के यहाँ रखवावे जैसे कि ठीक ठीक धरोहर रखी जाती है ॥१८१॥

न यदि प्रतिपद्येत यथान्यत्तं यथाकृतम् ।

न तत्र विद्यते किञ्चिद्यत्परैरभियुज्यते ॥१८३॥

तेषां न दद्याद्यदि तु सद्विषयं यथाविधि ।

उभौनिगृह्य दाप्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा ॥१८४॥

यदि वह ( राजा का भेजा हुवा पुरुष ) ज्यों का त्यों अपनी धरोहर मांगने से पा जावे तो राजा जान ले कि और लोगों ने



सो धरोहर न देने की नालिश ( अभियोग ) की है, उन का उस पर कुछ नहीं चाहिये ॥१८३॥ और यदि धन ( राजपुरुषों ) का कथाविधि धरोहर न देवे तो राजा पकड़वा कर उस से दोनों को दिलावे ( अर्थात् पहिली भी नालिश सच समझे ) यह धर्म का निर्णय है ॥१८४॥

निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयौप्रत्यनन्तरे ।

नश्यतो विनिपाते तावनिपाते त्वनाशिनौ ॥१८५॥

स्वयमेवतु यो दद्यान्मृतस्य प्रत्यनन्तरे ।

न स राज्ञा नियोक्तव्यो न निक्षेप्तुश्च बन्धुभिः ।१८६॥

धरोहर और मङ्गनी धरने और देने वाले के वारिसों को न दे और यदि धरने वाला और मङ्गनी दन वाञ्छा बिना अपने वारिसों को कहे मर जाये तो वे धरोहर और मङ्गनी नष्ट हो जाती है, परन्तु जीवते हुवे अविनाशी हैं ।१८५॥ जो स्वयं ही मरे हुवे के वारिसों को रखने वाला उस का धरोहर वा मङ्गनी का धन दे देवे तो राजा और धरोहर वाले वारिसों को कुछ रोक टोक ( मदाखलत ) करनी योग्य नहीं है ॥१८६॥

अच्छलेनैव चान्विच्छेत्तमर्थं प्रीतिपूर्वकम् ।

विचार्य तस्य वा वृत्तं साम्नैव परिसाधयेत् ॥१८७॥

निक्षेपेष्वेषु सर्वेषु विधिः स्यात्त्वारसाधने ।

समुद्रेनाप्नुयात्किञ्चिद्यदि तस्मान्न संहरेत् ।१८८॥

यदि उसके पास द्रव्य हो तो छलरहित प्रीतिपूर्वकही लेना वा इस का वृत्तान्त समझ कर सीधेपन से ही उस से प्राप्त ( बरामन् ) करे ॥१८७॥ इन सब धरोहरों में सही करने की यह विधि है ।

( मुहर ) चिन्ह सहित दिये हुवे में यदि कुछ मुहर ( चिन्ह ) के हरण न करे तो कुछ शक्का नहीं पाई जाती ॥१८८॥

चौरैर्हृतं जलेनोढमग्निना दग्धमेव वा ।

न दद्याद्यदि तस्मात्स न संहरति किंचन ॥१८९॥

निक्षेपस्यापहर्तारमऽनिक्षेप्तारमेव च ।

सर्वैरुपायैरन्विच्छेच्छपथैश्चैव वैदिकैः ॥१९०॥

जो चौरों ने चुराया और जो पानी में डूब गया तथा आग में जल गया, वह द्रव्य धरने वाला न देवे, यदि उस में उमने स्वयं कुछ नहीं लिया है तो ॥१८९॥ धरोहर के हरण करने वाले और धरोहर बिना रक्खे मांगने वाले को राजा सम्पूर्ण ( सामाधि ) उपायों और वैदिक शपथों ( हलकों ) से पता लगाने का उद्योग करे ॥१९०॥

थो निक्षेपं नार्पयति यश्चानिक्षिप्य याचते ।

तावुभौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ वा तत्समं दमम् ॥१९१॥

निक्षेपस्यापहर्तारं तत्समं दापयेदमम् ।

तथोपनिधहर्तारमदिसपेण पार्थिवः ॥१९२॥

जो धरोहर नहीं देता और जो बिना रक्खे जाल करता है, वे दोनों चोर के समान दण्ड देने योग्य हैं वा उस धन के समान जुर्माना दान योग्य हैं ॥१९१॥ धरोहर ( अमानत ) हरण करने वाले को राजा उसी के समान दण्ड देवे तथा पूर्वोक्त उपनिधि के हरण करने वाले को भी यह दण्ड देवे ॥१९२॥

उपघामिश्च यः कश्चित्परद्रव्यं हरेन्नरः ।



स सहायः स हन्तव्यः प्रकाशं विविधैर्वधैः ॥१६३॥

निक्षेपोयः कृतो येन यावांश्च कुलसन्निधौ ।

तावानेव स विज्ञेयो विब्रुवन्दण्डमर्हति ॥१६४॥

( "तुम पर राजा अप्रसन्न है, उस से हम तुम को वचाते हैं, हम को धन दो ' इत्यादि धोखा वा ढवाव ) उपधा देकर दूसरे का धन जो कोई लेता है, वह सहायकों सहित नाना प्रकार की ताडना देकर प्रत्यक्ष मारने योग्य है ॥१९३॥ जो सुवर्णादि जितना जितने साक्षियों के मामले धरोहर रक्खा हो, उस में ( तोल का बखेड़ा होने पर ) साक्षी जितना कहे, उतना ही जानना चाहिये ( उस में ) तकरार करने वाला दण्ड पाने योग्य है ॥१९४॥

मिथो दायः कृतोयेन गृहीतो मिथएव वा ।

मिथएव प्रदातव्यो यथादायस्तथा ग्रहः ॥१६५॥

निक्षिप्तस्य धनस्यैवं प्रीत्योपनिहितस्य च ।

राजा विनिर्णयं कुर्यादक्षिणवन्न्यासधारिणम् ॥१६६॥

जिस ने एकान्त में धरोहर रक्खी और लेने वाले ने भी एकान्त में ली हो, वह एकान्त ही में देने योग्य है । जैसे लेवे वैसे देवे ॥१९५॥ धरोहर का धन और प्रीति से उपभोग के लिये रक्खे, धन का राजा धरोहर धारी को पीड़ा न देता हुवा ऐसे निर्णय करे ॥१९६॥

विक्रीणीति परस्य स्वं योऽस्वामीस्वाम्यपमतः ।

न तं नयेत साक्ष्यंतु स्तेनमस्तेनमानिनम् ॥१६७॥

अवहार्यो भवेच्चैव सान्वयः पटुशतं दमम् ।

निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याच्चौरकिन्दिपम् ॥१६८॥



दूसरे की वस्तु जिसने बिना स्वामी की आज्ञा के बेची हो, अपने को साहु मानने वाले उस चोर को साक्षी न करे ॥१९७॥  
दूसरे की वस्तु का बेचने वाला यदि धनस्वामी के वंश में हो तो उसे छ. सौ पण दण्ड दे और यदि सम्बन्धी न हो तथा बेचने के प्रतिनिधि (मुखतार) न हो तो चोर के समान अपराधी है ॥१९८॥

अस्वामिना कृतोयस्तु दायोविक्रय एव वा ।

अकृतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः ॥१९९॥

बिना स्वामी जो दिया तथा बेचा, वह सब व्यवहार की जैसी मर्यादा है तदनुसार दिया वा बेचा नहीं समझा जावे ॥

(१९९ से आगे १३ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है:-

[अनेन विधिना शास्ता कुर्वाणस्वामिविक्रयम् ।

अज्ञानाज्ज्ञानपूर्वं तु चौरवदण्डमर्हति ॥ ]

उक्त विधि से राजा अस्वामिविक्रयकर्ता को शासन करे यदि बिना जाने किसी ने अस्वामिविक्रय किया हो, परन्तु जान बूझ कर करने वाला चोर तुल्यदण्ड योग्य है ॥१९९ में "दायोविक्रयएवपा= क्रयोविक्रयएववा १ पाठभेदभी चार पुस्तकों में देखा जाता है) ॥१९९॥

संभोगो दृश्यते यत्र न दृश्येतागमः क्वचित् ।

आगमः कारणं तत्र न संभोग इति स्थितिः ॥ २०० ॥

जिस वस्तु का संभोग तो देखा जाता हो और क्रियादि आगम नहीं वहाँ आगम प्रमाण है, संभोग नहीं। यह शास्त्र की मर्यादा है (अर्थात् जिम ने जिस वस्तु को खरीदने आदि के उचित (जाइज) द्वार से नहीं पाशा केवल भोग रहा है, उस में खरीदने आदिसे प्राप्त करने वाला ठीक समझा जायगा भोक्ता नहीं) ॥२००॥

विक्रयाद्योधनं किञ्चिद् गृह्णीयात्कुलसन्निधौ ।

क्रयेण स विशुद्धं हि न्यायतो लभते धनम् ॥२०१॥

अथ मूलमनाहार्यं प्रकाशक्रयशोधितः ।

अदण्डयोमुच्यते राजा नाष्टिको लभते धनम् ॥२०२॥

जो कुल के सामने बेचने से खरीद कर कुछ धन ग्रहण करे, वह खरीदारी को सिद्ध करके राजा के न्याय से उस धन को पाता है ॥२०१॥ बिना स्वामी बेचने वाले से प्रत्यक्ष खरीद करने वाला शुद्ध पुरुष यदि बेचने वाले को न भी लासके तो भी राजा का अदण्डय है। परन्तु नष्ट धनका म्वासी उस धनको (खरीदने वाले से) पाता है ॥२०२॥

नान्यदन्येन संसृष्टरूपं विक्रयमर्हति ।

न चासारं न च न्यूनं न दूरेण तिरोहितम् ॥२०३॥

"अन्यां चेद्दर्शयित्वाऽन्यांबोद्धुः कन्या प्रदीयते ।

उभे ते एकशुल्केन वहेदित्यब्रवीन्मनुः ॥२०४॥"

एक वस्तु दूसरी के रूप में मिलती हो तो भी उसके धोके से बेचना योग्य नहीं है और न सड़ी हुई न तोल में कम और न बिना दिखाये ढकीको बेचना योग्य है ॥२०३॥ 'ठहराव में किसी और कन्या को दिखावे और विवाह समय वर को अन्य कन्या दे दे तो वे दोनों कन्यायें एक ही ठहराये मूल्य पर विवाह ले, ऐसा मनु ने कहा था" (मनु ने कन्या विक्रय वर्जित किया है, इसलिये भी यह वचन मनु का नहीं माना जा सकता) ॥२०४॥

नोन्मत्ताया न कुष्ठिन्या न च या स्पृष्टमैथुना ।

पूर्व दोषानभिख्याप्य प्रदातादण्डमर्हति ॥२०५॥



ऋत्विग्यदि घृतोयज्ञे स्वकर्म परिहापयेत् ।

तस्य कर्मानुरूपेण देयोंऽशः सह कर्त्तृभिः ॥२०६॥

पगली कोढ़िन और योनिविद्धा कन्या के दोषों को प्रथम न बता कर कन्या का दाता ढण्ड के योग्य है ॥२०५॥ यज्ञ में वरश किया हुआ ऋत्विक् ( बीसारी आदि से ) कुछ कर्म करके छोड़ दे तो उसका काम किये के अनुसार कर्त्ताओं के साथ दक्षिणा का अन्श देना योग्य है ॥२०६॥

दक्षिणासु च दत्तासु स्वकर्म परिहापयन् ।

कृत्स्नमेव लभेतांशमन्येनैव च कारयेत् ॥२०७॥

यस्मिन् कर्मणि यास्तु स्युरुक्ताः प्रत्यङ्गदक्षिणाः ।

स एव ता आददीत भजेरन्सर्वाएव वा ॥२०८॥

दक्षिणा दे देने पर (याजक व्याधि आदि से पीड़ित होने के कारण ) अपने कर्म को समाप्त न करे तो सम्पूर्ण दक्षिणा पावे और शेष कर्म को दूसरे से करा देवे ॥२०७॥ जिस कर्म में जो प्रत्यङ्ग दक्षिणा कर्त्ता हैं उनको वही उस कर्म का कर्त्ता लेवे अथवा बांट कर ग्रहण करलें ॥२०८॥

रथं हरेतवाध्वयुर्ब्रह्माधाने च वाजिनम् ।

होता वापि हरेदश्वमुद्गाताचाप्यनः क्रये ॥२०९॥

सर्वेषामर्धिनो मुख्यास्तथार्धेनार्धिनोऽपरे ।

तृतीयिनस्त्वृतीयांशाश्चतुर्थांशाश्च पादिनः ॥२१०॥

आधान में रथ को अध्वयुं ग्रहण करे और ब्रह्मा अश्व को और होता भी अश्व को और उद्गाता सोमक्रय धारण करने के लिये शकट ( गाड़ी ) ग्रहण करे ॥२०९॥ सपूर्णां में दक्षिणा का



आधा भाग लेने वाले (चार) मुख्य ऋत्विज् होते हैं और उससे आधी दक्षिणा ग्रहण करने वाले दूसरे (चार) ऋत्विज् होते हैं। ऐसे ही तीसरे भाग को ग्रहण करने वाले (चार) और चतुर्थ को ग्रहण करने वाले (चार, ऐसे सोलह ऋत्विक् होते हैं) ॥२१०॥

संभूय स्वानि कर्माणि कुर्वाद्भिरिह मानवैः ।

अनेन विधियोगेन कर्त्तव्यांशप्रकल्पना ॥२११॥

धर्मार्थं येन दत्तं स्यात्कस्मैचिद्वाचते धनम् ।

पश्चाच्चन तथा तत्स्यान्नदेयं तरतद्भवेत् ॥२१२॥

मिल कर काम करने वाले मनुष्यों को यहां इस विधि से बांट करना योग्य है ॥२११॥ जिसने किसी मागने वाले को धर्मार्थ जो धन दे दिया फिर उसका दुबारा दान नहीं कर सकता क्योंकि वह दिया हुआ धन उसका नहीं रहा ॥२१२॥

यदि संसाधनेन च्छु दर्पाल्लोभेन वा पुनः ।

राज्ञादाप्यःसुवर्णं स्यात्तस्यस्तेगस्य निष्कृतिः ॥२१३॥

दत्तस्यैपोदिता धर्मा यथावदनपक्रिया ।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वेतनस्यानपक्रियाम् ॥२१४॥

यदि दान किये हुवे धनको लोभ से वा अहङ्कार से छीने तो राजा उस चोरी की निष्कृति को 'सुवर्ण' का दण्ड दे ॥२१३॥ यह दिये हुवे के उलट फेर करने का ठीक २ धर्मानुकूल निर्णय कहा। इस के उपरान्त वेतन (तनखाह) न देने का निर्णय करता हूँ ॥२१४॥

भूतानात्तौ न कुर्याद्विो दर्पात्कर्म यथोदितम् ।

स दण्डयः कृष्णालान्यष्टौ न देयं चांस्यवेतनम् ॥२१५॥





आर्तस्तु कुर्यात्स्वस्थः सन्यथाभाषितमादितः ।

स दीर्घस्यापि कालस्य तन्त्रमेतैव वेतनम् ॥२१६॥

जो नौकर विना बीमारी के अहङ्कार से कड़े हुने काम को न करे, वह आठ "कृष्णल" दण्ड के योग्य है। और वेतन भी उस को न देवे ॥२१५॥ यदि व्याध्यादि पीडा रहित नौकर जैसा काम कहा वैसा ठीक ठीक करता रहे तो बीमार होने पर बहुत दिन का भी वेतन पावे ॥२१६॥

यथोक्तमार्तः सुस्थोवा यस्तत्कर्म न कारयेत् ।

न तस्य वेतनं देयमल्पेनस्यापि कर्मणः ॥२१७॥

एपधर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादानकर्मणः ।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि धर्म समयभेदिनाम् ॥२१८॥

जो कामजैसा ठहराहो वैसा स्वयं बीमार हो और दूसरेसे भी न करावे या म्बन्ध (तन्त्रुस्त) हुवा आग नकरे तो उसके थोड़े ही काम शेष रहने पर भी सब काम का वेतन न देना चाहिये ॥२१७॥ वेतन के न देनेका यह सम्पूर्ण धर्म कहा। अब इसके आगे प्रतिज्ञा भेदियों का धर्म कहता हूँ:— ॥२१८॥

यो ग्रामदेशसंघानां कृत्वा सत्येन मंविदम् ।

विसंवदेन्नरो लोभात्तं राष्ट्राद्विप्रवासयेत् ॥२१९॥

निगृह्य दापयेच्चैनं समयव्यभिचारिणम् ।

चतुः सुवर्णान्परिणप्क्रांशुतमानं च राजतम् ॥२२०॥

जो मनुष्य ग्राम वा देश के समूहो का सत्य सं समय (इकारार प्रतिज्ञा, ठेका वा पट्टा) करके लोभ के कारण उसको छोड़ देवे तो

उसको राजा राज्य से निकाल दे ॥२१९॥ और उक्त समय व्यभि-  
चारी को पकड़वाकर राजा चार सुवर्ण और छः निष्क और ?  
चांदी का शतमान दण्ड दे ॥२२०॥

एतद्दण्डत्रिधिं कुर्याद्द्वामिकः पृथिवीपतिः ।

ग्रामजातिसमूहेषु समयव्यभिचारिणाम् ॥२२१॥

क्रीत्वा विक्रीय वा किञ्चिद्यस्येहानुशयो भवेत् ।

सोऽन्तर्दशाहात्तद्द्रव्यं दद्याच्चैवाददीत च ॥२२२॥

धार्मिक राजा ग्राम और जातिके समूहों में प्रतिज्ञा के व्यभि-  
चार करने वालों को ऐसे दण्ड देवे ॥२२१॥ कोई द्रव्य खरीदकर  
वा बेचकर दश दिन के बीचमें पसन्द न हो तो वापिस करदे और  
ले सकता है ॥२२२॥

परेण तु दशाहम्य न दद्यान्नापि दापयेत् ।

आददानोददच्चैव राज्ञादण्डयः शतानिपट् ॥२२३॥

यस्तु दोषवतीं कन्यामाख्याय प्रयच्छति ।

तस्य कुर्गान्पोदण्डं स्वयं पण्यति पणान् ॥२२४॥

दश दिनके ऊपर न देवे न दिलावे नहीं तो देने और लेने वाले  
दोनो को राजा से ६०० पण के दण्ड योग्य हैं ॥ (२२३ से आगे  
दो पुस्तकों में ३ श्लोक तथा एक पुस्तक में पहला एक ही श्लोक  
अधिक है । परन्तु कुछ विशेष प्रयोजनीय नहीं होने से हमने उद्-  
धृत नहीं किये) ॥२२३॥ जो दोषवाली कन्याका विना कहे विवाह  
करता है उस पर राजा आप ५६ पण दण्ड करे ॥२२४॥

अकन्येतितु यः कन्यां ब्रूयाद्द्वेषेण मानवः ।

स शतं प्राप्नुयाद्दण्डं तस्यादोषमदर्शयन् ॥२२५॥

पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः ।

नाकन्यासु क्वचिन्नृणां लुप्तधर्मक्रियाहि ताः ॥२२६॥

जो मनुष्य द्वेष से कन्या को अकन्या (दुष्टा) कहे वह सौ पण दण्ड पावे यदि उस के कन्यात्वभङ्ग के दोष को न सिद्ध करे ॥२२५॥ क्योंकि मनुष्योंके पाणिग्रहण सम्यन्धी वैदिक मन्त्र-कन्या के ही विषय में कहे हैं, अकन्या के विषय में कहीं-नहीं । क्योंकि विवाह के पूर्व दूषित कन्याओं का धर्मक्रिया लुप्त हो जाती है ॥२२६॥

पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम् ।

तेषां निष्ठातु विज्ञेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे ॥२२७॥

यस्मिन् यस्मिन्कृते कार्ये यस्येहानुशयो भवेत् ।

तमनेन विधानेन धर्मे पथि निवेशयेत् ॥२२८॥

पाणिग्रहण के मन्त्र निश्चय दार (स्त्री) हो जाने के लक्षण है उन मन्त्रों की समाप्ति सप्तपदी के ७ वें पद में विद्वानों को जाननी चाहिये ॥२२७॥ जिस २ क्रिये काममें पीछे पसंद नहो उसको राजा इस (उक्त) विधि से धर्ममार्ग में स्थापन करे ॥२२८॥

पशुषु स्वामिनांचैव पालनां च व्यतिक्रमे ।

विवादं संप्रवक्ष्यामि यथावद्धर्मतत्त्वतः ॥२२९॥

दिवा वक्तव्यता पाले रात्रौ स्वामिनि तद्गृहे ।

योगक्षेमेऽन्यथा चेत्तु पालो वक्तव्यतामियात् ॥२३०॥

पशुओं के विषय में पशु स्वामी और पशुपालों के विवाद में यथावत् धर्मतत्त्व के विवाद कहता हूँ ॥२२९॥ दिन में चरवाहे पर और रात्रि में स्वामी के घर में स्वामी पर जवाबदेही है (और



कुत्र चारे की कमी आदि हो तांभी, जनावदेद् चरवाहा हो ॥२३०॥

गोपः क्षीरभृतो यस्तु स दुह्यादरातोवराम् ।

गोस्वाम्यनुमते भृत्यः सा स्यात्पालेऽभृतं भृतिः ॥२३१॥

नष्टं विनष्टं कृमिभिः श्वहतं विपमे मृतम् ।

हीनं पुरुषकारेण प्रदद्यात्पाल एव तु ॥२३२॥

जो गोपाल दूध पर ही भृत्य हो वह स्वामी की अनुमति से १० गौओं में श्रेष्ठ १ गौ को भृति (तनव्याह) के लिये दान कर ले वही उसका वेतन है । (जसी एक गौ के दोहन से दश गाय का दान करे) ॥२३१॥ जो पशु खोया जावे वा कीड़े पड़कर खराब हो जावे, कुत्तों से मारा जावे या पाव ऊपर नीचे पड़नेसे मर जावे या पुरुषार्थ हीन होजावे तो (स्वामी को) गोपाल ही पशु दवे ॥२३२॥

विधुष्य तु हृतं चौरैर्न पालो दातुमर्हति ।

यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्यशंसति ॥२३३॥

कर्मो चर्म च वालांश्च वस्ति स्नायुं च रोचनाम् ।

पशुपु स्वामिनां दद्यान्मृतेष्वङ्गानि दर्शयेत् ॥२३४॥

यदि चोर जवरदस्ती छान ले तो गोपाल को (पशु देना) योग्य नहीं है यदि अपने स्वामीसे उसका वृत्तान्त उचित देशकालमें कहदे ॥२३३॥ और यदि म्वयं पशु मर जावे तो उस के अङ्ग स्वामी को पागोल दिखला दे और कान त्वचा, बाल वस्ति, स्नायु और रोचना स्वामी को दे देवे ॥२३४॥

अजाविके तु संरुद्धे वृकैः पाले त्वनायति ।

यां प्रसह्यवृकैह्न्यात् पाले तत्किञ्चिपं भवेत् ॥२३५॥

तामां चैद्वरुद्धानां चरन्तीनां मिथो वने ।

यामुन्मुत्स्य वृकोहन्यान्न पालस्तत्र किल्बिषी ॥२३६॥

बकरी और भेड़ को भेड़िये रोकलें और चरवाहा छुड़ाने को न जावे इस पर जिन को भेड़िया मार डाले, उनका पातक चरवाहे को हो ॥२३६॥ परन्तु यदि उन (चरवाहे में) घेरी हुई बकरी भेड़ों को एकाएक आकर भेड़िया मार डाले तो उसका पातकी चरवाहा न हो ॥२३६॥

धनुःशत परीहागे ग्रामस्य स्यात्समन्ततः ।

शम्भ्यागतास्त्रयो वाऽपि त्रिगुणोनगस्य तु ॥२३७॥

तत्रापरिवृतं धान्यं विद्मिस्युः पशवायदि ।

न तत्र प्रणयेदण्डं नृपतिः पशुरक्षिणाम् ॥२३८॥

ग्राम के आम पास चार सौ हाथ या ३ वार लाठी फैकने की दूरी तक छुट्टी भूमि (परिहार) और नगर में आम पास उम की त्रिगुणा रखनी उचित है ॥२३७॥ उम परिहार स्थान में बाड़ रहित धान्य को यदि पशु नष्टकरे तो राजा चरवाहोको दण्ड नकरे ॥२३८॥

वृत्ति तत्र प्रकुर्वीत यामुष्टो न विलोकयेत् ।

छिद्रं च वागयेत् सर्वं श्वशुकमुग्वानुगम् ॥२३९॥

पथि क्षेत्रे परिवृत्ते ग्रामान्नायेऽथवा पुनः ।

सपानः शनदण्डाहो विपालांश्चारयेत्पशून् ॥२४०॥

उम धन के बचाने को इतनी ऊंची (काटेकी) बाड़ करे जिस में ऊँट न देख सके और बीच के छिद्र रोके जिनसे कुत्ते और सूँवर का मुख न जा सके ॥२३९॥



बाड़ दिये हुवे मार्ग के पास के क्षेत्र में वा प्राप्ति समीपवर्ती क्षेत्र में यदि चरवाहा साथ होने पर पशु खेत चरे तो चरवाहा १०० पण दण्ड के योग्य है और बिना चरवाहे पशुओं को खेत का रखवाला दंड ॥२४०॥

क्षेत्रेष्वन्येषु तु पशुः सपादं पणमर्हति ।

सर्वत्रतु सदा देयः क्षेत्रिकस्येति धारणा ॥२४१॥

अनिर्दशाहां गां सूतां वृषान्देवपशंस्तथा ।

सपालान्याविशालान्यानदण्डान्मनुरव्रवीत् ॥२४२॥

अन्य खेतों को पशु भक्षण करे तो चरवाहा सपाद ( सवा ) पण दण्ड के योग्य है और सब जगह जितनी हानि हुई हो उतनी खेत वाले को दे, यह निश्चय है ॥२४१॥ दश दिन के भीतर की वियाई हुई गाय, सांड देवता संबन्धी पशु ( जो दंत्रकार्य हवनार्थ वृतादि सम्पादनार्थ गौ आदिपाले रहते हों ) के रखवालेके साथ वा बिना पशुपाल के किसी का खेत खाने पर ( मुक्त ) मनु ने दण्ड नहीं कहा ॥२४२॥

क्षेत्रियस्यात्यये दण्डो भागादशगुणो भवेत् ।

ततोऽर्धदण्डो भृत्यानामज्ञानात्क्षेत्रियस्यतु ॥२४३॥

एतद्विधानमातिष्ठेद्धार्मिकः पृथिवीपतिः ।

स्वामिनांच पशूनांच पालानांच व्यतिक्रमे ॥२४४॥

यदि खेत वाले के अपने पशु खेत चरें तो उसको राज भाग से दशगुणा दण्ड हो और खेतीवाले के अज्ञानसे नौकरों की रक्षा में पशु भक्षणकरें तो उससे आधा दण्ड हो ॥२४३॥ स्वामी और पशु तथा चरवाहे के अपराध में धार्मिक राजा इस प्रकार विधान करे ॥२४४॥



सीमां प्रतिसमुत्पन्ने विवादे ग्रामयोर्द्वयोः ।  
ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥२४५॥  
सीमावृक्षांश्च कुर्वीत न्यग्रोधाश्वत्थ क्रिशुकान् ।  
शाल्मलीन्शालतालांश्च क्षीग्निश्चैवशादपान् ॥२४६॥

दो ग्रामों की सरहदके मगड़े उत्पन्न होने पर ज्येष्ठ मासमे जब वृक्षादि शूष्क होने से सरहद के चिन्ह सुप्रकाशित हो तब उसका निश्चय करे ॥२४५॥ सीमा (सरहद) का चिन्ह बट, पीपल पलाम मेभर साल और ताल तथा अन्य दूध वाले वृक्ष स्थापित करे ॥२४६॥

गुल्मान्वेषुं च विविधाञ्छमीवल्लीस्थलानि च ।  
शरान्कुञ्जकगुल्मश्च तथासीमा ननश्यति ॥२४७॥  
तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रसृणानि च ।  
सीमासंविषु कार्याण्ये देवतायतनानि च ॥२४८॥

गुल्म नाना प्रकार के बांस शमी वल्लीस्थल शर और कुञ्जक-गुल्म स्थापित करे जिससे सीमा नष्ट न हो ॥४७॥ तगाड कूप बावड़ी झरना और यज्ञ मन्दिर सीमाके जोड़ोपर बनावे ( जिससे कि बहुत से मनुष्य जलपानादि करने तथा यज्ञार्थपरम्परासे सुनकर आते रहे इसी से वे सब साक्षी हो ) ॥२४८॥

उपच्छन्नानि चान्नानि सीमालिङ्गानिकारयेत् ।  
सीमाज्ञानेनृणां वीक्ष्य नित्यंलोकेविपर्ययम् ॥२४९॥  
अश्मनोऽस्थीनि गोवालांस्तुपान्मस्मकपालिकाः ।  
करीपमिष्टकाङ्गारांश्चर्करावालुकास्तथा ॥२५०॥

यानि चैवं प्रकाराणि कालाद्भूमिर्न भङ्गयेत् ।  
 तानि सन्धिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत् ॥२५१॥  
 एतैर्लिङ्गैर्नयेत् सीमां राजा विवदमानयोः ।  
 पूर्वभुक्तया च सततमुदकस्यागमेन च ॥२५२॥

सीमा निर्णय में सर्वदा इस लोक में मनुष्योंको भ्रम देख कर अन्य गूढ़ सीमाचिन्ह भी स्थापित करावे ॥२४९॥ पत्थर हड्डी गोबाल तुप, भस्म, खपड़ा, आरना, ईट, कोयला, शर्करा और बालु ॥२५०॥ और जोकि इस प्रकार की वस्तु हो जिन्हे बहुत दिनों में भी मूमि न खा जावे उनके सीमा की सन्धियों में गुप्त करावे ॥२५१॥ राजा इन चिन्हों और पूर्व भोग तथा नदी आदि से जल के मार्ग इत्यादि चिन्हों से लड़ने वालों की सीमा का निर्णय करे ॥२५२॥

यदि संशय एव स्यात्लिङ्गानामपि दर्शने ।  
 साक्षिप्रत्ययएव स्यात् सीमावादविनिर्णयः ॥२५३॥  
 ग्रामीयककुलानां च समक्षां सीम्नि साक्षिणः ।  
 प्रष्टव्याः सीमलिङ्गानि तयोश्चैव विवादिनोः ॥२५४॥

चिन्हों के देखने पर भी संशय रहे तो साक्षी के प्रमाण से सीमा विवाद का निश्चय करे ॥२५३॥ ग्राम के कुलो और वाणी प्रतिवादियों (मुद्दई मुद्दआईलह) के समक्ष सीमा में साक्षियों से सीमा के चिन्ह पूछने योग्य है ॥२५४॥

ते पृष्ठास्तु यथा ब्रूयुः समस्ताः सीम्नि निश्चयम् ।  
 निवर्धनीयास्तथा सीमां सर्वास्तांश्चैव नामतः ॥२५५॥





शिरोभिस्ते गृहीत्वोर्ध्वं स्रग्धियो रक्तवाससः ।

सुकृतैः सापिताः स्वैः स्वैनयेयुत्तममञ्जलम् ॥२५६॥

सीमा के विषय में निश्चय के लिये वे पूछे हुवे लोग जैसा कहें वैसे ही सब सीमा का वाधे और उन सब साक्षियों के नाम लिखले ॥२५५॥ वे साक्षी फूलों की माला और लाल कपड़ा पहिन कर शिर पर मिट्टी के ढंले उठा कर कहे कि जो हमारा सुकृत है सो निष्फल हो जो हम असत्य कहे ॥२५६॥

यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते मत्प्रसाक्षिणः ।

विपरीतं नयन्तस्तु द्राप्याः स्युद्विग्नतडमम् ॥२५७॥

साध्यभावेतुचत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः ।

सीमाविनिर्णयं कुर्युः प्रयता राजमन्त्रिणैः ॥२५८॥

वे मत्प्रधान साक्षी शास्त्रोक्त विधि से निर्णय में महायत्न रह कर निष्पाप होते हैं। और असत्यने निधय कराने वालों को दोषों परण दण्ड दिलावे ॥२५७॥ साक्षी के अभाव में ग्राम पाम के जर्मादार ४ ग्राम के निवासी धर्म से राजा के सामने सीमा का निर्णय करे ॥२५८॥

-सामन्तानामभावे तु मौलानां भीष्मिमाक्षिणाम् ।

इमानप्यनुयुञ्जीत पुरुषान्वनगोचरान् ॥२५९॥

व्याधश कुनिकान्गोपान्कैवर्तान्मूलखानकान् ।

दयालुग्राहानुञ्छेत्तीनन्त्रांश्च वनचारिणः ॥२६०॥

सामन्त = ग्राम पामके जड़ साक्षियों के अभाव में इन वनचर पुरुषों को भी साक्षी करले ॥२५९॥ व्याधशा कुनिक गोप कैवर्तक

मूल खोदने वाले और सपेरे तथा उच्छ्रुति और दूसरे वन-  
 चारियों को ॥२६०॥

ते पृष्ठास्तु यथा ब्रूयुः सीमांसन्धिषु लक्षणम् ।  
 तत्तथास्थापयेद्राजा धर्मैण ग्रामयोद्ध्रियोः ॥२६१॥  
 क्षेत्रकूपतडागानामागमस्य गृहस्य च ।  
 सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिर्णयः ॥२६२॥

वे पूछे हुवे लोग जैसे सीमासन्धि का लक्षण बतावे राजा धर्म  
 से दोनों के बीच में सीमा का वैसे ही स्थापन करे ॥२६१॥ क्षेत्र,  
 कूप, तडाग बाग और गृहों के सीमा सेतु के निर्णय में सामन्त =  
 समीपवासियों की प्रतीति करे ॥२६२॥

सामन्ताश्चेन्मृपात्रयुः सैतौ विवदतां नृणाम् ।  
 सर्वे पृथक्पृथक् दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम् ॥२६३॥  
 गृहतडागमारामं क्षेत्रं वा भीषयाहरण ।  
 शतानि पञ्चदण्ड्य स्यादज्ञानाद् द्विशतोदमः ॥२६४॥

विवाद करने वाले मनुष्यों के सेतु निर्णय में यदि सामन्त  
 झूठ बोलें तो राजा सब को 'मध्यमसाहस' ७॥-१) अलग २ दण्ड  
 दे ॥२६३॥ घर तडाग बाग वा क्षेत्र को भय देके जो हरण करे  
 उस को पांच सौ पण दण्ड दे और अज्ञान से हरण करने में दो  
 सौ पण दण्ड दे ॥२६४॥

सीमायामविपह्वायां स्वयं राजैव धर्मविज्ञु ।  
 प्रदिशेद्भूमिमेतेषामुपकारादिति स्थितिः ॥२६५॥  
 सीमा का कोई पर्याप्त प्रमाण न मिलने पर धर्म का जानने



बाला राजा स्वयं ही उपकारसे इनकी भूमि वांटते । यह मर्यादा है-  
( २६५ से आगे यह श्लोक दो पुस्तकों में अधिक है:-

[ ध्वजिनी मत्सिनी चैव निधानीः भयवर्जिता ।

राजशासननीता च सीमा पञ्चविधा स्मृता ॥ ]

एषोऽखिलेनाभिहितो धर्मः सीमाविनिर्णये ।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वाक्पारुष्यविनिर्णयम् ॥२६६॥

यह सम्पूर्ण सीमानिश्चय का धर्म कहा अब वाणी की क्रूरता  
( गाली ) का निर्णय कहता हूँ ॥२६६॥

शतं ब्राह्मणमाक्रुश्य क्षत्रियो दण्डमर्हति ।

वैश्योऽप्यर्धशतं द्वे वा शूद्रस्तु चधमर्हति ॥२६७॥

पञ्चाशद्ब्राह्मणोदण्डयः क्षत्रियस्याभिशंसने ।

वैश्ये स्यादर्धपञ्चाशच्छूद्रे द्वादशकोदमः ॥२६८॥

ब्राह्मण को गाली देने से क्षत्रिय सौ पण दण्ड योग्य है और  
वैश्य भी डेढ़ सौ या दो सौ पण दण्ड और शूद्र तो ( बेंत आदि  
से ) पीटने योग्य है ॥२६७॥ और ब्राह्मण क्षत्रिय को गाली दे  
तो पचास पण वैश्य को गाली दे तो पच्चीस पण और शूद्र को  
गाली दे तो बारह पण दण्ड योग्य है ॥२६८॥

समवर्णो द्विजातीनां द्वादशैव व्यतिक्रमे ।

वादेऽप्यवचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेत् ॥२६९॥

द्विजातियों को अपने समान वर्णमें गाली आदि देने पर बारह  
पण दण्ड दे ( मां बहिन की गाली आदि ) न क हने योग्य गांठी  
प्रदानादि में उस का दूना ( २४ पण दण्ड दे ) । ( इस से आगे



३ पुस्तको मे ये दो श्लोक अधिक पाये जाते हैं :—

[ विप्रक्षत्रियवत्कार्यो दण्डो राजन्यवैश्ययोः ।

वैश्यक्षत्रिययोः शूद्रैः विप्रैः क्षत्रशूद्रयोः ।

समुत्कर्षापकर्षास्तु विप्रदण्डस्य कल्पना ।

राजन्यवैश्यशूद्राणां धनवर्जमितिस्थितिः ॥]

“एकजातिद्विजातीस्तु वाचा दारुणया क्षिपन् ।

जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छेदं जवन्यप्रभत्रोहि सः ॥२७०॥”

“यदि शूद्र द्विजातियो को गाली दे तो जीभके छेदनका दण्ड प्राप्त हो क्यों कि वह निकृष्ट से उत्पन्न है” (यह २६८ के विरुद्ध है) ॥२७०॥

“नामजातिग्रहं त्वेषामभिद्रोहेण कुर्वतः ।

निक्षेप्योयोमय शंकुर्ज्वलन्नास्ये दशांगुलः ॥२७१॥

धर्मोपदेशं दर्पेण विप्राणामन्य कुर्वतः ।

तप्तमासेचयेत्तैलं वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिव ॥२७२॥”

“जो शूद्र द्विजातियो के नाम और जाति का उच्चारण करे उस के मुँह में जलती हुई दश अंगुल की लोहे की कील ठोकनी चाहिये ॥२७१॥ जो शूद्र अहङ्कार से ब्राह्मणों के धर्म का उपदेश करे उस के मुख और कान में राजा गरम तेल डलवावे। (ये दोनों श्लोक भी २७० के तुल्य उसी शैली के हैं) ॥२७२॥”

श्रुतं देशं च जातिं च कर्मशारीरमेव च ।

वितथेन ब्रुवन्दर्पादाप्यः स्याद् द्विशतं दमम् ।२७३।

काशं वाप्यथवा खञ्जमन्यं वापि तथाविधम् ।

तथ्येनापि ब्रुवन्दाप्योदण्डं कार्पापणावरम् ।२७४।

भ्रुत = पढ़ाई = और देश तथा जाति और शारीरिक कर्म मूँठ बतलाने वाले को राजा दो सौ पण दण्ड दे ॥२७३॥ काणा तथा लङ्गड़ा और अन्य कोई इसी प्रकार का अङ्गहीन हो, उस को सच भी उसी दोष से पुकारने वाला एक "कार्पापण" तक दण्ड के योग्य है ॥२७४॥

मातरं पितरं जायां आतरं तनयं गुरुम् ।

आहारयञ्छतं दाप्यः पन्थानं चाददद्गुरोः ।२७५।

ब्राह्मणक्षत्रियाम्भ्यां तु दण्डः कार्यो विजानता ।

ब्राह्मणे साहसः पूर्वः क्षत्रिये त्वेव मध्यमः ।२७६।

माता, पिता, स्त्री, भाई, पुत्र और गुरु को अभिशाप = गाली देने तथा गुरु को मार्ग न छोड़ने वाला सौ पण दण्ड के योग्य है ॥२७५॥ ब्राह्मण क्षत्रियों के आपस में गाली गलौज करने में वर्ण का जानने वाला राजा दण्ड करे तो उसमें ( ब्राह्मण का अपराध हो तो ) ब्राह्मण को "प्रथम साहस" तथा क्षत्रिय को "मध्यम साहस" दण्ड दे ॥२७६॥

‘विट्शूद्रयोरेवमेव स्वजातिं प्रति तत्त्वतः ।

छेदवर्जं प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्चयः ॥२७७॥’

"वैश्य शूद्रों को आपसमें इसी प्रकार गाली गलौज करने में अपनी २ जाति के प्रति ठीक २ छेद रहित दण्ड का प्रयोग करे। इस प्रकार निर्णय है ॥"

( २७७ का कथन बड़ा अस्तव्यस्त है। प्रथम तो वैश्य शूद्रों को गाली देने का कथन है, फिर स्वजाति का वर्णन है। परन्तु

स्वजाति मे शूद्र को, जिह्वाच्छेद दण्ड का विधान प्रक्षिप्त २७० में भी नहीं है। इस लिये स्वजाति मे जिह्वाच्छेदवर्ज कहना व्यर्थ है। तथा दण्ड का व्यौरा भी इस श्लोक में नहीं है। इन कारणों से यह श्लोक २७० के तुल्य प्रक्षिप्त जान पड़ता है। इस के आगे भी एक श्लोक है जो कि केवल दो पुस्तकों मे पाया जाता है। यथा-

[ पतित पतितेत्युक्त्वा चौरं चौरैति वा पुनः ।

वचनात्तु ल्यदोपः स्यान्मिथ्या द्विर्दोषतां व्रजेत् ॥ ]

(व्यवहारमयूख मे इस को नारद का वचन बताया है) ॥२७७॥

एष दण्डविधिः प्रोक्तोवाक्पारुष्यस्य तत्त्वतः ।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिर्णयम् ।२७८।

यह वाक्पारुष्य की ठीक २ दण्डविधि कही (अब दण्डपारुष्य) विधि ('मार पीट का निर्णय') कहता हूँ ॥२७८॥

येन केनचिदंगेन हिंस्याच्चेच्छ्रेष्ठमन्त्यजः ।

छेतव्यं ततदेवास्य तन्मतेः अनुशासनम् ।२७९।

पाणिमुद्यम्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमर्हति ।

पादेन प्रहरं कौपात्पादच्छेदनमर्हति ॥२८०॥

अन्त्यज लोग जिस किसी अङ्ग से द्विजातियो को मारें, उन का वही अङ्ग कटवाना चाहिये। यह (मुझ) मनु का अनुशासन है ॥२७९॥ हाथ वा लाठी उठा कर मारें तो हाथ काटना योग्य है (न कि लाठी, काटी जावे) और क्रोध से लात मारे तो पैर काटना योग्य है ॥२८०॥

सहासनमभिप्रैप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टजः ।

कट्वा कृताङ्कोनिर्वास्यः स्फिचं वास्यावकर्तयेत् ॥२८१॥  
अवनिष्ठीवतो दर्पाद् द्वावोष्ठौ छेदयेन्नृपः ।  
अवमूत्रयतो मेढूमत्रसर्धयतो गुदम् ॥२८२॥

उच्च के साथ बैठने की इच्छा करने वाले नीच की कटी (कमर) में (दाग) चिन्ह करके निकाल दे वा उस के चूतड़ को थोड़ा कटवा देवे (जिसमे न मरे) ॥२८१॥ अहङ्कार से नीच उच्च के ऊपर थुके तो राजा उसके दोनों होठ काटे और उस पर मूत्र डाले तो लिङ्ग और पादे तों उसकी गुदाका छेदन करे ॥२८२॥

केशेषु गृह्णतो हस्तौ छेदयेदऽविचारयन् ।  
पादयोर्दाढिकायां च ग्रीवायां वृषणेषु च ॥२८३॥  
त्वग्भेदकः-शतं दण्डयो लोहितस्य च दर्शकः ।  
मांसभेत्ता तु पण्डिनष्कान्प्रवास्यस्त्वस्थिभेदकः ॥२८४॥

अहङ्कार से (मार डालने का) वाल पकड़ने वालेके दोनों हाथों को बिना विचारे (शीघ्र) कटवादे पैर डाढ़ी ग्रीवा तथा अण्डकेश को (मार डालने के विचार से) पकड़ने वालेके भी (हाथ कटवादे) ॥२८३॥ त्वचा का भेद करने वाले परसौ पण दण्ड करना चाहिये और रक्त निकालने वाले को भी सौ पण दण्ड दे तथा मांस के भेदन करने वाले को छः "निष्क" दण्ड दे और अस्थि-भेदक को देश से निकाल दे ॥२८४॥

वनस्पतीनां सर्वेषामुपभोगं यथा यथा ।  
तथा तथा दमः कार्यो हिंसायामिति धारणा ॥२८५॥  
मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रहृते सति ।  
यथा यथा महद्दुःखं दण्डं कुर्यात्तथा तथा ॥२८६॥

सम्पूर्ण वनस्पतियोंका जैसा २ उपभोग करे वैसा २ हिंसा (हानि) में दण्ड दिया जावे। यह मर्यादा है ॥२८५॥ मनुष्यों और पशुओं को पीड़ा के लिये प्रहार करने पर जैसे पीड़ा अधिक हो वैसे ३ दण्ड भी अधिक करे ॥२८६॥

अज्ञावपीडनायां च ब्रह्मशोणितोऽस्यथा ।

समुत्थानव्ययं दाप्यः सर्वदण्डमथापि वा ॥२८७॥

द्रव्याणि हिंस्यद्यो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा ।

स तस्योत्पादयेत्तुष्टिराज्ञो दद्याच्च तत्समम् ॥२८८॥

अज्ञो (चरणादि) और ब्रह्म तथा रक्त की पीड़ा होने पर चोट करने वाला स्वस्थ होने का सम्पूर्ण खर्च दे अथवा पूर्ण दण्ड दे ॥ ८७॥ जो जिस की वस्तु का जानकर वा वे जाने नुकसान करे वह उसको प्रसन्न करे और राजाको उसीके बराबर दण्ड दे ॥२८८॥

चर्मचामिकभाण्डेषु काष्ठलोष्ठमेषु च ।

मूल्यात्पंचगुणो दण्डः पुष्पमूलफलेषु च ॥२८९॥

यानस्य चैव यातुश्च यानस्वामिन एव च ।

दशातिवर्तनान्याद्दुःशेषे दण्डो विधीयते ॥२९०॥

चाम और चमड़े के बने मशकादि वर्तन तथा मिट्टी और लकड़ी की बनी वस्तुओं के मोल से पांच गुणा दण्ड ले। और पुष्पमूलफलों में भी (ऐसा ही करे) ॥२८९॥ सवारीके चलाने वाले तथा स्वामी को दश अवस्थायें (दिखो अगला श्लोक) छोड़कर शेष अवस्थाओं में दण्ड कहा है ॥२९०॥

छिन्ननास्ये भग्नयुगे तिर्यक् प्रतिमुखागते ।



अक्षभङ्गे च यानस्य चक्रभङ्गे तथैव च ।२६१।

छेदने चैव यन्त्राणां योक्तृशम्योस्तथैव च ।

आक्रन्दे चाप्यपैहीनि न दण्डं मनुरब्रवीत् ।२६२।

नाथ के टूटने, जुवे के टूटने, नीचे ऊंचेके कारण टेढे वा अड़ कर चलने रथ के धरे टूटने और पहिये के टूटने ॥२९१॥ और बन्धनादि यन्त्र टूटने और गले की रस्मी टूटने लगाम टूटने पर और "हटो बचो" ऐसा कहने हुये (सारथि) से कांठ किसी का नुकसान होने पर (मुफ्त) मनु ने दण्ड नहीं कहा ॥२९२॥

पत्रापवर्तने युग्यं वैगुण्यात्प्राजकस्य तु ।

तत्रस्वामी भवेदण्डयो हिंसायां द्विशतं दमम् ।२६३।

प्राजकरवेद्भवेदण्डः प्राजको दण्डमर्हति ।

युग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्ते सर्वे दण्ड्याःशतंशतम् ।२६४।

जहां सारथि के कुशल (शिशार) न होने से रथ डवर उतर चलता है उममें हिंसा (नुकसान) होनेपर स्वामी दोसौ पण दण्ड के योग्य है ॥२९३॥ और यदि सारथि कुशलहो तो वही (सारथी) दोसौ पण दण्ड योग्य है और सारथि कुशल न होते हुवे यान पर सवार होने वाले सब सौ २ पण दण्ड योग्य हैं ॥२९४॥

स चेत्तु पथि संरुद्धः पशुभिर्वा रथेन वा ।

प्रमापयेत्प्राणभृतस्तत्र दण्डोऽविचारितः ।२६५।

मनुष्यमारणे क्षिप्तं चौरवत्क्लिष्यं भवेत् ।

प्राणभृत्सु महत्स्वर्धं गोगजोष्टृहयादिषु ।२६६।

वह सारथी यत्रि पशुओं से वा अन्य रथ से रुके हुये भी रथ को चलावे उससे जीव मर जावे तो उसको विना विचारे दण्ड दे ॥२९५॥ (सारथि के रथ चलाने से मनुष्य के मर जाने में चोर का (उत्तम साहस) दण्ड दे और बड़े पशु चैल हाथी ऊंट घोड़ों के मर जाने पर अर्ध (पांच सौ पण) दण्ड दे ॥२९६॥

क्षुद्रकाणां पशूनां तु हिंसायां द्विशतोद मः ।

पंचाशत्तु भवेदण्डः शुभेषु मृगपक्षिषु ।२९७।

गर्दभाजाविकानां तु दण्डः स्यात्पंचमापिकः ।

मापकस्तु भवेदण्डः श्वसूकरनिपातने ।२९८।

क्षुद्र पशुओं की हिंसा में दो सौ (पण) दण्ड हो और अच्छे मृग पक्षियों की (हिंसा) में पचास (पण) दण्ड हो ॥२९७॥ गधा बकरी भेड़के मरजाने में पांच 'मापक' दण्ड और कुत्ते वा सूवर के मर जाने पर एक मापक दण्ड देवे ॥२९८॥

भार्या पुत्रश्च दासश्च प्रेष्यो भ्राता च सोदरः ।

प्राप्तापराधास्ताड्याः स्यूज्ज्वा देशुदलेनवा ।२९९।

पृष्ठस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गं कथञ्चन ।

अतोऽन्यथातु प्रहरन्प्राप्तः स्याच्चौरकिञ्चिषम् ।३००।

भार्या पुत्र दास हरकारा और छोटा सहोदर भाई अपराध करने पर रस्सी वा बांस की छड़ी से ताड़नीय है ॥२९९॥ (परन्तु इन को) शरीर के पीठ की ओर मारे शिर में कभी न मारे इससे विपरीत मारने वाला चोर का दण्ड पावंगा ॥३००॥

एषोखिलेनाभिहितो दण्डपारुष्यनिर्णयः ।

स्तेनस्यात प्रवक्ष्यामि विधिं दण्डविनिर्णये ।३०१।



परमं यत्नमातिष्ठेत्स्तेनानां निग्रहे नृपः ।

स्तेनानां निग्रहा दस्यस्यशो राष्ट्रं च वर्धते ॥३०२॥

यह सम्पूर्ण भार पीठ का निर्णय कहा अब चोर के दण्ड का निर्णय कइता हूँ ॥३०१॥ राजा चोरोंके निग्रह के लिये बड़ा यत्न करे । चोरों के निग्रह से इसका यश और राज्य बढ़ता है ॥३०२॥

अभयस्य हि वोढाता स पूज्यः सततं नृपः ।

सत्रहि वर्धते तस्य सदैवाऽभयदक्षिणम् ॥३०३॥

सर्वता धर्मपट्भागो राज्ञो भवति रक्षतः ।

अवर्मादपि पट्भागो भवत्यस्य ह्यऽरक्षतः ॥३०४॥

जो अभय का देने वाला राजा है वह सदा पूज्य है । उस का यह सत्र (यज्ञ) अभयरूपी दक्षिणा से वृद्धि को प्राप्त होता है ॥३०३॥ रक्षा करने वाले राजा को सत्र से धर्म का छटा भाग और रक्षा न करने वाले राजा को भी सत्र से अधर्म का छटा भाग मिलत है ॥३०४॥

यदधीते यद्वजते यददाति यदर्चति ।

तस्य पट्भागमाग्राजा सम्यग्भवति रक्षणात् ॥३०५॥

रक्षन्धर्मैण भूतानि राजा वध्यांश्च घातयन् ।

यजतेऽहरहर्यज्ञैः महस्रशतदक्षिणैः ॥३०६॥

जो कोई वेदपाठ, यज्ञ, दान, गुरु पूजनादि करता है, उसका छटा भाग अच्छे प्रकार रक्षा करने से राजा पाता है ॥३०५॥ प्राणियों की धर्म से रक्षा करता हुआ और वाग्दोषों को दण्ड देता हुआ राजा माना प्रतिदिन लक्षदक्षिणायुक्त यज्ञोंको करता है ॥३०६॥

योऽरक्षन्वलिमादत्ते करं शुल्कं च पार्थिवः ।  
 प्रतिभागं च दण्डं च स सद्यो नरकं व्रजेत् ॥३०७॥  
 अरक्षितारं राजानं वलिपङ्कभागहारिणम् ।  
 तमाहुः सर्वलोकस्य समग्रमलहारकम् ॥३०८॥

जो रक्षा न करता हुआ राजा धान्य का छटा भाग चुङ्गी कर तथा दण्डका भाग लेता है वह शीघ्र नरकमे जावेगा (४ पुस्तकमें 'प्रति भोगम्' पाठ है) ॥३०७॥ जो राजा रक्षा नहीं करता और धान्य का छटा भाग लेता है उसको सब लोगो का सम्पूर्ण पाप देने वाला कहते हैं ॥३०८॥

अनपेक्षितमर्यादां नास्तिकं विप्रलुम्पकम् ।  
 अरक्षितारमत्तारं नृपं विद्यादधोगातिम् ॥३०९॥  
 अधार्मिकं त्रिभिर्न्यायैर्निगृह्णीयात्प्रयत्नेनः ।  
 निरोधनेन बन्धेन विविधेन वधेन च ॥३१०॥

(शास्त्र की) मर्यादा को उलंघन करनेवाले. नास्तिक, अनुचित दण्डादि धनको ग्रहण करने वाले रक्षा न करने वाले (कर आदि) भक्षण करने वाले राजा को अधोगामी जाने ॥३०९॥ अधार्मिक पुरुष का तीन उपायो से यत्न पूर्वक निग्रह करे। एक कारागार (हवालान्) दूसरा बन्धन, और तीसरा विविध प्रकार वध (बैत आदि लगवाना) ॥३१०॥

निग्रहेणहि पापानां साधूनां संग्रहेण च ।  
 द्विजातय इवेज्याभिः पूयन्ते सततं नृपाः ॥३११॥  
 चन्तव्यं प्रभुणानित्यं क्षिपतां कारिणिणां नृणाम् ।

वालवृद्धातुराणां च कुर्वता हितमात्मनः ॥३१२॥

पापियों के निग्रह और सायुधों के संग्रह से राजा सदा पवित्र होते हैं। जैसे यज्ञ करनेसे द्विज ॥३११॥ (दुःख से) आक्षेप करने वाले कार्यार्थी तथा बाल वृद्ध आतुरों को अपने हित की इच्छा करने वाला राजा क्षमा करे ॥३१२॥

यः क्षिप्तो मर्षयत्यातैस्तेन स्वर्गे महीयते ।

यस्त्वैश्वर्यान्न क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥३१३॥

राजा स्तेनेन गन्तव्यो मुक्तकेशेन धावता ।

आचक्षणेन तस्तेयमेवंकर्मास्मिशाधिमाम् ॥३१४॥

जो राजा दुःखितो से आक्षेप किया हुआ सहता है वह स्वर्ग में पूजा जाता है और जो ऐश्वर्य के मद से क्षमा नहीं करता उससे वह नरक को जाता है ॥३१३॥ चोरी करने वाला सिर के बाल खोले हुवे और दौड़ता हुआ राजा के पास जाकर उस चोरी को कहता हुआ यह कहे कि मुझे दण्ड दो मैं इस काम का करने वाला हूँ ॥३१४॥

स्कन्धेनादाय मुसलं लगुडं वापि खादिरम् ।

शक्तिं चोभयतस्तीक्ष्णामायस दण्डमेव वा । ३१५॥

खैर की लड़की के भूसल वा लट्ट, वा जिस में दोनो ओर धार हो ऐसी बरछी वा लाहे का दण्डा कन्धे पर उठा कर (कहे कि इस से मुझे मारो। ३१५ से आगे एक पुस्तक में एक श्लोक अधिक मिलता है। यथा-

[गृहीत्वा मुसलं राजा सकृद्धन्यात्तु तं स्वयम् ।

वधेन शुष्यने स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव वा ॥ ]

शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते ।

अशासित्वातुतराजास्तेनस्याप्नोति किञ्चिपम् ॥३१६॥

तब चोर शासन से वा छोड़ देने से चोरी के अपराध से छूट जाता है और यदि राजा उसको दण्ड न दे तो उस चोर के पाप को पाता है ॥३१६॥

अन्नादे भ्रूणहा माण्डिपत्यौ भार्यापचारिणी ।

गुरौशिष्यश्च याज्यश्च स्तेनोराजनिक्लिष्यम् ॥३१७॥

राजनिधूर्तदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः ।

निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनोयथा ॥३१८॥

भ्रूणहत्या वाले का पाप उसके अन्न खाने वाले को और व्यभिचारिणी स्त्री का पाप पति को और शिष्य का पाप गुरु को तथा यज्ञ करने वाले का कराने वाले को (उपेक्षा करने से) लगता है । वैसे ही चोर का पाप (छोड़ने से) राजा को होता है ॥३१७॥ पाप करके भी राजा से उचित दण्ड पाये हुवे मनुष्य, निष्पाप होकर स्वर्ग को जाते हैं जैसे पुण्य करने से सन्त ॥३१८॥

यस्तु रज्जुं घटं कृपाद्धरेद्विन्द्राच्चयः प्रपाम् ।

सदण्डं प्राप्नुयान्मापं तच्च तस्मिन्समाहरेत् ॥३१९॥

धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्योहरतो ऽभ्यधिकं वधः ।

शोष्येकादशगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥३२०॥

जो कुवे पर से रस्सी और घड़े को चुरावे और जो प्याऊ को तोड़े उसको सौने का एक 'माप' दण्ड हो और उस रज्जु और घड़े को उसी से रखावे और प्याऊ को भी वे वनावे ॥३१९॥

(बीस टोण का एक कुम्भ, ऐसे) दश कुम्भों से अधिक धान्य का चुराने वाला अधिक वध (पीटने) के योग्य है और शेष में उसका ११ गुणा धन दिलवावे ॥३२०॥

तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके वधः ।

सुवर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम् ॥३२१॥

पञ्चाशतस्त्वभ्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते ।

शेषे त्वेकादशगुणं मूल्यादण्डं प्रकल्पयेत् ॥३२२॥

जैसे धान्य में वध कहा है वैसे ही (तराजू या कांटा) तुजादि से तोलने योग्य सुवर्ण चांदी आदि और उत्तम वस्त्र चुराने पर भी १०० से अधिक पर दण्ड जानो ॥३२१॥ और पचास (पल) से ऊपर चुराने से हाथ काटने चाहियें। शेष (एक से उनचास तक) चुराने में उसके मूल्य से ११ गुणा दण्ड देवे ॥३२२॥

पुरुषाणां कुलीनानां नागीणां च विशेषतः ।

मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे वधमर्हति ॥३२३॥

महापशूनां हरणे शस्त्राणामौषधस्य च ।

कालमासाद्यकार्यं च दण्डं राजा प्रकल्पयेत् ॥३२४॥

बड़े कुल के पुरुषों और विशेष कर स्त्रियों और अधिक मूल्य के रत्नों के चुराने में वध (देह दण्ड) योग्य है ॥३२३॥ बड़े पशुओं और शस्त्र तथा औषधि के चुराने में काल और कार्य को देख कर राजा दण्ड देवे ॥३२४॥

गोषु ब्राह्मणसंस्थासु छुरिकायाश्च भेदने ।

पशूनां हरणे चैव सद्यः कार्यार्घपादिकः ॥३२५॥

सूत्रकार्पासकिएवानां गोमयस्य गुडस्य च ।

दध्नः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च ॥३२६॥

ब्राह्मण की गौओं के हरण और नाक काटने और पशुओं के हरण में शीघ्र अर्घपाद के छेदने का दण्ड करे ॥३२५॥ सूत कपास मट्टिरा की गाद, गोबर, गुड़, दही, दूध, मटा, जल तृण ॥३२६॥

वेणुवैदलभाण्डानां लवणानां तथैव च ।

मृगमयानां च हरणे मदीभस्मन एव च ॥३२७॥

मत्स्यानां पक्षिणांचैव तैलस्य च घृतस्य च ।

मांसस्य मधुनश्चैव यच्चान्यत्पशुसंभवम् ॥३२८॥

बांसकी नली और बरतनों, नमक, मट्टी के बरतनों की चोरी और मट्टी, राख ॥३२७॥ मछली, पक्षी तेल घृत मांस मधु और जो कुछ पशु से उत्पन्न होता है (चास सींग आदि) ॥३२८॥

अन्येषां चैव मादीनामाद्यानामोदनस्य च ।

पक्वानानां च सर्वेषां तन्मूल्याद् द्विगुणोदमः ॥३२९॥

पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मवल्ली नगेषु च ।

अन्येष्व परिपूतेषु दण्डः स्यात्पञ्चकृष्णालः ॥३३०॥

और भी इसी प्रकार की खाने की चीजों, चावलों के भात और सम्पूर्ण पक्वानों की भी चोरी में इनके मूल्य से दूना दण्ड होना चाहिये ॥३२९॥ पुष्पों और हरे धान्य तथा गुल्म वल्ली वृक्षों और अन्य जिनके तुपादि तर करके अमनियां नहीं किये गये (उनकी चोरी करने वालेको) पाच 'कृष्णाल' दण्ड हो ॥३३०॥

परिपूतेषु धान्येषु शाकमूलफलेषु च ।



निरन्वये शतं दण्डः साऽन्वयेऽर्धशतं दण्डः ॥३३१॥

स्यात्साहसं त्वन्वयवत्प्रसभं कर्म यत्कृतम् ।

निरन्वयं भवेत्स्तेर्यं हृत्वाऽपच्ययते च यत् ॥३३२॥

पवित्र शोधित धान्य और शाक मूल फल के चुराने में वंश सम्बन्ध रहितों को शत १०० दण्ड और वंश में चोर हों तो पचास ५० दण्ड हों ॥३३१॥ जो धान्यादि को सामने बल से कुटुम्बियों के समान छीन लेवे, वह साहस है। और (स्वामी के पीछे) ऊपरियों के समान लेवे, वह चोरी है तथा लेकर जो नकार करे वह भी चोरी ही है ॥३३२॥

पस्त्वेतान्युपकृप्तानि द्रव्याणि स्तेनप्रेम्भरः ।

तमाद्यं दण्डयेद्राजा यश्चाग्निचोरयेद्गृहात् ॥३३३॥

येन येन यथाङ्गनेन स्तेनो नृपु विचेष्टते ।

तत्तदेव हरेत्स्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥३३४॥

जो मनुष्य इन बनावे चीजों और अग्नि को चुरावे उसको राजा "प्रथम माह्न" दण्ड दे ॥३३३॥ जिस २ अङ्ग से जिस २ प्रकार चोर चोरी करता है, राजा उसका आगे को प्रमङ्ग निवारण के लिये वही अङ्ग छिन्न करे ॥३३४॥

पिताचार्यः सुहृन्माता भार्यापुत्रः पुरोहितः ।

नाऽदंड्योनाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मं न तिष्ठति ॥३३५॥

कार्पापणं भवेद्दण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतोजनः ।

तत्र राजा भवेद्दण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥३३६॥

पिता आचार्य, मित्र माता भार्या पुत्र और पुरोहित इन में

जो स्वधर्म में न रहे वह राजा को अदण्ड्य नहीं है (दण्ड योग्य है) ॥३३५॥ जिस अपराध में अन्य लोग "कार्पापण" दण्ड के योग्य हैं, उसी अपराध में राजा को "सहस्र पण दण्ड हो" यह मर्यादा है ॥३३६॥

अष्टापथं तु शूद्रस्य स्तेये भवति किञ्चिपम् ।

पोडशैवतु वैश्यस्य द्वात्रिंशत्क्षत्रियस्य च ॥३३७॥

ब्राह्मणस्य चतुः षष्टिः पूर्णं वापि शतं भवेत् ।

द्विगुणा वा चतुः षष्टिस्तदोपगुणत्रिद्वि सः ॥३३८॥

शूद्र को चोरी में आठ गुणा पाप होता है वैश्य को सोलह गुणा क्षत्रिय को बत्तीस गुणा ॥३३७॥ ब्राह्मण को चौंसठ गुणा वा एक सौ अट्ठाइस गुणा पाप होता है क्योंकि वह चोरी के दोष गुण जानने वाला है ॥३३८॥

"वानस्पत्यं मूलफलं दार्वग्न्यर्थं तथैव च ।

तृणं च गोभ्योऽप्रासार्थमस्तेयं मनुरब्रवीत् ॥३३९॥ "

वनस्पति सम्बन्धी मूल फल और जलाने को काष्ठ और गायों के लिये घास यह चोरी नहीं है ऐसा मनु ने कहा है" ॥३३९॥

योऽदत्तादायिनो हस्ताङ्घ्रिप्सेत ब्राह्मणोऽधनम् ।

याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः ॥३४०॥

जो ब्राह्मण चोर के हाथसे यज्ञ कराने और पढ़ाने से भी धन लेने की इच्छा करे तो जैसा चोर है वैसा ही वह है ॥३४०॥

द्विजोऽध्वगः क्षीणवृत्तिर्द्वाविद्धू द्वे च मूलके ।

आदानः परचेत्रान्न दंडं दातुमर्हति ॥३४१॥

असन्धितानां सन्धाता सन्धितानां च मौक्तिकाः।

दासाश्चरथहर्ता च प्राप्तः स्याच्चोरकिञ्चिदपम् ॥३४२॥

अर्थ से तद्ग मार्ग का चलने वाला द्विज दूमरे के रेत से हो  
गन्ने और दो मूली ग्रहण कर लेने वाला दण्ड देने योग्य नहीं है  
॥३४१॥ खुले हुए दूमरे के पञ्चादि का बांधने वाला और बंधों को  
खोल देने वाला और दान अश्व और रथ का दण्ड करने वाला  
चोर के दण्ड को प्राप्त हो ॥३४२॥

अनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्नेननिग्रहम् ।

दशोऽस्मिन्प्राप्नुयात्लोकप्रै न्य चानुत्तमं सुखम् ॥३४३॥

इन्द्रं स्थानमभिप्रैप्सुर्यशश्चाजमव्ययम् ।

नोपैक्षेत्तत्रणमपि राजा माहमिकं नरम् ॥३४४॥

इस प्रकार चोरों का निग्रह करने वाला राजा इस लोक में  
दश और परलोक में अनुत्तम सुख को पावेगा ॥३४३॥ इन्द्र के स्थान  
को इच्छा करने वाला और अक्षय दश का चाहने वाला राजा  
साहम करने वाले मनुष्य को क्षण भर भी उपेक्षा न करे (तुरन्त  
दण्ड दे) ॥३४४॥

वाग्दृष्टात्तस्कराञ्चैव दण्डेनैव च हिमतः ।

साहमस्य नरः कर्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥३४५॥

साहसे वर्त्तमानं तु यो मर्षयति पार्थिवः ।

न विनाशं व्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥३४६॥

वाक्पाण्ड्य (गाली गलौज) करने वाले चोर तथा दण्ड  
द्वारा मारने वाले से साहम (जबरदस्ती) करने वाले मनुष्यको

अधिक पापकारी जाने ॥३४५॥ साहस करने वाले को जो राजा क्षमा करता है वह शीघ्र विनाश और लोगों में द्वेष को प्राप्त होता है ॥३४६॥

न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वाधनागमात् ।  
 समुत्सृजेत्साहसिकान्सर्वभूतभयावहान् ॥३४७॥  
 शस्त्रं द्विजातिभिर्ग्राह्यं धर्मो यत्रोपरुष्यते ।  
 द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते ॥३४८॥  
 आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च सङ्गरे ।  
 स्त्रीविप्राभ्युपपत्तौ च धनधर्मेण न दुष्यति ॥३४९॥  
 गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् ।  
 आततायिनमायान्तं हन्या देवा विचारयन् ॥३५०॥

मित्र के कारण वा बहुत धन की प्राप्ति से भी राजा सब लोगों को भय देने वाले साहसी मनुष्यों को न छोड़े ॥३४७॥ ब्राह्मणादि तीन वर्णों को शस्त्र ग्रहण करना चाहिये, जिस समय कि वर्ण-श्रमियों का धर्म रोकना जाता हो और त्रैवर्णिकों के मध्य विप्लव (बलवे) में ॥३४८॥ और अपनी रक्षाके लिये, दक्षिणा के छीनने पर स्त्रियो और ब्राह्मणों की विपत्ति में धर्मानुसार शत्रुओं की हिंसा करने वाला दोष भागी नहीं होता ॥३४९॥ गुरु वा बालक वा वृद्ध व बहुश्रुत ब्राह्मण इन में कोई हो जो आततायी होकर आवे, उसको राजा बिना विचारे (शीघ्र) मारे ॥

(३५० से आगे दो पुस्तकों में यह श्लोक अधिक पाया जाता है

[अग्निदोगरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः ।

क्षेत्रदारहरश्चैव षडेते ह्याततायिनः ॥]



अग्नि से स्थानादि जलाने वाला, विष देने वाला, (मारने को) शस्त्र हाथ में लिये हुये धन छीनने वाला, खेत और स्त्री का हरने वाला ये छ. आततायी हैं ॥ इसमें छ. को आततायी कहने से जान पड़ता है कि वस ये ही आततायी हैं, विशेष नहीं । परन्तु किसी ने दो नीचे लिखे श्लोक आततायी के लक्षण के और भी बढ़ा दिये हैं जिन में से पहला ३ और दूसरा २ पुस्तकों में पाया जाता है—

[उद्यतासिर्विपाग्निभ्यां शापोद्यतकरस्तथा ।  
 आथर्वणेन हन्ता च पिशुनश्चापि राजनि ॥  
 भार्यारिक्थापहारी च रन्ध्रान्वेपणतत्परः ।  
 एवमाद्यान्विजानीयात्सर्वानि वाततायिनः ॥]

अर्थात्-प्रहारार्थ खड्ग उठाने वाला, विष और अग्निसे मारने वाला शाप के लिये हाथ उटाता हुआ, अथर्ववेदके मन्त्र से मारने वाला, राजा से मूँठी चुगली करने वाला ॥ स्त्री धन का छीनने वाला छिद्र ढूँढने में तत्पर इत्यादि सभी आततायी समझने चाहिये) ॥३५०॥

नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भदति कश्चन ।  
 प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥३५१॥  
 परदाराभिमर्शेषु प्रवृत्तानन्महीपतिः ।  
 उद्धेजनकरैर्दण्डैश्छिन्नयित्वा प्रवासयेत् ॥३५२॥

लोगों के सामने वा एकान्त में मारने को तैयार हुये के मारने में मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं होता क्योंकि वह क्रोध उस क्रोध का प्राप्त होता है ॥३५१॥ परस्त्रीसंभोग में प्रवृत्त पुरुषों को

हराने वाले दण्ड देकर और अन्न भङ्ग करके राजा देश से निकाल दे ॥३५२॥

तत्समुत्थाहि लोकस्य जायते वर्णसंकरः ।

येन मूलहरोऽधर्मः सर्वनाशाय कल्पते ॥३५३॥

परस्य पत्नया पुरुषः संभाषां योजयन् रहः ।

पूर्वमाचारितो दोषैः प्राप्नुयात्पूर्वसाहसम् ॥३५४॥

उस (परस्त्रीगमन) से लोगों में वर्णसङ्कर उत्पन्न होते हैं क्योंकि मूल को नारा करने वाला अर्थात् सब के नाश करने में समर्थ है ॥३५३॥ पहले वदनाम हुआ पुरुष एकान्त में दूसरे की स्त्री के साथ बात चीत करे तो "प्रथम साहस" दण्ड पावे ॥३५४॥

यस्त्वनान्चारितः पूर्वमभिभाषेत कारणात् ।

नदोषं प्राप्नुयात्किञ्चिन्नहि तस्य व्यतिक्रमः ॥३५५॥

परस्त्रिय योऽभिवदेत्तीर्थेऽरण्ये वनेऽपि वा ।

नदीनां वापि संभेदे स संग्रहणमाप्नुयात् ॥३५६॥

जो पहले से वदनाम नहीं है और किसी कार्य से लोगों के सामने (पर स्त्री से) बोले वह दोष को प्राप्त 'न हो क्योंकि उसका कोई अपराध नहीं है ॥३५५॥ जो पराई स्त्री से तीर्थ वा अरण्य (जङ्गल) वा वन वा नदी के सङ्गम में समापण करे उस को पर-स्त्री हरण का अपराध हो ॥३५६॥

उपचारक्रिया केलिः स्पर्शा भ्रूषणवाससाम् ।

सह खट्वासनं चैव सर्वं संग्रहणं स्मृतम् ॥३५७॥

स्त्रियं स्पृशेददेशे यः स्पृष्टोवा मर्षयेत्तया ।



परस्परस्यानुमते सर्वं संग्रहणं स्मृतम् ॥३५८॥

माला चन्द्रनादि का भेजना, परिहास, आलिङ्गनादि करना, यत्र अभूषण का स्पर्श करना आसन तथा शय्या पर साथ रहना इन सब कामों को भी परस्त्री संग्रहण के समान कहा है ॥३५७॥ जो परस्त्री को दुष्ट स्थान में स्पर्श करे और जो परस्त्री से छुवा हुआ आपस की प्रसन्नता में सहन करे। यह सब पर स्त्री संग्रहण कहा है।

(३५८ से आगे १ श्लोक २ पुस्तकमें अधिक पाया जाता है

[कामाभिपातिनी या तु नरं स्वयमुपव्रजेत् ।

राज्ञा दास्ये निगोज्या सा कृत्वा तदोपघोषणम् ॥]

जो स्त्री काम के वश स्वयं परपुरुष के समीप जावे तो राजा उसकी दोष की मनादी = डिंडमा पिटवा कर दासियों में नौकर रखवे ॥३५८॥

‘अत्राह्वणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमर्हति ।

चतुर्णामपि वर्णानां दारा रक्ष्यतमा. सदा ॥३५९॥

भिक्षुका वन्दिनश्चैव दीक्षिताः कारवस्तथा ।

संभाषणं सह स्त्रीभिः कुयुरप्रतिवारिताः ॥३६०॥

“ब्राह्मण को छोड़ कर अन्य जो कोई परस्त्री संग्रहण करे वह प्राणान्त दण्डयोग्य है, क्योंकि चारों वर्णों की स्त्री सचवा बहुत करके रक्षा के योग्य हैं (यह ३५० के विरुद्ध है) ॥३५९॥” भिक्षुक वन्दी दीक्षित और रसाई करने वाले परस्त्री के साथ निवारण न करने पर सम्भाषण कर सकते हैं ॥३६०॥

न सम्भाषां परस्त्रीभिः प्रतिपिद्धः समाचरेत् ।

निर्पिद्धो भाषमाणस्तु सुवर्णं दण्डमर्हति ॥३६१॥

नैष चारणदारेषु विधिर्नात्मोपजीविषु ।

सज्जयन्ति हि ते नारीर्निगूढाश्चारयन्ति च ॥३६२॥

पराई स्त्री के साथ निषेध करने पर बात न करे और करे तो एक 'सुवर्ण' दण्ड योग्य है ॥३६१॥ यह विधि चारण = नट गायकादि की स्त्रियों में नहीं है ( अर्थात् इन से बोलने का निषेध नहीं है ) तथा ( पुत्रादि ) जो अपने अधीन जीविका वाले है उन में भी नहीं हैं। क्यों कि ये ( चारणादि ) छिपे हुवे आप ही स्त्रियों को सज्जित करके पर पुरुषों के साथ मिलाते हैं ॥३६२॥

किञ्चिदेव तु दाप्यः स्यात्सम्भाषां तामिराचरन् ।

प्रैष्यासु चैकभक्तासु रहःप्रव्रजितासु च ॥३६३॥

योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमर्हति ।

सकामां दूषयंस्तुल्यो न वधं प्राप्नुयाद्भरः ॥३६४॥

परन्तु उन के साथ भी निर्जन देश में सम्भाषण करता हुआ कुछ थोड़ा दण्ड देने योग्य है और एकभक्ता तथा विरक्ताके साथ भी सम्भाषण करने से थोड़ा दण्ड दे ॥३६३॥ जो (हीन जाति) इच्छा न करने वाली कन्या से गमन करे, वह उसी समय वध के योग्य है और कन्या की इच्छा से गमन करने वाला सजातीय पुरुष वध के योग्य नहीं है (किन्तु अन्य दण्डके योग्य है) ॥३६४॥

“कन्यां भजन्तीमुत्कृष्टं न किञ्चिर्दापि दापयेत् ।

जघन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद् गृहे ॥३६५॥

उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमर्हति ।

शुल्कं दद्यात्सेवमान. समामिच्छेत्पिता यदि ॥३६६॥”



ब्राह्मणादि उत्तम के साथ सङ्गम करने वाली कन्या को थोडा भी दण्ड न देवे, और हीन जाति से सम्बन्ध करने वाली का रक्षा से घर में रक्खे ॥३६५॥ उत्कृष्ट जाति वाली कन्या के साथ सङ्गम करने वाला हीन जाति पुरुष बध के योग्य है। और समान जाति में हो तो सेवन करने वाला यदि उस कन्याका पिता स्वीकार करे तो शुल्क ( मूल्य ) दे । यह व्यभिचार प्रवर्त्तक है। यदि विवाहविषयक मानाजावे तो दण्डकी आशङ्का भी व्यर्थ है ॥३६६॥

अभिपद्य तु यः कन्यां कुर्यादपेण मानव ।

तस्याशु कर्त्तुं अंगुल्यौ दण्डं चार्हति पट्शतम् ॥३६७॥

सकामां दूपयंस्तुल्यो नांगुलिच्छेदमाप्नुयात् ।

द्विशतं तु दमं दाप्यः प्रसङ्गविनिवृत्तये ॥३६८॥

जो मनुष्य बलात्कार से कन्या को घमण्ड से विगाड़े, उस की दो अंगुली शीघ्र काट ली जावे और छ सौ पण दण्ड योग्य है ॥३६७॥ परन्तु कन्या की इच्छा के साथ विगाड़ने वाले सजातीय की अंगुलियों का छेदन न हो, किन्तु प्रसङ्ग की निवृत्ति के लिये दो सौ पण दण्ड मिलाना चाहिये ॥३६८॥

कन्यैव कन्यां या कुर्यात्तस्याः स्याद् द्विशतोदमः ।

शुल्कं च द्विगुणं दद्याच्छिफाञ्चैवाप्नुयाद्दश ॥३६९॥

या तु कन्यां प्रकुर्यात्स्त्री सा सद्योमौण्ड्यमर्हति ।

अंगुल्योरेव वाच्छेदं खरेणोद्धहनं तथा ॥३७०॥

और कोई कन्या ही कन्या को ( अंगुलियों में ) विगाड़े तो उस को दो सौ पण दण्ड होना चाहिये और कन्या के पिता को ( जितना दहेज देना पड़ता, अब छतयोनित्व की शङ्का से कन्या-



चित कोई न विवाहे, इस की कनौड में देने के लिये ) द्विगुण धन दण्डरूप शुल्क देवे और दश वेत खात्रे ॥३६९॥ और जो स्त्री कन्या को ( उद्गली ) से विगाड़े, वह उसी समय शिर मुण्डाने । ग्य है, वा उद्गलियो के कटवाने का दण्ड पावे और गधेपर चढ़ा कर घुसानी योग्य है ॥३७०॥

भर्तारं लंबयेद्या तु स्त्री ज्ञातिगुणदर्पिता ।

तां श्वभिःखात्रयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥३७१॥

पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्नश्चायसे ।

अभ्यादधुश्च काष्ठानि तत्र दह्येत पापकृत् ॥३७२॥

जो स्त्री प्रचल पिता, बान्धव धनादि के अभिमान से पति छोड़ कर दूसरे से सम्बन्ध करे उस को राजा बहुत आदमियों के बीच में कुतो से चुवावे ॥३७१॥ व्यभिचारी, पापी मनुष्य को जलते लोहे की चारपाई पर जलावे । सब लोग उस पर लकड़ियां डालें, उन में पाप करने वाला जले ॥३७२॥

संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणोदमः ।

व्रात्यया सह संवासे चण्डाल्या तावदेव तु ॥३७३॥

शूद्रो गुप्तमगुप्तं वा द्वै जातं वर्णमावसन् ।

अगुप्तमङ्गसर्वस्वैर्गुप्तं सर्वेण हीयते ॥३७४॥

परस्त्री गमन करते २ दुष्ट पुरुष को एक वर्ष हो जावे तो उस पुरुष को पूर्वोक्त दण्डसे दूना दण्ड होना चाहिये और व्रात्या तथा चण्डाली के साथ रहने में भी दूना दण्ड होना चाहिये ॥३७३॥ रक्षिता वा अरक्षिता द्विजाति वर्ण की स्त्री के साथ यदि शूद्र गमन करे तो उस को अरक्षिता में अङ्गछेदन तथा सर्वस्वहरण दण्ड हो और रक्षिता में सत्र (शरीर तथा धनादि) से हीन कर दे ॥३७४॥



वैश्यः सर्गस्वदण्डः स्यात्संवत्सरनिरोधतः ।  
 सहस्रं क्षत्रियोदण्डयो मौण्ड्यं मूत्रेण चार्हति ॥३७५॥  
 ब्राह्मणीं यद्यगुप्तां तु गच्छेतां वैश्यपार्थिवौ ।  
 वैश्यं पंचशतं कुर्यात् क्षत्रियं तु सहस्रिणम् ॥३७६॥

वैश्य यदि एक वर्ष तक परस्त्री को घर में डाले रहे तो सर्वस्व हरणरूप दण्ड करना चाहिये । और क्षत्रिय सहस्र दण्ड और मूत्र से शिर मुण्डाने योग्य है ॥३७५॥ और यदि अरक्षिता ब्राह्मणी से वैश्य, क्षत्रिय गमन करे तो क्षत्रिय को सहस्र और वैश्य को पाच सौ दण्ड चाहिये ॥३७६॥

उभावपि तु तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह ।  
 विप्लुतौ शूद्रवद्वयौ दग्धव्यौ वा कटाग्निना ॥३७७॥  
 सहस्रं ब्राह्मणोदण्ड्योगुप्तां विप्रां वलाद्रजन् ।  
 शतानिपंचदण्डयः स्यादिच्छन्त्यासहसंगतः ॥३७८॥

वे दोनों ( क्षत्रिय वैश्य ) रक्षिता ब्राह्मणी के साथ डूबे तो शूद्रवत् दण्ड योग्य है । अथवा उन्हें चटाई में लपेट कर जला देवे ॥३७७॥ रक्षिता ब्राह्मणी से यदि ब्राह्मण वलात्कार से मैथुन करे तो सहस्र पण और चाहती हुई से करे तो पाच सौ पण दण्ड योग्य है ॥३७८॥

मौण्ड्यं प्राणान्तिकोदण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते ।  
 इतरेषां तु वणाना दण्ड प्राणान्तिको भवेत् ॥३७९॥  
 न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्वपि स्थितम् ।  
 राष्ट्रदेनं वहिः कुर्यात्समप्रधनमक्षतम् ॥३८०॥

'ब्राह्मण का शिर मुण्डाना ही प्राणान्तिक दण्ड कहा है। अन्य वर्णों का प्राणदण्ड प्राणान्तिक ही है ॥३७९॥ सम्पूर्ण पापों में भी स्थित ब्राह्मण को कभी न मारें। किन्तु सम्पूर्ण धन के साथ बिना मारे पीटे राज्य से निकाल दे।" (य दोनो ३५० से विरुद्ध हैं। तथा ३८१ में भी यही दशा है) ॥३८०॥

'न ब्राह्मणवधाद्भूयान धर्मो विद्यते भुवि ।

तस्मादस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयेत् ॥३८१॥"

वैश्यश्चेत्क्षत्रियां गुप्तां वैश्यां वा क्षत्रियो ब्रजेत् ।

यो ब्राह्मणायामगुप्तायां तावुभो दण्डमर्हतः ॥३८२॥

'ब्राह्मण के वध से बड़ा कोई पाप पृथिवी में नहीं है। इससे राजा इस के वध का मन से भी चिन्तन न करे ॥३८१॥" रक्षिता क्षत्रिया से यदि वैश्य गमन करे वा वैश्या से क्षत्रिय गमन करे तां जो अरक्षिता ब्राह्मणी से गमन में दण्ड कहा है वही (३७६ के अनुसार) दोनो को हो ॥

(३८२ से आगे ११ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है,—

[ क्षत्रियां चैव वैश्यां च गुप्तां तु ब्राह्मणो ब्रजन् ।

न मूत्रमुण्डः कर्त्तव्यो दाप्यस्तूत्तमसाहसम् ] ॥

≡ यदि ब्राह्मण, रक्षिता क्षत्रिया या वैश्या से गमन करे तो मूत्रसे मुण्डित न कराया जावे किन्तु "उत्तमसाहस" (१००० पण) दण्ड दिलाया जावे ॥३८२॥

• सहस्रं ब्राह्मणो दण्डं दाप्यो गुप्ते तु ते ब्रजन् ।

शूद्रायां क्षत्रियविशो साहस्रौ वै भवेद्दमः ॥३८६॥

• क्षत्रियायामगुप्तायां वैश्ये पञ्चशतं दमः !



मूत्रेण मौण्यङ्गमिच्छेतु क्षत्रियोदण्डमेव वा ॥३८४॥

रक्षिता क्षत्रिया और वैश्या से जो ब्राह्मण गमन करे तो सहस्र पण दण्ड होना चाहिये और रक्षिता शूद्रा से क्षत्रिय वैश्य गमन करें तो भी सहस्र दण्ड देना चाहिये ॥३८३॥ अरक्षिता क्षत्रिया के गमन से वैश्य को पांचसौ पण दण्ड और क्षत्रिय को पांच सौ पण धन दण्ड दे अथवा चाहे तो मूत्र से मुण्डन करावे ॥

( ३८४ से आगे भी २॥ श्लोक २ पुस्तकों में अधिक हैं -

[शूद्रोत्पन्नांश पापीयान्न वै मुच्येत किन्विपात् ।  
तेभ्यो दण्डाहृतं द्रव्यं न कोशे सप्रवेशयेत् ॥

अयाजिकंतु तद्राजा दद्याद् भृतकवेतनम् ।  
यथा दंडगतं वित्तं ब्राह्मणेभ्यस्तु लम्भयेत् ॥  
भार्यापुरोहितस्तेना ये चान्ये तद्विधा जनाः ॥]

अगुप्ते क्षत्रियानैग्ये शूद्रां वा ब्राह्मणो ब्रजन् ।  
शतानिपञ्चदण्डयः स्यात्सहस्रं त्वन्त्यजस्त्रियम् ॥३८५॥

• यस्यस्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक् ।

न साहसिकदण्डघ्नो स राजा शक्रलोकभाक् ॥३८६॥

अरक्षिता क्षत्रिया वैश्या वा शूद्रासे ब्राह्मण गमन करे तो पांच सौ पण दण्ड और अन्त्यजा के साथ गमन में सहस्र पण दण्ड होना चाहिये ॥३८५॥ जिस राजा के राज्य में चोरी ररस्त्रीगमन, गाली देना, साहस बरने और मारपीट करने वाले पुरुष नहीं हैं वह राजा रर्श वा सत्यलोक का भागी होता है ( एक पुस्तक में 'सत्यलोक' पाठभेद है ) ॥३८६॥



एतेषां निग्रहो गङ्गः पञ्चानां विषये स्वके ।  
 साम्राज्यं कृत्सजात्येषु लोके चैव यशस्करः ॥३८७॥  
 ऋत्विजं यस्त्यजेद्याज्योयाज्यं चर्वित्कृत्यजेद्यदि ।  
 शक्तं कर्मण्यदुष्टं च तयोर्दण्डः शतंशतम् ॥३८८॥

इन पांचों का अपने राज्य में निग्रह करना राजा को अपने साथी राजाओं में साम्राज्य कराने वाला और लोगों में यश करने वाला है ॥३८७॥ जो यजमान ऋत्विज को छोड़े जो कि कर्म करने में समर्थ और दुष्ट न हो और जो ऋत्विज यजमान को छोड़े उन को सौ २ पण दण्ड होना चाहिये ॥३८८॥

न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्त्य गमर्हति ।  
 त्यजन्नपतितानेतान् राज्ञा दंड्यः शतानिपट् ॥३८९॥  
 आश्रमेषु द्विजातीनां कार्ये विव्रदतामिधः ।  
 न विव्रयान्नपृषधर्मं चिकीर्षन्हितमात्मनः ॥३९०॥

माता पिता पुत्र और स्त्री त्याग करनेके योग्य नहीं हैं । जो इन बिना पतित हुओं का त्याग करे उसके राजा छ सौ पण दे ॥३८९॥ वानप्रस्थाश्रमी कार्य में परस्पर झगड़ा करने वाले द्विजों के बीचमें, अपना हित करना चाहनेवाला राजा धर्म (न्याय) न करे (अर्थात् उसे कामों में बलपूर्वक राजाका हस्तक्षेप नहो) ॥३९०॥

यथार्हमेतानभ्यर्च्य ब्राह्मणैः सहपार्थिवः ।  
 सान्त्वेन प्रशमय्यादौ स्व धर्मं प्रतिपादयेत् ॥३९१॥  
 प्रतिवेशानुवेश्यौ च कल्याणं विंशति द्विजे ।  
 अर्हावभोजयन्विप्रो दंडमर्हति मापकम् ॥३९२॥

जो जैसा पूजा के योग्य है उस को वैसी पूजा करके ब्राह्मणों के साथ प्रथम उन को समभावे उस के अनन्तर स्वधर्म बता देवे ॥३९१॥ निरन्तर अपने मकान में रहने वाले और कभी २ आने जाने वाले इन दोनों योग्यों को उत्सव में बीस ब्राह्मणों के भोजना-वसर में जो ब्राह्मण, भोजन न करावे तो उसे १ रौप्य मापक दण्ड देना योग्य है ॥३९२॥

श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधु भूतिकृतेष्वभोजयन् ।

तदन्नं द्विगुणं दाप्यो हिरण्यं चैव मापयम् ॥३९३॥

अन्धोजडः पीठसर्पा सप्तत्यास्थविरश्च यः ।

श्रोत्रियेषूपकूर्वश्च न दाप्याः केनचित्करम् ॥३९४॥

यदि श्रोत्रिय विभव कार्य में एक साधु श्रोत्रियको भोजन न करावे तो उस अन्न से दूना अन्न और "हिरण्यमापक दण्ड दिलाना योग्य है ॥३९३॥ अन्ध बधिर, पंगु और सत्तर वर्ष का वृद्ध तथा श्रोत्रियों के उपकार करने वाला इनसे किसी को कर दिलाना योग्य नहीं है ॥३९४॥

श्रोत्रियं व्याधितातौ च बालवृद्धावक्रिञ्चनम् ।

महाकुलीनमार्यं च राजा संपूजयेत्सदा ॥३९५॥

शाब्लीफलकेशलच्छेनेनिज्यान्न जकः शनैः ।

न च वासांसि वासोभिर्निर्हन्तश्च वासयेत् ॥३९६॥

श्रोत्रिय रोगी दुःखी बालक वृद्ध दरिद्र और बड़े कुल वाले आर्य का राजा सदा सम्मान करे ॥३९५॥ सेमर की चिकनी पटिया पर धोत्री धीरे धीरे कपड़ों को धोवे और दूसरे के कपड़ों से औरों के कपड़े न बदले जावे और न बहुत दिन पड़े रखे ॥३९६॥

तन्तुवायो दशपलं दद्यादेकपलाधिकम् ।  
 अतोऽन्यथा वर्तमानो दाप्योद्वादशकं दमम् ॥३६७॥  
 शुल्कस्थानेषु कुशलाः सर्वपण्यविचक्षणाः ।  
 कुर्युर्घं यथापण्यं ततो विंशं नृपो हरेत् ॥३६८

जुलाहा दश १० पल सूत लेके एकादश ११ पल (मांडी से बढ़ने के कारण) वस्त्र तौल देवे इस से विपरीत करे तो ( राजा) जगह पण्य दण्ड दिलावे ॥३६७॥ जो चुङ्गी आदि के विषय में कुशल और हर एक प्रकार के लेने देने में चतुर हों उन सौदागरों को जो लाभ हो उसका बीसवां भाग राजा ले ॥३६८॥

राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानियानि च ।  
 तानि निर्हरतो लोभात्सर्वहारं हरेन्नृपः ॥३६९॥  
 शुल्कस्थानं परिहरन्न काले क्रयविक्रयी ।  
 मिथ्यावादी च संस्थानेदोषोऽष्टगुणमत्तयम् ॥४००

राजाके जो प्रसिद्ध निज विक्रेय द्रव्य और जो राजाने बेचनेसे निषेध किये हुवे द्रव्य हैं उन को लोभके कारण और जगह लेजा कर बेचने वाले का सर्वस्व राजा हरण करले ॥३६९॥ चुङ्गी की जगह से हट कर ( चोरी से ) और जगह माल ले जाने वाला वे समय बेचने खरीदने वाला और गिनती व तौल में भूठ बोलने वाला उचित राज कर का ८ गुणा वा जितने का भूठ बोला हो उसका आठ गुणा दण्ड दे ॥४००॥

आगमं निर्गमं स्थानं तथा वृद्धिचयानुभौ ।  
 विचार्य सर्वा पण्यानां कारयेत्क्रयविक्रयौ ॥४०१॥  
 पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे पक्षे पक्षेऽथवा गते ।



कुर्यात् चैषां प्रत्यक्षमर्घं संस्थापनं नृः ॥४०२॥

आने और जाने का खर्च स्थान तथा वृद्धि और क्षय दोनों, इन के विचार कर सब वस्तुओं को खरीदने वेंचने का भाव करावे ॥४०१॥ पांच पांच दिन वा पक्ष ( १५ वें ) दिन के भाव का राजा प्रत्यक्ष नियत करावे ॥४०२॥

तुलामानं प्रतीमानं सर्गं च स्यात्सुरक्षितम् ।

षट्सु षट्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत् ॥४०३॥

पणं यानं तरे दाप्यं पौरुषोऽर्घपणं तरे ।

पादं पशुश्च योयिच्च पादार्धं रिक्तकः पुमान् ॥४०४॥

तुला की तोल और नापो का अच्छे प्रकार देखे और छ. छ. महीने में फिरसे दिखावे ॥४०३॥ पुल पर गाड़ी का महसूल १ पण दे और एक आदमी के बोझ का आधा पण और गाय बैल आदि पशु तथा स्त्री चौथाई पण और खाली आदमी १ पण का ८ वां भाग दे ॥४०४॥

भाण्डपूर्णानि यानानि तार्यं दाप्यानिसारतः ।

रिक्तभाण्डानियत्किञ्चित्पुमांसश्चापरिच्छदा. ॥४०५॥

दीर्घाध्वनि यथादेशं यथाकालं तरो भवेत् ।

नदीतीरेषु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम् ॥४०६॥

पुल पर माल भरी गाड़ी का महसूल बोझ के अनुसार दे और खालीसवारी और दरिद्र पुरुषोंसे महसूल कुछ थोड़ा लेलेवे ॥४०५॥ लम्बी उतराई का महसूल देशकालानुसार हो । उसको नदी तीरमें हीजाने । समुद्रमें यह लक्षण नहीं है ॥४०६॥

गभिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रव्रजितो मुनिः ।

ब्राह्मणालिङ्गिनश्चैव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥४०७॥

यन्नावि किञ्चिदाप्तानां विशीर्येतापराधतः ।

तद्दासैरेव दातव्यं समागम्य स्वतोंऽशतः ॥४०८॥

दो महीने ऊपर की गर्भिणी, संन्यासी, वानप्रस्थ ब्रह्मचारी और ब्राह्मण खेवट की खेवाई न दें ॥४०७॥ नाव पर बैठने वालों की खेवने वालों के अपराध से जो कुछ हानि हो वह अपने भाग में से सब खेवने वालों को मिल कर देनी चाहिये ॥४०८॥

एष नौयायिनामुक्तो व्यवहारस्य निर्णयः ।

दासापराधतस्तोये दैविके नारित निग्रहः ॥४०९॥

वाणिज्यं कारयेद्रैश्यं कुपीदं ऋपिमेव च ।

पशूनां रक्षणं चैव दास्यं शूद्रं द्विजन्मनाम् ॥४१०॥

मल्लाहों के अपराध से पानी में हानि हो तो वे देंगे । यह नाव से उतरने वालों के व्यवहार का निर्णय कहा । परन्तु दैवी तूफान में मल्लाहों को दण्ड नहीं है ॥४०९॥ वाणिज्य गिरवी बट्टा खेती और पशुओं की रक्षा वैश्यों से और शूद्र से द्विजों की सेवा (राजा) करावे ॥४१०॥

क्षत्रियं चैव वैश्यं च ब्राह्मणोवृत्तिकर्षिणौ ।

विभूयादानृशंस्येन स्वानिकर्माणि कारयन् ॥४११॥

दास्यंतु कारयंल्लोभाद् ब्राह्मणः संस्कृतान्द्विजान् ।

अनिच्छतः प्राभवत्याद्राज्ञादण्ड् ॥ शतानिपट् ॥४१२॥

क्षत्रिय और वैश्य वृत्ति के अभाव से पीड़ित हो तो दया से अपने २ कर्मों को करता हुआ ब्राह्मण उनका पोषण करे ॥४११॥

ब्राह्मण, प्रभुता से वा लोभ से संस्कार किये हुवे द्विजो से बिना इच्छाके दास कर्म करावे तो राजा छ सोपण दण्ड दिलावे ॥४१२॥

शूद्रं तु कारयेदास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा ।  
दास्यायैव हि सृष्टोसौ ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा ॥४१३॥  
न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रोदास्याद्विसृच्यते ।  
निसर्गजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहति ॥४१४॥

शूद्र से तो सेवा ही करावे, वह शूद्र खरीदा हो वा न खरीदा हुआ हो । क्योंकि ब्राह्मणादि की सेवा के लिये ही ब्रह्मा ने इसे उत्पन्न किया है ॥४१३॥ स्वामी से छुटाया हुआ भी शूद्र दास्य से नहीं छूट सकता । क्योंकि वह उसका स्वाभाविक धर्म है उस से उसको कौन हटा सकता है ॥४१४॥

ध्वजाहृतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदत्रिमौ ।  
पैत्रिको दण्डदासश्च सप्तैते दासयोनयः ॥४१५॥  
भार्यापुत्रश्च दासश्च त्रय एवाऽधनाः स्मृताः ।  
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम् ॥४१६॥

१-युद्ध में जीत कर लाया हुआ २-भक्तदास ३-दासीपुत्र ४ खरीदा हुआ ५-दानमें दिया हुआ ६-जो बड़े से चला आता हो और ७-दण्ड की शुद्धि के लिये जिस ने दास भाव स्वीकृत किया हो, ये सात प्रकार के दास होने हैं ॥४१५॥ भार्या, पुत्र और दास ये तीन निर्धन कहे हैं क्योंकि जो कुछ ये कमाने हैं वह उसका है जिस के कि ये हैं ॥४१६॥

विस्रब्धं ब्राह्मणः शूद्राद् द्रव्योपादानमाचरेत् ।



न ।ह तस्यास्ति किञ्चित्स्वं भर्तृहार्यधनोहि सः ॥४१७

वैश्यशूद्रौ प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् ।

तौ हि च्युतौ स्वकर्मभ्यः क्षोभयेतामिदंजगत् ॥४१८॥

भरोसे से शूद्र=दास से ब्राह्मण धन ग्रहण करले क्योंकि उसका कुछ भी अपना नहीं है, किन्तु उसका धन भर्तृग्राह्य है ॥४१७॥ वैश्य और शूद्रों से प्रयत्न से राजा अपने २ कर्म करावे नहीं तो वे अपने २ कर्मों से अलग होकर संपूर्ण जगत् को क्षोभ करा देगे ॥४१८॥

अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मन्तान्वाहनानि च ।

आयव्ययौ च नियतावाकरान्केशमेव च ॥४१९॥

एवं सर्वानिमान् राजा व्यवहारान् समापयन् ।

व्यपोक्षकिन्त्रिषं सर्वं प्राप्नोति परमां गतिम् ॥४२०॥

राजा कर्मों की निष्पत्ति (फल) और वाहनो तथा आय व्यय और खानि तथा कोप को प्रति दिन देखे ॥४१९॥ इस उक्त प्रकार से इन (ऋणदानादि) व्यवहारो को ठीक २ निर्णय को पहुँचाता हुवा राजा सम्पूर्णा पाप को दूर करके परमगति पाता है ॥ ॥४२०॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे ( भृगुप्रोक्तायां संहितायां )

अष्टमोऽध्यायः ॥८॥


इति श्री तुलसीरामस्वामिविरचिते मनुस्मृतिभाषानुवादे

अष्टमोऽध्यायः ॥८॥



ओ३म

## अथ नवमोऽध्यायः



पुरुषस्य स्त्रियार्चैव धर्म्येवर्त्मनि तिष्ठतोः ।

संयोगे विप्रयोगे च धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतान् ॥१॥

अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषैः स्वैर्दिवानिशम् ।

त्रिपयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनोवशे ॥२॥

धर्म मार्ग पर चलने वाले स्त्री पुरुषों के साथ रहने और  
अलग रहने के सनातन धर्मों को मैं आगे कहता हूँ । (सुनो)

॥१॥ पतियों को अपनी म्त्रिये सदा स्वाधीन रखनी चाहिये और  
विपयों में आसक्त होती हुईयों को अपने वश में रखना चाहिये।

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।

रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री रवातन्त्र्यमर्हति ॥३॥

कालेऽद्राता पितावाच्यो वाच्यश्चानुपयन्पतिः ।

मृते भर्तारं पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता ॥४॥

बाल्याऽवस्था में पिता रक्षा करता है । यौवन में पति रक्षा  
करता है । बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करते हैं । अस्वतन्त्रता के योग्य  
नर्त्ता हैं ॥३॥ विवाह काल में (१६ वे वर्ष में) कन्यादान न करने  
वाला पिता और ऋतु काल में स्त्री के पास गमन न करने वाला  
पति और पति के मरण पर माता की रक्षा न करने वाला पुत्र  
निन्दनीय है ॥४॥

सूक्ष्मेभ्योपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियोरक्ष्याविशेषतः ।  
 द्वयोर्हि कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः ॥५॥  
 इमं हि सर्ववर्णानां पश्यन्तो धर्ममुत्तमम् ।  
 यतन्ते रक्षितुं भार्या भर्तारोदुर्बला अपि ॥६॥

थोड़े से भी कुलंग से स्त्रियो की विशेषतः रक्षा करनी चाहिये क्योंकि अरक्षित स्त्रियें दोनों कुलों को शोक देने वाली होंगी ॥५॥ इस सब वर्णों के उत्तम धर्म को जानने वाले दुर्बल भी पति अपनी स्त्री की रक्षा का यत्न करते हैं ॥६॥

स्वां प्रसूतिं चरित्रं च कुलमात्मानमेव च ।  
 स्वं च धर्मं प्रयत्नेन जायां रक्षन् हि रक्षति ॥७॥  
 पतिर्भार्या सप्रविश्य गर्भोभूत्वेह जायते ।  
 जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥८॥

अपनी सन्तान और चरित्र तथा कुल और धर्म इन सब को यत्न से स्त्री की रक्षा करने वाला ही रक्षित करता है ॥७॥ एक प्रकार से पति ही स्त्री में प्रवेश करके गर्भ रूप होकर संसार में उत्पन्न होता है। जाया का जायात्वं यही है जो कि इस में फिर से जन्मता है ॥८॥

यादृशं भजते हि स्त्री सुतंसूते तथा विधम् ।  
 तस्मात्प्रजाविशुद्ध्यर्थं स्त्रियं रक्षेत्प्रयत्नतः ॥९॥  
 न कश्चिद्योपितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम् ।  
 एतैरुपाययोगैस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम् ॥१०॥

जिस प्रकार के पुरुष को स्त्री सेवन करे उसी प्रकार का पुत्र

जनती है। हम कारण प्रजा की शुद्धि के लिये भी प्रयत्न में स्त्री की रक्षा करें ॥१॥ कई बलात्कार से स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकता किन्तु इन त्रप्यों से उनकी रक्षा कर सकता है—॥१०॥

अर्थव्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत् ।

शौचे धर्मन्नपक्त्यांच पारिणाहस्य चेक्षणे ॥११॥

अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषैरापनकारिभिः ।

आत्मानमात्मना वास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥१२॥

धन के संग्रह, व्यय शौच धर्म रसोई पकाने और घर को वस्तुओं के देखने में हम (स्त्री की) योजना करें ॥११॥ आनकारी पुरुषों से घर के परदे में रोकी भी स्त्रिये सुरक्षित है। किन्तु जो अपने आप ही रक्षा करती हैं वे सुरक्षिता हैं ॥१२॥

पानं दुर्जनसंमर्गः पत्या च विरहोऽऽनम् ।

स्वप्नोऽन्यगेहवामश्च नागीणां दृपणानि पट् ॥१३॥

‘नैता रूपं परीक्षन्ते नासां वयमि मंस्विति ।

सुरूपं वा विरूपं वा पुमान्भ्येव भुञ्जते ॥१४॥’

मगपान और दुर्जन संमर्ग तथा पति से अलग रहना और डघर उघर भूमना तथा समय सोना और दूसरे के घर में रहना ये स्त्रियों के छ. दृपण हैं ॥१३॥ “ये न तो रूप का विचार करती हैं न इनके आयु का ठिकाना है सुरूप अथवा कुरूप पुरुष मात्र हो उसे ही भागती है ॥१४॥”

“पौंश्चल्याच्चलचित्ताच्च नैम्नं ह्याच्च स्वभावतः ।

रक्षिता यत्नतोऽपीह भर्तृष्वेता विकुर्वते ॥१५॥

एवं स्वभावं ज्ञात्वाऽऽसां प्रजापतिनिसर्गजम् ।

परमं यत्नमातिष्ठेत्पुरुषो रक्षणं प्रति ॥१६॥”

“पुरुष पर चलने वाली होने और चित्त की चञ्चल तथा स्वभाव से ही स्नेह रहिता होने से यत्न पूर्वक रक्षित स्त्रियों भी पति में विकार कर बैठती हैं ॥१५॥ ब्रह्मा के सृष्टिकाल से साथ रहने वाला इस प्रकार इनका स्वभाव जान कर पुरुष इन की रक्षा का परम यत्न करे ॥१६॥”

“शय्यासनमलङ्कारं कामं क्रोधमनार्जवम् ।  
द्रोहमाधं कुचर्यां च स्त्रीभ्योमनुरकल्पयत् ॥१७॥  
नास्ति स्त्रीणां क्रियामन्त्रैरिति धर्मे व्यवस्थितिः ।  
निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च स्त्रियोऽनृतमितिस्थितिः ॥१८॥”

“शय्या आसन अलङ्कार काम क्रोध अनार्जव, द्रोहभाव और कुचर्या मनु ने स्त्रियों के लिये उत्पन्न किये हैं ॥१७॥ जात कर्मादि क्रिया स्त्रियों की मन्त्रों से नहीं हैं। इस प्रकार धर्मशास्त्र की मर्यादा है। स्त्रियां निरिन्द्रिया और अमन्त्रा हैं और इन की स्थिति असत्य है ॥१८॥”

तथा च श्रुतयो वक्ष्यो निगीतानिगमेष्वपि ।  
स्वालङ्कारयपरीक्षार्थं तासां शृणुत निष्कृती ॥१९॥  
यन्मे माता प्रलुलुभे विचरन्त्यऽपतिव्रता ।  
तन्मे रेतः पिता वृत्तामित्यस्यैतन्निर्दानम् ॥२०॥”

व्यभिचारशीला स्त्रियों के स्वभाव की परीक्षार्थ वेदों में बहुत श्रुतियाँ पठित हैं, उन श्रुतियों में जो व्यभिचार के प्रायश्चित्त भूत हैं, उन को सुनो ॥१९॥ (कोई पुत्र माता का मानस व्यभिचार जान कर कहता है कि) जो कि मेरी माता अपतिव्रता हुई पर पुरुष को चाने वाली थी, उस दुष्टता को मेरा पिता शुद्धशीर्य से शोधन करे यह उन श्रुतियों में से नमूना दिखाया गया ॥२०॥”

“ध्यायत्यनिष्टं यत्किञ्चित्पाणिग्राहस्य चेतसा ।





तस्येव व्यभिचारस्य निन्दवः सम्यगुच्यते ॥२१॥

याद्गुणंनभर्ता स्त्री मयुज्येत यथाविधि ।

ताद्गुणा मा भवति समुत्तरेण निम्नगा ॥२२॥”

“भर्ताके विपरीत जो कुछ स्त्री दूसरे पुरुषके साथ गमन चाहती है, उस के इस मानम व्यभिचार को यः अच्छे प्रकार शोषनमंत्र कहा है ॥२१॥ जिन गुणों वाले पति के साथ स्त्री रीति में विवाह करके रहे, वैसे ही गुण वाली वह ( स्त्री ) हो जाती है । जैसे सरुद्र के साथ नदी” ॥२२॥”

“अक्षमाला वमिष्टेन संयुक्ताऽधमयोनिजा ।

शारङ्गी मन्दपालेन जगामाभ्यर्षणीयताम् ॥२३॥

एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन्नपकृष्टप्रमृतय ।

उत्कर्षं योषित प्राप्ताः स्वैस्वैर्भर्तृगुणैः शुभैः ” ॥२४॥

अक्षमाला नाम की निकृष्टयोनिस्त्री वमिष्ट से युक्त हो पूज्यता को प्राप्त हुई, पत्नी ही शारङ्गी मन्दपाल में युक्त होकर ( पूज्यता को प्राप्त हुई ) ॥२३॥ इस लोक में ये और अन्य अधम योनियों में उत्पन्न हुई स्त्रिये अपने अपने शुभ पतिगुणों से उच्चता को प्राप्त हुई ।

( १५ वें से २४ तक ११ श्लोकों में पत्नी कलक है जैसी कि चाणक्य आदि के समय स्त्रियों की अत्यन्त अविश्वासिता की दशा थी । १४ वें में स्त्रियों को युवा आदि अवस्था और सुरूप पुरुष की आवश्यकता का अभाव लिखा है, जो तीन काल में कभी नहीं हो सकता कि स्त्रिये युवा और सुरूपपुरुष की इच्छा न करें । केवल पुरुष मात्र जिसे देखे उसे ही भोगने लगे । यदि कहीं अत्यन्त कामासक्ता स्त्री की यह दशा देखी भी जावे तो पुरुषों की हम से भी बुरी अवस्थायें प्रायः होती हैं । इस लिये स्त्रियों



की यह निन्दा अनुचित है। १५ वें में स्त्रियों में यह दोष बतलाया है कि उन का चित्त चञ्चल है और पुरुष पर चलता है उन में स्नेह वा प्रीति नहीं होती। चलचित्तता तो पुरुष में भी कम नहीं होती। हां, स्नेह तो पुरुषसे स्त्रियों में अधिक होता है। १६ वें में इन के इस दोष को ब्रह्मा का बनाया हुआ स्वाभाविक बतलाया है। जिस से मानो यह कहा है कि उन का स्वभाव कभी धर्मानुकूल सुधर ही नहीं सकता। इस कथन ने ऐसा कलङ्क स्त्रियों पर लगाया है कि जो प्राचीन काल की सच्चरित्रा देवियों की निन्दा का तो कहना ही क्या है, वर्तमान घोर समय में भी पुरुष चाहे कैसे ही घृणिताचार हो, किन्तु स्त्रियों में अब भी अधिकांश सती वर्तमान हैं। उन की भी नितान्त असत्य निन्दा इससे होती है। १७वें में जो शय्यासनादि दोष बताये हैं वे पुरुषों में भी कम नहीं होते। और इस श्लोक में यह जो कहा है कि (स्त्रीभ्योमनुरकल्पयत्) ये दोष स्त्रियों के लिये मनु ने रचे। इस से इस प्रकरणागत स्त्री निन्दा का अन्यकृत होना तो संशयित हुआ ही, किन्तु यह असत्य भी है कि ये दोष जिन में काम, क्रोध, अनार्जव और द्रोह भी गिनाये हैं, स्त्रियों के लिये मनु ने रचे। क्या ये दोष पुरुषों में नहीं होते? क्या मनु धर्म व्यवस्थापक होने के अतिरिक्त ढाँष युक्त स्त्री जातिके सृष्टा भी थे? १८ वें का यह कहना कि उन के इन्द्रियां नहीं होतीं कैसा श्वेत मूँठ है। जब कि उनके प्रत्यक्ष हस्त पादादि इन्द्रियों की सत्ता सर्व जगद्गोचरी भूत है। वस इसी से उन की अमन्त्रक क्रिया के पक्षपात और अज्ञान को भी समझ सकते हैं। १९ वें में कहा है कि इस विषय में वेद की श्रुतियों भी प्रमाण हैं। २० वें में “भी किसी पुत्र का अपनी माता के मानस व्यभिचार को वर्णन करना” वेद की श्रुति का नमूना बताया है। परन्तु यह श्रुति वेद में कहीं नहीं, सर्वथा असत्य है। २१ वें में

६-६-६

इम असत्य कल्पित श्रुति को मानसी व्यभिचार रूप पाप का प्रायश्चित्त बताया है। २२ से २४ तक में इतिहास से वसिष्ठ और मन्दपाल की स्त्री अक्षमाला और शारङ्गी नीच योनि के उदाहरणों से इस बात को पुष्ट किया है कि पुरुष चाहे जैसी नीच स्त्री को विवाह सकते हैं, वह उन पुरुषों के मङ्गल में पवित्र होजाती हैं। धन्य 'पुरुष बड़े स्वतन्त्र रहे और पारस की पथरी हो गये' और पूर्व जो द्विजों को सबर्णा स्त्री से ही विवाह करना कहा था, उस के विरोध का भी इस रचना करने वाले ने कुछ भय न किया, तथा मन्दपाल के वर्णन को जो मनु 'जी से बहुत पीछे हुआ है, मनुवाक्य (वा भृगुवाक्य ही सही यदि मनु और भृगु एक कालमें वर्तमान थे तो) में 'जगाम' इस परोक्षमूर्तार्थ लिट् लकार से अन्यन्त प्राचीन वर्णन करने में भी यह अमम्भव है। इत्यादि कारणों से हमारी सम्मति में यह रचना पश्चान् की है और १३ का २५ वें से सम्बन्ध भी ठीक मिलता है) ॥२४॥

एषोदिता लोकयात्रानित्यंस्त्रीपुंसयोःशुभा ।

श्रेत्येह च सुखादर्कान्प्रजा धर्मान्निरोधत ॥२५॥

प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः ।

स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु नविशेषोऽस्ति कश्चन ॥२६॥

यह स्त्री पुरुष सम्बन्धी सदा शुभ लोकाचार कहा। अब इस लोक तथा परलोक में शुभ सुख के वर्धक सन्तानवर्माँ का सुना ॥२५॥ ये स्त्रियाँ बड़ी भाग्यवती, सन्तान की हेतु सत्कार (पूजन) योग्य घर की शोभा हैं और घरों में स्त्री तथा लक्ष्मी-श्री में कुछ भेद नहीं है (अर्थात् दोनों समान हैं) ॥२६॥

उत्पादनपमपत्यस्य जातस्य परिपालनम् ।





पुत्र के विषयमे पहले शिष्ट मर्पियो का कहा हुआ यह वद-  
माण पवित्र सर्वजनहितकारी विचार सुनो ॥३१॥ भर्ता ही का  
पुत्र होता है । ऐसा लोग जानते हैं परन्तु भर्ता के विषय मे  
दो प्रकार की बात सुनते है । कोई उत्पन्न करने वाले को लडके  
वाला कहते हैं और दूसरे क्षेत्र के स्वामी=पति को लडके वाला  
कहते हैं ॥३२॥ (आगे इस विवाद का निर्णय है —)

क्षेत्रभूता स्मृता नाती वीजभूतः स्मृतः पमान् ।

क्षेत्रवीजसमायोगात्संभवः सर्वदेहिनाम् ॥३३॥

विशिष्टं कुत्रचिद्वीजं स्त्रीयोनित्वेव कुत्रचित् ।

उभयं तु समं यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यते ॥३४॥

खेत रूप स्त्री और वीज रूप पुरुष होता है । इस कारण खेत  
और वीज के मिलने से सम्पूर्ण प्राणियो की उत्पत्ति होती है ॥३३॥  
कहाँ वीज प्रधान है और कहाँ क्षेत्र । परन्तु जहां दोनों समान हैं  
वह उत्पत्ती श्रेष्ठ है ॥३४॥

वीजस्य चैव योन्याश्च वीजमुत्कृष्टमुच्यते ।

सर्वभूतप्रसूतिर्हि वीजलक्षणलक्षिता । ३५॥

यादृशं तूप्यते वीजं क्षेत्रे कालोपपादिते ।

तादृग्रोहति तत्रस्तिन्वीजं स्वैर्व्यञ्जितं गुणैः ॥३६॥

वीज और खेत इन दोनों में वीज प्रधान है क्योंकि संपूर्ण  
जीवों की उत्पत्ति वीजों ही के लक्षण से जानी जाती है ॥३५॥ जिस  
प्रकार का वीज उचित समय (वर्षादि ऋतु) मे सम्कृत खेतमे बोया  
जाता है उस प्रकार का ही वीज अपने रङ्गरूपादि गुणों से युक्त  
उस खेत मे उत्पन्न होता है ॥३६॥

इयं भूमिर्हि भूतानां शाश्वती योनिरुच्यते ।  
 न च योनिगुणान् कांश्चिद्वीजं पुष्यति पुष्टिषु ॥३७॥  
 भूमावप्येककेदारे कालोप्तानि कृपीवलैः ।  
 नानारूपाणि जायन्ते वीजानीह स्वभावतः ॥३८॥

यह भूमि प्राणियो की सनातन योनि कही जाती है, परन्तु वीज भूमि के किन्हीं गुणों को पुष्ट नहीं करता (किन्तु अपने ही गुणों को बताता है) ॥३७॥ एक प्रकार की भूमि के खेत में भी किसान लोग समय पर अनेक वीज ( यवगोधूम ) बोते हैं परन्तु अपने २ स्वभाव से वे नानारूप उत्पन्न होते हैं (अर्थात् एक भूमि से एक रूप नहीं होता किन्तु वीजों के ही अनुरूप भिन्न २ वृक्षादि होते हैं) ॥३८॥

व्रीहयः शालयोमुद्गास्तिला मापास्तथा यवाः ।  
 यथा बीजं प्ररोहन्ति लशुनानीक्ष्वस्तथा ॥३९॥  
 अन्यदुप्त जातमन्यदित्येतन्नोपपद्यते ।  
 उप्यते यद्धि यद्बीजं तत्तदेव प्ररोहति ॥४०॥

साठी, धान, मूंग, तिल, उड़द, यव, लहसन और गन्ने सब जैसे २ वीज हों वैसे ही उत्पन्न होते हैं ॥३९॥ बोया कुछ हो और उत्पन्न कुछ हो, ऐसा नहीं होता जो २ वीज बोया जाता है वही २ उत्पन्न होता है ॥४०॥

तत्प्राज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना ।  
 आयुष्कामेन वप्तव्यं न जातु परयोषिति ॥४१॥

अत्र गाथा वायुगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः ।  
 यथाः बीजं न वप्तव्यं पुंसां पर परिग्रहे ॥४२॥”

वह बीज बुद्धिमान् और शिष्ट तथा ज्ञान विज्ञान के जानने वाले और आयु की इच्छा करने वाले को दूसरे की स्त्रियों में कभी न बोना चाहिये ॥४१॥ "भूतकाज के जानने वाले इस त्रिपय में वायु की कही गाथा ( छन्दो विशेषयुक्त वाक्यो ) को रूते हैं । तथा- पुरुष को पराई स्त्री में बीज न बोना चाहिये ॥४२॥ '

नश्यतीषुर्यथाविद्ध खे विद्धमनुविध्यत ।  
तथा नश्यति वैक्षिप्रं बीजं परपरिग्रहे ॥४३॥  
पृथोरपीमां पृथिवी भार्या पूर्वविदोविदुः ।  
स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शल्यवतो मृगम् ॥४४॥

जैसे दूसरे के बीजे मृग को फिर से माने से वाण निष्फल होता है । ऐसे ही दूसरे की स्त्री में बीज का बोना शीघ्र निष्फल होता है ॥४३॥ इस पृथिवी को जो पहले राजा पृथु की भार्या थी ( अनेक राजाओं के सम्बन्ध होते भी ) पुराने लोग पृथु की भार्या ही जानते हैं । ऐसे ही लकड़ी आदि काटकर प्रथम खेत बनाने वाले का खेत और जिसने पहले शिकार किया उसी का मृग है (ऐसे ही पहले विवाह करने वाले का पुत्र होता है । पश्चान् केवल उत्पन्न करने वाले का नहीं ॥ स्पष्ट है कि यह वायु गीता पृथु राजा से पीछे मनु में मिल गई) ॥४४॥

एतवानेव पुरुषो यज्जायात्मा प्रजेतिह ।  
विप्राः प्राहुस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्मृताङ्गना ॥४५॥  
न निष्क्रयविसर्गाभ्यां भर्तुर्भार्या विमुच्यते ।  
एवं धर्मं विजानीमः प्राक्प्रजापतिनिर्मितम् ॥४६॥

श्री और आपा तथा सन्तान ये तीनों मिलकर एक पुरुष कहलाता है । तथा वेद के जानने वाले विप्र कहते हैं कि जो पति

है, वही भार्या है (जैसा कि कुल्लुक ने शतपथ का प्रमाण दिया है कि 'अर्धोह वा एष आत्मनस्तस्माद्यज्जायां न विन्दते०" इत्यादि) ॥४५॥ विक्रय वा त्याग से स्त्री पति से नहीं छूट सकती ऐसा पूर्व से प्रजापति का रचा हुआ नित्य धर्म हम जानते हैं ॥४६॥

सकृदंशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते ।

सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत् ॥४७॥

यथागोश्वोष्ट्रासीपु महिष्यजात्रिकासु च ।

नोत्पादकः प्रजाभागी तथैवान्याङ्गनास्वपि ॥४८॥

विभाग एक बार ही किया जाता है और एक ही बार कन्या-दान होता है और एक ही बार वचन दिया जाता है। सबजनों की ये तीन बातें एक ही बार होती हैं (लोट फेर नहीं होती) ॥४५॥ जैसे गाय, घोड़ा, ऊँट, दासी भैंस और भेड़ इनमें सन्तान उत्पन्न करने वाला उसका भागी नहीं होता, वैसे ही दूसरे की स्त्री में भी (जानो) ॥४८॥

येऽक्षेत्रिणो बीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापिणः ।

ते नै सस्यस्य जातरय न लभन्ते फलं क्वचित् ॥४९॥

यदन्यगोपु वृषभो वत्सानां जनयेच्छतम् ।

गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्कन्दितमार्पभम् ॥५०॥

जो बिना खेतके बीज वाले (अपने बीज को) दूसरे के खेत में बोते हैं वे उत्पन्न हुवे अनाज के भागी कभी नहीं होते ॥४९॥ दूसरे की गायों में सांड सौ १०० बछड़े भी पैदा करे तो भी वे बछड़े गाय वालों के ही होते हैं सांड का शुक्र सेचननिष्फल होता है ॥५०॥





तथैवाऽक्षेत्रिणो वीजं परक्षेत्रप्रवापिणः ।  
 कुर्वन्ति क्षेत्रिणामर्थं न वीजीलभते फलम् ॥५१॥  
 फलं त्वनभिमंधाय क्षेत्रिणां वीजिनां तथा ।  
 प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थो वीजाद्योर्निर्गमिषी ॥५२॥

उसी प्रकार बिना खेत वाले बीज को दूमरे के खेत में बोवें तो खेत वाले का ही प्रयोजन सिद्ध करते हैं। बीज वाला फल नहीं पाता ॥५१॥ जहां पर खेत वाले और र्व - वाले इन दोनों के फल के बांट का नियम कुछ न हुआ हो वहां प्रत्यक्ष में खेत वाले का प्रयोजन सिद्ध होना है। इस लिये बीज से योनि बहुत थलवती है ॥५२॥

क्रियाभ्युपगमात्वेतद्बीजार्थं यत्प्रदीयते ।  
 तस्येह भागिनः दृष्टौ वीजी क्षौत्रकएव च ॥५३॥  
 श्रौयवाताहृतं वीजं यस्य क्षेत्रे प्ररोहति ।  
 क्षेत्रिकस्यैव तद्बीजं न वप्ता लभते फलम् ॥५४॥

परन्तु "जो इस खेत में उत्पन्न होगा वह हमारा तुम्हारा दोनोंका होगा" इस नियम पर खेत वाला बोने के लिये बीज वाले का देता है तो दोनों लोग भागी होने देखे गये हैं ॥५३॥ जो बीज जल के वेग वा वायु से उड़ कर दूमरे के खेत में गिर कर उत्पन्न हो उस के फल का भागी खेत वाला ही होता है, न कि बोने वाला ॥५४॥

एष धर्मो गवाश्वस्य दास्युष्ट्राजाविकस्य च ।  
 विहङ्गमहिषीणां च विज्ञेयः प्रसवं प्रति ॥५५॥  
 एतद्द्वः सारफल्गुत्वं वीजयोर्न्योः प्रकीर्तितम् ।

अतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां धर्ममापदि ॥५६॥

यह ( ४९ से ५४ तक ) व्यवस्था गाय, घोड़ा दासी, ऊँट, बकरी, भेड़, पक्षी और भैंस की सन्तति में जाननी चाहिये ॥५५॥ यह बीज और योनि के प्राधान्य और अप्राधान्य तुम लोगो से कहे अप स्त्रियों के आपत्काल का धर्म (अर्थान् सन्तान न होने मे क्या होना चाहिये सो ) कहता हूँ ॥५६॥

भ्रातुर्ज्येष्ठस्य भार्या या गुरुपत्न्यनुजस्य सा ।

यवीयसस्तुयाभार्या स्नुषा ज्येष्ठस्य सा स्मृता ॥५७॥

ज्येष्ठो यवीयसो भार्या यवीयान् वाग्रजस्त्रियम् ।

पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥५८॥

बड़े भाई की स्त्री छोटे भाई को गुरुपत्नी के समान है और छोटे की स्त्री बड़े को पुत्रवधू के समान कही है ॥५७॥ बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री के साथ वा छोटा भाई बड़े भाई की स्त्रीके साथ दिना आपत्काल के ( सन्तान रहते हुवे) नियोग विधिसे भी गमन करने से (दोनों ) पतित होते हैं (किन्तु) ॥५८॥

देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रियासम्यङ् नियुक्तया ।

प्रजेषिताधिगन्त्वया सन्तानम् परिच्छेदे ॥५९॥

विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तोवाग्यनोनिशि ।

एकमुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितीयं कथञ्चन ॥६०॥

सन्तान न हो तौ, पुत्र की इच्छा से भले प्रकार नियोग की हुई स्त्री को देवर या अन्य सपिण्ड से यथेष्ट सन्तान उत्पन्न कर लेनी चाहिये ॥५९॥ विधवा के साथ नियोग करने वाला शरीर भे

धृत लगा मौन होकर रात्रि में ( भोग करे इस प्रकार ) एक पुत्र  
उत्पन्न करे दूसरा कभी नहीं ॥६०॥

द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्तेस्त्रीषु तद्विदः ।

अनिवृत्तं नियोगार्थं पश्यन्तो धर्मतस्तयोः ॥६१॥

विधवायां नियोगार्थं निवृत्ते तु यथाविधि ।

गुरुवच्च स्नुषावच्च वर्त्तयातां परस्परम् ॥६२॥

दूसरे आचार्य जो नियोग से पुत्रोत्पादन की विधि को जानने  
वाले हैं उन दोनों स्त्रीपुरुषोंके नियोगके तात्पर्यको (१ पुत्रसे) सिद्ध न  
होता देखते हुवे स्त्रियों में दूसरा पुत्र उत्पन्न करना भी धर्म से  
मानते हैं ॥६१॥ विधवा में नियोग के प्रयोजन ( गर्भ धारण )  
को विधिसे सिद्ध हो जाने पर बड़े और छोटे भाईकी स्त्रियोंसे दोनों  
आपस में गुरुपत्नी और पुत्रवधू के सा व्यवहार करें ॥६२॥

नियुक्तौ यौविधिं हित्वा वर्त्तयातां तु कामत ।

तावुभौ पतितौ स्यातां स्नुषागगुरुतल्पगौ ॥६३॥

नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः ।

अन्यस्मिन् हिनियुञ्जाना धर्महन्युःसनातनम् ॥६४॥

जो छोटे और बड़े भाई अपनी भौजाइयों के साथ नियोग  
किये हुवे भी विधि को छोड़कर काम वश भोग करे वे दोनों पतित  
गुरु की स्त्री और पुरुष से गमन करने वाले हों ॥६३॥ ब्राह्मण  
क्षत्रिय और वैश्यों के विवाहों का दूसरे ( वश ) के साथ  
नियोग न करना चाहिये । दूसरे वर्णोंके साथ नियोगकी हुई (स्त्रिये)  
सनातन धर्म का नाश करती हैं ॥६४॥

“नाद्वाङ्किपु मन्त्रेषु नियोग कीर्त्यते क्वचिन् ।

न विवाहविवायुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥६५॥

अयं द्विजैर्हि विद्वद्भिः पशुधर्मो विगर्हितः ।

मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥६६॥”

विवाह सम्बन्धी मन्त्रों में कहीं नियोग नहीं कहा है और न विवाह की विधि में विधवा का पुनर्विवाह कहा है ॥६५॥ यह प्रोक्त=विधान किया हुआ भी मनुष्यों का नियोग राजा वेन के शासनकाल में विद्वान् द्विजों द्वारा पशु धर्म और निन्दायुक्त कहा गया (क्यों कि .- ) ॥६६॥

“स महीमखिलां मुञ्जन् राजर्षिं वरः पुरा ।

वर्णानांसकरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥६७॥

तत प्रभृति यो मोहात्प्रभीतपतिकां स्त्रियम् ।

नियोजयत्यपत्यार्थं तं विगर्हन्ति साधवः ॥६८॥”

“वह वेन राजा जो राजर्षियों में बड़ा और पूर्वकाल में सम्पूर्ण पृथ्वी को भोगता था, काम से नष्ट बुद्धि होकर वर्णसङ्कर करने लगा था ॥६७॥ उस (वेन राजा के) समय से जो कोई मोह के कारण सन्तान के लिये विधवा स्त्री का नियोग करता है उसकी साधु लोग निन्दा करते हैं (किन्तु वेन से पूर्व इस की निन्दा नहीं थी)।”

यद्यपि ६५ से ६८ तक ४ श्लोक मनु वा भृगु के वनाये भी नहीं है । क्यों कि स्वायम्भुव मनु सृष्टि के आरम्भ में हुवे और वेन राजा वह था, जिस से पृथु हुआ तो वेन के वैवस्वत मन्वन्तर होने वाले जन्म को स्वायम्भुव मनु अपने से पूर्व की भांति कैसे कह सकते कि भूतकाल में राजा वेन के राज्य समय से नियोग की परिपाटी निन्दित होगई । इस लिये निश्चय ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।



तथापि इन से नियोग की. वुराई वा पूर्व मनुप्रोक्त नियोग से परस्पर विरोध नहीं आता, किन्तु यह आशय निकलता है कि वैन राजा ने कामवश नियोग की स्ववर्णानुमारिणी परिपाटी को तोड़ कर एक वर्ण का दूसरे वर्ण में नियोग प्रचरित कर वर्णसङ्कर कर दिया। तब से सब्जनों में नियोग निन्दित समझा जाने लगा। ६५ का आशय नियोग के निषेध में नहीं है किन्तु यह है कि विवाह और नियोग भिन्न २ हैं। एक बात नहीं है। क्या कि विवाह के मन्त्रों में नियोग नहीं कहा। किन्तु वह विवाह से भिन्न प्रकरणके मन्त्रों (अथर्व ९। ५। २७। २८ ॥ ५। १७। ८ ॥ १८। ३। १ ऋ० १०। १८। ८ इत्यादि)में तो नियोग विधान है। विधवा का पुनर्विवाह विहित नहीं है। इस से नियोग का निषेध नहीं आता, किन्तु पुनर्विवाह का निषेध है। ६६ का तात्पर्य भी यही है कि पहिले द्विजों का सबर्णों में. ५९ के अनुसार नियोग चला आता था, परन्तु जब राजा वैन ने एक वर्ण का दूसरे वर्ण से भी प्रचरित कर दिया, तब से यह निन्दित और पशु धर्म कहाने लगा। इस में भी सब से पुराने भाष्यकार मेधातिथि ने (द्विजैर्हि विद्वद्भिः) के स्थान में (द्विजैरऽविद्वद्भिः) पाठ माना है और यह भाष्य किया है कि (येऽविद्वान्सः सम्यक् शास्त्रं न जानन्ति) जो शास्त्र के न जानने वाले थे, उन्होंने ने पशु धर्म और निन्दित कहना आरम्भ कर दिया। ६७ वें में उस का कारण भी स्पष्ट बताया है कि क्यों यह कर्म निन्दित माना जाने लगा कि उस ने वर्णों का सङ्कर (घोल मेल) कर दिया। ६८ वें में स्पष्ट कथन है कि तब से नियोग करने वालों की निन्दा होने लगी है। अथात् वैन से पूर्व द्विजों का द्विजों में सबर्ण स्त्री पुरुषों का नियोग निन्दित न था) ॥६८॥

यस्याग्निधेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः ।

तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥६६॥

यथाविध्यधिगम्यैनां शुक्लवस्त्रां शुचित्रताम् ।

मिथो भजेताप्रसवात्सकृत्सकृद्वतावृतौ ॥७०॥

जिस कन्या ( पतिसम्भोग रहिता ) का सत्य ब्राह्मण ( कन्या दान सङ्कल्प ) करने के पश्चात् पति मर जावे, उस को इस विधान से निज देवर प्राप्त हो ( कि- ) ॥६५॥ ( वह देवर ) नियोग विधि से इस के पास जाकर श्वेत वस्त्र धारण किये हुई और काथ, मन वाणी से पवित्र हुई के साथ सन्तानोत्पत्ति पर्यन्त गर्भाधानकाल में एक एक बार परस्पर गमन करे ( गर्भाधान हो जावे तब मैथुन त्याग दे ) ॥७०॥

न दत्त्वा कस्यचित्कन्यां पुनर्दद्याद्विचक्षणः ।

दत्त्वा पुनः प्रयच्छन् हि प्राप्नोतिपुरपानृतम् ॥७१॥

विधिवत्प्रतिगृह्यापि त्यजेत्कन्यां विगर्हिताम् ।

व्याधितां विप्रदुष्टां वाछद्मनाचोपपादिताम् ॥७२॥

ज्ञानी पुरुष किसी को कन्यादान देकर फिर दूसरे को न देवे । क्योंकि एक को देकर दूसरे को देने वाला मनुष्य भी चोरी के दोष को प्राप्त होता है ॥७१॥ विधिपूर्वक ग्रहण की हुई भी निन्दित कन्या का त्याग करदे जो कि दुष्ट वा रोगणी और छल से ढी गई हो ॥७२॥

यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्यायोपपादयेत् ।

तस्य तद्वितथं कुर्यात् कन्यादातुर्दुरात्मनः ॥७३॥

विधाय वृत्तिं भार्यायाः प्रवसेत् कार्यवाचरः ।



अवृत्तिकर्षिताहि स्त्री प्रदुष्येत्स्थितिमत्यपि ॥७४॥

जो दोष वाली कन्या का बिना दोष प्रकट किये विवाह कर दे उस कन्या के देने वाले दुष्ट के कन्यादान को निष्फल कर देवे। (अर्थात् उस का त्याग कर दे) ॥७३॥ कार्य वाला पुरुष स्त्रीके भोजन कपड़े आदि का विधान कर के पपदेश जावे, क्यों कि भोजन आदि से पीड़ित शीलवती भी स्त्री बिगड़ सकती हैं ॥७४॥

विधाय प्रोषिते वृत्ति जीवेन्नियममास्थिता ।

प्रोषिते त्वविधायैव जीवेच्छिल्परैरगर्हितैः ॥७५॥

प्रोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीच्यो ऽप्टौनरः समाः ।

विद्यार्थं शड्यशार्थं वा कामार्थं त्रींस्तुवत्सरान् ॥७६॥

भोजन आच्छादनादि देकर पति के देशान्तर जाने पर स्त्री शरीर के शृङ्गार त्यागादि नियम से निर्वाह करे और बिना प्रबन्ध किये जावे तो अनिन्दित शिल्पो मे ( निर्वाह करे ) ॥७५॥ धर्म कार्य के लिये परदेश गये नर की स्त्री आठ वर्ष पर्यन्त यश और विद्या के लिये गया हो तो छः वर्ष और काम को गया हो तो ३ वर्ष प्रतीक्षा करे ॥७६॥

संवत्सरं प्रतीक्षेत द्विपन्तीं योषितं पतिः ।

ऊर्ध्वं सम्यत्सराच्चेनां दायं हृत्वा न संवसेत् ॥७७॥

अतिक्रामेत्प्रमत्तं या मत्तं रोगार्त्तमेव वा । ।

सात्रीन्मासान्प्ररित्याज्या विभूय उपरिच्छदा ॥७८॥

द्वेप करने वाली स्त्री को एक वर्ष पर्यन्त पति प्रतीक्षा करे । फिर उस के अलङ्कारादि सब छीन ले और उस के साथ न रहे,



(केवल अन्न वस्त्र मात्र दे ) ॥७७॥ जो स्त्री प्रमाद्री वा मदमत्त वा उन्मादी वा रोगी पति की आज्ञा भङ्ग करे वह वस्त्र भूषण उतार कर तीन महीने तक त्यागने योग्य है ॥७८॥

उन्मत्तं पतितंक्लीबमवीजं पापरोगिणम् ।

न त्यागोऽस्ति द्विपन्त्याश्च नच दायापवर्त्तनम् ॥७९॥

मद्यमासाधुवृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत् ।

व्याधितावाधिवेत्तव्या हिंस्रार्थघ्नी च सर्वदा ॥८०॥

पागल और पतित तथा नपुंसक और बीज रहित और पाप रोगी. इन से द्वेष करने वाली का त्याग नहीं है और न उस का धन छीनना उचित है ॥७९॥ मद्य पीने वाली और घुरे चलन वाली तथा पति के विरुद्ध चलने वाली और सदा बीमार और मारने वाली और सदा धन का नाश करने वाली स्त्री हो तो उस के रहते हुवे भी दूसरी स्त्री करनी उचित है ॥८०॥

वन्ध्याऽष्टमेधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा ।

एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥८१॥

या रोगिणीस्यात्तु हिता संपन्नाचैव शीलतः ।

सानुज्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च कर्हिचित् ॥८२॥

आठ वर्ष तक कोई सन्तान न हो तो दूसरी स्त्री करले और सन्तान होकर मरने ही रहे तो दशवर्ष में और लड़की ही होती हो तो ग्यारह वर्ष के पश्चात् तथा अप्रिय बोलने वाली हो तो उसी समय ( दूसरी कर ले ) ॥८१॥ जो सदा बीमार रहे परन्तु पति के अनुकूल और शीलवती हो तो उस से आज्ञा लेकर दूसरी स्त्री करले और पहली का अपमान करना उचित नहीं है ॥८२॥





अधिविन्नातु या नारीनिर्गच्छेद्गृहिता गृहात् ।  
सासद्यः सन्निरोद्धव्या त्याज्यावाकुलसन्निधौ ॥८३॥

प्रतिपिद्वापि चेन्ना तु मद्यनम्पुद्गयेष्वपि ।  
प्रक्षासमाजं गच्छेद्वा सादण्डवाकृष्णलानिपट् ॥८४॥

दूसरी स्त्री आने से रुंठी हुई पूर्व स्त्री घर से निकल जावे तो वह उसी समय रोक कर रखनी चाहिये या मा वाप के घर पहुंचा देवे ॥८३॥ जो स्त्री विवाहादि उत्सवों में निषेध करने पर भी मद्य पीवे या नाच तमाशों में जावे तो पूर्वोक्त छ ६ "कृष्णल" राज दण्ड योग्य है ॥८४॥

• "यदि स्वाध्यापराश्रैव विन्देरन्योपितो द्विजा ।  
तासां वर्णक्रमेण स्याज्ज्यैष्ठ्यं पूजा च वेश्म च ॥८५॥  
भर्तुः शरीरशुभ्रपां वर्मकार्यं च नैतिकम् ।  
स्वा चैव कुर्यात्सर्वेषां नाऽस्वजातिः कथंचन ॥८६॥

"यदि द्विजाति (ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य) अपनी जाति वाली वा दूसरी जाति वालियों से विवाह करें तो उनकी बढाई और मान तथा घर वर्णक्रमसे हो (२ पुस्तकोंमें 'वेश्म.' पाठ है) ॥८५॥ पति के शरीर की सेवा और नैतिक धर्मकार्य को सब की स्वजातीय स्त्रियां ही करें अन्य जाति की कभी न (करे) ॥८६॥

'यस्तु तत्कारयेन्मोहात्स्वजात्या स्थितयान्यया ।  
यथा ब्राह्मणचण्डालः पूर्वदृष्टस्तथैव स ॥८७॥

'जो स्वजातीय के रहते हुवे दूसरी से पूर्वोक्त कर्म मोह वश करावे वह जैसा ब्राह्मण चण्डाल पुरातन मुनियो ने कहा है वैसा ही है ॥ (८५। ८६। ८७ वें श्लोक इस लिये माननीय नहीं कि



ये द्विजो के लिये अध्याय ३ के श्लोक १५ । १६ के अनुसार पतित कराने वाले और सवर्णाके साथ विवाहकी विवाहप्रकरणाक्त "सवर्णां लक्षण०" इत्यादि मनु की पूर्वाज्ञा के विरुद्ध हैं ) ॥८७॥

उत्कृष्टायामिरूपाय वराय सदृशाय च ।

अप्राप्तामपि तां तस्मै कन्यां दद्याद्यथाविधि ॥८८॥

कुल आचारादिसे उच्च और सुन्दर तथा गुणों में बराबर वर के लिये कुछ कम आयु वाली भी कन्या यथा विधि देदेवे । ८८ वें से आगे ४ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक प्रक्षिप्त है—

[प्रयच्छेन्नग्निं कन्यामृतुकालभयान्वितः ।

ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यामेनो दातारमृच्छति ]

ऋतु काल के भय से अऋतुमती कन्या का ही दान करदे । क्योंकि ऋतुमतीके बैठे रहने से दाता को पापचढ़ता है) ॥

कामाममरणात्तिष्ठेद् गृहे कन्यतुमत्यपि ।

न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित् ॥८९॥

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यतुमती सती ।

ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम् ॥९०॥

चाहे कन्या ऋतुवाली होकर मरने तक घर में बैठीरहे परन्तु गुणहीन के लिये इसका कभी दान न करे ॥८९॥ रजस्वला कन्या तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करे फिर अपने बराबर गुण वाले पति को विवाह ले ॥९०॥

अदीयमाना भर्तारमधिगच्छेद्यदि स्वयम् ।

नैनः किञ्चिदवाप्नोति न च यं साधिगच्छति ॥९१॥



अलङ्कारं नाददीत पित्र्यं कन्या स्वयंवरा ।

मातृकं भ्रातृदत्तं वा स्तेना स्याद्यदि तं हरेत् ॥९२॥

( यदि पिता आदि की ) न दी हुई कन्या आप ही पति को घर ले तो कन्या को कुछ पाप नहीं और न जिस (पति) को वह ब्याही जाती है ( उसे कुछ पाप होता है ) ॥९१॥ परन्तु स्वयं विवाह करने वाली कन्या पिता और माता या भाई का दिया हुआ आभूषण न ले यदि उसे ले तो चोर हो ॥९२॥

‘पित्रे न दद्याच्छुल्क तु कन्यामृतुमतीं हरन् ।

स हि स्वाम्यादतिक्रामेदृतूनां प्रतिरोधनात् ॥९३॥

त्रिंशद्वर्षोद्धेत्कन्यां ह्यद्यां द्वादश वापिकीम ।

त्र्यष्टवर्षो ष्टवर्षा वा धने सीदति सत्वर ॥९४॥’

‘ऋतु वाली कन्या को हरण करता हुआ उस के पिता को शुल्क न दे । क्योंकि रजों के रोकने से वह स्वामित्व से हीन हो जाता है । ( धन्य ! क्या बिना ऋतुमती का पिता “स्वामी” था ! ) ॥९३॥ तीस वर्ष का पुरुष बारह वर्षकी मनोहारिणी कन्या से विवाहकरे वा चौबीस वर्ष वाला ८वर्षवाली से करे जबकि शोच न करने से धर्म पीड़ित होता हो”

( ९३ । ९४ के श्लोक इस लिये माननीय नहीं जान पड़ने हैं कि इन में कन्या का मूल्य ऋतुमतो होने पर न देना कहा है तो क्या बिना ऋतुमती का विवाह हो सकता है ? और क्या बिना ऋतुमती का मूल्य देना ही चाहिये ? बिना ऋतु के विवाह करना ९० के विरुद्ध है और मूल्य लेना ९८ के विरुद्ध है ) ॥९४॥

देवदत्तां पतिभार्यां विन्दते नेच्छयात्मनः ।



तां साध्वीं विभृयान्नित्यं देवानां प्रियमाचरन् ।६५।  
 प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः संतानार्थं च मानवाः ।  
 तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतौपत्न्यासहोदितः ।६६।

( 'भगो अर्यमा सविता पुरंधिर्मह्यत्वादुर्गाहर्पत्याय देवाः " इत्यादि मन्त्रानुसार) देवतोंकी दी हुई भार्या को पति पाता है कुछ अपनी इच्छा से ही नहीं, इसलिये देवतो का प्रिय आचरणकरता हुआ उस सती का नित्य पालन करे ॥९५॥ गर्भ धारण करने के लिये स्त्रियो को (ईश्वरने) उत्पन्न किया और वीर्य मन्तान के लिये पुरुष उत्पन्न किये हैं । इसीसे म्त्री के साथ पुरुष का वेद मे समान धर्म कहा है ॥९६॥

'कन्यायां दत्तशुल्कायां म्रियेत यदि शुल्कद ।

देवराय प्रदातव्या यदि कन्याऽतुमन्यते ॥९७॥"

आददीत न शूद्रोऽपि शुल्कं दुहितरं ददन् ।

शुल्कं हि गृह्णन्कुरुते छन्नं दुहितृ विक्रयम् ।६८।

कन्या का शुल्क देने पर यदि शुल्क देने वाला मर जावे तो देवर को कन्या देदेनी चाहिये यदि कन्या स्वीकार करे तो (यह अगले ही ९८ के विरुद्ध है) ॥९७॥" शूद्रभी (द्विजों की तो कथा ही क्या है) लड़की देताहुआ शुल्क ग्रहण न करे । शुल्क ग्रहण करने वाला छिपा हुआ कन्या का विक्रय करता है ॥९८॥

एतत्तु न परे चक्रुर्नापरे जातु साधवः ।

यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरऽन्यस्य दीयते ॥६९॥

नानुशुश्रुम जात्वेतत्पूर्वेष्वपि हि जन्मसु ।

शुल्कसंज्ञेन मूल्येन छन्नं दुहितृविक्रयम् ॥१००॥



यह पहिले शिष्ट पुरुष कभी नहीं करते थे और न कोई (शिष्ट) इस समय करते हैं जो कि एक के लिये कन्यादान करके दूसरे को दी जावे ॥१९॥ पूर्व जन्मों में भी हमने कभी शुक्र सङ्गक मूल्य से द्विषा लड़कों को बेचना नहीं सुना ॥१००॥

अन्योन्यस्याव्यभिचारो भवेदामरणान्तिरुः ।

एषधर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥१०१॥

तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसौ तु कृतक्रियौ ।

यथा नाभिचरतां तौ वियुक्ताविररेतम् ॥१०२॥

भार्या पति का मरण पर्यन्त आपस में व्यवहार न होना ही स्त्री पुरुषों का मन्त्र से श्रेष्ठ धर्म जानना चाहिये ॥१०१॥ विवाह वाले स्त्री पुरुषों को सदा ऐसा यत्न करना चाहिये जिस में कभी आपस में जुड़ाई न हो ॥१०२॥

एष स्त्रीपुंसयोरुक्तो धर्मो वो रतिसंहितः ।

आपद्यपत्यप्राप्तिश्च दायभागं निवोधत ॥१०३॥

ऊर्ध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरं समम् ।

भजेरन्यैतर्कं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥१०४॥

यह भार्या और पति का आपसमें प्रीतियुक्ति धर्म और सन्तान के न होने में सन्तान की प्राप्ति भी तुमसे कर्ही । अब दायभाग का सुनो ॥१०३॥ माता पिता के मरने पर भाई लोग मिलकर बाप के रिक्थ (जायदाद आदि) के बराबर भाग करें । उनके जीवते पुत्रों को अधिकार नहीं ॥१०४॥

ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात्पित्र्यं धनमशेषतः ।

शेषास्तमुपजीवेयुर्यथैव पितरं तथा ॥१०५॥  
 ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः ।  
 पितृणामनृणश्चैव स तस्मात्सर्गमर्हति ॥१०६॥

(अथवा) पिता के सम्पूर्ण धन को ज्येष्ठ पुत्र ही ग्रहण करे और शेष छोटे भाई खाना कपड़ा लेवे, जैसे पिता के सामने रहते थे ॥१०५॥ ज्येष्ठ के उत्पन्न होने मात्र से मनुष्य पुत्र वाला कहलाता और पितृऋण से छूट जाता है । इस कारण ज्येष्ठ पुत्र सम्पूर्ण धन लेने योग्य है ॥१०६॥

यस्मिन्नृणं सन्नयति येन चानन्त्यमश्नुते ।  
 स एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः ॥१०७॥  
 पितेव पालयेत्पुत्रान्ज्येष्ठो भ्रातृन् यवीयसः ।  
 पुत्रवच्चापिवर्त्तेरन् ज्येष्ठे भ्रातरि धर्मतः ॥१०८॥

जिस के उत्पन्न होने से (पितृ) ऋण दूर होता है और मोक्ष प्राप्त होता है उसी को धर्मज पुत्र जाने । और को कामज कहते हैं ॥१०७॥ ज्येष्ठ भ्राता छोटे भाइयो का पिता पुत्र के समान पालन करे और छोटे भाई भी बड़े भाई को धर्म से पिता के समान माने ॥१०८॥

ज्येष्ठः कुलं वर्धयति विनाशयति वा पुनः ।  
 ज्येष्ठः पूज्यतमो लोके ज्येष्ठः सद्भिर्गर्हितः ॥१०९॥  
 येज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः स्यान्मातेव स पितेवसः ।  
 अज्येष्ठवृत्तिर्यस्तु स्यात्स संपूज्यस्तु बन्धुवत् ॥११०॥

ज्येष्ठ कुल को बढ़ाता है ज्येष्ठ ही कुल का नाश करता है। ज्येष्ठ ही लोगो मे अति पूज्य है और ज्येष्ठ सत्पुरुषो से निन्दा को नहीं पाता ॥१०९॥ जो ज्येष्ठ वृत्ति हो ( पित्रवत् पोषणादि करे) वह माता पिता के समान पूज्य और यदि माता पिता तुल्य पोषण आदि न करे तो वन्धुवत् ॥११०॥

एवं सह वसेयुर्वा पृथग्वा धर्मकाम्यया ।

पृथग्विवर्धते धर्मस्तस्माद्धर्म्या पृथक्क्रिया ॥१११॥

ज्येष्ठस्य विंशतद्वारः सर्वाद्व्याच्च यद्वरम् ।

ततोऽर्धं मध्यमस्य स्यात्तु रीयं तु यत्रीयसः ॥११२॥

इस प्रकार विना बांटे सब भाई साथ रहे अथवा धर्म की इच्छा से सब भाई विभाग करके अलग रहें। अलग २ मे धर्म बढ़ता है इसलिये विभाग धर्मानुकूल है ॥१११॥ उद्धार ( जो निकालकर भाग के अतिरिक्त भेट दियाजाय) वडेका सब द्रव्योमें से उत्तम बीसवां विचलेका ४०वां तथा छोटे का ८०वां भाग होना चाहिये (जोवचे उसको ११६के अनुसार सब बराबर बांटलेवे ॥११२

ज्येष्ठश्चैव कनिष्ठश्च सहरेतां यथेदितम् ।

येऽन्येज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां तेषां स्यान्मध्यमं धनम् ॥११३॥

सर्वेषां धनजातानामाददीताग्रयमग्रजः ।

यच्च सातिशयं किञ्चिद्दशतश्चाप्नुचाद्वरम् ॥११४॥

ज्येष्ठ और कनिष्ठ पूर्व श्लोकानुसार उद्धार ग्रहण करें और ज्येष्ठ और कनिष्ठो से जो अतिरिक्त हो उन (मध्यमो) का मध्यम भाग होना चाहिये ॥११३॥ सब प्रकार के धनो मे जो श्रेष्ठ धन हो उसको और जो सब से अधिक हो उसको तथा जो एक वस्तु

१० वस्तुओं में अधिक उत्तम हो उसको भी ज्येष्ठ हण करे ॥११४॥

उद्धारे न दशस्वस्ति संपन्नानां स्वकर्मसु ।

यत्किञ्चिदेव देयं तु ज्यायसे मानवर्धनम् ॥११५॥

एवं समृद्धतोद्धारे समानंशान्प्रकल्पयेत् ।

उद्धारे ऽनुद्धृते त्वेषामियं स्यादंशकल्पना ॥११६॥

पूर्व श्लोक में दश में श्रेष्ठ वस्तु बड़ा पावे इत्यादि उद्धार कहा परन्तु स्वकर्मों में समृद्ध भ्राताओं का नहीं है किन्तु वे जो कुछ ज्येष्ठ को दे देवें, वही सम्मानार्थ है ॥११५॥ पूर्वोक्त प्रकार में उद्धार निकलने पर बराबर भाग करें यदि कोई उद्धार न निकले तो आगे कहे अनुमार भाग वंटे ॥११६॥

एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः पुत्रोऽध्यर्धं ततोनुजः ।

अंशमंशं यवीयांस इति धर्मो व्यवस्थितः ॥११७॥

स्वेभ्योऽशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्युर्भ्रातरः पृथक् ।

स्वात्स्वादंशाच्चतुर्भागं पतिताः स्युरदित्सवः ॥११८॥

ज्येष्ठ पुत्र का एक भाग अधिक (अर्थात् दो भाग) और उस से छोटा डेढ़ भाग और शेष छोट्टे सब एक २ ग्रहण करें। इस प्रकार धर्म की व्यवस्था है ॥११७॥ भाई लोग अपने २ भागों में से चौथा भाग बहनो को देवें। यदि देना न चाहें तो पतित हो ॥११८॥

अजात्रिकं सैकशफं न जातु विपमं भजेत् ।

अजात्रिकं तु विपमं ज्येष्ठस्यैव विधीयते ॥११९॥

यवीयान् ज्येष्ठभार्यायां पुत्रमुत्पादयेद्यदि ।





समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मोव्यवस्थितः ॥१२०॥

बकरी भेड़ तथा घोड़ाआदि एक खुर वाले पशुका विपमसंख्या होने पर कभी भाग न करे किन्तु वह ज्येष्ठ पुत्र का ही है ॥११९॥ यदि कनिष्ठ भाई ज्येष्ठ की भार्या मे (नियोग विधि से) पुत्र उत्पन्न करे तो वहां समविभाग होना चाहिये। ऐसी धर्म की व्यवस्था है ॥१२०॥

उपसर्जनं प्रधानस्य धर्मतो नोपपद्यते ।

पिता प्रधानं प्रजने तस्माद्धर्मेण तं भजेत् ॥१२१॥

पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूर्वजः ।

कथं तत्र विभागः स्यादिति चेत्संशयो भवेन् ॥१२२॥”

प्रधान की अप्रधानता धर्मानुकूल सिद्ध नहीं है। और उत्पादन मे पिता प्रधान है। इस कारण धर्म से उसकी सेवा करे ॥१२१॥

प्रथम विवाहिता मे कनिष्ठ पुत्र और द्वितीय विवाहिता मे ज्येष्ठ पुत्र होवे तो वहां किस प्रकार विभाग होना चाहिये? यदि इस प्रकार का संशय हो तो-॥१२२॥”

“एकं वृषभमुद्धारं संहरेत् स पूर्वजः ।

ततोऽपरे ज्येष्ठवृषास्तदूनानां स्वमावृतः ॥१२३॥

ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायां हरेद्वृषभपोडशा ।

ततः स्वमावृतः शेषा भजेरन्निति धारणा ॥१२४॥”

पहिली में उत्पन्न हुवा वह कनिष्ठ भी एक श्रेष्ठ बेल मेंट मे ग्रहण करे। उस के अनन्तर कनिष्ठाओ से उत्पन्न हुवे पुत्र क्रम से अपनी २ माताओ के विवाहक्रमानुसार ज्येष्ठ हों, वे एक एक वृषभ ग्रहण करें ॥१२३॥ (इस श्लोक का पाठ भी अस्तव्यस्त



है) यदि ज्येष्ठ पुत्र ज्येष्ठा मे उत्पन्न हो तो एक बैल के साथ पन्द्रह गाय ग्रहण करे उसके अनन्तर अपनी माता की छोटाई के हिसाब से शेष भाग बांट लेवे यह निर्णय है ॥१२४॥

“सदृशस्त्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः ।

न मातृतोज्यैष्ठ्यमस्ति जन्मतोज्यैष्ठ्यमुच्यते ॥१२५॥”

“समस्त समान जाति की स्त्रियों मे उत्पन्न हुवे पुत्रो को माता की ज्येष्ठता से ज्येष्ठता नहीं, किन्तु जन्मसे ज्येष्ठता कहाती है ॥”

(१२१ से १२५ तक श्लोक अविहित शास्त्र विरुद्ध अनेक तथा असवर्णा से विवाहो के समर्थक और ३।१५-१६ के विरुद्ध होने से त्याज्य हैं) ॥१२५॥

जन्मज्यैष्ठ्येन चाक्षानं सुब्रह्मण्यास्वपि स्मृतम् ।

यमयोश्चैव गर्भेषु जन्मतोज्यैष्ठ्यता स्मृता ॥१२६॥

सुब्रह्मण्याख्य मन्त्र (“सुब्रह्मण्यो ३ इन्द्र आगच्छ०”) इत्यादि ज्योतिष्टोम में इन्द्र को बुलाने में पढ़ते हैं उस में ज्येष्ठ पुत्र के नाम से कहते हैं (कि अमुक का पिता यज्ञ करता है) सो वहा भी और जोड़िया दो पुत्रों में से गर्भों में प्रथम जन्मने वाले को ज्येष्ठता कही है ॥१२६॥

अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम् ।

यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम् ॥१२७॥

बिना पुत्र वाला इस विधि से कन्या को “पुत्रिका” करे कि विवाह के समय मे (जामाता से) कहे कि जो पुत्र इसके होगा वह मेरा जलादि दान करने वाला हो (ऐसी प्रतिज्ञा करके विवाह करे ॥



१२७वे के आगे एकश्लोक ३ पुस्तकोंमें अधिक पाया जाता है-

[अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम् ।

अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रोभवेदिति ॥]

भ्राता से रहित अलंकृता कन्या आपको दूगा, परन्तु इसमें जो पुत्र उत्पन्न हो वह मेरा पुत्र हो जावे यह) ॥१२७॥

“अनेन तु विधानेन पुरा चक्रेऽथ पुत्रिकाः ।

वितृद्ध्यर्थं स्ववंशस्य स्वयं दत्तः प्रजापतिः ॥१२८॥”

“पहिले अपने वंश की वृद्धि के लिये आप दत्त प्रजापति ने भी इस विधान से पुत्रिकाएँ की थी ॥१२८॥” (यह दत्त के पश्चात् की रचना १२८।१२९ में है) ॥

“ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश ।

सोमाय राज्ञे सत्कृत्य प्रीतात्मा सप्तविंशतिम् ॥१२९॥”

“उस प्रीतात्मा दत्त प्रजापति ने सत्कार करके दश धर्म को और तेरह कश्यप को तथा सत्ताईस कन्या चन्द्रमा को (पुत्रिका धर्म से) दी थी ॥१२९॥”

यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा ।

तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्वोधनं हरेत् ॥१३०॥

जैसा आप वैसा पुत्र और पुत्र के समान कन्या है। फिर भला उसके होते हुवे अपने यहां का धन दूसरा कैसे हरे ? ॥१३०॥

मातुस्तु यौतकं यत्स्यात्कुमारीभाग एवसः ।

दौहित्र एव च हरेदपुत्रस्याखिलं धनम् ॥१३१॥

दौहित्रो ह्यखिलं रिक्थमपुत्रस्य पितुर्हरेत् ।

सपुत्रं दद्याद्द्विपिण्डोऽपुत्रे मातामहाय च ॥१३२॥

माता का 'कोचड़ा कुमारी का ही भाग है और अपुत्र का संपूर्ण धन दौहित्र ही लेवे ॥१३१॥ दौहित्र ही अपुत्र पिता का संपूर्ण धन ले और वही पिता और नाना, इन दोनो कोऽपिण्ड देवे (पिण्डदान का तात्पर्य वृद्धावस्था में सेवार्थ भोजन प्रासादि देना जानो) ॥१३२॥

पौत्रदौहित्रयोर्लोकै न विशेषोऽस्ति धर्मतः ।

तयोर्हि मातापितरौ संभूतौ तस्य देहतः ॥१३३॥

पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते ।

समस्तत्रिभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियः ॥१३४॥

लोक में पुत्र और दौहित्रों की धर्म से विशेषता नहीं है क्योंकि उनके माता पिता उसी के देह से उत्पन्न हैं ॥१३३॥ पुत्रिका करने पर यदि पीछे से पुत्र हो जावे तो वहां (पुत्र तथा दौहित्र के) सम विभाग करे। क्योंकि स्त्री की ज्येष्ठता नहीं है ॥१३४॥

अपुत्रायां मृतायां तु पुत्रिकायां कथञ्चन ।

धनं तत्पुत्रिकाभर्ता हरेत्तैवाऽविचारयन् ॥१३५॥

अकृता वा कृता वापि थंविन्देत्सदृशात्सुतम् ।

पौत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिण्डं हरेद्धनम् ॥१३६॥

“पुत्रिका” कदाचित् पुत्र रहिता ही मर जावे तो उस धनको पुत्रिका का पति ही विना विचार किये लेले ॥१३५॥ पुत्रिका का विधान किया हो वा न भी किया हो समान जाति वाले जामाता से जिस पुत्रको पावे उसी से मातामह पौत्र वाला कहावे और पिण्ड दे और धन ले ॥१३६॥

पुत्रेण लोकान् जयति पौत्रेणाऽनन्त्यमश्नुते ।



अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति विष्टयम् ॥१३७॥

पुत्राप्नोति नरकाद्यस्मात्त्रायते पितरं सुतः ।

तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥१३८॥

पुत्र के होने से लोकों को जीतता और पौत्र के होने से चिरकाल पर्यन्त सुख में निवास करता है। और पुत्र के पौत्र (प्रपौत्र) से तो मानों आदित्य लोक को पाता है ॥१३७॥ जिस कारण पुत्रात् नरक से पुत्र (सेवा करके) पिता को बचाता है इस कारण आप ही ब्रह्मा ने 'पुत्र' कहा है ॥१३८॥

पौत्रदौहित्रयोर्लोकैश्च विशेषो नोपपद्यते ।

दौहित्रोपि ह्यमुत्रैतन् संतारयति पौत्रवत् ॥१३९॥

मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्वपेत्पुत्रिकासुतः ।

द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तत्पितुः पितुः ॥१४०॥

लोकमें पौ । और दौहित्र में कुछ विरोधता नहीं समझी जाती क्योंकि दौहित्र भी इस (मातामह) को पौत्रवत् ही परलोक पहुँचाता है ॥१३९॥ पुत्रका पुत्रि प्रथम माता का पिण्ड करे और दूसरा मातामह का तीसरा मातामहके पिता का (इस प्रकार तीनों की अन्नादि से सेवा करे) ॥१४०॥

उपपन्नोगुणैः सर्वैः पुत्रो यस्य तु दन्त्रिमः ।

स हरेतैव तद्विकथं संप्राप्तोऽप्यन्यगोत्रतः ॥१४१॥

गोत्ररिक्थे जनयितुर्न हरेद्दन्त्रिमः क्वचित् ।

गोत्ररिक्थानुगः पिण्डोव्यपैति ददतः स्वधा ॥१४२॥

जिमका दत्तक पुत्र (अभ्ययनादि) सम्पूर्ण गुणों से युक्त है

वह दूसरे गोत्रसे प्राप्त हुआ भी उसके भाग को ग्रहण करे ॥१४१॥  
 ( जो उत्पादक पिता ने अन्यको दे दिया उस ) उत्पन्न करने वाले  
 पिताके गोत्र और धन को दत्तक कभी न पावे क्योंकि पिण्ड-  
 ग्रस आदि देना ही गोत्र और धन का अनुगामी है और दिये हुवे  
 पुत्रका पिण्डादि उस जनक पिता से छूट जाता है ॥१४२॥

अनियुक्ता सुतश्चैव पुत्रिण्याप्तश्च देवरात् ।

उभौ तौ नार्हतौ भागं जारजातककामजौ ॥१४३॥

नियुक्तायामपि पुमान्चार्यां जातोऽविधानतः ।

नैवार्हः पैतृकं गिक्थं पतितोत्पादितोऽह्न सः ॥१४४॥

बिना नियोग विधि से उत्पन्न हुआ पुत्र और लड़के वाली का  
 नियोग विधि से भी देवर से उत्पन्न हुआ पुत्र ये दोनों भाग  
 को नहीं पाते । क्योंकि ये दोनों जार से उत्पन्न और कामज हैं  
 ॥१४३॥ नियुक्ता स्त्री में भी बिना विधान उत्पन्न हुआ पुत्र (अर्थात्  
 धृतादि लगाकर जिस नियम से रहना चाहिये उसके विपरीत  
 करनेवालो से उत्पन्न पुत्र) क्षेत्र वाले पिता के धन को पाने योग्य  
 नहीं है । क्योंकि वह पतित से उत्पन्न हुआ है ॥१४४॥

हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः ।

क्षेत्रिकस्य तु तद्वीजं धर्मतः प्रसवश्च सः ॥१४५॥

धनं योषिभृयाद्भ्रातुर्मृतस्य स्त्रियमेव च ।

सोऽपत्यं भ्रातुरुत्पाद्य दद्यात्तस्यैव तद्धनम् ॥१४६॥

नियुक्ता मे उत्पन्न हुआ पुत्र, क्षेत्र वाले पिता का धन लेवे  
 जैसे औरस पुत्र लेता है क्योंकि वह धर्म से उत्पन्न हुआ, इस कारण  
 क्षेत्र वाले का वीज समझा जाता है ॥१४५॥ जो मरे भाई की

स्त्री तथा धनका धारण करे वह (नियोग विधि में) भाई का पुत्र उत्पन्न करके उस धन को उसी को दे देवे ॥१४६॥

याऽनियुक्ताऽन्यतः पुत्रं देवराद्वाऽप्यऽप्राप्तुयान् ।

तं कामजमऽरिक्थीयं वृथोत्पन्नं प्रचक्षते ॥१४७॥

“एतद्विधानं विज्ञेयं विभागस्यैकयेनिपु ।

बह्वीपु चैकजातानां नानास्त्रीपु निबोधत ॥१४८॥ ’

जो स्त्री विना नियोग देवर से वा दूसरे से पुत्र को प्राप्त हो उस कामज को द्रव्य का भागी नहीं कहते ॥१४७॥  
“समान जाति वाली भार्या में एक पति से उत्पन्न पुत्रों के विभाग का यह विधान जानना चाहिये । अब नाना जाति का बहुत म्त्रियों में एक पति से उत्पन्न पुत्रों का (विभाग) सुने ॥१४८॥ ’

“ब्राह्मणस्यानुपूर्व्येण चतस्रस्तु यदि म्त्रियः ।

तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विधिः स्मृत ॥१४९॥

कीनाशो गोवृषो यानमलङ्कारश्च वेश्म च ।

विप्रस्यौद्धारिकं देयमेकाशश्च प्रदानतः ॥१५०॥ ’

“ब्राह्मण की क्रम से (ब्राह्मणी से आदि लेकर) यदि चार भार्या हों तो उन के पुत्रों में यह विभाग विधि कही है कि-  
॥१४९॥ कृषि वाला बैल अश्वादि सवारी आभूषण घर और प्रधान अंश प्रधान भूत ब्राह्मणी के पुत्र को देवे (औरों को आगे कहे अनुसार दे) ॥१५०॥

“अंशं दद्याद्द्वरेद्विप्रो द्वावंशौ क्षत्रियामुतः ।

वैश्याजः सार्धमेवांशमंशं शूद्रामुतोहरेत् ॥१५१॥

सर्वं वा रिक्थजातं तद्वशाया परिकल्प्य च ।

धर्म्यं विभागं कुर्वीत विधिवाऽनेन धर्मवित् ॥१५२॥”



“पिता के धनसे ब्राह्मणी का पुत्र तीन अंश लेवे और क्षत्रिया का सुत दो अंश तथा वैश्या का पुत्र डेढ़ अंश और शूद्रा का एक अंश लेवे ॥१५१॥ अथवा (बिना उद्धार के निकाले) सम्पूर्ण धन के दश भाग करके धर्म का जानने वाला इस विधि से धर्म्य विभाग करे किः-॥१५२॥”

“चतुरोशान्हरेद्विप्र स्त्रीनंशान्क्षत्रियासुतः ।

वैश्यापुत्रो हरेद्वयंशमंशं शूद्रासुतो हरेत् ॥१५३॥

यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रोऽप्यसत्पुत्रोऽपि वा भवेत् ।

नाधिकं दशमादद्याच्छूद्रापुत्राय धर्मतः ॥१५४॥”

“(१० भागों में से) चार अंश ब्राह्मणी का पुत्र और क्षत्रिया का तीन अंश तथा वैश्या का पुत्र दो अंश और शूद्रा का पुत्र दो अंश ले ॥१५३॥ यद्यपि सत्पुत्र हो वा असत्पुत्र परन्तु धर्म से शूद्रा के पुत्र को दशमांश से अधिक न दे ॥१५४॥”

“ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्रापुत्रेन रिक्थभाक् ।

यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत् ॥१५५॥

समंत्रणासु ये जाताः सर्वेपुत्रा द्विजन्मनाम् ।

उद्धारं ज्यायसे दत्त्वा भजेरन्नितरे समम ॥१५६॥

“ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यो का शूद्रा से उत्पन्न हुवा पुत्र धनका भागी नहीं किन्तु जो कुछ उसका पिता दे दे वही उसका धन हो ॥१५५॥ समान जातिकी भार्या में द्विजातियो से उत्पन्न हुये सब पुत्र ज्येष्ठ को उद्धार देकर शेष का सम भाग करके बांटते ॥१५६॥”

‘शूद्रस्य तु सर्वणैव नान्या भार्या विधीयते ।

तस्यां जाताः समांशाः स्युर्यदि पुत्रशतं भवेत् ॥१५७॥

पुत्रान् द्वादश यानाह नृणां स्वार्थभुवो मनुः ।

तेषां षड्वन्धदायादा षड् दयाद्वान्धवाः ॥१५८॥’





“शूद्र को समान जाति ही की भार्या कही है दूसरे वर्ण की नहीं कही। उस शूद्र मे यदि १०० पुत्र भी उत्पन्न हों तो भी समान अंश वाले ही हों ॥१५७॥ जो मनुष्यो के द्वाद्श पुत्र स्वायम्भुव मनुने कहे हैं उनमें छः बन्धुदायाद हैं और छ.अदायाद बान्धव हैं ॥”

(१४८ से १५८ तक ११ श्लोक भी हमारी सम्मति मे अमान्य हैं। क्योंकि यथार्थ मे मनु की आज्ञा से द्विजो के सवर्णा से ही विवाह कहा है। असवर्णा से विवाह करने पर पतित हो जाते हैं। तब ब्राह्मणत्वादि द्विजत्व ही नहीं रहता। १४८ में इन असवर्णाओ के दाय भाग की प्रस्तावना है। १४९ से १५४ तक ब्राह्मण की ४ स्त्रियों के जो चारों वर्णों में से एक २ हों पुत्रो का दायभाग है। फिर १५५ मे शूद्रा पुत्र को दायभागित्व का निषेध करके ये अमान्य श्लोक आपस मे भी लड़ते हैं। तथा ब्राह्मण की चारों वर्ण की ४ स्त्रियो के पुत्रों का तो वर्णन किया परन्तु क्षत्रिय की ३ वर्ण की ३ स्त्रियो और वैश्य की २ वर्ण की २ स्त्रियो के पुत्र कोरभकोर ही रक्खे हैं। १५८ वां स्पष्ट ही अन्य कृत है जो इन अपने से पूर्वले १० केभी अन्यकृत होने की पुष्टि करता है। १५८।”

औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिमएव च ।

गृढोत्पन्नोऽपविद्धश्च दायादावान्धवाश्च षट् ॥१५९॥

कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पौनर्भवस्तथा ।

स्वयंदत्तश्च शौद्रश्च षडदायादवान्धवाः ॥१६०॥

औरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गृढोत्पन्न, अपविद्ध ये छ. धन के भागी बान्धव हैं ॥१५९॥ कानीन, सहोढ, क्रीत, पौनर्भव, स्वयंदत्त और शौद्र ये छः धन के भागी नहीं किन्तु केवल बान्धव

हैं (इनके लक्षण १६६ में कहेंगे) ॥१६०॥

यादृशं फलमाप्नोति कुपुत्रैः सन्तरञ्जलम् ।

तादृशं फलमाप्नोति कुपुत्रैः संतरंस्तमः ॥१६१॥

यद्येकरिक्थिनौ स्यातामौरसक्षेत्रजौ सुतौ ।

यस्य यत्पैतृकं रिक्थं स तद् गृहीत नेतरः ॥१६२॥

बुरी (टूटी फूटी) नावों से जल में तरता हुआ जिस प्रकार के फल को पाता है उसी प्रकार का फल कुपुत्रों से दुःख को तिरने वाला पाता है ॥१६१॥ यदि अपुत्र के क्षेत्र में नियोग विधि से एक पुत्र हो, और किसी प्रकार दूसरा औरस पुत्र भी होजावे तो दोनों अपने २ पिता के धन को ग्रहण करें, अन्य का अन्य का पुत्र न ले ॥१६२॥

एकएवौरसपुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रभुः ।

शेषाणामानुशंस्यार्थं प्रदद्यात्तु प्रजीवनम् ॥१६३॥

पष्ठं तु क्षेत्रजस्यांगं प्रदद्यात्पैतृकाद्भूनात् ।

औरसो विभजन्दायं पित्र्यं पञ्चमेव वा ॥१६४॥

एक औरस पुत्र ही पिता के धन का भागी होता है शेष सब को दया से भोजन वस्त्रादि दे देवे ॥१६३॥ औरस पुत्र दाय का विभाग करता हुआ क्षेत्रज को छठा वा पांचवा भाग पितृधन से दे देवे ॥१६४॥

औरसक्षेत्रजौ पुत्रौ पितृरिक्थस्य भागिनौ ।

दशापरेतुक्रमशो गोत्ररिक्थांशभागिनः ॥१६५॥

स्वक्षेत्रे संस्कृतायांतु स्वयमुत्पादयेद्धि यम् ।

तमौरसं विजानीयात्पुत्रं प्रथमकल्पितम् ॥१६६॥

औरस और क्षेत्रज ये दोनो पुत्र (उक्त प्रकार से) पितृधन के लेने वाले हैं और क्रमशः शेष दस पुत्र गोत्रधन के भागी हों ॥१६५॥ विवाहादि संस्कार किये हुवे अपने क्षेत्र में आप जिन के उत्पन्न करे उसको पहिले कहा हुवा "औरस" पुत्र जानियो ॥१६६॥

यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीवस्य न्याधितस्य वा ।

श्वधर्मेण निदुत्तार्या स पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः ॥१६७॥

माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि ।

मदृश प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्तिमः सुतः ॥१६८॥

जो मृत वा नपुंसक वा प्रमवविरोधी व्याधि से युक्त स्त्री में नियोग विधि से उत्पन्न होवे वह 'क्षेत्रज' पुत्र कहा है ॥१६७॥ माता वा पिता आपत्काल में जिस समान जाति वाले प्रीतियुक्त पुत्र को सङ्कल्प करके देवे वह 'दत्तिम' पुत्र (दत्तक) जानने योग्य है ॥१६८॥

सदृशं तु प्रकुर्याद्यं गुणंदापत्रिचक्षणम् ।

पुत्रं पुत्रगुणैर्युक्तं स त्रिज्ञेयश्च कृत्रिमः ॥१६९॥

उत्पद्यते गृहे यस्य न च जायेत कस्य सः ।

स गृहे गूढउत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः ॥१७०॥

जो समान जाति वाला और गुण दोष का जानने वाला तथा पुत्र के गुणों से युक्त पुत्र कर लिया जावे उसको 'कृत्रिम' पुत्र जानना चाहिये ॥१६९॥ जिस के घर में उत्पन्न होवे और न जाय जाय कि वह कृत्रिमका है वह घर में "गूढोत्पन्न" उस का पुत्र ; जिसकी कि स्त्री ने जन्मा है ॥१७०॥

मातापितृभ्यामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा ।  
 यं पुत्रं परिगृहीयादपविद्धः स उच्यते ॥१७१॥  
 पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः ।  
 तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोढः कन्यासमुद्भवम् ॥१७२॥

जो माता पिताका दृष्टवा रन दोनोंमें से विसी एक का छोड़ा  
 हुआ है उस पुत्र को जो ग्रहण करे उसको उसका "अपविद्ध"  
 पुत्र कहते हैं ॥१७१॥ पिता के घर मे जो कन्या विना प्रकट किये  
 पुत्र को जने उस कन्योत्पन्न को उस के पति का "कानीन" पुत्र  
 नाम से कहे ॥१७२॥

या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञानाऽज्ञातापिवा सती ।  
 वोढः सगर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥१७३॥  
 क्रीणीयाद्यस्त्वयत्यर्थं मातापित्रोर्यमन्तिक्रात् ।  
 स क्रीतकः सुतस्य सदृशोऽसदृशो पत्रा ॥१७४॥

जो ज्ञात वा अज्ञात गर्भिणी के साथ विवाह किया जावे वह  
 उसी पति का गर्भ है और उसको 'सहोढ' कहते हैं ॥ १७३ ॥  
 सन्तान चलानेके लिये माता पिताके पाससे जिसे मोलने लेवे वह  
 उसके सदृश हो वा असदृश हो उसको उस का "क्रीतक" पुत्र  
 कहते है ॥ १७४ ॥

यो पत्या वापरित्यक्ता विधवावा स्वयेच्छया ।  
 उत्थादयेत्पुनर्भृत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥१७५॥  
 सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा ।  
 पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति ॥१७६॥

नवमाऽध्याय



जो पति की छोड़ी हुई वा विधवा स्त्री अपनी इच्छा से  
की भार्या होकर पुत्र को जने, उस को "पौनर्भव" पुत्र कहते  
॥१७५॥ वह स्त्री यदि पूर्व पुरुष से मंयुक्त न हुई तो दूसरे  
पौनर्भव पति से फिर विवाह संस्कार करने के योग्य है। (अथवा  
फिर से उसी के पास जावे तो भी पुनः विवाह संस्कार करना  
योग्य है ॥१७६॥

मातापितृविहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकाङ्क्षात् ।

आत्मानं स्पर्शयेद्यस्मै स्वयंदत्तस्तु स स्मृतः ॥१७७॥

यन्ब्राह्मणस्तु शूद्राया कामादुत्पादयेत्सुतम् ।

स पारयन्नेव शवस्तस्मात्पानशवः स्मृतः ॥१७८॥

जो माता पिता से हान वा विना अग्राय निकाला हुआ  
अपने को जिसे दे दे, वह 'स्वयंदत्त' कहा है ॥१७७॥ जिस को  
ब्राह्मण शूद्रा में काम से उत्पन्न करे, वह जीता हुआ भी शव  
(मृतक) के तुल्य है, इस से उस को 'पारशव' (वा 'शौद्र')  
कहा है ॥१७८॥


दास्यांवा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत् ।

सोऽनुज्ञातो हरेदंशमिति धर्मो व्यवस्थितः ॥१७९॥

क्षेत्रजादीन्सुतानेतानेकादश यथेदितान् ।

पुत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीषिणः ॥१८०॥

दासीमें वा दास की स्त्रीमें जो शूद्र का पुत्र हो, वह (पिताकी  
आज्ञा से) भाग-लेवे। यह शास्त्र की मर्यादा है ॥१७९॥ इन  
उक्त क्षेत्रजादि एकादश पुत्रों को (सेवादि) क्रिया का लोप न  
हो, इस कारण पुत्र का प्रतिनिधि बुद्धिमानों ने कहा है ॥१८०॥



य एतेऽभिहितः पुत्राः प्रसङ्गादन्यबीजजाः ।

यस्यतेबीजतो जातास्तस्यते नेतरस्य तु ॥१८१॥

भ्रातृणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान्भवेत् ।

सर्वास्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत् ॥१८२॥

जा ये ( औरस के ) प्रसङ्ग से दूसरे के बीज से उत्पन्न हुवे पुत्र कहे हैं वे जिस के बीज से उत्पन्न हुवे हो उसी के हैं; दूसरे के नहीं ॥१८१॥ सहोदर भाइयों में एक भाई भी पुत्रवान् हो तो उन सब का पुत्र वाला ( मुक्त ) मनु न कहा है ( अर्थात् अन्य भाइयों को नियोग वा पुनर्निगाहादि नहीं करना चाहिये ) ॥१८२॥

सर्वासामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत् ।

सर्वास्तांस्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीर्मनुः ॥१८३॥

श्रेयसः श्रेयसोऽलाभे पापीयान् रिक्थमर्हति ।

बहवश्चेत्तु सदृशाः सर्वेरिक्थस्य भागिनः ॥१८४॥

एकपुरुष की कई स्त्रियों में यदि एक पुत्र वाली हो तो उस पुत्र से सब को ( मुक्त ) मनु ने पुत्र वाली कहा है ॥१८३॥ औरसादि पुत्रों में पूर्व २ के अभाव में दूसरे २ नीच पुत्र धन को पाने योग्य हैं और यदि बहुत से समान हो तो सब धन के भागी होंगे ॥१८४॥

न भ्रातरो न पितरः पुत्रारिक्थहराः पितुः ।

पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातरएव च ॥१८५॥

त्रयाणामुदकं कार्यं त्रिपु पिएडः प्रवर्त्ति ।

चतुर्थः सम्प्रदातैषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥१८६॥

न सहोदर भाई न पिता धन को लेने वाले हैं, किन्तु पुत्र ही धन के लेने वाले हैं, परन्तु अपुत्र का धन पिता और भाई ले लें ॥१८५॥ पित्रादि तीनों को जल और पिण्ड ( भोजन ) देवे चौथा पिण्ड वा उदक का देने वाला है । पांचवें का यहां (सिवादि वार्य में ) सम्बन्ध ही नहीं हो सकता ।

( १८६ से आगे यह श्लोक केवल एक पुस्तक में ही मिलता है अनुमान है कि अन्यो में से जाता रहा .—

[ असुतासु पितुः पत्न्यः समानांशाः प्रकीर्तिताः ।

पितामहश्च ताः सर्वा मातृरूपाः प्रकीर्तिताः ॥ ]

अर्थात् अपने पिता की जो अन्य अपुत्र भार्या (अपनी मौसी) हों वे सब समान अंशकी भागिनी हैं और पितामही भी । यह सब ( माताके समान ही कही हैं ) ॥१८६॥

अनन्तरः सपिण्डाद्यास्तस्य तस्य धनं भवेत् ।

अत ऊर्ध्वं सकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव वा ॥१८७॥

सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणा रिकथमागिनः ।

गैविद्याः शुचयो दान्तास्तथा धर्मा न हीयते ॥१८८॥

सपिण्डों, मे जो २ बहुत समीपी हो, उस २ का धन हो और इस के उपरान्त ( सपिण्ड न हो तो ) आचार्य, इस के अनन्तर शिष्य धन का भागी हो ॥१८७॥ और यदि ये भी न हो तो उस धन के भागी ब्राह्मण हैं । वे ब्राह्मण वेदत्रय के जानने वाले और पवित्र तथा जितेन्द्रिय हो तो धर्म नष्ट नहीं होता ॥१८८॥

अहार्यं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः ।

इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्नृपः ॥१८९॥

संस्थितस्यानपत्यस्य सगोत्रात्पुत्रमाहरेत् ।

तत्र यद्विकथजातं स्यात्तत्तस्मिन्प्रतिपादयेत् ॥१६०॥

ब्राह्मण का धन राजा कभी भी न ले, यह शास्त्र की नित्य मर्यादा है ( अर्थात् बेवारिस ब्राह्मण का धन ब्राह्मणों ही को दे देवे ) अन्य सब वर्णों का धन दायभागी न हो तो राजा ले लेवे ॥१६१॥ राजा, अपुत्र मरे ब्राह्मण की सन्तति के लिये समान गोत्र वाले से पुत्र दिला कर उस ब्राह्मण का जो कुछ धन हो वह उस पुत्र को दे देवे ॥१६०॥

द्वौतु यौ विवदेयातां द्वाभ्यां जातौ स्त्रिया धने ।

तयोर्यद्यस्य पित्र्यं स्यात्तत्स गृह्णीत नेतरः ॥१६१॥

जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदराः ।

भजेरन्मातृकं रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः ॥१६२॥

दो पिताओं से एक माता मे उत्पन्न हुवे दो पुत्र यदि स्त्री धन के लिये लड़ें तो उन मे जो जिस के पिता का धन हो वह उस को ग्रहण करे, अन्य न लेवे ॥१६१॥ माता के मरने पर सब सहोदर भाई और सहोदरा भगिनी मिल कर मातृधन को बराबर बांट लेवें ॥१६२॥

यास्तासां स्युर्दुहितरस्तासामपि यथार्हतः ।

मातामह्या धनात्किञ्चित्प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम् ॥१६३॥

अध्यग्न्यध्यावाहनिकं दत्तञ्च प्रीतिकर्मणि ।

भ्रातृमातृपितृप्राप्तं षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम् ॥१६४॥

उन लड़कियों की जो ( अविवाहिता ) कन्या हो उन को भी





यथायोग्य मातामही के धन से प्रीतिपूर्वक थोड़ा सा धन देना चाहिये ॥१९३॥ १ विवाह काल में अग्नि के सन्निधि में पित्र आदि का दिया हुआ धन, २ बुलाकर दिया हुआ, ३ प्रीति कर्म में तथा समयान्तरमें पति का दिया हुआ, ४ पिता, ५ भ्राता, ६ माता से पाया हुआ । यह ६ प्रकार का स्त्री धन कहा है ॥१९४॥

अन्वाधेयं च यद्दत्तं पत्यापीतेन चैव यत् ।

पत्यौजीवति वृत्तायाः पूजायास्तद्धनं भवेत् ॥१९५॥

ब्राह्मदैवार्पगान्धर्वप्राजापत्येषु यद्वसु ।

अप्रजायामतीतायां भर्तुरेव तदिष्यते ॥१९६॥

(विवाहके ऊपर पतिके कुलमें स्त्री जो धनपात्रे वह) अन्वाधेय धन और जो पति ने प्रीतिकर्म में दिया हो, पति के जीते हुवे मरी स्त्री का वह सम्पूर्ण धन सन्तान का हो ॥१९५॥ ब्राह्म देव अर्प गान्धर्व और प्राजापत्य, इन पांच प्रकार के विवाहों में जो ( स्त्रियों का छ प्रकार का धन है ) वह अपुत्रा स्त्री के मरने पर पति का ही कहा है ॥१९६॥

यस्वस्याः स्याद्धनं दत्तं विवाहेष्वासुरादिषु ।

अप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥१९७॥

स्त्रियां तु यद्वेद्वित्तं पित्रा दत्तं कथञ्चन ।

ब्राह्मणीतद्धरेत्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत् ॥१९८॥

परन्तु आसुरादि (३) विवाहोंमें जो स्त्री को दिया धन है उस स्त्री के अपुत्रा मरने पर वह ( धन ) माता पिता का है ॥१९७॥ स्त्रीके पाल जो कुछ धन किसी प्रकार पिताका दियाहो वह उसकी ब्राह्मणी कन्या ग्रहण करे अथवा उसकी संतानका होजावे ॥१९८॥

ननिर्हारं स्त्रियः कुयुः कुटुम्बाद्बहुमध्यगात् ।  
 स्त्रकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भनुरनाज्ञया ॥१६६॥  
 पत्यो जीवति यः स्त्रीभिरलङ्कारो घृतोभवेत् ।  
 न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥२००॥

बहुत कुटुम्ब के धन से स्त्रियें धनसञ्चय (कौरचा) न करे और न अपने धनसे विना पतिकी आज्ञा अलङ्कार आदि (कौरचा) करे ॥१९९॥ पति के जीवते हुए (उसकी सम्मति से) जो कुछ अलङ्कार स्त्रियो ने धारण किया हो उसको (पतिके मरने पर) दयाद लोग न बाँटे। जो उसको बाँटते हैं वे पतित होते हैं ॥२००॥

अनंशौ क्लृपपतिनौ जात्यन्धवधिरौ तथा ।  
 उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ॥२०१॥  
 सर्वेषामपितु न्याय्यं दातुं शक्त्या मनीषिणा ।  
 ग्रासाच्छादनमत्यन्तं पाततो ह्यददद्भवेत् ॥२०२॥

नपुंसक पतित, जन्मान्ध, वधिर, उन्मत्त, जड, मूक और जो कोई जन्म से निरिन्द्रिय हो रेसव (पिता के धन के) भागी नहीं हैं ॥२०१॥ इन सब (नपुंसकादि) को आयु पर्यन्त न्याय से अन्न वस्त्र यथाशक्ति शास्त्र के जानने वाले धन स्वामी को देना चादिये यदि न देवे तो पतित हो ॥२०२॥

यद्यर्थितातु दारैः स्यात्कलीवादीनां कथञ्चन ।  
 तेषामुत्पन्नतन्तूनामपत्यं दायमर्हति ॥२०३॥  
 यत्किञ्चित्पितरि प्रेते धनं ज्येष्ठोऽधिगच्छति ।  
 भागो यत्रोयसां तत्र यदि विद्वानुपालितः ॥२०४॥



यदि कदाचित् नपुंसक को छोड़कर (अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास जानो) पतितादि का विवाह करने की इच्छा हो तो उन सन्तान वालों के सन्तान धन के भागी है ॥२०३॥ पिता के मरने पर ज्येष्ठ पुत्र जो कुछ धन पावे, यदि छोटा भाई विद्वान् हो तो उस में भी उसका भाग है ॥२०४॥

अविद्यानां तु सर्वेषामीहातश्चेद्धनं भवेत् ।

समस्तत्र विभागः स्यादपित्र्यइति धारणा ॥२०५॥

विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव धनं भवेत् ।

मैत्र्यमौद्वाहिकं चैव माधुपर्किकमेव च ॥२०६॥

सब विद्वान् भाइयो का यदि कृषि वाणिज्यादिसे कमाया हुआ धन हो तो उस में पिता के कमाये धन को छोड़ कर समविभाग करें (अर्थान् ज्येष्ठ को कुछ निकाल कर न दें) यह निश्चय है ॥२०५॥ विद्या मैत्री विवाह इनसे सम्पादित और मधुपर्कदानके काल में प्राप्त धन जिस को मिला हो उसी का हो ॥२०६॥

भ्रातॄणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः स्वकर्मणा ।

सनिर्भाज्यः स्वकादंशात्किञ्चिद्वत्त्वोपजीवनम् ॥२०७॥

अनुपघ्नन्पितृव्यं श्रमेण यदुपार्जितम् ।

स्वयमीहितलब्धं तन्नाकामोऽतुमर्हति ॥२०८॥

जो अपने पुरुषार्थ से धन कमा सकता है और भाइयो के सावारण धनों को नहीं चाहता, उस को अपने भाग में से कुछ निर्वाह योग्य धन देकर अलग करें (जिस से सब भाइयों के सामूहिक धन में उस भाग न चाहने वाले के पुत्रादि मगड़ा न करे) ॥२०७॥ पिता के धन को न गमाता हुआ अपने श्रम से जो धन

उपार्जितकरे वह धन न चाहे तो भाइयों को न दे ॥२०८॥

पैतृकं तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्नुयात् ।

न तत्पुत्रैर्भजेत्सार्धमकामः स्वयमर्जितम् ॥२०९॥

विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन् पुनर्यदि ।

समस्तत्र विभागः स्याज्ज्यैष्ठ्यं तत्रनगित्रे ॥२१०॥

पिता अपने न पाये हुवे पैत्रिक द्रव्यको यदि फिर बड़े परिश्रम से पावे तो पिता उच्छ्रा के उम अपने कमाये धन को पुत्रों को न देटे ॥२०९॥ पहिले अलग हुवे हो और पश्चान् एकत्र हो वशापर आदि करने रहे और फिर यदि विभाग करें तो उसमे सम विभागा हो उसमे बड़े का उद्धार नहीं है ॥२१०॥

येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः ।

त्रियेतान्यतरोवापि तस्य भागो न लुप्यते ॥२११॥

सौदर्याविभजेरंस्तंममेत्य सहिताः समम् ।

भ्रातरो ये च संमृष्टा भगिन्यश्च सनाभयः ॥२१२॥

जिन भाइयों के बीच में कोई छोटा वा बड़ा भाई विभागकाल में (संन्यामादि कारण से ) अपने अंश से छूट जावे अथवा मर जावे तो उसका भाग लुप्त न होगा ॥२११॥ किन्तु सहोदर भाई भगिनी और जो मिले हुवे भाई हैं वे भी सब मेल कर उस में समान विभाग करले ॥२१२॥

यो ज्येष्ठोविनिकुर्वीत लोभाद्भ्रातृन्यवीयसः ।

सौज्येष्ठःस्यादभागश्चनियन्तव्यश्च राजभिः ॥२१३॥

सर्वेण विकर्मस्था नार्हन्ति भ्रातरोधनम् ।



न चादत्त्वाकनिष्ठेभ्योज्येष्ठः कुर्वीतयौतकम् ॥२१४॥

जो ज्येष्ठ भ्राता लोभ से कनिष्ठ भाइयों की वञ्चना (ठगई) करे वह ज्येष्ठ भ्राता अपने (ज्येष्ठ) भागसे रहित और राजा के दण्ड योग्य होवे ॥२१३॥ विरुद्ध कर्म करने वाले सब भाई धन का भाग पाने योग्य नहीं और ज्येष्ठ कनिष्ठों को न देकर कोरचा न करे ॥२१४॥

भ्रातृणामविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सह ।

न पुत्रभागं विपमं पिता दद्यात्कथञ्चन ॥२१५॥

ऊर्ध्वं विभागाज्जातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धनम् ।

संमृष्टास्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तैः सह ॥२१६॥

भाइयों के साथ रहने वाले सामंजस भाई यदि (धनके उपार्जन को) साथ साथ ही उत्थान करे तो विभागराल में पिता पुत्रों का विपम विभाग कभी न करे ॥२१५॥ (यदि जीयने ही पिता ने पुत्रों की इच्छा से विभाग कर दिया हो) उस विभागके पश्चात् पुत्र उत्पन्न हुआ तो वह पुत्र पिता ही का भाग लेवे अथवा जो फिर से पिता के साथ रहते हो उनके साथ विभाग करे ॥२१६॥

अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात् ।

मातर्यापि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम् ॥२१७॥

ऋणोधने च सर्वास्मिन्प्रविभक्ते यथाविधि ।

परचाद्दृश्येत यत्किञ्चिन्नात्सर्वं समतां नयेत् ॥२१८॥

सन्तान रहित पुत्र का दाय माता ग्रहण करे और माता के भी मर्त्य पर पिता की माता ग्रहण करे ॥२१७॥ ऋण और धन

सब में यथा शास्त्र विभाग होजाने पर पीछे से जो कुछ पता लगे तो उस सब को भी बराबर बांटले ( अर्थात् पता लगाने का वा ज्येष्ठ का उद्धार देना योग्य नहीं है ) ॥२१८॥

वस्त्रं पत्रमलङ्कारं कृताक्षमुदकं स्त्रियः ।

यौगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥२१९॥

अयमुक्तो विभागो वः पुत्राणां च क्रियाविधिः ।

क्रमशः क्षेत्रजादीनां द्यूतधर्मं निबोधत ॥२२०॥

वस्त्र, वाहन, आभरण और पकाया हुआ अन्न पानी (कूपादि) तथा स्त्री और निर्वाह की अत्यन्तोपयोगी वस्तु और प्रचार (मार्ग) ये विभाग योग्य नहीं हैं ( अर्थात् जो जिसके काम में जिस प्रकार आ रहा है वही उसे वैसे ही रखे ) ॥२१९॥ यह क्षेत्रजादि पुत्रों का क्रम से विभाग करने का प्रकार और क्रिया-विधान तुम्हारे प्रति कहा । अब आगे द्यूतधर्म को सुनो ॥२२०॥

द्यूतं समाह्वयं चैव राजा राष्ट्राभिवारयेत् ।

राज्यान्तकरणावेतौ द्वौ दोषौ पृथिवीक्षिताम् ॥२२१॥

प्रकाशमेतत्तास्कर्यं यद्देवनसमाह्वयौ ।

तयोर्नित्यं प्रतीघाते नृपतिर्यत्नवान्भवेत् ॥२२२॥

द्यूत और समाह्वय (देखो २२३) को राजा राज्य में न होने देंगे क्योंकि ये दोनों दोष राजाओं के राज्य का नाश करने वाले हैं ॥२२१॥ ये द्यूत और समाह्वय प्रकट चौर्य हैं । इनके दूर करने में राजा नित्य यत्न वाला होवे ॥२२२॥

अप्राणिभिर्यत्क्रियते तल्लोके द्यूतमुच्यते ।

प्राणिभिः क्रियतेयस्तु स विज्ञेयः समाह्वयः । २२३॥

घृतं समाह्वयं चैव यः कुर्यात्कारयेत् वा ।

तान्सर्वान्घातयेद्राजा शूद्रांश्च द्विजलिङ्गिनः ॥२२४॥

(कौड़ी फांसां इत्यादि) बेजान वस्तुओं से जो हार जीत होती है उसको "जुवा" कहते हैं और (मेढा मुर्गा इत्यादि) प्राणियों से जो हार जीत होती है उसको 'समाह्वय' जानना चाहिये ॥२२३॥ घृत और समाह्वय को जो करे वा करावे उन सबको राजा मरवा देवे (वा चोट का दण्ड देवे) और यज्ञोपवीतादि द्विजविद्धारण करने वाले शूद्रों को भी यही दण्ड देवे ॥२२४॥

कितवान्कुशीलवान्क्रूरान्पापण्डस्थांश्च मानवान् ।

विकर्मस्थान् शौण्डिकांश्च क्षिप्रं निर्वासयेत्पुरात् ॥२२५॥

एते राष्ट्रे वर्तमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः ।

विकर्मक्रियथानित्यं वाघन्ते भद्रिकाः प्रजाः ॥२२६॥

जुवारी, घूत्त करूता करने वाले, पापण्डी, विरुद्ध कर्म करने वाले तथा शराबी मजुष्यो को राजा शीघ्र नगर से निकाल देवे ॥२२५॥ क्योंकि राजा के राज्य में ये छिपे चोर रहते हुवे कुकर्म से भली प्रजाओं को पीड़ा देते हैं ॥२२६॥

घृतमेतत्पुराकल्पे दृष्टं वैरकरं महत् ।

तस्माद्घृतं न सेवेत् हास्यार्थमपि बुद्धिमान् ॥२२७॥

प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा तन्निपेदेत् यो नरः ।

तस्य दण्डदिकल्पः स्याद्यथेष्टं नृपतेस्तथा ॥२२८॥

यह घृत पहिले कल्प में बड़ा और वैर बढ़ाने वाला देखा गया है, इस कारण बुद्धिमान् हास्यार्थ भी घृत न खेले ॥२२७॥ जो



मनुष्य इस जुवे को गुप्त वा प्रकट खेले उसके दण्ड का विकल्प  
जैसी राजा की इच्छा हो, वैसा करे ॥२२८॥

क्षत्रविट्शूद्रयोनिस्तु दण्डं दातुमशक्नुवन् ।

आनृत्यं कर्मणा गच्छेद्विप्रो दद्याच्छत्रैः शनैः ॥२२९॥

स्त्रीबालोन्मत्तवृद्धानां दरिद्राणां च रोगिणाम् ।

शिफाविदलरज्ज्वाद्यैर्विदध्यान्नृपतिर्दमम् ॥२३०॥

क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र निर्धन होने के कारण दण्ड देने को अस-  
मर्थ होवे तो नौकरी करके दण्ड का ऋण उतार देवे और ब्राह्मण  
धीरे-धीरे देदे (अर्थात् ब्राह्मण से नौकरी न करावे) ॥२२९॥ स्त्री,  
बाल, उन्मत्त, वृद्ध, दरिद्र और रोगी का कमची, वेत रस्ती  
आदि से राजा दमन करे ॥२३०॥

येनियुक्तास्तुकार्येषुहन्युः कार्याणि कारिणाम् ।

धनोष्मणा पच्यमानास्तान्निःस्वान्कारयेन्नृपः ॥२३१॥

कूटशासनकर्तृश्च प्रकृतीनां च दूपकान् ।

स्त्रीबालब्राह्मणघनांश्च हन्त्याद् द्विट्सेविनस्तथाः ॥२३२॥

जो पुरुष कार्यो (सुकदमो) में नियुक्त हो धन की गर्मी से  
पकते हुवे कार्य वालों के कामों को विगाड़ें, उन का सर्वस्व राजा  
हरण करवाले ॥२३१॥ राजा की मोहर करके वा अन्य किसी  
छल से राज कार्य करने वालों और अमात्यों के भेद करने वालों  
तथा स्त्री, बालक, ब्राह्मण को मारने वालों और शत्रु से मिले  
रहने वालों का राजा हनन करे ॥२३२॥

तीरितं चानुशिष्टं च यत्र क्वचन यद्भवेत् ।





कृतं तद्धर्मतो विद्यान्न तद्भूयो निवर्तयेन् ॥२३३॥

जहां कहीं ऋणाऽदानादि व्यवहार (मुकहमं) का न्याय से अन्त तक निर्णय और दण्डादि तक ठीक हो गया हो, तो उनको फिर से न लौटावे ॥

(२३३ से आगे एक श्लोक मिलता है जो कि केवल अत्र दो पुस्तकों में पाया गया है । परन्तु यथार्थमें उर्माकी यहां आवश्यकता थी । वह यह है:—

[तीरितं चानुशिष्टं च नो मन्येत् विकर्मणा ।

द्विगुणं दण्डमास्थाय तत्कार्यं पुनन्दद्वेत् ॥]

अदि कोई कार्य (मुकहमा) निर्णित हो चुका हो और दण्ड भी हो चुका हो परन्तु राजा को समझ में अन्याय हुआ हो तो द्विगुण दण्ड ( राजकर्तव्यारी पर, कहे उम कार्य को राजा फिर से करे ) ॥२३३॥

अमात्याः प्राड्विवाके वा यत्कुर्यु कार्यमन्यथा ।

तत्स्वयंनृपतिः कुर्यात्तान्महम् च दण्डयेत् ॥२३४॥

मन्त्री अथवा मुकहमा करने वाला जिस मुकहमे को अन्याय करे उस मुकहमे को राजा आर करे और उनको "सहस्र" दण्ड देवे ॥२३४॥

ब्रह्महा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः ।

एते सर्वे पृथक्ज्ञेया महापातकिनो नराः ॥२३५॥

चतुर्णामपि चैतेषां प्रायश्चित्तमकुर्वताम् ।

शरीरं धनसंपुक्तं दण्डं धर्म्यं प्रकल्पयेत् ॥२३६॥

ब्राह्मण के मारने वाला, मद्य पीने वाला, चोर और गुरुपत्नी से व्यभिचार करने वाला, इन सब प्रत्येक को महापातकी मनुष्य जानना चाहिये ॥२३५॥ प्रायश्चित्त न करते हुवे इन चारों को (राजा) धर्मानुसार धनयुक्त शरीर सम्बन्धी दण्ड करे ॥२३६॥

गुरुतल्पे भगः कार्गः सुरापाने सुराध्वजः ।

स्तेयेश्वपदकं कार्यं ब्रह्महृण्यशिराः पुमान् ॥२३७॥

असंभोज्या ह्यसंयाज्या असंपाठयाऽविवाहिनः ।

चरेयुः पृथिवीं दीनाः सर्वधर्मबहिष्कृताः ॥२३८॥

गुरुपत्नी के व्यभिचार में पुरुष के ललाट में तप्त लोह से भगाकार चिन्ह करना चाहिये और सुरा के पीने में सुरापान के आकार का चिन्ह तथा चोरी करने में कुत्ते के पैर के आकार का चिन्ह करना चाहिये और ब्राह्मण के मारने में शिर काटना चाहिये ॥२३७॥ ये (महापातकी) पङ्क्ति में भोजन कराने और यज्ञ कराने तथा पढाने और विवाह सम्बन्ध के भी अयोग्य सम्पूर्ण धर्मों से बहिष्कृत हुवे दीन (गरीब) पृथिवी पर पर्यटन करें ॥२३८॥

ज्ञातिसंबन्धिभिस्त्वेते त्यक्तव्याः कृतलक्षणाः ।

निर्दयानिर्नमस्कारास्तन्मनोरनुशासनम् ॥२३९॥

प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः सर्ववर्णा यथादितम् ।

नाङ्कया राज्ञा ललाटेऽस्युर्दाप्यास्तूत्तमसाहसम् ॥२४०॥

ये चिन्ह वाले जाति विरादरी से त्यागने योग्य हैं, न इनपर दया करनी चाहिये और न ये नमस्कार करने योग्य हैं, इस प्रकार (मुझ) मनु की आज्ञा है ॥२३९॥ परन्तु शास्त्रविहित प्रायश्चित्त किये हुवे ये सब वर्ण राजा को ललाट में चिन्ह करने योग्य नहीं



हैं किन्तु "उत्तम साहस" के दण्ड योग्य हैं ॥२४०॥

आंगःसु ब्राह्मणस्यैव कार्यो मध्यमसाहसः ।

विवास्योवा भवेद्राप्तात्सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥२४१॥

इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यऽकामतः ।

सर्वस्वहारमर्हन्ति कामतस्तु प्रवासनम् ॥२४२॥

इन अपराधों में ब्राह्मणों को ही "मध्यम साहस" दण्ड करना चाहिये अथवा धन धान्यादि के सहित राज्य से निकाल देने योग्य है ॥२४१॥ ब्राह्मण से अन्य (क्षत्रियादि) ने यदि इन पापों को अनिच्छा से किया हो तो सर्वस्व हरण योग्य हैं और यदि इच्छा से किया हो तो देश से निकालके योग्य हैं ॥२४२॥

ना ददीत नृपः साधुर्महापातकिनो धनम् ।

आददानस्तु तल्लोभात्तेन दोषेण लिप्यते ॥२४३॥

अप्सु प्रवेश्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत् ।

श्रुतवृत्तोपपन्नं वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत् ॥२४४॥

धार्मिक राजा महापातकी के धन को ग्रहण न करे. लोभ से उसको लेता हुआ उस पाप से लिप्त होता है ॥२४३॥ किन्तु उस दण्ड धन को पाती में धलवाकर वरुण के यज्ञमें लगा देवे अथवा वेद सम्पन्न ब्राह्मण को दे देवे ॥२४४॥

ईशोदण्डस्य वरुणो राज्ञां दण्डधरोहि सः ।

ईशः सर्वस्य जगतो ब्राह्मणो वेदपारगः ॥२४५॥

यत्र वर्जयते राजा पापकृद्भ्यो धनागमम् ।

तत्र कालेन जायन्ते मानवा दीर्घजीविनः ॥२४६॥

दण्ड का स्वामी रुण है क्योंकि राजाओं को भी दण्ड का धर्ता (प्रभु) वरुण है। सम्पूर्ण वेद का जानने वाला ब्राह्मण मव जगत का स्वामी है (इस से दोनों दण्ड धन लेने के योग्य हैं) ॥२४५॥ जिस देश में राजा इन महा पातकियों के धन को नहीं ग्रहण करता उस देश में मनुष्य काल से दीर्घायु वाले होते हैं ॥२४६॥

निष्पद्यन्ते च सस्यानि यत्रोपानि त्रिशां पृथक् ।

बालाश्च न प्रमीयन्ते विकृतं न च जायते ॥२४७॥

ब्राह्मणान्नाधमानं तु कामादन्तरवर्णजम् ।

हन्याच्चित्रैर्विधापायैरुद्धे जनकरैर्नृपः ॥२४८॥

और प्रजाओं के धान्यादि जैसे बोर गए वैसे ही अलग अलग उत्पन्न होते हैं और बालक नहीं मरते और कोई विकार नहीं होता ॥२४७॥ जान बूझकर ब्राह्मणों को पीड़ा देने वाले शूद्र को भयानक कई प्रकार के मार पीट के उपायो से राजा दमन करे ॥२४८॥

यावान्अवध्यस्य वधे तावान्अवध्यस्य मोक्षणे ।

अधर्मेनृपतेर्दृष्टो धर्मस्तु विनियच्छतः ॥२४९॥

उदितोऽयं विस्तरशो मिथो विवदमानयोः ।

अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णयः ॥२५०॥

अवध्यो के वध में जैसा अधर्म शास्त्र से देखा गया है वैसा ही अवध्य के छोड़ने में भी राजा को अधर्म होता है और निग्रह करने से धर्म होता है ॥२४९॥ यह अठारह प्रकार के मार्गों में परस्पर विवादियों (मुद्दई मुद्दआइलह) के मुकद्दमों का निर्णय विस्तार के साथ कहा ॥२५०॥

एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्यक्कूर्वाण्महीपतिः ।

देशानलब्धांलिप्सेत लब्धांश्च परिपालयेत् ॥२५१॥

सम्यङ्निविष्टदेशस्तु कृन्दुर्गश्च शाम्प्रतः ।

कण्टकोद्धारणे नित्यमातिष्ठेद्यत्नमुत्तमम् ॥२५२॥

इस प्रकार धर्म कार्यों को अच्छे प्रकार करता हुआ राजा अलक्ष्य देशों को पाने की इच्छा करे और लब्धो को परिपालन करे ॥२५१॥ अच्छे प्रकार धर्म देश में (समसाधारण में कहा गीति के अनुसार) किले बनाकर चौर डाकू आदि कण्टकों के उद्धार में सर्वदा उत्तम यत्न करे ॥२५२॥

रक्षादार्यवृत्तानां कण्टकानां च शोधनात् ।

नरेन्द्रास्त्रिदिवं यान्ति प्रजापालनत्परा ॥२५३॥

अशासंस्तस्करान्यस्तु बलिं गृह्णाति पाशिवः ।

तस्य प्रचुम्भ्यते राष्ट्रं स्वर्गञ्च परिहीयते ॥२५४॥

अच्छे आचरण वालों को रक्षा और चौरादि के शोषन में प्रजापालन में तत्पर राजा स्वर्ग को प्राप्त होते हैं ॥२५३॥ जो राजा चौरादि को दण्ड न करके धरना बलि (मातृगुजाती) लेता है, उनकी प्रजा उसमें विगड़ती है और वह स्वर्ग से भी हीन हो जाता है ॥२५४॥

निर्भयं तु भवेत्स्य राष्ट्रं बाहुबलाश्रितम् ।

तस्य तद्वर्धते नित्यं सिन्धुमानइन्द्रुम ॥२५५॥

द्विविधांस्तस्करान्विद्यात्परुष्याऽपहारकान् ।

प्रकाशांथाऽप्रकाशांश्च चारचतुर्महापति ॥२५६॥

जिस राजा के बाहुबल के आश्रय से प्रजा (चौरादि से) निर्भय रहती है उस राजा का राज्य नित्य सिंचते हुये वृक्षके समान बढ़ता है ॥२५५॥ चार (गुप्त दूत) रूपी चक्षु वाला राजा दो प्रकार के परदृश्य के हरण करने वाले, चोरों को जाने । एक प्रकट दूसरे अप्रकट ॥२५६॥

प्रकाशवञ्चकास्तेषां नानापण्योपजीविनः ।

प्रच्छन्नवञ्चकास्त्वेते ये स्तेनाऽटविकादयः ॥२५७॥

उत्क्रोचकाश्चोपधिका वञ्चकाः कितवास्तथा ।

मङ्गलादेशवृत्ताश्च भद्राश्चेक्ष्णिकैः सह ॥२५८॥

उन (चौरादि) में नाना प्रकार की दुकानदारी से जीवन करने वाले प्रकाशवञ्चक (खुले ठग) हैं और चोर तथा जङ्गल आदिके छुट्टे छुपे वञ्चक हैं ॥२५७॥ उत्क्रोचक=रिश्वतखोर । उपधिक=भय दिखाकर धन लेने वाले । वञ्चक=ठग । कितव=जुवारी आदि । मङ्गलादेशवृत्त='तुम्हारी भलाई होने वाली है' इत्यादि प्रकार प्रलोभन देने वाले । भद्र=भलमनसाहत से ठगई करने करने वाले । ईक्ष्णिक=हाथ देखने वाले आदि ॥२५८॥

असम्यकारिणश्चैव महामात्राश्चिकित्सकाः ।

शिल्पोपपारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोपितः ॥ २५९॥

एवमादीन्विजानीयात्प्रकाशांल्लोककण्टकान् ।

निगूढचारिणश्चान्याननार्यानार्यलिङ्गिनः ॥२६०॥

बुरा करने वाले उच्च कर्मचारी, वैद्य, शिल्पादि जीवी और चालाक वेश्याओ ॥२५९॥ इत्यादि प्रकार के प्रत्यक्ष ठगों और



(ठग) आर्य वेप धारण करने वाले अनार्यों को भी (राजा) जानता रहे ॥२६०॥

तान्विदित्वा सुचरितैर्गुणैस्तत्कर्मकारिभिः ।

चारैश्चानेवसंस्थानैः प्रोत्साद्य वशमानयेत् ॥२६१॥

तेषां दोषानभिख्याप्य स्वेस्वे कर्मणि तत्त्वतः ।

कुर्वीत शासनं राजा सम्यक्सारापराधतः ॥२६२॥

उन पूर्वोक्त बञ्चकों को सभ्य, गुप्त, प्रकट में उस काम को करने वाले तथा कोई जगह रहने वाले चारों (जासूसों) के द्वारा राजा चौरादि में प्रवृत्त कराकर (सजा देकर) वश करे ॥२६१॥ उन प्रकाश और अप्रकाश तस्करों के उन २ चौर्यादि दोषों को ठीक २ प्रकट करके उनके धन शरीरादि सामर्थ्य और अपराध के अनुसार राजा सम्यक् दण्ड देवे ॥२६२॥

नहि दण्डादृते शक्यः कर्तुं पापविनिग्रहः ।

स्तेनानां पापवृद्धिनां निभृतं चरतां चितौ ॥२६३॥

सभाप्रपापूपशाला वेशमद्यान्नविक्रयाः ।

चतुष्पथाश्चैत्यवृक्षाः-समाजाः प्रेक्षणानि च ॥२६४॥

पृथ्वी में विनीत वेप करके रहने वाले पापाचरणवृद्धि चोरों को दण्ड के अतिरिक्त पाप का निग्रह नहीं हो सकता ॥२६३॥ सभा, प्याऊ, हलवाई की दूकान, रण्डी का मकान, कलाली, अनाज विकने की जगह, चौराहे, बडे और प्रसिद्ध वृक्ष जन समूहों के स्थान तथा तमाशे देखने की जगह ॥२६४॥

जीर्णोद्यानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च ।

शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥२६५॥



एवं विधान्नुपो देशान्गुल्मैः स्थावरजङ्गमैः ।

तस्करप्रतिषेधार्थं चारैश्चाप्यनुचारयेत् ॥२६६॥

जीर्ण वाटिका, वन, शिल्पगृह तथा वाग वगीचे ॥२६५॥  
इस प्रकार के देशों को राजा एक स्थान में स्थित सिपाहियों की चौकी और घूमने वाले, चौकी पहरो और गुप्त चरो से चरो के निवारणार्थ विचरित करावे (क्यों कि प्रायः तस्कर इन स्थानों में पड़ते हैं) ॥२६६॥

तत्सहायैरनुगतैर्नानाकर्मप्रवेदिभिः ।

विद्यादुत्सादयेच्चैव निपुणैः पूर्वतस्करैः ॥२६७॥

भक्ष्यभोज्योपदेशैश्च ब्राह्मणानां च दर्शनैः ।

चौर्यकर्मापदेशैश्च कुर्युस्तेषां समागमम् ॥२६८॥

उन की सहायता करने वाले और उन के पीछे चलने वाले और सेध आदि अनेक कर्मों को जानने वाले पहिले चोर और उस कर्म में निपुण गुप्त चरो द्वारा ( राजा ) चोरो को जाने और निर्मूल करे ॥२६७॥ वे ( जासूस ) उन चोरो को खाने पीने के वहानों और ब्राह्मणों के दर्शनों के मिय और शूरवीरता के काम के वहाने से राजद्वार में लिवा ला कर पकड़वा दें ॥२६८॥

ये तत्र नेापसर्पेयुर्मूलप्रणिहिताश्च ये ।

तान्प्रसह्य नृपो हन्यात् समित्रज्ञातिबान्धवान् ॥२६९॥

न होढेन विना चौरं घातयेद्दार्मिको नृपः ।

सहोढं सोपकरणं छातयेदऽविचारयन् ॥२७०॥

जो वहां पर पकड़े जाने की शङ्का से न जावे और उन गुप्त





राजदूतों के साथ चालाकी, सावधानी से रङ्कर आये को बचाने हों, उनको राजा बतारकारसे पकड़ कर भिन्न जाति भाइयो सहित वध करे ॥२६९॥ धार्मिक राजा विना माल और सेव आदि प्रमाण के चोर का वध न करे और माल तथा सेव आदि के प्रमाण सहित हो तो विना विचारे मरवा देवे ॥२७०॥

ग्रामेष्वपि च ये कैचिच्चौराणां भक्तदायकाः ।

भाण्डावकाशदारश्चैव सर्वास्तानपि घातयेत् ॥२७१॥

राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतां सामन्तांश्चैव चोदितान् ।

ग्रामघातेषु मध्यस्थांश्शिष्याञ्चौरानिवद्रुतम् ॥२७२॥

ग्रामों में जो जो भोजनादि ( मन्त्र ) देने वाले और पता वा जगह देने वाले हो, उन सब को भी (राजा) मरवा देवे ॥२७१॥

राज्य में रक्षा के नियुक्त ( पुलिस ) और सीमा पर रहने वालों में जो क्रूर, चौरादि की घात के उपदेश में मध्यस्थ हों, उन को भी चोरवन् शीघ्र दण्ड देवे ॥२७२॥

यश्चापि धर्मसमयात्प्रच्युतो धर्मजीवनः ।

दण्डेनैव तमप्नोषेत् स्वकाद्धर्माद्विच्युतम् ॥२७३॥

ग्रामघाते हिताभङ्गे पथिगोषाभिमर्शने ।

शक्तितो नाभिधावन्तोनिर्वास्याः सपरिच्छदाः ॥२७४॥

जो कचहरो करने वाला ( हाकिम ) धर्म की मर्यादा से भ्रष्ट हो, इस स्वधर्म से पतित को भी दण्ड से ही क्लेश दे ॥२७३॥ डाकू चोर आदि से गांव के लुटने से और मार्ग के चोरों को खोज में स्त्रीके साथ बलात्कार में जो आस पाएके रहने वाले यथाशक्ति राजा को महायतार्थ दौड़ धूप नहीं करते उन को असवाव के

सहित ( ग्राम से ) निकाल देवे ॥२७४॥

राज्ञः कोपोपहतृश्च प्रतिकूलेषु च स्थितान् ।

घातयेद्विविधैर्दण्डैररीणां चोपजापकान् ॥२७५॥

सन्धि छित्वातु येचौर्यं रात्रौ कुर्वन्ति तस्कराः ।

तेपांछित्वानृपोहस्तौ तीक्ष्णशूलेनिवेशयेत् ॥२७६॥

राजा के खजाने में चोरी करने वालों तथा आजा भद्र ' करने वालों और शत्रु को भेद देने वालों को नाना प्रकार के दण्ड देकर मारे ॥२७५॥ जो चोर रात को मेष दंकर चोरी करें, राजा उन के हाथ काट कर तेज शूली पर चढ़ावे ॥२७६॥

अंगुलीग्रन्थिभेदस्य छेदयेत्प्रथमे ग्रहे ।

द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये वधमर्हति ॥२७७॥

अग्निदान्भक्तदांश्चैव तथाशस्त्रावकाशदान् ।

सन्निधातृश्च मोषस्य हन्याच्चौरमिवेश्वरः ॥२७८॥

गांठ काटने वाले की पहिली बार चोरी करने में अंगुलियां दूसरी बार करने में हाथ पैर कटवा दे और तीसरी बार में वध के योग्य है ॥२७७॥ उन चोरों को अग्नि अन्न, वस्त्र, स्थान देने वाले और चोरी का धन पास रखने वालों को भी राजा चोरवत् दण्ड देवे ॥२७८॥

तडागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धवधेन वा ।

यद्वापि प्रतिसंस्क्रुयाद् दाप्यस्तूतमसाहसम् ॥२७९॥

कोष्ठागारायुधागार देवतागारभेदकान् ।

हस्त्यश्वरथहृत्श्च हन्यादेवाऽविचारयन् ॥२८०॥

जो तालाब के जल को तोड़े उस को जल में डुबा कर वा सींचा ही मार डाले और यदि वह उस को फिर बनवा देवे तो "सहस्र पण" दण्ड दे ॥२७९॥ राजा के धान्यागार (गांदास) वा हथियारों के मकान अथवा यज्ञ मन्दिर को तोड़ने वालों और हाथी, घोड़ा और रथ चुराने वालोंको बिना विचारं हननकरे ॥२८०॥

यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तद्भागस्योदकं हरत् ।

आगमं वाप्यसं भिन्द्यात्सदाप्यः पूर्वसाहस्रम् ॥२८१॥

समुत्सजेद्राजमार्गे यस्त्वऽभेधमनापदि ।

स द्वौ कार्यापणौ दद्यादभेधं चाशुशोधयेत् ॥२८२॥

जो कोई पहले बने तालाब का (सत्र) पानी हर ले या पानी के छोट वा आगमन को बन्द करे; वह "प्रथम साहस्र" दण्ड देने योग्य है ॥२८१॥ जो रोगादि रहित सरकारी सड़क पर मैला डाले वह दो सौ कार्यापण दण्ड दे और उन मैले को शीघ्र उठवा देवे ॥२८२॥

आपद्गतोऽथवा वृद्धो गर्भिणी चालएव वा ।

परिभाषणमर्हन्ति तच्चशोधयामिति स्थितिः ॥२८३॥

चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्या प्रचरतां दमः ।

अमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः ॥२८४॥

(परन्तु) व्याधिन वृद्ध वानर गर्भिणी, ये व्रमकाने और उन मैले को साफ कराने के लिये हैं (दण्ड योग्य नहीं) यह मर्त्यादा है ॥२८३॥ वेपदे उल्टी चिकित्सा करने वाले वैद्यो को दण्ड करना चाहिये । उस में गाय वैज आदि की वृथा चिकित्सा करने वालों को "प्रथम साहस्र" और मनुष्य की उल्टी चिकित्सा करने वालों को "मध्यम साहस्र" दण्ड होना चाहिये ॥२८४॥

संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः ।  
 प्रतिकुर्याच्च तत्सर्वं पञ्चदद्याच्छतानि च ॥२८५॥  
 अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा ।  
 मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमसाहसः ॥२८६॥

लकड़ीके छोटे पुल वा ध्वजाकी लकड़ी और किमी प्रतिमा को तोड़ने वाला उन सब को फिर बनवा देवे और पांच सौ पण दण्ड देवे ॥२८५॥ अच्छी वस्तु को दूषित ( खराब ) करने, तोड़ने और मणि यो के, बुरा बीधने में "प्रथम साहस" दण्ड होना चाहिये ॥२८६॥

समैर्हि विषमं यस्तु चरेद्दुःखितोऽपि वा ।  
 समाप्नुयाद्दमं पूर्वं नरोमध्यममेव वा ॥२८७॥  
 बन्धनानि च सर्वाणि राजा मार्गे निवेशयेत् ।  
 दुःखिता यत्र दृशेरन्विकृताः पापकारिणः ॥२८८॥

बराबर की वस्तुओं वा मूल्य से जो घटिया बढ़िया वस्तु देने का व्यवहार करे उस को पूर्व या "मध्यम साहस" दण्ड मिले ॥२८७॥ राजा मार्ग में बन्धन गृहों को बनवावे. जहां दुःखित और विकृत पाप करने वाले ( सब को ) दीखें ॥२८८॥

प्राकास्य च भेत्तार परिखाणां च पूरकम् ।

द्वाराणां चैव भङ्क्तारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥२८९॥

प्राकार (सफील) के तोड़ने वाले और उसीकी खाई को भरने वाले और उसी द्वारोंके तोड़ने वाले को शीघ्र ही (दिशासे) निकाल दे ॥ ( २८९ के पूर्वार्ध से आगे (बीच में) यह श्लोक एक पुस्तक में देखा जाता है.—

[एतेनैव तु कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः ।  
कर्माण्यारभमाणं तु पुरुषं श्रीनिपेयते ॥]

परन्तु यह सर्वथा असंबद्धसा है। इसी का बीचमें कोई प्रसङ्ग समझ में नहीं आता किन्तु इसी आशय का आगे ३०० वां श्लोक है सो वही ठीक है) ॥२८९॥

अभिचारेषु सर्वेषु कर्तव्यो द्विशतो दमः ।

मूलकर्माणि चानापतेः कृत्यासु विविधासु च ॥२९०॥

सम्पूर्ण अभिचारो (मारणादि)में यदि जिसका मारना चाहो वह मरे नहीं और नाना प्रकार के (औषधादि द्वारा) उच्चाटनादि में दोसौ पण दण्ड होना चाहिये ॥२९०॥

अधीजविक्रयी चैव शीजोत्कृष्टं तथैव च ।

मर्यादाभेदकश्चैव विकृतं प्राप्नुयाद्वधम् ॥२९१॥

सर्गकण्टकपापिष्ठं हेमकारं तु पार्थिव ।

प्रवर्त्तमानमन्याये छेदयेत्त्ववशः क्षुरैः ॥२९२॥

थोथे बीज को बेचने वाला, उसी प्रकार अच्छे बीज को बुरे के साथ मिला कर बेचने वाला तथा सीमा (मर्यादा) का तोड़ने वाला, विकृत वध को प्राप्त हो ॥२९१॥ सब ठगों में अतिशय ठग अन्याय में चलने वाले सुनार को तो राजा चाकूत से बेटी बेटी कटवावे ॥२९२॥

सीताद्रव्यापहरणे शस्त्राणामौघस्य च ।

कालमासाद्यकार्यं च राजा दण्डं प्ररुहयेत् ॥२९३॥

स्वाम्यमात्स्यौ पुरं राष्ट्रं कौशदण्डौ सुहृत्तथा ।



सप्तप्रकृतयो ह्येताः सप्ताङ्गं राज्यमुच्यते ॥२६४॥

हल कुदाल आदि और शस्त्रों तथा दवाके चुरानेमे समय और किये हुवे अपराध को विचार कर राजा दण्ड नियत करे ॥२९३॥  
राजा, मन्त्री, पुर, राष्ट्रकोश, दंड और मित्र ये सात प्रकृति राज्य के सत्ता, जाती हैं ॥२९४॥

सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम् ।

पूर्वं पूर्वं गुरुतरं जानीयाद्व्यसनं महत् ॥२६५॥

सप्ताङ्गस्येह राज्यस्य विष्टब्धस्य त्रिदण्डवत् ।

अन्योन्यगुणवैशेष्यान्न किञ्चिदतिरिच्यते ॥२६६॥

राज्य की इन सात प्रकृतियों मे क्रम से पहली २ को अतिशय बडा भारी व्यसन (उत्तरोत्तर एक से एक को अधिक) विगडने पर बुरा जाने ॥२९५॥ जैसे तीन दण्ड परस्पर एक दूसरे के सहारे ठहरे हो ऐसे ही यह सप्ताङ्ग राज्य ७ प्रकृतियों मे एक दूसरे के सहारे ठहरा है। इन सातों मे अपने २ गुण की विशेषता से कोई भी एक दूसरे से अधिक नहीं है (अर्थात् यद्यपि पूर्व श्लोक मे एकसे दूसरे को अधिक कहा था परन्तु पूर्व २ इस मूल मे भी न रहे कि अगले अगले हमारा कुछ कर ही नहीं सकते) ॥२९६॥

तेषु तेषु तु कृत्येषु तत्तदङ्गं विशिष्यते ।

येन यत्साध्यते कार्यं तत्तस्मिन्श्रेष्ठमुच्यते ॥२६७॥

चारेणोत्साहयोगेन क्रिययैव च कर्मणाम् ।

स्वशक्तिं परशक्तिं च नित्यं विद्यान्महीपतिः ॥२६८॥

उन २ कामोमे वही २ अङ्ग बडा है जिससे जोर काम सिद्ध होता है वह उसमें श्रेष्ठकहाता है ॥२९७॥ (सप्तमाध्याय मे रहे)

चारों (जासूनों) में उनाःयोग और काषों की आर्थाई में करने तथा शत्रुके सामर्थ्यके राजा नियम जानता रहे ॥२९८॥

पीडनानि च सर्वाणि वधनानि तेषु च ।

आरभेत ततः कार्यं सचिन्त्यगुरुज्ञानवत् ॥२९९॥

आरभेतैव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः ।

कर्माण्यारभनाथं हि पुनः श्रीर्निषेधते ॥३००॥

काम क्रोध से हुवे सम्पूर्ण दुःखों और वधनों और शत्रुत्व लायकों को सोचकर काम का आरम्भ करे ॥२९९॥ राज्यको वृद्धि होने के काम राजा दम लेने कर फिर २ करता ही रहे क्यों कि कामों के आरम्भ करने वाले पुनःको लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥३००॥

कृतं त्रेतायुगं चैव द्वापरं कृत्तिरेव च ।

राज्ञोवृत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते ॥३०१॥

कलिः प्ररुपाते भवति सजाग्रद्द्वारं युगम् ।

धर्मस्वप्नमुद्यतरत्रे वा विचरन्नु कृतं युगम् ॥३०२॥

सत्ययुग त्रेतायुग, द्वापरयुग सब राजा ही के चेष्टा विजेर में क्योंकि राजाभीयुग कहाता है ॥३०१॥ तबराजा निरन्तर जाता है, वह कलियुगहै और जब जागता हुआनी कर्म नहीं करता वह द्वापर है जब कर्मानुष्ठान में उद्यत होता है, उस समय त्रेता है और जब यथाशाम्भ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ विचरता है उस समय सत्ययुग है ॥३०२॥

इन्द्रस्यार्कस्य वायोश्च यमस्य वरुणाध्य च ।

चन्द्रस्याग्नेः पृथिव्याश्च तेजोवृत्तां नमश्चरेत् ॥३०३॥

वार्षिकांश्चतुरो मासान्यथेन्द्रोऽभिप्रवर्षति ।

तथामिवर्षेत्त्राष्ट्रं कामैरिन्द्रव्रतं चरन् ॥३०४॥

इन्द्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चन्द्र, अग्नि और पृथिवी के सामर्थ्यरूप कर्म को राजा करे ॥३०३॥ वर्षा ऋतु के चार मास में इन्द्र (वायुविशेष) वर्षा करता है वैसे ही इन्द्र के काम को करता हुआ राजा स्वदेश में (इच्छित पदार्थों को) वर्षावे ॥३०४॥

अष्टौमासान्यथादित्यस्तोयंहरति रश्मिभिः ।

तथा हरेत्करंराष्ट्रान्नित्यमर्कव्रतं हि तत् ॥३०५॥

प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति मारुतः ।

तथा चारैः प्रवेष्टव्यं व्रतमेतद्धि मारुतम् ॥३०६॥

आठ महीने जैसे सूर्य किरणों से जल लेता है वैसे (राजा) राज्य से कर लेवे यही नित्य सूर्य का काम है ॥३०५॥ जैसे वायु सब मनुष्यादि में प्रविष्ट रहता है वैसे ही राजा दूतों द्वारा सब में प्रवेश करे (अर्थात् सबके चित्तवृत्तान्त ज्ञात करलेवे) यही वायु का काम है ॥३०६॥

यथायमः प्रियद्वेष्यो प्राप्तेकाले नियञ्जति ।

तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यमव्रतम् ॥३०७॥

वरुणेन यथा पाशैर्बद्ध एवाभिदृश्यते ।

तथा पापान्निगृह्णीयाद् व्रतमेतद्धि वारुणम् ॥३०८॥

जैसे यम (मृत्यु वा परमात्मा) प्राप्तकाल में मित्र शत्रु सबका निग्रह करता है वैसे ही राजा को अपराध काल में प्रजा दण्डनीय होनी चाहिये । यम का यही व्रत है ॥३०७॥ जैसे वरुण (वायु-विशेष) के पाशों से प्राणी बंधे हुए देखे जाते हैं वैसे ही राजा



पापियो का शामन करे वरुण का यही व्रत है ॥३०८॥

परिपूर्णं यथा चन्द्रं दृष्ट्वा यहृषन्ति मानवाः ।

तथाप्रकृतयो यस्मिन् स चान्द्रव्रतिकेनृपः ॥३०९॥

प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकर्मसु ।

दुष्टसामन्तहिंस्रश्च तदाग्नेयं व्रतं स्मृतम् ॥३१०॥

जैसे पूर्ण चन्द्र को देखकर मनुष्य हर्ष को प्राप्त होता है वैसे ही अमात्यादि जिस राजा के देखने से प्रसन्न हो वह राजा चन्द्र व्रत करने वाला है ॥३०९॥ पाप करने वालों पर सदा अग्निवत् जाज्वल्यमान रहे, तथा दुष्टवीरों की भी हिंसा के स्वभाव वाला हो। यह अग्नि का व्रत है ॥३१०॥

यथा सर्वाणि भूतानि घरा धारयते समम् ।

तथा सर्वाणि भूतानि विभ्रतः पार्थिवं व्रतम् ॥३११॥

एतैरुपायैरन्यैश्च युक्तो नित्यमतन्द्रितः ।

स्तेनान्राजा निगृह्णीयात्स्वराष्ट्रे पर एव च ॥३१२॥

जैसे पृथिवी सबको घराघर धारण करती है वैसे राजा भी सब प्राणियोंका घराघर पालन पोषण करे। यह पृथिवीका काम है ॥३११॥ इन उपायों तथा अन्य उपायों से सदा आलस्य रहित राजा चोरों को जो अपने या दूसरे के राज्य में (भाग गये) हों, वश में करे ॥३१२॥

परामप्यापदं प्राप्तो ब्राह्मणान् प्रकोपयेत् ।

ते ह्येनं कुपिता हन्युः सद्यः सबलवाहनम् ॥३१३॥

“यै. कृत. सर्वमक्षोऽग्निरपेयश्च महोदधिः ।

क्षयी चाप्यायितः सोम. को न नश्येत्प्रकोप्य तान् ॥४१३”

(कोशक्षयादि) बड़ी विपत्ति को प्राप्त हुआ भी राजा ब्राह्मणों को रूष्ट न करे क्योंकि वे क्रुद्ध हुवे सेना, हाथी, घोड़ा आदि सहित इस राजा कोशीघ्न नष्ट कर सकते हैं (दीर्घदृष्टि से विचारा जावे तो निसन्देह विद्या और विद्वानों के विरोधी का राज्य बहुत दिन तक नहीं रह सकता) ॥३११॥ जिन्होंने अग्नि को सर्वभक्षी और समुद्र को खारा कर दिया और क्षयी चन्द्र को आप्यायित किया उनको रूष्ट करके कौन नाश को प्राप्त न होगा ॥३१४॥

'लोकानन्यान्सृजेयुर्ये लोकपालांश्च कौपिता ।

देवान्कुर्युरदेवांश्च कश्चिद्वंस्तान्समृध्नुयान् ॥३१५॥

यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति लोका देवाश्च सर्वदा ।

ब्रह्म चैव धनं येषां को हिंस्यात्तान्जिजीविषु ॥३१६॥'

'जो कोप को प्राप्त हुवे दूसरे लोको को उत्पन्न कर दे, ऐसी सम्भावना है। और देवतो को अदेव कर दें तब उनके पीडा देता हुआ कौन वृद्धि को प्राप्त होगा ? ॥३१५॥ जिनका आश्रय करके सर्वदा देव तथा लोक ठहरे हैं और वेद है धन जिन का उनको जीने की इच्छा करने वाला कौन दुःखी करेगा ? ॥३१६॥'

"अविद्वांश्चैव विद्वांश्च ब्राह्मणोऽद्वैतं महत् ।

प्रणीतश्चाऽप्रणीतश्च यथाऽग्निर्देवतं महत् ॥३१७॥

श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति ।

हूयमानश्च यज्ञेषु भूय एवामिवर्षते ॥३१८॥

'जैसे अग्नि प्रणीत हो वा अप्रणीत हो-महती देवता है, ऐसेही मूर्ख ब्राह्मण हो वा विद्वान् हो-महती देवता है ॥३१७॥ तेज वाला अग्नि श्मशानों में भी (शव को जलाता हुआ) दोषयुक्त नहीं होता, किन्तु फिरसे यज्ञमें हवन कियाहुवा वृद्धिको पाता है ॥३१८॥'



‘एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु ।

सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत् ॥३१९॥’

‘यद्यपि इस प्रकार सम्पूर्ण कुत्सित कर्मों में रहते हैं तथापि ब्राह्मण सर्व प्रकार से पूजन योग्य हैं, क्योंकि वे महती देवता हैं।’

(३१४ से ३१९ तक ६ श्लोक ब्राह्मणों की असम्भव प्रशंसा से युक्त हैं क्योंकि अग्नि को सर्वभक्षी और समुद्र को अपेय (खारा) ब्राह्मणों ने नहीं किन्तु प्रथमाध्याय के अनुसार परमात्मा ने ही इन को अग्नि २ स्वभावयुक्त बनाया है। और चन्द्रमा की क्षय वृद्धि भी सूर्य के प्रकाश पहुँचने में थिलक्षणाता के कारण होती है। यह विषय निरुक्तार्थिके प्रमाण पूर्वक हमने साम वेद भाष्य में लिखा है। ब्राह्मणों का नवीन सृष्टि बना सकना भी कितनी अन्युक्ति नहीं धरन असंभव है। अविद्वान् को ब्राह्मण और पूज्य मानना भी पक्षपात पूर्वक लेख तथा यथाकाष्ठमयोर्हस्ति इत्यादि पूर्वोक्त मनु वचनों से विरुद्ध है। यज्ञ में शूद्र के घर का अग्नि भी वर्जित है, तब श्मशान (चिता) के अग्नि को निर्दोष मानना और उस दृष्टान्त से कुकर्मी ब्राह्मण को भी निर्दोष सिद्ध करना पूर्वोक्त अनेक मनु वचनों के साक्षात् विरुद्ध है) ॥३१९॥

क्षत्रस्यानिप्रवृद्धस्य ब्राह्मणान्प्रति सर्वाशः ।

ब्रह्मं च संनियन्तु स्यात्क्षत्रं हि ब्रह्मभवं ॥३२०॥

ब्राह्मणों के सर्वाश पीडा देने में प्रवृत्त क्षत्रियों को ब्राह्मण ही अच्छी प्रकार नियम में रखने क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मणों से (संस्कार के जन्म से) उत्पन्न हैं ॥३२०॥

अद्भ्योऽग्निर्ब्रह्मनःक्षत्रमश्मनो लोहसुत्थितम् ।

तेषां सर्वत्रगं तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति ॥३२१॥

नाऽब्रह्मक्षत्रमध्नेति, नाऽक्षत्रं ब्रह्मवर्धते ।

ब्रह्मक्षत्रं च संयुक्तमिदं चामुत्रवर्धते ॥३२२॥

जल ब्राह्मण और पाषाण से उत्पन्न हुवे क्रम से अग्नि, क्षत्रिय और शत्रो का तेज सब जगद् तीव्रता करता है, परन्तु अपने उत्पन्न करने वाले कारणो मे शान्त हो जाता है ॥३२१॥ ब्राह्मण रहित क्षत्रिय वृद्धि को प्राप्त नहीं होता वैसे ही क्षत्रिय रहित ब्राह्मण भी वृद्धि को नहीं प्राप्त होता । इसलिये ब्राह्मण क्षत्रिय मिले हुवे इस लोक तथा परलो क में वृद्धि को पाने है ॥३२२॥

दत्त्वा धनंतु विप्रैभ्यः सर्वं दण्डसमुत्थितम् ।

पुत्रे राज्यं समासृज्य कुर्वीत प्राणं रणे ॥३२३॥

एवं चरन्सदा युक्तो राजधर्मेषु पार्थिवः ।

हितेषु चैव लोकस्य सर्वान्भृत्यान्प्रयोजयेत् ॥३२४॥

दण्ड का सम्पूर्ण धन ब्राह्मणो को देकर और पुत्र को राज्य समर्पण करके राजा रण मे प्राण त्याग करे ॥३२३॥ राजधर्म मे सदा युक्त रह कर इस प्रकार आचरण करता हुवा राजा सब लोगोके हितके लिये सम्पूर्ण नौकर चाकरो की योजना करे ॥३२४॥

एषोऽखिलः कर्मविधिरुक्तो राज्ञः सनात . ।

इमं कर्मविधिं विद्यात्क्रमशो वैश्यशूद्रयोः ॥३२५॥

वैश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहम् ।

वार्त्तायां नित्ययुक्तः स्यात्पशूनां चैव रक्षणे ॥३२६॥

यह राजा का सम्पूर्ण सनातन कर्मविधि कहा । अब (आगे कहा ) यह वैश्य शूद्रो का कर्म विधि जाने ॥३२५॥ उपनयनादि



संस्कार किया हुआ वैश्य विवाह करके व्यापार तथा पशुपालन में सदा युक्त होने ॥३२६॥

प्रजापतिर्हि वैश्याय मृष्ट्वा परिददे पशून् ।

ब्राह्मणाय च राजे च सर्वाःपरिददे प्रजाः ॥३२७॥

न च वैश्यस्य कामःस्यान्न रक्ष्यं पशूनिति ।

वैश्येचेच्छानि नाऽन्येन रक्षितव्याः कथञ्चन ॥३२८॥

क्योंकि ब्रह्मा ने पशु अन्यत्र करके ( रक्षा के लिये ) वैश्य को देदिये और ब्राह्मण तथा राजा को सब प्रजा ( रक्षा के लिये ) देनी हैं ॥ ३२७ ॥ मैं पशुओं की रक्षा नहीं कहूँ ऐसी वैश्य की इच्छा न होनी चाहिये और वैश्य के चाहने हुए दूसरे को पशु पालन वृत्ति कभी न करनी चाहिये ॥ ३२८ ॥

मणिमुक्ताप्रवालानां लौहानां तान्त्रस्य च ।

गन्धानां च रसानां च विद्यादर्धवलावलम् ॥३२९॥

बीजानामुप्तिविच्च स्यात्क्षेत्रदोषगुणस्य च ।

मानयोगं च जानीयात्तु लायोगांश्च सर्वाशः ॥३३०॥

मणि मोती मूझा लोहा और कण्डा तथा कर्पूरादि गन्ध और लवणादि रसों का घटी बढी का भाव वैश्य जानें ॥ ३२९ ॥ सब बीजों के बोने की विधि और खेत के गुण दोष और सब प्रकारके नाप तोल का भी जानने वाला ( वैश्य ) हो ॥ ३३० ॥

सारासार च भाण्डानां देशानां च गुणागुणान् ।

लाभालाभं च परयानां पशूनां परिवर्धनम् ॥३३१॥

भृत्यानां च भृति विद्याभक्षाश्च विविधानृणाम् ।

द्रव्याणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च ॥३३२॥



अन्नके अन्नके बुरे हा हात और देशोमे सस्ते मङ्गे आदि गुण  
अवगुण का भाव और विक्री के 'लाभ हानि का वृत्तान्त तथा  
पशुओं के बढ़ने का उपाय (जाने) ॥३३१॥ और नौकरों के वेतनो  
तथा नाना देश के मनुष्यों की बोली और माल के रखने की  
विधि तथा बेचने खरीदने का ढङ्ग (वैश्यको जानना चाहिये) ॥३३२  
धर्मण च द्रव्यवृद्धावातिष्ठेद्यत्नमुत्तमम् ।

दद्याच्च सर्वाभूतानामन्नमेव प्रयत्नतः ॥३३३॥

विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम् ।

शुश्रूषेव तु शूद्रस्य धर्मो नैश्रेयसः परः ॥३३४॥

(वैश्य) धर्म से धन के बढ़ाने में पूरा यत्न करे और सब  
प्राणियों को यत्न से अन्न अवश्य पहुँचावे ॥३३३॥ वेद के जानने  
वाले विद्वान् गृहस्थ यशस्वी ब्राह्मणादि की सेवा ही शूद्र का  
परम सुखदायी धर्म है ॥३३४॥

शुचिरुत्कृष्टश्रुपुर्मृदुवागऽनहंकृतः ।

ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्नुते ॥३३५॥

एषोऽनापदि वर्णानामुक्तः कर्मविधिःशुभः ।

आपद्यपि हि यस्तेषां क्रमशस्तं निबोधन ॥३३६॥


स्वच्छ रहने वाला अच्छा मेहनती और नम्रतासे बोलने वाला  
तथा अहङ्काररहित नित्य ब्राह्मणादि की सेवा करने वाला शूद्र  
उच्च जातिको प्राप्त हो जाता है ॥३३५॥ यह वर्णों का आपत्ति  
रहित समय में शुभ कर्म विधि कहा, अब जो उनका कर्म विधि  
है (दशमाध्याय में) उसको सुनो ॥३३६॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे (भृगुप्रोक्तायां संहितायां )

नवमोऽध्यायः ॥६॥

ओ३म्

## अथ दशमोऽध्यायः



अधीयीरंस्त्रयोवर्णाः स्वकर्मस्था द्विजातयः ।

प्रब्रूयाद्ब्राह्मणस्त्वेपां नेतराविति निश्चयः ॥१॥

सर्वेषां ब्राह्मणोविद्याद् वृत्त्युपायान्यथानिधि ।

प्रब्रूयादितरेभ्यश्च स्वयं चैव तथा भवेत् ॥२॥

अपने कर्ममे स्थित द्विजाति (ब्राह्मणादि) तीन वर्णा (वेद) पढे और ब्राह्मण इन को पढावे । इतर (क्षत्रिय वैश्य) न पढावे । यह निर्णय है ॥१॥ ब्राह्मण सब वर्णों का जीवनोपाय यथा शास्त्र जाने और उनके बतावे और आप भी यथोक्त कर्म करे ॥२॥

वैशेष्यात्प्रकृतिश्रैष्ठ्यानियमस्य च धारणात् ।

संस्कारस्य विशेषाश्च वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः ॥३॥

ब्राह्मणः क्षत्रियोवैश्यस्त्रयो वर्णाद्विजातयः ।

चतुर्थैकजातिस्तु शूद्रोनास्ति तु पञ्चमः ॥४॥

विशेषतः स्वाभाविक श्रेष्ठता नियम के धारण करने तथा संस्कार की अधिकता से सब वर्णों का ब्राह्मण प्रभु है ॥३॥ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीन वर्णा द्विजाति हैं, चौथा शूद्र एक जाति है पञ्चम वर्ण नहीं है ॥४॥

सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु ।

आनुलोम्येन संभूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥५॥

स्त्रीष्वनन्तरजातासु द्विजैरुत्पादितान्सुतान् ।

सदृशानेव तानाहुर्मृतुदेपविगर्हितान् ॥६॥

ब्राह्मणादि चार वर्णों में अपने समान वर्ण की (विवाह से पूर्व) पुरुष सम्बन्ध से रहित पत्नियों में क्रम से जो सन्तान उत्पन्न हों उनको जाति से वे ही जानना चाहिये । (इस प्रकरण में जो जातियों का विचार है सो इस लिये है कि गर्भाधान से लेकर जन्मपर्यन्त हुए संकारों के प्रभाव से जन्म काल में वह उस २ नामसे पुकारने योग्य है । परन्तु यह कथन उस अपवादका बाधक नहीं जो विपरीत आचरणादि से वर्णव्यवस्था स्थापन में मानव शास्त्रका सिद्धान्त है) ॥५॥ क्रम के साथ अपने से (अर्थात् ब्राह्मण से क्षत्रिया में क्षत्रिय से वैश्या में इस प्रकार) एक नीचे की हीन जाति की स्त्रियों में द्विजों के उत्पन्न किये हुवे सन्तानों को माताकी जातिसे निन्दित, पिता समान ही (पतित) कहते हैं ॥६॥

अनन्तरासु जातानां विधिरेप सनातनः ।

द्वयेकान्तरासु जातानां धर्म्यं विद्यादिमं विधिम् ॥७॥

ब्राह्मणाद्वैश्यकन्यायामम्बुष्टो नाम जायते ।

निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते । ८॥

अपने से एक वर्ण हीन स्त्रियों में उत्पन्न हुवों का यह सनातन विधि कहा अब दो वर्ण हीना स्त्रियोंमें (जैसे ब्राह्मण से वैश्या में) उत्पन्न हुवों का यह धर्मविधि जाने कि- ॥७॥ ब्राह्मण से वैश्या वन्या में "अम्बुष्ठ" नाम उत्पन्न होता है और ब्राह्मण से शूद्र वन्या में "निषाद" जिसको 'पारशव' भी कहते हैं ॥८॥

क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां क्रूराचारविहारवान् ।



क्षत्रशूद्रवपुर्जन्तु स्रोनाम प्रजायते ॥६॥

त्रिप्रस्य त्रिषु वर्णेषु नृपतेर्नार्णयोद्धृथाः ।

वैश्यस्य वर्णे चैकस्मिन्पडेतेऽसदाः स्मृताः ॥१०॥

क्षत्रिय से शूद्र कन्या में क्रूर आचार विहारवाला और क्षत्रिय शूद्र शरीरवाला 'उग्र' नामक उत्पन्न होता है ॥९॥ ब्राह्मण के तीन वर्णों की (क्षत्रियादि भ्रिगों) में और क्षत्रिय के २ (वैश्या वा शूद्रा) में तथा वैश्यके १ (शूद्रा) में (उत्पन्न हुये) ये छ "अपसद" कह गये हैं ॥१०॥

क्षत्रियाडिराकन्यायां सूत्रो भवति जानितः ।

वैश्यान्भागधनदेहां राजत्रिप्राङ्गनासुतौ ॥११॥

शूद्रादायोगवःक्षत्ता चण्डालश्चाऽथमोनृणाम् ।

वैश्यराजन्यविप्रानु जायन्ते वर्णमकराः ॥१२॥

(ये अनुलोम कह कर अथ प्रतिलोम कहते हैं) क्षत्रिय से ब्राह्मण की कन्या से 'सूत' नाम जाति में होता है और वैश्य से क्षत्रिया से भागध' तथा वैश्य से ब्राह्मणी से 'वेदेह' नाम उत्पन्न होते हैं ॥११॥ शूद्र से वैश्या क्षत्रिया तथा ब्राह्मणी में क्रम के साथ 'आयोगव' "क्षत्ता" और 'चण्डाल' अधम, ये (श्लोक ६ से यहा तक कहे) मनुष्यो में वर्णसङ्कर उत्पन्न होने हैं ॥१२॥

एकान्तरे त्वानुलोम्यादभ्यष्टोत्रौ तथास्मृता ।

क्षत्तृवैदेहकां तद्वत्प्रातिलांभ्येऽपि जन्मनि ॥१३॥

पुत्रा येऽनन्तरस्त्रीजाः क्रमेणोक्ता द्विजन्मनाम् ।

ताननन्तरनाम्नस्तु मातृदापात्प्रचक्षते ॥१४॥

एक के अन्तर धातु वर्ण में अनुनासिक में जित अक्षर और उग्र कहें वैसे ही प्रतिलोम में जन्म में "लता" और "वेदे" कहें हैं ॥१३॥ द्विजन्माश्रु के जन्म में कहे हुए अन्तर (एक वर्ण लीची) श्रु में उपजत हुए पुत्रों को माता के देण्ड में "अन्तर" नाम से कहते हैं ॥१४॥

ब्राह्मणादुग्रकन्यायामाधृतो नाम जायते ।

आभीरोऽवपुःकन्यायामायागव्यांतु धिग्वणः ॥१५॥

आयागवश्च क्षत्ता च चण्डालश्चाऽधमोऽनृणाम् ।

प्रातिलोम्येन जायन्ते शूद्राऽपमदास्त्रयः ॥१६॥

ब्राह्मणों में "उग्र" कन्या में "आधृत" नाम मन्वान और "अवपुः" कन्या में "आभीर" नाम उपजता है तथा "आयागव" कन्या में उपजत हुआ "धिग्वण" कहलाता है ॥१५॥ आयागव क्षत्ता चण्डाल ये मनुष्यों में तान अरु प्रतिलोम में उपजत शूद्रों में भी निरुद्ध हैं ॥१६॥

वंश्यान्मागधवंदेहो क्षत्रियात्सूत एव तु ।

प्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपमदास्त्रय ॥१७॥

जातोनिपादाच्छूद्राणां जात्या भवति पुषसः ।

शूद्राज्जातोनिपादां तु स वैकुक्कुटकः स्मृतः ॥१८॥

पूर्वोक्त प्रकार वंश्य से मागध और वंदेह तथा क्षत्रिय से मृत ये भी प्रतिलोम में अन्य ३ निरुद्ध उपजते हैं ॥१७॥ निपाद से शूद्रों में उपजत हुआ "पुष्कम" जाति से होता है और शूद्रों में निपाद की कन्या में उपजत हुआ "वैकुक्कुटक" कहा गया है ॥१८॥

क्षत्तुर्जातस्तथे ग्रायां श्यपाक इति कील्येन ।

वैदेहकेन त्वम्यष्टयामुत्पन्नो वेण उच्यते ॥१९॥

द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्यव्रतांस्तुयात् ।

तान्सावित्रीपरिभ्रष्टान् ब्राह्म्यानिनि विनिदिशन् ॥२०॥

ऐसे ही क्षत्रा से उग्र की कन्या में उत्पन्न हुआ 'श्वपाक' कहाना और वैदेह से अम्यष्टी में (उत्पन्न हुआ) "वेण" कहाना है ॥१९॥ द्विजाति अपने वर्ण की स्त्री में सम्भार रहित जिन पुत्रों को उत्पन्न करते हैं उन समय पर उपनयन वेदारम्भ रहितों को "ब्राह्म्य" कहना चाहिये ॥२०॥

ब्राह्म्यात्तु जायते विप्रात्पापात्मा भूर्जकण्टकः ।

श्रावन्त्यवाटधानौ च पुष्पधः शैल एव च ॥२१॥

भल्लोमल्लश्च राजन्याद् ब्राह्म्यान्निच्छिविरिव च ।

नटश्च करणश्चैव खसो द्रविड एव च ॥२२॥

ब्राह्म्य ब्राह्मण से पापान्मा "भूर्जकण्टक" उत्पन्न होता है और उसी के (द्विज भेद में) श्रावन्त्य वाटधान पुष्पध और शैल भी कहते हैं ॥२१॥ (ब्राह्म्य) क्षत्रिय से नट मन निच्छिवि, नट, करण खस और द्रविड नामक उत्पन्न होते हैं ॥२२॥

दौश्यात्तु जायते ब्राह्म्यान्मुधन्वाचार्य एव च ।

कान्द्रपश्च विजन्माच मैत्रः मान्वतएव च ॥२३॥

त्यभिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन च ।

स्वकर्मणां च त्यागेन जायन्ते वर्णमङ्गराः ॥२४॥

ब्राह्म्य वैश्य से मुधन्वाचार्य का रूप, विजन्मा मैत्र और मान्वत नाम वाले उत्पन्न होते हैं (य सब नाम पर्यायवाची देश

भेद से समर्थ) ॥२३॥ ब्राह्मणादि वर्णों से अन्योन्य स्त्री के गमन और सगोत्रादि अगम्यां मे विवाह करने तथा अपने कर्म के छोड़ने से वर्णसङ्कर उत्पन्न होते हैं ॥२४॥

संकीर्णयोनयो ये तु प्रतिलोमाऽनुलोमजाः ।  
अन्योन्यव्यतिपक्ताश्च तान्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥२५॥  
सूतौ वैदेहकश्चैव चण्डालश्च नराधमः ।  
मागधः क्षत्रजातिश्च तथाऽऽयोग्य एव च ॥२६॥

जो संकीर्ण योनि प्रतिलोम अनुलोम के परम्पर सम्बन्ध से उत्पन्न होती हैं, उनको विशेष करके मैं आगे कहता हूँ ॥२५॥ सूत वैदेह चण्डाल ये अधम मनुष्य और मागध, क्षत्र तथा आयोग्यः-॥२६॥

एतेषु सदृशान्वर्णाञ्जनयन्ति स्वयोनिषु ।  
मातृजात्यां प्रसूयन्ते प्रवरासु च योनिषु । २७॥  
यथा त्रयाणां वर्णानां द्वयोरात्माऽस्य जायते ।  
आनन्तर्यास्वयोन्यांतु तथावाह्येष्वपि क्रमात् ॥२८॥

ये छः स्वयोनि मे स्त्रिय सुतोत्पत्ति करते हैं और अपने से उत्तम योनियो में जन्मे तो मातृ जाति में गिने जाते हैं ॥२७॥ जैसे तीनों वर्णों मे दो मे से इस पुरुष का आत्मा उत्पन्न होता है और अनन्तर होने से अपनी योनि मे गिना जाता है वैसे ही इन बाह्य वर्णसङ्करों मे भी क्रम से जानो ॥२८॥

ते चापि बाह्यान्सुब्रह्मस्ततोऽप्यधिकदूषितान् ।  
परस्परस्य दारेषु जन्गन्ति विगर्हितान् ॥२९॥

यथैव शूद्रो ब्राह्मण्यां ब्राह्मं जन्तुं प्रसूयते ।

तथा ब्राह्मन्तरं ब्राह्मश्चातुर्वर्ण्ये प्रसूयते ॥३०॥

वे (पूर्वोक्त) आयोगवादि भी परम्पर जाति की स्त्री से बहुत से उन से भी अधिक दुष्ट और निन्दित सन्तान उत्पन्न करते हैं ॥२९॥ जैसे शूद्र ब्राह्मणी से अधम जीव को उत्पन्न करता है वैसे ही चारों वर्णों में वे अधम उन से भी अधमों को उत्पन्न करते हैं ॥३०॥

प्रतिकूलं वर्त्तमानावाह्याब्राह्मतरान्पुनः ।

हीनाहीनान्प्रसूयन्ते वर्णान्पञ्चदशैः तु ॥३१॥

प्रसाधनोपचारज्ञमदासं दासजीवनम् ।

सैरिन्द्रं वागुरावृत्तिं सूते दस्युयोगवे ॥३२॥

प्रतिकूल चलने वाले अधम चाण्डालादि तीन, चारों वर्णों की स्त्रियों में अपने से अधिक अधम सन्तान को उत्पन्न करते हैं तो एक से एक हीन पन्द्रह वर्ण उत्पन्न होते हैं (चार वर्णों की स्त्रियों में तीन अधमों के तीन २ ऐसे बारह निकृष्ट सन्तान और उनके पिता तीन अधम ऐसे पन्द्रह उत्पन्न होते हैं) ॥३१॥ बंगलों में कंधी आदि करना और चरणादि का धोना और स्नानादि का करवाना, इस प्रकार के कामसे वा जाल फ से बांधकर जीने वाला "सैरिन्द्र" नाम (आगे कहे हुवे) दस्यु से आयोगव उत्पन्न होता है ॥३२॥

मैत्रेयकं तु वैदेहो माधुकं मंप्रसूयते ।

नृन्प्रशंसत्यजस्रं यो घण्टताडोऽरुणोदये ॥३३॥

नेपांशु मार्गवं सूते दातानौकर्मजीविनम् ।

कैवर्त्तमिति यं प्राहुरार्यावर्त्तनिवासिनः ॥३४॥

आयोगवी वैदेह से मधुरभापी 'मैत्रेयक' को उत्पन्न करती है जो कि प्रातःकाल घण्टा बजाकर राजा आदिकों की निरन्तर स्तुति करता है ॥३३॥ निषाद और आयोगवी से 'दास' इस दूसरे नाम वाजा नाव के चलाने से जीवन वाला भार्गव उत्पन्न होता है जिसको आर्यावर्त्त निवासी लोग 'कैवर्त्त' कहते हैं ॥३४॥

मृतवस्त्रमृत्सु नारीषु गर्हितान्नाशनासु च ।

भवन्त्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः पृथक् त्रयः ॥३५॥

कारावरो निषादात्तु चर्मकारः प्रसूयते ।

वैदेहिकान्ध्रमेदौ वहिर्ग्रामप्रतिश्रयौ ॥३६॥

मृतक के वस्त्र को पहनने वाली और उच्छिष्ट अन्न को भोजन करने वाली आयोगवी में अलग २ जातिहीन (तीन पुरुषों के भेद से) ये तीन उत्पन्न होते हैं ॥३५॥ निषाद से तो कारावराख्य चर्मकार" उत्पन्न होता है और वैदेह से "अन्ध" और 'मेद'" ग्राम के बाहर रहने वाले उत्पन्न होते हैं ॥३६॥

चण्डालात्पाण्डुसोपाकस्त्रकसारव्यवहारवान् ।

आहिण्डको निषादेन वैदेह्यामेव जायते ॥३७॥

चण्डालेन तु सोपाको मूलं व्यसनवृत्तिमान् ।

पुक्कस्यां जायते पापः सदा सज्जनगर्हितः ॥३८॥

चण्डाल से वैदेही में ही "पाण्डु सोपाक" नामक वांसके सूय पंखा आदि बनाने से जीने वाजा उत्पन्न होता है । और निषाद से वैदेही में ही "आहिण्डक" उत्पन्न होता है ॥३७॥ चण्डाल से पुक्कसी में पापात्मा सदा सज्जनो से निन्दित और जल्लाद वृत्ति

वाला "सोपाक" उत्पन्न होता है ॥३८॥

निपादस्त्री तु चण्डालात्पुत्रमन्त्यावसायिनम् ।

श्मशानगोचरं स्रुते ब्राह्मणामपि गर्हितम् ॥३९॥

सङ्करेजातयस्त्वेताः पितृमातृप्रदर्शिताः ।

प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वकर्मभिः ॥४०॥

निपाद की स्त्री चण्डाल में अधमों में भी निन्दित और चण्डालों से अतिनिरुद्ध श्मशान निवामी और उसी वृत्ति से जीने वाला पुत्र उत्पन्न करती है ॥३९॥ वर्णसङ्करों में ये जाति बाप और मां के भेद में दिखाई । इन ढकी या खुली हुडियों को अपने २ कर्मों से जानना चाहिये ॥४०॥

सजातिजानन्तरजाः पट्सुता द्विजधर्मिणः ।

शूद्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽप्यध्वंसजाः स्मृताः ॥४१॥

तपोवीजप्रभावैस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे ।

उत्कर्षं चापकर्षं च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥४२॥

द्विजातितों के समान जाति वाले (तीन पुत्र अर्थात् ब्राह्मण ब्राह्मणी से इन क्रम से ३ और अनुलोम से तीन अर्थात् ब्राह्मण से क्षत्रिया वैश्या में ये दो और क्षत्रिया से वैश्या में एक मिलकर ३ इस प्रकार) ये छ पुत्र द्विजधर्मी हैं । और (सूतादि प्रतिलोमज सब शूद्रों के समान कहे हैं ॥४१॥ तप प्रभाव से (विश्वामित्र-वत्) और वीज प्रभाव से (ऋष्यशृङ्गादिवत्) सब युगों में मनुष्य जन्म की उच्चता और (आगे कहे अनुसार) नीचता को भी प्राप्त होते हैं ॥४२॥

शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ।

वृषलत्वं गतालोके ब्राह्मणादर्शनेन च ।४३।

शैण्डकाश्चौडद्रविडाः काम्बोजायवनाः शकाः ।

पारदापल्लभाचीनः किराता ददाः खशाः ।४४।

ये क्षत्रिय जातिये क्रिया लोप से और (याजन अंध्यापन अश्रित्ता के (लिये) ब्राह्मणों के न मिलने से लोगों में धीरे २ शूद्रता को प्राप्त हो गई (जैसे - ) ॥४३॥ प्रौढिक ड्रविड, काम्बोज दवन शक, पारद, अपल्लव, चीन, किरात, दद, और खश ॥४४॥

मुखवाहूरुपज्जानां यां लोके जातयो बहिः ।

ग्लेच्छवाचश्चार्य वाचः सर्वेतेदस्यमः स्मृताः ।४५।

ये द्विजानामपसदा ये चापध्वन्सजाः स्मृताः ।

ते निन्दितैव त्रियेषु द्विजानामेव कर्मभिः ।४६।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों की (क्रियालोप से) अधम जातियें ग्लेच्छ भाषायुक्त वा आर्यभाषायुक्त सब 'दस्यु' कही गई हैं ॥४५॥ जो पूर्व द्विजों के अनुलोम से अपसद और प्रतिलोम से अपध्वंस कहे हैं वे द्विजोंके ही निन्दित कर्मोंसे आजीवन करें ॥४६॥

सूतानामश्वसारथ्यमम्बष्ठानां चिकित्सनम् ।

वैदेहकानां स्त्रीकार्यं मागधानां वणिक्पथः ।४७।

रत्नघातो निपादानां त्वष्टिस्त्वायोगवस्य च ।

मेदान्ब्रूचुञ्चुमद्गूनामारण्यपशुर्हिसनम् ।४८।

सूतो का (काम) अश्व का सारथी होना, अम्बष्ठो का चिकित्सा, वैदेहो का अन्तःपुर का काम और मागधो का वनियापन,





(इन कामों को करके ये जीवन करते हैं) ॥४७॥ निपादे 'क' मच्छी मारना और आयोग्य का लकड़ी तोड़ना और मेह अ न्द्र चुञ्च और मद्गुयो का जङ्गली जानवरोको मारना (पिशा) है ॥४८॥

क्षत्रुग्रपुक्कसानां तु विलोको वधवन्धनम् ।

धिग्घणानां चर्मकार्यं वेणानां भाण्डव दनम् ॥४९॥

चैत्यद्रुमश्मशानेषु शैलेषूपवनेषु च ।

वसेयुरेते विज्ञाता वर्तयन्त स्वकर्मभिः ॥५०॥

क्षत्रु अग्र पुक्कस, इनका (रोजगार) विल के रहने वाजे जानवरो को मारना और बांधना और धिग्घणो का चमड़ेका काम बनाना और वेणो का बाजा बजाना (काम) है ॥४९॥ ग्राम के समीप बड़े २ वृक्षोंके नीचे और श्मशान तथा पर्वत वाग वगीचो के पास अपने२ कामों को करनेसे प्रसिद्ध हुवे ये निवान करें ॥५०॥

चण्डालश्वपचानां तु वहिर्ग्रामात्प्रतिश्रयः ।

अपपात्राश्च कर्तव्या धनमेपां श्वगर्दभम् ॥५१॥

वाससि धृतचैलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम् ।

काष्णायिसमलङ्कारः परिव्रज्या च नित्यशः ॥५२॥

चण्डालों और श्वपचो का निवास ग्राम के बाहर और निपिद्ध पात्र वाले रखने चाहिये और इन का धन कुत्ता और गधा है ॥५१॥ इनके कपडे मुरदे के वस्त्र वा पुराने चिथड़े हो तथा फूटे धरतनो से भोजन लोहे के आमूपण और घूमना स्वभाव (यह इन का लक्षण है) ॥५२॥

न तैः समयमन्विच्छेत्पुरुषो धर्ममाचरन् ।

व्यवहारोमिथस्तेषां विवाहः सदृशैः सह ॥५३॥  
 अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद् भिन्नभाजने ।  
 रात्रौ न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च ॥५४॥

धर्मानुष्ठान के समय में इन(चण्डाल श्वपाक इत्यादि) के साथ देखना बोलना इत्यादि व्यवहार न करे । उनका व्यवहार और विवाह बराबर वालो के साथ हो ॥५३॥ इनको खपरे आदि में रखकर अलग से पराधीन अन्न देना चाहिये और वे रातको ग्रामो और नगरो मे न घूमे ॥५४॥

दिवाचरेयुः कार्यार्थं चिन्हिताराजशासनैः ।  
 अयान्धवं शवं चैव निर्हरैर्युरिति स्थितिः ॥५५॥  
 बध्यांश्च हन्युः सततं यथाशास्त्रं नृपाज्ञया ।  
 वध्यवाससि गृह्णीयुः शय्याश्चाभरणानि च ॥५६॥

वे राजा की आज्ञा से चिन्ह पाये हुवे काम के लिये दिन मे घूमें और बेवारिस मुर्दे कां ले जावें (यह मर्यादा है) ॥५५॥ यथाशास्त्र राजा की आज्ञा से निरन्तर फांसी के योग्यो को फांसी फांसी देवें और उस बध्य के कपड़े शय्या और आभरणो को प्रहण करें ॥

(३९ वें तक मनु ने व्यभिचारोत्पन्न वर्णसङ्करो की नाना प्रकार के नामों से उत्पत्ति कही । उस का तात्पर्य यह है कि उन की वर्णसङ्करता व्यभिचारजनित की वर्णसङ्करो को उत्पन्न न करें आर्यसन्तान की प्रसिद्धि रहे आगेको लोग व्यभिचार न करें उत्तरोत्तर उन्नति हो । परन्तु ४२ वे मे यह वता दिया है कि तप आदि के प्रभाव से नीचे ऊंचे होजाते हैं । तथा ४३ । ४४ मे पौण्ड्रकादि का ऊंचे से नीचा हो जाना कहा है । ४६ से ५६ तक

## दशमाऽध्याय



वर्णं मङ्करो के नीच तथा निन्दित काम राजद्वारा नियत किये हैं जिस से उन की नीच दशाको देख कर अन्यो को नीचत्व के मयके कारण व्यभिचारादि से घिन हो ) ॥५६॥

वर्णपितमविज्ञातं नरं कलुषयोनिजम् ।

आर्यरूपमिवानार्यं कर्मभिः स्वैर्विभावयेत् ॥५७॥

अनार्यता निष्ठुरता क्रूरता निष्क्रियात्मता ।

पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम् ॥५८॥

( सङ्कर से हुवे ) रङ्ग बदले और नहीं पहचाने जाते हुवे देखने में आर्य से परन्तु यथार्थ में अनार्य अधम पुरुष का निज २ कामों में निश्चय करे ॥५७॥ असभ्यपन और कठोर भाषणशीलता तथा कर्मानुष्ठान से रहितता ये लक्षण इस लोकमें नीचयोनिज पुरुष को प्रकट करते हैं ॥५८॥

पित्र्यं वा भजते शीलं मातुर्विमयमेव वा ।

न कथंचन दुर्योनिः प्रकृतिं स्वां नियच्छति ॥५९॥

कुले मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसङ्करः ।

संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्पमपि वा बहु ॥६०॥

यह वर्ण सङ्कर से उत्पन्न हुआ पुरुष, पितृसम्बन्धी दुष्ट स्वभाव अथवा माता का या दोनो का स्वभाव स्वीकार करता है किन्तु अपनी असलियत छिपा नहीं सकता ॥५९॥ बड़े कुलमें उत्पन्न हुवे का भी जिस का योनि से सङ्कर ( ढका छिपा ) हुआ है वह मनुष्य योनि का स्वभाव थोड़ा या बहुत पकड़ता ही है ॥६०॥

यत्र त्वेते परिष्वन्साज्जायन्ते वर्णद्वेषकाः ।





शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैतिशूद्रताम् ।  
क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यानाथैव च ॥६५॥  
अनार्यायां समुत्पन्नो ब्राह्मणात्तु यदृच्छया ।  
ब्राह्मण्यामप्यनार्यात्तु श्रेयस्त्वं क्वेतिचेद्भवेत् ॥६६॥

ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त हो जाता है और शूद्र ब्राह्मणता को प्राप्त होजाता है। क्षत्रिय से उत्पन्न हुवा भी इसी प्रकार और वैश्वे ही वैश्यसे हुवा पुरुष भी अन्य वर्ण को प्राप्त होता जानना चाहिये ॥६५॥ जो संयोगवश ब्राह्मणसे शूद्रा मे उत्पन्न हुवा और जो शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुवा, इन दोनों मे अच्छापन किस मे है यदि यह संशय हो ( तो उत्तर यह है कि—) ॥६६॥

जातो नार्यामनार्यायामार्यादार्योभवेद्गुणैः ।  
जातोऽप्यनार्यादार्यायामनार्य इति निश्चयः ॥६७॥  
त बुभ्रावप्यसंस्कार्याविति धर्मो व्यवस्थितः ।  
वांगुण्याज्जन्मनः पूर्वाउत्तरः प्रतिलोमतः ॥६८॥

१ अनार्या स्त्री में आर्य से उत्पन्न हुवा गुणो से आर्य हो सकता है और दो २ शूद्र से ब्राह्मणी स्त्री मे उत्पन्न हुवा गुणों से शूद्र उत्पन्न होना संभव है। यह निश्चय है ॥६७॥ धर्म की मर्यादा है कि १ पहला शूद्रमें उत्पन्न होने रूप जाति की विगुणता से और २ दूसरा प्रतिलोम से उत्पन्न होने के कारण, ऐसे ये दोनों उप नयन के अयोग्य हैं ॥६८॥

सुवीजं चैव सुद्वेजे जातं संपद्यते यथा ।  
तथार्याज्जातआर्यायां सर्गं संस्कारमर्हति ॥६९॥

बीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः ।

बीजक्षेत्रे तथैवान्ये तत्रेयां तु व्यवस्थितिः ॥७०॥

जैसे अच्छा बीज खेत में बोया हुआ समृद्ध हो जाता है। वैसे ही आर्या में आर्य से उत्पन्न हुआ सम्पूर्ण उपनयनादि संस्कार के योग्य है ॥६९॥ कोई विद्वान् बीज को और कोई खेत को और अन्य कोई दोनो को प्रधान कहते हैं। उनमें यह व्यवस्था है कि ॥७०॥

अक्षेत्रे बीजमुत्सृष्टमंतरेव विनश्यति ।

अबीजकमपि क्षेत्रं केवलं स्थण्डिलं भवेत् ॥७१॥

“यस्माद्बीजप्रभावेण तिर्यग्जाऋषयोऽभवन् ।

पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्माद्बीजं प्रशस्यते ॥७२॥”

ऊपर में बोया हुआ बीज भीतर ही नाश को प्राप्त हो जाता है और बीजरहित अच्छा भी खेत कोरा चौतरा ही रहेगा (इससे दोनो ही अपने २ गुण में मुख्य हैं। यहां तक बीज और क्षेत्र की प्रधानता के विवाद में गुणकर्मों का वर्णन नहीं है किन्तु स्वभाव जो कि प्रायः रज वीर्य के शुद्धाऽशुद्ध होने से शुद्धाऽशुद्ध होता है उसमें ही यह विचार प्रवृत्त किया है कि दोनोमें प्रबलता किसको है)

॥७१॥ बीज के माहात्म्य तिर्यग्योनि (अर्थात् हरिणादि से उत्पन्न हुवे शृङ्गी ऋष्यादि) ऋषिव पूजन और तुति को प्राप्त हुवे। इस से बीज की प्रधानता है (प्रथम तो तिर्यग्योनि में मनुष्ययोनि उत्पन्न नहीं हो सकती। दूसरे शृङ्गी ऋष्यादि की कथायें पीछे की है। मनु उन का भूतकाल करके वर्णन नहीं कर सकते थे) ॥७२॥

अनार्यमार्याकर्माण्यमार्य चानार्यकर्मिणाम् ।

संप्रधागाऽव्यधीद्वाता न समौ नाऽसमाविति ॥७३॥

द्विज, शूद्रोंके कर्म करने वाले और शूद्र द्विजों के कर्म करने वाले इनको ब्रह्मा ने विचार कर कहा कि न ये सम हैं न असम हैं ॥ (क्योंकि गुणों और स्वभावों के बिना केवल कर्म से अनर्थ आर्य नहीं होसकते । और गुणों तथा स्वभावोंसे युक्त आर्य केवल कर्महीन हो नानेने अनर्थ नहीं हो सकना । अर्थात् मनुनी रुइने हैं कि केवल कर्म से हम कोई व्यवस्था नहीं दे सकते । किन्तु गुणकर्मस्वभाव सबपर दृष्टि डालकर व्यवस्थापक विद्वान्वा समा को व्यवस्था देनीचाहिये । मेयातिथि कहतेहैं कि यहाँतक वर्णसङ्करो की निन्दा और कर्मों की प्रशंसारूप अर्थवाद ही है विधि वा निषेध कुछ नही ॥७३॥

ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ये स्मृत्कर्मण्यप्रस्थिताः ।

ते सम्यगुपजीवेयुः षट् कर्माणि यथाक्रमम् ॥७४॥

जो ब्रह्मयोनिस्थ ब्राह्मण हैं और अपने कर्मसे रहते हैं वे क्रम से अच्छे प्रकार ( इन ) छः कर्मों का अनुष्ठान करें ॥७४॥

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहश्चैव षट् कर्माण्यग्रजन्मनः ॥७५॥

पण्डितां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका ।

याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥७६॥

१ पढ़ना, २ पढ़ाना, ३ यज्ञ करना और ४ कराना, ५ दान देना और छः लेना ब्राह्मण के ये छः कर्म हैं ॥७५॥ छः कर्मों में से इस ब्राह्मण की तीन कर्म जीविका हैं १ यज्ञ करना २ पढ़ना और ३ शुद्ध ( द्विजातियो ) से दान लेना ॥७६॥







ब्राह्मण अपने यथोक्त ऋ. से विवाह न कर सकता हुआ (आपत्काल में) क्षत्रियके धर्म से अपना आजीवन करे, क्यों कि वह इस के समीप है ॥८१॥ देनां (ब्राह्मण और क्षत्रियों की जीविकाओं) से न जी सकता हुआ कैसे जीवन करे? ऐसा संशय हो तो कृषि और गोरक्षा करके (ब्राह्मण) वैश्य की जीविका करे ॥८२॥

वैश्यवृत्त्यापि जीमन्स्तु ब्राह्मणःक्षत्रियोऽपि वा ।

हिंसाप्रायां पराधीनः कृषिं यत्नेन वर्जयेत् ॥८३॥

कृषिसाध्विति मन्यन्ते साध्वृत्तिः सद्विगर्हिता ।

भूमि भूमिशयांश्चैव हन्ति काष्ठमयोमुखम् ॥८४॥

ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्यवृत्ति करके जीते हुवे भी बहुत हिंसा वाली और पराधीन खेती का यत्न से छोड़ दें ॥८३॥ "खेती अच्छी है ऐसा (कोई) कहते हैं। परन्तु यह वृत्ति साधुओं से निन्दित है क्यों कि कुदाल हलादि लोहा लगा हुआ काष्ठ भूमि और भूमि के रहने वाले जन्तुओं का भी नाश करता है ॥८४॥

इदं तु वृत्तिवैकल्यात्पयजतो धर्मनैपुण्यम् ।

विट्पण्यमुद्धृतोद्धारं विक्रयं वित्तार्थनम् ॥८५॥

सर्वान् रसानपोहेत कृतान्नं च तिलैः सह ।

अश्मनो लवणं चैव पशवो ये च मानवाः ॥८६॥

ब्राह्मण क्षत्रियों का अपनी वृत्ति के न होने या धर्म की यथोक्त निहा को छोड़ने हों तब वैश्य के बेचने योग्य द्रव्यों से आगे कहे हुवे को छोड़ कर धन वृद्धिकारक विक्रय करना योग्य है ॥८५॥ सम्पूर्ण रसों, पकाये अनाज तिलों के सहित पत्थर, नमक और मनुष्योंके पालनीय पशु, इन को न बेचे ॥८६॥

सर्वं च तान्तवन् रक्तं शाखदौमाधिकानि च ।

अपिचेत्स्युरऽरक्तानि फलमूले तथौपधीः ॥८७॥

अपःशस्त्रं विपं मांसं सोम गन्धांश्च सर्वशः ।

क्षीरं क्षौद्रं दधि घृतं तैलं मधुगुडं कुशान् ॥८८॥

सब रङ्गके तथा सन के कपड़े और रेशमी ऊनी रंगे कपड़े वा  
दिन रंगे भी हों और फल मूल तथा औपधियों के ( न बेचे )  
॥८७॥ जल, शस्त्र, वप, मांस, सोमबल्ली तथा सब प्रकार के  
गन्ध दूध, शहद, दही घी, तेल, मधु ( एक पुस्तक में मधु=मञ्जा  
पाठ है ) गुड़ और कुशा ( इन को भी न बेचे ) ॥८८॥

आरण्यांश्च पशून्सर्वाण्डंष्ट्रिणांश्च वयांसि च ।

मद्यं नीलिं च लाक्षां च सर्वांश्चैकशफांस्तथा ॥८९॥

काममुत्पाद्य कृष्यां तु स्वयमेव कपीव्रलः ।

विक्रीणीत तिलान्शुद्रान्घर्मार्थमर्चिरस्थितान् ॥९०॥

जङ्गली सब पशु तथा दांती वाले ( कुत्ते आदि ) और  
पक्षियों तथा मद्य, नील, लाख और एक खुर वाले घोड़े आदि  
( इन को भी न बेचे ) ॥८९॥ खेती नाला आप ही खेती में तिलों  
को उत्पन्न करके दूसरे द्रव्य से बिना मिलाये हुवे तिलों का बहुत  
दिन न रख कर बर्मकार्य में लगाने निमित्त चाहे तो शूद्रों को  
विक्रय कर दे ।

'शूद्रान्' की जगह 'शुद्धान्' पाठ की ज्यों टीकाकारों ने  
व्याख्या की है 'शूद्रान्' की किसी ने नहीं । परन्तु ५ मूल पुस्तकों  
को छोड़ शेष २५ पुस्तकोंमें मूलका पाठ 'शूद्रान्' ही है । ८९ वें सं  
आगे एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक है कि-

[ त्रपु सीसं तथा लौहं तैजसानि च सर्वशः ।  
वालांश्चर्म तथाऽस्थीनि स्नायूनि च वर्जयेत् ॥ ]

इस पर नन्दन का भाष्य भी है। अर्थ यह है कि रांग सीसा तथा लोहा और सब चमकीले धातु और बाल, चमड़ा तथा तात लिपटी हड्डी (न बचे)। जैसा महाभाष्य में तेल, मांस विक्रय का निषेध और मरुओं तथा गौ आदि के विक्रय की विधि कही है, वैसा ही यह है। क्या कि अत्यन्त मलिन और पापजनक वृत्ति से बचना चाहिये ॥९०॥

भोजनाभ्यञ्जनादानाद्यदन्यत्कुक्ते तिलैः ।

कृमिभृतः श्वविष्टायां पितृभिः सह मज्जति ॥६१॥

सद्यः पतति मांसेन लाक्ष्या लवणेन च ।

ज्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात् ॥६२॥

भोजन अभ्यञ्जन और दान के सिवाय जो कोई तिलों से और कुक्कुर करता है वह कृमि बन कर पितरों के सहित कुक्कुर की विष्टा में डूबता है ॥६१॥ मांस लाक्ष और लवण के बेचने से ब्राह्मण उम्मी समय पतित हो जाता है और दूध के बेचने से ( ब्राह्मण ) तीन दिन में शूद्रता का प्राप्त होना है ॥६२॥

इतरेषां तु पणानां विक्रयादिह कामतः ।

ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वैश्यभाव' नियच्छति ॥६३॥

रसा रसैर्निमातव्या नत्वेव लवणं रसैः ।\*

\* यद्यपि ८५ से ९४ तक १० श्लोकों को पहले ४ बार छापे में और ५ वीं बार भी मूची में प्रक्षिप्त लिखा गया, परन्तु अब विचार से वह अयुक्त जान कर बदल दिया है। तु०रा०स्वामी

कृतान्नं चाकृतान्नेन तिलाधान्येन तत्समाः॥६४॥

ब्राह्मण उक्त मांसादि से अतिरिक्त परियों को इच्छापूर्वक  
बेचने से सात दिन में वैश्य हो जाता है ॥९३॥ गुड़ादि का घृतादि  
से बदला कर लेवे, परन्तु लवण का इन से बदला न करे। सिद्ध  
कि या अन्न बिना सिद्ध क्रिये अन्न न बदल ले और तिल, धान्य  
के समान हैं ( धान्य से बदल लेवे ) ॥९४॥

जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः ।

नत्वेव ज्यायमीं वृत्तिमभिमन्तेत कर्हिचित् ॥६५॥

यो लोभादधमो जात्या जीवेदुत्कृष्टकर्मभिः ।

तं राजा निर्धनं कत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥६६॥

आयत्ति को प्राप्त क्षत्रिय भी इस विधि से ( वैश्यवन् ) जीवन  
करे, परन्तु कदापि ब्राह्मण की वृत्ति का अभिमान न करे ॥९५॥  
जो निकृष्ट जाति से उत्पन्न हुआ ( बिना व्यवस्थापकों से विधि  
पूर्वक उच्चता पाये आप ही आप ) लोभ से उत्कृष्ट जाति की  
वृत्ति करे उस को राजा निर्धन करके देश से निकाल देवे ॥९६॥

वरं स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः ।

परधर्मेण जीवन्हि सद्यः पतति जातितः ॥६७॥

वैश्योऽजीवन्स्वधर्मेण शूद्रवृत्त्यापि वर्चयेत् ।

अनाचरन्नकार्याणि निवर्त्तेत च शक्तिमान् ॥६८॥

अपना धर्म ( काम ) छोटा भी श्रेष्ठ है और दूसरे का अच्छा  
अनुष्ठान किया हुआ भी श्रेष्ठ नहीं क्यों कि पराये धर्म ( पेशे ) का  
आचरण करके जीविका करता हुआ उसी समय अपना जाति से  
पतित हो जाता है ॥९७॥ वैश्य अपनी वृत्ति से जीवन न कर  
सकता हुआ शूद्र वृत्ति (द्विजातियों की सेवा) भी करले परन्तु

अकार्य को छोड़ कर और हो सके तो सर्वथा ही बचे ॥९८॥

अशक्नुवन्तुशुश्रूषां शूद्रः कर्तुं द्विजन्मनाम् ।

पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत्कारुककर्मभिः ॥९९॥

यैः कर्मभिः प्रचरितैः शुश्रूष्यन्ते द्विजातयः ।

तान् कारुककर्माणि शिल्पानिविधेयानि च ॥१००॥

द्विजों की शुश्रूषा करने का असमर्थ शूद्र क्षत्रिया से पुत्र कलत्र आदि को कष्ट प्राप्त होते हुवे कारुक कर्मों (सूपकारत्वादि) से जीवन करे ॥९९॥ जिन प्रचरित कर्मों से द्विजातियों की शुश्रूषा करते हैं उन को और नाना प्रकार के शिल्पों को भी कारुक कर्म कहते हैं ॥१००॥

‘वैश्यवृत्तिमनातिष्ठन्ब्राह्मणः स्वे पथि स्थितः ।

अवृत्तिकर्षितः सीदन्निमं धर्मं समाचरेत् ॥१०१॥

सर्वतः प्रतिगृहीयाद् ब्राह्मणस्त्वनर्यं गतः ।

पवित्रं - दृष्यतीत्येतद् धर्मतो नोपपद्यते ॥१०२॥’

‘अपने मार्ग में स्थित ब्राह्मण जोविकार के न होने से पीड़ा प्राप्त हुआ वैश्यवृत्ति को भी न कर सके तो इस वृत्ति को करे कि:- ॥१०१॥ विपत्ति को प्राप्त हुआ ब्राह्मण सब से दान ले लेवे, क्योंकि पवित्र को दोष लगना धर्म से नहीं पाया जाता ॥१०२॥’

‘नाध्यापनाद्याजनाद्वा गर्हिताद्वा प्रतिग्रहान् ।

दोषोभवति विप्राणां ज्वलनाम्बुसमा हि ते ॥१०३॥

जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः ।

आकाशमिव पङ्केन न स पापेन लिप्यते ॥१०४॥’

ब्राह्मणों का निन्दित पढ़ाने और यज्ञ कराने तथा प्रतिग्रह से



दोष नहीं होता, क्यों कि वे पानी तथा आग के समान हैं (दो पुस्तकों में ज्वलनार्कसमाहिते और एक में 'ज्वलनार्कसमाहितः' भी पाठ भेद है) ॥१०३॥ जो प्राणायय को प्राप्त हुआ जहाँ तहाँ अन्न भोजन करता है, वह कीचड़ से आकाश के समान उम पाप से लिप्त नहीं होता ॥१०४॥

“अजीगर्तः सुतं हन्तुमुपासर्पद्वुभुक्षितः ।

न चालिप्यत पापेन क्षुत्प्रतीकारमाचरन् ॥१०५॥

श्वमांसमिच्छन्नातु धर्मा धर्म विचक्षणः ।

प्राणाना परिरक्षार्थं वामदेवो न लिप्तवान् ॥१०६॥”

अजीगर्त नाम ऋषि द्भुक्षित हुआ पुत्र को मारने चला, परन्तु क्षुधा के दूर करने को वैशा करता हुआ पाप से लिप्त नहीं हुआ ॥१०५॥ वामदेव धर्म अधर्म का जानने वाला क्षुधा से पीड़ित हुआ प्राण की रक्षार्थ कुत्ते के मांस खाने की इच्छा करता हुआ पाप से लिप्त नहीं हुआ ॥१०६॥

“भरद्वाज क्षुधात्तंस्तु सपुत्रो विजने वने ।

वह्नीर्गाः प्रतिजग्राह वृधोस्तक्ष्णो महातपाः ॥१०७॥

क्षुधात्तंश्चात्तु मभ्यागाद्विश्वामित्रः श्वजाघनीम् ।

चण्डालहस्तादादाय धर्माधर्मविचक्षणः ॥१०८॥”

‘बड़े तपस्वी पुत्र के सहित निर्जन वन में क्षुधा से पीड़ित हुए भरद्वाज ने वृधुनामा वृद्ध की बहुत सी गायों को शृणु किया ॥१०७॥ धर्म से अधर्म के जानने वाले विश्वामित्र ऋषि क्षुधा से पीड़ित हुए चण्डाल के हाथ से लेकर कुत्ते की जाँघ का मांस खाने को तैयार हुवे ।

( यद्यपि १०१ से १०४ तक भी श्लोक अमान्य हैं । क्यों कि आपत्काल में भी आपद्धर्म से नीचे नहीं गिरना चाहिये और पूर्व



मनु जी कइ भी आये हैं कि स्वधर्म त्याग से पतितता होती है । परन्तु यदि यहां आपत्काल का तात्पर्य प्राणसङ्कट हो अर्थात् कभी देवयोगमे कहीं ऐसा अवसर आजावे कि सर्वथा ही प्राण न बचने हों तो प्राणरक्षार्थ ये श्लोकमान्य भी समझे जा सकते हैं और प्राणों को भी धर्मार्थ न्यौछावर कर देना तो बहुत ही अच्छा है । परन्तु कोई २ विद्वान् जगत् के महान् उपासक हैं । यदि वे अपने प्राणों को परोपकारार्थ बचाने हुये निषिद्ध प्रतिग्रहादि ले भी ले और इस को धर्म भी मान लिया जावे तो इस में तो सन्देह ही नहीं कि १०५ से १०८ तक के ४ श्लोक तो अवश्य ही मनुप्रोक्त वा भृगु प्रोक्त भी नहीं, जिन में मनु से पश्चान् हुवे अजीगर्त वामदेव आदि की कथा को भूत काल से वर्णन किया है ॥१०८॥

प्रतिग्रहाद्याजनाद्वा तथैवाध्यापनादापि ।

प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गर्हितः ॥१०६॥

याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्कृतात्मनाम् ।

प्रातग्रहस्तु क्रियते शूद्रादप्यन्त्यजन्मनः ॥११०॥

प्रतिग्रह याजन अध्यापन, इन में दुरा दान लेना ब्राह्मणों को परलोक में बहुत नीचता का हेतु है ( इस लिये याजन अध्यापन से जब तक काम चले तब तक निन्दित प्रतिग्रह न लेवे ) ॥१०९॥ क्यो कि याजन और अध्यापन तो उपनयनादि संस्कार वाले द्विजों ही का सर्वदा किया कराया जाता है, परन्तु प्रतिग्रह तो अन्त्यजन्म वाले शूद्र से भी लिया जाता है ॥११०॥

जपहोमैरपेत्येनो याजनाध्यापनैः कृतम् ।

प्रतिग्रहनिमित्तं तु त्यागेन तपसैव च ॥१११॥

शिलोञ्छमप्याददीत विप्रोऽजीवन्यतस्ततः ।

प्रतिग्रहाच्छिलः श्रेयांस्ततोऽप्युञ्जः प्रशस्यते ॥११२॥

अर्थात् असन् याजन और अध्यापन से उत्पन्न हुआ पाप तो जप होमो से दूर हो जाता है परन्तु प्रतिग्रह निमित्तक पाप त्याग तथा तप से ही दूर होता है ॥१११॥ ब्राह्मण अपनी वृत्ति से जीवन न कर सकता हुआ इधर उधर से शिलोञ्छों को भी ग्रहण करे (अर्थात् शिलोञ्छों के होने हुए भी निन्दित प्रतिग्रह न ले) क्योंकि प्रतिग्रह से शिन चुगना श्रेष्ठ है और शिल से भी उञ्छ (चुगे पर चुगना) श्रेष्ठ है ॥११२॥

सीदद्भिः कुप्यमिच्छद्भिर्घनं वा पृथिवीपतिः ।

याच्यः स्यात्स्नातकैर्विप्रै रदित्मंस्त्यागमर्हति ॥११३॥

अकृतं च कृतात्क्षेत्राद् गौरजाविक्रमेव च ।

हिरण्यं धान्यमन्नं च पूर्वं पूर्वमदोषवत् ॥११४॥

सप्तवित्तागमा धर्म्या दायो लाभः क्रयो जयः ।

प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च ॥११५॥

विद्याशिल्पं मृतिः सेवा गौरक्षं विराणिः कृषिः ।

धृतिर्भैरव्यं कुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥११६॥

धान्य कुप्य और धन की इच्छा करने वाले, कुटुम्बादि पोषण के लिये धन के न होने से पांडित हुवे स्नातक विप्रो को राजा से याचना करनी योग्य है। परन्तु जो राजा देना नहीं चाहता, वह याचना करने योग्य नहीं है ॥११३॥ वनाये हुवे खेत से वे वनाया खेत, गाय, बकरी, भेड़, सोना, धान्य और अन्न मे (यथा-



सम्भव) पहिले २ में कम देय है ॥११४॥ धर्म से प्राप्त इन सात प्रकार के धनों का आगम धर्मानुकूल है—प्रथम वंश से चले आये हुवे धन का दाय भाग, दूमरा भूमि आदि से दवा धन मिल जाना, तीसरे बेचना, चौथे संप्राम मे जय करना, पांचवें व्याज आदि से बढ़ाना वा खेती करना आदि. छठा नौकरी करना और सातवां मज्जन से दान लेना ॥११५॥ ये दश जीवन के हेतु हैं.—  
१ विद्या २ कारीगरी, ३ नौकरी, ४ सेवा, ५ पशुरक्षा, ६ दुकान-दारी ७ खेती, सन्तोष, ९ भिक्षा और १० व्याज ॥११६॥

ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वृद्धिं नैव प्रयोजयेत् ।

कामंतु खलु धर्मार्थं दद्यात्सामीप्येऽन्यिकाम् ॥११७॥

चतुर्थमाददानोऽपि क्षत्रियो भागमापदि ।

प्रजारन्नपरं शक्त्या किल्बिशात्तानिमुच्यते ॥११८॥

ब्राह्मण और क्षत्रिय सूत्र से धन बढ़ाने को न दे । आपत्काल में चाहे तो धर्मकर्म निर्वाहार्थ नीच लोगों को थोड़ा धन दे दे और थोड़ी सी वृद्धि लेले ॥११७॥ आपत्काल में धनादि का चतुर्थ भाग भी चाहे ग्रहण करता हो, परन्तु शक्ति मे प्रजा की रक्षा करता हूँ आ राजा उस ( अधिक कर लेने के ) पाप से छूट जाता है ॥११८॥

स्वधर्मो विजयस्तस्य नाहवे स्यात्पराङ्मुखः ।

शस्त्रेण वैश्यान् रक्षित्वा धर्म्यमाहारयेद्बलिम् ॥११९॥

धान्ये षट्मं विशां शुल्कं विशां कार्यापणावरम् ।

कर्पोपकरणाः शूद्राः कारयन् शिल्पिनस्तथा ॥१२०॥

शत्रु का जय करना राजा का स्वधर्म है । संप्राम में पीठ न

देवे । शस्त्र से वैश्यों की रक्षा करके उन से उचित कर लेवे ॥११९॥ वैश्यों के धान्य उचग्र ( नके ) में आठवें भाग को राजा ग्रहण करे । और कार्पाण तक मर्राफ के भाग पर २० वां भाग ले । ( पहिले धान्य का १२ वां और मुवर्णादि का ५० वां कहा था, यह आपत्काल में अधिक कहा है ) । तथा शूद्र कारीगर बढ़ई आदि काम करके कार्यरूप ही कर देने वाले हैं ( इन सं विपत्ति में भी कर न लेवे ) ॥१२०॥

शूद्रस्तु वृत्तिमाकाङ्क्षन्क्षत्रमाराधयेद्यदि ।

धनिनं वाप्युपाराध्य वैश्यं शूद्रो जिजीविषेत् ॥१२१॥

स्वर्गार्थमुभयार्थं वा विप्रानाराधयेत्तु सः ।

जातब्राह्मणशब्दस्य सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥१२२॥

शूद्र यदि जीविका चाहे तो क्षत्रिय की सेवा करे अथवा धनी वैश्य की सेवा करके निर्वाह करे ॥१२१॥ स्वर्ग और अपनी वृत्तिकी इच्छा वाला शूद्र ब्राह्मण की सेवा करे । "ब्राह्मण का सेवक" इस शब्द ही से इस की कृतकृत्यता है ( "या तु ब्राह्मणमेवाऽस्य" यह एक पुस्तक में तृतीय पाद का पाठान्तर है ) ॥१२२॥

विप्रमेवैव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्त्यते ।

यदतोऽन्यद्वि कुरुते तद्भवत्यस्य निष्फलम् ॥१२३॥

प्रकल्प्या नस्य तैवृत्तिः स्वकुटुम्बाद्यथार्हतः ।

शक्तिं चावेक्ष्य दाक्ष्यं च भृत्यानां च परिग्रहम् ॥१२४॥

क्यों कि ब्राह्मणकी सेवा शूद्रको अन्य कर्मों से श्रेष्ठकर्म कहा है, इस लिये इस से अतिरिक्त जा कुछ करता है, वह इस का निष्फल है ॥१२३॥ उस परिचारक शूद्र की परिचर्या सामध्ये



और काम में चतुराई तथा उस के घर के पोष्यवर्ग का व्यय देख कर अपने घर के अनुसार उन ( द्विजों ) को जीविका नियत कर देनी चाहिये ॥१२४॥

उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानिवसनानि च ।

पुलाकारचैवधान्यानां जीर्णश्चैव परिच्छदाः ॥१२५॥

न शूद्रपातकं किञ्चिन्न च संस्कारमर्हति ।

नास्थाधिकारो धर्मेऽस्ति न धर्मात्प्रतिषेधनम् ॥१२६॥

भोजन में बचा अन्न और पुराने कपडे और धान्यों की छटन तथा पुराना बरतन भाण्डा देना चाहिये ॥१२५॥ सेवक शूद्र को ( द्विजों के घर का ) कोई पातक नहीं है न कोई संस्कार योग्य है । क्यों कि न तो ( उन द्विजों के ) धर्म में इस का अधिकार है और न ( अपने ) धर्म से इस को निषेध है ॥१२६॥

धर्मेऽप्यस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तमनुष्ठिताः ।

मंत्रवर्जं न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति च ॥१२७॥

धर्म की इच्छा वाले तथा धर्म को जानने वाले शूद्र मन्त्र-वर्जित सत्पुरुषों का आचरण करते हुवे दोषको नहीं किन्तु प्रशंसा को प्राप्त होते हैं । (भाव यह है कि धर्मकार्य यज्ञादि करनेका शूद्रों का अधिकार ( इस्तहकार ) नहीं है । अर्थात् यदि द्विज लोग किसी शूद्र को अयोग्य समझ कर रोके तो उस का यह अधिकार ( इस्तहकार ) नहीं है कि यह राजद्वारादि से कानूनन अपना स्वत्व मिद्ध कर पात्र । परन्तु उस को धर्म करनेकी मनाई भी नहीं है कि शूद्र धर्म करे ही नहीं, किन्तु ( धर्मेऽप्य ) यदि शूद्र धर्म करना चाहें और ( धर्मज्ञाः ) धर्म करना जानते भी हों तो बिना वेदमन्त्रों के उच्चारण ही यज्ञ होमादि कर सकते हैं । उस में उन का अमन्त्र होम का कोई दोष नहीं ( क्यों कि वे पढ़ना जानते

ही नहीं) प्रत्युत उनकी प्रशंसा होती है कि वे, धर्म में श्रद्धा करते हैं) ॥१२७॥

यथा यथा हि सद्बृत्तमातिष्ठत्यनमूयकः ।

तथा तथेम चासुं चलोकं प्राप्नोत्यऽनिन्दितः ॥१२८॥

निन्दारहित शूद्र जैसे २ गर्व छोड़ कर अच्छे आचरण करता है, वैसे २ इस लोक तथा परलोक में उत्कृष्टता को प्राप्त होता है ॥१२८॥

शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यो धनसञ्चयः ।

शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव वाधते ॥१२९॥

एते चतुर्णां वर्णानामापद्धर्माः प्रकीर्त्तिताः ।

यान्सम्यगनुतिष्ठन्ता व्रजन्ति परमां गतिम् ॥१३०॥

समर्थ शूद्र को भी धन सञ्चय न करना चाहिये, क्योंकि शूद्र धन को पाकर ब्राह्मणादि को ही बाधा देता है ॥१२९॥ ये चारों वर्णों के आपत्काल के धर्म कहे। जिन को अच्छे प्रकार आचरण करते हुवे ( मनुष्य ) मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥१३०॥

एष धर्मावधिः कृस्नश्चातुर्वर्ण्यस्य कीर्त्तितः ।

अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधिं शुभम् ॥१३१॥

यह सम्पूर्ण चारों वर्णों की कर्मविधि कही। इस के उपरान्त शुभ प्रायश्चित्त विधि कहूंगा ॥१३१॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे ( भृगुप्रोक्तायां संहितायां )


दशमोऽध्यायः ॥१०॥

इति श्री तुलसीरामस्वामिविरचिते मनुस्मृतिभाषानुवादे

दशमोऽध्यायः ॥१०॥

ओ३म

## अथ एकादशोऽध्यायः



सन्तानिकं यज्यमाणमध्वगं सर्ववेदसम् ।  
गुर्वर्थं पितृमात्रर्थं स्वाध्यायाध्युपतापिनौ ॥१॥  
नगैतान्स्नातकान्विद्याद्ब्राह्मणान् धर्मभिक्षुकान् ।  
निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविशेषतः ॥२॥

सन्तानार्थं विवाह के प्रयोजन वाला और ज्योतिष्टोमादि यज्ञ करनेकी इच्छावाला तथा मार्ग चलनेवाला और जिसने सम्पूर्णवन दक्षिणा देकर यज्ञ में लगा दिया वह और गुरु तथा माता और पिता के लिये धनका अर्थी और विद्यार्थी और रोगी ॥१॥ इन ९ स्नातकों को धर्मभिक्षुक ब्राह्मण जाने और ये निर्धन हो तो इनको विद्या की विशेषताके अनुसार दान देना चाहिये ॥२॥

एतेभ्योहि द्विजाग्रभ्यो देयमन्नं सदक्षिणम् ।  
इतरेभ्यो बहिर्वेदि कृतान्नं देयमुच्यते ॥३॥  
सर्वरत्नानि राजा तु यथाहं प्रतिपादयेत् ।  
ब्राह्मणान्वेदविदुषो यज्ञार्थं चैव दक्षिणाम् ॥४॥

इन द्विजश्रेष्ठों को दक्षिणा के साथ अन्न देना चाहिये और दूसरों का वेदी के बाहर पका अन्न देना कहा है ॥३॥ राजा वेद का जानने वाले ब्राह्मणों को यज्ञ के लिये सम्पूर्ण रत्न दक्षिणा यथा योग्य देवे ॥४॥

कृतदारोऽपगन्दारान्भिक्षित्वा योऽध्वगच्छति ।

रतिमात्रं फलं तस्य द्रव्यदातुस्तु सन्ततिः ॥५॥  
 धनानि तु यथाशक्ति विप्रेषु प्रतिपादयेत् ।  
 वेदवित्सु विविक्तेषु प्रेत्य स्वर्गं समश्नुते ॥६॥

जो विवाहित पुरुष भिक्षा मांग कर दूमरा विवाह करता है  
 उसको रतिमात्र फल कहा है । और उम की मन्तति द्रव्य देने  
 वाले की है ॥५॥ यथाशक्ति वेद के जानने वाले नि.सङ्ग ब्राह्मणों  
 का धन देवे (उम से) परलोक में स्वर्ग का पाता है ॥६॥

यस्य त्रैवर्षिकं भक्तं पर्याप्तं भृत्यवृत्तये ।  
 अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमर्हति ॥७॥  
 अतः स्वल्पीयसि द्रव्ये यः सोमं विव्रति द्विजः ।  
 स पातयोमपूर्वो ऽपि न तस्याप्नोति तत्कृत्स्नम् ॥८॥

जिस के आवश्यक व्यय तीन वर्ष तक कुटुम्बियों के निर्वाह  
 योग्य धन वा इस से अधिक हो वह सोम यज्ञ करने योग्य है ॥७॥  
 इमसे कम द्रव्य होने में जो द्विज सोम यज्ञ करता है उस का  
 प्रथम सोमयज्ञ भी नहीं सम्पन्न होता । (इस से दूमरा यज्ञ करना  
 ठीक नहीं है) क्योंकि- ॥८॥

शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि ।  
 मध्वापातो विपास्वादः स धर्मप्रतिरूपकः ॥९॥  
 भृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्यौघ्वदेहिकम् ।  
 तद्भवत्यसुखोदकं जीवनश्च मृतस्य च ॥१०॥

जो कुटुम्बियों के दुःखी मुखे मरते हुं परजन को देता है वह  
 मनु का त्याग और विष का चाटने वाला धर्म विरोधी है ॥९॥

पुत्र स्त्री इत्यादि को बलेश देकर जो परलोक के लिये जानादि करते हैं वाद दान इस लोक तथा परलोक में उत्तरात्तर दुःख देने वाला है ॥

(इस में आगे ५ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक प्रक्षिप्त है-

[वृद्धी च मातापितरौ साधो भार्या शिशुः सुतः ।  
अप्यकार्यशतं कृत्वा भर्त्सया मनुव्रतीत् ॥]

बूढ़े मां बाप, मनी'स्त्री, बालक पुत्र, इनका भरण पोषण १०० अराज करके भी करना चाहिये यह मनु ने कहा है) ॥१०॥

यज्ञश्चेत्प्रतिरुद्धः स्यादेकेनाङ्गेन यज्जनः ।

ब्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥११॥

या वैश्यः स्याद्बहुपशुर्हीनक्रतुरसोमपः ।

कुटुम्बात्तस्य तद् द्रव्यमाहरेद्यज्ञसिद्धये ॥१२॥

धार्मिक राजा के होते हुवे (जत्रियादि यजमानों का और) विशेष करके ब्राह्मण का यज्ञ किसी एक प्रज्ञमे रुका हो तो ॥११॥ जो वैश्य घात में गाय बल वाला और यज्ञ न करने वाला तथा सोमयज्ञ रहित हो उसके घरसे यज्ञानी सिद्धि को वह द्रव्य ले आवे ॥१२॥

आहरेत्रीणिवा द्वेवा कामं शूद्रस्य वेश्मनः ।

न हि शूद्रस्य यज्ञेषु करिचदस्ति परिग्रहः ॥१३॥

योऽनाहिताग्निः शतगुरयज्वा च सहस्रगुः ।

तयोरपि कुटुम्बाभ्यामाहरेदविचारयन् ॥१४॥

दो अज्ञ अथवा तीन अज्ञ की हीनता में चाहे शूद्र के घर से भी अपने यज्ञ सिद्धयर्थ उन दो वा ३ वस्तुओं को ले आवे क्यों



किं शुद्धं का यज्ञो मे खर्चं भी कुत्र नर्ही है ॥१३॥ जो अग्निहोत्री नहीं है और शत १०० गौं परिमित धन उसके पाम है तथा जिसने यज्ञ न किया हो और उसके पाम महत्त्वं १००० गौं परिमित धन है उन दोनों के कुटुम्बों से भी बिना विचारे ले आवे ॥१४॥

आदाननित्याच्चा दातुराहरं प्रयच्छतः ।

तथा यथाऽस्य प्रथते धर्मश्चैव प्रवर्धते ॥१५॥

तथैव सप्तमे भक्ते भक्तानि पडऽनश्नता ।

अश्वस्तनविधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः ॥१६॥

जिम के यहां (प्रतिपहात्रि मे) धन प्रहण तो नित्य है और दान नहीं है उस से यज्ञ के लिये न देने हुवे से भी ले आवे । ऐसा करने से यज्ञ फैलाता और धन बढ़ता है ॥१५॥ तीन दिन के भूखे को छ. वार भोजन न मिला हो ता ७ वां वार भोजनार्थ अगले दिन के लिये न लेकर हीन कर्मी से बिना आज्ञा भी लेलनं मे दाय नहीं है ॥१६॥

खलात्क्षेत्रादगारद्वा यतोवाप्युपलभ्यते ।

आख्यातव्यं तु तत्तस्मै पृच्छते यदि पृच्छति ॥१७॥

ब्राह्मणस्त्वं न हर्तव्यं क्षत्रियेण कदाचन ।

दस्युनिष्क्रिययोस्तु स्वमऽजीवन्हर्तुमर्हति ॥१८॥

खलिहान से वा खेत से वा मकान से वा जिस जगह से मिल जावे वहीं से (पूर्व श्लोकात् अवस्था मे) ले लेना चाहिये । यदि धन स्वामी पूछे तो उसको कह दे (कि छ वार की भूख मे लिया है) ॥१७॥ (इस दशा में भी) क्षत्रिय को ब्राह्मण की वस्तु कर्मी न लेनी चाहिये । क्षुधित क्षत्रिय को निष्क्रिय और दस्यु का धन



ॐ ॐ ॐ

लेना योग्य है ॥१८॥

योऽमाधुभ्योऽर्थमादाय माधुभ्यः संप्रयच्छति ।

स कृत्वा प्लवमात्मानं संतारयति नावुभौ ॥१९॥

यद्गनं यज्ञशीलानां देवभ्यं ताद्विदुर्गधाः ।

अयज्वनां तु यद्वित्तमामुग्म्यं तदुच्यते ॥२०॥

जो अमाधुओं से धन लेकर माधुओं को देता है वह अपने को नाव बनाकर दोनों को पार उतारता है ॥१९॥ सर्वज्ञ यज्ञ करने वालों का जो धन है उसके परिडित "देवधन" समझते हैं और यज्ञ न करने वालों का जो धन है वह 'आमुग्धन' कहना है ॥२०॥

न तस्मिन्धारयेद्दण्डं धार्मिकः पृथिवीपतिः ।

क्षत्रियभ्य हि बालिष्याद्ब्राह्मणः सीदति क्षुधा ॥२१॥

तस्य मृत्यजनं ज्ञात्वा म्वकृदुम्वान्मर्हापातः ।

श्रुतशीले च विज्ञाय वृत्तिं धर्म्यां प्रकल्पयेत् ॥२२॥

उम (६ वार की मृत्यु में परधन लेने वाले) को धार्मिक राजा दण्ड न देवे । क्योंकि राजा ही के मूट होने में ब्राह्मण क्षुधा से पीडित होता है ॥२१॥ (वल्कि) उस ब्राह्मण के पुत्रादि पोष्यवर्गों और विद्या तथा सदाचार को जान कर राजा अपने निज से उस को धर्मानुकूल जीविका का प्रबन्ध करदे ॥२२॥

कल्पयित्वाऽस्य वृत्तिं च रक्षेदेनं समन्ततः ।

राजाहि धर्मपदभागं तस्मात्प्राप्नोतिगच्छितात् ॥२३॥

न यज्ञार्थं धनं शूद्राद्विप्रोभित्तं कर्हिचित् ।

यजमानोहि भिक्षित्वा चण्डालः प्रेत्य जायते ॥२४॥

इस (ब्राह्मण) की जीविका नियत करके सब ओर से इसकी रक्षा करे। क्योंकि उस की रक्षा से धर्म का छटा भाग राजा को प्राप्त होता है ॥२३॥ यज्ञ केलिये ब्राह्मण शूद्र से धन कभी न मांगे क्योंकि (शूद्र से) भिक्षा माग कर यज्ञ करने वाला मरने पर चण्डाल होता है ॥२४॥

यज्ञार्थमर्थं भिक्षित्वा यो न सर्वं प्रयच्छति ।

स यातिभासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ॥२५॥

देवस्त्वं ब्राह्मणस्त्वं वा लोभेनोपहितस्ति यः ।

स पापात्मा परे लोके गृध्रोच्छिष्टेन जीवति ॥२६॥

यज्ञ के लिये भिक्षा मांग कर जो मव नहीं लगाता वह सौ वर्ष तक भास (गोष्ठकुक्कुट) वा काक होता है ॥२५॥ देव धन और ब्राह्मण धन को जो लोभ से हरता है वह पापात्मा परलोक में गिद्ध की भूँठ से जीवता है ॥२६॥

“इष्टिं वैश्वानरीं नित्यं निर्वपेद्व्रपर्यये ।

क्लृप्तानां पशुसोमानां निष्कृत्यर्थमसम्भवे ॥२७॥”

आपत्कल्पेन योधः कुरुतऽनापदि द्विजः ।

स नाप्नोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम् ॥२८॥

(वर्ष के समाप्त होने में दूसरे वर्ष की प्रवृत्ति को अल्पपर्यय कहते हैं) उस चैत्र शुक्ल से आदि लेकर वर्ष की प्रवृत्ति में विहित सोमयज्ञ के न हो सकनेमें उसके दोष दूर करने को सर्वदा शूद्रादि से उक्त धन हरण रूप पापके प्रायश्चित्तार्थ वैश्वानरी इष्टि करे” ४। २६-२७ के हेतुओं से भी यह प्रक्षिप्त है) ॥२७॥ जो द्विज



आपत्काल के धर्म को अनापत्काल में करता है उस का कर्म पर-  
लोक में निष्फल होता है । ऐसा विचार है ॥२८॥

विश्वैश्वदेवैः साध्यैश्च ब्राह्मणैश्च महर्षिभिः ।

आपत्सु मरणाङ्गीतैर्विधेः प्रतिनिधिः कृतः ॥२९॥

प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते ।

न साम्परायिक तस्य दुर्मतेर्विद्यते फलम् ॥३०॥

क्यों कि सब देवों और साध्यों तथा महर्षि और ब्राह्मणों ने  
आपत्कालमें मरणसे डर कर विधि का प्रतिनिधि आपद्धर्म नियत  
किया है ॥२९॥ जो मुख्यानुष्ठान करने की शक्ति वाला होकर  
आपत्के लिये विहित प्रतिनिधि अनुष्ठान करता है उस दुर्वर्द्धि को  
पारलौकिक फल नहीं है ( इस से ऐसा न करे ) ॥३०॥

न ब्राह्मणो वेदयेत किञ्चिद्राजनि धर्मवित् ।

स्ववीर्येणैव तान् शिष्यान्मानवानऽऽकारिणः ॥३१॥

स्ववीर्याद्राजवीर्याञ्चस्ववीर्यं ब्रह्मवचनम् ।

तस्मात्स्वेनैव वीर्येण निगृह्णीयादरीन्द्रिजः ॥३२॥

धर्म का जानने वाला ब्राह्मण कुछ थोड़े ( नुरुजान हुवे ) को  
राजा से न कहे किन्तु अपने ही पुरुषार्थ से उन अपकार करने वाले  
मनुष्यों को शिक्षा देवे ॥३१॥ अपना सामर्थ्य और राजा का  
सामर्थ्य इन दोनोंमें अपना सामर्थ्य अधिक बलवान है । इस कारण  
ब्राह्मण अपने ही सामर्थ्य से शत्रुओं का निग्रह करे ॥३२॥

श्रुतीरथर्वाङ्गिरसीः कुर्यादित्यविचारयन् ।

वाक्शस्त्रं वै ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन्द्रिजः ॥३३॥



क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः ।

धनेन वैश्यशूद्रौ तु जपहोमैर्द्विजोत्तमः ॥३४॥

अथर्ववेद की दुष्टाभिचार श्रुतियों की (बिना विचार) शीघ्र प्रयोग करे। इसी अभिचार के उच्चारण रूप शस्त्र वाला होने से ब्राह्मण की वाणी शस्त्र है। ब्राह्मण उस से शत्रुओं को मारे। ३१। क्षत्रिय बाहुबल से अपनी आपत्ति दूर करे वैश्य और शूद्र धन से तथा ब्राह्मण जप होम से आपद् को दूर करे ॥

(३१ से ३४ तक चारों वर्णों को अपनी २ आपत्ति से बचने के लिये उपदेश हैं। क्षत्रिय बल और वैश्य शूद्र धन वा दीनता से अपने को बचावें। परन्तु ब्राह्मण का धन वेद है वह वेद से आपे को बचावे। अथर्ववेदादि में जो शत्रुसे अपनी रक्षाकी प्रार्थना और शत्रु के नाश की प्रार्थना है उन्हीं को परमात्मा से सहायता मांगे। परमात्मा उस के सच्चे ब्राह्मणत्व को जानना हुवा अवश्य उस की रक्षा का साधन कुछ न कुछ उत्पन्न करदेगा। आस्तिकों को उसमें कुछ सन्देह नहीं हो सकता। परन्तु ऐसे ब्राह्मण सहस्रो वर्षमें कोई कभी होतेहैं बहुतनहीं तथासबके हितकारी होनेसे उनकेसाथ शत्रुता भी बहुतही थोड़े लोग करते हैं। परन्तु तौ भी ३३ वेमे जो ब्राह्मण को पराये हननके लिये प्रार्थना करनेको उत्तेजित किया है सो कुछ अनुचित जान पड़ता है। यूं तो अपने २ दुःखों और दुःखदायको का निवारण सभी चाहते हैं परन्तु ब्राह्मणको इसप्रकार उत्तेजित करना कि (हन्यादेव) 'मारेही' और (अविचारयन्)बिना विचारे शीघ्रही भला कुछठीक है इसके अतिरिक्त इसमें (इत्यविचारयन्) में 'इति' शब्द बेढङ्गा और निरर्थक है ? जो मनु की शैली से नहीं मिलता। तथा एक पुस्तक में इस की जगह ( इत्यवधारितम्) और अन्य दो पुस्तकों में इत्यभिचारयन् पाठान्तर हैं और

इति शब्द सब पाठों में व्यर्थ ही रहता है। तथा इस से आगे ३० पुस्तकों में सँ १ में नीचे लिखा श्लोक अधिक मिलता है। जिससे यह सन्देह पुष्ट सा होता है कि ऊपर का ३० वां भी जिसके पाठ भी कई प्रकारके मिलते हैं और शैली भी भिन्न है कदाचित् पीछे का बना ही हो। अधिक श्लोक जो सब पुस्तकों में नहीं मिलने पाया है यह है.-

[तदस्त्रं सर्ववर्णानामानवार्यं च शक्तिः ।

तपोवीर्यप्रभावेण अवधानरि वाधते ] ॥

अर्थात् तप वीर्य के प्रभाव से जो अवधियों को भी वाधा कर सकता है वह वह अस्त्र शक्ति में किसी वर्ण से निवारित नहीं हो सकता ॥३४ वें श्लोक के बीच में ही पूर्वार्ध से आगे आधा श्लोक दो पुस्तकों में और मिलाया दीख पड़ता है कि.-

[ तद्धि कुर्वन् यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम् ]

इस से यह भी पाया जाता है कि कई श्लोकों में अर्ध भाग भी प्रक्षिप्त हुआ है ) ॥३४॥

विधाता शासिता वक्ता मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ।

तस्मैनाकुशलं ब्रूयान्न शुष्कां गिरमीरयेत् ॥३५॥

नवैकन्या न युवतिर्नाल्पविद्यो न बालिशः ।

होता स्यादग्निहोत्रस्य नातो नामत्कृतस्तथा ।३६।

विहित कर्मों का अनुष्ठान करने वाला पुत्र शिष्यों को शिक्षा करने वाला और प्रायश्चित्तादि धर्मों का धताने वाला सबका मित्र ब्राह्मण कहा है। उस से कोई बुरी बात न बोले और रूखी बोली भी न बोले ॥३५॥ कन्यायुवति थोड़ा पढ़ा और कुपढ़ तथा बीमार



और संस्काररहित ऐसे लोग अग्निहोत्र के होता नियत न हो (इस से वृद्धा स्त्रियों को भी होता बनाना पाया जाता है) ॥३६॥

नरके हि पतन्त्येते जुह्वनः स च यस्य तत् ।  
तस्माद्द्वैतानकुशलो होता स्याद्द्वेदपारगः ॥३७॥  
प्राजापत्यमदत्त्वाश्वमग्न्याधेयस्य दाक्षिणाम् ।  
अनाहिताग्निर्भवति ब्राह्मणो विभवे सति ॥३८॥

(कन्यादि) होता बनाये जानेके अनधिकारी (होता बन कर) और जिसका वह अग्नि होत्र है वह (यजमान) भी नरक को प्राप्त होता है। इस कारण श्रौत कर्म में प्रवीण और सम्पूर्ण वेद का जानने वाला होता होना चाहिये ॥३७॥ धन के होते हुवे प्राजापति देवता के निमित्त अश्व और अग्न्याधेय की दक्षिणा न देवे तो ब्राह्मण अनाहिताग्नि हो जाता है (अर्थात् उस को आधान का फल प्राप्त नहीं होता) ॥३८॥

पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत श्रद्धधानो जितेन्द्रियः ।  
न त्वल्पदक्षिणैर्यज्ञैर्यजेतेह कथञ्चन ॥३९॥  
इन्द्रियाणि यशः स्वर्गमायुः कीर्त्तिं प्रजाः पशून् ।  
हन्त्यल्पदक्षिणोयज्ञस्तस्मान्नाल्पधनो यजेत् ॥४०॥

जितेन्द्रिय श्रद्धा वाला अन्य पुण्य कर्मों को करे परन्तु थोड़ी दक्षिणा के यज्ञ से कभी यजन न करे ॥३९॥ इन्द्रियो यशः, स्वर्गः, आयुः, कीर्त्तिं प्रजा और गौ आदि पशुओं को थोड़ी दक्षिणा वाला यज्ञ नष्ट करता है इस लिये थोड़े धन वाला यज्ञ न करे (तात्पर्य यह है कि थोड़े धन वाला यज्ञ करे तो ऋत्विजों को थोड़ी दक्षिणा से दुःख होगा यजमान भी निर्धन होजायगा भूखा मरेगा और



तब ४० वें में कही हानियें होंगी श्री । परन्तु यह थोड़ी दक्षिणा के यज्ञ की बुराई [ निन्दार्थवाद ] कुछ अत्युक्ति सी प्रतीत होती है और ४० वे से आगे ६ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक भी पाया जाता है:-

[अन्नहीनो दहेद्राष्टं मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः ।

दीक्षितं दक्षिणाहीनोनास्ति यज्ञसमोरिपुः ॥ ]

अन्नहीन यज्ञ राज्य को फूंकता है । मन्त्रहीन ऋत्विजों का नाश करता है दक्षिणाहीन दीक्षितको नष्ट करता है । यज्ञके समान कोई शत्रु नहीं ॥ इस से यह भी सन्देह होता है कि ४० वां श्लोक भी कदाचित् हीन यज्ञ की निन्दापरक पीछे से ही बढ़ाया गया हो जैसे कि यह केवल छः पुस्तकों में ही है ) ॥४०॥

अग्निहोत्र्यपविध्याग्नीन् ब्राह्मणः कामकारतः ।

चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत् ॥४१॥

ये शूद्रादधिगम्यार्थमग्निहोत्रमुपासते ।

ऋत्विजस्ते हि शूद्राणां ब्रह्मवादिषु गर्हिताः ॥४२॥

अग्निहोत्री ब्राह्मण इच्छा से अग्नि में सायं प्रातः होम न करे तो एकमासपर्यन्त चान्द्रायण व्रत करे । क्योंकि वह पुत्रहत्यासम पाप है ॥४१॥ जो शूद्र से धन लेकर अग्निहोत्र किया करते हैं, वे वेदपाठियों में निन्दित हैं क्यों कि ( एक प्रकार से ) वे शूद्रों के ऋत्विज् हैं ॥४२॥

तेषां सततमज्ञानां वृषलाग्न्युपसेविनाम् ।

पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गाणि संतरेत् ॥४३॥

अकुर्वन्विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन् ।



प्रसक्तश्चेन्द्रियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥४४॥

उन शूद्रों के घनसे सदा यज्ञ करने वाले मूर्ख ब्राह्मणों के शिर पर पैर रख कर वह दाता (शूद्र) दुःखों से तरता है (अर्थात् यज्ञ कराने वालों को सदा शूद्र से दबना पड़ता है) ॥४३॥ विहित कर्म को न करता और निन्दित को करता हुआ तथा इन्द्रियों के विषय में आसक्त मनुष्य प्रायश्चित्त के योग्य हो जाता है ॥४४॥

अकामत कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुर्बुधाः ।

कामकारकतेऽप्याहुरेके श्रुतिनिदर्शनात् ॥४५॥

अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासे शुद्धयति ।

कामतस्तुः कृतं मोहात्प्रायश्चित्तैः पृथग्विधैः ॥४६॥

विद्वान् लोग विना इच्छा से किये पाप पर प्रायश्चित्त कहते हैं । दूसरे आचार्य वेद के देखने से कहने हैं कि इच्छा से किये में भी (प्रायश्चित्त होना चाहिये) ॥४५॥ विना इच्छा से किया पाप वेदाभ्यास से शुद्ध होता है और मोह वश इच्छा से किया हुआ पाप नाना प्रकार के प्रायश्चित्तों से शुद्ध होता है ॥४६॥

### प्रायश्चित्त का विचार

प्रायः पापं विजानीयाच्चित्तं वै तद्विशोधनम्

औरः—

प्रायेणम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते ।

तपो निश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तं तदुच्यते ॥

प्रायश्चित्तं समं चित्तं चारयित्वा प्रदीयते ।

पर्यदा कार्यते यत्तु प्रायश्चित्तं तदुच्यते ॥





तथा —

यौहृष्टजन्मवेदनीयोऽनियतविपाकनश्य त्रयी गति ।  
 कृतस्थापक्वस्य नाशः प्रथानकर्मण्यथागमनं वा निगतविपाक  
 प्रथानकर्मणाभिमूतस्य वा चिरमवस्थानमिति । यथा शुक्नकर्मो  
 द्यादिहैव नाशः कृष्णस्य । यदेदमुक्तं द्वे द्वे कर्मणी वेदिन्ये ।  
 (इत्यादि) ॥ यह व्यासभाष्य योगदर्शन के—

सति मूले तद्विपाके जात्यायुर्भोगाः ॥ २ । १३ ॥

इस सूत्र पर है । जिसका तात्पर्य यह है कि जो पूर्व जन्म का जानने योग्य अनियतविपाक कर्म है, उसकी ३ गति हैं । १-अपक्व कृत का नाश २-वा प्रथान कर्म के भीतर भुगता जाना, ३ वा निम्न विपाक प्रथान कर्म से दबे हुवे का बहुत काल तक स्थित रहना । जैसे पुण्य कर्म के उदय से पाप का वा श्वेतकर्म-वन्त्र धोने आदि से क्लोम का यहाँ नाश हो जाता है जिस से यह कहा गया है कि दो दो कर्म पाप पुण्य भेद से जानने चाहियें इत्यादि ॥

अब जानना यह है कि पाप क्या वस्तु है और उसकी निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है ? जिस प्रकार एक लकड़ी को मोड़ने रहने से वह तिरछी हो जाती है और वह मीचे कर्मों के योग्य नहीं रहती इसी प्रकार आत्मा भी पराअपकारादि पाप से अवस्था-न्तर को प्राप्त होकर शुद्ध अवस्था से भोग्य शुभ फलों के योग्य नहीं रहता । वा जिस प्रकार म्वच्छ बस्त्र पर जो रङ्ग काले या अन्धे लगाये जावें उन २ से वस्त्र की वह २ रङ्ग हो जाती हैं । और उस रङ्ग विशेष से वह वस्त्र रङ्गानुसार पुष्ट वा क्षीण भी होता है । इसी प्रकार आत्मा भी विचित्र कर्मों के करनेसे विचित्र अवस्थाओं को प्राप्त हो जाता है और अवस्थानुसार ही फलभाग को योग्यता वा अयोग्यता होती है । इसी प्रकार दुर्कर्म से आत्मा में एक प्रकार की वामंता विषमता वा मलीनता उत्पन्न हो जाती



है। उसको दूर करने का उपाय भोग है। वह भोग दो प्रकार का है। एक ईश्वर वा राजा की व्यवस्था से परवश होकर भोगना दूसरा अपने आप ही समझ कर कि मैंने यह बुरा किया है जिससे मेरे आत्मा में पाप वास करता है जो मुझे अनिष्ट है। (स्मरण रहे कि यहां "आत्मा" शब्द का प्रयोग हमने अन्तःकरण सहित आत्मा के लिये किया है। केवल आत्मा में पाप पुण्य नहीं लग सकते) मनुष्य विद्वान् लोगों से कहे कि मैंने यह पाप किया है इस से मेरा आत्मा घुटता है इसकी निवृत्ति का उपाय बताइये। तब वे लोग देरा का त्र्यस्था के विचार से शास्त्रानुसार वा शास्त्र में स्पष्ट न कहा हो तो शास्त्र की अविरोधनी अपनी कल्पना से प्रायश्चित्त बतावें। वहपापी श्रद्धा, नम्रता और पश्चात्तापसे युक्त संस २ से अनुष्ठान करे। जो कष्ट हो उनके सहे आगे को अपना सुधार करे। यथार्थ में राजदण्डादि से भी तो इस से अधिक फल नहीं होता। क्योंकि एक पुरुष ने दूसरे को थप्पड़ मारा और मारने वाले को राजदण्ड होगया तो उस राजदण्ड से जिसके थप्पड़ लगा था उसकी चोट दूर नहीं हुई किन्तु एक तो उस थप्पड़ से पिटने वाले को जो दुःख था सो इस अपराधी को दण्ड मिलने में शान्ति वा सन्तोष सा होकर चित्तविषमता का निवारक हुवा दूसरे अपराधी को यह बलपूर्वक ज्ञात कराया कि ऐसा काम करना योग्य न था। जिससे इसके चित्त की भी आगेके लिये और देखने वाले को पाप करने से पूर्व ही ग्लानि होकर उत्तरोत्तर संसार में शान्ति का प्रसार हुवा तो प्रायश्चित्त का फल सोचें तो एक प्रकार से राजदण्ड से भी उत्तम हो सकता है। क्योंकि बलात्कार से जत्र कभी एक पुरुष हानि उठाकर हानि कारक को राजद्वार से दण्ड दिलाता है तो कभी २ ऐसा देखा गया है कि कारागार से छूटते ही आकर पूर्ण द्वेष से उनी अपराधी ने उनी पुरुष को द्वेष के



शब्द प्रकट करके कि तूने ही मुझे जेल में भेजवाया था, उस से भी अधिक हानियें फिरकी हैं। परन्तु जबकि मनुष्य स्वयं अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित्त करता है तब ऐसा नहीं हो सकता ॥  
 प्रायः ऐसे भी प्रायश्चित्त हैं जिनमें बड़ा अपराध है और भोग थोड़ा जान पड़ता है परन्तु देशकाल अवस्था के विचार से ऐसा होना ही चाहिये। एक पुरुष को बेटे मारनेसे जितनी शिक्षा मिल सकती है दूसरे को "तुमने बुरा किया" इतना कहने का ही उस बेटे खानेवाले से भी अधिक शिक्षादायक प्रभाव हो जाता है। ऐसे ही देश और काल से भी भेद समझिये। सम्य देशों के समझदार मनुष्यों को तो 'क्षमा मांगने' से ही जितनी शिक्षा होती है उतनी असम्य अशिक्षितों को कभी र बध से भी नहीं होती। इत्यादि बहुत दूर तक विचार फैलाने से प्रायश्चित्त की सार्थकता समझमें आ-सकती है। यहां थोड़ा ही लिखकर समाप्त करते हैं ॥४६॥

प्रायश्चित्तीयतां प्राप्य दैवात्पूर्वकृतेन वा ।

न संसर्गं व्रजेत्सद्भिः प्रायश्चिरेऽकृते द्विजः ॥४७॥

इह दुश्चरितैः केचित्केचित्पूर्वकृतैस्तथा ।

प्राप्नुवन्ति दुरात्मानो नरा रूपविपर्ययम् ॥४८॥

दैववश वा पूर्व जन्म के पाप से द्विज प्रायश्चित्त के योग्य होकर प्रायश्चित्त बिना, किये सज्जनों के साथ संसर्ग न करे (४७) वें से आगे एक पुस्तक में 'प्रायो नाम तपः प्रोक्तम्' इत्यादि श्लोक अधिक है) ॥४७॥ कोई इस जन्म के और पूर्व जन्म के दुराचरण से दुष्टात्मा मनुष्य, रूप की विपरीतता को प्राप्त होते है ॥४८॥ जैसा कि—

सुवर्णचौरः कौनख्यं सुरापः श्यावदन्तताम् ।

ब्रह्महा क्षयरोगित्वां दौश्रम्यं गुरुतल्पगः ॥४६॥

पिशुनः पौतिनासिक्यं सूचरुः पूतिवक्त्रताम् ।

धान्यवौरोऽङ्गहीनत्वमातिरेक्यं तु मिश्रकः ॥५०॥

सोने का चुराने वाला कुन्खी होता है और मदिरा पीने वाला काले दांत को और ब्रह्महत्या करने वाला क्षयरोगिता को तथा गुरु की स्त्री से गमन करने वाला दुष्ट चर्म को पाता है ॥४९॥ चुगली करने वाला दुर्गन्ध नासिका को और भूँठी निन्दा करने वाला दुर्गन्ध मुख को और धन चुराने वाला अङ्गहीनता को और धान्य में अन्य वस्तु मिलाने वाला अधिकाङ्गता को (प्राप्त होता है) ॥५०॥

अन्नहर्तामयावित्वां मौक्यं वागपहारकः ।

वस्त्रापहारकः श्वैज्यं पंगुतामश्वहारकः ॥५१॥

अन्न चुराने वाला मन्दाग्निता को वाणी का चुराने वाला गूंगेपन को कपड़े का चुराने वाला श्वेत कौढ़ और घोड़ेका चुराने वाला पंगुपन को (प्राप्त होता है) (५१ वें से आगे अर्द्ध श्लोक २० पुस्तको में अधिक है और रामचन्द्र ने उसपर टीका भी की है:—

[ दीपहर्ता भवेदन्धः काणोनिर्वापको भवेत् ]

दीपक चुराने वाला अन्धा और (चोरी से) दीपक बुझाने वाला काणा होता है । अन्य ९ पुस्तकों में इसी से आगे उत्तरार्ध-रूप और भी अर्ध श्लोक उपस्थित है कि:—

[ हिंसया व्याधिभूयस्त्वमरोगित्वमहिंसया ]

(हिंसा से बहुत रोगीपना और अहिंसा से नीरोगता होती है ॥५१॥

एवंकर्मविशेषेण जायन्ते सद्विगर्हिताः ।

जडमूकान्धयधिगाविकृताकृतयन्मया १५२।

इस प्रकार कर्मावेश्य मे सज्जनों मे निन्दित जड़, मूक, अन्ध  
बधिर और विकृत आकृति वाले ज्यत्र होते हैं ॥१२॥

चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये ।

निन्त्रैर्हि लक्षणैर्युक्ता जायन्तेऽनिष्कृतेनमः ॥१३॥

ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः ।

महान्नि पानकान्याहुः संसर्गाद्यापि तैः सह ॥१४॥

बिना प्रायश्चित्त करने वाले निन्द्य लक्षणों मे युक्त ज्यत्र  
होते हैं । इन कारण शुद्धि के लिये प्रायश्चित्त अवश्य करना  
चाहिये ॥१३॥ ब्रह्महत्या मदिरापान चोरी गुरु की स्त्री मे  
व्यभिचार इन छो मङ्गलानरु करने हैं और इन मङ्गलानकियों के  
साथ रहना भी (उसी के समान है) ॥१४॥

अनृतं च समुत्कर्षं राजगाम च पैशुनम् ।

गुरोश्चालीकानर्वन्धः समानि ब्रह्महत्याया ॥१५॥

ब्रह्मोल्भता वेदनिन्दा काटमात्र्यं मुहूर्द्धयः ।

बार्हितानाद्ययोज्जिघ्रिः सुरापानसमानि पट् ॥१६॥

अपनी दहाई के लिये अमत्य भाषण करना राजा से चुगली  
करना और गुरु मे कूठी खबर कहना ये ब्रह्महत्या के समान हैं  
॥१५॥ वेद को त्यागना वेद की निन्दा करना कूठी गवाड़ी देना  
तथा मित्र का वध निन्दित लगुनादि और पुरीपादि अभक्ष्य का  
भक्षण ये छः सुरापान के समान हैं ॥१६॥

निक्षेपस्यापहरणं नराश्वरजतस्य च ।

भूमिवज्रमणीनां च रुक्मस्तेयसमं स्मृतम् ॥५७॥

रेतः सेकः स्वयोनीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च ।

सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु गुरुतल्पसमं विदुः ॥५८॥

धरोहर और मनुष्य, घोड़ा चान्दी, भूमि, हीरा और मणियों का हर लेना सुवर्ण की चोरी के समान है ॥५७॥ सहोदरा भगिनी कुमारी चाण्डाली सखा और पुत्र की स्त्री इनसे व्यभिचार करना गुरुभार्यागमन के सामन (महापातक) है ॥५८॥

गोवधोऽध्याज्यसंयाज्यपारदार्यात्मविक्रयाः ।

गुरुमातृभितृत्यागः स्वाध्यायाग्नयोः सुतस्य च ॥५९॥

परिवित्तिताऽनुजेऽनूदे परिवेदनमेव च ।

तयोर्दानं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम् ॥६०॥

गाय का मारना, दुष्टों को यज्ञ कराना, परम्प्री गमन करना, आत्मा का बेचना गुरु, माता-पिता-ब्रह्मयज्ञ-श्रौतस्मार्त अग्नि में होम और पुत्र का त्यागना ॥५९॥ छेदके का पहिले विवाह करने में ज्येष्ठ की परिवित्तिता कनिष्ठ को परिवेत्ता होना, उन दोनों को कन्या देना और उन दोनों को यज्ञादि कराना ॥६०॥

कन्यायादूपणं चैव वार्धुष्यं व्रतलोपनम् ।

तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः ॥६१॥

ब्राह्म्यतावान्धवत्यागो भृत्याध्यापनमेव च ।

भृताच्चाध्ययनादानमपणयानां च विक्रयः ॥६२॥

और कन्या का दूषित करना, (वैश्य न होकर) सूद का लेना व्रतभङ्ग करना, तालाब, बगीचा, स्त्री और सन्तान का बेचना

॥६१॥ यथोचित काल में उपनयन का न होना वानप्रस्था का त्याग नियत वेतन लेकर पढ़ाना, और ऐसे ही देकर पढ़ने का अङ्ग बंधने के अयोग्य वस्तु का बेचना ॥६२॥

सर्वाकरेण्वधीकारो महायन्त्रप्रवर्त्तनम् ।

हिसौषधीनां स्त्र्याजीवोऽभिचारोभूलकर्म च ॥६३॥

इन्धनार्थमशुक्लाणां द्रुमाणामवपातनम् ।

आत्मार्थं च क्रियारम्भो निन्दितात्नादनं तथा ॥६४॥

सुवर्णादि सम्पूर्ण खानों में अधिकार, बड़े भारी यन्त्र का चलाना, औषधियों का काटना भार्यादि स्त्रियों से (वेश्यावत् करके) आजीवन करना मारण और वशीकरण ॥६३॥ इन्धन के लिये हरे वृक्षों को काटना, (देव पितरों के उद्देश विना केवल) आत्मार्थ-पाकादि काम करना और निन्दित अन्न का भक्षण ॥६४॥

अनाहिताग्निता स्तेयमृणानामनपक्रिया ।

असच्छास्त्राधिगमनं कौशीलव्यस्य च क्रिया ॥६५॥

धान्य कुप्यपशुस्तेयं मद्यपस्त्रीनिषेवणम् ।

स्त्रीशूद्रविट् चत्रवधोनास्तिक्यं चोपपातकम् ॥६६॥

अग्निहोत्र न करना, चोरी करना, ऋणों का न चुकाना, असत् शास्त्रों का पढ़ना, नाचने गाने, बजाने का सेवन ॥६५॥ धान्य कुप्य और पशुओं की चोरी, मद्य पीने वाली स्त्री से व्यभिचार स्त्री शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय का वध और नास्तिकता (ये सब) उपपातक हैं ।

(तड़ागादि के बेचने से पुण्य कर्म रुकता है। नौकरीके पढ़ने पढ़ाने में गुरु शिष्य का पूर्ण भाव नहीं रहता है। खानि खुदवाने



के ठके लेने और महायन्त्रों के चलवाने में जीवों की-हिंसा है। उसके प्रायश्चित्त उन लोगों को करने चाहिये। मारण में दूसरे का स्पष्ट अपकार है। वशीकरण से दूसरे को अज्ञानी वा पराधीन करना बुरा है। ( वशीकरण किसी के पास सुन्दर स्त्री आदि भेज कर उस को मोहित करने से होता है ) ॥६६॥

ब्रह्मणस्य रुजः कृत्या घ्रातिरघ्रेयमघ्रयेः ।

जैह्वयं च मैथुनं पुंसि जातिभ्रन्त्यकरणं स्मृतम् ॥६७॥

खराश्वोष्टमृगेभानामजाविक्रमघस्तथा ।

संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिपस्य च ॥६८॥

ब्राह्मण को लाठी आदि से पीड़ा देने की क्रिया करना दुर्गन्ध और मद्यका सूंघना कुटिलता करना तथा पुरुषसे मैथुन करना इन को जातिभ्र शकर पातक कहा है ॥६७॥ गर्दभ, तुरङ्ग, उष्ट्र, मृग, हस्ती वकरा भेड़, मत्स्य, सपे महिप, इन में प्रत्येक के वध वा "सङ्करीकरण, कहते हैं ॥६८॥

निन्दिभ्यां धनादानं वारिण्यं शूद्रसेवनम् ।

अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम् ॥६९॥

कृमिकीटवयोहत्या मद्यानुगतभोजनम् ।

फलैश्च कुसुमस्तेयमघैर्यं च मलावहम् ॥७०॥

अप्रतिप्राश्य पुरुषों के धन का प्रतिग्रह लेना, (वैश्य न होकर) वारिण्य करना शूद्र की परिचर्या और झूठ बोलना, इन को "अपात्रीकरण" जाने ॥६९॥ कीड़े मकौड़े पत्ती की हत्या मद्य के साथ मिला भोजन फल इन्धन और पुष्प का चुराना और अधीरता को "मलिनीकरण" कहते हैं ॥७०॥



एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि पृथक्-थक् ।

यैर्वै तैरपोहन्ते तानि सम्यङ्निवोधत ॥७१॥

ब्रह्महा द्वादशसमा कुटीं कृत्वा वने वसेत् ।

भैक्षारयात्मविशुद्धयर्थं कृत्वा शवशिरोऽयजम् ॥७२॥

ये सब ब्रह्महत्यादि पाप जैसे अलग अलग कहे गये, वे जिन जिन व्रतों से नाश को प्राप्त किये जाने हैं, उन को अच्छे प्रकार सुनो ॥७१॥ ब्राह्मण का हत्यारा वन में कुटी बना कर मुरदे के सिरका चिह्न करके, भीख मांग कर खाता हुआ अपनी शुद्धि के लिये बारह वर्ष रहे ॥७२॥

लक्ष्यं शस्त्रभृतां वा स्याद्विदुषामिच्छयात्मनः ।

प्रास्येदात्मानमग्नौ वा समिद्धे त्रिषाक्शिराः ॥७३॥

यजेत वाश्वमेधेन स्वर्जिता गोसवेन वा ।

अभिजिद्विश्वजिद्भ्यां वा त्रिवृताग्निष्टुतापिवा ॥७४॥

अथवा शस्त्रधारण करने वाले विद्वानों का अपनी इच्छा से निशाना बने । अथवा नीचे शिर करके जलती हुई अग्नि में अपने को तीन बार डाले ॥७३॥ अथवा अश्वमेध यज्ञ करे वा स्वर्जित गोसवन, अभिजित्, विश्वजित्, त्रिवृत् वा अग्निष्टत् (यं यज्ञ विशेष) करे ॥७४॥

जपन्वाऽन्यतमं वेदं योजनां शतं व्रजेत् ।

ब्रह्महत्यापनोदाय मित्तमुङ्घनियतेन्द्रियः ॥७५॥

सर्वस्य वेदविषे ब्राह्मणायोपपादयेत् ।

घनं वा जीवनायाऽलं गृहं वा सपरिच्छदम् ॥७६॥

अथवा ब्रह्महत्या के दूर करने को किसी एक वेद का जप करता हुआ, सौ योजन गमन करे, थोड़ा खात्रे और जितेन्द्रिय होकर रहे ॥७५॥ अपनी सब जमा पूंजी अथवा जीवनार्थ पुष्कल धन वा असवाव सहित घर वेद जानने वाले ब्राह्मण को दे देवे ॥७६॥

हविष्यभुग्वाऽनुसरेत्प्रतिस्रोतः सरस्वतीम् ।  
जपेद्वा नियताहारस्त्रिवे वेदस्य संहिताम् ॥७७॥  
कृतवपनो निवसेद् ग्रामान्ते गोत्रजेऽपि वा ।  
आश्रमे वृक्षमूले वा गोत्राङ्गणहिते रतः ॥७८॥

अथवा हविष्य भोजन करता हुआ सरस्वती - नदी के स्रोत की ओर गमन करे वा नियमपूर्वक आहार करता हुआ वेद की संहिता को ३ बार पढ़े ॥७७॥ वारह वर्ष तक सिर मुण्डाये गौ ब्राह्मण के हित में रत होकर ग्राम के बाहर वा गौ के गोष्ठ में, शुद्ध देश में वा वृक्ष के नीचे वास करे ॥७८॥

ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सद्यः प्राणान्परित्यजेत् ।  
मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोत्राङ्गणस्य च ॥७९॥  
त्रिवारं प्रतिरोद्धा वा सर्वस्वमवजित्य वा ।  
विप्रस्य तन्निमित्ते वा प्राणालाभे विमुच्यते ।८०॥

अथवा ब्राह्मण वा गौ के अर्थ यदि उसी समय प्राण दे देवे तो वह गौ ब्राह्मण की रक्षा करने वाला ब्रह्महत्या से छूट जाता है ॥७९॥ यदि ब्राह्मण का सर्वस्व चोर ले जाते हों उस को तीन बार बचावे ( अथवा ४ पुस्तक और राघवानन्द के टीकास्थ पाठ भेद से "अवरम्" रुम से कम तीन ब्राह्मणों के सर्वस्व की चोरी

को बचाने वाला ) अथवा ऐसा यत्न हो करके चाहे धन भी न छुड़ाने पा गा हो अथवा इस निमित्त प्राण त्याग ने पर ( अथवा कुल्लूक के अनुमत "प्राणलाभ" पाठ में धन बचाने में ब्राह्मण का प्राण बचाने पर ब्रह्महत्या में ) छूटता है ॥८०॥

एवं दृढव्रतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः ।

समाप्ते द्वादशे वर्षे ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥८१॥

शिष्ट्वा वा भूमिदेवाना नरदेवसमागमे ।

स्वमेनोऽश्वभृथस्नातो हयमेघे विमुच्यते ॥८२॥

इस प्रकार दृढ़ व्रत करता हुआ, प्रति दिन ब्रह्मचर्य से रहने वाला समाधान क्रिये चित से बारह वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्महत्या को दूर करता है ॥८१॥ अथवा अश्वमेघ यज्ञ में ब्राह्मणों और राजा के समक्ष में ( ब्रह्महत्या के पाप का ) निवेदन करके यज्ञ के अन्त में अश्वभृथ स्नान करता हुआ ( ब्रह्महत्या के पाप से ) छूट जाता है ॥८२॥

धर्मस्य ब्राह्मणो भूतमग्रं राजन्य उच्यते ।

तस्मात्समागमे तेषामेनो विरुत्तः अप्य शुच्यति ॥८३॥

ब्राह्मणः सम्भवेनैव देवानामपि देवतम् ।

प्रमाणं चैव लोकस्य ब्रह्माऽत्रैव हि कारणम् ॥८४॥

ब्राह्मण धर्म का मूल है और राजा अग्र है । इस कारण उन के समागम में पार का निवेदन करके शुद्ध होता है ॥८३॥ ब्राह्मण ( सावित्री के ) जन्म से ही देवतों का देवता और लोकों का प्रमाण है, इस में वेद ही कारण है ॥८४॥

तेषां वेदविदो ब्रूयुस्त्रयोऽप्येनः सुनिष्कृतिम् ।

सा तेषां यावनाय स्य त्पवित्रा विदुषां हि वाक् ॥८५॥

अतोऽन्यतममास्थाय विधिं विप्रः समाहितः ।

ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहत्यात्मव्रतया ॥८६॥

उन ( ब्रह्महत्यादि करने वालो ) को वेद के जानने वाले तीन भी विद्वान् पापों के जो प्रायश्चित्त बतावें, वही उन पापियों की शुद्धि के लिये हों। क्यों कि विद्वानो की वाणी पवित्र है ॥८५॥ स्वस्थ चित्त ब्राह्मण इनमे से कोई एक विधि ही करके आत्मवान्=मनस्वी होने से ब्रह्महत्या से किये पाप को दूर कर देता है ॥८६॥

हत्वा गर्भमावज्ञातमेतदेव व्रतं चरेत् ।

राजन्यवैश्यः वैजानान्नात्रेयीमेव च स्त्रियम् ॥८७॥

बिना जाने गर्भ को मार कर वा यज्ञ करते हुवे क्षत्रिय, वैश्य और गर्भवती स्त्री का वध करके भी यही ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त करे।

( ८७ वें सं आगे एक पुस्तक में आत्रेयी का लक्षण करने के लिये एक यह श्लोक अधिक पाया जाता है :—

[ जन्मप्रभृतिसंस्कारैः संस्कृता मन्त्रवाचया ।

गर्भिणी त्वथ वा स्यात्तामात्रेयीं च विदुर्वुधाः ॥ ]

अर्थात् जो जन्म से लेकर संस्कारों से मन्त्र पूर्वक संस्कृता अथवा गर्भिणी हो, उसे विद्वान् लोग "आत्रेयी" जानते हैं ) ॥८७॥

उक्त्वा चैवानृतं साक्ष्ये प्रतिकुद्वय गुरुं तथा ।

अपहृत्य च निःशेषं कृत्वा च स्त्रीसुहृद्दधम् ॥८८॥

गवाही में झूठ बोल कर गुरु का विरोध करके घरोहर हजम करके और स्त्री तथा मित्र का वध करके ( भी यही प्रायश्चित्त करे ) ॥८८॥

इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याऽकामतो द्विजम् ।  
कामतो ब्राह्मणवधे निष्कर्तर्न विधीयते ॥८९॥  
सुरां पीत्वा द्विजे मोहादग्निवर्णां सुरां पिबेत् ।  
तथा स काये निर्दग्धे मुच्यतेकिल्बिशात्ततः ॥९०॥

यह शुद्धि विना इच्छा ब्राह्मण के वध में कही है और इच्छा के वध करनेमें प्रायश्चित्त ही नहीं कहा ॥८९॥ द्विज अब्रह्मणसे (दूसरे महापातक ) मदिरा पीकर आग के समान गरम मदिरा पीवे । उस मद्य से शरीर जलने पर वह (द्विज) उस पाप से छुटता है ॥९०॥

गोमूत्रमग्निवर्णं वा पिबेदुक्तमेव वा ।  
पयो घृतं वाऽऽमरणाद् गोशकृद्रसमेव वा ॥९१॥  
कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सकृन्निशि ।  
सुगपानापनुर्यथ वा जवासा जटी घ्वजो ॥९२॥

अथवा गोमूत्र वा जल अग्नि वर्ण गरम करके पीवे अथवा मरण पर्यन्त दुग्ध घृत ही पीकर रहे अथवा गोबर का रस पीवे (मद्यपान न पाप छट जावेगा) ॥९१॥ अथवा चावल की खुट्टी वा कूटे तिल एक समय रात को १ वर्ष तक भक्षण करे । सुरापान के पाप दूर होने को कन्वल का कपड़ा पहिने और सिर के बाल रक्से तथा सुरापान के चिन्ह युक्त होकर रहे ॥९२॥

सुरा वै मलमन्तानां पाप्मा च मलमुच्यते ।

तस्माद्ब्राह्मणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिबेत् ॥६३॥  
गाडीपैष्टीचमाध्वी च विज्ञेया त्रिविधासुरा ।  
यथैवैका तथासर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः ॥६४॥

सुरा अन्न का मल है और मल को पाप कहते हैं । इस कारण ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य मदिरा को न पीवे ॥६३॥ गुड़ की और पिट्टी की तथा महुवे की, ये तीन प्रकार की सुरा जाननी चाहियें । जैसी एक वैसी ही सब द्विजोत्तमां को न पीनी चाहियें ॥६४॥ क्योकि:-

यक्षरक्षः पिशाचान्नं मद्यं मांसं सुरासवम् ।  
तद्ब्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हविः ॥६५॥  
अमेघ्ये वा पतेन्मत्तो वैदिकं वाप्युदाहरेत् ।  
अकार्यमन्यत्कुर्याद्वा ब्राह्मणो मदमोहितः ॥६६॥

यह राक्षस पिशाचों के अन्न-मद्य, मांस सुरा, आसव देवतो का हवि खाने वाले ब्राह्मण को भक्षण करने न चाहियें ॥६५॥ मद्य पीकर उन्मत्त हुआ ब्राह्मण अशुचि स्थान (मारी आदि) में गिरेगा वा वेद की वकवाद करेगा वा और कोई निषिद्ध कार्य करेगा (इस कारण मद्य न पीवे) ॥६६॥

यस्य कायगतं ब्रह्म मद्येनाप्लाव्यते सकृत् ।  
तस्य व्यपैति ब्राह्मण्यं शूद्रत्वं च स गच्छति ॥६७॥  
एषा विचित्राभिहिता सुरापानस्य निष्कृतिः ।  
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि सुवर्णस्तेयनिष्कृतिम् ॥६८॥

जिस ब्राह्मण के देह में रहने वाला वेदज्ञान एक बार भी मद्य



से डूब जाता है उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है और वह शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है ॥९७॥ यह सुगपान की विचित्र निष्कृति कही। अथ (तीसरे महापातक) सोने की चोरी का प्रायश्चित्त कहता हूँ ॥९८॥

सुवर्णस्तेयकृद्भिर्प्रो राजानमभिगम्यतु ।

स्वकर्मख्यापयन्त्रूयान् मां भवाननुशस्तिरिति ॥९९॥

ग्रहीन्वा मुसलं राजा सकृद्वन्यात्तु तं रत्रयम् ।

वधेन शुध्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव तु ॥१००॥

सोने की चोरी करने वाला ब्राह्मण राजा के पास जाकर अपने किये को प्रसिद्ध करके कहे कि मुझे आप शिवा दें ॥९९॥ राजा (उसके कन्धे पर लिये हुये) मूसल को लेकर उस (चोर) को एक बार मारे, मारने (पीटने) से ब्राह्मण चोर शुद्ध होता है और तप करने से भी (शुद्ध होता है) ॥१००॥

तपसाऽपननुत्सुस्तु सुवर्णस्तेयजं मलम् ।

धीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेद्ब्रह्महृणो व्रतम् ॥१०१॥

एतैर्व्रतैरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः ।

गुरुस्त्रीगमनीयं तु व्रतैरेभिरपानुदेत् ॥१०२॥

चोरी के पाप को तप से दूर करने की इच्छा करने वाला द्विज चोर को पहन कर वन में ब्रह्महत्या का व्रत करे ॥१०१॥ द्विज इन व्रतों से चोरी के पाप को दूर करे। और गुरु स्त्री के व्यभिचार सन्बन्धी पाप (चौथे महापातक) को इन (आगे कहे) व्रतों से दूर करे-॥१०२॥

गुरुतल्प्याभेभाष्येनस्तप्ते स्वप्यादयोमये ।



सूर्मीं ज्वलन्तीं स्वःशिलप्येन्मृत्युना स विशुध्यति ॥१०३॥

स्वयवा शिशनवृषणावुत्कृत्याधाय चाञ्जली ।

नैर्ऋतीं दिशमातिष्ठेदानिपातादजिह्वगः ॥१०४॥

गुरु-भायो-गामी पाप को प्रसिद्ध करके लाहे की तप्तशय्या में सेवे और लाहे की स्त्रां लाल करके उसके साथ आलिङ्गन करे । उससे मृत्यु पाकर वह शुद्ध होता है ॥१०३॥ वा आप ही लिङ्ग तथा वृषणां को काट कर अञ्जलि में लेकर जब तक शरीर न गिर जावे तब तक टेढ़ा चाल को न चलता हुवा सोधा नैर्ऋत्य दिशा में गमन करे ॥१०४॥

खट्वाङ्गी चोवासावा शमश्रुतो विजने वने ।

प्राजापत्यं चरेत् कृच्छ्रमब्दमेकंसमाहितः ॥१०५॥

चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्येन्नियतेन्द्रियः ।

हविष्येण यवाग्वा वा गुरुतन्पापनुत्तरे ॥१०६॥

अथवा खट्वाङ्ग चिन्ह और केश नख लोम शमश्रु का धारण करने वाला यदि होकर निर्जन वन में एक वर्ष पर्यन्त प्राजापत्य करे ॥१०५॥ अथवा जितेन्द्रिय रह कर ३ मास तक हविष्य तथा यवागू के भोजन से गुरु भार्या गमन सम्बन्धी पाप दूर करने के लिये चान्द्रायण व्रत करे ॥१०६॥

एतैर्ब्रतैरपोहेयुर्महापातकिनो मलम् ।

उपपातकिनस्त्वेवमेभिर्नानाविधैर्ब्रतैः ॥१०७॥

उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो मासं यवान् पिवेत् ।

कृतवापो वसेद्गोष्ठे चर्मणा तेन संवृतः ॥१०८॥



इन व्रतों को दूर करके महापातकी पाप को दूर करे, और उपपातकी (आगे कहे हुवे) नाना प्रकार के व्रतों से पाप दूर करें ॥१०७॥ उपपातरु से संयुक्त गौ का मारने वाला एक मास पर्यन्त यबो को पीवे, मुएहन किया और और गौ के चर्म से वेष्टित होकर गोष्ठ में रहे ॥१०८॥

चतुर्थकालमरनीयादन्नालवणं मितम् ।

गोमूत्रेणाचरेत्स्नानं द्वीमासौ नियतेन्द्रियः ॥१०९॥

दिवानुगच्छेद्गास्तास्तु तिष्ठन्नुर्ध्वं रजः पिबेत् ।

शुश्रूषित्वा नमस्कृत्य रात्रौ वीरासनं वसेत् ॥११०॥

और इन्द्रियों को वरा में करता हुआ दो मास पर्यन्त गोमूत्र से स्नान किया करे और न्वारी लवण वर्जित हविष्य अन्न का चौथे काल में थोड़ा भाजन किया करे ॥१०९॥ और दिन में उन गायों के पीछे चले और (तुर म ऊपर उड़ी, धूल को खड़ा हुआ पीवे और सेना तथा अन्न से सस्कार करके रात को 'वीरासन' हो कर पहरा देवे ॥११०॥

तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेत् व्रजन्तीष्वप्यनुव्रजेत् ।

आसीनासु तथासीनो नियतो वीतमत्सरः ॥१११॥

आतुरामभिषस्तां वा चौरव्याघ्रादिभिर्भयैः ।

पतितः पङ्कलग्ना वा सर्वापायैर्विमोचयेत् ॥११२॥

और मत्सरता रहित नियम पूर्वक दृढ होकर बैठी हुई गौ के पीछे बंठ जात्र और चलती हुई के पीछे चले और खड़ी हुईके साथ खड़ा रहे ॥१११॥ व्याधियुक्ता और चोर व्याघ्रादि के भयों से

आक्रान्ता तथा गिरी हुई और कीचड़ लगा हुई गौ का सब  
उपायों से छड़ावे ॥११२॥

उष्णे वर्षति शीते वा मारुतेवातिवाभृशम् ।

नकुर्वीतात्मनस्त्राणं गोरकृत्वातु शक्तितः ॥११३॥

आत्मनो यदि वाऽन्धेषां गृहे क्षेत्रेऽथवा खले ।

भक्षयन्तीं न कथयेत्पिबन्तं चैव वत्सकम् ॥११४॥

अनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गामनुगच्छति ।

स गोहत्याकृतं पापं त्रिभिमासैर्व्यपोहति ॥११५॥

वृषभैरुद्गायाश्च दद्यात्सुचरितव्रतः ।

अविद्यमाने सर्वेऽपि वेदविद्भयो निवेदयेत् ॥११६॥

उष्ण काल, शीत, वर्षा और अधिक वायु के चलने में यथा-  
शक्ति गौ का बचाव न करके (गोहत्या) अथवा बचाव न करे  
॥११३॥ और अपने वा दूसरे के घर में वा खेत में वा खलियान  
में भक्षण करती हुई गौ को और दूध पीते हुवे उसके बच्चे को  
प्रसिद्ध न करे ॥११४॥ इस विधान से जो गोहत्या वाला गौ की  
मेवा करता है वह उस गोहत्या के पाप को तीन महीने में दूर  
करता है ॥११५॥ अच्छे प्रकार प्रायश्चित्त व्रत करके एक बैल  
और दश गाय और इतना न हो तो अपना सर्वस्व धन वेद के  
जानने वाले ब्राह्मण को दे देवे ॥११६॥

एतदेव व्रतं कुयुरूपपातकिना द्विजाः ।

अवकीर्णिवर्ज्यं शुद्धचर्यं चान्द्रायणमथापि वा ॥११७॥

अवकीर्णी तु काणेन गर्दभेन चतुष्पथे ।



पाकयज्ञविधानेन यजेत निष्कृतिं निशि ॥११८॥

अवकीर्णी को छोड़ अन्य उपपातक वाले द्विज भी यही व्रत अथवा चान्द्रायण करे ॥११७॥ अवकीर्णी काने गधे पर चढ़ कर रात को चौराहे में जा पाकयज्ञ के विधान से निष्कृति देवता का यज्ञ करे ॥११८॥

हुत्वाग्नी विधिवद्बोमानन्ततरच समेत्यृचा ।

वातन्द्रगुरुवह्नीना जुहुयात्सर्पिपाहुतीः ॥११९॥

कामतो रेतसः सेकं व्रतस्थस्य द्विजन्मनः ।

अतिक्रामं व्रतस्याहुर्धर्मज्ञा ब्रह्मवादिनः ॥१२०॥

विधिवत् अग्नि में होम करके उसके अनन्तर' सं मा सिञ्चन्तु मरुत' सं पूषा सं बृहस्पतिः । सं मायमग्नि सिञ्चतु प्रजया च धनेन च । दीर्घमायु' कृणोतु मे ॥ अथर्व ७ । ३ । ३३ । १ इस ऋचा के साथ मरुत, इन्द्र, बृहस्पति और अग्नि को घृत सं आहुति दे ॥११९॥ (ब्रह्मचर्य) व्रत को धारण करने वाले द्विज के इच्छा से धीर्य स्वलन का वेदके जानने वाले धर्मज्ञ लोग ब्रह्मचर्य का खरिहत होना (अवकीर्णत्व) कहते हैं ॥१२०॥

मारुतं पुरुहूतं च गुरुं पावकमेव च ।

चनुरोव्रतिनोऽभ्येति ब्राह्म तेजोऽवकीर्षिनः ॥१२१॥

एतस्मिन्नेनासे प्राप्तं वसित्वा गर्दभाजिनम् ।

सप्तगारांश्च गङ्गां च स्वकर्म परिकीर्तयन् ॥१२२॥

व्रतवाले अवकीर्णी का ब्रह्मसम्बन्धी तेज मारुत, इन्द्र, गुरु और अग्नि इन चारों में चला जाता है (इस कारण इनको आहुति देकर फिर प्राप्त करे) ॥१२१॥ इस पातक के प्राप्त हुवे पर



गर्भके चमड़े को लपेट कर अपने किये अकीर्णिरूप पाप को प्रसिद्ध करता हुआ सात घरों से भिक्षा मांगे ॥१२२॥

तेभ्यो लब्धेन भैक्षेण वर्त्तयन्नैककालिकम् ।

उपस्पृशंस्त्रिषवणं त्वब्देन स विशुद्ध्यति ॥१२३॥

जातिभ्रन्शकरं कर्म कृत्वान्यतममिच्छया ।

चरेत्सान्तपन कृच्छ्रं प्राजापत्यमनिच्छया ॥१२४॥

उन घरों से प्राप्त हुवे भिक्षान्न से एक काल में भोजन से निर्वाह करता हुआ त्रिकाल स्नान करने वाला वह (पापी) एक वर्ष में शुद्ध होता है ॥१२३॥ इच्छासे कोई जाति भ्रंशकर कर्म करके (आगे कहा) सान्तपन कृच्छ्र और बिना इच्छा से (करने पर) प्राजापत्य व्रत करे ॥१२४॥

संकराऽपात्रकृत्य सु मासंशोधनमैन्दवम् ।

मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्वावकैस्त्र्यहम् ॥१२५॥

तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्मतः ।

वैश्येऽष्टमांशोवृत्तस्थे शूद्रे ज्ञेयस्तु षोडशः ॥१२६॥

(पूर्वोक्त) संकरी करण और अपात्रीकरण करने पर शुद्धि के लिये एक महीने तक चान्द्रायण व्रत करे और मलिनीकरणों में शुद्धिके लिये तीन दिन गरम यवागू पीवे ॥१२५॥ अच्छेआचरण करने वाले क्षत्रियके वधमें ब्रह्महत्या का चौथाई प्रायश्चित्त है। वैसे ही वैश्य के (वध) में आठवां और शूद्र के (वध) में सोलहवां भाग प्रायश्चित्त होना चाहिये ॥१२६॥

अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः ।

वृषभैकसहस्रा गा दद्यात्सुचरितव्रतः ॥१२७॥

अयद्वंदं चरेद्वा नियतो जटी ब्रह्मदणो व्रतम् ।

वसन्दूरतरे ग्रामाद् वृक्षमूलनिकेतनः ॥१२८॥

ब्राह्मण विना इच्छा से क्षत्रिय का मार कर अच्छे प्रकार व्रत करके एक बैल के सहित १ सहस्र गौओं का दान करे ॥१२७॥ अथवा जटा धारण करके दृढ़ होकर तीन वर्ष तक प्रज्ञहत्या का प्रायश्चित्त ग्राम से बहुत दूर वृक्षके नीचे रहता हुवा करे ॥१२८॥

एतदेव चरेद्वदं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः ।

प्रमाप्य दैव्यं वृक्षास्थं दद्याच्चैकशतं गवाम् ॥१२९॥

एतदेवव्रतंकृत्स्नं पणमासाञ्छूद्रहा चरेत् ।

वृषभैकादशा वापि दद्याद्विप्राय गाः सिताः ॥१३०॥

इसी व्रत को (विना इच्छा से) अच्छे आचरण वाले वैश्य की हत्या में ब्राह्मण एक वर्ष तक करे और एक सौ गौओं का दान देवे ॥१२९॥ इसी सम्पूर्ण व्रत को (विना इच्छा से) शूद्र का मारने वाला छ. महीने तक करे अथवा एक बैल तथा दश श्वेत गौ ब्राह्मण को देवे ॥१३०॥

मार्जारनकुलीं हत्वा चापं मण्डूकमेव च ।

श्वगोघोलूककाकांश्च शूद्रहत्याव्रतंचरेत् ॥१३१॥

पयः पिबेत्त्रिरात्रं वा योजनं वाऽध्वनोव्रजेत् ।

उपसृशेत्स्रवन्त्यां वा सूक्तं वाऽद्वैतं जपेत् ॥१३२॥

मार्जार, नेवला, चिड़िया, मेंढक, कुत्ता, गोधा, उलूक, काक इन को मार कर शूद्र हत्याका प्रायश्चित्त करो ॥१३१॥ अथवा तीन दिन नदी में स्नान करे वा तीन दिन जल देवता वाले ( आपोहिष्ठा इत्यादि ऋ० १० । ९ ) मूक्त को जपे ॥१३२॥

अग्निं काष्णायसीं दद्यात्सर्पं हत्वा द्विजोत्तमः ।  
 पलाकभारकं षण्ढे सैसकं चैकमापकम् ॥१३३॥  
 घतकुम्भं वराहे तु तिलद्रोणं तु तित्तिरौ ।  
 शक्रेद्विहायनं वत्सं क्रौञ्चं हत्वा त्रिहायणम् ॥१३४॥

ब्राह्मण सर्प को मार कर लोहे की करछल का दान करे ।  
 चार नपुंसक के मारने पर धान्यके पलाल का भार और १ माषा  
 मात्र सीसा देवे ॥१३३॥ सूकर के मर जाने पर घी भर घडा और  
 तीतर मरजाने में चार आठक तिल और तोते के मर जाने पर  
 दो वर्ष का बछड़ा और क्रौञ्च पक्षी को मारकर तीन वर्ष का  
 (वत्स देवे) ॥१३४॥

हर्या हंसं वलाकां च बकं बर्हिणमेव च ।  
 वानरं श्येनभासौ च स्पर्शयेद्ब्राह्मणाय गाम् ॥१३५॥  
 वासोदद्याद्धयं हत्वा पञ्चनीलान्वृषान्गजम् ।  
 अजमेषान्नद्धाहं खरं हत्वौकहायनम् ॥१३६॥

हंस, वलाका, बक, वानर, श्येन और भास इन को मारकर  
 ब्राह्मण को गाय देवे ॥१३५॥ अश्व को मार कर वस्त्र देवे और  
 गज को मार कर पांच नील बैल, बकरे और मेढे को मार कर बैल  
 देवे और गधे को मार कर एक वर्ष का (वत्स) देवे ॥१३६॥

क्रव्यादांस्तु मृगान् हत्वा घेनुं दद्यात्पयस्विनीम् ।  
 अक्रव्यादान्वत्सतरीमुष्टं हत्वा तु कृष्णलम् ॥१३७॥  
 जीनकामुं कवस्तावान्पृथग्दद्याद्विशुद्धये ।  
 चतुर्णां पितृणां नारीर्हत्वाऽनवस्थिताः ॥१३८॥

कन्याद् व्याघ्रादि को मार कर दूध वाली गौ और हरिणादि को मारकर बद्धिया और ऊंटको मारकर १ कृष्णल मात्र (मोना) देवे ॥१३७॥ चारो घणों की क्रमसे चिगादी हुई म्त्रियों के बिना जाने मर जाने पर शुद्धि के लिये चर्मपुट, घनुप बकरा और मेप पृथक् २ देवे ॥

१३८ वें से आगे यह श्लोक ५ पुस्तको में अधिक मिलता है:—

[वर्णानामानुपूर्व्येण त्रयाणामग्निशेषतः ।

अमत्या च पूमाप्य स्त्री शूद्रहत्याव्रतं चरेत् ।

क्रम से तीनों वर्णों में से किसी स्त्री को भूल में मारने वाला शूद्रहत्या का प्रायश्चित्त करे) ॥१३८॥

दानेन वधनिर्णोकं सर्पादीनामशकनुवन् ।

एकैकशश्चरेत्कच्छ्वं द्विजः पापापनुत्तये ॥१३९॥

अस्थिमतां तु सत्त्वानां व्रत सहस्रस्य प्रमापणे ।

पूर्णे चानस्यनस्थनां तु शूद्रहत्याव्रतं चरेत् ॥१४०॥

सर्पादि के वध के प्रायश्चित्तार्थ दान करने को असमर्थ द्विज पाप दूर करने को एक एक कृच्छ्र व्रत करे ॥१३९॥ अस्थि वाले सहस्र चुट्ट जीवों के वध में शूद्र वध का प्रायश्चित्त करे और अस्थि रहित जीवों के एक गाड़ी भर के वध में भी (उसी प्रायश्चित्त को करे) ॥१४०॥

त्रिचिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे ।

अनस्थनां चैव हिंसायां प्राणायामेनशुध्यति ॥१४१॥

फलदानांतु वृक्षाणां छेदनेजप्य मृकशातम् ।

गुल्मधल्लीलतानां च पुष्पितानां च वीरुषाम् ॥१४२॥

अस्थि वाले चन्द्रजन्तुओं के वधमें ब्राह्मण को कुछ देदेवे और अस्थिरहित चन्द्रजन्तुओं के वध में प्राणायाम से शुद्ध होता है ॥१४१॥ फल देने वाले वृक्षों गुल्मों बेल लता और पुष्पित वीरुधों के काटने में सौ (सावित्र्यादि) ऋचाओं को जपे ॥१४२॥

अन्नाद्यजानां सत्त्वानां रसजानां च सर्वशः ।

फलपुष्पोद्भवानां च घृतप्राशोविशोधनम् ॥१४३॥

कृष्टजानामोषधीनां जातानां च स्वयं वने ।

वृथालम्भेऽनुगच्छेद्गानां दिनमेकं पत्रव्रतः ॥१४४॥

अन्नादि और गुड़ादि रसों और फल पुष्पादि में उत्पन्न हुये जीवों के वध में "घृत का प्राशन" पाप शोधन है ॥१४३॥ खेती से उत्पन्न हुये और वन में स्वयं उत्पन्न हुये धान्यों के वृथा छेदन में दुग्ध का आहार करता हुआ एक दिन गौ के पीछे चले ॥१४४॥

एतैर्व्रतैपोह्य स्यादेनोर्हिसासमुद्भवम् ।

ज्ञानाज्ञानकृतकृत्स्नं शृणुतानाद्यभक्षणं ॥१४५॥

अज्ञानाद्धारुणीं पीत्वा संस्कारेणैव शुध्यति ।

मतिपूर्वमनिर्देश्यं प्राणान्तिकमिति स्थितिः ॥ १४६॥

इन प्रायश्चित्तों को करके हिंसा जनित पाप जो कि जाने वा बिना जाने कियाहो उसको दूर करना चाहिये । अब आगे अमक्ष्य भक्षण के प्रायश्चित्त सुनो ॥१४५॥ अज्ञान से वारुणी मदिरा पीकर संस्कार से ही शुद्ध होता है और इच्छा पूर्वक पीने से प्राणान्तिक वध अनिर्देश्य है । यह मर्यादा है ॥१४६॥

अपः सुराभाजनस्थामद्यभारुड स्थितास्तथा ।





पंचरात्रं पिवेत्पीत्वा शंखपुष्पीशृतं पयः ॥१४७॥

स्पृष्ट्वा दत्त्वा च मदिरां विधिवत्प्रतिगृह्य च ।

शूद्रोच्छिष्टाश्च पीत्वापः कुशवारिपिवेत्यहम् ॥१४८॥

मद्य की बोतल में रखवा पानी तथा मद्य के करवे के पानी को पीने वाला शंखपुष्पी को पानी में औटा कर पांच दिन पीवे ॥१४७॥ मदिरा को स्पर्श करके वा दंकर तथा ग्रहण करके और शूद्र के उच्छिष्ट पानी को पीकर तीन दिन विधिपूर्वक कुशो का काढ़ा पीवे ॥१४८॥

ब्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमाघ्राय सोमपः ।

प्राणानप्सु त्रिरायम्य घृतं प्राश्य विशुद्धयति ॥१४९॥

अज्ञानात्प्राश्यविण्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च ।

पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयोवर्णा द्विजातयः ॥१५०॥

सोमयज्ञ क्रिया हुआ ब्राह्मण मद्य पीने वालेको सूँघ कर पानी में तीन बार प्राणायाम कर घृत का प्राशन करके शुद्ध होता है ॥१४९॥ बिना जाने मल मूत्र और सुरा से स्पर्श हुवे प्राशन करके तीनों द्विज वर्ण फिर से संस्कार के योग्य हैं ॥१५०॥

वपनं मेखलादण्डौ भैक्षचर्या व्रतानि च ।

निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कार कर्मणि ॥१५१॥

अभोज्यानां तु भुक्त्वाच्च स्त्रीशूद्रोच्छिष्टमेव च ।

जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं च सप्तरात्र यवान्पिबेत् ॥१५२॥

द्विजातियो के फिर से उपनयन होने में सुराहन, मेखला का धारण दण्डधारण भिक्षा और व्रत (ये सब) नहीं होते हैं ॥१५१॥



जिनका भोजन करने के योग्य नहीं, उनका अन्न और स्त्री का तथा शूद्र का उच्छिष्ट और मांस और अन्य अभक्ष्य खालेवे तो सात दिन जौ के सत्तू पीवे ॥१५२॥

शुक्तानि च कषायांश्च पीत्वामेध्यान्यपिद्विजः ।

तावद्भवत्यप्रयतो यावत्तन्न व्रजत्यघः ॥१५३॥

विड्वराहखरोष्ट्राणां गोमायोः कपिकाकयोः ।

प्राश्य मूत्रपुरीषाणि द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥१५४॥

सिरका आदि सड़ी प्राह्य वस्तु भी और काढ़ा पीकर तब तक द्विज अशुद्ध रहता है जब तक वह पचकर नीचे नहीं जाता ॥१५३॥ ग्राम का सूकर खर उष्ट्र शृगाल, वानर और काक के मूत्र वा मल को द्विजाति भक्षण करले तो चान्द्रायण व्रत करे ॥१५४॥

शुष्काणि भुक्त्वा मांसानि भौमानि कवकानि च ।

अज्ञानं चैव सूनास्थमेतदेव व्रतं चरेत् ॥१५५॥

“कन्यादसूकरोष्ट्राणां कुक्कुटानां च भक्षणे ।

नरकाकखराणां च तप्तकृच्छ्रं विशोधनम् ॥१५६॥

सूखे मांस और पृथिवी में उत्पन्न हुवे कुकुरमुत्ता और बे जाने हिंसा स्थान के मांसको भक्षण करले तो भी यही (चान्द्रायणव्रत) करे ॥१५५॥ “कच्चे मांस के खाने वाले और शूकर उष्ट्र, मुरगा नर और काक को भक्षण करले तो (आगे कहे हुये) तप्तकृच्छ्र व्रत को करे। यह शोधन है” ॥१५६॥

“मासिकान्तु योऽश्नीयादसमावर्त्तं को द्विजः ।

स त्रीण्यहान्युपवसेदेकाहं चोदकं वसेत् ॥१५७॥

ब्रह्मचारी तु योऽश्नीयान्मधुमांसं कथञ्चन ।



स कृत्वा प्राकृतं कृच्छ्रं व्रतशेषं समापयेत् ॥१५८॥”

जो द्विज ब्रह्मचारी मासिक श्राद्ध के अन्न को भोजन करे वह तीन दिन उपवास करे और एक दिन जल में निवास करे ॥१५७॥ जो ब्रह्मचारी मद्य भ.स को किसी प्रकार भक्षण करे वह प्राकृत कृच्छ्रव्रत करके व्रत शेष को समाप्त करे” ॥

(१५७। १५८ श्लोक भी मृतकश्राद्ध और मांस प्रचारको ने मिलाये जान पड़ने हैं। भला जब श्राद्ध को वैदिक कर्म बताते हैं तो उसमें भोजन करने वाले को प्रायश्चित्ति क्यों बतलाते हैं। यह विरोध और मांस सभी को अभक्ष्य है तो ब्रह्मचारी को मद्य मांस के सेवन में प्राकृत कृच्छ्रमात्र अल्प प्रायश्चित्त क्यों ?)

विडालकाकाखाच्छष्टं जग्ध्वाश्वनकुलस्य च ।

केशक्रीटावपन्नं च पित्रेद्ब्रह्मसु वर्चलाम् ॥१५९॥

अमोज्यमन्नं नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता ।

अज्ञानभुक्तं तूत्तार्यं शौर्ध्यं वाऽप्याशु शोधनैः ॥१६०॥

बिल्ली, काक, मूसा, कुत्ता और नेवला के उच्छिष्ट और केश तथा कीट से युक्त अन्न को भोजन करके ब्रह्मसुवर्चला का काटा पीवे (दा पुस्तको में “ब्राह्मी सुवर्चलाम्” पाठ है) ॥१५९॥ अपने को पवित्र रहने की इच्छा करने वाला भोजन के अयोग्य अन्न का भोजन न करे और बिना जाने खाये को वमन करके निकाले वा शोधन द्रव्यों से शीघ्र शोधन करे ॥१६०॥

एषोऽनाद्यदनस्योक्तो व्रतानां विविधोविधिः ।

स्तेयदोषापहर्तृणां व्रतानां श्रूयतां विधिः ॥१६१॥

धान्यान्नघनचौर्याणि कृत्वाकामाद्द्विजोत्तमः ।



स्वजातीयगृहादेव कृच्छ्राब्देन विशुध्यति ॥१६२॥

अभक्ष्यभक्षणमें जो प्रायश्चित्त हैं उनके ये नानाप्रकारके विधान कहे । अब चोरी के दोष दूर करने वाले व्रतो का विधान सुनिये ॥१६१॥ ब्राह्मण अपने जाति वाले ही के घर से धान्य, अन्न और धन को चोरी इच्छा से करके एक वर्ष कृच्छ्रव्रत करने से शुद्ध होता है ॥१६२॥

मनुष्याणां तु हरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च ।

कूपवापीजलानां च शुद्धिश्चान्द्रायणं स्मृतम् ॥१६४॥

द्रव्याणामल्प त्राणां स्तेयं कृत्वाऽन्यवेशमतः ।

चरेत्सान्तपनं कृच्छ्रं तन्निर्यात्यात्मशुद्धये ॥१६४॥

पुरुष स्त्री, क्षेत्र, गृह, कुवा बावड़ी और पानी के हरण करने में चान्द्रायण व्रत कहा है ॥१६३॥ दूसरे के घर से (खीरा, ककड़ी मूली इत्यादि) तुच्छ वस्तुओं की चोरी करके अपनी शुद्धि के लिये वह वस्तु जिसकी है उसको देकर (आगे कहा) सान्तपन कृच्छ्र-व्रत करे ॥१६४॥

भक्ष्यभोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च ।

पुष्पमूलरुतानां च पंचगव्यं विगोधनम् ॥१६५॥

तृणकाष्ठद्रुमाणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च ।

चैलचर्मामिषाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम् ॥१६६॥

(मोदक खीर आदि) भक्ष्य भोज्य पदार्थों और सवारी शय्या आसन तथा पुष्पमूल और फल के चुराने में पंचगव्य का पान करना ( और वस्तु उसकी उसी को दे देना ) शोधन है ॥१६५॥ घास लकड़ी वृक्ष, शुष्कान्न, गुड़ कपडा, चमड़ा और मांस के



चुराने में तीन रात्रि दिन उपवास करे ॥१६६॥

मणिमुक्ताप्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य च ।

अथः कांस्योपलानां च द्वादशाहं कथानता ॥१६७॥

कापसकीटजीर्णानां द्विशफैकशफस्य च ।

पद्मिगन्धौषधीनां च रज्ज्वाश्चैव त्र्यहं पयः ॥१६८॥

मणि, मोती, मूद्गा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसी उपल पत्थर के चुराने में १२ दिन चावल की खुट्टी का भोजन करे ॥१६७॥ कपास रेशम ऊन और ब्रैल आदि दो खुर वाले, घोड़ा आदि एक खुर वाले पत्ती चन्द्रनादि गन्ध औषध तथा रस्सी के चुराने में तीन दिन पानी पीकर रहे ॥१६८॥

एतैर्व्रतैरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विज ।

अगम्यागमनीयं तु व्रतैरेभिरपानुदेत् ॥१६९॥

गुरुतल्पव्रतं कुर्याद्रितः सिक्त्वा स्वर्गोनिषु ।

सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारीध्वन्त्यजासु च ॥१७०॥

द्विज इन व्रतों से चोरी के पाप को दूर करे और जो गमन करने से अयोग्य हैं उनके साथ गमन करने के पाप को इन आगे कहे व्रतों से दूर करे ॥१६९॥ अपनी सगी बहन तथा मित्र की भार्या और पुत्र की स्त्री तथा कुमारी और चण्डाली के साथ गमन करने में गुरुस्त्रीगमन का प्रायश्चित्त करे ॥१७०॥

पैतृश्वमेयीं भगिनीं स्वस्त्रीयां मातुरेव च ।

मातुश्च भ्रातुस्तनयां गत्वा चान्द्रायणं चरेत् १७१॥

एतान्तिवस्तु भार्यार्थे नोपगच्छेत् बुद्धिमान् ।

ज्ञातित्वेनानुपेयास्ताः पतति ह्युपयन्मघः ॥१७२॥

पिता की बहन की लड़की तथा माता की बहन की लड़की और माता के भाई की बेटी (इन ३ बहनों) के साथ गमन करने से चान्द्रायण व्रत करे ॥१७१॥ इन तीनों को बुद्धिमान् भार्या के अर्थ न ग्रहण करे। ज्ञाति होने से ये विवाह करने के अयोग्य हैं इनके साथ विवाह करने वाला नीचता को प्राप्त होजाता है ॥१७२॥

अमानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु ।

रेतः सिक्त्वा जले चैव कृच्छ्रं सान्तपनं चरेत् ॥१७३॥

“मैथुनं तु समासेव्य पुंसि योपिति वा द्विजः ।

गोयानेऽप्सु दिवा चैव सवासाः स्नानमाचरेत् ॥१७४॥”

अमानुषी योनियो और रजस्वला और जल में वीर्य को स्खलित करके पुरुष सान्तपन कृच्छ्रव्रत करे ॥१७३॥ “द्विज पुरुष में वा स्त्री में मैथुन करके तथा बेल की गाड़ी में या पानी में वा दिनमें मैथुन करके सचैल स्नान करे ॥” (१७४ वां श्लोक प्रक्षिप्त है क्योंकि इसमें कोई प्रायश्चित्त विशेष नहीं कहा “स्नानं मैथुनिः स्मृतम्” यह तो विहित मैथुन में भी स्नान का विधान है। फिर भला ऐसे बड़े अप्राकृत पाप कर्म में इतना अल्प स्नान और वस्त्र धो लेना मात्र भी कोई प्रायश्चित्त गिना जा सकता है ?) ॥१७४॥

चण्डालान्त्यस्त्रियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च ।

पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यंतु गच्छति ॥१७५॥

विप्रदुष्टां स्त्रियं भर्ता निरुन्ध्यादकवेशममि ।

यत्पुंसः परदारेषु तच्चैना चारयेद् व्रतम् ॥१७६॥

चण्डाल और नीच की स्त्रियो से गमन और इनके यहां



भोजन करके तथा प्रतिग्रह लेकर विना जाने विप्र पतित हो जाता और जान कर करने से उन्हीं में भिन जाना है ॥१७५॥ दुष्टा स्त्री को भर्ता एक घर में बन्द रखे और जो पुरुष को पराई स्त्री के गमन करने में प्रायश्चित कहा है वह उस (स्त्री) से करावे

सा वेत्पुनः प्रदुष्येत्तु सदृशेनोपयन्त्रिता ।

कृच्छ्रं चान्द्रायणे चैव तदस्याः पावनं स्मृतम् ॥१७७॥

यदि अपने सजातीय पुरुष की बहकाई हुई फिर विगड जावे तो इसका पवित्र करने वाला कृच्छ्रचान्द्रायण व्रत कहा है ॥

(१७७ वें में आगे ३ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है -)

[ब्राह्मणक्षत्रियविशां स्त्रियः शूद्रेऽपसंगताः ।

अप्रजाताविशुध्येयुः प्रायश्चित्तेन नेतराः॥ ]

द्विजों की जो स्त्रिये शूद्र से मङ्ग करें वे सन्तान, उत्पन्न न करे तब तो (उक्त) प्रायश्चित्त से शुद्ध हों परन्तु सन्तान उत्पन्न कर लेने वाली नहीं ॥१७७॥

यत्करोत्येकरात्रेण वृषली सेवनाद् द्विजः ।

तद्भैक्ष्यभृग्जपन्नित्यं त्रिभिर्वर्षैर्व्यपोहति ॥१७८॥

वेश्या वा शूद्रा गमन में एक रात्रि में द्विज जो पाप करता है, उस (पाप) को नित्य भिक्षा मांग कर भोजन और गायत्री का जप करने से तीन वर्ष में दूर कर पाता है ॥१७८॥

एषा पापकृतोमुक्ता चतुर्णामपि निष्कृतिः ।

पतिनैः संग्रयुक्तानामिमाः शृणुत निष्कृतीः ॥१७९॥

भवत्सङ्गेण पतति पतितेन सहाचरन् ।



याजनाध्यापनाद्यौनाच्च तु यानासनाशनात् ॥१८०॥

यह पाप करने वाले चारों वर्णों की निष्कृति ( प्रायश्चित्त ) कही । अब इन पतितों के साथ मिलने वालों के प्रायश्चित्तों को सुनियें-॥१७९॥ एक वर्ष तक पतित के साथ मिल कर यज्ञ कराने, पढ़ाने और योनिसम्बन्ध करने से पतित हो जाता है, परन्तु सहयान सह-आसन और सह भोजन से नहीं ॥१८०॥

यो येन पतितेनैषां संसर्गं याति मानवः ।

स तस्यैव व्रतं कुर्यात्संसर्गविशुद्धये ॥१८१॥

“पतितस्योदकं कार्यं सपिण्डैर्वान्धवैर्वहिः ।

निन्दितेऽहनि सायाह्ने ज्ञात्यृत्विग्गुरुसन्निधौ ॥१८२॥”

जो मनुष्य इन पाप करने वालों में से जिन के संसर्ग को पाकर पतित होता है, वह उस के संसर्ग की शुद्धि के लिये वही व्रत करे ॥१८१॥ ‘सपिण्ड वान्धव लोग प्राम के बाहर जीते हुंवे ही पतित की उक्कक्रिया निन्दित दिन के सायंकाल में ज्ञाति वाले ऋत्विज् और गुरु के सामने करें ॥१८२॥”

‘दासीघटमपां पूर्णं पर्यस्येत्प्रेतवत्पदा ।

अद्दोरात्रमुपासीरन्नाशौचं वान्धवैः सह ॥१८३॥

निवर्तेरंश्च तस्मात्तु सम्भाषणसहासने ।

दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चैव हि लौकिकी ॥१८४॥’

‘और दासी जल भरे घड़े को प्रेतवन् (दक्षिणामिमुख होकर) पैरसे गिरावे और वान्धवों के साथ एक दिन रात आशौच रखे’ ॥१८३॥ और उस पतित से बोलना, साथ बैठना और दायभाग देना और नौता, खौत सब छोड़ देवे ॥१८४॥”

ज्येष्ठता च निवर्तेत ज्येष्ठावाप्यं च यद्धनम् ।





ज्येष्ठांशं प्राप्नुयाच्चास्य यवीयान्गुणतोऽधिकः । १८५।

प्रायश्चित्ते तु चरिते पूर्णकुम्भमपा नवम् ।

तेनैव सार्धं प्रास्त्रेयुः स्नात्वा पुरये जलाशये । १८६।

“और बड़ाई और ज्येष्ठपने का उद्धार धन भी छूट जावे तथा बड़े का भाग, जो छेटा गुणमें अधिक हो, वह पावे ॥१८५॥ परन्तु प्रायश्चित्त करने पर पानी में भरे हुये नये घड़े को उस के साथ बान्धव लोग पवित्र जलाशयमें स्नान करके डाल दें ॥१८६॥

“स त्वप्सु तं घटं प्रास्य प्रविश्य भवनं स्वकम् ।

सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि यथापूर्वं समाचरेत् ॥१८७॥

एतदेवविधिं कुर्याद्योपित्सु पतिताम्बपि ।

वस्त्रान्नपानं देयं तु वसेयुश्च गृहान्तिके ॥१८८॥”

और वह उस घड़े को पानी में फेंक कर अपने मकान में आकर यथोक्त सम्पूर्ण ज्ञातिकर्मों को करने लगे ॥१८७॥ पतित स्त्रियों के विषय में भी यही विधि करे और खाना कपड़ा ढेवे तथा घर के पास दूसरे मकान में रहने दें” ( १८२ से १८८ ) तक ७ श्लोक भी प्रक्षिप्त जान पड़ते हैं क्यों कि प्रथम तो मृतक श्राद्ध ही वैदिक नहीं । फिर पतित का जीवने हुये ही मृतकवत् श्राद्ध आशौचादि सब व्यर्थ हैं । पतित के साथ सब प्रकार के सम्बन्ध छोड़ देना पूर्व कह ही आये । इस के दायभाग का निषेध दायभाग प्रकरणमें कर आये । यहा प्रायश्चित्तमात्र का प्रकरण है । आशौच और दायभाग का वर्णन यहां प्रकरण विरुद्ध भी है ) ॥१८८॥

एनस्त्रिभिरनिर्णयैर्नार्थं किञ्चित्सद्राचंम् ।

कृतनिर्णयनांश्चैव न जुगुप्सेत् कर्हिचित् । १८९।

बालघनांश्च कृतघनांश्च विशुद्रानपि धर्मतः ।

शरणागतहन्तृंश्च स्त्रीहन्तृंश्च न सम्बसेत् ॥१६०॥

बिना प्रायश्चित्त किये हुवे पाप करने वालो के साथ कुछ भी व्यवहार न करे और प्रायश्चित्त किये हुवो की कभी निन्दा न करे ॥१६०॥ परन्तु बालक को मारने वाले और किये उपकार को दूर करने वाले तथा शरण आये को और स्त्री को मारने वाले के साथ धर्म से शुद्ध होने पर भी न रहे ॥१६०॥

येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि ।

तांश्चारयित्वा त्रीन् कृच्छ्रान्यथाविध्युपनाययेत् ॥१६१॥

प्रायश्चित्तं चिकीर्षन्ति विकर्मस्थास्तु ये द्विजाः ।

ब्रह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत् ॥१६२॥

जिन द्विजातियो का उक्त काल मे यथा शास्त्र गायत्री उपदेश और उपनयन न किया गया हो, उन को तीन कृच्छ्र व्रत कराकर यथा शास्त्र उपनयन करे ॥१६१॥ विरुद्ध कर्म करने वाले और द को न पढ़े हुवे द्विज प्रायश्चित्त करना चाहें तो उन को भी द ही तीन कृच्छ्र का प्रायश्चित्त बतावे ॥१६२॥

यद्गर्हितेनार्चयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा धनम् ।

तस्योत्सर्गेण शुद्ध्यन्ति जपेनतपसैव च ॥१६३॥

जपित्वा त्रीणिसावित्र्याः सहस्राणि समाहिताः ।

मासं गोष्ठेपयः पीत्वा मुच्यतेऽसत्प्रतिग्रहात् ॥१६४॥

जो ब्राह्मण निन्दित कर्म करके धन कमाते हैं, वे उस के देने और जप तप से शुद्ध होते हैं ॥१६३॥ एकाग्रचित्त हुवा



तीन सहस्र गायत्री का जप कर गोष्ठमे एक महीने भर दुग्धाहार करके बुरे दान लेने के पाप से छूटता है ॥१९४॥

उपवासकृशां तं तु गोत्रजात्पुनरागतम् ।

प्रणतं प्रतिपृच्छेयुः साम्यं सौम्येच्छसीति किम् ।१९५॥

सत्यमुक्त्वा तु विप्रेषु विकिरेघवमं गवाम् ।

गोभिः प्रवर्तिते तीर्थे कुर्युस्तस्य परिग्रहम् ॥१९६॥

उस उपवास से कृश और गोष्ठ मे आये तथा नम्र हुवे को ( ब्राह्मण ) पूछे कि सौम्य ! क्या तू हम लोगों के बराबर होना चाइता है ॥१९५॥ ब्राह्मणो के आगे ठोक र कह क गायो को घास देवे । गायो के पवित्र किये तीर्थ मे वे ( ब्राह्मण ) उस का समान व्यवहार आरम्भ करे ॥१९६॥

ब्रात्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकर्म च ।

अभिचारमहीनं च त्रिभिः कृच्छ्रैर्व्यपोहति ।१९७॥

श.श.गतं परित्यज्य वेदं विप्लान् च द्विजः ।

संवत्सरं यवाहारस्तत्पापनपसेधते ।१९८॥

( पूर्वोक्त ) ब्राह्मणो को यज्ञ कराने और दूसरो की अन्त्येष्टि कराने तथा अहीन अभिचार कराने पर ३ कृच्छ्रो से शुद्ध होता है ॥१९७॥ शरण आये को परित्याग करके और पढ़ाने के अयोग्य को वेद पढा कर उस से उत्पन्न हुवे पाप को एक वर्ष तक जौ का आहार करने वाला दूर करता है ॥१९८॥

असृगालखरैर्दृष्टो ग्राम्यैः क्रव्यादिमरेव च ।

नरारवोष्ट्वराहैश्च प्राणायामेन शुध्यति ।१९९॥

कृत्ता, सियार खर, मनुष्य घोड़ा, ऊँट, सूकर वा अन्य ग्राम वासी मांमाहारियो से काटा हुआ मनुष्य प्राणायाम से शुद्ध होता है ।

( १९९ वे से आगे एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक है :-

[ शुना घ्रातोपलीढस्य दन्तैर्विदलितस्य च ।

अद्भिः प्रक्षालनं प्रोक्तमग्निना चोपचलनम् ] ॥

अर्थात् जो वस्तु कुत्ते ने मूँधी चाटी वा दांतोंसे चावी हो, उस का पानी से धोना और अग्नि से पकाना कहा है ) ॥१९९॥

पष्ठान्नकालता मासं संविताजप एव वा ।

होमाश्च सकला नित्यपपाङ्क्त्यानां दिशोधनम् २००

पंक्ति रहितों का विशेष करके शोधन यह कहा है कि तीन दिन उपवास करके एक मास तक सा गङ्गाल में भोजन करना और वेद-संहिता का पाठ और सम्पूर्ण होमों को करना ( आठ पुस्तकों में सकला=शाकला पाठ भेद है ) ॥२००॥

उष्ट्रयानं समारुह्य खरयानं तु कामतः ।

स्नात्वा तु विप्रोदिग्वासाः प्राणायामेन शुष्यति ॥२०१॥

विनाद्भिरप्सु वाप्यार्तः शरीरं सन्निवेश्य च ।

सचैतो बहिराप्तुत्य गामालभ्य विशुध्यति ॥२०२॥

ऊँट तथा गधे की सवारी पर इच्छा से चढ़ कर ब्राह्मण नग्न हो, स्नान करके प्राणायाम से शुद्ध होता है ॥२०१॥ विना जल से या जल में ही मल मूत्रादि करके चाहे रोगी भी हो, वस्त्र के सहित नगर के बाहर ( नदी में ) स्नान करके और पृथ्वी को छूकर शुद्ध होता है ॥२०२॥



वेदादितानां नित्यानां कर्मणां नमनिक्रमे ।

स्नानकत्रतलोपं च प्रायश्चित्तमभोजनम् ॥२०३॥

हुङ्कारं ब्राह्मणशाक्या त्रुङ्कारं च गरीयसः ।

स्नात्वाऽनश्नन्नहः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत् ॥२०४॥

वेद में कहे हुए नित्यकर्म के लूटने और स्नानक ब्राह्मणचारी के अत लोप में भोजन न करना प्रायश्चित्त कता है ॥२०३॥ ब्राह्मण को 'हुम्' ऐमा कह कर और विद्यादि में वड को 'तू' ऐमा कह स्नान करके भूखा रह, दिन भर हाथ जोड कर अभिवादन से प्रसन्न करे ॥२०४॥

ताडयित्वा तृणनापि कण्ठे वावध्य वासमा ।

धिवादे वा विनिर्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत् ॥२०५॥

"अवगूर्य त्वदशतं सहस्रमभिहत्य च ।

जिघांसया ब्राह्मणम्य नरकं प्रतिपद्यते ॥२०६॥"

तृण में भी (ब्राह्मण) को मार कर या गले में कपडा डाल कर तथा बकवास में जीने तो हाथ जोड उसे प्रसन्न करे ॥२०५॥ "ब्राह्मण को मारने को इच्छा पूर्वक दण्ड उठाने से माँ वर्ष तक नरक को प्राप्त होता है और यदि दण्ड में मारे तो १००० वर्ष तक नरक में रहता है ॥२०६॥"

"शोणितं यावत्. पांमून्मंगृह्णाति महीतले ।

तावन्त्यञ्जसहस्राणि तत्कर्त्ता नरके वसेत् ॥२०७॥"

(मारें हुये ब्राह्मण का) रुधिर भूमिके जितने रज. कणों को भिगोता है उतने हजार वर्ष रुधिर निकालने वाला नरक में वास करता है ॥" (२०६ । २०७ भी प्रकरण विरुद्ध और अत्युक्त तथा



पुनहत्त भी हैं। यहां प्रायश्चित्त मात्र का प्रकरण है सो २०८ वें में ब्राह्मण को दण्डा उठाने, मारने और रुधिर निकालने को प्रायश्चित्त कहे ही हैं। फिर पूर्व वर्णित नरकादि गति को यहां दुवारा वर्णन करनेकी आवश्यकता कुछ भी नहीं है) ॥२०७॥

अवगुणं चरेत्कृच्छ्रमतिहृच्छं निपातने ।

कृच्छ्रं तिकृच्छ्रौ कुर्वीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम् ॥२०८॥

ब्राह्मण को मारने के लिये दण्डा उठाने से कृच्छ्र प्रायश्चित्त करे और दण्डा मारने से (आगे कइ) अतिकृच्छ्र और रुधिर निकल आवे तो दोनो प्रायश्चित्त करे ॥२०८॥

अनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानामपनुत्तरे ।

शक्तिं चावेक्ष्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत् ॥२०९॥

यैरभ्युपायैरेनांसि मानवो व्यपकर्षति ।

तान्वोऽभ्युपायान्वक्ष्यामि देवर्षिपितृसेवितान् ॥२१०॥

जिन पापों का प्रायश्चित्त नहीं कहा है उन पापों के दूर करने को शक्ति और पाप को देख कर प्रायश्चित्त की कल्पना कर लेवे ॥२०९॥ जिन उपायो से मनुष्य पापों को दूर करता है उन देव ऋषि, पितरो के क्रिये हुवे उपायो को तुमसे कइता हूं ॥२१०॥

अथ प्रातरुपहं सायं अथमद्यद्वाचिनम् ।

अथ परंच नाशनीयात्प्राजापत्यं चरन्द्विजः ॥२११॥

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम् ।

एकरात्रोपवासश्च कृच्छ्रं सान्नपनं स्मृतम् ॥२१२॥

प्राजापत्य कृच्छ्र के आचरण करने वाला द्विज तीन दि-

## एकादशाध्याय



प्रातः काल और तीन दिन सायं काल भोजन करे और तीन दिन अयाचित अन्न का भोजन करे तथा परले तीन दिन उपवास करे, (यह बारह दिन का एक प्राजापत्य" व्रत होता है) ॥२११॥  
गोमूत्र गोबर, दुग्ध दधि, घृत और कुशा के पानी का एक दिन भक्षण करे और इसके पश्चात् एक दिन रात्रि का उपवास करे इसको "सान्तपन कृच्छ्र" कहा है ॥२१२॥

एकैकं ग्रासमशनीयात्त्र्यहाणि त्रीणि पूर्ववत् ।

इयहं चोपवसेदन्त्यमतिकृच्छ्रं चरन्दिजः ॥२१३॥

तप्तकृच्छ्रं चरन् विप्रो जलदीरवतानितान् ।

प्रतित्र्यहं पिबेदुष्णान्सकृत्स्नार्या समाहितः ॥२१४॥

(कृच्छ्रव्रत) "अतिकृच्छ्र" आचरण करने वाला ३ सायं ३ प्रातः ३ अयाचित इन ९ दिन में एक एक ग्रास भोजन करे और अन्त के ३ दिन उपवास करे ॥२१३॥ 'तप्तकृच्छ्र' का आचरण करने वाला द्विज, स्थिर चित्त हुआ एक बार स्नान करके तीन दिन उष्ण जल पीवे और तीन दिन उष्ण दूध, डम्बी प्रकार तीन दिन उष्ण घृत और तीन दिन उष्ण वायु पीवे ॥२१४॥

(२१४ से आगे एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक है

[अपां पिबेच्च त्रिपलं पलनेकं च सर्पिपः ।

पयः पिबेत् त्रिपलं त्रिमात्रं चोक्तमानतः ॥]

जल ३ पल घृत १ पल दूध ३ पल, उक्त प्रमाण से ३ मात्रा [उस २ दिन से उस २ वस्तु की] पिया करे ॥

यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम् ।

राकेऽनाम कृच्छ्रोऽयं सर्पिपापनोदनः ॥२१५॥



एकैकं हासयेत्पिण्डं कृष्णं शुक्लं च वर्धयेत् ।

उपस्पृशंस्त्रिषण्णमेतच्चान्द्रायणं स्मृतम् ॥२१६॥

स्वस्थ और स्वाधीन चित्त वालेका बारह दिन भोजन नकरना "पराक" नाम कृच्छ्र सब पाप दूर करता है ॥२१५॥ तीन काल स्नान करता हुआ कृष्णपक्ष में एक एक पिण्ड = घास को घटावे और शुक्लपक्ष में एक एक बढ़ावे। इस व्रत को "चान्द्रायण" कहा है ॥२१६॥

एतमेव विधिं कृत्स्नमाचोघरादध्यये ।

शुक्लपक्षादिनेयत्श्वरंश्चान्द्रायणं व्राम् ॥२१७॥

अष्टात्रिंशोसमग्नीयात्पिण्डान्मध्यान्दिने स्थिने ।

नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन् ॥२१८॥

इसी पिण्ड = घास के घटाने बढ़ाने और त्रिकालस्नानात्मक "यव मध्याख्य चान्द्रायण" को शुक्लपक्ष में प्रारम्भ करके जितेन्द्रिय होकर करे ॥२१७॥ जितेन्द्रिय हविष्य अन्न का भोजन करने वाला "यतिचान्द्रायण" व्रत का आचरण करता हुआ मध्याह्न में आठ २ पिण्डप्र = १२ भोजन करे ॥२१८॥

चतुरः प्रातरग्नीयात्पिण्डान्विप्रः समाहितः ।

चतुरोऽस्मिन्मते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं स्मृतम् ॥२१९॥

यथाकथञ्चित्पिण्डानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः

\*यवमध्याख्य = जिस चान्द्रायण में जैसे "यव" बीज में मोटा और किनारों पर पतला होता है, तद्वत् शुक्लपक्ष में प्रारम्भ करने के कारण घास वृद्धि करके फिर कृष्णपक्ष में घास घटाने से बिच के घासों का भोजन यवमध्य के समान मोटा हो जाता है।





मासेनाशनन्दः पिप्यस्य चन्द्ररथैति लोकत ॥२२०॥

विप्र प्रातः काल चार ग्राम और चार सायद्वाल भे भक्षण करे। इसको 'शिशुचान्द्रायण' कहते हैं ॥२१५॥ स्वस्थ हुआ जैसे वनं वैसे हविष्य ग्रन्थ के १ महीने में तीन अर्घ्याँ ३ × ८० = २४० दो सो चालीस ग्राम भोजन करने वाला चन्द्रलोक को प्राप्त होता है ॥२२०॥

एतद्गुद्रास्तथादित्या वनवथाचन्द्रतम् ।

सर्वाङ्गुशालभोज्याय मरुतश्च महर्षिभिः ॥२२१॥

महाव्याहुतिभिर्हेजः कर्त्तव्यः स्वयान्वहम् ।

अहिमा मत्यनक्राधनाजवं च मराजान् ॥२२२॥

इस 'चान्द्रायण' व्रत को रूढ़ आदिष्य वसु मरुत इन संज्ञा वाले विद्वानों ने महर्षियों के साथ सम्पूर्ण पानक ना ॥२१॥ किया है (२२०। २२१ भी अनावश्यक और अयुक्त तथा निम्न शैली के जान पड़ते हैं) ॥२२१॥ (व्रतो) आय नियम महाव्याहृतियों से होम करे तथा अहिमा सत्य अक्रोध और मरुता का आचरण करे ॥२२२॥

त्रिरहस्त्रिनिशायां च समासा जतनाविणेत् ।

स्त्रीशूद्रपतिताश्चैव नाभिभाषेत् कर्हिचिद् ॥२२३॥

स्थानासनाभ्यां विहरेदशक्तोऽः शयीत वा ।

ब्रह्मवागी व्रती च स्याद्गुरुदेवद्विजार्चकः ॥२२४॥

दिन में ३ बार और रात्रि में ३ बार सचैल गोता लगा कर स्नान करे तथा स्त्री शूद्र और पतिनाके साथ कभी न बोलें ॥२२३॥ स्थान और आसन पर उठा बैठे करे और यदि अशक्त होवे तो

भूमि पर नीचे सोये। १ती ब्रह्मवर्ष को धारण करने वाला तथा गुरु देव द्विज का पूजन करने वाला हो ॥२२४॥

सावित्रीं च जपेन्नित्यं पवित्राणि चशक्तितः ।

सर्वेष्वेव व्रतेष्वेवं प्रायश्चित्तार्थमाहृतः ॥२२५॥

एतैर्द्विजानयः शोष्या व्रतैराविष्कृतैःसः ।

अनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रैर्होमैश्च शोधयेत् ॥२२६॥

यथाशक्ति नित्य गायत्री और अन्य पवित्र मन्त्रों को जपे, सम्पूर्ण व्रतों में इसी प्रकार प्रायश्चित्त के लिये श्रद्धा से अनुष्ठान करे ॥२२५॥ लोक विदित पाप वाले द्विजाति इन व्रतों से शोधने योग्य हैं और गुन पाप वानों को मन्त्रा और होमों से शुद्ध करे ॥२२६॥

ख्यापनेनानुतापेन तपसाऽध्ययनेन च ।

पापकृन्मुच्यते पापात्तथादानेन चापदि ॥२२७॥

यथा यथा नरोऽधर्मं स्वयं कृत्वाऽनुभापते ।

तथा तथा त्वचेवाहिस्तेनाऽधर्मेण मुच्यते ॥२२८॥

पाप करने वाला पापके प्रकाश करने और पश्चात्ताप करने तथा तप और अध्ययन करने से और यदि इन में से असमर्थ हो तो दान करने से पाप से छूटता है ॥२२७॥ मनुष्य जैसे जैसे अधर्म करके उसे कहता है वैसे वैसे उस अधर्म से छूटता है। जैसे सर्प कांचली से ॥२२८॥

यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गर्हति ।

तथा तथ शरीरं तत्तेना धर्मेण मुच्यते ॥२२९॥



कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्पापात् प्रमुच्यते ।

नैवं कुर्यां पुनरिति निवृत्त्या पृथते तु स- ॥२३०॥

जैसे जैसे उसका मन दुष्कृत कर्म की निन्दा करता है वैसे वैसे वह शरीर उस अयर्म से छूटता है ॥२२९॥ पाप करने के पश्चान् मन्तापयुक्त होने से उस पाप से बचता है और 'फिर ऐसा न करूँ' इसप्रकार कहकरनिवृत्त होनेसे वह पवित्र होता है ॥२३०॥

एवं संचिन्त्य मन साप्रैत्यकर्मफलोदयम् ।

मनोवाङ्मूर्च्छिभिर्नित्यं शुभं कर्म समाचरेत् ॥२३१॥

अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कृत्वा कर्म विगर्हितम् ।

तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन् द्वितीयं न समाचरेत् ॥२३२॥

इस प्रकार मरने पर परलोक में कर्म के फलोदय को विचार कर मन,वाणी शरीर से नित्य शुभ कर्म करे ॥२३१॥ समझे वा बिना समझे अशुभ कर्म करके उससे छूटने को इच्छा करने वा ना फिर उस को दूसरी बार न करे ॥२३२॥

यस्मिन्कर्मण्यस्य कृते मनसः स्यादऽलावणम् ।

तस्मिंस्तावत्तपः कुर्यात्प्रावतु ष्टिकरं भवेत् ॥२३३॥

तपोमूलमिदं सर्वं दैवमानुषकं सुखम् ।

तपोमध्यं बुधेः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेददर्शिभिः ॥२३४॥

इस ( पाप करने वाले ) के मन का जिस कर्म के करने में भारीपन हो उस में इतना प्राश्रित करे जितने से इस को तुष्टि करने वाला हो जावे ॥२३३॥ इस सब देव मनुष्यो के सुख का



आदि मध्य और अन्त वंद के जानने वाले परिडितों ने तप को ही कहा है ॥२३४॥

ब्राह्मणस्य तपोज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम् ।

वैश्यस्तु तपोवार्ता तपः शूद्रस्य सेवनम् ॥२३५॥

ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः ।

तपसैव प्रपश्यन्ति त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥२३६॥

ब्राह्मण का वेदशास्त्र जानना, क्षत्रिय का रक्षा करना, वैश्य का व्यापार करना और शूद्र का सेवा करना तप है ॥२३५॥ इन्द्रियो को जीतने वाले और कन्द मूल फल के भोजन करने वाले ऋषि संपूर्ण तीनों लोको के चर तथा अचर को तप ही से देखते हैं ॥२३६॥

औषधान्यगदा विद्यादैवी च विविधा स्थितिः ।

तपसैव प्रसिद्ध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम् ॥२३७॥

यद्दुस्तरं यद्दुरापं यद्दुर्गं यच्च दुष्करम् ।

सर्वं तु तपसा साध्यं तपोहि दुरतिक्रमम् ॥२३८॥

औषध, आरोग्य, विद्या और नाना प्रकारकी देवतों की स्थिति सब तप ही से प्राप्त होते हैं क्यो कि उनका साधन तप ही है ॥२३७॥ जो दुस्तर है और दुःख से पाने योग्य है जहां दुःखसे जाया जाता है और जो दुःख से किया जाता है वह सब तप से सधने योग्य है क्योकि तप दुर्लभ्य है ॥२३८॥

महापातकिनश्चैव शोषाश्चाऽकार्यकारिणः ।

तपसैव सुतप्तेन मुच्यन्ते किन्विपात्ततः ॥२३९॥

कीटाश्चाऽहिपतङ्गाश्च पशवश्च वयांसि च ।



स्थावराणि च भूतानि दिगं यान्ति तपोबलात् ॥२४०॥

महापातकी और शेष उपपातक वाले उक्त प्रकार से तप ही के अनुष्ठान करने से उस पाप से छुटते हैं ॥२३९॥ कीड़े, सांप पतङ्ग, पशु पत्नी और घृक्ष इत्यादि सत्र तप के प्रभाव से स्वर्गको प्राप्त होते हैं ॥२४०॥

यत्किञ्चिदेनः कुर्वन्ति मनोवाङ्मूर्तिभिर्जनाः ।

तत्सर्वं निर्दहन्त्याशु तपसैव तपोधनाः ॥२४१॥

तपसैव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दिवोकसः ।

इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कामान्संवर्धयन्ति च ॥२४२॥

मनुष्य मन, वाणी, काय से जो कुछ पाप करते हैं उन सब को तप करने वाले तप से ही जलाते हैं ॥२४१॥ तप करने से शुद्ध हुवे ब्राह्मण के यज्ञ में देवता आहुति को ग्रहण करते और उनके मनोवाञ्छित फलों की वृद्धि करते हैं ॥२४२॥

‘प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवासृजत्प्रभुः ।

तथैव वेदानृपयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥२४३॥’

‘प्रजापति ने तप ही से इस शास्त्र को बनाया । उसी प्रकार ऋषियों ने तप ही से वेदों को पाया’ ॥

(२४३ वां श्लोक तो स्पष्ट ही मनु से भिन्न पुरुष का वचन है । परन्तु इसी से यह भी प्रतीत होता है कि कदाचित् यह तप का सत्र ही व्याख्यान अन्यकृत हो । क्यों कि मनु की शैली यह नहीं देखी जाती कि वह एक बात का इतना बड़ा, बढ़ावे । जो हां, परन्तु नन्दन टीकाकार ने ‘शास्त्र’ है । तदनुसार तो यह श्लोक मनु प्रोक्त ही है ।

भी लिखा है कि (इदं शान्त्रमिति च पठन्ति ) इससे जान पड़ता है कि नन्दन के समयमें भी “शास्त्रम्” पाठ चल गया था) ॥२४३॥

इत्येतत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचक्षते ।

सर्वस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम् ॥२४४॥

इस सम्पूर्ण तपके उत्तम पुण्य को इस प्रकार देखते हुवे देवता लोग यह तप का माहात्म्य कहते हैं ॥

(२४४ से आगे दो पुस्तकों में यह श्लोक अधिक पाया जाता है और इस पर रामचन्द्र ने टीका भी की है:—

[ ब्रह्मचर्यं जपोहोम काले शुद्धाल्पभोजनम् ।

अरागद्वेषलोभाश्च तप उक्तं स्वयंभुवा ॥ ]

ब्रह्मचर्य, जप, होम, समय पर शुद्ध थोड़ा भोजन, राग द्वेष लोभो का त्यागना, यह ब्रह्मा ने तप कहा है ) ॥२४४॥

वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया क्षमा ।

नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥२४५॥

यथैधस्तेजसांघ्निः प्राप्त निर्दहति क्षणात् ।

तथा ज्ञानाग्निना पापं सर्वं दहति वेदवित् ॥२४६॥

प्रतिदिन यथाशक्ति वेदका अध्ययन और पञ्चमहायज्ञों का अनुष्ठान करना तथा अपराध को सहन करना ये महापातकों के भी (कुसंस्काररूप ) पापों का शीघ्र नाश करते हैं ॥२४५॥ जैसे अग्नि तेज से पाप के इन्धन को क्षण में सर्वथा जला देता है, वैसे ही वेद का जानने वाला ज्ञानाग्नि से सम्पूर्ण (कुसंस्काररूपी) पापों को जला देता है ॥२४६॥

“इत्येतदेनमामुक्तं प्रायश्चित्तं यथाविधि ।  
अत ऊर्ध्वं रहमाना प्रायश्चित्तं निबोधत ॥२४७॥

सव्याहृतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश ।

अपि भ्रूणहर्षं मासालुनन्त्यहरहः कृता ॥२४८॥ ”

इस प्रकार ये पापों के प्रायश्चित्त यथाविधि कहे । अब अप्रकाश (छिपे) पापों का प्रायश्चित्त सुनो ॥२४७॥ प्रणव और व्याहृति के साथ प्रति दिन किये हुये मोलः प्राणायाम महीने भर में भ्रूण-हत्या बाले का भी पवित्र कर देते हैं । (२४७ से २५१ तक ५ श्लोक भी प्रक्षिप्त जान पड़ते हैं क्योंकि २४७ वे में जो कहा है कि यह प्रत्यक्ष पापों का प्रायश्चित्त कहा अब छिपों का प्रायश्चित्त सुनो । प्रथम तो प्रायश्चित्त क्षिपान पर होता नहीं । प्रत्युत क्षिपाना भः एक ओर पाप है और पूर्व कह आय है कि पाप का स्वीकार करके प्रकट करना भी एक प्रकार से प्रायश्चित्ताङ्ग है । दूसरे यह प्रतिज्ञावाक्य सब पुस्तकों में पुराने समय में न था क्योंकि कुल्लूक टीकाकार कहते हैं कि “यह श्लोक गोविन्दराम टीकाकार ने नहीं लिखा परन्तु मेघातिथि ने लिखा है” तथा राघवानन्द टीकाकार ने इसका पूर्वार्ध इस प्रकार लिखा है कि “इत्येषोऽभिहितः कृत्स्न प्रायश्चित्तस्य बोधविधिः” यदि यह पाठ ठीक मानें तो प्रायश्चित्तों की समाप्ति यहाँ होजानी चाहिये तथा छिपे पाप का गुरुतर = बड़ा भारी प्रायश्चित्त होना चाहिये । यहाँ २५१ में तो गुरुस्त्रीगमन के शरीर स्वागहन प्रायश्चित्त के स्थान में कुत्र ऋचाओं, मन्त्रों और सूक्तों का पाठमात्र ही विधान किया है । इत्यादि हेतुओं से २५१ तक कल्पना प्रतीत होती है) ॥२४८॥

“कौत्सं जपन्नाप इत्येतद्वासिष्ठं च प्रतीत्यृचम् ।

माहित्रंशुद्धवत्यश्च सुरापौऽपि विशुध्यति ॥२४९॥

सकृज्जप्त्वास्यवामीयं शिवसङ्कल्पमेव च ।

अपहृत्य मुवर्णं तु ज्ञाणाद्भवति निर्मलः ॥२५०॥

"तुम्ह अपि घाना "अप न. शोशुचदधम्" ८ ऋचा ऋग्वेदस्थ  
१। ५७ सूक्त और वसिष्ठ ऋषि वाला "प्रतिस्तोमेभिरुपसं वसिष्ठ"  
इत्यादि ७। ८०। १ ऋचा 'महित्रोणामशोस्तु०' इत्यादि १०।  
१८५। १ और "एतुन्निन्द्र स्तनाम शुद्धं शुद्धेन०" इत्यादि ८।  
९५। ७ शुद्धवती ऋचाओं का जप करके सुरापान करने वाला भी  
शुद्ध हो जाता है (दा पुस्तकां मे-माहित्रं = माहेन्द्रम् पाठ है) ॥२४९॥  
सोना चुराकर एक घार प्रतिदिन अन्य वामीयं = जिस में "अस्य-  
वाम०" शब्द है (मर्तो ह्य.सूक्तस्तान्मौ। अष्टा० ५। २। ५९) उस  
"अस्य वामस्य पलितस्य हेतु०" इत्यादि १। १६५। १-५२ ऋचा  
के सूक्तको पढ़ कर या "शिवसङ्कल्प०" (यजुः ३४। १-६ इस सूक्त  
को पढ़ कर क्षण भर निर्मल हो जाता है ॥२५०॥

"द्विष्यन्तोयमभ्यस्य नतमंह इतीति च ।

जपित्वा पौरुषं सूक्तं मुच्यते गुरुतल्पगः ॥२५१॥

एनसा स्थूलसूचमाणां चकीर्णपनोदनम् ।

अत्युचं जपेद्वन्दं यात्कञ्चेर्दामतीत वा ॥२५२॥

"द्विष्यान्तमजरं स्वविदि०, ऋ० १०। ८८ इस ११ ऋचा के  
सूक्त को या "न तमंहेन दुरितम्० २। ५३। १ अथवा १०।  
१२६। १ और "इति वा" इति मे मनः १०। ११५। १ इस को  
तथा 'सहस्रशीर्षा०' इत्यादि १०। ५०। १-१६ ऋचाआक सूक्तको  
पढ़ कर गुरुत्रोगमनका पाप छूट जाता है ॥२५१॥ 'द्वादशवर्षे पापों  
का प्रायश्चित्त करने की इच्छा वाला मनुष्य छठ वरुण नमोभि."  
इत्यादि १। २४। १४ ऋचा को अथवा यत्किञ्चं घरुण दृश्ये  
जने०' इत्यादि ७। ८५। ५ ऋचा को एक वर्ष तक जपे ॥२५२॥



प्रतिगृह्याप्रतिग्राह्यं भुक्त्वाचान्नं त्रिगर्हितम् ।

जपंस्तरत्समन्दीथं पूयते मानाभ्यहान् ॥२५३॥

सोमारौद्रं तु ब्रह्मेना मासमभ्यस्य शुध्यति ।

भवन्त्यामाच न्स्नानमर्थम्यामिति च त्वचम् ॥२५४॥

प्रतिग्रह के अयोग्य का प्रतिग्रह लेकर और निन्दित अन्न भोजन करके तरत्स मन्त्री धावति यह जिनमे आताहै उन पवमान देवताकी ऋ० ९।५८।१-४ ऋचाओं के तीन दिन पढ़ने से मनुष्य पवित्र होता है ॥२५३॥ 'सोमारुद्रा धारये था ०" ऋ० ६।७४।१-४ सूक्त और "अर्यम्यामिति-" ["अर्यमणं वरुणं मित्रं०" ऋ० ४।२।४] (ठीक 'अर्यम्याम्' प्रतीक वाला ३ ऋचाका कोई सूक्त नहीं मिलता) इन ३ ऋचाओं का एक एक मास अभ्यास करने से नदी में स्नान करता हुवा बहुत पापों वाला शुद्ध हो जाता है ॥२५४॥

अन्वार्धमिन्द्रमित्येतदेनस्वी सप्तकं जपेत् ।

अप्रशस्तं तु कृत्वाप्सु मासमासीत भैक्षभुक् ॥२५५॥

मन्त्रैःशाकलहोमीयंरुद्रं हुत्वा घृतं द्विजः ।

सुगुर्वप्यपहन्त्येनो जप्त्वा वा नम इत्यचम् ॥२५६॥

पापी पुरुष छ. मास तक 'इन्द्रं मित्रं वरुणमग्नि भूतये' ऋ० १।१०६।१-७ इत्यादि ७ ऋचा का जप करे और जिसने जल में कोई न करने का काम किया हो वह एक मास तक भिक्षा भोजन से निर्वाह करे ॥२५५॥ (३ पुस्तको से अप्रशस्तम्=अप्रकाशम् पाठ है) देवकृतम्यै नमोऽवयजनमसि० यजु.८।१३ इत्यादि ८ मन्त्र कात्यायन श्रौत सूत्र १०।८।६ के अनुसार शाकल होमीय

कहाते हैं। इनका पाठ करके हवन करले वाला वा "नमःऋषदिने  
इत्यादि यजु. १६। २९ (वा "नम. आंशवे०" यजुः १६। ३१  
इत्यादि वा 'नमो मित्रस्य वरुणस्य०' इत्यादि ऋ० १०। ३७। १)  
ऋचाको जपकर एक वर्षमे बड़े पापको भी नष्टकर देता है ॥२५६॥

महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छेद्गाः समाहितः ।

अभ्यस्याब्दं पावमानीभिक्षाहारो विशुध्यति ॥२५७॥

अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतो वेदमंहिताम् ।

मुच्यते पातकैः सर्वैः पराकैः शोधितस्त्रिभिः ॥२५८॥

बड़े २ पातकों से युक्त हुआ जितेन्द्रिय होकर गायों को चरावे  
और पावमानी=पवमान देवता की (ऋ० ९। १। १ से ९। ११४  
४ तक अर्थात् ९ वें मण्डल की समस्त) ऋचाओं को एक वर्ष  
पर्यन्त पढ़कर भिक्षाभोजन करे तब शुद्ध होता है (दा पुस्तकों में  
महापातक के स्थान में उपपातक पाठ है वही ठीक भी जान पड़ता  
है) ॥२५७॥ पूर्वाक्त तीन पराकोंसे पवित्र हुआ और बाह्य अभ्य-  
न्तर शौचयुक्त होकर वन में वेदसंहितामात्र को पढ़कर सम्पूर्ण  
पातकों से छूट जाता है ॥२५८॥

अथ तूपवसेद्युक्तस्त्रिरहोऽभ्युपयन्नपः ।

मुच्यते पातकैः सर्वैस्त्रिर्जपित्वाऽधमर्षणम् ॥२५९॥

यथाश्वमेधः क्रतुराट् सर्वापापाऽपनोदनः ।

तथाऽधमर्षणं सूक्तं सर्वापापापनोदनम् ॥२६०॥

संयत होकर त्रिरात्र उपवास करे और प्रतिदिन त्रिकाल  
स्नान करता रहे। जल में खड़ा हुआ—'ऋतं च सत्यं' ऋ० १०।  
१९०। १-३ इस अधमर्षण सूक्त को त्रिरात्र पढ़कर सब पापों



से बच जाता है ॥२५९॥ जैसे अश्वमेध यज्ञ मव यज्ञो में श्रेष्ठ और सब पापों को दूर करने वाला है, वैसे ही सब पापों को दूर करने वाला यह अथमर्षण सूक्त है ॥२६०॥

हत्वा लोकानपीमांस्त्रीनश्नन्नापि यतस्ततः ।

ऋग्वेदं धारयन्विप्रो नैनः प्राप्नोति किञ्चन ॥२६१॥

ऋक्संहितां त्रिरम्यस्य यजुषां वा समाहित ।

साम्नां वा सरहस्यानां सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥२६२॥

इन तीन लोकों को मारकर और जहां तहां के भी अन्न को भोजन करता हुआ ऋग्वेद को धारण करने वाला विप्र कुछ पाप को नहीं प्राप्त होता (यह ऋग्वेद धारण की अत्युक्ति से प्रशंसा मात्र है। यथार्थ नहीं जान पड़ती। अमम्भव सी भी है) ॥२६१॥ ऋक्संहिता वा यजु.संहिता अथवा सामसंहिता की त्रिद्वयोपनिषदादि सहित समाहितचित्त होकर तीन आयुक्ति करने से सब पापों से बच जाता है ॥२६२॥

यथामहाद्वंदं प्राप्य क्षिप्रं लोष्टुं विनश्यति ।

तथा दुश्चरितं सर्वं वेदे त्रिवृत्ति मज्जति ॥२६३॥

ऋचोयजूंषि चान्यानि सामानि विविधानि च ।

एषज्ञेयस्त्रिवृद्धेदो योवेदैर्न स वेदवित् ॥२६४॥

जैसे बड़ी नदी में डाला हुआ ढेला गल जाता है वैसे मम्यूर्ण पाप त्रिरायुक्ति वेद में डूब जाता है (यह भी वेदों की प्रशंसा है) ॥२६३॥ ऋग्यजु और साम के नाना प्रकार के मन्त्र, यह त्रिवृद्धेद जानने के योग्य है। जो हमें जानता है वह वेदविद् है ॥२६४॥

आद्यं यत्त्र्यक्षरं ब्रह्म त्रयोयस्मिन्प्रतिष्ठिताः ।

स गुह्योऽन्यास्त्रिवृद्धो यस्तं वेद स वेदवित् ॥२६५॥

सब वेदों का जो प्राथमिक तीन अक्षरयुक्त ओंकाररूप वेद है, जिसमें तीनों वेद स्थित हैं वह दूसरा त्रिवृद्धेद ओंकार-गुह्य (बीजरूप) है। जो इसके स्वरूपार्थ (परमात्मा) को जानता है वह वेदवित् है ॥

(तीन प्राचीन पुस्तकों में और राघवानन्द के भाष्य में नीचे लिखा श्लोक अधिक मिलता है जिसकी आवश्यकता भी है क्योंकि उपसंहार करना उचित भी था जैसा कि मनु की शैली है। तदनुसार इस श्लोक में पूर्वाध्याय के विषय का उपसंहार और अगले अध्यायके विषयका प्रस्ताव है अनुमान कि द्वादशाध्यायके आरम्भ के दो प्रक्षिप्त श्लोकों को बढ़ाने वाले ने यह श्लोक मनुसंहिता को भृगुसंहिता बनाने के लिये निकाल दिया है। वह यह है:—

[ एष वोभिहितः कृत्स्नः प्रायश्चित्तस्य निर्णयः ।

निश्चयसं धर्मविधिं विप्रस्येमं निबोधत ॥ ]

यह तुमसे समस्त प्रायश्चित्त का निर्णय कह दिया अब ब्राह्मण के इस मौक्षधर्मविधान को सुनो ॥ तथा इसी से आगे दो पुस्तकों में अर्ध श्लोक यह अधिक पाया जाता है:—

[ पृथग्ब्राह्मणकल्पाभ्यां स हि वेदस्त्रिवृत्स्मृतः । ]

यह ब्राह्मण ग्रन्थों और कल्पनाओं से पृथक् "त्रिवृत्" वेद कहा गया है ॥२६५॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे ( भृगुप्रोक्तायां संहितायां )


एकादशोऽध्यायः ॥११॥

इति श्री तुलसीरामस्वामिविरचिते मनुस्मृतिभाषानुवादे

एकादशोऽध्यायः ॥११॥

ओ३म्

## अथ द्वादशोऽध्यायः



“चातुर्वर्ण्यस्य कृत्स्नो ऽयमुक्तो धर्मस्त्वयाऽनघ ।  
कर्मणांफलनिवृत्ति शंस नस्तत्त्वतः पराम ॥१॥

स तानुवाच धर्मात्मा महर्षिन् मानवो भृगु ।  
अस्य सर्वस्य श्रुणुत कर्मयोगस्य निर्णयम् ॥२॥”

“हे पापरहित ! तुम ने चारों वर्णों का यह सम्पूर्ण धर्म कहा  
अब कर्मों की शुभाशुभ परमार्थरूप फलप्राप्ति हमसे कहिये (इस  
प्रकार महर्षि लोगो ने भृगु जी से पूछा) ॥१॥ वह धर्मात्मा मनु  
के पुत्र भृगु उन महर्षियों से बोले कि इस सम्पूर्ण कर्मयोग के  
निश्चय को सुनिये- ॥

(स्पष्ट है कि इन १।२ श्लोको का कर्ता न मनु है न भृगु ।  
किन्तु कोई ग्रन्थ का सम्पादकावा संग्राहक कहता है जिस ने इस  
धर्मशास्त्र में भृगु का ऋषियों से संवाद मान रक्खा है) ॥२॥

शुभाऽशुभफलं कर्म मनोवाग्देहसंभवम् ।

कर्मजा गतयो नृणामुत्तमाऽधममध्यमाः ॥३॥

तस्येह त्रिविधस्यापि त्र्यविष्टानस्य देहिनः ।

दशलक्षणयुक्तभ्य मन त्रिधात्प्रवर्तकम् ॥४॥

मन, वाणी तथा शरीर से उत्पन्न शुभाऽशुभ फल वाले कर्म  
से मनुष्यों की उत्तम मध्यम, अधम गति (जन्मान्तर की प्राप्ति)  
होती है ॥३॥ उस देही के उत्तम, मध्यम अधम और मन वाणी  
शरीर के आश्रित फल के देने वाले तीन प्रकार के १० लक्षण



युक्त कर्म का चलाने वाला मन को जानो । यहां से कर्मफल  
कहने हवे कर्मफल के मोक्ष का वर्णन करेगे) ॥४॥

वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कर्म मानसम् ॥५॥

पारुष्यमनृतं चैव पैशून्यं चापि सर्वशः ।

असंबद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम् ॥६॥

अन्याय से परद्रव्य लेने की इच्छा और मन से (पराया बुर  
चाहना तथा "परलोक में कुछ नहीं है" ऐसा विश्वास यह तीन  
प्रकार का मानस (पाप) कर्म है ॥५॥ कठोर और असत्यभाषण  
तथा सब प्रकार की चुगली और असम्बद्ध बकवाद करना; यह  
चार प्रकार का वाङ्मय (पाप) कर्म है ॥६॥

अदत्तानामुपादानं हिंसा चैत्रा विधानतः ।

परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम् ॥७॥

मानसं मनसैवायमुपभुङ्क्ते शुभाशुभम् ।

वाचाऽवाचा कृतं कर्म कायेनैव च कारिकम् । ८॥

अन्याय से दूसरे का धन लेना और शास्त्र के विधान (दंड-  
नीय = वध्य के बंधादि) से अतिरिक्त हिंसा तथा दूसरे की स्त्री  
से गमन करना, यह तीन प्रकार का शारीरिक (पाप) कर्म है ॥७॥  
मन से किये हुवे शुभ अशुभ कर्मफल का मन ही से, वाणी से  
किये हुवे का वाणी से और शरीर से किये हुवे का शरीर ही से  
यह (प्राणी) भोग करता है ॥

८ वें से आगे एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक मिलता है:-

[त्रिविधं च शरीरेण वाचा चैव चतुर्विधम् ।

मनसा त्रिविधं कर्म दशाध्वर्मपथांस्त्यजेत् ॥ ]

३ प्रकार का शारीरिक, ४ प्रकार का वाचिक और ३ प्रकार का मानसिक यह १० अर्थ के मार्ग त्यागने चाहियें ॥८॥

शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावस्तां नरः ।

वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम् ॥९॥

शरीर के कर्मदोषों से मनुष्य वृक्षादि योनि और वाणी के कर्म दोष से पक्षी और मृग की योनि तथा मन के कर्मदोषों से चण्डालादि कुल में क्ष्यति पाता है ॥ (९ वें श्लोक से आगे ४ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है—

[शुभैःप्रयोगैर्देवत्वं व्यामिश्रैर्मनवो भवेत् ।

अशुभैः केवलैश्चैव तिर्यग्योनिषु जायते ॥१॥]

शुभ कर्मों से देवभाव शुभाशुभ मिश्रितों से मनुष्य भाव की प्राप्ति और केवल अशुभों से नीच योनियों में जन्म पाता है ॥ एक अन्य पुस्तक सहित ५ पुस्तकों में निम्नलिखित श्लोक और भी मिलता है:—

[वाग्दण्डो हन्ति विज्ञानं मनोदण्डः परांगतिम् ।

कर्मदण्डस्तु लोकांस्त्रीन्हन्यादपरिरक्षितः ॥२॥]

विना रक्षा किया हुआ वाग्दण्ड विज्ञान को, मनोदण्ड परम-गति को और कर्मदण्ड तीनों लोकों को नष्ट करता है । तथा एक अन्य पुस्तक सहित छ. पुस्तकों में यह श्लोक और भी पाया जाता है:—

[वाग्दण्डोऽथ भवेन्मौनं मनोदण्डस्त्वनानाशनम् ।

शरीरस्य हि दण्डस्य प्राणायामो विधीयते ॥३॥ ]

मौन को वाग्दण्ड, अनशन को मनोदण्ड और प्राणायाम को शारीरिक दण्ड कहते हैं) ॥९॥

वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च ।

यस्यैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥१०॥

बाणी का दमन (अशुभ कर्म से रोकना) तथा मनका दमन और कार्य का दमन, ये तीनों जिसकी बुद्धि में स्थित हैं वह "त्रिदण्डी" कहाता है ॥१०॥

त्रिदण्डमेतन्निक्षिप्य सर्वभूतेषु मानवः ।

कामक्रोधौ तु संयम्य ततःसिद्धिं नियच्छति ॥११॥

योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते ।

यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥१२॥

मनुष्य सम्पूर्ण जीवों पर इन तीनों प्रकार का दमन करके काम, क्रोधों को रोककर फिर सिद्धिको प्राप्त होता है ॥११॥ जो इस आत्मा को कर्म में प्रवृत्त करने वाला है उसको 'क्षेत्रज्ञ' कहते हैं और जो कर्म करता है, बुद्धिमान् लोग उसको भूतात्मा कहते हैं ॥१२॥

जीवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम् ।

येन वेदयते सर्वं सुखं दुःखं च जन्मसु ॥१३॥

तावुभौ भूतसंपृक्तौ महान्क्षेत्रज्ञ एव च ।

उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ॥१४॥

सम्पूर्ण देहियों के साथ होने वाला दूसरा जीवसंज्ञा वाला (अन्तःकरण) अन्तरात्मा है, जिससे जन्मों में सम्पूर्ण सुख दुःख





जाना जाता है ॥१३॥ वे षेनो महान् और क्षेत्रज्ञ जो कि पृथिव्यादि पञ्चभूतो से मिले हुवे हैं, ऊँच नीच सब भूतों में स्थित उस (परमात्मा) के आश्रय रहते हैं ॥

(१४ वें से आगे एक श्लोक तीन पुस्तको में मिलता है और वह इमी प्रकरण में गीता में भी आया है। गीता से मनु प्राचीन है। इस लिये कदाचित् मनु से गीता में गया हो। यहां अन्तःकरण शरीर और जीवात्मा का वर्णन किया तो साथ में प्रसङ्गो-पयोगी १४ वें श्लोकोक्त “तम्” पदवाच्य परमात्मा के वर्णन की आवश्यकता भी थी। अनुमान है कि यह श्लोक वास्तव में हो, पीछे जाता रहा हो वा अद्वैतियों ने निकाल दिया हो ॥

(उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

योल्लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्ययईश्वरः ॥)

उत्तम पुरुष तो अन्य है जो “परमात्मा” कहाता है और जो तीन लोकों में प्रवृष्ट समर्थ और अविनाशी होने से इनका धारण पोषण करता है। अगले २५वें में भी उसी का प्रसङ्ग है ॥१४॥

अर्नह्या मूर्चयस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः ।

उच्चावचानि भतानि सतत चेष्टयन्ति या. ॥१५॥

शरीर निकलते हैं जो कि उच्छृष्ट निच्छृष्ट प्राणियों को निरन्तर कर्म कराते हैं ॥१५॥ दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्यों को मर कर पञ्चतन्मात्रा से दुःख सहन करने के लिये दूसरा शरीर अवश्य उत्पन्न होता है ॥१६॥



तेनानुभूयता यामीः शरीरेणोह यातनाः ।  
 तास्वेव भूतमात्रासु प्रलीयन्ते विभागशः ।१७।  
 सोऽनुभूयासुखोदकान्दोषान्विषयसङ्गजान् ।  
 व्यपेतकल्मषोऽभ्येति तावेवोभौ महौजसौ ।१८।

उस शरीर से यम की दी हुई यातनाओं को यहां भोग कर प्राणी उन्हीं भूत मात्रों में विभाग से फिर छिप जाते हैं ॥१७॥ वह प्राणी निषिद्ध विषयों के उपभोगजनित दुखों को भोग कर पाप को दूर करके बड़े पराक्रम वाले उन्हीं दोनो (महान् और क्षेत्रज्ञ) को प्राप्त होता है ॥१८॥

तौ धर्मं पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सह ।  
 याम्यां प्राप्नोति संपृक्तः प्रेत्येह च सुखासुखम् ।१९।  
 यद्याचरति धर्मं स प्रायशोऽधर्ममल्पशः ।  
 तैरेव चावृते भूतैः स्वर्गे सुखमुपाश्नुते ।२०।

वे आलस्यरहित (महान् और क्षेत्रज्ञ दोनो) उस प्राणी के पुण्य और पाप का साथ २ देखते हैं जिन से मिला हुआ इस लोक तथा परलोक में सुख और दुःख को प्राप्त होता है ॥१९॥ वह जीव यदि अधिक धर्म कर्म करता है और अधर्म न्यून, तो उन्हीं उत्तम पञ्चभूतों से युक्त स्वर्ग में सुख को भोगना है ॥२०॥

यदि तु प्रायशोऽधर्मं सेवते धर्ममल्पशः ।  
 तैर्भूतैः स परित्यक्तो यामीः प्राप्नोति यातनाः ।२१।  
 यामीस्ता यातनाः प्राप्य सजीवो वीतकल्मषः ।  
 तान्येव पञ्चभूतानि पुनरप्येति भागशः ।२२।



और यदि वह जीव पाप अधिक और पुण्य थोड़ा करे तो उन उत्तम भूतों से त्यक्त हुवा यम की यातनाओं को प्राप्त होता है ॥२१॥ उन यम की यातनाओं को प्राप्त होकर वह जीव (भोग से) पापरहित होने पर फिर उन्हीं उत्तम पंचभूतों को क्रम से प्राप्त हो जाता है ॥२२॥

एता दृष्ट्वास्य जीवस्य गतिः स्वेनैव चेतसा ।

धर्मतोऽधर्मतश्चैव धर्मे दध्यात्सदा मनः ॥२३॥

सत्त्वं रजस्तमश्चैव त्रीन्विद्यादात्मनो गुणान् ।

यैर्व्याप्येमांस्थितो भावान्महान्सर्वानशेषतः ॥२४॥

इस जीव को धर्म और अधर्म से इन गतियों के अपने मन से ही देख कर सर्वदा मन को धर्म में लगावे ॥२३॥ सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों को आत्मा (प्रकृति) के गुण जाने जिन से व्याप्त हुवा यह "महान् स्यावर जङ्गमरूप सम्पूर्णा भावां को अशेषता से व्याप कर स्थित है ॥२४॥

यो यद्वैपां गुणोदेहे साकल्येनातिरिच्यते ।

स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम् ॥२५॥

सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजःस्मृतम् ।

एतद्ग्याप्तिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः ॥२६॥

जिस शरीर में गुणों में से जो गुण पूरा२ जब अधिक होता है तब वह उस प्राणी को उसी गुण के अधिक लक्षणयुक्त कर देता है ॥२५॥ यथार्थ वस्तु का जानना सत्त्व का लक्षण और उस के विपरीत-न जानना = अज्ञान-तम का और रागद्वेष रज के

लक्षण हैं। इन सब प्राणियों का आश्रित शरीर इन सत्त्वादि गुणों की व्याप्ति वाला होता है ॥२६॥

तत्र यत्प्रीतिमंयुक्तं किञ्चिदात्मनि लक्षयेत् ।

प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपधारयेत् ॥२७॥

यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः ।

तद्रजोऽप्रतिपं विद्यात्सततं हारि देहिनाम् ॥२८॥

उन तीनों में से जो कुछ प्रीति से मिला हुआ और शान्त प्रकाश रूपसा आत्मा में जाना जावे उस को सत्व जाने ॥२७॥ और जो दुःख से मिला हुआ तथा आत्मा की अप्रीति करे और सर्वदा शरीरियों को विषय की ओर प्रतिकूल खींचने वाला है, उस को रज जाने ॥२८॥

यत् स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत् ॥२९॥

त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलोदय ।

अग्रं शोमध्या जघन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥३०॥

जो मोह से युक्त हो प्रकट न हो तथा विषय वाला हो और तर्क और बुद्धि द्वारा जानने योग्य न हो उसको तम समझे ॥२९॥ इन (सत्त्वादि) तीनों गुणों का यथाक्रम उत्तम, मध्यम, अधम जो फलोदय हैं उस सम्पूर्ण को आगे कहता हूँ ॥३०॥

वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुणलक्षणम् ॥३१॥

आत्मरुचिताऽधैर्मसत्कार्यपरिग्रहः ।

विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम् ॥३२॥

वेद का अभ्यास तप, ज्ञान शौच इन्द्रिय का निग्रह धर्मक्रिया और आत्मा का मनन, ये सत्वगुण के लक्षण हैं ॥३१॥ आरम्भ में रुचि होना फिर अत्रैर्य, निषिद्ध कर्म को पकड़ना और निरन्तर विषयभोग, यह रजोगुण का लक्षण है ॥३२॥

लोभःस्वप्नोऽधृतिः क्रौर्यं नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता ।

याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम् ॥३३॥

त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां त्रिषु तिष्ठतः ।

इदं मामामिकं ज्ञेयं क्रमशो गुणलक्षणम् ॥३४॥

लोभी नींद, अधीरता, क्रूरता, नास्तिकता, अनाचारीपन, याचनस्वभाव और प्रमाद, यह तमोगुण का लक्षण है ॥३३॥ इन तीनों ( सत्वादि ) गुणों का, जो कि तीनों में रहने वाले हैं, यह क्रम से मंचित गुण लक्षण जानना चाहिये कि—॥३४॥

यत्कर्म कृत्वा कुर्वश्च करिष्यंश्चैव लज्जति ।

तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं तामसं गुणलक्षणम् ॥३५॥

येनास्मिन्कर्मणा लोके गत्यातिमिच्छति पुष्कलाम् ।

न च शोचत्यस्यत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम् ॥३६॥

जिस कर्म को करके और करते हुवे और आगे करने का विचार करते हुवे ( तीनों काल में ) लज्जा करता है, उस सब को विद्वान् तम का लक्षण जाने ॥३५॥ जिस कर्म से उस लोक में बड़ी प्रसिद्धि को चाहता है और असम्पत्ति ( असिद्धि ) में शोक नहीं करता, उसको राजस जाने ॥३६॥



यत्सर्वेणेच्छति ज्ञातुं यन्न लज्जति चाचरन् ।  
 येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम् ॥३७॥  
 तमसोलक्षणं कामोरजसस्त्वर्थं उच्यते ।  
 सत्त्वस्य लक्षणं धमः श्रेष्ठयमेषां यथोत्तरम् ॥३८॥

जिस कर्म को सर्वथा जानने के लिये इच्छा करता है और जिस कर्म को करता हुआ (तीनों काल में) लज्जित नहीं होता, तथा जिस कर्म से इसके मन को आनन्द हो, वह सत्वगुण का लक्षण है ॥३७॥ तम का प्रधान लक्षण काम है और रज का प्रधान लक्षण अर्थ कहाता है, तथा सत्व का प्रधान लक्षण धर्म है । इन में उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है ॥३८॥

येन यस्तु गुणेनैषां संसारान्प्रतिपद्यते ।  
 तान्समासेन वक्ष्यामि सर्वस्यास्य यथाक्रमम् ॥३९॥  
 देवत्वं सात्त्विकायान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः ।  
 तिर्यक्त्वं तामसानित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥४०॥

इन सत्वादि गुणों में जिस गुण से जीव जिस गति को प्राप्त होता है, इस सब के उस गुण को संक्षेप से यथाक्रम कहता हूँ - ॥३९॥ सात्त्विक देवत्व को और राजस मनुष्यत्व को तथा तामस सदातिर्यक् योनि को प्राप्त होने हैं । इस प्रकार तीन प्रकार की गति है ॥४०॥

त्रिविधा त्रिविधैषा तु विज्ञेयागौणिकीगतिः ।  
 अधमामध्यमाऽग्रया च कर्मविद्याविशेषतः ॥४१॥  
 स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाः सकच्छपाः ।



पशुवश्च गगाश्चै व जघ्न्या तामसी गतिः । ४२॥

जो मत्वादि गुणत्रय निमित्त तीन प्रकार की गति कही, वह देश कालादि भेद से फिर भी उत्तम, मध्यम, अधम तीन प्रकार की हैं और फिर कर्म का विशेष (अनन्त) जानना चाहिये ॥४१॥ घृत्वादि, कृमि, कोट, मत्स्य, सर्प, कच्छ्वं, पशु और मृग, यह तमोनिमित्त निकृष्ट गति है ॥४२॥

हस्तिनश्चतुरङ्गाश्च शूद्राम्नेच्छाश्च गर्हिनाः ।

सिंहाव्याघ्रावराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥४३॥

चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुपाश्चैव दाम्भिकः ।

रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीपूतमा गतिः ॥४४॥

हाथी, घोडे, शूद्र, निम्न म्लेच्छ, सिंह व्याघ्र और मूकर यह तमोनिमित्त मध्यम गति है ॥४३॥ और चारण (खुशामदी) तथा पत्नी और दम्भ करने वाले पुरुष और राक्षस (हिसक) तथा पिशाच (अनाचारी) यह तमोगतियों में उत्तम गति हैं ॥४४॥

भल्ला मल्ला नटाश्चैव पुरुषाः शस्त्रवृत्तय ।

द्युतपानप्रसक्ताश्च जघ्न्या राजसी गतिः ॥४५॥

राजानः क्षत्रियाश्चैव राजां चैव पुरोहिताः ।

वायुद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥४६॥

(दशम अध्याय में कहे हूँ) भल्ल मल्ल और नट तथा शस्त्र से आजीविका वाले मनुष्य और जुवा तथा मद्यपान में आमक्त पुरुष, यह रजो गुण की निकृष्ट गति है ॥४५॥ राजा लोग तथा क्षत्रिय और राजों के पुरोहित और वाद वा भगडा करने वाले यह मध्यम राजस गति है (राववानन्द ने-प्रधाना, प्रसक्ता की

और रामचन्द्र ने 'वाद = दान' की व्याख्या की है ) ॥४६॥

गन्धर्वा गुह्यका यक्षा विबुधाऽनुचराश्च ये ।

तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीपूत्तमा गतिः ॥४७॥

तापसायतयोविप्रा ये च वैमानिका गणाः ।

नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्त्विकी गतिः ॥४८॥

गन्धर्व, गुह्यक, यक्ष और देवतोके अनुचर तथा सब अप्सरा, यह रजोगुण की गतियो मे उत्तम गति है ॥४७॥ तप करने वाले, यति, विप्र और विमानो पर घूमने वाले तथा ( चमकते ) नक्षत्र और दैत्य, सत्वगुण की अधम गति है ॥४८॥

यज्वानऋषयोदेवा वेदा ज्योतीषि वत्सराः ।

पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीयासात्त्विकीगतिः ॥४९॥

ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महानऽव्यक्तमेव च ।

उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुर्दुर्नीषिणः ॥५०॥

यज्ञ करने वाले, ऋषि लोग, देव और वेद, तारे और काल वे इति पितर और साध्य यह मध्यमा सात्त्विक गति है ॥४९॥ ब्रह्मण और विश्व को उत्पन्न करने वाले ( सृष्टि के आरम्भ के ' इहाण्डादि ) और धर्म तथा महत्त्व और अव्यक्त ( मूलप्रकृति ) के विद्वान् लोग उत्तम सात्त्विक गति कहते हैं ॥५०॥

एष सर्वः समुद्दिष्टस्त्रिप्रकारस्य कर्मणः ।

त्रिविधस्त्रिविधः कृत्स्नः संसारः सार्वभौतिकः ॥५१॥

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धर्मस्याऽसेवनेन च ।

पापान् संयान्ति संसारानऽविद्वांसो नराधमाः ॥५२॥



यह सम्पूर्ण तीन २ प्रकार के कर्म की सार्वभौतिक ३ प्रकार की सब सृष्टि कही ॥५१॥ इन्द्रियों के प्रसङ्ग से और धर्म के आचरण न करने से मूढ़ अयम मनुष्य कुत्सित गतियों को प्राप्त होते हैं ॥५२॥

यां यां योनिं तु जीवोऽयं येन येनेह कर्मणा ।

क्रमशोयाति लोकेस्मिंस्तत्सर्वं निबोधत ॥५३॥

“बहून्त्रर्पणान्घोरात्तरकान्प्राप्य तत्त्वयात् ।

संसारान्प्रतिपद्यन्ते महापातकिनस्त्रिमात् ॥५४॥”

यह जीव जो जो कर्म करके जिस जिस योनि में इस सृष्टि में जन्म लेता है, वह वह सब मुनो ॥५३॥ “( ब्रह्महत्यादि ) महा पातक करने वाले जीव बहुत वर्ष पर्यन्त घोर नरकों में पड़ कर उस के क्षय से संसार में य जन्म धारण करते हैं कि:-” ।

( ५३ वें में योनि प्राप्ति की प्रतिज्ञा करके ५५ वें में योनियो का वर्णन है इस लिये बीच के ५४ वे की कुछ भी आवश्यकता नहीं है ) ॥५४॥

श्वसूकरखरोष्ट्राणां गोजाविमृगपक्षिणाम् ।

चण्डालपुक्कसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति ॥५५॥

कृमिकीटपतङ्गानां विड्भुजां चैव पक्षिणाम् ।

हिंस्रानां चैव सत्त्वानां सुरापोत्राह्वणोत्रजेत् ॥५६॥

कुत्ता, सूकर, गर्दभ, ऊँट, बैल, बकरा, भेड़, मृग, पक्षी, चण्डाल और पुक्कस योनि को ब्रह्महत्यारा प्राप्त होता है ॥५५॥ मद्य पीने वाला ब्राह्मण कीड़े, पतङ्ग, मैला खाने वाले पक्षियो और हिंसा करने वाले प्राणियों की ( योनि को ) प्राप्त होता है ॥५६॥

लूताहिसरठानां च तिरश्चां चाम्बुचारिणाम् ।  
 हिंसाणां च पिशाचानां स्तेनो विप्रः सहस्रराः ॥५७॥  
 तृणगुल्मलतानां च क्रव्यादां दंष्ट्रिणामपि ।  
 क्रूरकर्मकृतां चैव शतशो गुरुतल्पगः ॥५८॥

चोरी करने वाला ब्राह्मण-भकड़ी सर्प घिरगट जल में रहने वाले तथा हिंसा करने वाले पिशाचों के जन्म को हजारों बार प्राप्त होता है ॥५७॥ गुरुपत्नी से गमन करने वाला घास, गुच्छे लता कच्चे मांस को खाने वाले और क्रूर कर्म करने वाले का जन्म सैंकड़ों बार पाता है ॥५८॥

हिंसा भवन्ति क्रव्यादाः कृमयोऽभक्ष्यभक्षिणः ।  
 परस्परादिनः स्तेनाः प्रेत्यान्त्यस्त्रीनिषेविणः ॥५९॥  
 संयोगं पतितैर्गत्वा परस्यैव च धोपितम् ।  
 अपहृत्य च विप्रस्त्रं भवति ब्रह्मराक्षसः ॥६०॥

प्राणियो का वध करनेके स्वभाव वाले= (मार्जारादि) कच्चे मांसके खाने वाले होतेहैं और अभक्ष्य भक्षण करनेवाले=कृमि और चोर=परस्पर एक दूसरे को खाने वाले होते हैं । तथा चण्डाल की स्त्री से गमन करने वाले भी मर कर इसी गति को प्राप्त होते हैं । (दे। पुस्तको के अतिरिक्त अन्त्रो में 'प्रेतान्य अशुद्ध पाठ है) ॥५९॥ पतितों के साथ रहने और पराई स्त्री से मैथुन करने तथा ब्राह्मण का धन चुराने से ब्रह्मराक्षस होता है ॥६०॥

मणिमुक्ताप्रवालानि हत्वा लोभेन मानसः ।  
 विविधानि च रत्नानि जायते हेमकर्तृषु ॥६१॥

-धान्यं हृत्वा भवत्यावुः कांस्यं हंसो जलं प्लवः ।

मधु दंशः पयः काको रसं श्वानकुलोघृतम् ॥६२॥

मणि मोती, मूंगा और नाना प्रकार के रत्नों को चुरा कर हेमकार पक्षियों में जन्म होता है ॥६१॥ धान्य को चुराने से चूहा, कांसे के चुराने से हंस, जल के चुराने से मेंढक, मधु को चुराने से मक्खी वा डांस, दूधके चुरानेसे कौवा, रसको चुराने से कुत्ता और घृत को चुराने से नेवला होता है ॥६२॥

मांसं गृध्रोऽपां मद्गुस्तैलं तैलकः खगः ।

चीरीवाकस्तु लवणं बलाका शकुनिर्दधि ॥६३॥

कौशेयं तिचिरिहृत्वा क्षौमं हृत्वातु ददुरः ।

कार्पासतान्तणं क्रौञ्चो गोधा गां वाग्गुदोऽगुडम् ॥६४॥

मांस को चुराने से गिद्ध, वपा ( चरवी ) के चुराने से जल-कौवा नाम पक्षी, तेल को चुराने से तेल पीने वाला पक्षी, लवण को चुराने से भींगरी और दधि के चुराने से बलाका नाम पक्षी होता है ॥६३॥ रेशमी कपड़े चुराने से तीतर, अलसी का वस्त्र चुराने से मेंढक, कपास के कपड़े चुराने से सारस, गाय के चुराने से गोधा और गुड़ के चुराने से वाग्गुद नाम पक्षी होता है ॥६४॥

छुच्छुन्दरिः शुभान्गन्धान्पत्रशाकंतुवर्हिणः ।

श्वावित्कृतान्नं विविधमकृतान्नं तु शन्यकः ॥६५॥

वको भवति हृत्वाग्निं गृहकारीह्युपस्करम् ।

रक्तानि हृत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः ॥६६॥

अच्छे सुगन्धित पदार्थों के चुराने से छच्छुन्दर, सागपात के

चुराने से मोर, विविध सिद्ध अन्न चुराने में गीदड़ और कच्छ  
अन्न चुराने में शक्य होना है ॥६५॥ आग को चुराने में वरु  
शर्पमुसलादि के चुराने से गृहकारी पक्षी (मकड़ी) और रंग वस्त्रों  
के चुराने से जीव जीवक (चकार) होता है ॥६६॥

वृकोमृगेषं व्याघ्रोऽणं फलमूलं तु मर्कटः ।

स्त्रीमृत्तःस्तोकको वारि यानान्युष्टः पशूनजः ॥६७॥

यद्वा तद्वा परद्रव्यमपहृत्य बलात्तरः ।

अवश्यं याति तिर्यक्त्वं जग्ध्वाचैवाऽहुतं हविः ॥६८॥

मृग, हाथी के चुराने से भेड़िया घोड़े के चुराने में व्याघ्र,  
फल मूल के चुराने में वन्दर और स्त्री के चुराने से गीदड़, पीने के  
पानी चुराने से चातर पक्षी, मरगियों के चुराने में ऊँट तथा  
पशुओं के चुराने में बकरा होता है (एक पुस्तक में स्तोकक =  
चातक है) ॥६७॥ मनुष्य को दूमरे का कुछ अमार पदार्थ भी  
चुराने और बिना होम किये हवि के भोजन करने से अवश्य  
तिर्यग्योनि प्राप्त होती है ॥६८॥

स्त्रियोप्येतेन कल्पेन हत्वा दोषमवाप्नुयुः ।

एतेषामेव जन्तूनां भार्यात्वमुपयान्ति ताः ॥६९॥

स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कर्मभ्यञ्च्युतावर्णा ह्यनापदि ।

पापान्पंसृत्य संसारान् प्रेष्यतां यान्ति शत्रुषु ॥७०॥

स्त्री भी इसी प्रकार चुराने के दोषों का प्राप्त होती हैं और  
उसी पाप से उन्हीं जन्तुओं की स्त्री बनती हैं ॥६९॥ चारों वर्ण  
बिना आपत्ति अपने कृत्य कर्म न करने से कुत्सिन योनि को प्राप्त  
होकर फिर शत्रुओं के दासत्व का प्राप्त होते हैं ॥७०॥

वान् शयुल्कामुखः प्रेतो विप्रो धर्मात्स्वकाच्युतः।  
 अमेध्यकुण्ठपाशी च क्षत्रियः कटपूतन ॥७१॥  
 मैत्राक्षज्योतिकः प्रेतो वैश्यो भवति पूयभुक् ।  
 चैलाशकश्च भवति शूद्रो धर्मात्स्वकाच्युतः ॥७२॥

अपने कर्म से भ्रष्ट ब्राह्मण मर कर वमन का भोजन करने वाला ज्वालामुख, स्वकर्मभ्रष्ट क्षत्रिय पुरीष और शत्रु का भोजन करने वाला कटपूतनाख्य योनिविशेष में उत्पन्न होता है ॥७१॥ स्वकर्मभ्रष्ट वैश्य मरकर पीव का भक्षण करने वाला मैत्राक्षज्योति नाम उत्पन्न होता है और वैसे ही स्वकर्मभ्रष्ट शूद्र कपडे की जूआदि खाने वाला चैलाशक नाम होता है ॥७२॥

यथा यथा निपेवन्ते विषयान्विषयात्मकाः ।  
 तथा तथा कुशलता तेषां तेषूपजायते ॥७३॥  
 तेऽभ्यासात्कर्मणां तेषां पापानामल्प बुद्धयः ।  
 संप्राप्नुवन्ति दुःखानि तासु तास्त्रिह योनिषु ॥७४॥

विषयासक्त पुरुष जैसे २ विषयो को सेवन करते हैं वैसे २ वनमें उनकी कुशलता हो जाती है ॥७३॥ वे निवृद्धि उन पाप कर्मों के अभ्यास से यहां उन २ योनियों में दुःखों को प्राप्त होते हैं ॥७४॥

तामिस्रादिषु चोग्रेषु नरकेषु विवर्तनम् ।  
 असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेदनानि च ॥७५॥  
 विविधाश्चैव संपीडाः काकोलूकैश्च भक्षणम् ।  
 कर्ममवानुकातापान्कुम्भीपाकांश्च दारुणान् ॥७६॥



तामि गति उग्र नरकों मे दुःख का अनुभव करते हैं तथा अनिपत्रवनादि बन्धन छेदन वाले घोर नरकों को प्राप्त होते हैं ॥७५॥ और नाना प्रकार की पीड़ा तथा कष्ट उलूक आदि मे भक्षण और तप्त बालुकादि मे तपाये जाते और दारुण कुम्भीपाकों को प्राप्त होते हैं ॥७६॥

संभवांश्च विद्योनीषु दुःखप्रायामु नित्यशः ।

शीतातपाभिघातांश्च विविधानि भयानि च ॥७७॥

असकृद्गर्भवासेषु वामं जन्म च दारुणम् ।

बन्धनानि च कष्टानि परप्रैष्यत्वमेव च ॥७८॥

अधिक दुःख वाली तिर्यक्गोनियो मे नित्य २ उन्पन्न होने और नाना प्रकार की शीत आतप की पीड़ा तथा अनेक प्रकार के भयो को प्राप्त होते हैं ॥७७॥ बारम्बार गर्भस्थान मे वास, अति कठिन उत्पत्ति तथा उत्पन्न होने पर शृंखलादि के बन्धनों और दूसरे के हलकारेपन के दुखों को प्राप्त होते हैं ॥७८॥

बन्धुप्रियवियोगांश्च संवासं चैव दुर्जनैः ।

द्रव्यार्जन च नाशं च मित्रामित्रस्य चार्जनम् ॥७९॥

जरां चैवाऽप्रतीकारां व्याधिभिश्चोपपीडनम् ।

क्लेशांश्च विविधांस्तांस्तान्मृत्युमेव च दुर्जयम् ॥८०॥

बन्धु और प्यारो की जुदाई तथा दुर्जनो के साथ रहना और धन कमाने का परिश्रम और धन का नाश और क्लेश से मित्र का मिलना तथा बिना कारण शत्रुओ का उन्पन्न होना (ये सब प्राप्त होते हैं) ॥७९॥ अनिवारणीय वृद्धावस्था और व्याधियो से दक्षिण होना तथा नाना प्रकार के (क्षत्पिपासादि) क्लेशों और दुर्जय मृत्यु को प्राप्त होते हैं ॥८०॥



यादृशेन तु भावेन यद्यत्कर्म निषेधते ।  
 तादृशेन शरीरेण तत्तत्फलमुपाश्नुते ॥८१॥  
 एष सर्वः समुद्दिष्टः कर्मणां चः फलोदयः ।  
 नैश्वेयपकरं कर्म विप्रस्वेदं नियोगत ॥८२॥

जिम २ (माश्विक, राजम, तामम) भाव से जो जो कर्म करता है वैसे २ शरीर में उच २ फल का भोग करता है ॥८१॥ यह मन्त्र कर्मों का फलोदय तुम से कइ। अत आगे जात्रण का कल्याण करने वाले इस कर्म को सुनो:—॥८२॥

वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः ।  
 अहिंसा गुरुसेवा च नैश्वेयपकरं परम् ॥८३॥  
 सर्वेषामपि चैतेषां शुभानामिह कर्मणाम् ।  
 किञ्चिच्छ्रेयस्करतरं कर्मोक्तं पुरुषं प्रति ॥८४॥

वेद का अभ्यास तप, ज्ञान, इन्द्रियो का रोकना तथा हिंसा न करना और गुरु की सेवा यह परम कल्याण का देने वाला है ॥८३॥ इन सब कर्मों में कुछ अधिक श्रेय का देने वाला कर्म पुरुष के लिये कहा है (कि:—) ॥८४॥

सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम् ।  
 तद्व्यग्रयं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥८५॥  
 एषामेषां तु सर्वेषां कर्मणां प्रेत्य चेह च ।  
 श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सर्वेषां कर्म वैदिकम् ॥८६॥

इन मन्त्र में आत्मज्ञान श्रेष्ठ कहा है। यह सम्पूर्ण विद्याओं में प्रधान है क्योंकि उससे मोक्ष प्राप्त होता है ॥८५॥ इन छः

कर्मों में इस लोक तथा परलोक में सर्वदा अतिशय श्रेय को देने वाला वैदिक कर्म जानिये ॥८६॥

वैदिके कर्मयोगे तु सर्वाण्येतान्यशेषतः ।

अन्तर्भवन्ति क्रमशस्तस्मिस्तस्मिन्क्रियाविधौ ॥८७॥

सुखाम्बुदयिकं चैव नैश्रेयसिकमेव च ।

प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् ॥८८॥

वैदिक (परमात्मा की उपासनादि) कर्मयोग में ये सब पुण्य उस २ कर्मविधि में सम्पूर्णता से क्रमपूर्वक आ जाने हैं ॥८७॥ सुख का अभ्युदय करने वाला और मोक्ष का देने वाला एक प्रवृत्त दूसरा निवृत्त यह दो प्रकार का क्रम से वैदिक कर्म है ॥८८॥

इह चामुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कीर्त्यते ।

निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तमुपदिश्यते ॥८९॥

इस लोक तथा परलोक में भोगार्थ जो कामना से कर्म किया जाता है उसको प्रवृत्त कहने हैं और जो निष्काम तथा ज्ञानपूर्वक किया जाता है उनको निवृत्त कहने हैं । (८९ वें से आगे एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक है .—)

[अकामोपहतं नित्यं निवृत्तं च विधीयते ।

कामतस्तु कृतं कर्म प्रवृत्तमुपदिश्यते ॥]

अकाम से उपहत कर्म निवृत्त और काम से किया कर्म प्रवृत्त कहाता है) ॥८९॥

प्रवृत्तं कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यताम् ।

निवृत्तं सेवमानसु भूतान्यतीति पञ्चजे ॥९०॥



प्रवृत्त कर्म करने से देवताओं के साम्प्र को प्राप्त होता है तथा निवृत्त कर्म क करने से पञ्चभूतों को लांघकर मोक्ष को प्राप्त होता है ॥९०॥

सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥९१॥

यथोक्तान्यपि क्रमाणि परिहाय द्विजोत्तमः ।

आत्मज्ञाने शमे च स्याद्ब्रह्माभ्यासे च यत्नवान् ॥९२॥

सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को बराबर देखने वाला आत्मयाजी (आत्मयज्ञ करने वाला) स्वाराज्य (मोक्ष) को प्राप्त होता है ॥९१॥ ब्राह्मण यथोक्त कर्मों को छोड़कर भी आत्मज्ञान और इन्द्रियनिग्रह तथा वेद के अभ्यास में यत्न करे ॥९२॥

एतद्वि जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः ।

प्राप्यैतत्कृतकृत्यो हि द्विजोभवति नान्यथा ॥९३॥

पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम् ।

अशक्यंचाऽप्रमेयंच वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥९४॥

ब्राह्मण का विशेष करके जन्मसाफल्य यही है । क्योंकि इसको पाकर द्विज कृतकृत्य होता है दूसरे प्रकार नहीं ॥९३॥ पितर देव और मनुष्यों को वेद आख है और वह सनातन है तथा (अन्य ग्रन्थ पढ़ने मात्र से जानने को) अशक्य और अप्रमेय है । इस प्रकार (वेदशास्त्र की) स्थिति है ॥९४॥

या वेदब्राह्मणः स्मृतयो याश्चक्रश्च कुदृष्टयः ।

सर्वास्तानिष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठाहिताः स्मृताः ॥९५॥



उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित् ।

तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यनतानि च ॥६६॥

जो स्मृति वेदवाह्य हैं और जो कुदृष्टि हैं वे सब निष्फल हैं क्योंकि अन्धकार में ले जाने वाली हैं (एक प्रकार से मानो मनु अपनी ही स्मृति को भी किसी अंश में वेदविरुद्ध होजाना सम्भव मानते हुवे यह वचन कहते हैं। क्योंकि मनु के लक्ष्य में रखने को अन्यस्मृति तो उस समय थी ही नहीं) ॥९५॥ वेद से अन्यमूलक जो कुछ ग्रन्थ हैं वे उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। वे अर्वाक्कालके होने से निष्फल और असत्य हैं (इसलिये जो वेद से प्रमाणित है, वही प्रमाण है) ॥९६॥

चातुर्वर्ण्यं त्रयोलोकश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् ।

भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्प्रसिध्यति ॥६७॥

शब्द. स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च यञ्चमः ।

वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगुणकर्मतः ॥६८॥

चार वर्ण, तीन लोक अलग २ चार आश्रम तथा भूत भविष्यत् वर्तमान सब वेद ही से प्रसिद्ध है ॥९७॥ शब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध ये ५ भी वेद ही से उत्पन्न हैं। यद्यपि उत्पत्ति (सत्त्वादि) गुणों के कर्म से है ॥ (अर्थात् यद्यपि सब पदार्थ अपने २ उपादान से उत्पन्न हैं, परन्तु उन सब का ज्ञान वेद से ही आरम्भ हुवा, इस लिये शब्दादि विषयों की उत्पत्ति वेद से ही कही गई) ॥९८॥

विभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम् ।

तस्मादेतपरमन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम् ॥६९॥

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ।



सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति ॥१००॥

सनातन वेदशास्त्र सर्वदा संपूर्ण जीवों का धारण और पोषण करता है। इस प्राणी के लिये इस वेद के साधन को मैं (मनु) परम मानता हूँ ॥१९९॥ सेनापत्य और राज्य तथा दण्डनेतापन और सब लोगों पर आधिपत्य को वही पाने योग्य है जो वेदशास्त्र का जानने वाला है ॥१००॥

यथा जातवलो वह्निर्दहत्याद्रानपि द्रुमान् ।

तथा दहति वेदज्ञः कर्मजं दोषमात्मनः ॥१०१॥

जैसे बलवान हुआ अग्नि गीले वृक्षों को भी जला देता है, वैसे ही वेद का जानने वाला अपने कर्मज दोष को जला देता है ॥

( १०१ से आगे ३ पुस्तकों में यह श्लोक मिलता है जोकि आवश्यक भी था.-

[ न वेदबलमाश्रित्य पापकर्मरुचिर्भवेत् ।

अज्ञानाच्च प्रमादाच्च दहते कर्म नेतरत् ] ॥

परन्तु वेद बल के भरोसे मनुष्यको ( निर्भय हो ) पाप कर्म में रुचिवाला नहीं बनना चाहिये। क्योंकि अज्ञान वा प्रमाद से जो कर्म बन जाते हैं, उन्हीं का [ पूर्व श्लोकानुसार ] हनन हो सकता है, अन्यो का नहीं ) ॥१०१॥

वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन् ।

इहैव लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥१०२॥

वेद शास्त्रार्थ का तत्व जानने वाला चाहे जिस आश्रम में रह कर इसी लोकमें रहता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त होता है ॥१०२॥

अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्योधारिणो वराः ।



धारिभ्योऽज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्योऽव्यवसायिनः ॥१०३॥

तपोविद्या च विप्रस्य निश्रेयसकरं परम् ।

तपसाऽकिञ्चिन्नपं हन्ति विद्ययाऽमत्तमश्नुते ॥१०४॥

विना पढ़ने वालों से ग्रन्थ के पढ़ने वाले श्रेष्ठ हैं उन से (कण्ठस्थ) धारण करने वाले तथा उन से भी उन के अर्थ जानने और अर्थज्ञानियों से अनुज्ञान करने वाले श्रेष्ठ हैं ॥१०३॥ तप और विद्या ब्राह्मण का परम कल्याणप्रद है। तप से पाप दूर होता है और विद्या से मोक्ष प्राप्त होता है ॥१०४॥

प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च त्रिविधाऽगुणम् ।

त्रयं सुनिश्चितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥१०५॥

आर्षधर्मोपदेशं च वेदशास्त्राऽविरोधिना ।

यस्तर्कैः शानसंधत्ते स धर्म वेद नेतरः ॥१०६॥

धर्मके तत्व को जानने की इच्छा करने वालेको प्रत्यक्ष अनुमान और विधि शास्त्र, इन तीनों को भले प्रकार से जानना चाहिये ॥१०५॥ ऋषियों के कहे हुवे उपदेशरूप धर्म को वेदशास्त्र के अविरोधी तर्क से जो खोज करता है वह धर्म को जानता है अन्य नहीं ॥१०६॥

‘नैश्रेयसमिदं कर्म यथोदितमशेषतः ।

मानवन्त्यास्य शास्त्रस्य रहस्यमुपदिश्यते ॥१०७॥’

अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्भवेत् ।

यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः धर्मः स्यादशङ्कितः ॥१०८॥

“यह निश्रेयसका साधन कर्म नि शेष यथावत् कहा । अब इस मनु के शास्त्र का रहस्य बताया जाता है” (यह स्पष्ट ही अन्यकृत



है। तथा इस के बिना भी प्रसङ्ग में कुछ भेद नहीं पड़ता है )  
॥१०७॥ जहां पर सामान्य विधि हो और विशेष न हो वहां कैसा  
होना चाहिये, इस शङ्का पर कहते हैं कि जो शिष्ट ब्राह्मण कहें  
वहां वहीं अशुद्धि धर्म है ॥१०८॥

धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदः समिष्टिः ।

ते शिष्टाब्राह्मणाज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥१०९॥

दशावरा वा परिपद्यं धर्मं परिकल्पयेत् ।

अवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचालयेत् ॥११०॥

ब्रह्मचर्यादियुक्त धर्म से जिन्होंने पडझाड़ि सहित वेद पढा  
है वे श्रुति के प्रत्यक्ष करने वाले लोग शिष्ट ब्राह्मण । जानने चाहिये  
॥१०९॥ ( १११ में कहे हुवे ) दश भी श्रेष्ठ विद्वान् जिस धर्म को  
कहें वा ( उनके अभाव में ) सदाचारी तीन भी कहें, उस धर्म को  
न लांघे ॥११०॥

( ११० वे से आगे चार पुस्तकों में १ यह श्लोक प्रचिन है -

[पुराणं मानवोधर्मः साङ्गोपाङ्गचिकित्सकः ।

आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ ]

१ पुराण, २ मनुप्रोक्त धर्म ३ साङ्गोपाङ्ग चिकित्सा शास्त्र ४  
साधु आदि की आज्ञा से सिद्ध, इन को हेतुओं से खण्डित  
न करे ) ॥११०॥

त्रैविद्यो हेतुकस्तर्को नैरुक्तोधर्मपाठकः ।

त्रयश्चांश्रमिणः पूर्वं परिपत्स्यादशावरा ॥१११॥

ऋग्वेदविद्यजुर्विच्च सामवेदविदेव च ।

श्रवरा परिपञ्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥११२॥

१-३ तीन वेदों के जानने वाले और ४ (अतिस्मृति के अतिरुद्ध) न्यायशास्त्र का जानने वाला तथा ५ (मीमांसक) तर्क का जानने वाला और ६ निरुक्त जानने वाला तथा ७ धर्मशास्त्र का जानने वाला और ८-१० पूर्व के तीन (ब्राह्मचारी गृही वनी) आश्रम वाले, यह दशावरा सभा (परिषत्) है ॥१११॥ ऋक् यजुःसाम, इन तीन वेदों के जानने वालों की धर्मसंशय निर्णयके लिये श्रवरा सभा जाननी चाहिये ॥११२॥

एकोऽपि वेदविद्वर्मं यं व्यवसेद् द्विजोत्तमः ।

सविज्ञेयः परोधर्मो नाऽज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥११३॥

श्रवतानामऽमन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम् ।

सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥११४॥

वेदका जानने वाला ब्राह्मण एक भी जिस धर्मको कहे उसको श्रेष्ठ धर्म जाना चाहिये और अज्ञो का दश हजार का भी कहा कुछ नहीं ॥११३॥ व्रत और वेदमन्त्रों से रहित तथा केवल जातिमात्रसे जीते हुवे सहस्रों भी इरुट्टे हुबोको परिषत् (धर्मनिर्णय का सभात्व) नहीं है ॥११४॥

यं वदन्ति तमो भूता मूर्खार्धमऽतद्विदः ।

तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्तृनुगच्छति ॥११५॥

एतद्वोऽभिहितं सर्वं निःश्रेयसकरं परम् ।

अस्मादप्रच्युतो विप्रः प्राप्नोति परमां गतिम् ॥११६॥

तमोगुणप्रधान मूर्ख धर्मप्रमाणवेदार्थ को न जानने वाले लोग जिमको (प्रायश्चित्तादि) धर्म बताते हैं, उमका पाप सौगुणा होकर उन बताने वालों को लगना है ॥११५॥ यह निःश्रेयस का साधन धर्मादि मन्त्र तुममे कहा । इसके अनुष्ठान से न गिरने वाले ब्राह्मणादि परमगति को प्राप्त होते हैं ॥११६॥

“एवं स भगवान्देवो लोकानां हितकाम्यया ।

धर्मस्य परमं गुणं ममेवं सर्वमुक्तवान् ॥११७॥”

सर्वात्मानि संपश्येत्सच्चाऽसच्च समाहितः ।

सर्वं ह्यात्मनि संपश्यन्नाऽधर्मं कुरुते मनः ॥११८॥

“इस प्रकार उस भगवान् देव (मनु) ने लोगोंके हितकी इच्छा से धर्म का परमगुण यह सब मुक्तको उपदेश किया” ॥ (शृगु वा सम्पादक, कोई कहता है) ॥११७॥ सन् और असन् सबको समाहितचित्त होकर आत्मा में देखे क्योंकि सब को आत्मा में देखने वाला (परमात्मा के भय से) अधर्म में मन नहीं लगाता ॥११८॥

आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वात्मान्यवस्थितम् ।

आत्माहि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम् ॥११९॥

स्वं शस्त्रिवेशयेत्स्वेषु चेष्टनस्पर्शनेऽनिलम् ।

यत्किं दृष्टयोः परं तेजः स्नेहेऽपेगां च मूर्तिषु ॥१२०॥

आत्मा ही सम्पूर्ण देवता है क्योंकि सब कुछ आत्मा में ही स्थित है और इन शरीरियों (जीवात्माओं) के कर्मयोग को आत्मा ही उत्पन्न करता है ॥११९॥ आकाश में आकाश को निविष्ट करे और चेश तथा स्पर्श में वायु को और जठराग्नि तथा दृष्टि में परस्तेज को और शरीर के स्नेह में जल को, तथा मूर्तियों

(शरीरों) में पृथिवी को सन्निविष्ट करे (इस काम से ध्यानावस्थित होवे) ॥१२०॥

मनसीन्दुं दिशः श्रोत्रे क्रान्ते विष्णुं बले हरम् ।  
वाच्यग्नि मित्रमुत्सर्गे प्रजने च प्रजापतिम् ॥१२१॥  
प्रशासितारं सर्वेषामशीयांऽमणोरपि ।  
रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यारं पुरुष परम् ॥१२२॥

मन मे चन्द्रको, कान में दिशाओंको, गति में विष्णुको, बल में शिवको, वाणीमें अग्निको, गुदामें मित्रको लिङ्ग में प्रजापतिको, निवेशित करे। इन २ इन्द्रियोंके ये २ अधिष्ठातृदेवता=दिव्यगुण है। ध्यान करने वाला प्रथम उस २ इन्द्रिय के साथ उस २ के अधिष्ठातृ देवताकी भलेप्रकार स्थिति सम्यादनकरे (अर्थान् इन्द्रियो मे अनुचित विषय ग्रहण को वर्जे) ॥१२१॥ सब के नियन्ता और अणु से अणु तथा सुवर्ण की सी आभा वाले और स्वप्न को सी (एकाग्र) बुद्धि से गम्यको परमपुरुष जानना चाहिये ॥१२२॥

एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम् ।  
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्मशाश्वतम् ॥१२३॥  
एष सर्वाणि भूतानि पञ्चमिड्याप्य मूर्तिभिः ।  
जन्मवृद्धिचयैर्नित्यं संसारयति चक्रवत् ॥१२४॥

इसको कोई अग्नि कहते हैं और कोई मनु कोई इन्द्र, कोई प्राण और कोई शाश्वतब्रह्म कहते हैं ॥१२३॥ यह आत्मा सब जीवों को पञ्चमहाभूतों रूप मूर्तियों से व्याप्त करा कर नित्य चक्र के समान जन्म वृद्धि चयों से घुमाता है ॥१२४॥



एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना ।

स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माऽभ्येति परम्पदम् ॥१२५॥

“इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठन्द्विजः ।

भक्त्याचारवान्नित्यं यथेष्टं प्राप्नुयाद् गतिम् ॥१२६॥

इस प्रकार जो सब में आत्मा परमात्माको देखता है वह सम-  
दृष्टि होकर परमपद ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥१२५॥ इस प्रकार यह  
मनु का शास्त्र भृगु ने कहा है । इसके पढ़ने वाला द्विज सर्वदा  
अचार वाला और यथेष्ट गति को प्राप्त होता है ॥ (यह वचन  
शुद्ध से भी पीछे बनाकर मित्राग गया सप्त है) ॥१२६॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे ( भृगुप्रोक्तायां संहितायां )

द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥

इति श्री तुलसीरामस्वामिविरचिते मनुस्मृतिभाषानुवादे  
द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥

